ाला, खंड 21, अंक 14

शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2001
16 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 21 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 21, आठवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 14, शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2001/16 अग्रहायण, 1923 (शक)

विषय		कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर.		
*तारांकित प्रश्न संख्या	261 से 264 (7 दिसम्बर, 2001)	1–68
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	241 से 260 (6 दिसम्बर, 2001)	68–137
	265 से 280 (7 दिसम्बर, 2001)	137–161
अतारांकित प्रश्न संख्या	2636 से 2865 (6 दिसम्बर, 2001)	161–418
	2866 से 3095 (7 दिसम्बर 2001)	418–790
सभा पटल पर रखे गए पत्र		791–824
राज्य सभा से संदेश		825
उद्योग संबंधी स्थायी समिति		
अठावनवां और उनसठवां प्रतिवेदन		825
सभा का कार्य		826–830
समिति के लिए निर्वाचन		
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद		830
जूट विनिर्मिति उपकर (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित		836

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा

शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 2001/16 अग्रहायण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

बेरोजगार युवाओं को ऋण

*261. **डा. संजय पासवान:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इस आशय के कोई निदेश जारी किये हैं कि जरूरतमंद गरीब व्यक्तियों/बेरोजगार युवाओं को एक लाख रुपये से कम की राशि का ऋण देना हतोत्साहित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में उक्त श्रेणी के व्यक्तियों को ऐसे ऋण देने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(घ) इन राज्यों में कितने-कितने वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किये गये;

(ङ) क्या इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के कठोर रवैये और ऋणों की स्वीकृति में व्याप्त भ्रष्टाचार ने विशेषरूप से बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार अपनाने के लिए हतोत्साहित किया है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जाने का प्रस्ताव है;

(छ) इन बैंकों में विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं के अंतर्गत बिहार से संबंधित कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ज) इन बैंकों द्वारा इन आवेदन-पत्रों का शीघ्र निपटान करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ज) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जरूरतमंद गरीबों सहित बेरोजगार युवाओं को बैंक ऋण प्रदान करते हैं। मार्च, 1999, 2000 और 2001 को समाप्त वर्ष के लिए पीएमआरवाई तथा एसजेएसआरवाई के अंतर्गत राज्य-वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां अनुबंध-I और अनुबंध-II में दी गई हैं। एसजीएसवाई योजना दिनांक 1.4.1999 से शुरू की गई थी। मार्च 2000-2001 को समाप्त वर्ष तथा 2001-02 (1 अक्तूबर, 2001 तक) समाप्त वर्ष के लिए इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धियां अनुबंध-III में दी गई हैं।

विभेदी-ब्याज-दर योजना के अंतर्गत कमजोर वर्गों को ऋण भी प्रदान किये जा रहे हैं ताकि वे उत्पादक और लाभप्रद क्रियाकलाप शुरू कर सकें। इसके अतिरिक्त स्क्वैंजरों की उन्मुक्ति और पुनर्वास योजना (एसएलआरएस) के अंतर्गत स्केवैंजरों को उन्मुक्त और पुनर्वासित करने तथा उन्हें सम्मानजनक वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। 31 मार्च, 2000 और 2001 को समाप्त वर्ष के लिए एसएलआरएस के संबंध में राज्य-वार सूचना अनुबंध-IV में दी गई है।

(ङ) और (च) राज्य/जिला स्तर पर और भारतीय रिजर्व बैंक में समितियां गठित की गई हैं जहां इन योजनाओं के क्रियान्वयन तथा शिकायतों के निवारण की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण मंजूरी/संवितरणों में देरी के मामलों पर इन मंचों द्वारा ध्यान दिया जा रहा है।

(छ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, पीएमआरवाई योजना के अंतर्गत बिहार में 30 सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार 1463 आवेदन तथा एसजीएसवाई के अंतर्गत 30 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार 3682 आवेदन लम्बित पड़े थे।

(ज) भारतीय रिजर्व बैंक आवधिक रूप से बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि आवेदनों का निपटान निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से पीएमआरवाई के अंतर्गत प्राप्त 25,000 रु. तक के आवेदनों को एक पखवाड़े के भीतर तथा 25,000 रु. से अधिक

के आवेदनों को 8-9 समाप्त के भीतर निपटाने का अनुदेश दिया है। एसजेएसआरवाई और एसजेएसवाई से संबंधित मामलों को अलग-अलग मामलों के आधार पर तत्परतापूर्वक निपटाया जा रहा है।

अनुबंध I

मार्च 1999 को समाप्त वर्ष में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत लक्ष्य, स्वीकृत ऋण एवं संवितरित ऋण का ब्यौरा

(रु. लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	कुल स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
उत्तर क्षेत्र					
हरियाणा	8300	7888	4408.18	5742	3168.47
हिमाचल प्रदेश	2400	2340	1413.39	1913	1178.85
जम्मू एवं कश्मीर	5000	1473	1243.39	835	651.00
पंजाब	9000	9733	6190.45	8075	4640.57
राजस्थान	16300	14005	7393.38	10059	5105.31
चण्डीगढ़	100	105	83.46	75	56.09
दिल्ली	4700	691	394.44	508	288.64
उत्तर पूर्वी क्षेत्र					
असम	15000	10267	8395.65	5525	3968.14
मणिपुर	1350	828	461.00	407	176.11
मेघालय	550	368	281.86	202	129.71
नागालैंड	250	165	152.17	40	330.67
त्रिपुरा	1300	974	570.24	110	59.05
अरुणाचल प्रदेश	500	204	175.83	166	125.39
मिजोरम	350	163	145.15	37	30.05
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	20500	10852	9056.31	8364	6493.81
उड़ीसा	10100	8684	6837.43	3106	2146.50
प. बंगाल	23000	3780	2469.77	2726	1717.85
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	100	94	75.51	77	53.88
सिक्किम	150	87	44.48	45	20.95

1	2	3	4	5	6
मध्य क्षेत्र					
मध्य प्रदेश	30800	31169	19725.78	19102	11691.18
उत्तर प्रदेश	51600	44682	27795.02	35023	21052.55
पश्चिमी क्षेत्र					
गुजरात	14600	11437	4949.79	10607	4543.55
महाराष्ट्र	42500	37106	19442.64	26346	14146.96
दमन एवं दीव	50	25	17.08	21	14.05
गोवा	600	369	265.29	300	212.88
दादर एवं नगर हवेली	50	37	24.40	28	18.67
दक्षिणी क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश	34200	24118	13394.14	15186	8320.93
कर्नाटक	21900	17351	9804.91	13188	7274.26
केरल	20000	16031	8792.86	11749	6348.19
तमिलनाडु	18500	15723	7637.75	11422	5523.55
लक्षद्वीप	50	33	27.20	31	25.59
पाण्डिचेरी	550	453	171.25	330	126.33
उल्लिखित नहीं	0	0	1.66	6	4.48
समस्त भारत	354350	271342	161842.06	191351	109347.21

मार्च 2000 को समाप्त वर्ष में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत लक्ष्य, स्वीकृत ऋण एवं संवितरित ऋण का ब्यौरा

(रु. लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	कुल स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
उत्तर क्षेत्र					
हरियाणा	7500	7192	4485.05	5616	3308.39
हिमाचल प्रदेश	2500	2300	1538.18	1948	1303.89

1	2	3	4	5	6
जम्मू और कश्मीर	4000	1275	1113.00	871	734.06
पंजाब	9000	9573	6622.18	8308	5336.92
राजस्थान	16100	15210	8675.72	10731	5848.11
चण्डीगढ़	100	67	51.7	51	39.87
दिल्ली	4800	860	565.87	598	380.57
उत्तर पूर्व क्षेत्र					
असम	12800	9175	6767.08	5690	4027.41
मणिपुर	1350	963	774.00	294	226.01
मेघालय	550	544	544.95	336	231.59
नागालैंड	200	79	79.45	73	76.52
त्रिपुरा	1300	1056	652.04	230	124.91
अरुणाचल प्रदेश	500	413	326.74	111	72.89
मिजोरम	350	2440	215.85	59	43.88
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	21800	10745	9483.45	7753	6208.24
उड़ीसा	12150	8353	6668.28	3662	2493.07
प. बंगाल	22800	3608	2382.82	2458	1578.32
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	200	129	103.06	101	75.60
सिक्किम	150	58	2774	42	23.78
मध्य क्षेत्र					
मध्य प्रदेश	31600	29593	22187.77	18180	12864.97
उत्तर प्रदेश	52000	44152	29519.49	35559	22743.00
पश्चिमी क्षेत्र					
गुजरात	14600	10723	5061.78	10085	4720.54
महाराष्ट्र	43600	35210	20311.29	24841	14115.04
दमन एवं दीव	50	17	8.67	16	8.27
गोवा	600	481	452.65	408	380.72
दादर एवं नगर हवेली	50	36	20.62	25	19.12

1	2	3	4	5	6
दक्षिणी क्षेत्र					
आन्ध्र प्रदेश	33600	16688	9464.09	11604	6800.19
कर्नाटक	22200	18228	11562.69	14906	9290.54
केरल	24000	16816	9570.31	12114	6807.75
तमिलनाडु	15000	13945	7809.05	11544	6052.64
लक्षद्वीप	50	33	28.76	33	22.89
पांडिचेरी	550	381	173.12	277	131.00
समस्त भारत	356050	258147	167647.30	188524	116090.70

मार्च 2001 को समाप्त वर्ष में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत लक्ष्य, स्वीकृत ऋण एवं संवितरित ऋण का ब्यौरा

(रु. लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	कुल स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
उत्तर क्षेत्र					
हरियाणा	8600	8106	5240.19	4348	2578.78
हिमाचल प्रदेश	2500	2269	1488.44	1862	1229.99
जम्मू एवं कश्मीर	4000	957	824.00	652	495.89
पंजाब	9000	9483	6307.20	6291	3844.22
राजस्थान	16600	15040	8786.80	8291	4505.34
चण्डीगढ़	100	61	47.32	42	33.04
दिल्ली	5000	963	664.91	648	444.86
उत्तर पूर्वी क्षेत्र					
असम	6600	3618	3144.45	1334	995.98
मणिपुर	1100	370	281.90	357	247.93
मेघालय	600	413	299.85	381	254.94

1	2	3	4	5	6
नागालैंड	200	27	35.85	21	25.65
त्रिपुरा	1300	391	314.04	35	22.86
अरुणाचल प्रदेश	500	107	601.77	118	107.52
मिजोरम	250	251	326.70	245	274.00
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	21900	10191	9316.19	6159	5015.04
उड़ीसा	15500	8652	6315.21	1027	649.51
प. बंगाल	22500	2612	1755.00	1622	1115.64
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	150	535	117.96	106	85.43
सिक्किम	50	50	25.34	33	17.25
मध्य क्षेत्र					
मध्य प्रदेश	2400	27005	19468.14	10065	6516.76
उत्तर प्रदेश	52200	53611	29915.88	28198	17987.81
पश्चिमी क्षेत्र					
गुजरात	14700	8891	4663.39	8105	4071.55
महाराष्ट्र	45000	29866	16026.10	16555	9511.99
दमन एवं दीव	50	22	14.22	22	14.22
गोवा	625	183	233.65	256	206.35
दादर एवं नागर हवेली	50	22	17.60	22	17.60
दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	33800	13651	7837.84	6536	3976.88
कर्नाटक	22000	12424	7468.44	5873	3825.72
केरल	23700	13536	7779.47	9372	5303.69
तमिलनाडु	18500	13907	6679.87	9184	4512.99
लक्षद्वीप	50	15	11.80	14	11.10
पाण्डिचेरी	625	300	120.32	159	59.93
उल्लिखित नहीं	–	1143	1072.03	690	598.59
समस्त भारत	360050	229072	147201.87	128623	78558.26

अनुबंध II

मार्च 1999 को समाप्त वर्ष में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एस.जे.एस.आर.वाई. के अंतर्गत लक्ष्य, स्वीकृत ऋण एवं संवितरित ऋण का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	कुल स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	574	429	115.79	170	51.4
हिमाचल प्रदेश	30	26	6.95	21	4.7
जम्मू एवं कश्मीर	3262	1392	581.07	990	384.0
पंजाब	88	188	55.06	102	36.91
राजस्थान	8777	3762	693.59	1763	315.20
चण्डीगढ़	6	13	4.35	10	1.74
दिल्ली	842	0	0	0	0
उत्तर पूर्वी क्षेत्र					
असम	327	36	11.75	33	10.51
मणिपुर	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	204	331	60.54	277	45.75
उड़ीसा	4648	1837	249.17	1300	131.97
प. बंगाल	187	269	36.84	192	25.64
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	0.1	1	0.4
सिक्किम	0	16	1.4	4	0.5

1	2	3	4	5	6
मध्य क्षेत्र					
मध्य प्रदेश	35800	27403	7130.62	13683	3062.8
उत्तर प्रदेश	52210	24852	8256.39	17902	4805.16
पश्चिमी क्षेत्र					
गुजरात	5610	2845	654.24	2481	570.32
महाराष्ट्र	7122	3871	784.96	1824	877.65
दमन एवं दीव	25	12	5.09	11	4.59
गोवा	46	26	7.33	15	5.14
दादर एवं नगर हवेली	0	1	0.2	1	0.2
दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	1691	744	111.55	490	78.66
कर्नाटक	62	150	32.3	146	32.25
केरल	0	78	25.81	58	6.56
तमिलनाडु	25	101	12.95	71	8.85
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
पाण्डिचेरी	112	93	7.92	79	.707
उल्लिखित नहीं	0	330	93.29	219	62.09
समस्त भारत	121657	73406	18830.36	41823	10009.77

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

मार्च 2000 को समाप्त वर्ष में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एस.जे.एस.आर.वाई. के अंतर्गत लक्ष्य, स्वीकृत ऋण एवं संवितरित ऋण का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	कुल स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	2001	2291	578.29	1374	345.2
हिमाचल प्रदेश	476	392	127.07	309	89.46

1	2	3	4	5	6
जम्मू एवं कश्मीर	4216	1659	681.29	1115	442.72
पंजाब	1400	3159	981.79	2255	713.17
राजस्थान	11877	7710	1610.66	4436	920.06
चण्डीगढ़	328	255	72.82	182	50.66
दिल्ली	2978	280	40.63	71	9.26
उत्तर पूर्वी क्षेत्र					
असम	215	242	41.47	157	24.21
मणिपुर	0	11	2.2	11	2.2
मेघालय	104	57	14.03	45	8.65
नागालैंड	15	10	4.55	6	2.85
त्रिपुरा	0	62	21.95	46	7.5
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	560	2079	236.38	1322	204.39
उड़ीसा	3821	3151	568.54	2506	427.7
प. बंगाल	5158	1743	281.87	924	104.18
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	9	1.17	5	0.85
सिक्किम	2	26	6.73	21	5.04
मध्य प्रदेश					
मध्य प्रदेश	24807	17763	4542.05	10550	2666.76
उत्तर प्रदेश	42079	25033	8477.36	16969	5530.17
पश्चिमी क्षेत्र					
गुजरात	11028	3968	1003.94	3877	907.49
महाराष्ट्र	14838	11659	2531.38	8882	1728.41
दमन एवं दीव	22	0	0	0	0
गोवा	79	215	61.16	179	52.27
दादर एवं नगर हवेली	0	1	0.2	1	0.2

1	2	3	4	5	6
दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	1862	3371	665.47	2445	529.65
कर्नाटक	5879	5982	926.52	4458	699.8
केरल	997	2321	446.75	1900	315.58
तमिलनाडु	1405	4857	605.53	3130	376.97
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
पाण्डिचेरी	37	102	6.38	87	6.04
उल्लिखित नहीं	0	98	13.99	79	10.18
समस्त भारत	136000	98507	24552.44	67140	16181.49

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

मार्च 2001 को समाप्त वर्ष में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा एस.जे.एस.आर.वाई. के अंतर्गत लक्ष्य, स्वीकृत ऋण एवं संवितरित ऋण का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	कुल स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
उत्तरी क्षेत्र					
हरियाणा	1787	1995	720.46	1300	465.13
हिमाचल प्रदेश	335	359	120.01	298	96.3
जम्मू एवं कश्मीर	4260	1989	814.64	1238	488.83
पंजाब	868	2705	836.7	1926	514.19
राजस्थान	16073	9721	1766.02	5274	1086.24
चण्डीगढ़	121	91	28.99	44	14.43
दिल्ली	3745	320	81.75	159	39.04
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र					
असम	2064	1244	469.98	966	319.18
मणिपुर	10	30	8.78	23	6.78
मेघालय	438	346	112.91	300	92.13
नागालैंड	176	168	73.77	158	73.77

1	2	3	4	5	6
त्रिपुरा	725	399	145.64	285	98.79
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
मिजोरम	390	305	256.87	277	231.71
पूर्वी क्षेत्र					
बिहार	1713	3802	1036.99	2786	706.62
उड़ीसा	7233	2429	480.34	2078	357.36
प. बंगाल	2991	6050	637.4	3486	301.44
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	7	2.35	6	1.3
सिक्किम	0	30	7.46	25	7.05
मध्य क्षेत्र					
मध्य प्रदेश	24164	13348	4364.33	7977	2344.2
उत्तर प्रदेश	34641	22472	7641.31	14509	4904.31
पश्चिमी क्षेत्र					
गुजरात	13678	3027	765.25	2831	702.7
महाराष्ट्र	16597	7384	1590.578	4923	1039.76
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0
गोवा	198	142	56.02	136	53.02
दादर एवं नागर हवेली	0	0	0	0	0
दक्षिणी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	1443	1237	347.13	988	260.12
कर्नाटक	8396	5181	1241.21	4393	1061.24
केरल	929	4246	889.66	3619	733.63
तमिलनाडु	1284	2921	389.97	2572	324.78
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
पाण्डिचेरी	97	143	16..06	123	14.45
झारखण्ड	43	105	24.85	93	16.61
छत्तीसगढ़	1534	1042	328.26	591	166.16

1	2	3	4	5	6
उत्तरांचल	1766	1100	368.21	680	210.77
उल्लिखित नहीं	0	1505	250.59	1093	184.89
समस्त भारत	147703	95833	25874.48	65157	16916.33

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

अनुबंध III

वर्ष 1999-2000 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत लक्ष्य, प्राप्त आवेदनों की संख्या स्वीकृत एवं संवितरित ऋणों का ब्यौरा

(राशि रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल लक्षित ऋण	प्राप्त आवेदन संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	मामलों की संख्या जिनमें ऋण संवितरित किया	कुल संवितरित ऋण
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	21600.00	40174	32661	29692	9379.59
अरुणाचल प्रदेश	880.91	91	78	78	13.20
असम	7000.00	12213	6286	4637	895.89
बिहार	51000.00	196815	82847	65327	10839.06
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–
गोवा	170.00	असूचित	असूचित	असूचित	0.00
गुजरात	7500.00	41040	17816	16610	2213.59
हरियाणा	4200.00	27700	15406	14638	3000.13
हिमाचल प्रदेश	2000.00	8690	6338	6719	2223.11
जम्मू एवं कश्मीर	1800.00	असूचित	असूचित	असूचित	695.44
झारखण्ड	–	–	–	–	–
कर्नाटक	14000.00	11540	10511	8366	3364.84
केरल	7000.00	39990	27373	24457	5006.72
मध्य प्रदेश	31500.00	119810	61895	55564	10859.11
महाराष्ट्र	28500.00	187223	92451	77505	15404.06
मणिपुर	500.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.00

1	2	3	4	5	6
मेघालय	600.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	69.43
मिजोरम	200.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.00
नागालैंड	400.00	757	743	757	94.16
उड़ीसा	20700.00	122706	69917	65014	9417.58
पंजाब	2000.00	11742	8933	869	227.96
राजस्थान	14000.00	83250	42769	33547	6116.18
सिक्किम	230.00	681	681	–	119.07
तमिलनाडु	18000.00	19799	18163	18163	7374.61
त्रिपुरा	1100.00	10193	8160	8160	920.17
उत्तरांचल	–	–	–	–	–
उत्तर प्रदेश	65000.00	133409	68311	59434	10207.32
प. बंगाल	20000.00	110362	105310	75386	7166.14
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	125.00	127	92	92	6.41
चण्डीगढ़	–	–	–	–	–
दादर एवं नागर हवेली	125.00	असूचित	असूचित	असूचित	0.00
दमन एवं दीव	120.00	असूचित	असूचित	असूचित	1.03
दिल्ली	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप	125.00	1	2	–	0.40
पाण्डिचेरी	125.00	592	592	502	31.07
कुल	320500.00	1178905	677335	565517	105646.27

वर्ष 2000-01 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत लक्ष्य, प्राप्त आवेदनों की संख्या स्वीकृत एवं संवितरित ऋणों का ब्यौरा

(राशि रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल लक्षित ऋण	प्राप्त आवेदन संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	मामलों की संख्या जिनमें ऋण संवितरित किया	कुल संवितरित ऋण
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	21600.00	34359	30312	30312	7727.35
अरुणाचल प्रदेश	880.00	918	561	437	112.36

1	2	3	4	5	6
असम	7000.00	11387	5055	3462	771.02
बिहार	37040.00	206843	96074	86885	13453.97
छत्तीसगढ़	10020.00	39251	18419	18175	3661.62
गोवा	170.00	187	23	23	3.33
गुजरात	7500.00	529.09	24918	23644	3803.66
हरियाणा	4200.00	43132	24576	24156	5812.11
हिमाचल प्रदेश	2000.00	6633	4595	4580	2209.98
जम्मू एवं कश्मीर	1800.00	10459	5164	4702	1352.09
झारखण्ड	13960.00	91461	46894	42305	5591.17
कर्नाटक	14000.00	15675	11141	10368	5471.37
केरल	7000.00	49235	32726	29571	6012.73
मध्य प्रदेश	21480.00	107427	57435	50683	12074.24
महाराष्ट्र	28500.00	151255	80262	70233	17377.48
मणिपुर	500.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.00
मेघालय	600.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.00
मिजोरम	200.00	19	1	1	12.01
नागालैंड	400.00	अनुपलब्ध	–	–	35.34
उड़ीसा	20700.00	133074	80386	72722	12333.87
पंजाब	2000.00	12860	10020	10020	2605.08
राजस्थान	14000.00	106331	52642	44233	12416.61
सिक्किम	230.00	2516	1873	1873	187.54
तमिलनाडु	18000.00	12732	11890	11890	8236.02
त्रिपुरा	1100.00	13301	11940	11940	1171.48
उत्तरांचल	3245.00	अनुपलब्ध	0	–	0.00
उत्तर प्रदेश	61755.00	236508	140279	121415	21286.78
प. बंगाल	20000.00	16777	8688	6723	763.00
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	125.00	अनुपलब्ध	0	–	3.90

1	2	3	4	5	6
चण्डीगढ़	–	–	–	–	–
दादर एवं नगर हवेली	120.00	असूचित	असूचित	असूचित	0.00
दमन एवं दीव	125.00	29	3	3	0.00
दिल्ली	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप	125.00	असूचित	असूचित	असूचित	0.50
पाण्डिचेरी	125.00	24	24	24	3.22
कुल	320500.00	1355302	755912	680380	144530.11

वर्ष 2001-02 (अक्टूबर 2001 तक) के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत लक्ष्य, प्राप्त आवेदनों की संख्या स्वीकृत एवं संवितरित ऋणों का ब्यौरा

(राशि रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल लक्षित ऋण	प्राप्त आवेदन संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	मामलों की संख्या जिनमें ऋण संवितरित किया	कुल संवितरित ऋण
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	21600.00	9649	9051	8836	2661.82
अरुणाचल प्रदेश	880.00	114	27	23	4.34
असम	7000.00	732	345	114	24.71
बिहार	37040.00	168380	35314	27459	4678.26
छत्तीसगढ़	10020.00	10821	2007	1991	594.58
गोवा	170.00	24	21	21	1.59
गुजरात	7500.00	30310	9241	7757	1375.85
हरियाणा	6000.00	21497	7996	6708	1614.23
हिमाचल प्रदेश	2000.00	2830	1303	1180	668.00
जम्मू एवं कश्मीर	1800.00	असूचित	असूचित	असूचित	467.42
झारखण्ड	13960.00	9846	34606	8116	1189.70

1	2	3	4	5	6
कर्नाटक	14000.00	4080	2430	1543	1248.19
केरल	7500.00	14832	6024	3921	990.04
मध्य प्रदेश	21480.00	41884	11085	8513	2100.30
महाराष्ट्र	8500.00	56559	11660	8329	2027.11
मणिपुर	500.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.00
मेघालय	600.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	0.00
मिजोरम	200.00	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	3.90
नागालैंड	400.00	237	48	48	0.00
उड़ीसा	20700.00	45256	11753	7418	1283.19
पंजाब	2600.00	4842	2720	2720	708.81
राजस्थान	14000.00	70453	23304	10372	3085.66
सिक्किम	300.00	841	534	534	58.63
तमिलनाडु	18000.00	1230	1159	1159	1665.38
त्रिपुरा	2100.00	299	0	151	19.17
उत्तरांचल	3245.00	असूचित	असूचित	असूचित	0.00
उत्तर प्रदेश	61755.00	114943	43389	30821	6036.46
प. बंगाल	20000.00	18680	4558	3497	476.91
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	125.00	असूचित	असूचित	असूचित	1.04
चण्डीगढ़	–	–	–	–	–
दादर एवं नगर हवेली	120.00	असूचित	–	–	0.00
दमन एवं दीव	125.00	26	असूचित	–	0.00
दिल्ली	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप	125.00	असूचित	असूचित	–	0.00
पाण्डिचेरी	125.00	29	29	29	19.66
कुल	32447.00	592628	202450	128185	33005.30

अनुबंध IV

31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष में सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एस.एल.आर.एस. के अंतर्गत लक्ष्य, कुल स्वीकृत ऋण एवं कुल संवितरित ऋण का ब्यौरा

बैंक का नाम: सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक (रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन संख्या	कुल स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	304	568	391	53.05	365	50.18
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	
असम	232	341	313	28.33	279	22.78
बिहार	50	33	26	5.30	24	5.00
गोवा	–	55	45	6.38	45	6.38
गुजरात	2054	2124	1467	173.25	1442	167.83
हरियाणा	1524	1601	978	158.45	658	101.59
हिमाचल प्रदेश	232	225	132	26.42	112	23.82
जम्मू व कश्मीर	47	5	3	0.65	3	0.65
कर्नाटक	537	1112	643	65.67	530	51.50
केरल	21	31	9	2.02	9	1.90
मध्य प्रदेश	6672	6090	3840	748.23	1702	362.62
महाराष्ट्र	1301	2430	1227	198.39	997	151.66
मणिपुर	–	–	–	–	–	
मेघालय	–	–	–	–	–	
मिजोरम	–	–	–	–	–	
नागालैण्ड	–	–	–	–	–	
उड़ीसा	1375	1275	1084	111.71	990	100.92
पंजाब	123	444	315	49.82	251	40.32
राजस्थान	2556	1166	546	103.32	329	55.20
सिक्किम	–	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	1467	6535	4098	562.29	3301	432.10
त्रिपुरा	–	–	–	–	–	
उत्तर प्रदेश	15639	17798	11692	1424.17	6973	825.02
प. बंगाल	95	444	355	75.59	306	60.16
अंडमान एवं नि. द्वीपसमूह	–	1	–	–	–	–
चण्डीगढ़	100	88	64	5.82	58	4.39
दादर व नागर हवेली	–	33	29	5.00	29	5.00
दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	
दिल्ली	1879	2235	1122	191.33	628	95.82
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	
पाण्डिचेरी	–	118	67	9.20	54	7.67
कुल	36208	44752	28446	4004.39	19085	2572.51

31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष में सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एस.एल.आर.एस. के अंतर्गत लक्ष्य, कुल स्वीकृत ऋण एवं कुल संवितरित ऋण का ब्यौरा

बैंक का नाम: सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक (रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	लक्ष्य	प्राप्त आवेदन संख्या	कुल स्वीकृत ऋण		कुल संवितरित ऋण	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	694	1177	816	111.78	710	90.93
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	
असम	580	686	621	152.19	621	152.07
बिहार	85	113	48	9.04	48	8.00
छत्तीसगढ़	326	310	144	32.59	79	16.58
गोवा	–	71	68	8.80	66	8.45
गुजरात	1911	1768	1357	142.90	1342	139.72
हरियाणा	1040	1407	900	177.54	682	123.60

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश	110	145	108	23.87	99	21.87
जम्मू एवं कश्मीर	119	14	10	1.32	10	1.22
कर्नाटक	773	696	562	78.62	532	72.74
केरल	–	152	139	21.67	135	20.91
मध्य प्रदेश	5702	4717	3115	574.66	2503	428.09
महाराष्ट्र	933	1407	793	107.91	692	87.66
मणिपुर	–	–	–	–	–	
मेघालय	–	–	–	–	–	
मिजोरम	–	–	–	–	–	
नागालैंड	–	–	–	–	–	
उड़ीसा	693	918	659	80.39	639	70.80
पंजाब	132	241	187	30.38	169	25.38
राजस्थान	2027	741	488	84.32	341	55.51
सिक्किम	–	–	–	–	–	
तमिलनाडु	281	3540	3088	451.84	2888	408.85
त्रिपुरा	–	–	–	–	–	
उत्तर प्रदेश	1042	10351	7033	823.67	5205	560.04
उत्तरांचल	516	600	423	50.5	257	30.48
प. बंगाल	–	93	76	8.57	72	8.02
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–	
चण्डीगढ़	–	1	1	0.30	1	0.30
दादर एवं नागर हवेली	–	–	–	–	–	
दमन एवं दीव	–	–	–	–	–	
दिल्ली	1525	471	219	37.17	157	24.16
लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	
पाण्डिचेरी	10	170	158	16.14	129	14.58
उल्लिखित नहीं	–	2	1	0.07	–	–
कुल	27599	29791	21014	3026.24	17377	2369.96

डा. संजय पासवान: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न का जिस तरह जवाब दिया है, उसमें निश्चित तौर पर उन्होंने औपचारिकता निभाने का काम किया है। मेरे प्रश्न का मूल भाव बहुत ही मानवीय है। देश में रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। पहले बेरोजगार लोग बैंकों से ऋण लेकर अपनी व्यवस्था कर लेते थे, कुटीर उद्योगों की स्थापना करते थे, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि जब से बैंकों को स्वायत्तता मिली है, बैंकों पर रिजर्व बैंक का कंट्रोल खत्म हो रहा है, उसके बाद बैंकों का रुख बहुत ही उदासीन हो रहा है जिससे बेरोजगार लोगों में बहुत निराशा का भाव व्याप्त है। बेरोजगार लोग बगावत की मुद्रा में आ गए हैं। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इस संबंध में वित्त मंत्रालय बैंकों को स्टीरियो टाइप इंस्ट्रक्शन्स जारी करने के अलावा ईमानदारी से और क्या प्रयास कर रहा है/सरकार ने बेरोजगारी दूर करने और लोगों को रोजगार मुहैया कराना कमिट किया है। मंत्री जी बताएं कि मेरे प्रश्न के मूल भाव को समझते हुए, सरकार इस दिशा में क्या कनक्रीट प्रयास कर रही है?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जताई है, वह बिल्कुल सही है। लेकिन प्रश्न के पार्ट 'सी' में जिन योजनाओं के बारे में कहा गया है, उनकी मानिटरिंग के लिए, हमने एम.एल.एज./एम.पीज. और जिला प्रमुख की जिला स्तर पर कमेटी गठित की है जो स्व-रोजगार योजना के तहत मालूमात करेगी, रिव्यू करेगी और देखेगी कि मुश्किलों को दूर करते हुए, इसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे सही गरीब और बेरोजगार लोगों को ठीक समय पर धनराशि मिले। *...(व्यवधान)*

डा. संजय पासवान: अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में केवल डी.एम./डी.सी. से सम्पर्क किया जाता है, एम.पीज़/एम.एल.एज. से सम्पर्क नहीं किया जाता। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: हमारे इलाके में किसी एम.पी./एम.एल.ए....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री के उत्तर को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: जिला स्तर पर जो कमेटी बनाई गई है, उसके बारे में हम सभी एम.पीज़ को चिट्ठी भेज देंगे कि किन नियमों के अधीन यह कमेटी बनाई गई है। जिला स्तर पर डी.एम. किसी को बुलाते हैं या नहीं, इसका मुझे पता नहीं लेकिन जब एम.पीज. को पत्र के जरिए यह पता लग जाएगा कि कमेटी बनी हुई है तो मुझे लगता है कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम बढ़ सकते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि रोजगार के लिए जितनी स्कीमें बनी हैं, उनके हिसाब से ही, पंचवर्षीय योजनाओं में हम लक्ष्य रख रहे हैं और उन्हें हासिल कर रहे हैं। लेकिन जितनी मांग थी, वह पूरी नहीं हो रही है। उसके पीछे कई कारण हैं। मैं उसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा लेकिन मैं इतना मानता हूं कि इसमें सुधार की जरूरत है।

डा. संजय पासवान: माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह उनके अधिकारियों ने तैयार करके दिया होगा, लेकिन उनके मन में भी इस बात का दर्द होगा, इसे हम जानते हैं। इसलिए हम सबको इसके लिए मिलकर ईमानदार प्रयास करना चाहिए। मंत्री जी ने जवाब के भाग "ज" में कहा है कि पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत प्राप्त 25 हजार रुपये तक के आवेदनों को एक पखवाड़े के भीतर स्वीकृत कर दिये जाते हैं, लेकिन व्यावहारिकता यह है कि एक पखवाड़े की बात तो दूर, एक साल में भी मोनीटरिंग नहीं हो पाती और लोग भागते रहते हैं। दूसरे, उन्होंने कहा है कि 25 हजार रुपये से अधिक के आवेदनों को 8-9 समाप्त के भीतर निपटाने का अनुदेश रिजर्व बैंक ने दिया है, लेकिन अब सारे बैंक वाले, रिजर्व बैंक से अपने आपको ऊपर समझते हैं और उनके अनुदेशों की अवमानना करते हैं। इस संबंध में आपके मंत्रालय में क्या प्रयास चल रहे हैं, हम जानना चाहते हैं?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: रिजर्व बैंक के ऊपर कोई बैंक वाला अपने आपको समझता हो तो वह गलत है। रिजर्व बैंक रैगुलेटिंग एथॉरिटी है। रिजर्व बैंक को हम कह देते हैं, हमने रिजर्व बैंक में एक कम्प्लेंट सैल बना रखा है और हर एक बैंक के अन्दर भी एक कम्प्लेण्ट सैल बना रखा है। ऐसा हो सकता है, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि हमने जो कालावधि दी है, उस कालावधि के भीतर ऋण का बंटवारा न होता हो। यह भी हकीकत है कि जब वर्ष का आखिर आता है तो जनवरी से मार्च तक ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन लेकर बंटवारा और टार्गेट पूरा किया जाता है। हमारी कोशिश है कि हर तीन महीने के लिए एक टार्गेट फिक्स कर दिया जाये। ऐसा हमने सूचित भी किया है कि हर तीन महीने के अन्दर रिव्यू हो, तीन महीने के टार्गेट धीरे-धीरे करके एक साल में पूरे हो जायें, साल के आखिर में न हों, ताकि सही लोगों को धनराशि मिले।

श्रीमती रेनु कुमारी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो राष्ट्रीयकृत बैंकों

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

द्वारा लोन बेरोजगार लोगों को दिया जाता है, उसमें सबसे दुखद स्थिति यह है कि लोन 20 व्यक्तियों को देना होता है लेकिन बैंक वाले 40 लोगों को लोन सैक्शन करते हैं और उसमें यह कठिनाई उत्पन्न होती है कि देना 20 को होता है और 40 लोगों को दौड़ाते हैं। इसमें इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है कि सही मायने में जो बेरोजगार लोगों को ऋण मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है और इस कारण नवयुवक बहुत ही हतोत्साहित हैं। भाजपा सरकार ने वायदा भी किया था कि हम एक साल में दस लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन यहां ऋण मिलने में ही इतनी कठिनाई हो रही है, रोजगार देने की बात तो दूर रही। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहती हूं कि अगर 10 लोगों को ही ऋण देना है तो 10 लोगों का लोन ही सैक्शन करें, 20 का न करें। इसमें इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि बिना परसेंटेज दिए ऋण मिलता ही नहीं है। सांसदों को इस मामले में बिल्कुल पूछा ही नहीं जाता। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या इसके लिए सरकार कुछ करने जा रही है?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष जी, हमने यह भी कहा है कि जब लोक सभा, संसद चलती है तो उस समय कलैक्टर सांसद से सम्पर्क करें और जब संसद चलती है, उस समय मीटिंग न हों और सांसद को विश्वास में लिए बगैर मीटिंग न हो, यह भी हमने सूचित कया है, लेकिन इसमें *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: इस तरह की बात कोई नहीं मानता है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: मैं आपकी बात बिल्कुल स्वीकार करता हूं। *...(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी: इनकी गाइडलाइंस लुंज-पुंज है, गाइडलाइंस क्लियर नहीं हैं, जिसके चलते एम.पीज. को बहुत अवमानना सहनी पड़ती है। *...(व्यवधान)*

श्री बालासाहिब विखे पाटील: मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, आपका कहना सही है, इसलिए मैंने शुरू से कहा कि हमने कह दिया है कि इस आदेश की एक प्रति सभी संसद सदस्यों को तुरन्त भेज दें और उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको हम खुद मोनीटर करते हैं, लेकिन यह बात सही है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। मंत्री जी, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: दूसरा सवाल जो माननीय सदस्या ने पूछा है कि संसद सदस्यों का इसमें दखल हो, उसे हम दोबारा मोनीटर करेंगे और खुद भी देखेंगे। माननीय सदस्या ने पहला सवाल पूछा है कि जितने हमारे टार्गेट्स हैं, लक्ष्य हैं, उससे ज्यादा लोन सैंक्शन कर दिये जाते हैं जिसके कारण धांधली होती है।

क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के माध्यम से प्रोपोजल भेजने का प्रोसीजर बना हुआ है। तालुका पंचायत स्तर पर उनकी स्क्रीनिंग होती है, फिर वह जिला स्तर पर जाती है और बाद में बैंकों के पास जाती है। हमारे कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस पहुंचे। मैं इससे भी आगे जाकर कहूंगा कि जितनी एप्लीकेशंस जाती हैं, वे भी पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि कभी-कभी रिजेक्शन प्रमाण भी बढ़ जाता है। कभी-कभी ज्यादा एप्लीकेशन पहुंच जाती हैं। हमारी कोशिश इस व्यवस्था में सुधार करने की है।

डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर में अगर एप्लीकेशन पहुंच जाए, तो रिजेक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन आजकल रिजेक्शन हो रही है। इसलिए हमने सोचा है कि संबंधित बैंक के अधिकारियों को डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर पर होने वाली मीटिंग में साथ बिठाकर वहीं से स्क्रीनिंग होकर कैसेज जाएं ताकि ऋण मंजूर हो सके और ऋण लेने वाले नौजवान को कोई तकलीफ न हो। इस बारे में मंत्री जी ने आज ही आदेश दिए हैं।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष महोदय, सारा देश जानता है कि आज बेरोजगारी एक ज्वलंत समस्या बन गई है। बेरोजगारों की लम्बी कतारें हमारे देश में बन रही हैं। मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो आंकड़े पेश किये हैं, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मध्य प्रदेश के आंकड़े दिए गए हैं कि वर्ष 1999 में 30800 लोगों को लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन केवल 19102 लोगों को लोन डिस्पर्स किया गया। इसी तरह वर्ष 1999 में भी आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। अगले वर्ष, 000 में 31600 लोगों को लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन आपने केवल 18180 लोगों को ही लोन डिस्पर्स किया है। यहां भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। बल्कि ऋण लेने वालों की संख्या में कमी दिखाई दे रही है। इससे आगे देखा जो तो वर्ष 2001 में 32400 लोगों को लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन 10065 लोगों को ही लोन दिया गया है। ऋण देने में, आगे के वर्षों की स्थिति देखी जाए, 35000 का लक्ष्य था, लेकिन सिर्फ 13600 लोगों का लोन दिया गया है और अंतिम वर्ष में केवल 10550 लोगों को ही लोन दिया गया है। इस तरह देखा

जा सकता है लोन देने में सरकार द्वारा निरंतर कमी की जा गई है। लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया गया है, बल्कि उनके उत्साह में कमी आई है। ये आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और ऋण देने में कमी आ रही है—इसके पीछे क्या कारण है। क्या सरकार ने ऐसा कोई निर्देश दिया है कि ऋण देने में कमी की जो, क्योंकि लोन देने की संख्या में गिरावट साफ नजर आ रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि लक्ष्य पूरा करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन देने के लिए, गिरते टारगैट को सम्भालने के लिए, सरकार क्या कोई नई योजना कार्यान्वित करने जा रही है या कोई ऐसे तौर-तरीकों की खोज करेगी, जिससे बेरोजगारों को लाभ हो सके?

श्री बालासाहेब विखे पाटील: अध्यक्ष जी, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है कि लोन देने में कमी की जाए, कटौती की जाए या कम से कम लोगों में लोन का बंटवारा हो। आदेश यह है कि ज्यादा से ज्यादा हर जगह लोगों को योजनाओं का लाभ हो। आपका कहना सही है कि हकीकत में ऐसा नहीं होता है। मैंने शुरू में ही कहा था कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह पूरा नहीं हुआ। लोन मंजूर तो हुए हैं, लेकिन सेंक्शन में और डिस्पर्समेंट में काफी अंतर है। अब मैं खुद हर जगह जाकर इसकी मौनिटरिंग कर रहा हूं। मैंने पहले भी कहा कि इस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य पूरा हो गया है और इस साल जितने लोगों को लोन देने का लक्ष्य रखा है, उसे भी हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उससे ही काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि उससे भी ज्यादा करें और इसी दिशा में हमारी कोशिश हो रही है। प्लानिंग कमीशन ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें 50 प्रतिशत वृद्धि हमने की है, जिससे कमी न हो इसीलिए आपको यह अंतर दिखाई दे रहा है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: मेरा मूल प्रश्न यह है कि टारगैट में कमी आ रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी: महोदय, मैं जानना चाहता हूं, क्या कोई योजना है, जिससे टारगैट पूरा हो और बेरोजगारों को ऋण मिल सके? माननीय मंत्री जी कृपया इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देने का कष्ट करें।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोदय, जैसा मैंने शुरू में कहा है, योजना आयोग ने टारगैट्स तय किए हैं, वे पूरे हो रहे हैं। जानबूझ कर हम लोग ज्यादा टारगैट, इसलिए देते हैं, जिससे काम हो जाए। दूसरी बात यह भी है कि सैंक्शन और डिसबर्समेंट के काम की मोनीटरिंग आरबीआई ने करना शुरू कर दिया है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, दस-पन्द्रह दिनों में जिला स्तर पर संसद के माध्यम से मीटिंग हो जाए। उसको रिव्यू किया जाए, जहां कमी है और जो सुझाव आपने रखे हैं, उन पर अमल हो जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या सरकार कोई नई योजना शुरू करना चाहती है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: सरकार का विचार कोई नई योजना शुरू करने का नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: महोदय, बेरोजगारी देश में सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या को हल करने के लिए स्वरोजगार के अलावा और कोई चारा नहीं है। स्वयं रोजगार योजना के लिए भारत सरकार की ओर से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना आदि कई योजनायें चलाई गई हैं। जो दिशा-निर्देश भारत सरकार की ओर से और रिजर्व बैंक की ओर से दिए गए हैं, उसके मुताबिक इन योजनाओं के तहत जिन लाभार्थियों को ऋण दिया जाता है, उनसे न कोई गारन्टी मांगनी चाहिए और न ही डिपाडिट मांगना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि उन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है। जो लाभार्थी इन योजनाओं के तहत चुने जाते हैं, उनसे बैंकों के द्वारा डिपाजिट की मांग की जाती है और गारन्टर की मांग की जाती है। *...(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह: उनसे दस परसेंट मांगा जाता है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: परसेंटेज कहीं पर दस और कहीं पर बीस हो सकता है।

महोदय, उनसे गारन्टर की मांग की जाती है और यदि समय पर गारन्टर या डिपाजिट नहीं दिया जाता है, तो ऋण सैक्शन नहीं किया जाता है। भ्रष्टाचार के आरोपों की जड़ में भी यही बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो निर्देश दिये हैं और रिजर्व बैंक ने निर्देश दिए हैं, क्या उनका पालन शत-प्रतिशत बैंकों के द्वारा किया जाता है—इस बारे में मंत्री जी आश्वस्त करें?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन हो, ऐसा प्रयास हम निरन्तर कर रहे हैं। मैं सदन को विश्वास में लेकर कहना चाहता हूं कि हर छः महीने, साल में कम से काम दो बार, हमारे सहयोगी मंत्री और मैं, स्वयं बैंकों के अध्यक्षों से मिल रहे हैं और जोर देकर बात को कह रहे हैं। हर बैठक में उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि स्वरोजगार योजनाओं को ठीक ढंग से चलायें। मैं यह भी कहना चाहता हूं, विशेषतौर पर, चूंकि हम क्षेत्रों में जाते हैं तो हमें इस प्रकार की शिकायतें मिलती हैं, जिनका उल्लेख यहां पर किया गया है। अभी दूसरे दिन जब मैं यहां पर अनुपूरक मांगों की चर्चा पर जवाब दे रहा था, तो मैंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि बैंकों के कार्यकलाप में काफी कमी दिखाई देती है और उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने बैंकों के चेयरमैन के ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि वे स्वयं क्षेत्रों में जायें, ब्रान्चेज विजिट करें, लोगों के साथ बैठक बुलायें या उनके वरिष्ठ अधिकारी जायें और बैठक बुलायें और वहां की जो दिक्कतें हैं, उनमें सुधार करने का प्रयत्न करें। हम अपनी ओर से इन सारी बातों को देख रहे हैं। माननीय सदस्य ने बिलकुल सही कहा है कि इन योजनाओं के तहत जो छोटी राशि ऋण के रूप में दी जाती है, उसमें किसी प्रकार की गारन्टी, कोलेट्रल या किसी प्रकार के डिपाडिट की आवश्यकता नहीं है। जैसा मेरे सहयोगी मंत्री ने बताया, हम चाहते हैं कि चुने हुए जनप्रतिनिधि इसमें पूरी तरह से सहभागी हों।

यह आदेश इस साल मई के अंत में रिजर्व बैंक ने बैंकों और जिलाधिकारियों को भेजा है। मैं जानता हूं कि सारे लोगों को इसकी सूचना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसका प्रचार-प्रसार हो। इसमें यहां तक कहा गया है, जैसे मेरे सहयोगी मंत्री ने बताया कि एमपीज़ की सुविधानुसार बैठक बुलाई जाए और इसका कड़ा अनुपालन हो, इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को सदन में आश्वासन देना चाहता हूं कि हम निरंतर इसकी समीक्षा करते रहेंगे और बराबर सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो लक्ष्य है, वह पूरा हो। हमारी जो दिक्कतें हैं, उन्हें व्यवस्था में सुधार लाकर दूर करें। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर किसी केस में हमारे ध्यान में कोई बात लाई जाती है, जिसमें दिक्कत हो रही है तो उस व्यक्तिगत केस को देखने में भी हम लोग बराबर तत्पर रहेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न संख्या 262—श्री सईदुज्जमा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री के. येरननायडू, आपने जो कुछ कहा है, वह मुझे सुनाई नहीं पड़ा।

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू: महोदय, यह मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस विषय पर आधे-घंटे की चर्चा की अनुमति दें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम एक ही प्रश्न पर 20 मिनट लगा चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। *...(व्यवधान)* हालांकि भारत सरकार ने बहुत सी योजनाएं शुरू की है परंतु बैंक उन्हें समुचित रूप से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। अतः, हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, माननीय सदस्यगण इस विषय पर आधे-घंटे की चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। क्या आप आधे घंटे की चर्चा के लिए तैयार हैं?

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोदय, हम इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। अतः, हम इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

दोहा में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री-स्तरीय बैठक

***262. श्री सईदुज्जमा:**
प्रो. रासा सिंह रावत:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन का चौथा मंत्री-स्तरीय सम्मेलन दोहा में 9 से 13 नवम्बर, 2001 तक आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो विकसित देशों द्वारा तैयार की गई कार्य-सूची का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के श्रम और पर्यावरण जैसे मुद्दों के "सामाजिक खण्ड" "(सोशल कलॉज)" को कार्य-सूची में शामिल करने का विशेष रूप से विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो भारत और अन्य विकासशील देशों द्वारा प्रस्तुत कार्य-सूची का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विकसित देशों ने भारत पर नए व्यापार चक्र का समर्थन करने और इसमें भाग लेने के लिए दबाव डाला था;

(च) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) भारत के दृष्टिकोण का समर्थन किन-किन विकासशील देशों ने किया और इसे किस सीमा तक स्वीकार किया गया है;

(ज) भारत द्वारा बैठक में उठाए गए अन्य मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(झ) सम्मेलन का अंतिम परिणाम क्या निकाला; और

(ञ) उक्त बैठक में देश के व्यापार हितों की रक्षा करने में भारत किस सीमा तक सफल रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ञ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ञ) चौथे डब्ल्यू टी ओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन 9 से 14 नवम्बर, 2001 के दौरान दोहा, कतर में किया गया था, घोषणापत्रों की प्रतियां 22 नवम्बर, 2001 को सभा पटल पर रख दी गयी हैं।

दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पूर्व सरकार ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों के साथ व्यापक परामर्श किया था। कार्यसूची तय करने के लिए सम्मेलन से पूर्व जेनेवा में अनेक औपचारिक और अनौपचारिक बैठकें भी आयोजित की गई थीं। भारत समेत विकासशील देशों, अल्प विकसित देशों और विकसित देशों ने इन विचार-विमर्शों में भाग लिया था। महापरिषद् के अध्यक्ष ने सदस्यों के विचारार्थ एक प्रारूप दोहा को भेजा था।

सरकार ने विभिन्न डब्ल्यू टी ओ नियमों के क्रियान्वयन संबंधी मुद्दे के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। पहली बार प्रमुख लाभ असमानताओं को स्वीकार करने के रूप में प्राप्त हुआ है। क्रियान्वयन संबंधी कुछेक चिंताओं का पर्याप्त निदान किया गया है। शेष मुद्दों को या तो विचार-विमर्शों के लिए अथवा अनुषंगी निकायों के पास आगे जांच करने के लिए भेजा गया है और इस प्रकार ये मुद्दे कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग हैं।

भारत ने प्रमुख श्रम मानकों को व्यापार के साथ जोड़ने का कड़ा विरोध किया था। घोषणा-पत्र में इस बात की पुनः पुष्टि की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) प्रमुख श्रम मानकों के मुद्दे का निराकरण करने के लिए उपयुक्त मंच है।

दोहा में मंत्रियों ने बाजार पहुंच में पर्याप्त सुधार लाने, व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में पर्याप्त कमी करने और कृषि में निर्यात इमदादों की क्रमिक समाप्ति पर लक्षित वार्ताओं के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की। खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास की मान्यता समेत विकासशील देशों के लिए विशेष और अधिमानी व्यवहार अब तयशुदा कृषि संबंधी वार्ताओं के अभिन्न अंग बन गए हैं।

चार सिंगापुर मुद्दों—व्यापार एवं निवेश, व्यापार और प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और व्यापार सुविधा के संबंध में अध्ययन प्रक्रिया 5वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक जारी रहेगी और किसी वार्ता के बारे में कोई निर्णय स्पष्ट आम सहमति के आधार पर लिया जाएगा।

ट्रिप्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में एक पृथक महत्वपूर्ण घोषणा होने से सदस्य देश अब सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करने के उपाय कर सकेंगे क्योंकि घोषणा-पत्र में मानव जीवन को प्रभावित करने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्याओं जैसे एचआईवी/एड्स, मलेरिया और अन्य महामारियों का निदान करते समय ट्रिप्स करार के तहत लोचशीलता को स्वीकार किया गया है।

ट्रिप्स करार के संदर्भ में हम मदिरा और स्पिरिट से इतर मदों पर करार में यथा प्रदत्त भौगोलिक संकेतकों के संरक्षण के उच्चतर स्तर को लागू करने का मुद्दा उठाते आ रहे हैं। बासमती चावल, अल्फांसों आम, दार्जिलिंग चाय इत्यादि जैसे उत्पादों पर इसे लागू करने पर विचार करने हेतु इस मुद्दे को ट्रिप्स परिषद द्वारा विशेष रूप से उठाया जाएगा। इस बात पर भी सहमति हुई है कि ट्रिप्स परिषद जैव विविधता, परम्परागत ज्ञान और लोक ज्ञान के संरक्षण के मुद्दों का निराकरण करेगी।

उरुग्वे दौर के करारों (1994) के पश्चात्, व्यापार और पर्यावरण समिति से कतिपय मुद्दों का अध्ययन कर इस आशय की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था कि क्या डब्ल्यू टी ओ नियमों में किसी संशोधन की जरूरत है। दोहा घोषणा-पत्र में तीन मदों अर्थात् मौजूदा डब्ल्यू टी ओ नियमों और बहुपक्षीय पर्यावरण करारों (एमईए) के बीच संबंध, एमईए और डब्ल्यूटीओ के बीच सूचना के नियमित आदान प्रदान की प्रक्रिया और पर्यावरणीय वस्तुओं और सेवाओं की बाजार पहुंच हेतु वार्ताएं करने का प्रस्ताव

है। भारत अधिकांश एमईए पर एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है और इसलिए इन वार्ताओं से व्यापार में पर्यावरणीय विण्डो का विस्तार नहीं होगा।

अत: दोहा का परिणाम हितबद्ध पक्षों के साझा हितों—कृषि, उद्योग के हितों और सबसे अधिक महत्वपूर्ण भारत के विकास संबंधी हितों के अनुरूप है।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाए। मंत्री जी दोहा में हिन्दुस्तान के हितों की रक्षा नहीं कर पाए और वहां से खाली हाथ लौटे। इस तरह मेरे प्रश्न का जवाब बिलकुल नामुकम्मल है, मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि लेबर इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट के बारे में हिन्दुस्तान ने जो स्टैंड लिया, उसका क्या नतीजा निकला, क्या फैसला हुआ? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पब्लिक हैल्थ पॉलिटी के तहत सस्ती दवाइयों की जरूरत होती है—उसकी क्या पोजिशन रही। हिन्दुस्तान में सस्ती दवाइयां बनती हैं लेकिन अब उन पर रेस्ट्रीक्शन लगने जा रही है। मंत्री जी ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। मंत्री जी दोहा में हिन्दुस्तान के हितों की रक्षा नहीं कर पाए। इन्होंने सिर्फ यह कह कर मामला निपटा दिया कि आईएलओ में जो 5वां मंत्रीस्तरीय सम्मेलन होगा, उसमें इस प्रश्न का जवाब दिया जायेगा। मंत्री जी वहां किसी भी तरह भारत के किसानों और मजदूरों के हितों की रक्षा एवं संरक्षण नहीं कर पाए और न उससे हिन्दुस्तान को फायदा पहुंच पाएगा। ऐसा मालूम होता है कि जो विकासशील, ताकतवर देश हैं उनके प्रभाव में आकर मंत्री जी हिन्दुस्तान के हितों की रक्षा नहीं कर पाए।

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन: महोदय, भारत को दोहा सम्मेलन से कई लाभ हुए हैं। पहला लाभ कार्यान्वयन मुद्दों के संबंध में है। दूसरा लाभ कृषि क्षेत्र में कृषि हितों की सुरक्षा का हुआ है। तीसरा लाभ, ट्रिप्स और जनस्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण घोषणा है। सेवाओं के क्षेत्र में भी हमें लाभ हुआ है। इस प्रकार सम्मेलन में भाग लेना हमारे लिए सफल रहा। केवल इतना ही नहीं, मैंने यह वक्तव्य दिया है कि अगले वर्ष हम इस विषय पर पूर्ण चर्चा करेंगे।

इस प्रकार, हमें दोहा-सम्मेलन से महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

[हिन्दी]

श्री सईदुज्जमा: अध्यक्ष महोदय, हम जो सस्ती दवाइयां बनाते हैं, अब वे सस्ती नहीं रह पाएंगी। हिन्दुस्तान जो सस्ती दवाइयां बना रहा है, हमारी जो स्वास्थ्य पॉलिसी है, उन्हें सस्ती दवाईयां देकर गरीबों का संरक्षण चाहते हैं, उस पर वहां बैन लगने जा रहा है। मंत्री जी उसके संरक्षण के बारे में कोई बात नहीं कर पाए। किसानों पर लगने वाले टैक्स के बारे में माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे पाये। एग्रीकल्चर के बारे में अभी मंत्री जी फरमा रहे थे, लेकिन जब मैंने पूछा कि वनस्पति और दार्जिलिंग-टी में प्रोटैक्शन क्या है, उसका जवाब वह नहीं दे पाये हैं—उसे उन्होंने पांचवीं आईएलओ कांफ्रेंस के लिए छोड़ दिया है। कई चीजों पर प्रोटैक्शन के बारे में क्या स्थिति रही? हमने वनस्पति और दार्जिलिंग-टी के बारे में प्रोटैक्शन चाहा था, उसका क्या नतीजा निकला?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन: महोदय, भौगोलिक उपदर्शन जैसे बासमती चावल और अल्फांसो आम पर भी विचार किया गया। ट्रिप्स इन सभी बातों पर ध्यान दे रहा है। यह हमारे कार्यान्वित किये जाने वाले मुद्दों में है।

महोदय, यह एक महान सफलता है। उदाहरण के लिए शराब और स्पिरिट को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। अब, हम इसी प्रकार की उच्च कोटि की सुरक्षा अपने कुछ विशेष उत्पादों को देना चाहते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष जी, मैं आपके मध्यम से सरकार को और मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दोहा में डब्ल्यूटीओ के मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में भारत से हितबद्ध पक्षों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श कर भारत के हितों की प्राप्ति के लिए प्रमुख पहल की और मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्रों में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करने का प्रयास किया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाई रखी जाये।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्षी सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि वे केवल आलोचना करने के लिए आलोचना न करें और वास्तविक स्थिति को भी स्वीकार करने का प्रयास करें। सरकार की तरफ से विषमताओं को स्वीकार करने के लिए इस मस्मेलन में जो सबसे बड़ी बात हुई वह है कि भारत का कृषि, उद्योग और श्रमिकों के बारे में जो उसका दृष्टिकोण है उसे मान्यता मिली है। लेकिन सामान्य चिंतन देश का यह कहता

है कि डब्ल्यूटीओ आर्थिक साम्राज्य लाने वाले तथाकथित देशों के स्वार्थों का अड्डा बन गया है। ऐसी स्थिति में भारत विकासशील देशों का नेता बनकर, उनके हितों की रक्षा के लिए आने वाले समय में पूरा प्रयास करे क्योंकि 2005 तक यह प्रक्रिया चलेगी।

मान्यवर, भारत प्रकृति का पालना कहा जाता है क्योंकि यहां नाना प्रकार के जीव, पशु, वनस्पतियां और जड़ी-बूटियां पाई जाती हैं। इसलिए हमारे यहां कृषि हितों की सुरक्षा के लिए, उसकी सब्सिडी की रक्षा के लिए, श्रम के मानदंडों की रक्षा के लिए सरकार ने कौन-कौन सी विषमताओं को स्वीकार करने में उपलब्धि प्राप्त की है और कार्यान्वयन संबंधी किन-किन चिंताओं का समाधान करने का प्रयास किया है, मैं यह जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

प्रो. रासा सिंह रावत: महोदय, अनुपूरक प्रश्न भी है।

[हिन्दी]

भारत के हितों की रक्षा के लिए, विशेषकर कृषि और उद्योग के क्षेत्र में भारत की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं, मंत्री जी विस्तार से बताने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन: महोदय, जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूं कार्यान्वयन मुद्दों के मामले में हमने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। हमने भारत को नुकसान पहुंचाने वाले श्रम मुद्दों को वार्ता से बाहर रखा। हमें ट्रिप्स और जन स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं।

साथ ही, ट्रिप्स और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में हमें सफलता मिली है। हमने कृषि सेवाओं और औद्योगिक शुल्कों में अपने मूल हितों की सुरक्षा की है।

महोदय, हम विकासशील देशों और अपने समान विचारधारा वाले समूहों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। हमारे हितों में कुछ समानता है। हमने साझा काम किया और ये सभी सफलतायें प्राप्त कीं। हम भविष्य में भी मिलकर काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया नोट कीजिए कि हम सोमवार को भी अल्पकालिक चर्चा के अधीन इसी विषय पर चर्चा करेंगे।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: दोहा सम्मेलन में भाग लेने वाले माननीय मंत्री और उनका दल बधाई के पात्र हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने दोहा में चले व्यापार आतंकवाद की समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना किया।

मैं एक मुद्दे पर विशेष स्पष्टीकरण चाहता हूं। दोनों अनुपूरक प्रश्न के संबंध में माननीय मंत्री ने बताया है कि कृषि में कुछ सफलतायें मिली हैं। इसमें कोई रहस्य नहीं है कि जहां तक कृषि समझौते का संबंध है, अधिकांश विकसित देशों ने इन प्रावधानों का और विशेष रूप से कृषि के लिए उनके द्वारा दी जा रही राजसहायता में कमी के संबंध में प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जहां तक इन प्रावधानों के उल्लंघन का संबंध है भारत और अन्य विकासशील देश विवाद-निपटान बोर्ड में सफलतापूर्वक अपना पक्ष नहीं रख पाये। इससे विशेष रूप से हमारे देश में इस आशंका को बल मिला है कि चूंकि विकसित देश इन प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं और इसलिए हम अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार विकासशील और विकसित देशों को समान अवसर प्रदान नहीं किए गए हैं। इसी वजह से भारतीय किसान इस मामले पर उलझ गया है कि क्या हमारे खाद्यान्न देश से बाहर जायेंगे अथवा नहीं। यहां अतुल भंडार हैं। मैं जान सकता हूँ कि क्या भारतीय किसान के हितों को सुरक्षित करने वाले इस विशेष मुद्दे पर चर्चा की गई थी या नहीं और क्या विकसित देशों द्वारा राजसहायता न हटाने और विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत द्वारा राजसहायता न बढ़ाये जाने की स्थिति में समान अवसर प्रदान किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय: श्री वेंकटेस्वरलु, कृपया प्रश्न पूछें। यह क्या है?

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: कृपया मुझे आधा मिनट दें।

यही वजह है कि कपास का भी आयात किया जा रहा है और भारत में अधिकांश कपास-उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। अब कपास को 1875 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बजाय 1200 से 1300 रुपये की कीमत पर बेचा जा रहा है। हम अपने किसानों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ हैं। रिफाइन्ड पाम आयल के नाम पर आंध्र प्रदेश में कच्चा तेल आयात किया जा रहा है और एक बड़ा घोटाला हो गया है। परिष्कृत तेल के नाम पर कम आयात शुल्क देकर कच्चा तेल आयात किया जा रहा है और यह बाजार में बेचा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: घरेलू किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत ने दोहा-सम्मेलन में कौन-से विशेष मुद्दे उठाये थे

और क्या मैं जान सकता हूं कि भारत का यह प्रयास सफल रहा था?

श्री मुरासोली मारन: मैं माननीय सदस्य को उनके विचारों के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य पूर्ण रूप से ठीक हैं। विकसित देश और विशेष रूप से आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन के देशों ने राजसहायता कम नहीं की है और वे उसे बढ़ा रहे हैं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: यह पूर्ण उल्लंघन है।

श्री मुरासोली मारन: वह ठीक है।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन के देशों में घरेलू राजसहायता 326 बिलियन डालर तक पहुंच गई है। यह बहुत बड़ी राशि है। आर्थिक-सहयोग तथा विकास संगठन के देशों में कृषि क्षेत्र को दिया जाने वाला वार्षिक राज्य भुगतान सभी अफ्रीकी देशों के समवेत सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है। यह बहुत खराब स्थिति है। इन राजसहायताओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम हो गए हैं। अत:, हम उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इसीलिए हमने दोहा सम्मेलन में उन देशों को कृषि के संबंध में सुदृढ़ वचनबद्धता के लिए कहा।

मैं वे शब्द पढ़ता हूं:

"वे सभी प्रकार की निर्यात राजसहायताएं चरणबद्ध रूप से कम करने के लिए सहमत हो गए हैं।"

अत:, वह इस पर सहमत हो गए हैं। ऐसा कब होगा?

"उसे कैसे किया जायेगा, इसका निर्णय 31 मार्च, 2003 तक कर दिया जायेगा।"

इस प्रकार, 2005 तक सम्पूर्ण समझौता पूरा हो जायेगा। यह केवल भारत के लिए ही नहीं, सभी विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण सफलता होगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह सच है कि हम बड़े-बड़े दावे कर सकते हैं कि हमें दोहा में सफलता मिली है परंतु वास्तविकता कुछ और दी है। कृषि उत्पादन के संबंध में कपास, चाय, नारियल गिरी और प्राकृतिक रबड़ जैसे वस्तुएं कृषि उत्पाद मानी जाती हैं। परन्तु विश्व व्यापार समझौते की शर्तों के अनुसार उन्हें औद्योगिक उत्पाद माना गया है। अत:, उन्हें किसी प्रकार की राजसहायता नहीं दी जा सकती जबकि विकसित देश कृषि उत्पादों में शामिल होने के कारण उन पर राजसहायता प्रदान कर रहे हैं। परंतु, दुर्भाग्य से, भारत में कृषि की ये सभी मुख्य मदें औद्योगिक उत्पाद के रूप में शामिल की गई हैं। इसी वजह से, भारत सरकार अथवा कोई अन्य एजेंसी कृषकों को किसी प्रकार की राजसहायता नहीं दे सकती। सोयाबीन का मामला ही लें संयुक्त राज्य अमरीका इसके लिए कृषकों को राजसहायता दे रहा है। गेहूं को लीजिए। आस्ट्रेलिया इस कृषि उत्पाद के लिए अपने किसानों को राजसहायता दे रहा है परन्तु जहां तक भारत का संबंध है, हम इनमें से किसी भी कृषि उत्पाद को कोई राजसहायता प्रदान करने में असमर्थ हैं।

मेरा प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदय ने इन मदों को अनिवार्य रूप से कृषि उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए कोई प्रयास किया है। यदि वह सफल हो जाते हैं, तो मैं उन्हें बधाई दूंगा। परंतु दुर्भाग्य से, कुछ भी नहीं हुआ और गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केरल के किसान इस शुल्क नीति के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इनमें से किसी मामले में सफल हुए हैं। उस मामले में अगर ऐसा है, तो इसका महत्व है। सिर्फ राजनीतिक प्रयोजन से किए गए लंबे-चौड़े दावों से कोई कार्य सिद्ध नहीं होने वाला। कृपया मेरे विशेष प्रश्न का उत्तर दें।

श्री मुरासोली मारन: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोहा कोई व्यापार ओलम्पिक नहीं है। सब कुछ यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। कृषि समझौता पिछले पांच वर्षों अर्थात् 1.1.1995 से अस्तित्व में आया है। वार्ताएं 1.1.2000 से शुरू हो गई थी। तब से जेनेवा में वार्ता चल रही है। अभी तक भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिसका किसानों पर प्रभाव पड़ता हो। मैं मानता हूं कि किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं। परन्तु यदि उन्हें कोई समस्या है, तो यह विश्व व्यापार संगठन की वजह से नहीं है, बल्कि अन्य कारणों से है।

केवल इतना ही नहीं, 121 देशों ने अपने प्रस्ताव रखे हैं। उनमें से एक प्रस्ताव यह है कि रबड़ और अन्य चीजें जिन्हें औद्योगिक कच्चा माल समझा जाता है, उन्हें कृषि उत्पाद समझा जाना चाहिए। अत:, हम उस पर वार्ता कर रहे हैं। वार्ताएं जारी हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: हम भौगोलिक उपदर्शन के उत्पादों के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा चाहते हैं। इससे कुछ सवाल उठते हैं। हम अपने बासमती चावल, अल्फांसो आम, दार्जिलिंग चाय और कलकत्ता के रसगुल्ले के लिए भी किस प्रकार संरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था कर रहे हैं?

इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के किसी मामले को किसी अल्पावधिक बैठक में विशेष रूप से उठाया जाएगा जिससे उचित रूप से इसे मंजूरी दी जा सके ताकि इसे प्रवर्तित न किया जाए और इसके पेटेंट का भी रक्षण हो।

श्री मुरासोली मारन: माननीय मंत्री सही कह रहे हैं। मैं भी उनकी चिंता के विषय से चिन्तित हूं। भौगोलिक विशेषताओं का संरक्षण जो वाइन और स्पिरिट को दिया गया है भारत में। इसका उदाहरण देखें तो, अलफान्सों आमों, दार्जिलिंग चाय और संभव हो तो रसगुल्लों को भी दिया जाना चाहिए। सच में देखें तो वे इसे 'अल्फांसो आम' नहीं वे इसे 'फल' कहते हैं और बाद में इसका रजिस्ट्रेशन भी करा लेंगे। इसी प्रकार वे 'दार्जिलिंग चाय' नहीं वरन इसे 'चाय या कॉफी' कहेंगे। हमें अपने उत्पादों को इसमें शामिल करना होगा। इसके बाद प्रश्न आता है परंपरागत जैव विविधता, परंपरागत ज्ञान और लोक कथाओं और अन्य संगत नये विकासों के संरक्षण का। जैविक-चोरी रोकी जानी चाहिए। इन सब बातों पर भी गौर किया जाना चाहिए। यह मामला अब 'ट्रिप्स' परिषद् के पास है। यह फैसला 2002 तक हो जाएगा और इस पर समझौता 2005 में हो जाएगा। यह हमारे लिए उपलब्धि है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, आज की स्थिति यह है कि हम कृषि पर लागत के 7 प्रतिशत तक राजसहायता दे रहे हैं। दूसरे देशों में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत के 100 प्रतिशत तक राजसहायता दी जाती है। कई देशों जैसे कनाडा, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और अमरीका में राजसहायता 100 प्रतिशत से अधिक है। चूंकि राजसहायता बहुत अधिक है खाद्यान्नों और कृषि उत्पादन पर लागत कम हो जाती है और इसी कारण कृषि उत्पाद का मूल्य कम है। हमने मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि कृषि उत्पाद जैसे गेहूं, चावल, कपास, नारियल तेल और सभी वस्तुएं हमारे देश में आ रही हैं और उन कीमतों पर बिक रही हैं जिन पर हमारे कृषक अपनी कृषि उपज नहीं बेच पाते यही मुश्किल है। यदि सरकार ने मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए हैं तो सरकार भारत में आने वाले कृषि उत्पादों पर अधिक आयात शुल्क लगा सकती थी। सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया और इसलिए कृपक परेशानी उठा रहे हैं और सरकार ने आज तक केवल एक ही कदम उठाया है और दुर्भाग्य है वह है: "इस पर हस्ताक्षर बहुत पहले हुए थे, इसलिए हम क्या कर सकते थे?" मेरे विचार से इस प्रकार की नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए थी। यदि आप भी सत्ता में होते तो आपने भी विश्व व्यापार संगठन के समझौतों पर हस्ताक्षर किए होते लेकिन यदि हम आपकी जगह होते तो हमने डब्ल्यूटीओ समझौते का इस्तेमाल इस प्रकार किया होता जिससे किसानों के हितों की रक्षा की जा सके क्या यह सरकार यह कार्य करेगी?

श्री मुरासोली मारन: हम यह काम कर रहे हैं। हमने उत्पाद शुल्क बढ़ाया है। माननीय वित्त मंत्री ने यह काम कई वर्ष पहले किया था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री महोदय का उत्तर नहीं सुन रहे हैं यह क्या तरीका है?

श्री मुरासोली मारन: महोदय, दर निर्धारित है। उदाहरण के लिए प्राथमिक उत्पादों पर 100 प्रतिशत शुल्क निर्धारित है, प्रसंस्करित उत्पादों पर 150 प्रतिशत और खाद्य तेलों पर 300 प्रतिशत शुल्क निर्धारित है। इसलिए, हमें अपनी कर प्रणाली में संशोधन करना है और माननीय वित्त मंत्री ने इसे ऐसा अक्सर किया है। वे इसे करने का प्रयत्न दुबारा करेंगे यदि हमारे कृषक तकलीफ में हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कर रही है न कि यह कि माननीय वित्त मंत्री या माननीय वाणिज्य मंत्री क्या कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री मुरासोली मारन: महोदय, हमने यह काम किया है और हम ऐसा करेंगे। आप तीन महीने इंतजार कीजिए *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम तीन महीने इंतजार क्यों करें उस समय तक किसान मर जाएंगे।

श्री मुरासोली मारन: महोदय, हम कृषि उत्पादों समेत 300 संवेदनशील मदों पर निगरानी रख रहे हैं *...(व्यवधान)* विकास नहीं हो रहा है *...(व्यवधान)* यह एक संकेत है। और सबूत भी सामने आ रहे हैं *...(व्यवधान)* यदि आप कुछ भी सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं *...(व्यवधान)* हम गेहूं और चीनी निर्यात कर रहे हैं।

श्री किरीट सोमैया: महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार की कपड़ा कोटा से संबंधित क्या नीति थी और सरकार भविष्य में क्या करने जा रही है। साथ ही, क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या एचआईवी, टीबी, मलेरिया इत्यादि जैसी बीमारियों के लिए दवाइयां वर्ष 2004 के बाद सस्ती हो जाएंगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय दवाई निर्माता इन दवाइयों का निर्माण उसी कीमत पर कर पाएंगे।

श्री मुरासोली मारन: महोदय, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। हमारे सामने अभी पांच वर्ष पड़े हैं।

[हिन्दी]

छुट्टी यात्रा रियायत को पुन: आरम्भ करना

*263. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:**
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत/गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायत पर रोक लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पर्यटन मंत्रालय ने 11 सितम्बर, 2001 को अमरीका में हुई घटनाओं से बुरी तरह प्रभावित घरेलू पर्यटन को पुन: उसी स्थिति में लाने के लिए वित्त मंत्रालय से छुट्टी यात्रा रियायत को पुन: आरम्भ करने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय उक्त छुट्टी यात्रा रियायत के उक्त स्थगन से कुल कितनी धनराशि की बचत हुई है;

(च) क्या केन्द्र सरकार को विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में कमी को ध्यान में रखते हुए घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उक्त छुट्टी यात्रा रियायत को पुन: आरम्भ करने के लिए संसद सदस्य से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) दो वर्षों के लिए इस सुविधा को स्थगित किये जाने का निर्णय गैर-योजना व्यय प्रबंधन के एक भाग के तौर पर लिया गया था।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय का अनुरोध विचाराधीन है।

(ङ) दी गई छूट के मद्देनजर प्रतिवर्ष 98 करोड़ रुपयों की बचत होने का अनुमान है।

(च) और (छ) इस संबंध में संसद सदस्यों के सुझाव/अनुरोध सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब सभा पटल पर रखा है, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत/गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायत पर रोक लगाने के बावजूद, करीब 15.9 लाख रेल, रक्षा तथा अर्द्ध-सैनिक बलों के कर्मचारियों को यह सुविधा मिल रही है। ये भी भारत सरकार के कर्मचारियों में आते हैं, परंतु इससे भारत सरकार के अन्य कर्मचारी प्रभावित हैं और करीब चार करोड़ परिवार इस लाभ से वंचित हैं। 98 करोड़ का सरकारी बजट मंत्री महोदय के डाटा में आया है। हमारा आपसे निवेदन है कि अगर एक सरकारी दौरे को भी रोक दिया जाए तो उससे इन पूरे परिवारों को लाभ मिल सकता है।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना सही है कि जैसे पैरा-मिलिट्री फोर्सेज और कुछ दूसरी क्लासेज को हमने एक्जैम्पशन दी है, इसमें दो तरह का एल.टी.सी. होता है—एक होम टाउन का है जो दो साल में एक बार मिलता है और दूसरा ऑल इंडिया के लिए चार साल में एक बार मिलता है। इसमें यह दो साल वाला नॉन-प्लान एक्सपेन्डीचर का मैनेजमेंट है। लेकिन हकीकत यह है और कई एम.पीज ने लिखित दिया है कि इसके कारण टूरिज्म को चोट लग रही है, इसलिए इसे रिवाइव करना चाहिए जिससे टूरिज्म को फायदा हो सकता है। यह मामला सरकार के विचाराधीन है। अभी जो बैन लगा है, उसको खत्म करने का इस समय कोई विचार सरकार के सामने नहीं है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि जो पैसा रोका गया है एल.टी.सी. का, वह घूम-फिरकर भारत सरकार के पास वापस आ जाता है। रेल का टिकट कटता है तो एक विभाग से पैसा निकलकर दूसरे विभाग में चला जाता है लेकिन इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री महोदय ने खुद एक्सेप्ट किया है, और कई माननीय सांसदों ने मंत्री जी को लिखा है कि वह मामला विचाराधीन है। 9 नवंबर को टूरिज्म मिनिस्टर ने एल.टी.सी. पर लगी रोक पर स्टे के बारे में रिक्वैस्ट की है। हमारा अनुरोध है कि चूंकि पर्यटन उद्योग भी घाटे में है, लेकिन केन्द्रीय कर्मचारियों को एल.टी.सी. फिर से देने के लिए अभी तक

कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। कम से कम चार साल में एक बार ही इसे रिवाइव कर दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके और वे अपने बच्चों से मिल सकें।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष जी, दो साल के बाद इस पर पुनर्विचार हो सकता है। अभी इस समय ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, यह प्रश्न केन्द्र सरकार के वर्ग III और वर्ग IV के गरीब कर्मचारियों की दृष्टिट से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महोदय, आप कृपा करके पंजाब में कार्यरत और सुदूर दक्षिणी राज्य केरल में कार्यरत सरकारी-कर्मचारी और उसके परिवार की स्थिति को समझ लें। मैंने केन्द्रीय सरकारी विभाग में 30 वर्ष सेवा की है। मेरा अनुभव है कि एलटीसी 4 वर्ष में एक बार और दो वर्ष में एक बार होम टाउन रियायत दी जाती थी जो न्यूनतम हैं। अब, यदि इसे गैर-योजना व्यय की तरह लिया जा रहा है, तो मुझे आशंका है कि भविष्य में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भुगतान को भी गैर-योजना व्यय की तरह लिया जाएगा। वे उसे भी एक निश्चित अवधि तक स्थगित कर सकते हैं। मैं अपने मित्र से सहमत हूं कि यदि यह मंत्रालय के लिए एक व्यय है तो यह रेलवे और इंडियन एयरलाइन्स की आमदनी है। यदि हम इसे स्थगित रख सकते हैं तो क्या हम मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के भी दौरा कार्यक्रम स्थगित रख सकते हैं? क्योंकि यह भी गैर-योजनागत व्यय है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। आप इस प्रकार का प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं? आप यह प्रतिबंध कब हटा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैंने इस वर्ष के अपने बजट में छुट्टी यात्रा रियायत का उल्लेख किया था। यह बात अब नौ महीने पुरानी हो गई है। मैंने बजट में क्या कहा था? मैंने कहा था कि हम इस पर दो वर्ष की रोक लगाएंगे। यह सच है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को 4 वर्षों की अवधि में भारत में कहीं भी एक छुट्टी यात्रा रियायत/गृह नगर छुट्टी यात्रा रियायत मिलती है। यही व्यवस्था है। हमने कहा है कि हम इस पर दो वर्ष की रोक लगाएंगे। मैं इस सभा को विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस सरकार की कई बार इस सच्चाई के लिए कि वह अपने गैर-योजना व्यय पर नियंत्रण लगाने के लिए कुछ नहीं कर रही है गंभीर आलोचना की जाती है।

बजट में हमने गैर-योजना व्यय में कटौती के लिए कई कदम उठाए हैं। छुट्टी यात्रा रियायत पर प्रतिबंध लगाना भी उनमें से एक कदम था। हम आशा करते थे कि हम इस प्रकार 200 करोड़ रु. बचा पाएंगे। इसी बीच हमें सेना, अर्ध-सैनिक बलों और पूर्वोत्तर राज्यों से आवेदन मिले थे और जहां तक गृह यात्रा रियायत का संबंध है वह छूट दी गयी थी।

माननीय सदस्य ने कहा है कि यह गैर-योजना व्यय है। अर्थात् यह वास्तव में गैर-योजना व्यय है और इसे सरकार ने इस बजट या मेरे द्वारा प्रस्तुत पूर्व बजट में गैर-योजना व्यय नहीं माना है। इसे शुरू से गैर-योजना व्यय माना गया है। हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं।

जहां तक वेतन का सवाल है उन कर्मचारियों के अलावा, जो योजना कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, अन्य सभी कर्मचारियों का वेतन भी गैर-योजना व्यय है। यह ऐसी बात नहीं है कि हमें धक्का लगे कि यह योजनागत है और यह गैर-योजनागत है। विशाल-वित्तीय घाटे के कारण सरकार पर हमेशा अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण करने का दबाव रहता है। यह बात बहुत अधिक स्वीकार योग्य नहीं है कि इस धनराशि का एक भाग रेलवे बुकिंग के मध्यम से रेलवे में जाएगा क्योंकि हम 100 करोड़ रुपये की बचत कर पाएंगे। महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि प्रत्येक करोड़ रुपये का महत्व है। आप 100 करोड़ रु. का मजाक मत उड़ाइए। 100 करोड़ रु. मेरे लिए बहुत बड़ी धनराशि है।

डा. वी. सरोजा: माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि एलटीसी दो वर्ष तक स्थगित रख कर 100 करोड़ रु. की बचत कर रहे हैं। परंतु प्रेस विज्ञप्ति में यह राशि केवल 56 करोड़ रु. ही बताई गई है और सेना और अर्द्धसैनिक बलों को एलटीसी बहाल करने के बाद यह आंकड़े और कम हो गये होंगे। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि सही आकंड़े क्या हैं क्या सरकार केन्द्र सरकार कर्मचारियों को एलटीसी बहाल करने पर तत्परता से काम करेगी।

श्री यशवन्त सिन्हा: मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में पहले ही कहा है कि माननीय संसद सदस्यों और पर्यटन मंत्रालय की बात पर विचार किया जा रहा है। मैं जानता हूं कि यह सभा को आश्वासन होगा और हम जब भी अपना निर्णय लेंगे तो सभा को बतायेंगे। परंतु जहां तक आंकड़ों का संबंध है मैं पुन: कहना चाहूंगा कि चालू वर्ष के लिए, इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद, हम पिछले व्यय के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। इस समय का अनुमान है कि समग्रत: आंकड़ा मोटे तौर पर करीब 200 करोड़ रु. है। इन रियायतों के कारण हम 200 करोड़ रु. की बचत नहीं कर पाएंगे और आशा करते हैं कि 100 करोड़ रु. की बचत कर पाएंगे।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश

264. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई प्रोत्साहनकारी कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी पूंजी निवेश में प्राथमिकता देने के लिए कतिपय क्षेत्रों का चयन किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में क्षेत्रवार कुल कितनी विदेशी पूंजी का निवेश किया गया है; और

(च) उक्त अवधि के दौरान आज तक भारत में वर्षवार कुल कितनी विदेशी पूंजी का निवेश किया गया है?

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (च) एक विवरण-पत्र सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किये हैं जिनमें अन्य उपायों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:

(1) अधिकांश गतिविधियों को 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश के लिए स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत रखकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति का सरलीकरण किया गया।

(2) एफ आई पी बी द्वारा निवेश प्रस्तावों का निपटान करने के लिए 30 दिन की समय सीमा रखी गयी है।

(3) स्वत: अनुमोदन मार्ग के जरिये किये गये निवेश के लिए अधिसूचना प्रक्रिया को सरल बनाया है।

(4) विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के लिए एक उदार एफ डी आई नीति बनाई है।

(5) एकीकृत नगरों व बस्तियों का विकास करने, औषध तथा भेषज तथा मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टमों जैसे अन्य क्षेत्रों में 100 प्रतिशत एफ डी आई की अनुमति दी गई है।

(6) एफ डी आई की सीमा निजी बैंकिंग क्षेत्र में 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तथा गेटवेज, रेडियो पेजिंग और एण्ड टू एण्ड बेंडविड्थ सहित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई है।

(7) 26 प्रतिशत तक एफ डी आई की अनुमति दे कर रक्षा उद्योग क्षेत्र को भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है।

(8) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परियोजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन की सुविधा के लिए विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण की स्थापना की गई है।

(9) अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रमुख स्रोतों वाले देशों में सड़कों पर प्रदर्शनियां लगाकर और "डेस्टिनेश इंडिया" जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करके विदेशी निवेश का संवर्धन करना।

(ग) और (घ) सरकार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्तावों पर विचार करते समय अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, निर्यात और/अथवा रोजगार संभाव्यता वाले कार्यकलापों कृषि-व्यवसाय/फार्म क्षेत्र से प्रत्यक्ष अथवा पार्श्व संपर्क की मदों, और आधुनिक प्रौद्योगिकी के समावेश से संबंधित प्रस्तावों को वरीयता देती है। उपर्युक्त के अनुसार, वरीयता क्षेत्रों में दूरसंचार, विद्युत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, सेवा क्षेत्र, विद्युत और इलैक्ट्रोनिक उपकरण, औषध तथा भेषज, इत्यादि शामिल हैं। अधिकतर क्षेत्र स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खुले हैं।

(ङ) और (च) शीर्ष दस क्षेत्रों के संबंध में, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में 30 सितंबर, 2001 तक की अवधि के दौरान, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाहों के वर्ष-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरे और इसी अवधि के दौरान प्राप्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की कुल राशि के वर्ष-वार ब्यौरे अनुबंध के रूप में संलग्न हैं।

अनुबन्ध

(ङ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाहों के संबंध में दस शीर्ष क्षेत्र

(रुपये करोड़ में/अमरीकी डालर मिलियन में)

क्र.सं.	क्षेत्र	1998 (जन.-दिसं.)	1999 (जन.-दिसं.)	2000 (जन.-दिसं.)	2001 (जन.-सितम्बर)	अगस्त, 1991 से सितंबर, 2001 के दौरान प्राप्त किये गये कुल अंतर्वाहों में रुपये के रूप में प्रतिशतता
1.	दूरसंचार	1,741.02 (यू.एस.$ 440.8)	215.56 (यू.एस.$ 51.3)	685.54 (यू.एस.$ 159.4)	3,773.00 (यू.एस.$ 838.4)	14.59
2.	विद्युत उपकरण (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सहित)	786.59 (यू.एस.$ 199.1)	703.61 (यू.एस.$ 167.5)	1,201.22 (यू.एस.$ 279.4)	1,500.10 (यू.एस.$ 333.4)	12.61
3.	परिवहन उद्योग	1,476.92 (यू.एस.$ 373.9)	1,130.20 (यू.एस.$ 269.1)	1,225.98 (यू.एस.$ 285.1)	552.64 (यू.एस.$ 122.8)	11.90
4.	सेवा क्षेत्र	767.98 (यू.एस.$ 194.4)	402.38 (यू.एस.$ 95.8)	186.15 (यू.एस.$ 43.3)	601.08 (यू.एस.$ 133.6)	8.30
5.	रसायन (उर्वरक के अलावा)	1,064.00 (यू.एस.$ 269.4)	475.62 (यू.एस.$ 113.2)	538.07 (यू.एस.$ 125.1)	109.04 (यू.एस.$ 24.2)	7.96
6.	ईंधन (विद्युत तथा तेल रिफाइनरी)	563.55 (यू.एस.$ 142.7)	748.46 (यू.एस.$ 178.2)	484.02 (यू.एस.$ 112.6)	313.72 (यू.एस.$ 69.7)	7.64
7.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	236.88 (यू.एस.$ 60.0)	404.70 (यू.एस.$ 96.4)	222.45 (यू.एस.$ 51.7)	143.61 (यू.एस.$ 31.9)	4.69
8.	विविध मैकेनिकल इंजीनियरी उद्योग	118.11 (यू.एस.$ 29.9)	62.91 (यू.एस.$ 15.0)	109.85 (यू.एस.$ 25.6)	291.19 (यू.एस.$ 64.7)	2.15
9.	कागज और लुग्दी	234.17 (यू.एस.$ 59.3)	51.36 (यू.एस.$ 12.2)	259.95 (यू.एस.$ 60.5)	6.74 (यू.एस.$ 1.5)	1.94
10.	भेषज और औषध	83.84 (यू.एस.$ 21.2)	75.73 (यू.एस.$ 18.0)	207.99 (यू.एस.$ 48.4)	75.17 (यू.एस.$ 16.7)	1.90

(यू एस - अमरीकी डालर मिलियन)

टिप्पण: *इन आंकड़ों में एडीआर/डीजीआर/एफसीसीबी, आरबीआई-एनआरआई योजनाओं, मौजूदा शेयरों के अधिग्रहण और शेयरों के आवंटन के लिए लम्बित अग्रि के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्वाहों की राशि को नहीं लिया जाता है क्योंकि इन का क्षेत्रवार वर्गीकरण नहीं किया जाता है।

(च) वर्ष 1998-2001 के दौरान वर्ष-वार प्राप्त किये गये अंतर्वाहों का विवरण

(रुपये करोड़ में/अमरीकी डालर मिलियन में)

	1998	1999	2000	2001
जनवरी-दिसंबर के दौरान कुल	रु. 13,339.84	रु. 16,867.79	रु. 19,341.74	-
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्वाह	(यू.एस. 3,377.2)	(यू.एस. 4,016.1)	(यू.एस. 4,498.1)	
जनवरी-सितंबर के दौरान कुल	रु. 10,987.44	9,874.83	रु. 11,114.93	रु. 16,306.47
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्वाह	(यू.एस. 2,781.6)	(यू.एस. 2,351.2)	(यू.एस. 2,584.9)	(यू.एस. 3,623.7)

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्रश्न के जवाब में जानकारी दी है कि मूलभूत ढांचे के क्षेत्र में विद्युत उपकरण, परिवहन, रसायन, ईंधन, रिफाइनरी, विविध, मैकेनिकल इंजीनियरी उद्योग, कागज आदि दस क्षेत्रों में विदेशी पूंजी-निवेश का प्रस्ताव है। लेकिन देश में पारंपरिक उद्योग जैसे खेती, मछली पालन, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, हस्तसाल उद्योग, रबड़ उद्योग आदि का बुरा हाल है। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि पारंपरिक श्रम प्रधान उद्योगों में विदेशी पूंजी निवेश के लिए प्राथमिकता देने हेतु क्या सरकार ने इस तरह का कोई प्रस्ताव दिया है और यदि दिया है तो वह क्या है?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन: हमने 10 क्षेत्रों में इसकी अनुमति दी है इसका यह अर्थ नहीं है कि हम अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अर्थ है कि इसका अंतत: फायदा कृषि को भी होगा और इसका लाभ गांवों को भी मिलेगा। इसलिए हम इन हितों पर भी ध्यान दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने देश के मुख्य और मूल उद्योग कृषि उत्पादन को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सिंचाई क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश के संबंध में गत तीन वर्षों में क्या कोई आकलन किया है? यदि हां तो अप्रैल, 1998 से सितम्बर, 2001 के दौरान इस क्षेत्र में कितना पूंजी निवेश हुआ है और सरकार ने इस क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए उक्त अवधि के दौरान क्या-क्या नये प्रोत्साहन घोषित किये हैं?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन: महोदय, यह प्रश्न जो जल संसाधनों पर है इसे संबंधित मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता है और इसलिए एक दशक पहले यह फैसला लिया गया था कि देश में विदेशी पूंजी का निवेश हो। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में कितने पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गई और वास्तव में कितना पूंजी निवेश हुआ? पिछले तीन वर्षों का स्वीकृति और पूंजी निवेश का जो फर्क है, इसके बारे में में स्पष्ट तौर से जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन: महोदय, मैंने विवरण में ही आंकड़े दिए हैं वर्ष 2000 के लिए हमें 4.4 बिलियन डालर विदेशी मुद्रा अर्जित हुई और दर करीब 52.22 प्रतिशत है। सितम्बर 2001 तक 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कुल 3.6 बिलियन डालर विदेशी मुद्रा अर्जित हुआ है। इसका अर्थ है प्रति दर 72.19 प्रतिशत है। यह उल्लेखनीय वृद्धि है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष जी, कितनी पूंजी स्वीकृत हुई और कितना निवेश हुआ, इसमें जो फर्क है जो कम मात्रा है, इसके क्या कारण हैं, उसके बारे में मैं जानकारी हासिल करना चाहता था और सरकार इस बारे में क्या प्रयास कर रही है?

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन: मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1999 में स्वीकृत राशि 6.7 बिलियन डालर थी परंतु विदेशी मुद्रा अर्जन

4.01 बिलियन डालर थी और दर 59.46 प्रतिशत थी। वर्ष 2000 में स्वीकृत राशि 8.6 बिलियन डालर थी। मार्जिन राशि 4.4 बिलियन डालर थी और दर 52.22 प्रतिशत थी। सितम्बर, 2001 तक स्वीकृत राशि 5 बिलियन थी, अर्जित राशि 3.6 बिलियन डालर थी अर्थात् 72.19 प्रतिशत। यह उल्लेखनीय वृद्धि न केवल आने वाली राशि ही के लिए परंतु अर्जित दर और स्वीकृति राशि के लिए भी है।

श्री पी.सी. थामस: मेरे राज्य केरल में ऐसे मानव संसाधनों की संख्या अधिक है जो विदेश जाकर सहायक ही हो रहे हैं। दुर्भाग्य से राज्य में आने वाला विदेशी निवेश बहुत कम है। क्या इसका कारण यह है कि राज्यों को अपने प्रयासों से विदेशी निवेश पाने में कुछ कठिनाई होती है? यदि ऐसा है तो इस संबंध में क्या किया जा सकता है? क्या ऐसी संभावना है कि राज्य सरकार द्वारा सरकार के समक्ष जो परियोजनाएं मंजूरी हेतु रखी हैं, उसे तुरंत मंजूरी दी जाए। मेरे विचार से इससे मदद मिलेगी। मैं इस संबंध में सरकार से निवेदन करता हूं कि वह कुछ कदम उठाए और देखे कि प्रत्येक राज्य को पर्याप्त विदेशी निवेश मिले।

श्री मुरासोली मारन: जहां तक एफडीआई का संबंध है सरकार की भूमिका सीमित है। हमने केवल एक दरवाजा खोला है और वह है स्वीकृति का दरवाजा और उसकी मंजिल राज्य है। इसका चयन निवेशक विशेष करता है। अब, मेरे विचार से केरल पर्यावरण-पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हो गया है और पर्यटन आयुर्वेद और अन्य उद्योगों के कारण भी बढ़ रहा है। यह राज्य सरकार का काम है कि अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए वह रोड शो आदि का आयोजन करे।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री रमेश चेन्नितला: महोदय, एफडीआई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी हो रही है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वे हमारे देश के एफडीआई परियोजना को त्वरित लागू करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

श्री मुरासोली मारन: हमारे यहां विदेशी कार्यान्वयन प्राधिकरण है जिसे विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण (एफआईआईए) कहते है। इसका छ: सूत्रीय कार्यक्रम है। पहले सूत्र के अनुसार हम बोर्ड पर भी विदेशी निवेशकों से संपर्क करेंगे और उन्हें आमंत्रित करेंगे। दूसरे सूत्र के अनुसार भारत में आने के बाद यदि उन्हें कोई विशेष समस्या है तो हम उन्हें बुलाकर उनकी समस्या दूर करेंगे। यदि समस्या दिल्ली में अंतर-मंत्रालय स्तर पर है तो हम मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को बुलाकर सुलझाएंगे। मान लीजिए समस्या राज्यों से संबंधित है तो हम मुख्य सचिवों को बुलाकर और संबंधित मुख्यमंत्रियों को लिखकर उस समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए, हमारे पास छ: सूत्रीय कार्यक्रम है। फिर हमारी समस्या को सुलझाने की पद्धति क्षेत्रानुसार है यदि हमें कोई शिकायत प्राप्त होगी तो हम इस मामले को संबंधित मंत्रालय से उठाएंगे क्योंकि हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का भरपूर स्वागत करना चाहते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में त्वरित स्वीकृति बहुत आवश्यक है। कोई भी इसमें देरी नहीं करना चाहता। इसका प्रभारी एफआईआईए है। हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष ज्यादा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

टी.वी. ट्रांसमीटरों का कार्यकरण

***241. श्री प्रकाश वी. पाटील:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को टी.वी. ट्रांसमीटरों के दोषपूर्ण कार्यकरण के बारे में, विशेषकर देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) टी.वी. ट्रांसमीटरों का सुचारू कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी हां। दूरदर्शन नेटर्वक में कुछ ट्रांसमीटर के दोषपूर्ण कार्यकरण के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में भी कुछ ट्रांसमीटरों के कार्यकरण के बारे में और अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, बदलापुर की अपर्याप्त/खराब कवरेज के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, दूरदर्शन इस बारे में कोई केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखता है।

(ग) दूरदर्शन द्वारा यथासंभव शीघ्रता से शिकायतों को दूर करने के लिए भरसक प्रयास किए जाते हैं। तथापि, अति अल्प

शक्ति ट्रांसमीटरों के मामले में शिकायतों को दूर करने में कुछ समय लग जाता है क्योंकि ये स्वचालित ट्रांसमीटर हैं और अनुरक्षण स्टॉक को नजदीकी अनुरक्षण केन्द्रों से भेजना पड़ता है।

देश में तेल और गैस भण्डारों की खोज

*242. **श्री भर्तृहरि महताब: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने देश में गैस और तेल भण्डारों की खोज के लिए एक बृहत योजना (मास्टर प्लान) तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में ऐसी खोज की योजना बनाई गई है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितना आबंटन किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (ग) आयल एण्ड नचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी) का देश में पांच वर्ष की अवधि वर्ष 2002 से वर्ष, 2007 तक के लिए हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिए लगभग 8,650 करोड़ रुपए, जिसमें अपतटीय क्षेत्र के लिए लगभग 4,685 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं, के व्यय का प्रस्ताव है। उपर्युक्त अवधि के दौरान जो एन जी सी का आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में तेल एवं गैस के अन्वेषण का विचार है।

[हिन्दी]

नई रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण

*243. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन नई रेल लाइनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनको बिछाने के लिए सर्वेक्षण तो नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान कराया गया है लेकिन उन्हें अब तक बिछाया नहीं गया है;

(ख) इन नई रेल लाइनों को बिछाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) ऐसी नई लाइनों को बिछाने का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) 9वीं योजना के दौरान ऐसी नई लाइनों के लिए पूरे किए सर्वेक्षणों, जिनसे संबंधित निर्माण कार्यों को बजट में शामिल नहीं किया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	रेलवे	राज्य	परियोजना का नाम
1	2	3	4
1.	मध्य	महाराष्ट्र	पुणे-नासिक
2.	मध्य	उत्तर प्रदेश	हमीरपुर-हमीरपुर रोड
3.	मध्य	महाराष्ट्र	वर्धा-पुसाड-नादेड़
4.	मध्य	उत्तर प्रदेश	ईदगाह और फतेहपुर के बीच बाईपास लाइन
5.	मध्य	महाराष्ट्र	कल्याण से अहमदनगर बरास्ता मुरबाद
6.	मध्य	महाराष्ट्र	धुले-नरदाना-शिरपुर
7.	मध्य	राजस्थान	धौलपुर-सिरमूत्रा-गंगापुर
8.	मध्य	उत्तर प्रदेश	आगरा क्षेत्र-बाईपास लाइन की व्यवस्था
9.	मध्य	महाराष्ट्र	कोपरगांव से शिरडी
10.	मध्य	मध्य प्रदेश	बियावरा-राजगढ़-सिरौंग और बीना
11.	मध्य	महाराष्ट्र	मनमाड़-धुले बरास्ता मालेगांव

1	2	3	4
12.	मध्य	उत्तर प्रदेश	बाद को भैंसा से जोड़ना
13.	पूरे	बिहार	बांकरा-नवाडा
14.	पूरे	पश्चिम बंगाल	मुर्शीदाबाद-कांडि बरास्ता खगड़ाघाट और बेहरामपुर
15.	पूरे	बिहार	देहरी-ऑन-सोन से बंजारी
16.	पूरे	पश्चिम बंगाल	बेहरामपुर-कांडि
17.	पूरे	पश्चिम बंगाल	बजबज से फाल्टा
18.	पूरे	पश्चिम बंगाल	बर्धमान से तारकेश्वर
19.	पूरे	बिहार/झारखंड	गया से डाल्टनगंज बरास्ता गुरारू, गुरवा, शेरघाटी और इमामगंज
20.	पूरे	बिहार	देहरी ऑन सोन-अकबरपुर
21.	पूरे	पश्चिम बंगाल	दांकुनी से शियाखाला
22.	पूरे	बिहार	चुनार से सासाराम
23.	पूरे	बिहार	दानापुर-फतुआ बरास्ता धनीवन, पनपन
24.	पूरे	पश्चिम बंगाल	बकरेश्वर-सियूरी
25.	पूरे	बिहार/झारखंड	गया-छपरा
26.	पूर्वोत्तर	बिहार	कोपरिया-बिहारीगंज बरास्ता सोनबरसाराज-आलमनगर
27.	पूर्वोत्तर	बिहार	बदलाघाट-आलमनगर-भवानीपुर-पूर्णिया दलखोला
28.	पूर्वोत्तर	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	टनकपुर-पूर्णागिरी
29.	पूर्वोत्तर	बिहार	सीतामढ़ी से जयनगर बरास्ता सोनबरसा
30.	पूर्वोत्तर	बिहार	सुपौल-अररिया बरास्ता त्रिवेणीगंज और रानीगंज
31.	पूर्वोत्तर	बिहार	प्रतापगंज-भीमनगर-बाधान्हा
32.	पूर्वोत्तर	बिहार	मधेपुरा से प्रतापगंज बरास्ता सिंगेश्वर स्थान और त्रिवेणीगंज
33.	पूर्वोत्तर	बिहार	बिहारीगंज-छतरपुर रोड़ बरास्ता मुरलीगंज
34.	पूर्वोत्तर	बिहार	कुरसेला-रूपौली-सहरसा
35.	पूर्वोत्तर	बिहार	हाजीपुर-समस्तीपुर बरास्ता महाराष्ट्रोवा
36.	पूर्वोत्तर	बिहार	हसनपुर से बरौनी
37.	पूर्वोत्तर	बिहार	देवरिया सदर-पदरौना
38.	पूर्वोत्तर	उत्तर प्रदेश	घुघली-फारेंदा

1	2	3	4
39.	पूर्वोत्तर	बिहार	दरभंगा और सहरसा बरस्ता कुशेश्वरस्थान
40.	पूर्वोत्तर	बिहार	लहेरिया सराय से कुशेश्वरस्थान
41.	पूर्वोत्तर	बिहार	मुक्तापुर से कुशेश्वरस्थान
42.	पूर्वोत्तर	बिहार	सिमरी-बख्तियारपुर से बिहारीगंज
43.	पूर्वोत्तर	बिहार	हाजीपुर और सगौली बरास्ता वैशाली
44.	पूर्वोत्तर	उत्तर प्रदेश	खालीलाबाद से नौगढ़
45.	पूर्वोत्तर	उत्तरांचल	किच्चा-सीतागंज-नानक माता-खातिमा
46.	पूर्वोत्तर	बिहार	सलौना (बखरी) से अलौली
47.	पूर्वोत्तर	बिहार	कोपरिया/सिमरी बख्तियारपुर, आलमनगर, बिहारीगंज
48.	पूर्वोत्तर	उत्तर प्रदेश	फरूखाबाद और गोला गोरकनाथ
49.	पूर्वोत्तर	बिहार	जनकपुर रोड से जयनगर बरास्ता मधुबनी
50.	पूर्वोत्तर	उत्तर प्रदेश	सीतापुर-बहराइच बरास्ता लहरपुर-तांबौर और मिहिरपुवा
51.	पूर्वोत्तर	बिहार	मोतीहारी से सीतामढी बरास्ता शिवहर
52.	पूर्वोत्तर	बिहार	हाजीपुर-मोतीपुर
53.	पूर्वोत्तर	बिहार	निर्माली सरायगढ़
54.	पूसी	असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र	मरकोंगसेलेक से पासीघाट
55.	पूसी	पूर्वोत्तर क्षेत्र	अगरतला से सबरूम बरास्ता बेलोनिया
56.	पूसी	असम	माकुम से सेखोवा घाट
57.	पूसी	असम	डांगरी-धोला
58.	पूसी	पश्चिम बंगाल	सिवोक से गंगटोक बरास्ता गियलेखोले और सिंगटाम
59.	पूसी	असम	सार्थबाड़ी से चांगसरी
60.	पूसी	बिहार, पश्चिम बंगाल	अररिया-फोरबिसगंज-गलगलिया (ठाकुरगंज)
61.	पूसी	असम	बरपेटा रोड से तिहु
62.	पूसी	असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र	लेखापानी से खारसंग
63.	पूसी	असम, पूर्वोत्तर क्षेत्र	डिगारू-बरनी हाट
64.	पूसी	बिहार	कटिहार-तेज नारायणपुर, भालूका रोड तक विस्तार सहित
65.	पूसी	असम	करीमगंज-महिसाधन

1	2	3	4
66.	उरे	पंजाब	साहनेवाल-लाडोवाल
67.	उरे	पंजाब	बडोवाल-साहनेवाल
68.	उरे	राजस्थान	कोलायत-पोखरन-बाड़मेर
69.	उरे	पंजाब, हिमाचल प्रदेश	होशियारपुर-ऊना
70.	उरे	उत्तरांचल	ऋषिकेश से देहरादून
71.	उरे	राजस्थान	जालौर-फालना
72.	उरे	हरियाणा	सिरसा-हिसार बरास्ता फतेहाबाद और अग्रोहा
73.	उरे	हरियाणा	जाखल-फतेहाबाद बरास्ता बहुना-रतिया
74.	उरे	राजस्थान	चूरू से तारानगर
75.	उरे	हरियाणा, उत्तर प्रदेश	पानीपत-मुज्जफनगर बरास्ता कैराना
76.	उरे	हरियाणा	जींद-सोनीपत
77.	उरे	उत्तर प्रदेश	पनकी से मनधाना
78.	उरे	उत्तर प्रदेश	मारीपत-तुगलकाबाद
79.	उरे	उत्तर प्रदेश	हस्तिनापुर के लिए रेल संपर्क
80.	उरे	उत्तर प्रदेश	मेरठ के निकट दौराला और बिजनौर बरास्ता हस्तिनापुर
81.	उरे	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	मुजफ्फनगर से हरिद्वार बरास्ता रूड़की
82.	उरे	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	देहरादून और सहारनपुर
83.	उरे	हरियाणा	रेवाड़ी से रोहतक
84.	उरे	उत्तरांचल	ऋषिकेश-कर्णप्रयाग
85.	उरे	राजस्थान	हनुमानगढ़ से रतनगढ़ बरास्ता/सरदारशहर
86.	उरे	उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	लश्कर से बक्सर
87.	उरे	राजस्थान	कोलायत से फलोड़ी
88.	उरे	हरियाणा, पंजाब	पटियाला से जाखल/नरवाना बरास्ता सामना
89.	उरे	राजस्थान	मेड़ता सिटी से ब्यावर
90.	उरे	उत्तर प्रदेश	छोला से बुलन्दशहर
91.	उरे	दिल्ली, हरियाणा	बिजवासन से बहादुरगढ़ बरास्ता गुम्मन खेंड़ा-हसनपुर-जाफरपुर
92.	उरे	जम्मू और कश्मीर	जम्मू से पुंछ बरास्ता अखनूर-रजौरी

1	2	3	4
93.	उरे	राजस्थान	बाढ़-बिलाड़ा
94.	उरे	पंजाब	कपूरथला से व्यास
95	उरे	राजस्थान	नागौर से फलोड़ी
9ठ.	उरे	हरियाणा, उत्तर प्रदेश	पानीपत से मेरठ
97.	दमरे	आंध्र प्रदेश	जहिराबाद-सिकंदराबाद
98.	दमरे	कर्नाटक, आंध्र प्रदेश	हैदराबाद-रायचूर
99.	दमरे	आंध्र प्रदेश	पाटना-चेरू से आदिलाबाद
100.	दमरे	महाराष्ट्र	कोंकण रेल पर कोल्हापुर से रत्नागिरि बरास्ता तलवाड़े
101.	दमरे	कर्नाटक	बागलकोट-कुडाची
102.	दमरे	कर्नाटक	बीजापुर-अठानी-शेदबाल
103.	दमरे	कर्नाटक	धारवाड़ा बेलगाम बरास्ता बेलहोंगल और कितूर
104.	दमरे	कर्नाटक	नीपानी-रायबाग बरास्ता चिकोड़ी
105.	दमरे	आंध्र प्रदेश	पाटनचेरू-जोगीपेट
106.	दमरे	आंध्र प्रदेश	पांडूरंगपुरम-भद्राचलम
107.	दमरे	आंध्र प्रदेश	चन्द्रमपालेम-सपरावरम
108.	दमरे	आंध्र प्रदेश	अंगोल-दोनाकोंडा
109.	दमरे	महाराष्ट्र	घाटनंदूर-अम्बाजोगई
110.	दमरे	महाराष्ट्र	बीड़-जालना
111.	दमरे	आंध्र प्रदेश	गदग-वाड़ी बरास्ता यलबुर्गा
112.	दमरे	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक	कुडप्पा-मदनापल्ली
113.	दमरे	आंध्र प्रदेश	काचीगुड़ा से चित्याल
114.	दमरे	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक	कुडप्पहा से बंगारपेट बरास्ता मदनापल्ली
115.	दमरे	आंध्र प्रदेश	अरमूर से आदिलाबाद
116.	दमरे	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक	चित्तूर से बंगारपेट
117.	दमरे	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा से नल्लोर बरास्ता बड़वेल, अतमाकुर और बुत्तचिरेद्दीपालेम
118.	दमरे	आंध्र प्रदेश	पाटनचेरू से अक्कनापेट
119.	दमरे	आंध्र प्रदेश	कुरनूल-कमलापुरम

1	2	3	4
120.	दमरे	आंध्र प्रदेश	मोटीमारी-जग्गयापेट बड़ी लाइन से मृयालगुडा
121.	दमरे	आंध्र प्रदेश	भद्राचलम रोड (कोढागुडेम) और विशाखापत्तनम
122.	दमरे	आंध्र प्रदेश	कोव्वूर से भद्राचलम
123.	दमरे	कर्नाटक	अलमत्ती से यादगीर
124.	दमरे	आंध्र प्रदेश	नाड़ीकुडो से श्रीकालाहस्ती बरास्ता करेमपुडो, वीनकोंडा, कानिगिरि, पोडिली और दारसी
125.	दमरे	कर्नाटक	गुलबर्गा-होसपेट
126.	दमरे	आंध्र प्रदेश	येरागुंतला से धर्मावरम बरास्ता पुलवेंदला
127.	दपूरे	उड़ीसा	पुरी-कोणार्क
128.	दपूरे	पश्चिम बंगाल	दानकुनी-चम्बाडागा बरास्ता सिखाला एवं सिखाला से बड़छिया
129.	दपूरे	उड़ीसा	विमलगढ़ से तालचेर
130.	दपूरे	महाराष्ट्र	वाड़सा-गडचिरोली
131.	दपूरे	पश्चिम बंगाल	झारग्राम-पुलिया
132.	दपूरे	पश्चिम बंगाल	खड़गपुर-दानकुनी-सियालदह
133.	दपूरे	उड़ीसा	झारसुगुडा बाईपास लाइन
134.	दपूरे	उड़ीसा	जेपौर-कोटटामेत्ता
135.	दपूरे	आंध्र प्रदेश	कन्ताकापल्ली-अंकापल्ली
136.	दरे	तमिलनाडु	जोल्लारपेटै-होजूर बरास्ता कृष्णागिरि
137.	दरे	तमिलनाडु	तिंडीवनम-कुड्डाल्लूर बारास्ता पांडिचेरी
138.	दरे	तमिलनाडु	काटपाड़ि-चेन्नै बरास्ता गूंदी-पुनामली से तिंडीवनम
139.	दरे	कर्नाटक	डुड्डा-तिप्तूर
140.	दरे	केरल	ठकाजी-तिरूवल्ला-पठनमठिया
141.	दरे	केरल	कायमकूलम-तिरवनंपुरम बरास्ता अदूर और कोट्टारक्कारा
142.	दरे	केरल	निलंबूर रोड और फैरोके बरास्ता मांझेरी और मावूर
143.	दरे	केरल, तमिलनाडु	सबरीमाला से डिन्डोगुल
144.	दरे	तमिलनाडु	अरक्कोणम से तिंडीवनम बरास्ता वालजापेट, रानीपेट और अरकोट
145.	दरे	तमिलनाडु	अवडो-श्रीपैरम्बदूर
146.	दरे	कर्नाटक	बेंगलूरू-सिटी-बैलूर-मुदीगेरे-श्रींगेरी

1	2	3	4
147.	दरे	कर्नाटक	गुरूवायूर-इदापल्ली
148.	दरे	कर्नाटक	मैडोकेरे-चैन्यारेयापतना बरास्ता कुनारूर
149.	दरे	कर्नाटक	कुसालनगर-चैन्यारेयापतना बरास्ता कुन्नूर
150.	दरे	कर्नाटक	दावनीगेरे-भद्रावती
151.	दरे	अंडमान	पोर्ट ब्लेयर-एरियल बे-अण्डमान द्वीप
152.	दरे,	कर्नाटक	पांडवपुर से श्रवणबेलगोला
153.	दरे	तमिलनाडु	मानमदुरै से तूतीकोरिन
154.	दरे	केरल	इद्दपल्ली से तिरूर
155.	दरे	तमिलनाडु	तंजावूर से पोत्तूकोत्तई
156.	दरे	कर्नाटक	तालगुप्पा-ओनवार
157.	दरे	कर्नाटक	तूमकूर-देवानगेरे
158.	दरे	तमिलनाडु, कर्नाटक	मेत्तूर और चामराजनगर
159.	दरे	केरल, कर्नाटक	नंजनगोड और बडगारा बरास्ता वैत्री-पूझी-हित्थोड
160.	दरे	केरल	पुनालूर से तिरूवनंतपुरम
161.	दरे	कर्नाटक	बीसनाथम से मारीकुप्पम
162.	दरे	कर्नाटक	गदग-हरिहर
163.	दरे	कर्नाटक	तेल्लीचेरी-मैसूर
164.	परे	मध्य प्रदेश, राजस्थान	उज्जैन-रामगंजमंडी बारास्ता अगर ससनेर झालावार
165.	परे	राजस्थान, मध्य प्रदेश	बरन-शिवपुरी
166.	परे	मध्य प्रदेश	इंदौर और बुधनी
167.	परे	महाराष्ट्र	दहानू रोड-नासिक रोड
168.	परे	गुजरात	वैरावल से कोडोनार
169.	परे	गुजरात	कोटोनार से पीपावाव तटीय लाइन
170.	परे	गुजरात	पोरबन्दर से पोरबन्दर पोर्ट
171.	परे	राजस्थान	अजमेर-मेडता रोड
172.	परे	राजस्थान, हरियाणा	पलवल से अलवर
173.	परे	राजस्थान	जयपुर से टोंक

(ख) चालू परियोजनाओं के अत्यधिक ओफारवर्ड, संसाधनों की तंगी और अलाभप्रद प्रकृति के कारण इन नई लाइनों का कार्य आरंभ करने का विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया। बहरहाल, जब कभी यातायात और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर अपेक्षित होता है, तब नई लाइन प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे तेल की शोधन क्षमता

***244. श्री जोरा सिंह मान:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल की शोधन क्षमता में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कच्चे तेल की शोधन क्षमता कितनी थी;

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान कच्चे तेल की शोधन क्षमता कितनी होने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार ने देश में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन की मात्रा का मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान देश में प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद का कितना उत्पादन किए जाने की संभावना है और वे उत्पाद कौन-कौन से है जिनका उत्पादन देश में उनके उपभोग से अधिक होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान कच्चे तेल की शोधन क्षमता नीचे दी है:

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रति वर्ष मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी पी ए)
1998-99	69.14
1999-2000	112.04
2000-2001	112.54

(ग) वर्ष 2001-2002 के अंत तक शोधन क्षमता 114.67 एम एम टी पी ए हो जाने की संभावना है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्तमान वर्ष में प्रमुख उत्पादों का अनुमानित उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल तथा डीजल का उत्पादन अपनी खपत से अधिक होने की संभावना है।

विवरण

नवीनतम स्थिति के अनुसार वर्ष 2001-2002 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन

उत्पाद	उत्पादन मिलियन मीट्रिक टन (एम एम टी) में
एल पी जी	6.984
पेट्रोल	9.773
नाफ्था/एन जी एल	10.951
एविएशन टर्बाइन फ्यूल	2.697
मिट्टी तेल	10.166
डीजल	40.478
लाइट डीजल आयल	1.380
ल्यूब	0.699
ईंधन तेल/एल एस एच एस	12.495
बिटुमेन	2.602
अन्य	7.794
योग	106.019

[अनुवाद]

बिजली की चोरी

***245. श्री अधीर चौधरी:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किस सीमा तक बिजली की चोरी की जाती है;

(ख) क्या इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ग) विद्युत चोरी के कारण विभिन्न राज्य सरकारों को हो रही हानियों का अलग से आकलन नहीं किया जा रहा है। वर्ष 1992-93 से 1998-99 तक संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों द्वारा तकनीकी कारणों और अन्य कारणों से होने वाली हानियों समेत पारेषण व वितरण हानियों का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है।

विद्युत वितरण राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है और विद्युत चोरी रोकने व अवैध कनेक्शन हटाने से संबधी कार्यकलाप उनके क्षेत्राधिकार के अतंर्गत कार्यरत पावर यूटिलिटियों के दायरे में आते हैं। भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अंतर्गत बिजली की चोरी को संज्ञेय अपराध माना गया है तथा विद्युत चोरी को रोकने के लिए यूटिलिटियों को कानून के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना होता है।

ऊर्जा चोरी को रोकने के लिए यूटिलिटियों द्वारा किए जा रहे उपाय निम्नानुसार हैं:

(क) सतर्कता दलों व फील्ड स्टाफ द्वारा आवधिक रूप से व्यापक जांच अभियान चलाए जाते हैं। इंजीनियरों की जिला-वार यूनिटों द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं और बिजली की चोरी करने वाले उपभोक्ता के विरुद्ध पुलिस अधिकारियों द्वारा विद्युत चोरी निवारक दस्तों के सहयोग से अभियोग चलाए जाते हैं।

(ख) स्थापनाओं को चोरी निवारक बनाया जा रहा है।

(ग) सूचना देने वालों को प्रोत्साहन देने की स्कीम प्रचलन में नहीं है। ऊर्जा की चोरी से निबटने के लिए वैयक्तिक कार्यनिष्पादन का पता लगाने के लिए पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करने की स्कीम आरंभ की गई है।

(घ) प्रमुख भार केन्द्रों के लिए भार निरीक्षण अध्ययन किए जा रहे हैं।

(ङ) अपराधियों को जेल भेजकर दण्डित किया जा रहा है।

(च) बिलिंग प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण के जरिए उपभोक्ताओं द्वारा असामान्य खपत का पता लगाया जाता है। यदि खपत औसत ऊर्जा खपत के 15% से कम है तो मीटर से छेड़छाड़/बिजली चोरी को रोकने के लिए मामलों की तत्काल जांच की जाती है।

3.3.2001 को आयोजित मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटीलिटी निम्नलिखित कदम उठाएंगे:

(1) अगले 6 माह के भीतर 11 के.वी. फीडरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षण को प्रभावी बनाया जाएगा और स्थानीय स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।

(2) इस उद्देश्य से एक कारगर प्रबंधन सूचना प्रणाली चालू की जाएगी।

(3) उपरोक्त के आधार पर अगले दो वर्षों में विद्युत चोरी के उन्मूलन के लिए एक कारगर कार्यक्रम तैयार किया जाएगा।

(4) दिसम्बर, 2001 तक सभी उपभोक्ताओं का मीटरिंग कर दिया जाएगा और इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

(5) विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ए.पी.डी.पी. के जरिए सुधारी जाएगी।

(6) निम्नलिखित में से किसी एक या सभी उपाय के जरिए अगले 2-3 वर्षों में वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त की जाएगी:

* पूर्ण जिम्मेवारी वाले लाभ केन्द्रों का गठन।
* जहां भी आवश्यक हो वहां पंचायत/स्थानीय निकाय/प्रतिनिधि/उपभोक्ता संघ के वितरण को सुपुर्द करना।
* वितरण का निजीकरण
* कोई अन्य माध्यम।

(7) राज्यों द्वारा विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश आमंत्रित करने के प्रयास को वितरण क्षेत्र की ओर केन्द्रित करना आवश्यक है।

(8) वितरण में वर्तमान प्रचालन का दो वर्षों मे बिना लाभ हानि की स्थिति विकसित करना और तत्पश्चात लाभ प्राप्त करना आवश्यक है।

वितरण प्रणाली में सुधार करने एवं पारेषण वितरण हानियों को कम करने के लिए विद्युत यूटीलिटियों को त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) के अंतर्गत निधि मुहैया कराई जा रही है। वर्ष 2000-2001 के दौरान थर्मल एवं हाइड्रो विद्युत केन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा वितरण प्रणाली के सुधार

हेतु 1,000 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई थी और ए.पी.डी.पी. के अंतर्गत वर्ष 2001-02 के दौरान 1500 करोड़ रु. आबंटित किए जाने है। ए.पी.डी.पी. के अंतर्गत पहले चरण में उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुधार हेतु विभिन्न राज्यों में 60 वितरण सर्किलों में कार्य शुरू किए गये हैं। इन अभिज्ञात सर्किलों को "विशिष्ट केन्द्र" के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि वे देश के शेष वितरण सर्किलों के लिए आदर्श नमूने के रूप में स्थापित हो सकें।

सरकार पर्याप्त अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। ताकि उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुधार के लिए देश के सभी वितरण सर्किलों को शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। प्रस्ताव में पारेषण एवं वितरण हानियों में समयबद्ध रूप में कमी, एक कारगर प्रबंधन सूचना प्रणाली का प्रचालन, ऊर्जा लेखा-परीक्षण के जरिए विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही निर्धारण तथा संस्थागत पुनर्गठन शामिल होंगे।

विवरण

राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों में रूपांतरण, पारेषण एवं वितरण संबंधी प्रतिशत हानियां (चोरी जैसी वाणिज्यिक हानियों समेत)

क्षेत्र/रा.वि.बो./विद्युत विभाग	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99*
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी क्षेत्र							
हरियाणा	26.78	25.00	30.80	32.39	32.77	34.04	33.81
हिमाचल प्रदेश	19.51	18.31	18.21	16.09	18.02	20.13	20.13
जम्मू व कश्मीर	48.28	45.69	48.74	47.52	48.27	49.95	47.07
पंजाब	19.24	19.37	16.70	18.49	19.10	18.94	16.83
राजस्थान	22.74	25.00	24.78	29.27	26.28	26.41	29.43
उत्तर प्रदेश	24.43	24.08	21.69	21.84	24.84	26.18	26.86
चण्डीगढ़	26.21	27.27	28.44	33.72	21.88	22.38	अनुपलब्ध
डीवीबी (दिल्ली)	23.56	31.79	34.56	48.57	49.08	47.91	40.0
पश्चिमी क्षेत्र							
गुजरात	22.03	20.34	20.02	20.08	17.14	21.57	19.69
मध्य प्रदेश	21.35	20.26	19.61	17.84	19.24	19.58	20.62
महाराष्ट्र	17.83	16.22	16.33	16.95	16.55	18.75	18.14
दादरा व नगर हवेली	17.98	12.64	11.35	09.31	08.80	12.90	अनुपलब्ध
गोवा	21.85	24.50	26.87	26.06	23.50	31.02	अनुपलब्ध
दमन और दीव	15.67	22.34	16.30	12.80	08.15	14.69	अनुपलब्ध
दक्षिणी क्षेत्र							
आंध्र प्रदेश	19.88	19.91	17.95	19.34	33.19	32.14	31.8

1	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक	19.55	19.55	19.41	19.06	18.73	19.31	30.08
केरल	21.95	20.00	20.05	21.12	20.59	18.73	17.75
तमिलनाडु	17.50	17.18	17.11	16.19	17.65	17.29	16.9
लक्षद्वीप	18.72	16.99	17.84	17.23	15.11	15.70	अनुपलब्ध
पाण्डिचेरी	15.31	15.80	15.00	16.54	17.38	13.56	अनुपलब्ध
पूर्वी क्षेत्र							
बिहार	22.00	20.35	19.76	15.91	25.31	16.26	23.0
उड़ीसा (ग्रिडको)	25.25	22.43	23.03	24.17	50.15	50.10	48.44
सिक्किम	22.55	22.60	21.22	16.47	29.24	22.87	
पश्चिम बंगाल	24.87	20.82	21.15	19.26	18.01	19.67	25.5
अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	23.62	23.71	22.38	19.25	19.15	20.59	अनुपलब्ध
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र							
असम	21.41	22.44	24.18	26.91	25.97	27.32	23.0
मणिपुर	22.35	23.92	25.30	24.85	22.95	21.09	अनुपलब्ध
मेघालय	11.79	18.03	18.47	12.55	19.75	12.28	20.17
नागालैंड	27.26	33.45	36.12	35.17	26.81	29.79	अनुपलब्ध
त्रिपुरा	30.64	30.53	31.96	30.86	30.11	31.11	अनुपलब्ध
अरुणाचल प्रदेश	32.32	42.04	45.30	37.12	32.62	34.10	अनुपलब्ध
मिजोरम	29.04	31.89	29.76	25.18	34.35	46.84	अनुपलब्ध
अखिल भारत (यूटिलिटी)	21.80	21.41	21.13	22.27	24.53	24.79	25.62

*जैसा कि रा.वि.बो./विद्युत विभाग द्वारा सूचित किया गया और ऊर्जा की अंतर्राज्यीय बिक्री की मिलान करने के पश्चात् परिवर्तन आधारित है तथा यह अनंतिम है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों पर "मिनरल वाटर" की आपूर्ति

***246. श्रीमती शीला गौतम :**
श्री जयभान सिंह पवैया :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में "मिनरल वाटर" की आपूर्ति का ठेका किन नियमों के अन्तर्गत और यह कितनी अवधि के लिए दिया जाता है;

(ख) क्या रेलवे स्टेशनों और रेलगाड़ियों में बेचे जाने वाले "मिनरल वाटर" की नियमित रूप से जांच की जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को गत दो वर्षों के दौरान दूषित मिनरल वाटर की आपूर्ति के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त जांच से क्या निष्कर्ष निकले और इस संबंध में दोषी पाये गए व्यक्तियों/फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) वर्तमान नीति संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, रेलें भारतीय मानक विशिष्टि सं. 14543 वाले सीलबंद पेय जल और भारतीय मानक विशिष्टि सं. 13428 वाले प्राकृतिक मिनरल वाटर की खरीद एवं सप्लाई करती हैं। विभागीय इकाइयों के लिए निविदा प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है तथा सामान्यत: एक वर्ष की अवधि के लिए ठेके दिए जाते हैं। बहरहाल, प्राइवेट लाइसेंसधारियों को बोतलों अथवा पैकेटों में आई.एस.आई. मार्क वाले किसी भी पेय/प्राकृतिक मिनरल वाटर, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित है, के विपणन की अनुमति दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान सभी भारतीय रेलों पर 15 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(च) जी हां।

(छ) की-गई-कार्रवाई:-

जुर्माना लगाया गया	–	7
सप्लाई वापिस ले ली गई	–	4
चेतावनी जारी की गई	–	2
परीक्षण रिपोर्टों की प्रतीक्षा है	–	2

[अनुवाद]

राज्यों को आवंटन के लिए केन्द्रीय योजना

*247. **श्री के. मुरलीधरन :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भुगतान देयताओं के कारण विद्युत क्षेत्र में राज्यों के लिए केन्द्रीय योजना आवंटन में भारी कटौती करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) मार्च, 2001 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह महसूस किया कि राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) को भुगतान की जाने वाली वृहत् बकाया राशि का भुगतान नहीं होना विद्युत क्षेत्र के सुधार में एक बड़ी बाधा है। अत: सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के नाम बकाया राशि के एकमुश्त भुगतान की सिफारिश के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया जाएगा। श्री मान्टेक सिंह अहलुवालिया की अध्यक्षता में विशेषज्ञ दल गठित किया गया। दल ने बकाया राशियों के भुगतान के लिए एक तंत्र से जुड़े एक स्कीम का प्रस्ताव किया जिससे कि भविष्य में वर्तमान देय राशि का भुगतान भी सुनिश्चित हो सके। दल की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी बॉण्डों के जरिए बकाया राशियों का प्रतिभूतिकरण भी शामिल था। वर्तमान बिलिंग के संबंध में दल ने अनुशंसा की है कि बिलिंग की तारीख से 60 दिन के विलम्ब की स्थिति में आपूर्तियों का विनियमन और बिलिंग की तारीख से 90 दिन के विलम्ब की स्थिति में केन्द्रीय अंतरण में कटौती की जाए।

एक उच्चाधिकार प्राप्त मुख्य मंत्रियों के दल ने सिफारिशों पर विचार किया और कुछ संशोधनों के साथ इसे स्वीकृति दे दी।

उक्त स्कीम के क्रियान्वयन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर हेतु राज्यों के साथ बातचीत की जा रही है। केन्द्रीय संसाधन अंतरण से कटौती का प्रश्न तब उत्पन्न होगा यदि स्कीम के चालू होने के बाद भी चूक हो।

कर्षण में विद्युत ऊर्जा खपत पर निगरानी

*248. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री चन्द्र विजय सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा अभी कर्षण में विद्युत ऊर्जा खपत पर निगरानी रखने के लिए नियंत्रण तंत्र विकसित किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंजनों में विद्युत ऊर्जा की खपत पर निगरानी रखने हेतु ऊर्जा मीटरों का कोई प्रावधान नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे द्वारा ऊर्जा की खपत के लिए अपनाया गया विशिष्ट मानक त्रुटिपूर्ण है;

(ङ) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य विद्युत बोर्डों ने रेलवे से अन्य बड़े उपभोक्ताओं की अपेक्षा उच्चतर टैरिफ वसूल किया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार राज्य विद्युत बोर्डों को अधिक भुगतान न करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी नहीं। कर्षण के लिए ली जाने वाली बिजली पर पूर्ण नियंत्रण है। उन सभी उपस्टेशनों पर, जहां से कर्षण के लिए बिजली ली जाती है, बिजली कर्षण में उपयोग होने वाली ऊर्जा पर निगरानी रखने के लिए बिजली ऊर्जा मीटर लगाए गए हैं। बिजली आपूर्ति प्राधिकरण के कार्मिकों के साथ संयुक्त रूप से इन मीटरों की आवधिक जांच की जाती है। कर्षण के लिए उपयोग होने वाली बिजली ऊर्जा की निगरानी का, गाड़ी की गति, सिगनलों के कारण लगाए जाने वाली ब्रेक संबंधी अपेक्षाओं और इंजन द्वारा खीचें जाने वाले भार के साथ गहरा संबंध होता है। नियंत्रण संबंधी कार्य विभिन्न उपस्टेशनों से ली गई कुल ऊर्जा और वास्तव में संचलित यातायात की आवधिक समीक्षा करके संपन्न किया जाता है।

(ख) और (ग) चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में निर्मित 3-फेज बिजली इंजनों के सभी नए मॉडलों में बिजली ऊर्जा मीटर लगाए जा रहे हैं, पहले के मॉडलों में, कुछ बिजली रेल इंजनों में बतौर परीक्षण, ऊर्जा मीटरों की व्यवस्था की गई थी। रेल इंजन के भीतर 25 किलो वोल्ट पर बिजली ऊर्जा को मापने संबंधी जटिलताओं के कारण पहले उपलब्ध ऊर्जा मीटर उपभोक्ताओं के अनुकूल नहीं पाए गए थे और ये मीटर कड़ी परिचालन परिस्थिति की सभी अपेक्षाओं को भी पूरा नहीं करते थे। विभिन्न क्षेत्रों में माइक्रोप्रोसेसर अनुप्रयोगों के आने से यथोचित लागत पर ऊर्जा मीटरों को उपभोक्ताओं द्वारा सीधे ही पढ़ने की सुविधा के कारण बोर्ड पर लगाना अब संभव हो गया है। खपत के स्वरूप का अधिक सार्थक मूल्यांकन करने के लिए ऊर्जा मीटर संबंधी कार्यों को गति मापी उपकरणों के साथ एकीकृत करना भी संभव हो गया है। माइक्रोप्रोसेसर आधारित गति और ऊर्जा निगरानी प्रणालियों के लिए विशिष्ट तैयार कर ली गई है और सफल सेवा परीक्षणों के पश्चात् प्रोटोटाइप भी अनुमोदित कर दिए गए हैं।

(घ) जी नहीं। कर्षण के लिए ली जाने वाली बिजली ऊर्जा को मापने का कार्य आपूर्ति स्थलों पर किया जाता है। कर्षण नेटवर्क अथवा रेल इंजनों से ऊर्जा की बेहिसाब निकासी की कोई गुंजाइश नहीं है। समय-समय पर विभिन्न सेवाओं में खपत होने वाली बिजली ऊर्जा को मापने के लिए अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन उपकरणों के माध्यम से परीक्षण करता है। इन परीक्षणों के आधार पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं, उदाहरणार्थ उपनगरीय गाड़ियों, लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों आदि, में बिजली ऊर्जा की सापेक्ष खपत के संविभाजन के लिए मानदंडों को अद्यतन किया जाता है।

ऐसा संविभाजन ली गई कुल ऊर्जा, जो आपूर्ति प्राधिकारियों द्वारा आपूर्ति के प्रत्येक बिंदु पर मापी जाती है, को परिवर्तित नहीं करता है।

(ङ) यह सत्य है कि कुछ राज्य बिजली बोर्ड अन्य थोक उपभोक्ताओं की अपेक्षा रेलों से उच्चतर टैरिफ की वसूली करते हैं। इस समय रेलें 17 राज्यों में स्थित 17 राज्य बिजली बोर्डों और तीन अन्य बिजली कंपनियों से कर्षण पावर खरीद रही हैं। इन 17 राज्यों में से 12 राज्यों में राज्य बिजली विनियामक आयोग कार्य कर रहे हैं। जब कभी राज्य बिजली बोर्डों/वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा, रेलों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं के प्रस्तुतियों की जांच करने के पश्चात् प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं तो ये राज्य बिजली विनियामक आयोग टैरिफ का आवधिक रूप से संशोधन करते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य बिजली विनियामक आयोग के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के पश्चात् रेलें 3 राज्यों में टैरिफ में कटौती करवाने, 2 राज्यों में इसकी वृद्धि का परिहार करने और 2 राज्यों में इसकी वृद्धि को सीमित रखने में सफल हुई हैं। बहरहाल, रेलें अभी तक युक्तिसंगत टैरिफ हासिल कर पाने में पूरी तरह सफल नहीं हुई हैं जैसा कि विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 29 में विधान है, जिसके अनुसार टैरिफ में उत्तरोत्तर बिजली आपूर्ति की लागत परिलक्षित होनी चाहिए। पांच राज्यों से कर्षण टैरिफों में कटौती के संबंध में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

(च) युक्तिसंगत स्तर तक टैरिफ कम करने के लिए अलग-अलग बिजली विनियामक आयोगों के साथ मामलों की पैरवी करने के अलावा रेलें राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, न्यूक्लीयर पावर कॉर्पोरेशन, आदि केन्द्रीय उत्पादन एजेंसियों से सीधी बिजली प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं।

नवंबर, 2000 से उत्तर रेलवे के गाजियाबाद-कानपुर खंड के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से कम लागत पर सीधी आपूर्ति प्राप्त करके रेलों को पहले ही उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हो चुकी

है। अन्य स्थानों से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और न्यूक्लीयर पावर कार्पोरेशन से बिजली प्राप्त करने के प्रस्तावों पर ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

न्यायालयों में लंबित मामले

***249. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न न्यायालयों में कम से कम तीन करोड़ मामले लम्बित पड़े हैं और सरकार स्वयं ऐसे अधिकांश मामलों में वादी है;

(ख) क्या लंबित मामलों में वृद्धि विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों तथा न्यायिक अधिकारियों के पदों को न भरे जाने तथा न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण, न्यायालयों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल और वकीलों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई की तारीख के आस्थगन के कारण हुई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश के विभिन्न न्यायालयों में लगभग 2.39 करोड़ मामले लंबित हैं।

जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में अधिकांश मामलों में और उच्च न्यायालों तथा उच्चतम न्यायालय में बड़ी संख्या में मामलों में सरकार अनिवार्यत: एक पक्षकार है।

(ख) न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों में लंबित मामलों की संख्या में, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के पदों के न भरे जाने, वकीलों आदि की अनुपस्थिति के कारण मामलों के स्थगन जैसी अनेक बातों के कारण वृद्धि हुई हैं। मामलों के लंबित रहने के अन्य कारण भी हैं, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ नागरिकों में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ी हुई जागरूकता के कारण बड़ी संख्या में मामलों का संस्थित किया जाना, जनसंख्या में वृद्धि औद्योगिक और कारबार संबंधित क्रियाकलाप में वृद्धि होना, सामाजिक-आर्थिक विकास, सभी स्तरों पर नागरिकों के जीवन से संबंध रखने वाले विधायी और प्रशासनिक पहलू, मुकदमा लड़ने वालों की प्रवृत्ति, वकीलों की हड़ताल, आदि भी हैं। न्यायालयों के कर्मचारिवृंद द्वारा हड़तालों और न्यायिक अधिकारियों के अंतरण का भी मामलों के लंबित रहने पर सीमित प्रभाव हो सकता है।

(ग) सरकार और न्यायपालिका दोनों ने ही प्रक्रियाओं को सरल बनाने और कम खर्चीला तथा शीघ्र न्याय प्रदान करने की दृष्टि से न्यायालयों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। सरकार न्यायालयों में बकाया मामलों के संचयन का भी लगातार पुनर्विलोकन करती रही है। सरकार ने समय-समय पर न्यायाधीशों की पदसंख्या में वृद्धि करने के साथ ही विवाद समाधान के वैकल्पिक ढंगों को भी स्थापित किया है/ बढ़ावा दिया है, जिसके अंतर्गत सुलह, मध्यक्ता और माध्यस्थम् भी हैं। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राज्य प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपील अधिकरण, श्रम न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय, आदि जैसे विशेष अधिकरण स्थापित किए गए हैं। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए मुकदमा लड़ने वालों/ अधिवक्ताओं, आदि को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुकदमा-सूचियां तैयार करने में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है।

लंबे समय से लंबित मामलों के विशेष रूप से सेशन मामलों और जेलों में बंद विचारणाधीन कैदियों के मामलों, त्वरित निपटान के लिए त्वरित निपटान न्यायालय स्थापित किए गए हैं। सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे मामलों में जिनमें वे पक्षकार हैं, अधिनियमों/उनके द्वारा प्रशासित विधियों का पुनर्विलोकन करने, समय पर प्रति शपथ-पत्र दाखिल करने और अनावश्यक स्थगनों से बचने जैसे आवश्यक उपाय करें।

उपग्रह समाचार संग्रहण एकक (एस.एन.जी.)

***250. डा. चरणदास महंत: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों को उपग्रह समाचार संग्रहण एकक (सेटेलाइट न्यूज गैदरिंग यूनिट) की सुविधा प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) उपग्रह समाचार संग्रहण (एस एन जी) एककों में पोर्टेबल उपग्रह अपलिंकिंग उपकरण होते हैं जिन्हें इष्टतम उपयोग के लिए देश के किसी भी भाग में आसानी से ले जाया जा सकता है। इन्हें आवश्यकता अनुसार इधर-उधर ले जाया जाता है। इस समय दूरदर्शन नेटवर्क में सात उपग्रह समाचार संग्रहण एकक हैं।

[अनुवाद]

गोला-बारूद डिपुओं में आग

*251. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन गोला-बारूद डिपुओं का ब्यौरा क्या है जहां पिछले तीन माह के दौरान आग लगी है और उनमें कितनी हानि हुई;

(ख) क्या ऐसी सभी दुर्घटनाओं की कोई जांच करायी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) पिछले तीन महीनों में गोलाबारूद डिपुओं में आग लगाने की कोई घटना नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बुक किए गए सामान की चोरी

*252. **कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तोड़-फोड़ के अतिरिक्त बुक किए गए सामान की चोरी और यात्रियों को लूटे जाने के मामलों की संख्या में वृद्धि पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रेलवे में अपराधों में वृद्धि के कारणों का पता लगाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) श्रीमन्, बुक किए गए परेषणों की चोरी, यात्रियों के लूटे जाने और तोड़-फोड़ की घटनाओं की ओर सरकार ने ध्यान दिया है, लेकिन इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि उपर्युक्त अपराधों से संबंधित मामलों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

काम, शिक्षा और स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाना

*253. **डा. अशोक पटेल:** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काम, शिक्षा और स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) छह से चौदह वर्ष के आयु समूह के बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने के लिए लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया "संविधान (तिरानवेवां संशोधन) विधेयक, 2001" नामक विधेयक इसके द्वारा पारित किया जा चुका है।

तथापि, स्वास्थ्य के अधिकार और कार्य के अधिकार को मूल अधिकारों के रूप में सम्मिलित किए जाने के लिए संविधान का संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विद्युत वित्त निगम

*254. **श्री लक्ष्मण गिलुआ:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विद्युत असंतुलन कम करने में विद्युत वित्त निगम को कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्यों को राज्य-वार और वर्ष-वार कितना-कितना ऋण प्रदान किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) से (ग) विकासात्मक वित्तीय संस्थान के रूप में पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्त पोषण

करता रहा है। नई क्षमताओं का सृजन करने, पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का सृजन करने तथा विद्युत प्रणाली में सुधार करने के लिए राज्य, निजी और केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटियों को ऋण प्रदान किये जाते हैं। 31 मार्च, 2001 तक पीएफसी ने कुल 30674 करोड़ रुपये के लिए 1163 ऋणों को स्वीकृत किया है और इसमें से 19221 करोड़ रुपये का संवितरण किया जा चुका है। विद्युत पर इस वित्तपोषण का प्रभाव विवरण-I के रूप में संलग्न है।

पीएफसी ने विभिन्न राज्यों और विद्युत यूटिलिटियों की पुनर्संरचना और सुधार में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की है। पीएफसी उत्तर-पूर्वी राज्यों में विद्युत परियोजनाओं के वित्तपोषण पर भी जोर प्रदान कर रही है और रियायती ऋण भी प्रदान करती है।

पीएफसी त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एण्ड एसपी) का क्रियान्वयन कर रही है जिसके अतंर्गत 4% ब्याज आर्थिक सहायता (उत्तर-पूर्व के लिए 5%) सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है ताकि पीएफसी से किफायती वित्तपोषण से दुर्बल परियोजनाओं और महत्वपूर्ण पारेषण लिंकों को पूरा कि जा सके। ऐजी एण्ड एसपी के अंतर्गत पीएफसी ने राज्य और केन्द्रीय विद्युत यूटिलिटियों में अभी तक 9532 मेवा नई क्षमता अभिवृद्धि के लिए सहायता प्रदान की है। 31 मार्च, 2001 की स्थितिनुसार 9वीं योजना के दौरान ऐजी एण्ड एसपी के अंतर्गत 4174 मेवा पहले ही चालू की जा चुकी है।

नये त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के अंतर्गत राज्यों को भारत सरकार से वर्ष 2000-01 में लगभग 1000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस वित्तीय वर्ष के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ऐसी प्रत्याशा है कि राज्य एपीडीपी के अंतर्गत आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं के लिए पीएफसी समेत वित्तीय संस्थानों से इतनी ही निधियां जुटा लेंगे। एपीडीपी कक्ष पीएफसी में स्थित किया गया है।

गत तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों को स्वीकृत किये गये ऋणों की धनराशि का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

पावर फाइनेंस कारपोरेशन के वित्त पोषण का प्रभाव (31 मार्च, 2001 तक)

श्रेणी	2000-2001	मार्च, 2001 तक संचयी
1	2	3
नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार		
जल विद्युत (मि.यू/वार्षिक अभिवृद्धि)	802	5786
ताप विद्युत (मि.यू/वार्षिक अभिवृद्धि)	2378	8347
(मि.यू/वार्षिक अभिवृद्धि)	3180	14133
पारेषण एवं वितरण		
एचटी एमवीएआर कैपेसिटर्स	1197	11752
एलटी एमवीएआर कैपेसिटर्स	10	1136
कुल कैपेसिटर्स (एमवीएआर)	1207	12888
एमवीए पारेषण रूपांतरण क्षमता	2629	32964
एमवीए पारेषण रूपांतरण क्षमता	71	5983
कुल रूपांतरण क्षमता (एमवीए)	2700	38947
सर्किट कि.मी. पारेषण लाइन	3265	24764
सर्किट कि.मी. वितरण लाइन	228	5946
जोड़ सर्किट कि.मी. लाइन (सर्किट कि.मी.)	3493	30710

1	2	3
उत्पादन		
जल विद्युत (मेगावाट)	1058	2701
ताप विद्युत (मेगावाट)	985	13120
कुल विद्युत उत्पादन (मेगावाट)	2043	15821

विवरण-II

वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-01 के लिए श्रेणीवार संवितरण

(लाख रुपये में)

ऋणी	1998-99 के दौरान	1999-2000 के दौरान	2000-2001 के दौरान
1	2	3	4
हरियाणा	8730	20249	10194
हिमाचल प्रदेश	2922	9686	5860
जम्मू व कश्मीर	0	0	2089
पंजाब	22060	28378	15873
राजस्थान	35583	29560	72393
उत्तर प्रदेश	5155	4660	155
गोवा	372	984	849
गुजरात	31543	11820	14011
मध्य प्रदेश	21270	18003	9492
महाराष्ट्र	42916	37390	14093
सीएसईबी	1121	7813	974
आंध्र प्रदेश	15017	41035	34927
कर्नाटक	31063	25439	27287
केरल	2482	613	817
तमिलनाडु	14496	17277	26609
बिहार	0	0	0

1	2	3	4
उड़ीसा	16970	11247	3190
सिक्किम	0	0	0
पश्चिम बंगाल	5232	6071	13666
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
असम	0	4474	1152
मणिपुर	0	0	0
एसईएसईबी	8	8	8
मिजोरम	1171	32	0
नागालैंड	1266	1402	2495
बीएसईएस	4750	9994	0
एसएमएचपीपी माहे	2000	2463	5470
कोंडापल्ली	2500	14149	5565
एनजेपीसी	0	13800	12500
एनएचपीसी	0	0	0
नीपको	0	13558	8527
एनटीपीसी	0	0	10500
पीजीसीआईएल	0	0	10000
जीआईपीसीएल	0	1800	0
जयपीएचपीएल	6000	3000	4000
मलाना पीसी	0	0	2500
बालाजी	0	0	7808
कुल जोड़	264617	334895	322995

कार्यशील पूंजी शामिल है
एफसीएल शामिल है।

[अनुवाद]

विद्युत सुधार

***255. श्री रामशेठ ठाकुर:**

श्री टी.एम. सेल्वागनपति:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ने विद्युत क्षेत्र से संबंधित सुधार उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों के साथ कोई बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में सुधारों के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को जारी किए गए निर्देश का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या राज्य सरकारें इन सुधारों को लागू करने पर सहमत हो गयी हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभू): (क) से (च) जी हां। 3.3.2001 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में इस बात पर आम सहमति थी कि विद्युत क्षेत्र सुधारों को राजनीति से अविलंब मुक्त करने की और इन सुधारों में गति लाने की आवश्यकता है। सम्मेलन में पारित संकल्प संलग्न विवरण में दिया गया है। संकल्प की एक प्रति क्रियान्वयन हेतु सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

उन्नीस राज्यों, नामश: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल ने समयबद्ध रूप में विद्युत क्षेत्र सुधार शुरू करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापनों में संबंधित राज्यों ने विद्युत क्षेत्र सुधार शुरू करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दर्शाई है। लक्ष्यों के अंतर्गत राज्य विद्युत विनियामक आयोग, 11 केवी के सभी फीडरों का मीटरीकरण, 100% उपभोक्ताओं का मीटरीकरण, ऊर्जा लेखा-परीक्षण, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी, वितरण क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करना आदि शामिल हैं। भारत सरकार ने केन्द्रीय जेनरेटिंग स्टेशनों से अतिरिक्त विद्युत का आवंटन कर तथा पारेषण प्रणाली विकसित करने के लिए सहायता देने की प्रतिबद्धता दी है और उप-पारेषण एवं वितरण के सुदृढ़ीकरण के लिए तथा थर्मल एवं हाइडल विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) के माध्यम से वित्तीय सहायता देने की प्रतिबद्धता दी है।

विवरण

3 मार्च, 2001 को मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन का संकल्प

1. मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों में विद्युत क्षेत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु यह सहमति हुई कि विद्युत सुधारों को राजनीति से अलग करने की नितांत आवश्यकता है तथा उनके कार्यान्वयन में तेजी लाएं। इस परियोजना के लिए सर्वदलीय सहमति सृजित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री से राज्य विधानसभाओं में विपक्ष के नेताओं समेत एक सर्वदलीय बैठक करने का अनुरोध किया गया।

2. निम्नलिखित संकल्प किए गए:

क. सभी गांवों तथा घरों का विद्युतीकरण पूरा किया जाना:

(1) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत ग्राम विद्युतीकरण को एक आधारभूत न्यूनतम सेवा के रूप में माना जाए।

(2) दसवीं योजना के अंत तक अर्थात् वर्ष 2007 तक ग्राम विद्युतीकरण को पूरा कर लिया जाए।

(3) ग्यारहवीं योजना के अंत तक अर्थात् 2012 तक के लिए सभी घरों को बिजली पहुंचाने के लिए लक्षित किया जाए।

(4) जहां कहीं भी अपेक्षित हो विद्युतीकरण के कार्य को हाथ में लेने के लिए गांव/ब्लॉक पंचायत की सहमति के साथ ग्राम विकास कार्यक्रम के तहत् निधियों का उपयोग करने के लिए राज्य का पूर्ण विद्युतीकरण प्राप्त करने हेतु नम्यता प्रदान की जाए।

(5) यह सहमति हुई कि राज्यों में दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण के लिए अनुदान सहायता समेत वित्त पोषण के विशेष तरीकों की आवश्यकता होगी।

(ख) वितरण सुधार:

प्रबंधन तथा सुधारों की चुनौती की वास्तविक समस्या वितरण क्षेत्र में पड़ती है:

(1) अगले छ: महीनों के भीतर सभी 11 के.वी. फीडरों पर ऊर्जा लेखा परीक्षा को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाए तथा स्थानीय स्तर पर जिम्मेवारी निर्धारित की जाए।

(2) इस प्रयोजन के लिए एक प्रभाव प्रबंधन सूचना प्रणाली को कार्यरूप देने की आवश्यकता है।

(3) अगले दो वर्षों में विद्युत चोरी का पता लगाने तथा इसे समाप्त करने के लिए उपरोक्त आधार पर एक प्रभावी कार्यक्रम लागू किए जाने की आवश्यकता है।

(4) सभी उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाने के कार्य को दिसम्बर, 2001 तक पूरा किया जाए। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किये जाएं।

(5) संभरित विद्युत की गुणवत्ता पर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को, एपीडीपी तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से शीघ्र सुधारे जाने की आवश्यकता है।

(6) निम्नलिखित में से एक अथवा सभी के माध्यम से दो अथवा तीन वर्षों में वितरण व्यवहारिता को प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है:

- पूरी जिम्मेवारी के साथ लाभ केन्द्र सृजित करके पंचायतों/स्थानीय निकायों/मतदाता संघ/उपभोक्ता संघ/जहां पर आवश्यक हो स्थानीय वितरण को सौंपा जाए,
- वितरण का निजीकरण करके,
- अथवा किसी अन्य साधन से।

(7) राज्यों द्वारा अगर आवश्यक हो विद्युत के वितरण में निजी निवेश आमंत्रित करने पर ध्यान देने के प्रयासों पर जोर देने की आवश्यकता है।

(8) वितरण पर वर्तमान प्रचालन को दो-वर्षों में छोड़े जाने की आवश्यकता के अनुरूप सकारात्मक लाभ प्राप्त किए जायें।

(ग) विनियामक आयोगों द्वारा टैरिफ निर्धारण एवं आर्थिक सहायता:

(1) राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को अगले छ: महीने में कार्यात्मक बनाया जाए तथा टैरिफ संबंधी याचिका दायर की जाए। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेशों को पूरी तरह से क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है जब तक कि इन्हें न्यायालय के आदेश द्वारा स्थगित अथवा आस्थगित नहीं कर दिया जाता। नि:शुल्क विद्युत प्रदान करने की प्रणाली से मुक्ति पाने की आवश्यकता है।

(2) केवल बजट प्रावधानों के जरिए आर्थिक सहायता का भुगतान करने की राज्य सरकार की क्षमता की सीमा तक ही आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

(3) 50 पैसे के न्यूनतम कृषि टैरिफ को मुख्य मंत्रियों के पिछले निर्णय को तत्काल क्रियान्वित किया जाए।*

*पंजाब और तमिलनाडु सहमत नहीं हुए।

(घ) उत्पादन:

(1) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के जरिए विद्यमान संयंत्रों के पीएलएफ में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

(2) कम समय में उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र निवेश में वृद्धि करने का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि उत्पादन में वृहत् स्तर निजी निवेश केवल सुधारों के वित्तीय व्यवहार्यता पुन: प्राप्त करने में सफल होने के पश्चात् ही आएगा। केन्द्र और राज्यों को 10वीं योजना के लिए परिव्यय में वृद्धि के बारे में उपयुक्त निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। उन/स्थलों पर निवेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो विशेषत: जल विद्युत परियोजनाओं और पिट-हैड ताप विद्युत उत्पादन के लिए सबसे सस्ती विद्युत उत्पादित करते हैं। के.वि.प्रा. ने 2012 तक 100,000 मे.वा. की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की आवश्यकता का आकलन किया है।

(3) जहां राज्य और वित्तीय संस्थान आईपीपी के विकास की आवश्यकता पर सहमत हैं, वहां उन्हें शीघ्र ही वित्तीय समापन करने के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। केन्द्र सुधार आधारित, बहु-पक्षीय करारों को अंतिम रूप दिए जाने को सरल एवं कारगर बनाएगा।

(4) एक राष्ट्रीय ग्रिड का विकास विद्युत के अंत:क्षेत्रीय अंतरण के लिए उच्च प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिए जाने की आवश्यकता है।

(5) विद्युत तथा अन्य परियोजनाओं के तेजी से पूरा करने के लिए वन सुरक्षा अधिनियम में कुछ प्रावधानों को संशोधित करने की अपेक्षा है।

(ङ) ऊर्जा संरक्षण तथा मांग पक्ष प्रबंधन:

निम्नलिखित के माध्यम से मांग पक्ष प्रबंधन के क्षेत्र में एक प्रभावी कार्यक्रम को आरंभ किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ समुचित लोग, जागरूकता तथा व्यापक प्रयास किए जाएं:

- ऊर्जा दक्ष बल्ब, ट्यूब लाईट तथा कृषि पम्पसेट, शिखर तथा गैर-शिखर घंटों के लिए अलग-अलग टैरिफ और दिन के समय बिजली की मीटरिंग।

(च) भारत सरकार से समर्थन:

(1) भारत सरकार राज्यों को उनके सुधार प्रयासों में सहयोग देगी। यह सहयोग तभी होगा, जब राज्यों में समयबद्ध

विद्युत सुधारों के प्रयासों से लिंक होगा तथा वित्तीय व्यवहार्यता की बहाली के प्रति निश्चित मील के पत्थर के समान लिंक होगा।

(2) पीएफसी तथा आरईसी की ब्याज दरों को बाजार की स्थितियों के अनुरूप कम किया जाएगा।

(3) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सभी विद्युत क्षेत्र के पिछली बकाया राशियों के लिए सार्वजनिक-क्षेत्र के उपक्रमों से राज्य विद्युत यूटिलिटियों की देय बकाया राशियों का एक ही बार में निपटान हेतु संस्तुति के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन सुधारों के कार्यकरण के साथ जोड़ा आएगा। यह दल अपने गठन की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा।

(छ) केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से आपूर्ति:

केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की सतत् आपूर्ति को चालू खरीद के लिए अभिज्ञात करने की क्षमता प्रदर्शित करने के साथ तथा पिछली बकाया राशियों के प्रतिभूतिकरण के साथ जोड़ा जाएगा।

(ज) उच्च स्तरीय शक्ति प्राप्त दल:

विद्युत मंत्री तथा कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लेकर एक उच्चस्तरीय शक्ति प्राप्त दल को गठन सुधारों के समन्वयन, मॉनीटर तथा कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए किया जाएगा।

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजना में नियोजित व्यक्ति

***256. श्री महेश्वर सिंह:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा चलाई जा रही सभी जल विद्युत परियोजनाओं में संबंधित राज्यों के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक विभिन्न राज्यों में विशेषकर हिमाचल प्रदेश, में परियोजना-वार और श्रेणी-वार कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभू): (क) और (ख) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ करारों/समझौतों के अनुरूप अपनी परियोजनाओं में स्थानीय जनता को रोजगार प्रदान किया है। नई परियोजनाओं में नये रोजगार की संभावना सीमित है क्योंकि एनएचपीसी को पूरी हो चुकी/चालू परियोजनाओं से अधिशेष कर्मचारियों को नयी परियोजनाओं में पुन: तैनात किए जाने की आवश्यकता है।

हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ हुए करारों/समझौतों के अनुरूप एनएचपीसी ने चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-1 में वर्ग-3 एवं 4 में 700 व्यक्तियों को तथा चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-2 में वर्ग-4 में 8, उत्तरांचल में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना में 36 व्यक्तियों, सिक्किम में रंगित जल विद्युत परियोजना में 12 व्यक्तियों तथा झारखण्ड में कोयल कारो परियोजना में 59 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है।

[अनुवाद]

सवारी डिब्बों का हटाया जाना

***257. श्री एन.टी. षणमुगम:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एल्सटम, एलएचबी से स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के लिए आयात किए गए डिब्बों को हटा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके कारण कितनी हानि होने का अनुमान है;

(ग) सरकार द्वारा विनिर्माता से हानि की वसूली करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार): (क) जी हां। दिल्ली-लखनऊ शताब्दी गाड़ी से मैसर्स एलस्टॉम/एल एच बी सवारी डिब्बों को हटा लिया गया था और इस गाड़ी को परंपरागत सवारी डिब्बों के साथ चलाया जा रहा है। एल एच बी सवारी डिब्बों की खरीद एक विशेष उच्च क्षमता, टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर वाले सवारी डिब्बों के रूप में की गई थी। ये कपलर अपेक्षाकृत अधिक सवारी डिब्बों वाली गाड़ियों (26 सवारी डिब्बों) को चलाने में सक्षम होंगे। एंटी-क्लाईबिंग विशेषताओं के कारण ये कपलर गंभीर दुर्घटनाओं के दौरान यात्रियों की जीवन-हानि और/या चोटों को यदि पूर्णतया समाप्त करने में सफल नहीं भी होते तो भी इन्हें न्यूनतम करने में अवश्य सहायक होंगे। ये कपलर देश में पहली बार उपयोग में लाए गए हैं। चालन के कुछेक सप्ताहों के पश्चात् कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थीं। एलस्टॉम एल एच बी के विशेषज्ञों द्वारा रेलवे कार्मिकों के गहन समन्वय के साथ इन समस्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया है और आवश्यक आशोधन कर दिए गए हैं ताकि इन्हें भारतीय परिस्थितियों

के अनुकूल बनाया जा सके। सप्लायर ने उपर्युक्त सेवाएं संविदागत दायिताओं के अंतर्गत नि:शुल्क उपलब्ध कराई हैं। ये सवारी डिब्बे अब गाड़ी सेवा में पुन: लगाए जाने के लिए तैयार हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

***258. श्री पी.आर. खूंटे:**
श्री पुन्नू लाल मोहले:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जल विद्युत परियोजनाओं को तीव्रता से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने हेतु सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली (सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम) प्रारंभ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुरेश प्रभु): (क) और (ख) जल विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति में कई सांविधिक तथा राज्य एजेंसियों की भागीदारी को देखते हुए इस तरह की परियोजनाओं के लिए सिंगल विन्डो स्वीकृति को संभव नहीं पाया गया है। एक से अधिक राज्य पर प्रभाव डालने वाली जल विद्युत परियोजनाओं के लिए संबंधित राज्यों के साथ परामर्श की आवश्यकता होती है। तथापि, सरकार ने भारत सरकार एजेंसियों के भीतर ही स्वीकृतियां प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बना दिया है तथा अंतिम समस्याओं के समाधान के लिए एक संकट समाधान दल का भी गठन किया है। केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाओं हेतु एक त्रि-स्तरीय प्रक्रिया भी आरंभ की गयी है।

[अनुवाद]

'मैन ऑफ आर्ट्स' पेंशन

***259. श्री चन्द्रकांत खैरे:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार 'मैन ऑफ आर्ट्स' नामक केन्द्रीय पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) ऐसी पेंशन प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में, चालू वर्ष के दौरान और अधिक व्यक्तियों को ऐसी पेंशन प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये जायेंगे?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) महोदय, साहित्य. कला तथा इसी प्रकार के अन्य व्यवसायों में प्रतिष्ठित ऐसे व्यक्तियों जो दीन-हीन परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रहे हैं तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम के तहत लाभार्थियों के नाम बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) निर्धारित मानदण्ड इस प्रकार हैं:

1. आवेदक ने साहित्य तथा कला, आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया हो,
2. आवेदक की व्यक्तिगत आय जिसमें उसके पति/पत्नी की आय भी शामिल है, 2000/- रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए,
3. आवेदक की आयु 58 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(ग) गत दो वर्षों में इस स्कीम का प्रचार देश के सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर किया गया है। इस वर्ष सभी राज्य-सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है, से कहा गया था कि उन प्रतिष्ठित कलाकारों के नाम संस्तुत करें जिनको स्कीम के तहत सहायता की आवश्यकता है।

विवरण

केन्द्रीय कोटे की सूची

आन्ध्र प्रदेश

श्री/श्रीमती/कुमारी

1. अजीम राजवी
2. बेवारा गोपीनायडू
3. भगवतुला यग्ना एन. सरमा
4. भुसुरपाल्ली आदिसेशायहा
5. बेदेपल्ली अप्पराव
6. चिन्ता राममूर्ति
7. चिन्ता वेंकटेश्वरलु
8. चुन्दु मधुसूदन राव

9. गर्रे अप्पाराव
10. हनुमान चिपल्ली श्यामला
11. जोस्युला सीतारमैया
12. के. चक्रधर
13. कुनीसेटी हनुमन्त राव
14. कस्तूरी वेंकट सुब्बाराव
15. कलीम सिद्दकी
16. महम कली श्रीमननारायण मूर्ति
17. एम दात्तेय सर्म
18. महम कली सुब्बाराव
19. एम पी राजू
20. निदामनुरी लक्ष्मी नारायण
21. नरसे भद्राचलम
22. पी सत्यनारायण
23. पश्य बोपी रेड्डी
24. पनयम वेंकटराम सरमा
25. पसुमर्ती सुब्राहन्यण शास्त्री
26. पितु वेंकटेश्वर रेड्डी
27. पिंजाला सुब्बाराव
28. परूधावी सिवा बाबधा राव
29. पोल्ला वेंकटसुबाराव
30. राव बालासस्वती
31. राकंदार नरसिम्हा राव
32. आर पी जेम्मी बाबू
33. संदका राजा राव
34. शाइक नसर साहेब
35. तडेपल्ली चन्द्राह
36. तल्लपुडी वेंकट रामन्
37. वेदानतम् सत्यनारायण सरमा
38. यंदाकुर्ती कामेश्वरी
39. ए. मनोहर
40. ए. दामोदर रेड्डी
41. ए. श्यामला देवी
42. बत्तरूला नागाराजू यादव
43. चिन्त सीता रामान्हनेयुला
44. जोस्युला कृष्णामूर्ति
45. के. बच्ची राजू
46. कुरेल्ला लक्ष्मण राव
47. कदकंची पपैया
48. सुशीलाम्मा
49. कुंदुकुरी गंगा राजू
50. मुन्नम नागेश्वर रेड्डी
51. मज्जी रामा राव
52. नित्तला लक्ष्मण राव
53. पी. कामेश्वरी
54. पी.आर. श्रीनिवास
55. पुसरन राममूर्ति
56. पुरूधवी वेंकटेश्वर राव
57. रूक्मबल्ला नरसिम्हा स्वामी
58. सरिडे मणिकयम्मा
59. टी.टी. सीता
60. टेडेपल्ली वेंकन्ना
61. वी.वी.ए. लक्ष्मी
62. येलेस्वरूपु नागेश्वर सरमा
63. भगवतुल्ला राम कृष्णा सरमा
64. दुर्गाप्पा गवुदीगारा
65. सिरी पुरफ प्रसाद राव
66. एन लक्ष्मी नारायण

67. पितचुक कोटा सुब्बा राव

68. टी एल कान्ताराव

असम

69. अमूल्य चन्द्र सरमा

70. खाराम बोराह

71. भारत चन्द्र दास

72. चन्द्र सहरियाह

73. कमल ज्ञान

74. एल चोंगथ हमर

75. परमानन्द बोर बायन

बिहार

76. बहार हुसैन

77. गोविन्द राम शर्मा

78. गुरू लिंगराज आचार्य

79. जर्नादन प्रसाद लाल

80. जय नन्दन जैन

81. रश्मि भूषण "जुनू"

82. सरल रानी

83. विश्व नाथ साहू

84. यशोदा देवी

85. अन्नपूर्णा देवी

86. दाउद अक्तर

87. कोपिया देवी

चंडीगढ़

88. रत्तन शंकर

89. प्रेम प्रकाश

दिल्ली

90. अमर सिंह

91. अनिल सेना गुप्ता

92. अंसार बेगम

93. छोलेलाल

94. दिनेश शर्मा

95. जय गोविन्द सहाय 'उन्मुक्त'

96. कीर्ति कुमारी

97. कृष्ण चन्द आर्यन

98. के. राममूर्ति

99. मजेदा खातून

100. महाजनम् श्रीराममूर्ति

101. मो. जफर हयात लखनवी

102. महमूद जान खान

103. नरेन्द्र सिंह लाल

104. ओमा कौल

105. पन्ना लाल

106. प्रेम प्रकाश

107. रामू

108. रतन शंकर

109. साहिल बरेलवी

110. सालिग्राम गोंसाई

111. सलमा खान

112. उमरदीन

113. वीरेन्द्र सिंह राही

114. विद्या देवी पाठक

115. अशोक कौशिक

116. बृलाल शर्मा

117. बेगम खुर्शीद लतीफ

118. चन्द्र कुमार मलिक

119. जगदीश आर्य

120. लीला मुखर्जी

121. लक्ष्मी देवी

122. लाल सिंह

123. राजकुमारी

120.(क) रेबा मुखर्जी

121.(क) शान्ती

122.(क) श्रवण देवी

123.(क) त्रिलोक सिंह लत्वाल

गोवा

124. दत्ताराम दी कनेकर

125. जॉन क्लारो फर्नांडीस

126. मनोहर नारायण नायक

127. नायक नरसिम्हा

128. प्रसाद रघुवीर सावकर

129. राधाबाई बाई. कामत

130. मनुयेल संतना अगुआर

गुजरात

131. इन्द्रा बेन बेनुबाही पंडी

132. सरोज सी रतोद

133. मिस्त्री दिव्यानी बेन अशोक कुमार

हरियाणा

134. नत्थी सिंह

135. श्रीपाल सुगम

136. झुमन खान

हिमाचल प्रदेश

137. स्वामी रामान्द

138. मंगत राम

कर्नाटक

139. ए.एस. रामकृष्णा

140. अब्दुला अलिअस खुमार क्यूरेश

141. जी.वी. थिम्मरप्पा

142. इस्माली सुल्तान गद्देकर

143. जयलक्ष्मी एम इनामदार

144. के. गुंडा जॉयस

145. एम.आर. रामकृष्णा भगवतरा

146. मल्लपा बासप्पा गनी

147. एन बसन्त कुमार

148. एन.सी. देसाई

149. रामचन्द्र सुब्बया हेगडे

150. एस. नजुंदइया

151. सुभद्रामा मनसूर

152. सोमेश खरय्या एस हीरेमठ

153. शान्ताराम भाऊ श्रीपाद सुनतानकर

154. शरीफा बी.

155. बी.के. शिवैया

156. डी. कनक दुर्गा

157. जॉन पी. अल्फॉसो

158. के. वेंकटलशम्मा

159. काशी बाई भोतप्पागोल

160. काल्लप्पा चन्नप्पा पत्तनशेटी

161. काल्लप्पा घुलप्पा मेगाड्डम

162. एम.एन. सिंगराम्मा

163. मदविलास स्वामी

164. एन. चिकवेंटप्पा

165. श्रीशैल चन्नप्पा पत्तनसेट्टी

166. शुशीला देवी

167. टी.बी. राजू

168. बी. नागरतन

169. ए. सुब्बाराव

170. के.आर. कृष्णास्वामी

171. महाबलेश्वर शेट

172. एस.टी. मंजुनाथ

केरल

173. सी. पॉलेसे

174. जी. वासन्ती अम्मा

175. जगन्नाथ सदगोपाल अर्यनगन

176. के. नारायण पिल्लै

177. के.एन. तंकमोनी

178. कुरैन मम्बारा

179. किजाक्के बीटिल नारायण मारा

180. एम.के. आनन्द

181. ओ.पी.के. शंकरन कुट्टी

182. पी.आर. शंकरन कुट्टी

183. पी.एस. मरार

184. पी.वी. कुंहीकन्ना मरार

185. पी. बैद्यनाथन

186. परोत करूणन

187. पेरिंदा के सुरेन्द्रन

188. पवनन्

189. पंडित सी वी जोसफ

190. आर. वेलायूधा पुलवार

191. एस. अप्पू मरार

192. संकारा नारायण पनिकर

193. ई. आर. नयनार

194. ई.वी. श्रीधर भागवतारल

195. लक्ष्मीम

196. के.एम. अप्पू मरार

197. कुट्टन

198. कमलम

199. कुरियन माम्बेर

200. एम. कृष्णन पनिकर

201. पी. रविद्रन

202. एन.पी. करूणाकरण नायर

203. पी.आर. थिलागम

204. आर. कन्नैया

205. टी.के. नारायणन नायर

206. टी. एन. देवकी अम्मा

207. थम्बूलिंगा राजन

208. वी.के.एन. कुट्टी नायर

मध्य प्रदेश

209. असगरी बाई

210. बाबूलाल वर्मा

211. बरमन लाल नृत्याचार्या

212. डींडयाल व्यास

213. हरगोविंद विश्वा

214. कालदास पंत आगले

215. लाला जगदलपुरी

216. मुकुट बिहारी सरोज

217. मोहन अम्बर

218. महमूद जाकी

219. महेंन्द्र कुमार वर्मा

220. राम सहाय पांडेय

221. राम कालीबाई रायकवास

222. बालू लाल वर्मा

मणिपुर

223. आरामबाम जोगेश्वर सिंह

224. अचाम मणि सिंह

225. बी. गुरूमायूम ओंगबी सूरजमुखी देवी

226. सी. रोखुमा

227. चोनथाम खूखू याइमा

228. एलान्गबाम जोयचंद्रा सिंह

229. एलांगबाम बीरकुमार सिंह

230. गुरूमायम जादू शर्मा

231. गुरूमायूम रवीद्र शर्मा

232. जोगेन दास

133. क्षेत्रीमायम इबोहाल सिंह

234. कृष्णा कांता मजुमदार

235. खमद्राकपाम मणि सिंह

236. खोमाईराम इंदुमणि देवी

237. खोईसनाम धाबाल्लो खाबा

238. खाडदेम बिहारी सिंह

239. लाइरन्जाम अनगोठ सिंह

240. लेंड़तानथम हेरामोट

241. लाइसराम दनानोय सिंह

242. लाइमायम निंगोल मेना देवी

243. लेइटानथेम चाओना सिंह

244. लाबूकटोंगबाम श्याम देव शर्मा

245. मंगला कांता रॉय

246. माइसनाम मणि सिंह

247. नाओरेम याइशकुल सिंह

248. आओरम मुनालै सिंह

249. नोगमाइथेम शाखी देबी

250. पुयाम मुक्तारेई देवी

251. आर. वानलावामा

252. सशी मोहन भट्टाचार्य

253. समुराईलाटपाम सानायुंआइमा शर्मा

254. सपाम मानिकचंद सिंह

255. सारु गबाम अमूजाओं सिंह

256. थाउनाओजाम बीराबाबू सिंह

257. थीयम बीरा सिंह

258. ठाखेल्लाम्बाम साजोउ सिंह

259. थेकचोम रमानी देवी

260. वांग्खेईमायम तोम्बी देवी

261. वांगाखेईमायम नीलाचंद सिंह

262. वाई. बाबधोन सिंह

263. युमनाम धनंजय सिंह

264. याइमा सिंह सलाम

265. हाओबिजाम श्यामकिशोर सिंह

266. लीफ्राकपाम फोल्लो सिंह

267. मांगसिदास बिंदो सिंह

268. पुखरामबाम गंधा सिंह

269. रामेश्वर मेहता

270. शोऊगाइजाम सनाहन देवी

271. ताखेल्लामबाम नबाकुमार सिंह

272. ब्गान्गोम न्गाउबी सिंह

मिजोरम

273. आर. वनलाबामा

महाराष्ट्र

274. अकबर अहमद सिद्दीकी

275. आनंद बापूराव भोरकर

276. भांजी भाई एल. पठाबकार

277. भास्कर तुंकाराम सावत

278. दादा चाटोड

279. गारीयाब काले

280. कारोसाओ आनंदाराव चौकडे

281. महारुदा धूमल

282. मानिकराव गोविंदा दुपारे

283. मधुकर आर. खादिलकर

284. महादेव आइमाराम भांगे

285. मानिकराव

286. मानिकराज जाधव बी.ए.

287. मारूति तुकाराम शिंदे

288. मोहन जानबाजी कलयानकर

289. मनाजी लक्ष्मण पालव

290. नागनाथ रेड्डी बालन्ना

291. नरेश हरीभाऊ निमहे

292. पांडुरंग नारायण वधाई

293. पिंटोजी हल्लाई रावणपल्ले

294. प्रामिला एम. डागर

295. रामचंद्र किसान कुमार

296. श्रीधर अर्जुन मुलिक

297. श्री राम के. इंगले

298. सोनेकाम्बले विश्वानाथ विठल

299. सोमनाथ दामोदर जोचारी

300. सूर्याभान रावजी लंजवार

301. सरस्वतीबाई सुंदरराव राणा

302. शांताबाई बापूराव टल्ले

303. शंकर रामाहजी येवाले

304. उस्ताद शेरखां कुटुबी खां

305. उत्तमराव

306. बैकुंठ शमराव सालोडकर

307. विनायक देवराल अम्भाईकार

308. महादेव बंसी डोंगरा

309. नांदवे लक्ष्मण कलमेघ

310. नागप्पा दत्तात्रेया आदम

311. सत्तार महाबूब शेख

312. ठिप्पाना साओशेव मुले

उड़ीसा

313. आल्हादिनी कार

314. अशोक कुमार चटर्जी

315. ब्रंदाबन पटरा

316. भगवान नायक वर्मा

317. चम्पामणि महापात्रा

318. दुर्लव चंद्र सिंह

319. गंगाधर नायक

320. जोगेंद्र साह

321. लक्ष्मीनारायण प्रसाद राम

322. नीलमणि सत्पथि

323. परेश चक्रवर्ती

324. प्रफुल्ला दास

325. कवि प्रियानाथ मिश्र

326. रबी नारायण मिश्र

327. रमेश चंद्र बेशायी

328. रंगाधर पांडा

329. सचिवदाचंदा कार

330. सच्चिदानंदा दास

331. श्री हरि नायक

332. शिव प्रसाद दास

333. टी. लक्ष्मी नारायण पात्र

334. तापती मिश्र

335. अनंत प्रसाद लाल

336. अक्षय कुमार मोहंती

337. भूपेन घोष

338. भागीरथी मिश्रा

339. बालसर साबर

340 भगबान साहू

341. दयानिधि बेहारा

342. दुर्योधन दास

343. दीपक नारायण सिंह देव

344. धुरबा चरण मात्र

345. द्वारिकानाथ मोहंती

346. दुर्गा चरण साहू

247. गणा नाथ शॉ

348. ग्लोरिया मोहंती

349. गोपाबंधु नाथ

350. गोलेखा बिहारी जेना

351. धनश्याम स्वांई

352. जीता रानी दास

353. करूणाकर पहान

354. काशीनाथ पांडा

355. कृष्णा चंद्रा महापात्र

356. कैलाश बिहारी दास

357. मदन मोहन लेका

358. मणिमाला देवी

359. मंदारधार प्रधान

360. एन.सी. देसाई

361. नटवर दास

362. नीलमणि दास

363. नटवर पांडा

364. निर्मल पट्टनायक

365. प्रेमानंद मिश्रा

366. प्रफुल्ल कुमार सिंह देव

367. रमेश चंद्र प्रधान

368. राधाकृष्णा भंज

369. ब्रजा मोहन दास

370 सिधेश्वर दल

371. सरत चंद्र बिस्वाल

372. सुधाकर नायक

373. तनूजा देवी

374. उपेंद्रनाथ होता

375. उमाकांत बहेरा

राजस्थान

376. श्याम राय भटनागर

377. जजूर खां मेवाती

तमिलनाडु

378. जी.पी. कमल

379. मू रामासुब्रमणिया सर्मा

380. टी. एम. श्रीधर

381. टी. सुंदरावरादाचारी

382. ए. अरोऊलानयान @ पुथुवाई दासन

383. के.आर. सुब्रमण्यम

उत्तर प्रदेश

384. अब्दुल जब्बर हाशमी

385. अकबरी बेगम

386. अमजद अली

387. आचार्य परमहंस प्रमोद

388. बी.आर. प्रजापति

389. बाबू लाल शुक्ल

390. भाई राव दत्त जोशी

391. चंद्र शेखर मिश्र

392. दीवानी राम
393. फकरूल्लाह
394. गजराज सिंह
395. गुलाब बाई
396. ईश्वरी लाल
397. झंडी बाई (उर्फ)
398. जय नारायण सामल
399. जगर नाथ दुबे
400. केदार नाथ साहू
401. कृष्णा कुमारी
402. कालकू
403. किरण देवी
404. कृष्णा सारस्वत
405. लाल सिंह
406. लक्ष्मी देवी
407. मुन्नी बाई
408. मो. अजर खां राही
409. मो. हामिद 'हामिद सहारनपुरी'
410. मानिक चंद्र
411. मकसूद अली
412. अकर ध्वज दरोगा
413. मंगल दास
414. नसीर अहमद
415. नत्थ मास्टर
416. नंद लाल शर्मा
417. रॉबिन शॉ पुष्प
418. राम स्वरूप शर्मा
419. रंजीत सिंह
420. राम कैलाश
421. राम नारायण
422. राम किशोर
423. शिव मूर्ति सिंह वत्स
424. शिव प्रसाद
425. सरोज लता
426. शिव मूरत सिंह यादव
427. शिव नाथ सिंह
428. सीता राम मृगेन्द्र
429. सुरिंद्रा तिवारी
430. शिवप्रसाद शुक्ला
431. शिव राज सिंह
432. थान सिंह
433. विद्या देवी
434. वीरेश्वर प्रसाद
435. विशम्बरे नाथ यादव
436. जुबेदा लताफत हुसैन
437. जहूर अहमद जहूर
438. अली हुसैन
439. अखतरी बेगम
440. बंगाली बाबू
441. बंशीधर चौरसिया
442. बालकिशन यादव
443. भोले खां
444. भोला दत्त तिवारी
445. धनंजय अवस्थी
446. जुमाई खां आजाद
447. कमल शुक्ला
448. कृष्णा देवी
449. कन्हैया लाल 'कलस'

450. लाड़किया बेगम

451. नासिर हुसैन

452. राजेन्द्र रघुवंशी

453. जय प्रकाश

454. जानकी देवी

455. कृष्णा च. नायक

456. नगेन्द्र प्रसाद सिंह

457. मोहन राम

458. मारकंडेय

459. ओमकार नाथ उपाध्याय

460. प्रभावती देव

461. पन्ना लाल सिंह

462. राम भोली

463. रामचंद्र भट्ट

464. रामलखन यादव

465. रामरूप स्वर्णकार पंकज

466. राधेश्याम

467. रज्जाब

468. शैदा

469. उस्ताद सकील अहमद खां

पश्चिम बांगाल

470. जूथिका रॉय

471. मनकुमार सेना

472. सुनली दास गुप्ता

473. तरुण कुमार पॉल

474. अभय चरण दास

475. भास्कर फौजदार

476. दिलीप मलिक

477. देवकुमार घोषाल

478. देव कुमार बसु

479. मुन्नी बेगम

480. रबींद्र नाथ दत्ता

केन्द्र-राज्य कोटा की सूची

उड़ीसा

1. श्री लोकेश्वर रथ

2. श्री बनम्बर परिडा

3. वैष्णव चरण जेना

4. श्री वृंदावन मोहन्ता

5. श्री चन्द्रभानु महापात्र

6. श्री द्वारिकानाथ दास

7. श्री गोपाल घोष

8. श्री गोलक चन्द्र मोहन्ती

9. श्री गयाधर बारिक

10. श्री हदीबंधु मोहन्ती

11. श्री इद्रमणी साहू

12. श्री कुलामणी महाराणा

13. श्री केशव चन्द्र मेहर

14. श्रीमती कमला देवी

15. श्री मुकुन्द प्रसाद मोहंती

16. श्री कैलाश चन्द्रपति

17. श्री खेत्र मोहन महाराणा

18. श्री माधवनंद कार

19. मिनाती बिस्वाल

20. श्री निधिराम माझी

21. श्री नटवर सेन

22. श्री नारायण त्रिपाठी

23. श्री निरंजन कार

24. श्री नित्यानंद महापात्र

25. श्री निरंजन साहू
26. श्री पूर्ण चन्द दास
27. श्री पार्वती चरण राउत
28. श्री प्रफुल्लचंद मोहन्ती
29. श्रीमती प्रमोदिनी पटनायक
30. श्रीमती पारसमणि देवदासी
31. श्री रघुनाथ दत्त
32. श्री राम प्रसाद मोहन्ती
33. श्रीमती रूकमणि देवी
34. श्री रवि सिंह
35. श्री सत्यानंद नायक
36. श्रीमती सुरेखा देवी
37. श्री उदयमान महापात्र
38. श्रीमती सुन्दरमणी देवी
39. श्री शशि भूषण महापात्र
40. श्रीमती उमन महाराणा
41. श्रीमती बसन्त मंजरी मिश्रा
42. श्री गजेन्द्र नायक
43. श्री घनश्याम कार
44. श्री गोपीनाथ सेनापति
45. श्री गुरूपंकज चरण दास
46. श्रीमती कमला नायक
47. श्रीमती काशीनाथ पूजा पाण्डा
48. श्री केदारनाथ महापात्र
49. श्री कुमार रवि अर्खिता प्रधान
50. श्री मदन मोहन महापात्र
51. श्री रतनाकर दास
52. श्रीमती सरत भूयन
53. श्रीमती सरोजिनी पटनायक
54. श्री बंसीधर महापात्र
55. श्रीमती भानूमति देवी
56. श्री चतुर्भुज साहू
57. श्री धनश्याम त्रिपाठी
58. श्री गुमान नायक
59. श्री हरामणि पाढ़ी
60. श्री हरिशरण महापात्र
61. श्री जगन्नाथ बेहेड़ा
62. श्री ईश्वर चंद मोहन्ती
63. श्री जोगेन्द्र कुमार मोहन्ती
64. श्री जयहरि मोहन्ती
65. श्री कलानिधि बंजनिधि सतपति
66. श्री कार्तिक च. स्वाई
67. श्री कोल्हाचरण साहू
68. श्री प्रंदबधु मिश्रा
69. श्री पूर्णचन्द्र सुरदेव
70. श्री रणजीत सिंह
71. श्रीमती शकु न्तला दास
72. श्रीमती सुजाता प्रियम्वदा
73. श्री जगेन्द्र नाथ राय
74. श्रीमती पार्वती देवी
75. श्री मुकुन्द प्रसाद मोहन्ती
76. श्री भागीरथी राउत

पाण्डिचेरी

77. श्री के. राजनारायण

पंजाब

78. श्री उर्मिल दिनेश
79. श्री संतोष सिंह देहिर

महाराष्ट्र

80. बाबूराव वेरूपक्स विबूते

81. चन्द्रकांत राचन्द्र हदकर

82. जामोदकर रूस्तमबोआ अबाबूआ

83 मारूतिराव ए. करान्दे

84. शाहिर आनंदराव केशव सूर्यवंशी

85. सुमन जी. धर्माधिकारी

86. शालिनी नावेकर

87. शिवराम जयराम परब

आन्ध्र प्रदेश

88. ए. वेंकटेश्वरुलू

89. च. भाग्यम्मा

90. दासी वैसवैयाह

91. पेदोजू नमाह शिवायाह भगवतार

92. श्रीपद श्रीराम मूर्ति

93. शैक कुददन साहेब

94. वेल्लातुरी पूर्णा शर्मा

95. श्री वेरूरी रामैयाह

मिजोरम

96. श्री खावलकूंगी

97. श्री पी.एस. चावंगतू

असम

98. भारती देवी

99. धरणी धर दास

100. जोगेन सरनाह

101. पूनाराम राजमेठी

102. मुकुल हजारिका

103. रविन्द्र नाथ भट्टाचार्य

हरियाणा

104. श्री मुंशी राम

उत्तर प्रदेश

105. श्रीमती चुन्नी बाई

106. श्री गफ्फूर खां

107. श्री हुकुम चन्द वार्ष्णेय

108. श्री हरि लाल

109. श्री हुकुम चन्द

110. श्री जनार्दन दास

111. श्रीमती मूरत

112. श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जैन

113. श्रीमती सुशीला आचार्य

कर्नाटक

114. बी.पी.आर. विट्टल

115. बी.एस. रामाचार

116. चन्द्रशेखर पी. पुरानीकामत

117. चन्नावसैय्या गुब्बी

118. पण्डित माणिकराव रायचुस्कर

119. श्री शेष नारायण

120. वी. मंगल देवी

121. श्री एम.आर. रंगास्वामी

केरल

122. ए.आर. थंकप्पन

123. अम्मापूर परमेश्वर चाक्यार

124. सी.के. पनीकर

125. चेरताला चंकप्पा पनीकर

126. ईवू दामोदरन नायर

127. ईडावलथ कुन्ही कन्हा पेडूवल

128. के. भारती

129. के. कुट्टी

130. के. कृष्णन

131. के.वी. चट्टू केरल वर्मन

132. के.वी. चल्लापन भगवातार

133. के.सी. परमेश्वरन

134. कोचम्मू

135. कल्याणी कुट्टी अम्मा

136. एल. चेलम्मा

137. एल. जानकियम्मा

138. एल. सरसम्मा

139. एन.पी. सुकुमारन

140. एन. गोपालन नायर

141. नारायण नम्बूरतिर

142. नारायण स्वामी

143. पी.सी. बेबी

144. पी.के. विजयभानु

145. पी. कृष्णम नायर

146. सरोजिनी अम्मा

147. तिरूवल्लम हस्करन नायर

148. वी. हजारा

149. वी. कृष्ण पिल्लै

गोवा

150. अल्का एम. वेलिंगकर

151. काशीनाथ शंकर शिरोडकर

152. कृष्णा बाबू मशेल्कर

153. नौसो रामचन्द्र म्हामल

154. विश्वनाथ वाई. नाइक

155. वमन जी. नाइक पिलगांवकर

156. पण्डित प्रवीर घोष

राजस्थान

157. रोशन अख्तर बेगम

158. गेण्डी देवी

159. श्री गोपीकृष्ण भट्ट

160. श्री नानू सिंह

पश्चिम बंगाल

161. बकूल चक्रवर्ती

162. विंध्यावासिनी देवी

163. दक्षिण रंजन राय चौधरी

164. प्रणेन्दू शेखर बंधोपाध्याय

165. निर्मल घोष

डी.ई.ए.एल. द्वारा समाप्त की गई रक्षा परियोजनाएं

*260. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान डिफेंस इलैक्ट्रानिक एण्ड एप्लीकेशंस लिमिटेड (डी ई ए एल), देहरादून द्वारा कोई रक्षा परियोजनायें सामाप्त की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो समाप्त की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण थे;

(ग) उन परियोजनाओं पर कितने प्रतिशत कार्य पूरा किया गया और उन पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(घ) इस समय डी ई ए एल द्वारा कितनी परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं और ये कब प्रारंभ की गई थीं और उन्हें पूर्ण किए जाने की परियोजना-वार लक्षित तिथि क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) डी.ई.ए.एल. देहरादून ने पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी परियोजना को समाप्त नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

डी.ई.ए.एल. की मौजूदा परियोजनाओं के ब्यौरे

परियोजना का नाम	मंजूरी की तारीख	पूरा होने की लक्षित तारीख
ट्रांस रिसीवर डेवलमेंट	3 जून, 1999	03 जून, 2003
नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली का विकास	12 अप्रैल 1999	11 अक्तूबर, 2002
मिलीमीटर वेव फोकल प्लेन ऐरे इमेजर का विकास	07 जनवरी 1998	06 जनवरी, 2002
कंपोजिट नेट रेडियो तथा प्रयोक्ता परीक्षणों का विकास	01 मई, 1992	31 मार्च, 2002

वाणिज्यिक धोखा-धड़ी

***265. श्रीमती श्यामा सिंह:**
डा. रमेश चंद तोमर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना को लागू करने के पश्चात् और इसके उपरान्त विभिन्न अन्य निर्यात प्रोत्साहनों के कार्यान्वयन के बाद वाणिज्यिक धोखा-धड़ियों के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यातकों/आयातकों द्वारा शुल्क अपवंचन आदि के लिए कई निर्यात योजनाओं का घोर उल्लंघन किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आयातकों/निर्यातकों द्वारा ऐसी वाणिज्यिक धोखा-धड़ी के मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों की घोषणा की जाती है। इन सभी स्कीमों का मूल उद्देश्य ऐसी निविष्टियों के संबंध में शुल्क को निष्प्रभावी बनाना होता है जिन पर या तो सीमा शुल्क लगाया गया हो अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क। कतिपय स्कीमों का उद्देश्य निर्यात उत्पादन के निर्माण के लिए अपेक्षित निविष्टियां शुल्क मुक्त उपलब्ध कराना भी होता है। मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस (मू.आ.अ.ला.) स्कीम अप्रैल, 1992 में लागू की गयी थी तथा यह जनवरी, 1997 तक लागू रही थी। इस समय, अग्रिम लाइसेंस स्कीम, निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल (नि.सं.पू.मा.) स्कीम, शुल्क मुक्त प्रतिप्रेषण प्रमाणपत्र (नि.प्र.प्र.) स्कीम, शुल्क हकदारी पास बुक (शु.ह.पा.बु.) स्कीम, शुल्क प्रतिअदायगी स्कीम, शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक (नि.ए.) स्कीम, निर्यात प्रसंस्करण जोन (नि.प्र.जो.) स्कीम तथा विशेष आर्थिक जोन (वि.आ.जो) स्कीमें लागू हैं जिनके द्वारा निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन दिए जाते हैं। पता लगाए गए गलत प्रयोग/दुरूपयोग की सीमा तथा विगत एक वर्ष के दौरान किए गए निर्यातों/आयातों की मात्रा के आधार पर यह कहना गलत होगा कि देश में वाणिज्यिक धोखा-धड़ियों में वृद्धि हुई है।

(ख) विगत एक वर्ष के दौरान, ऐसी विभिन्न निर्यात संवर्द्धन स्कीमें जो प्रचालनरत हैं तथा जिनके जरिए निर्यात प्रोत्साहन दिए जाते हैं, उनके तहत पता लगाए गए धोखा-धड़ी संबंधी मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। निर्यातों को बढ़ावा देने को ध्यान में रख कर निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न निर्यात संवर्द्धन स्कीमें तैयार की गयी हैं। हालांकि दुरूपयोग के मामले सरकार की जानकारी में आये हैं; शुल्क की वसूली के अलावा, जुर्माना/दण्ड लगाना, कॉफीपोसा के तहत अवरोधन, बंदीकरण, लाइसेंस को रद्द करने आदि सख्त कार्रवाई अपराधी के विरुद्ध की गई है।

(ङ) विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत वाणिज्यिक धोखा-धड़ियों की जांच के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) जब कभी भी कोई घोर उल्लंघन/सामान्य कार्य-प्रणाली सरकार की जानकारी में आती है तो इसकी पुनरावृत्ति

को रोकने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को चौकसी नोटिस जारी किए जाते हैं।

(2) निर्यात संवर्धन योजनाओं में दुरूपयोग को रोकन के लिए विभिन्न सुरक्षोपाय किए गए हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

(i) अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत जारी किए गए लाइसेंस वास्तविक प्रयोगकर्ता के रूप में हैं और अपरिवर्तनीय हैं।

(ii) ई पी सी जी योजना के तहत आयात किया गया पूंजीगत माल वास्तविक प्रयोगकर्ता के रूप में होते हैं जब तक कि निर्यात बाध्यता पूरी न हो जाए।

(iii) डी एफ आर सी योजना के तहत शुल्क मुक्त आयात के लिए एक घनिष्ट तालमेल निदिष्ट है।

(iv) ऐसी मदों के संबंध में जिनका शुल्क मुक्त पास बुक दर 17 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हैं, अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित की जाती है ताकि अनाभीष्ट लाभ को लेने से रोका जा सके।

(v) सर्व उद्योग में प्रतिअदायगी की दर की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है जिससे अधिक बीजक बना कर ज्यादा प्रतिअदायगी का लाभ उठाने से रोका जा सके। महत्वपूर्ण स्थानों को निर्यात किए गए माल के लिए बाजार मूल्य निरीक्षण उपलब्ध है।

विवरण

2000-2001 के दौरान पता लगाए गए वाणिज्यिक धोखा-धड़ी के मामलों के ब्यौरे

मुख्य आयुक्तालय का नाम	मामलों की सं.	अंतर्ग्रस्त राशि (लाख रुपये में)
1	2	3
कलकत्ता	08	0650
बंगलौर	14	0270
पुणे	01	0071
जयपुर	01	0182
अहमदाबाद	20	1046
चेन्नई	25	0118
मुम्बई	20	2141
दिल्ली	98	3073
लखनऊ	03	0195
डी जी आर आई	47	3905
कुल	237	11651

वस्त्र आयात पर अमरीकी प्रतिबंध

*266. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:**
श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात किए गए वस्त्रों का, विशेष रूप से अमरीका को निर्यात किये गये वस्त्रों का, उनकी लागत सहित देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एशिया से वस्त्र आयात पर अमरीकी प्रतिबंधों से भारतीय वस्त्र उद्योग को भारी धक्का लगा है;

(ग) यदि हां, तो प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गयी है।

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इससे भारतीय वस्त्र उद्योग को किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य देशों को वस्त्रों के निर्यात का मूल्य निम्न अनुसार है:

	1998-99	1999-2000	2000-2001
सभी देशों को वस्त्र के निर्यात जिसमें से	9548.2	10508.5	12097.4
संयुक्त राज्य अमरीका का अंशदान	2501.5	2737.5	3218.7

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस, कोलकाता

(ख) और (ग) 31 दिसम्बर, 2001 तक, कुछ विकसित देशों (अर्थात् संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश, कनाडा) को वस्त्रों के निर्यात सामान्य प्रभार और व्यापार संबंधी करार (गॉट) के नियमों से बाहर बहु फाईबर व्यवस्था (एमएफए) के तत्वावधान में भारत और इन देशों के बीच हुए द्विपक्षीय वस्त्र करारों द्वारा संचालित थे। 1 जनवरी, 1995 से, एम.एफ.ए. के अतंर्गत द्विपक्षीय करारों में मात्रा संबंधी प्रतिबंध (आयात कोटे) गॉट की उरूग्वे दौर की वार्ताओं के अंतिम चरण में निहित वस्त्र और क्लोदिंग संबंधी (एटीसी) करार द्वारा संचालित हो रहे हैं। इस समय हमारे वस्त्र और क्लादिंग की मदें संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय संघ और कनाडा में लगे प्रतिबंधों का सामना कर रही हैं। उनके द्वारा दिये गये कोटे व्यापारिक प्रतिबंध अधीन हैं।

(घ) से (च) ए.टी.सी. के अनुसार, वस्त्र कोटों को समाप्त कर दिया जाएगा और 1 जनवरी, 2005 तक वस्त्र क्षेत्र को डब्ल्यूटीओं में पूरी तरह से मिला दिया जाएगा। कोटा मुक्त युग की प्रतिस्पर्द्धा का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए वस्त्र उद्योग को तैयार करने की दृष्टि से सरकार समय-समय पर उपाय करती है। नवंबर, 2000 में राष्ट्रीय वस्त्र नीति की घोषणा की गई है ताकि वस्त्र उद्योग के निरंतर विकास और वृद्धि को सुसंगत तरीके से नीतिगत दिशा प्रदान की जा सके और वस्त्र के निर्यात को थ्रस्ट प्रदान किया जा सके।

की गयी कुछ महत्वपूर्ण पहल हैं:

(1) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र के सिले-सिलाए परिधानों के बुनाई खंड को अनारक्षित कर दिया है और निटवीयर क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र सीमा को 1 करोड़ रु. से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है।

(2) उत्कृष्टता समूहों अर्थात् परिधान के उत्पादन व निर्यात के लिए अपैरल पार्क के सृजन के लिए वर्ष 2001-02 के बजट में 10 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गयी है। इसके अतिरिक्त प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाने की योजना के लिए बजट प्राक्कलन 2001-02 में भी 15 करोड़ रु. की राशि की व्यवस्था की गयी है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी यू एफ एस) लागू की गयी है। ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में यह क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके। टी यू एफ एस के अंतर्गत सहायता संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।

(4) टी यू एफ एस के अंतर्गत शामिल बुनाई, प्रसंस्करण और परिधानों की मशीनों को 50 प्रतिशत की दर पर बढ़े हुए मूल्यह्रास की सुविधा प्रदान की गयी है।

(5) समग्र मूल्य संवर्धन श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से 5 प्रतिशत के रियायती सीमा शुल्क पर अनेक परिधान मशीनों (159 मदों) के आयात की अनुमति दी गई है। इनमें से 12 मदों पर किसी भी प्रकार का प्रतिकारी शुल्क नहीं लगेगा।

(6) पिछड़े समूहों के प्रोत्साहन के मद्देनजर, शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत तक लाया गया है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50,000 शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की घोषणा की गयी है।

(7) वस्त्र क्षेत्र में विशिष्ट रियायतों के साथ स्वचल मार्ग के माध्यम से शत-प्रतिशत विदेशी इक्विटी सहभागिता की अनुमति प्रदान करना।

(8) निर्यात की पारगमन लागत को कम करने के लिए कोटा नीति के अंतर्गत ढील दी गयी है।

(9) निचले स्तर तक प्रतिस्पर्द्धी वस्त्र उत्पादों का विनिर्माण और निर्यात करने के लिए कपास के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया है।

(10) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), इसकी 6 शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण व डिजाइन केन्द्र (ए टी डी सी), डिजाइन, व्यापारीकरण व विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग की कुशल मानव शक्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहे हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001

*267. **श्री ए. नरेन्द्र:**
श्री मंजय लाल:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों का

पता लगाने के लिए तीन माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों का पता लगाने को राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य बनाने और उन्हें उचित दर की दुकानों से खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया है;

(ग) क्या तेरह राज्यों और चार संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभी भी अंत्योदय योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों का पता लगाना शेष है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों को क्या निदेश दिए गए हैं और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 से गरीब परिवारों को उचित दर की दुकानों से खाद्यान्न मिलने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) और (ख) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन जारी किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में यह व्यवस्था है कि जहां गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय परिवारों की पहचान पहले ही नहीं कर ली गई है वहां यह कार्य राज्य सरकारों द्वारा इस आदेश के जारी होने के तीन माह के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए। आदेश में यह प्रावधान भी है कि राशनकार्ड धारक उचित दर दुकानों से साप्ताहिक आधार पर खाद्यान्न लेने के पात्र होंगे।

(ग) और (घ) अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, लक्षद्वीप और तमिलनाडु को छोड़कर अंत्योदय अन्न योजना सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित कर दी गई है। उपर्युक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे अंत्योदय परिवारों की पहचान करने और उन्हें अलग प्रकार के राशनकार्ड जारी करने का कार्य शीघ्र पूरा करें ताकि निर्धनतम परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें।

(ङ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 का क्रियान्वयन सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाएगा और अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। इस आदेश में निर्धारित मात्रा और मूल्यों के अनुसार उचित दर दुकानों से समय से खाद्यान्न प्राप्त करने में गरीब परिवारों की सहायता करने के लिए कई प्रावधान हैं।

[हिन्दी]

रुपए का मूल्य

***268. श्री धावरचन्द गेहलोत:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूयार्क और वाशिंगटन में 11 सितम्बर, 2001 के आतंकवादी हमलों के उपरांत भारतीय रुपए का मूल्य अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में इतना कम हो गया है, जो कि अब तक का सबसे कम मूल्य है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह महीनों में प्रत्येक माह के दौरान प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए का मूल्य कितना रहा है; और

(ग) प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) 11 सितम्बर, 2001 को रुपए की विनिमय दर 47.45 रुपए प्रति अमरीकी डालर थी और 17 सितम्बर, 2001 को यह दर 48.18 रुपए प्रति अमरीकी डालर थी। तब से, विनिमय दर, 47.85 रुपए से लेकर 48.08 रुपए प्रति अमरीकी डालर के बीच चल रही है। उसकी तुलना में अन्य प्रमुख मुद्राओं अर्थात येन, पौंड स्टर्लिंग और यूरो के मुकाबले रुपए की विनिमय दर हमलों के बाद अगले दो से तीन हफ्तों के दौरान कुछ अवमूल्यन पर आकर बाद में पुन: उसी स्तर पर पहुंच गई अथवा बढ़ गई।

(ख) जून, 2001 से नवम्बर, 2001 तक विश्व की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपए की मासिक औसत विनिमय दरें नीचे दी गई है:

मास	रुपए प्रति अमरीकी डालर (औसत अवधि)	रुपए प्रति येन* (औसत अवधि)	रुपए प्रति यूरो (औसत अवधि)	रुपए प्रति पौंड स्टर्लिंग (औसत अवधि)
1	2	3	4	5
जून, 2001	47.00	38.42	40.16	65.89

1	2	3	4	5
जुलाई, 2001	47.14	37.84	40.55	66.65
अगस्त, 2001	47.13	38.73	42.37	67.69
सितम्बर, 2001	47.64	40.12	43.41	69.69
अक्तूबर, 2001	48.02	39.62	43.54	69.74
नवम्बर, 2001	47.99	39.23	42.66	69.03

*रुपया प्रति 100 येन।

(ग) विनिमय दर में घट-बढ़, मुख्यतौर पर, भारत में विदेशी मुद्रा बाजार की मांग और आपूर्ति की स्थित द्वारा निर्धारित होती है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के द्वारा भारत और विदेशों के वित्तीय बाजारों पर बारीकी से नजर रखी जाती है तथा जब भी आवश्यकता हो, विनिमय दर में अस्थिरता को कम करने, अस्थिरता पैदा करने वाली सट्टेबाजी जैसी गतिविधियों को रोकने, विदेशी मुद्रा का एक सुव्यवस्थित बाजार तैयार करने तथा विदेशी मुद्रा भंडार को समुचित स्तर पर बनाए रखने में सहायता हेतु उचित उपाए किए जाते हैं।

वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण

***269. श्री नवल किशोर राय:**
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल के आरंभ से 27 जुलाई, 2001 के बीच वाणिज्यिक क्षेत्र के ऋण में गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान दिए गए 18,550 करोड़ रुपए के ऋण की तुलना में मात्र 1,193 करोड़ रुपए की ही वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 2001 के दौरान पृथक-पृथक बैंकों द्वारा गैर-कृषि क्षेत्र को कितना ऋण स्वीकृत किया गया; और

(ग) वाणिज्यिक/गैर-कृषि क्षेत्र को और अधिक ऋण देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2001-2002 के दौरान 27 जुलाई, 2001 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाद्येतर बैंक ऋणों में 1,715 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 14,482 करोड़ रु. की वृद्धि हुई थी।

(ख) बैंकिंग प्रणाली से वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण का फैलाव और अन्य प्रवाह औद्योगिक वृद्धि में गिरावट और निवेश मांग में कमी के कारण धीमा बना रहा। तथापि, अनुसूचित, वाणिज्यिक बैंकों के खाद्येतर बैंक ऋण में अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 2001 के महीनों के दौरान (प्रत्येक महीने की सूचना देने के लिए नियत अन्तिम शुक्रवार के आधार पर) क्रमश: 4,024 करोड़ रु. 3,913 करोड़ रु. और 12,751 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है।

(ग) समष्टि आर्थिक एवं मौद्रिक विकासों की पुनरीक्षा करने पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मौद्रिक नीति उपायों, जिन्हें छमाही आधार पर घोषित किया जाता है, के भाग के रूप में 22 अक्तूबर, 2001 को कारोबार की समाप्ति के बाद से बैंक दर 0.50% प्वाइंट घटा कर 7.0% से 6.50% कर दी है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को भी 200 बेसिस प्लाइंट घटाकर निवल मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) को 7.50% से 5.50% कर दिया गया है। 3 नवम्बर, 2001 से शुरू होने वाले पखवाड़े से सीआरआर को घटाकर 5.75% कर दिया गया था और 29 दिसम्बर, 2001 से शुरू होने वाले पखवाड़े से सीआरआर को पुन: घटाकर एनडीटीएल के 5.50% कर दिया जाएगा।

आशा है कि इन परिवर्तनों से अल्पावधि प्रतिफल बढ़ेगा, मुद्रा बाजार कर विकास होगा, बैंकों एवं गैर-बैंकों के बीच विनियामक अंतरपणन कम होगा, बैंकों के पास ऋण योग्य स्रोतों की उपलब्धता बढ़ेगी और मौद्रिक नीति चलाने में अप्रत्यक्ष लिखतों की कुशलता बढ़ेगी। एनडीटीएल के मौजूदा स्तर पर, उपर्युक्त दो उपायों के संयुक्त प्रभाव से बैंकिंग प्रणाली के ऋण योग्य स्रोत लगभग 8,000 करोड़ रु. बढ़ेंगे।

जापान द्वारा लगाए गए प्रतिबंध

*270. **कुंवर अखिलेश सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 में जापान द्वारा भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन प्रतिबंधों के कारण कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप कितना नुकसान उठाना पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) मई, 1998 में, जापान सरकार ने निम्न प्रतिबंधों की घोषणा की थी:

1. संकटकालीन और मानवीय सहायता व आधारभूत परियोजनाओं हेतु अनुदान सहायता को छोड़कर नई परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान को रोकना।
2. नई परियोजनाओं के लिए येन ऋण रोकना।
3. जापान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा भारत को दिए गए ऋणों की सावधानीपूर्वक जांच की।
4. 30 जून—1 जुलाई, 1998 को टोकियो में भारत विकास मंच की बैठक का रद्द किया जाना।

(ख) और (ग) प्रतिबंधों की अवधि के दौरान बड़ी चालू परियोजनाओं के लिए जापानी सहायता और गुजरात भूकंप के समय उपलब्ध कराई गई सहायता, पल्स पोलियों टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अनुदान जैसी संकटकालीन व मानवीय आवश्यकताओं और विभिन्न आधारभूत परियोजनाओं के क्षेत्र में जापानी अंशदान को जारी रखा गया। इस प्रतिबंध ने चल रही परियोजनाओं और जापान की तकनीकी सहयोग योजनाओं को प्रभावित नहीं किया और वर्ष 1996-97 में 64.58 बिलियन जापानी येन के संवितरण की तुलना में पश्च प्रतिबंध वर्षों में वर्ष 1999-2000 में 96.742 बिलियन जापानी येन के संवितरण का उच्चतम स्तर दर्ज किया गया। भारत में द्विपक्षीय अधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) प्राप्तियों के संदर्भ में प्रतिबंधों की अवधि के दौरान भी जापान से सहायता सर्वोच्च रही है।

वचनबद्ध सहायता के संदर्भ में भारत को जापानी ओडीए की नई वचनबद्धताओं में कमी हुई है। भारत को जापानी ओडीए की वचनबद्धता बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना की दूसरी किश्त के रूप में वर्ष 1997-98 में (पूर्व प्रतिबंध वर्ष) 132.725 बिलियन जापानी येन से गिरकर वर्ष 1998-99 में 11.537 बिलियन जापानी येन हो गई और वर्ष 1999-2000 के दौरान यह शून्य पर आ गई। वित्तीय वर्ष, 2000-2001 के दौरान चल रही डीएमआरसी की एमआरटीएस परियोजना व एनटीपीसी की सिंहाद्री ताप विद्युत परियोजना के लिए ऋण की दूसरी किश्त के रूप में 18.926 बिलियन येन की राशि का वचन दिया गया था।

प्रतिबंधों की अवधि के दौरान, वे परियोजनाएं जिनके लिए जापानी सहायता की मांग की गई थी, उन्हें सलाह दी गई कि वे अन्य दानदाताओं से निधियां जुटाएं या वैकल्पिक निधिपोषण व्यवस्थाओं का पता लगाएं ताकि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में रूकावट न आए। जापान सरकार ने इन आर्थिक प्रतिबंधों को दिनांक 26 अक्तूबर, 2001 से समाप्त कर दिया है।

[अनुवाद]

व्यापार संबंधी विवाद

*271. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत द्वारा विभिन्न देशों के विरुद्ध तथा विभिन्न देशों द्वारा भारत के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन में दायर व्यापार संबंधी विवादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत अमरीका और यूरोपीय संघ से विश्व व्यापार संगठन विवाद में 1997 के समझौता ज्ञापन के इस आशय के प्रावधानों के बारे में हार गया है जिनके अनुसार विदेशी ऑटो निर्माताओं को स्वदेशीकरण और निर्यात दायित्वों के बारे में सरकार के साथ हस्ताक्षर करने थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार विश्व व्यापार संगठन और उससे संबंधित समझौतों के अंतर्गत उन अन्य मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें भारत हार गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) विश्व व्यापार संगठन के विवाद निकाय में उन विभिन्न मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं, उनमें भारत या तो शिकायतकर्ता देश है अथवा उसके विरुद्ध शिकायत की गयी है।

(ख) और (ग) इस मुद्दे पर विचार करने के लिए डब्ल्यू टी ओ में गठित विवाद निपटान पैनल ने अभी तक अपने निष्कर्षों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

(घ) जिन तीन विवादों में पैनल/अपीलीय निकाय ने भारत के विरुद्ध निष्कर्ष दिए थे, उनमें से दो मामले हमारी पेटेंट नीति के विरुद्ध अमरीका तथा यूरोपीय आयोग (ईसी) द्वारा दायर की गई दो अलग-अलग शिकायतों के थे और एक मामला भारत द्वारा भुगतान संतुलन के कारणों से आयातों पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंधों के विरुद्ध अमरीका द्वारा दायर की गई शिकायत का था।

विवरण

भारत तथा अन्य देशों के बीच डब्ल्यू टी ओ के विवाद निपटान निकाय में विवादों की स्थिति

क्र.सं.	विवाद का विषय	शिकायतकर्ता	किसके विरुद्ध	स्थिति
1	2	3	4	5
भारत द्वारा उठाए गए विवाद				
1.	वस्त्र एवं कपड़ा उत्पादों के आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध	भारत	तुर्की	जीत हुई
2.	अमरीका द्वारा इन देशों से श्रिम्प तथा श्रिम्प उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध	भारत	यूएसए	जीत हुई
3.	महिलाओं तथा बालिकाओं के ऊनी कोटों के आयातों को प्रभावित करने वाले उपाय	भारत	यूएसए	जीत हुई
4.	बुने हुई ऊनी कमीजों तथा ब्लाउजों के आयातों को प्रभावित करने वाले संक्रमणकालीन रक्षोपाय	भारत	यूएसए	जीत हुई
5.	ओटोमोबाइल्स से संबंधित आयात प्रणाली	भारत	पोलैंड	सौहार्दपूर्ण निपटाया गया
6.	भारत के चावल के निर्यातों के लिए संचयी वसूली प्रणाली (सी आर एस) लागू करना	भारत	ईसी	निपटाया गया
7.	अविरंजित काटन फैब्रिक्स (यूसीएफ) पर पाटनरोधी कार्रवाई	भारत	ईसी	ईसी ने पाटनरोधी शुल्क जारी नहीं रखा, भारत पहल नहीं कर रहा है।
8.	काटन टाइप बैड-लिनन के आयात के विरुद्ध पाटनरोधी कार्रवाई	भारत	ईसी	जीत हुई
9.	भारत से एंटी बायटिक्स के आयातों पर दक्षिण अफ्रीकी प्राधिकारियों द्वारा लगाया गया पाटनरोधी शुल्क	भारत	दक्षिण अफ्रीका	मामला चल रहा है।
10.	भारत से सीटीएल स्टील प्लेट के आयातों पर अमरीका द्वारा लगाया गया पाटनरोधी शुल्क	भारत	अमरीका	मामला चल रहा है।
11.	भारत से जूट बैग के आयातों पर ब्राजील द्वारा लगाया गया पाटनरोधी शुल्क	भारत	ब्राजील	मामला चल रहा है।
12.	अर्जन्टीना औषधि विवाद	भारत	अर्जेंटीना	मामला चल रहा है।
13.	पाटन तथा इमदाद समायोजन संबंधी अमरीकी विधान (बेयर्ड संशोधन)	भारत तथा 8 अन्य देश	अमरीका	मामला चल रहा है।

1	2	3	4	5
14.	कृषि, वस्त्र तथा औद्योगिक उत्पादों के आयातों पर भारत के मात्रात्मक प्रतिबंध	ईसी	भारत	सौहार्दपूर्ण निपटाया गया
15.	कृषि, वस्त्र तथा औद्योगिक उत्पादों के आयातों पर भारत के मात्रात्मक प्रतिबंध	आस्ट्रेलिया	भारत	सौहार्दपूर्ण निपटाया गया
16.	कृषि, वस्त्र तथा औद्योगिक उत्पादों के आयातों पर भारत के मात्रात्मक प्रतिबंध	कनाडा	भारत	सौहार्दपूर्ण निपटाया गया
17.	कृषि, वस्त्र तथा औद्योगिक उत्पादों के आयातों पर भारत के मात्रात्मक प्रतिबंध	न्यूजीलैंड	भारत	सौहार्दपूर्ण निपटाया गया
18.	कृषि, वस्त्र तथा औद्योगिक उत्पादों के आयातों पर भारत के मात्रात्मक प्रतिबंध	स्विट्जरलैंड	भारत	सौहार्दपूर्ण निपटाया गया
19.	कृषि, वस्त्र तथा औद्योगिक उत्पादों के आयातों पर भारत के मात्रात्मक प्रतिबंध	यूएसए	भारत	हार हुई
20.	भारत में भेषजीय तथा कृषि रासायनिक उत्पादों के लिए पेटेंट सुरक्षा का कथित अभाव तथा ऐसी औपचारिक प्रणालियों का अभाव जो पेटेंट दायर करने की अनुमति प्रदान करती है।	ईसी	भारत	हार हुई
21.	अपरिष्कृत चर्म एवं खालों सहित उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध	ईसी	भारत	मामला चल रहा है।
22.	भेषजीय एवं कृषि रासायनिक उत्पादों के लिए पेटेंट सुरक्षा	यूएसए	भारत	हार हुई
23.	आटोमोटैव क्षेत्र-आटो नीति को प्रभावित करने वाले कुछेक उपायों से संबंधित	ईसी	भारत	मामला चल रहा है।
24.	भारत द्वारा गैट 1994 के अनुच्छेद 18-ख से इतर कारणों से लगाये गये आयात प्रतिबंध।	ईसी	भारत	मामला चल रहा है।
25.	भारतीय प्राधिकारियों द्वारा सीमाशुल्कों में की गई अनेक प्रकार की वृद्धि	ईसी	भारत	मामला चल रहा है।
26.	आटोमोटेव क्षेत्र-आटो नीति को प्रभावित करने वाले कुछेक उपायों से संबंधित	यू एस ए	भारत	मामला चल रहा है।

उच्च गुणवत्ता की कपास का उत्पादन और निर्यात

*272. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग विश्व बाजार में अपनी कपास संबंधी साख को खो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उच्च गुणवत्ता की कपास के उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर इसके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वस्त्रोन्नयन कोष के अंतर्गत उद्योग विकास हेतु प्रदान की जाने वाली निधियों पर लगी सीमा हटा दी गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूती वस्त्र निर्यातों में वृद्धि होने की प्रवृत्ति को दर्शाने वाले ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मिलियन अमरीकी डालर में)

मद	1998-99	1999-00	2000-01
सूती यार्न, फैब्रिक और मेड-अप्स	2771.76	3019.95	3499.60
उपकरण सहित सूती सिले-सिलाए परिधान	3147.29	3247.41	3926.63
कुल	5919.05	6267.36	7426.23

(ग) और (घ) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने फरवरी, 2000 में कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) 2000 शुरू किया है। इस मिशन में चार लघु मिशन शामिल हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

लघु मिशन	उद्देश्य	कार्यान्वयन ऐजेन्सी	नौंवी योजना का परिव्यय (1999-2002)-केन्द्र का अशंदान (करोड़ रुपए में)
1.	कपास अनुसंधान व प्रौद्योगिकी सृजन	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	40.00
2.	प्रौद्योगिकी का प्रसार	कृषि व सहकारिता विभाग	349.31
3.	बाजार इनफ्रास्ट्रक्चर का विकास	वस्त्र मंत्रालय	42.75
4.	जिनिंग और प्रैसिंग फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण	वस्त्र मंत्रालय	18.75

(ङ) और (च) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत आधुनिकीरण के लिए निधियां प्रदान करने के लिए कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

अमरीका को रत्नों और आभूषणों का निर्यात

*273. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अमरीका को कितने मूल्य के रत्नों और आभूषणों का निर्यात किया गया;

(ख) क्या इन वस्तुओं के निर्यात में कोई कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इनके निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद् मुम्बई (जीजेइपीसी) के अनन्तिम आकंड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका को गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान रत्न एवं आभूषण मदों के किए गए निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

निर्यात की मदें	1998-99		1999-2000		2000-2001	
	करोड़ रु. में	मिलियन अमरीकी डालर में	करोड़ रु. में	मिलियन अमरीकी डालर में	करोड़ रु. में	मिलियन अमरीकी डालर में
तराशे और पालिश किए हुए हीरे	7972.56	1900.18	10546.51	2442.44	9702.33	2144.33
रंगीन रत्न पत्थर	319.74	76.52	418.88	96.96	472.18	103.72
स्वर्ण भूषण	1827.99	436.55	2584.69	598.60	2930.39	646.21
अन्य	121.79	29.06	116.49	27.05	167.09	36.76
कुल	10242.08	2442.31	13666.57	3165.05	13272.00	2931.02

उपर्युक्त आंकडों से यह देखा जा सकता है कि निर्यात में वर्ष 1998-1999 की तुलना में वर्ष 1999-2000 के दौरान डालर के रूप में 29.59% (रुपए के रूप में 33.43%) की वृद्धि हुई है और वर्ष 1999-2000 के निर्यात की तुलना में वर्ष 2000-2001 के दौरान डालर के रूप में 7.39% की गिरावट (रुपए के रूप में 2.88% की) गिरावट हुई है। निर्यात में वर्ष 1998-99 की तुलना में वर्ष 2000-2001 में कुल मिलाकर डालर के रूप में 20% (रुपए के रूप में 29.58%) की वृद्धि हुई है।

जीजेईपीसी के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, 2001-अक्तूबर, 2001 की अवधि के दौरान अमरीका को रत्न एवं आभूषणों का निर्यात पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि के दौरान हुए 1922.29 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 1478.22 मिलियन अमरीकी डालर का रहा जो डालर के रूप में लगभग 23.1% की और रुपए के रूप में 19.2% की गिरावट को प्रदर्शित करता है।

निर्यातों में गिरावट के प्रमुख कारण निम्नानुसार हैं:

(क) विकसित देशों में आर्थिक मंदी का आना ।

(ख) अंतराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत में गिरावट जिसके फलस्वरूप स्वर्णाभूषण के निर्यात मूल्य में संगत गिरावट आई।

(ग) सहस्राब्दी वर्ष द्वारा उत्पन्न किए गए उत्साह की स्थिति के कारण 1999-2000 के दौरान प्रमुख बाजारों में आवक में भारी वृद्धि हुई और कुछ माल व्यापार जगत द्वारा अभी भी बीच में रोका हुआ है।

(घ) गुजरात में 26 जनवरी, 2001 को आए विनाशकारी भूकंप का भी हीरा उद्योग पर खासकर अहमदाबाद और सूरत में उत्साहहीनता का प्रस्ताव पड़ा।

[अनुवाद]

परिवहन राजसहायता योजना

***274. श्री सुबोध राय:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप को कोई परिवहन राजसहायता नहीं दी गयी है। जबकि दूरस्थ पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन देने की योजना वर्ष 1971 में आरम्भ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को भी राजसहायता नहीं दी गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन संघ राज्य क्षेत्रों को उक्त अवधि के लिए परिवहन राजसहायता जारी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) परिवहन राजसहायता योजना, 1971 के अधीन, केन्द्र सरकार, चुनिंदा क्षेत्रों में अवस्थित पात्र औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा वितरित की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति किया करती है। प्रश्न में उल्लिखित अवधि के दौरान केन्द्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों तथा सिक्किम राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति का कोई दावा प्राप्त नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

काले धन के संबंध में अनुमान

***275. श्री जोरा सिंह मान:**
श्री राम मोहन गाइडे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितना काला धन है;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल में इस संबंध में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा काले धन, जाली मुद्रा, उत्पाद शुल्क अपवंचन और बैंक धोखाधड़ी के संबंध में लगाये गए अनुमान का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) महोदय, देश में काले धन का कोई सही अनुमान नहीं है। तथापि राष्ट्रीय लोकवित्त एवं नीति संस्थान ने वर्ष 1983-84 में एक अध्ययन किया था जिसमें काले धन को सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% अनुमानित किया गया था। इस मंत्रालय की तरफ से और अध्ययन के लिए अनुरोध नहीं किया गया है।

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इराक द्वारा भारतीय गेहूं का अस्वीकार किया जाना

***276. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में इराक ने एक बार फिर छह लाख टन भारतीय गेहूं को लेने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इराक ने भारत से निर्यात की गई किन-किन अन्य मदों को अस्वीकार किया है;

(घ) क्या इससे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की विश्वसनीय प्रभावित हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकर द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) इराक को निर्यात के लिए जून, 2001 के बाद भारतीय खाद्य निगम द्वारा कोई गेहूं आबंटित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसी कोई सूचना नहीं। तथापि, इराक को किए जाने वाले निर्यातों में वृद्धि हो रही है जैसाकि नीचे दिया गया है:

	1998-99	1999-2000	2000-01
निर्यात (अमरीकी डालर एमएन)	35.39	52.51	83.54

(घ) और (ङ) अन्य देशों को गेहूं का निर्यात जारी है। भारतीय खाद्य निगम से कहा गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ग्रेन बोर्ड ऑफ इराक की आवश्यकताओं के अनुरूप गेहूं की सफाई करने के बाद ही इराक को गेहूं की खेप भेजी जाए।

स्वास्थ्य बीमा

***277. श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी कंपनियों को जीवन और सामान्य बीमा क्षेत्रों का अतिक्रमण किए बिना केवल स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जिन सभी नई निजी बीमा कंपनियों को जीवन या सामान्य बीमा कारोबार करने के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी) द्वारा पंजीकरण की अनुमति दी गई है, वह सभी कंपनियां व्यक्तियों या व्यक्ति समूह को स्वास्थ्य कवच प्रदान कर सकती है।

बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अनुसार, आईआरडीए एसी नई बीमा कंपनी के पंजीकरण को तरजीह दे सकता है जो ऐसे स्वास्थ्य कवच प्रदान करने के लिए सहमत होती है।

साथ ही, दिनांक 17.9.2001 को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएं) विनियमन, 2001 भी अनुसूचित किए जा चुके हैं। ये विनियमन तृतीय पक्ष प्रशासकों (टी.पी.ए.) को लाइसेंस प्रदान करते हैं। "टी.पी.ए" स्वास्थ्य बीमा कारोबार के संबंध में बीमा कंपनी के साथ एक करार के अधीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इन सेवाओं में बीमा कारोबार करने या बीमा कारोबार करने का अनुरोध शामिल नहीं होगा। हालांकि यहां यह बता देना उचित होगा कि आज की तारीख तक बीमा विनियामक एवम् विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसा कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

गोदामों की स्थापना के लिए विदेशी भागीदारों को आमंत्रित किया जाना

*278. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में गोदामों की स्थापना के लिए विदेशी भागीदारों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खाद्य निगम आज तक भी इन निविदाओं/बोलियों को अंतिम रूप नहीं दे पाया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (ग) सरकार द्वारा घोषणा की गई खाद्यान्नों का हैंडलिंग, भण्डारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति में भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग, भण्डारण और ढुलाई के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने और चलाने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के प्रयासों और संसाधनों को शामिल करने की बात की गई है। इस नीति में निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता के माध्यम से परम्परागत भण्डारण क्षमता के सृजन की परिकल्पना भी की गई है।

'बनाओ और चलाओं' आधार पर खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग, भण्डारण और ढुलाई के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित करने हेतु विकासकर्ता-सह-प्रचालक का चयन अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए सलाहकार के रूप में राइट्स को नियुक्त किया गया है जो रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। प्रथम अवस्था में पार्टियों को लघुसूचीबद्ध करने के लिए अर्हता अनुरोध आमंत्रित किए जाने हैं। दूसरी अवस्था में लघुसूचीबद्ध पार्टियों से विस्तृत वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। भारतीय खाद्य निगम ने पहले ही राइट्स को परामर्श दे दिया है कि वह वैश्विक विज्ञापन के माध्यम से अर्हता अनुरोध आमंत्रित करे।

वस्त्र और जूट उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना

*279. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र और जूट उद्योग की उत्पादन गुणवत्ता में वृद्धि करने और बाजार में प्रतिस्पर्द्धात्मकता लाने हेतु वस्त्र और जूट उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु किसी वित्तीय योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके आरंभ किए जाने के बाद कितने लाभार्थियों को निधियां प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल की जनगणना के उपरांत प्रति व्यक्ति वस्त्र की आवश्यकता और उत्पादन के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र और पटसन उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना शुरू की है जो कि 1.4.1999 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यचालन में है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वस्त्र और पटसन उद्योगों की आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करना है, ताकि उनकी अर्थक्षमता तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाया जा सके।

(ख) इस योजना में योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन की परियोजना पर ऋणदात्री एजेंसी द्वारा प्रभारित ब्याज पर 5% की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान है। कोई भी वस्त्र एकक जो संबंधित वित्तीय संस्थानों के सामान्य ऋण देने के मानदण्डों के अनुसार पात्र

है और योजना के निर्धारित मानदण्ड को पूरा करते हैं, योजना के अंतर्गत निधियां प्राप्त कर सकते हैं।

30.9.2001 की स्थिति के अनुसार, वित्तीय संस्थानों द्वारा 1098 आवेदन-पत्रों पर 4820 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से 830 आवेदन-पत्रों पर 3023 करोड़ रु. की राशि संवितरित की गई है।

(ग) और (घ) चालू वर्ष और 10वीं योजना अवधि के दौरान कपड़े की प्रति व्यक्ति अनुमानित उपलब्धता और कपड़े का अनुमानित उत्पादन निम्न अनुसार है:

वर्ष	कपड़े की प्रति व्यक्ति अनुमानित उपलब्धता (वर्ग मीटर में)	कपड़े का अनुमानित उत्पादन (मिलियन वर्ग मीटर में)
2001-2002	23.93	34200
2002-2003	24.69	36200
2003-2004	25.48	38300
2004-2005	26.29	40550
2005-2006	27.13	42950
2006-2007	28.00	45500

चीनी का निर्यात

***280. श्रीमती कान्ति सिंह: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या हाल ही में अमरीका ने भारत से चीनी आयात के कोटे में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले को अमरीकी सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उत्पादन

2636. श्री वसुदेव आचार्य: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन सालों के दौरान सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कितनी राशि व्यय की है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी इकाईयों द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा का उत्पादन किया गया; और

(ग) इसी अवधि के दौरान देश में विधिवार और मात्रावार अपारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन में कौन सी विभिन्न प्रविधियां प्रयोग में लाई गई हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) इस मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों अर्थात 1998-99 से 2000-01 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा से उत्पादन के लिए कुल 947.32 रु. की राशि खर्च की है। इस अवधि के दौरान, यह अनुमान लगाया गया है कि देश में पवन, लघु पनबिजली और बायोमास ऊर्जा के प्रमुख अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से लगभग 9787 मिलियन यूनिट की विद्युतीय ऊर्जा उत्पादित की गई है। यह मंत्रालय स्टैंड अलोन प्रणालियों पर आधारित विकेन्द्रित ग्रामीण ऊर्जा का उत्पादन और ग्रिड सम्बद्ध प्रणालियों पर आधारित विद्युत का उत्पादन करने के लिए विभिन्न अपारम्परिक ऊर्जा कार्यक्रमों/योजनाओं को प्रोत्साहन दे रहा है व उनका कार्यान्वयन कर रहा है। देश भर में विभिन्न प्रणालियां/उपकरण—जैसे बायोगैस संयंत्र, उन्नत चूल्हा, लघु पनबिजली प्रणालिया बायोमास संयंत्र, पवन विद्युत संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। प्रमुख विद्युत उत्पादक प्रणालियों से उत्पादित ऊर्जा की मात्रा और स्थापित विकेन्द्रित प्रणालियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1998-99 से 2000-2001) के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की प्रमुख विद्युत उत्पादन प्रणालियों से उत्पादित ऊर्जा के ब्यौरे

क्र.सं.	स्रोत	उत्पादित ऊर्जा (मिलियन यूनिट में)
1.	पवन ऊर्जा	4093
2.	लघु पनबिजली	3236
3.	बायोमास-सह-उत्पादन	2060
4.	बायोमास विद्युत	120
5.	बायोमास गैसीफायर	184.2
6.	अपशिष्ट से ऊर्जा	93.8
	कुल	9787

पिछले तीन वर्षों (1998-99 से 2000-2001) के दौरान स्थापित विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणालियों की संख्या

क्र.सं.	प्रणालियां/उपकरण	स्थापित प्रणालियां
1.	बायोगैस संयंत्र (सं. लाख में)	4.89
2.	उन्नत चूल्हा (सं. लाख में)	55.05
3.	सौर प्रकाशवोल्टीय	
	क. सौर घरेलू रोशनी (सं.)	82,112
	ख. सौर लालटेन (सं.)	1,72,493
	ग. सौर सड़क रोशनी प्रणालियां (सं.)	8,797
	घ. सौर विद्युत संयंत्र (केडब्लूपी)	355

(केडब्लूपी - किलोवाट पीक)

[हिन्दी]

रसोई गैस डीलरों द्वारा अनियमितताएं

2637. **श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:**
डा. चरण दास महंत:
श्री अवतार सिंह भड़ाना:
श्री भेरूलाल मीणा:
श्री ताराचन्द्र भगोरा:
श्री रामेश्वर डूडी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसोई गैस एजेन्सियों के कर्मचारी उपभोक्ताओं के घरों में अक्सर गैस स्टोव की जांच करने और घटिया पुर्जे और रबर ट्यूब लगाने जाते हैं और इसके लिए अधिक शुल्क वसूलते हैं;

(ख) क्या उपभोक्ताओं को सुरक्षा के नाम पर आई.एस.आई. मार्का गैस स्टोवों की गैस एजेन्सियों से खरीद हेतु बाध्य किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और दोषी रसोई गैस एजेन्सियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों को तेल विपणन कंपनियों से हिदायतें प्राप्त हैं कि सुरक्षा के प्रयोजन से ग्राहक के परिसर में दो वर्ष में एक बार एल पी जी उपकरण की अनिवार्य जांच करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें 25/- रुपए जांच प्रभार के रूप में लेने के लिए अधिकृत किया गया है। तेल विपणन कंपनियों ने इस पहल पर ग्राहकों से अधिक राशि वसूलने की कोई शिकायत नहीं की है। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को यह है कि वे अपनी पसंद के अनुसार किसी भी स्थान से आई एस आई मार्का का चूल्हा खरीद सकते हैं। गैस का चूल्हा आदि जबरदस्ती बेचने के संबंध में उपभोक्ताओं से मिली शिकायतों पर तेल विपणन कंपनियों द्वारा छानबीन की जाती है और शिकायत सिद्ध होने पर गलती करने वाले एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश-2001 के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

राजस्थान में पेट्रोल के भण्डार

2638. **श्री निहाल चंद चौहान:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में कोई पेट्रोल भण्डार है और राज्य में पेट्रोल निकालने के कितने पंप लगाए गए हैं;

(ख) क्या संयुक्त उद्यम से पेट्रोल निकालने हेतु किन्ही जोन का गठन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उद्यमों में भागीदारी का अलग-अलग ब्यौरा क्या है एवं इस-उत्खनन कार्य में सरकार को हुए घाटे, यदि कोई हुआ है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) राजस्थान में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी), आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के प्रचालन क्षेत्रों में तेल के अनुमानित भंडार 4.75-7.35 मिलियन मीट्रिक टन (मि.मी.ट.) हैं जिसमें लगभग 2.20 मि.मी.ट. का भारी तेल शामिल है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने राजस्थान में पांच अन्वेषण ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए थे, इनमें से चार एन ई एल पी से पूर्व निजी कंपनियों के साथ हस्ताक्षरित की गई थी और एक ओ आई एल के साथ एन ई एल पी-2 के तहत हस्ताक्षरित की गई थी। तथापि, एक ब्लाक

के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा समाप्त कर दी गई है। अन्य चार ब्लाकों के ब्यौरे निम्नवत् हैं:

ब्लाक	संविदाकार	हिस्ससेदारी हित
आरजे-ओएन-90/1	कर्न एनर्जी इंडिया लि.	50 प्रतिशत
	शैल इंडिया प्रोड. डि.बी.बी.	50 प्रतिशत
आरजे-ओएन-90/5	एस्सार आयल लि.	75 प्रतिशत
	पॉलिस आयल एण्ड गैस कंपनी	25 प्रतिशत
आरजे-ओएन/6	फीनिक्स ओवरसीज लि.	100 प्रतिशत
आरजे-ओएनएन-2000/1	ओ आई एल	100 प्रतिशत

संविदाकार अपनी-अपनी उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के निबन्धनों के अनुसार अन्वेषण कार्य कर रहे हैं और इस कारण से भारत सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

डी.ओ.पी.टी. में आरक्षित पद

2639. सरदार बूटा सिंह: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 02.07.1997 के डी.ओ.पी.टी. कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्थापना (आरक्षण) के व्याख्यात्मक टिप्पण के पैरा 11 के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित जो व्यक्ति योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं उन्हें उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे के समक्ष नहीं दर्शाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के योग्यता के आधार पर सेवाओं के विभिन्न श्रेणियों में चयनित/भर्ती/पदोन्नत किए गए उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नहीं गिना गया; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें उक्त अवधि के दौरान योग्यता के आधार पर अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.प.वि. के चयनित उम्मीदवारों को उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के समक्ष समायोजित किया गया था तथा उसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) जी हां।

(ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की स्वीकृत स्टाफ संख्या 397 है जिसमें समूह क, ख, ग एवं घ शामिल हैं। इसमें से केन्द्रीय सचिवालय से संबंधित 127 स्टाफ के संवर्ग का नियंत्रण विद्युत मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और इनके द्वारा आरक्षण रोस्टर आदि का रखरखाव किया जा रहा है। समूह 'क' के 13 पदों का नियंत्रण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है। राजभाषा विभाग द्वारा समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' में 5 पदों का नियंत्रण किया जा रहा है। यह मंत्रालय एक वैज्ञानिक मंत्रालय है और इसमें समूह 'क' के 81 वैज्ञानिक पद हैं। वैज्ञानिक पदों में आरक्षण केवल एन्ट्री ग्रेड पर ही लागू है। इस मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण केवल वैज्ञानिक और समूह 'घ' पदों पर ही है। इस मंत्रालय में कुछ पृथक (संवर्ग-बाह्य) पद प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाते हैं किंतु ऐसे पदों के लिए कोई आरक्षण लागू नहीं हैं। इस मंत्रालय में पिछले तीन वर्षों से वैज्ञानिक पदों के लिए कोई भर्ती नहीं की गई है। वैज्ञानिकों की प्रोन्नति को सुनम्य पूरक योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है और इसमें कोई आरक्षण लागू नहीं है। पिछले तीन वर्षों के दौरान योग्यता आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के समूह 'घ' के किसी भी स्टाफ का चयन/भर्ती/प्रोन्नति नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति

2640. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों/उद्यमों, सांविधिक संगठनों/निगमों स्वायत्त संगठनों, सम्बद्ध/अधीनस्थ

कार्यालयों के तहत प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय (समूह ख) और उनके समकक्ष के कितने पद हैं; और

(ख) डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के तहत अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में श्रेणी-1 (समूह क) तथा श्रेणी-2 (समूह ख) के तहत पदों की संख्या निम्नवत् है:

	पदों की संख्या
श्रेणी 1 (समूह क)	41919
श्रेणी 2 (समूह ख)	12160

(ख) सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में समूह-क तथा समूह ख में सामान्य/अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा धारित पदों की संख्या निम्नवत् है:

	समूह क	प्रतिशत	समूह ख	प्रतिशत
सामान्य	32979	78.67	9532	78.39
अनुसूचित जाति	5767	13.76	1767	14.53
अनुसूचित जनजाति	1936	4.76	687	5.85
अन्य पिछड़े वर्ग	1237	2.95	174	1.43

रेलवे फ्रेट टर्मिनल विनिर्माण

2641. श्री सुबोध मोहिते: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे ने आम उपयोग के लिए निजी क्षेत्र के वितपोषण से रेलवे टर्मिनल बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्टेशनों का चयन किया गया है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वित्तीय संकट से निपटने के लिए क्या उपाए किए जाने का निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) निजी स्रोतों से वित्तपोषित मालभाड़ा टर्मिनलों को स्थापित करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने एक प्रेस विज्ञापन जारी किया है जिसमें भावी निवेशकों से "एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट" आमंत्रित किए हैं। "एक्सप्रेस आफ इंटरेस्ट" प्राप्त करने की आखिरी तारीख 12.11.2001 थी। रेलवे ने जिन स्थलों की पहचान की है, उनमें शालीमार, सांकरेल, विशाखापटनम, मंदिर हसौद, हटिया, टाटानगर, कनाईकुंडा, भिलाई, बोंडामुंडा और बेरहामपुर शामिल हैं। जिन निजी फार्मों/कार्पोरेट इकाइयों के पास ऐसी सुविधाओं को विकसित करने के लिए अच्छी तकनीक, वित्तीय और प्रबंधन क्षमता है, वे आवेदन करने के पात्र हैं।

(ग) और (घ) रेलवे बोर्ड में क्षेत्रीय रेलों जिसमें दक्षिण पूर्व रेलवे भी शामिल है, के निष्पादन की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। इनमें लदान और प्राप्त आमदनी महत्वपूर्ण मापदंड होते हैं जिन पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। अक्तूबर, 2001 तक दक्षिण-पूर्व रेलवे में लदान और माल यातायात से आमदनी क्रमश: 104.95 मीटरिक टन और 3399.28 करोड़ रुपए थी जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान यह 102.66 मीटरिक टन तथा 3274.72 करोड़ रुपए थी।

(ङ) वित्तीय क्षमता को बेहतर करने के लिए रेलवे ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उनमें अतिरिक्त माल/पार्सल यातायात पर कब्जा करने के लिए विपणन प्रयास, बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ अभियान, बकाया धनराशि की वसूली के लिए अभियान,

रेलवे भूमि, एयर स्पेस के वाणिज्यिक दोहन के जरिए संसाधनों को जुटाना, खर्च में नियंत्रण और किफायती उपाय अपनाना आदि शामिल है।

[हिन्दी]

टोरी-लोहारदागा रेल लाइन का सर्वेक्षण

2642. प्रो. दुखा भगत: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नयी टोरी-लोहारदागा रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा भूमि के अधिग्रहण का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो भूमि के अधिग्रहण का कार्य कब शुरू हुआ और कितना प्रतिशत कार्य आज तक पूरा चुका है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) लोहारडागा और टोरी के बीच नई लाइन के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् परियोजना के लिए भूमि अधिगृहण संबंध, कार्य किया जाएगा।

(ग) कार्य को पूरा करने की कोई लक्ष्य तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है।

छावनी बोर्ड परिषद में भागीदारी

2643. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थानीय संसद सदस्य छावनी बोर्ड परिषदों के सदस्य होते हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थानीय संसद सदस्यों को छावनी बोर्ड परिषद की बैठकों में आमंत्रित न करने तथा उन्हें सक्रिय भागीदारी से वंचित रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने छावनी बोर्ड परिषदों को अपनी बैठकों में स्थानीय संसद सदस्यों को शामिल करने के लिए मार्ग-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार संबंधित क्षेत्र के संसद सदस्य को छावनी परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत करने के लिए छावनी अधिनियम, 1924 में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो छावनी अधिनियम में उक्त संशोधन कब तक कर लिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) इस मामले पर नया छावनी अधिनियम बनाते समय विचार किया जाएगा। इस कार्य के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

राजस्थान में विद्युत उत्पादन

2644. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान राजस्थान में विद्युत उत्पादन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान द्वारा अपने आन्तरिक स्रोतों में कितना विद्युत उत्पादन किया गया है और पड़ोसी राज्यों तथा सेन्ट्रल ग्रिड से कुल कितनी बिजली की अपूर्ति की गई;

(ग) राजस्थान में विद्युत की कुल कितनी खपत है और इसकी कुल खपत के मुकाबले इसकी अपनी विद्युत उत्पादन का प्रतिशत कितना है;

(घ) राजस्थान ने आज की तिथि तक विद्युत क्षेत्र में कितनी प्रगति की है; और

(ङ) राज्य में ऊंची दरें वसूलने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 से 2001-02 (अक्तूबर, 2001 तक) के दौरान राजस्थान में उत्पादन क्षमता में कुल अभिवृद्धि 940 मेगावाट रही। इसमें से 500 मेगावाट राज्य क्षेत्र (कोयला आधारित) में है तथा 440 मेगावाट केन्द्रीय क्षेत्र (न्यूक्लीय) में हैं। वर्ष 1999-2000 से 2001-02 (अक्तूबर, 2001 तक) के दौरान राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड (आरएसईबी)/राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. (आरआरवीयूएनएल) तथा राजस्थान में

स्थित केन्द्रीय क्षेत्र की यूनिटों द्वारा उत्पादित ऊर्जा का ब्यौरा निम्नवत है:

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

	1999-2000	2000-01	अप्रैल-अक्तूबर, 2001
आरएसइबी	8184	9860	5865
आरएसइबी जल विद्युत	995	376	182
आरएसईबी/आरआरयूवीएनएल	9179	10236	6047
केन्द्रीय क्षेत्र			
एनटीपीसी-अंता गैस पावर स्टेशन	3189	2881	1829
राजस्थान ऑटोमिक पावर स्टेशन (न्यूक्लीयर)	2202	3578	2440
राजस्थान कुल	14570	16695	10316

पिछले दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष हेतु पड़ोसी राज्यों, बीबीएमबी तथा केन्द्रीय परियोजनाओं से राजस्थान को विद्युत की आपूर्ति का ब्यौरा निम्नवत है:

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

प्रणाली/क्षेत्र/राज्य	1999-2000	2000-01	अप्रैल-अक्तूबर, 2001
(1) बीबीएमबी (भाखड़ा+देहर+पोंग)	3050	2375	1395
(2) केन्द्रीय क्षेत्र (एनटीपीसी+एनएचपीसी+एनपीसी)	12329	12186	6320
(3) पड़ोसी राज्य/क्षेत्र से सहायता			
(क) पंजाब	142	96	-
(ख) पश्चिम क्षेत्र	233	73	26
(ग) जोड़	15754	14730	7762

(ग) वर्ष 1999-2000, 2000-01 तथा 2001-02 (अक्तूबर, 2001 तक) के लिए राजस्थान में ऊर्जा की कुल खपत का ब्यौरा (पूर्व बस उत्पादन केन्द्र) निम्नवत है:

	उपभोग (मिलियन यूनिट)	स्वयं का उत्पादन(आरएसइबी) (मिलियन यूनिट)	स्वयं का उत्पादन की तुलना में उपभोग का%
1999-2000	24024	9176	38.21
2000-01	24178	10236	42.34
2001-02 (अप्रैल-अक्तूबर, 2001)	13512	6047	44.75

(घ) सुधार विधेयक पहले ही पारित किया जा चुका है तथा राज्य विद्युत बोर्ड का पृथक्करण कर लिया गया है। एसईआरसी के अध्यक्ष तथा सदस्य पहले से ही कार्य-भार संभाल चुके हैं तथा उन्होंने पहले ही टैरिफ आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान ने विद्युत क्षेत्र के सुधारों को तीव्र करने के लिए पहले भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं।

(ङ) उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु विद्युत का टैरिफ राजस्थान राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा परामर्श करने तथा विभिन्न निवेशों की लागत जैसे विद्युत, प्रचालन और अनुरक्षण की लागत तथा अन्य घटकों जैसे टी एंड डी हानियों, ओवरहैड तथा निवेश पर लाभांश को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

लोड डिस्पैच केन्द्रों का आधुनिकीकरण

2645. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:
श्रीमती जयश्री बैनर्जी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बहुधा होने वाली ग्रिड असफलता के मद्देनजर देश के सभी लोड डिस्पैच केन्द्रों के आधुनिकीकरण का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अनुमानित खर्च कितना होगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) पावरग्रिड को सभी 5 क्षेत्रों अर्थात् उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में भार प्रेषण केन्द्रों के आधुनिकीकरण का कार्य सौंपा गया है। इन परियोजनाओं, जिन्हें यूनिफाइड लोड डिस्पैच सेंटर के रूप में जाना जाता है, की स्थापना से ग्रिड प्रचालन के वास्तविक समय में सुधार होगा और ग्रिड खराबी की संभावनाएं भी न्यूनतम होंगी। इन स्कीमों के स्कोप, अनुमानित लागत तथा पूर्ण होने की समय सारणी के बारे में ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	स्कीम का स्कोप	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	पूरा होने का समय
1.	यूनिफाइड लोड डिस्पैच एवं संचार स्कीम-उत्तरी क्षेत्र	-उपयुक्त स्थानों पर केन्द्रीय भार प्रेषण केन्द्रों, राज्य भार पारेषण केन्द्रों, उप प्रेषण केन्द्रों की स्थापना-फाइबर ऑप्टिक/ माइक्रोवेव नेटवर्क आदि की स्थापना -सुदूरवर्ती टर्मिनल यूनिटों की स्थापना	658.92	जून, 2002
2.	यूनिफाइड लोड डिस्पैच एवं संचार स्कीम-दक्षिणी क्षेत्र	-वही-	683.80	जून, 2002
3.	यूनिफाइड लोड डिस्पैच एवं संचार स्कीम-उ.पू. क्षेत्र	-वही-	267.35	दिसम्बर, 2003
4.	यूनिफाइड लोड डिस्पैच एवं संचार स्कीम-पूर्वी क्षेत्र	-वही-	290.01	दिसम्बर, 2004
5.	यूनिफाइड लोड डिस्पैच एवं संचार स्कीम-पश्चिमी क्षेत्र	-वही-	262.18	फरवरी, 2005

[अनुवाद]

पेट्रोल का आयात

2646. श्रीमती जसकौर मीणा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितना पेट्रोल आयात किया गया और उस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में पेट्रोल का कितना उत्पादन हुआ है; और

(ग) देश में उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पेट्रोल की खोज की जा रही है/उत्पादन किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादित और आयातित पेट्रोल की मात्रा और उस पर व्यय की गई धनराशि निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन (टी एम टी)	आयात (टी एम टी)	मूल्य (करोड़ रुपए)
1998-99	5,573	251	191
1999-00	6,231	-	-
2000-01	8,068	-	-

(ग) वे राज्य निम्नानुसार हैं जहां पेट्रोल सहित पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन करने के लिए कच्चे तेल का शोधन किया जाता है:

1. गुजरात
2. महाराष्ट्र
3. उत्तर प्रदेश
4. हरियाणा
5. पश्चिम बंगाल
6. आंध्र प्रदेश
7. तमिलनाडु
8. केरल
9. कर्नाटक
10. असम
11. बिहार

कर्नाटक के रायचूर में एन.टी.पी.सी का विद्युत संयंत्र

2647. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार कर्नाटक के रायचूर में राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र की कितनी इकाइयां हैं;

(ख) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा कर्नाटक पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की रायचूर स्थित एन.टी.टी.पी. विद्युत संयंत्रों में भागीदारी है; और

(ग) यदि हां, तो रायचूर स्थित एन.टी.पी.सी. विद्युत संयंत्र की अतिरिक्त इकाइयों को शुरू करने में उनकी भूमिका किस प्रकार की होगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) वर्तमान तारीख के अनुसार नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने कर्नाटक के रायचूर में किसी यूनिट को चालू नहीं किया है। हालांकि कर्नाटक विद्युत निगम लि. (केपीसीएल) जो कर्नाटक राज्य में राज्य के अधिकार क्षेत्र वाली विद्युत उत्पादक विद्युत यूटिलिटी ने रायचूर में 210 मेगावाट प्रत्येक 6 ताप विद्युत यूनिटें चालू की हैं जिनके लिए मुख्य संयंत्र एवं उपस्कर की आपूर्ति एवं उत्थापन मै. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (भेल) द्वारा की गयी। इन 6 यूनिटों के अलावा केपीटीसीएल वर्तमान में एनटीपीसी की प्रतिभागिता के बिना ही रायचूर में 210 मेगावाट की एक अतिरिक्त यूनिट (यूनिट-7) की स्थापना कर रही है। इस यूनिट के लिए भी मुख्य संयंत्र एवं उपस्करों की आपूर्ति भेल कर रहा है। इस यूनिट को फरवरी, 2003 तक चालू किए जाने की आशा है।

सीसा रहित व कम बेनजीन वाला पेट्रोल तथा डीजल

2648. श्रीमती रेणुका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार की अपील पर सीसा रहित व कम बेनजीन पेट्रोल तथा डीजल जिसमें 0.05 प्रतिशत सल्फर को आटोमोबाइलों ने स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो राजधानी में सार्वजनिक परिवहन के संबंध में इस निर्णय के मद्देनजर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) सी.एन.जी. की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है और यह कितनी बसों व वाहनों के लिए पर्याप्त है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) उच्चतम न्यायालय ने यह देखा है कि सीसा रहित तथा कम बेनजीन पेट्रोल को स्वच्छ ईंधन के रूप में माना जाता है। इसी क्रम में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी टी) में बसों को छोड़कर वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले 0.05 अधिकतम गंधक वाले डीजल को अनुमति दी गई है।

(ख) 1.11.2000 से एन सी टी में 1.0 प्रतिशत अधिकतम बेनजीन की मात्रा के साथ 0.5 प्रतिशत अधिकतम गंधक मात्रा वाले सीसा रहित पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1.4.2000 से चुने हुए बिक्री केन्द्रों पर तथा 1.3.2001 से सभी खुदरा बिक्री केन्द्रों पर 0.5 प्रतिशत अधिकतम गंधक मात्रा वाले डीजल की शुरूआत की गई थी।

(ग) इस समय आई जी एल की सी एन जी सम्पीड़ित क्षमता 4.4 लाख क्रि.ग्रा./दिवस है। इसकी मांग लगभग 3.6 लाख कि.ग्रा./दिवस है। दिल्ली में सी एन जी वाहनों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है:

बसें	–	3614
आटो	–	33000
आर टी वी	–	1475
निजी कारें	–	10350
टैक्सियां	–	3750

कर्नाटक में जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकी पैकेज लागू करना

2649. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रों में सहभागी दृष्किोण के प्रोत्साहन द्वारा ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने और जी.एच.जी. उत्सर्जन को कम करने के लिए जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकी पैकेज लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय इस कार्य हेतु धन उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक के जिन गांवों को इसमें शामिल किए जाने का विचार है उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त परियोजना को बेल्लारी जिले के गांवों में लागू किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय इस परियोजना के लिए लगभग 1.9 करोड़ रु. (0.39 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की सहायता देने के लिए सहमत हो गया है।

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत तुमकुर जिले में 24 गांवों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

लद्दाख में सौर ऊर्जा

2650. श्री राम नायडू दग्गुबाटि: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लद्दाख में विद्युत आपूर्ति के लिए सौर ऊर्जा परियोजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने लेह जिले में 39 गांवों और कारगिल जिले में 18 गांवों एवं 27 बस्तियों के, 10,000 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों की संस्थापना और 6,000 सौर लालटेनों के संवितरण के माध्यम से, विद्युतीकरण के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार के लद्दाख कार्य विभाग को सितम्बर, 2001 में एक परियोजना स्वीकृत की है। इस परियोजना का कार्यान्वयन लेह जिले में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह द्वारा और कारगिल जिले में जिला विकास आयुक्त (डीडीसी), कारगिल द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना में गैर-सरकारी संगठनों को कार्यान्वयन कार्य में शामिल किए जाने की भी परिकल्पना है। इस ग्राम विद्युतीकरण परियोजना की अनुमानित लागत 20 करोड़ रु. है जिसमें से इस मंत्रालय का

हिस्सा 18 करोड़ रु. है। मंत्रालय ने अग्रिम अनुदान के रूप में कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को 4.35 करोड़ रु. की राशि पहले जारी कर दी है। शेष 2 करोड़ रु. की लागत राज्य सरकार द्वारा पूरी की जानी है। यह परियोजना 31 मार्च, 2003 तक पूरी की जानी है।

इसके अलावा, इस मंत्रालय ने वर्ष 2001-02 के सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अंतर्गत एलएएचडीसी को 500 सौर लालटेन और 250 सौर घरेलू रोशनी प्रणालियां तथा एक स्थानीय गैर-सरकारी-संगठन लद्दाख इकोलॉजिकल डेवलपमैंट ग्रुप (एलईडीईजी), लेह को 250 सौर लालटेन और 250 सौर घरेलू रोशनी प्राणालियां आवंटित की हैं। इन प्रणालियों के लिए अनुमानित केन्द्रीय वित्तीय सहायता 39 लाख रु. है। इन प्रणालियों को 31 मार्च, 2002 तक स्थापित/संवितरित किया जाना है।

[हिन्दी]

रेल मार्ग पर नए पैसेंजर कोच शुरू करना

2651. श्री वाई.जी. महाजन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल मार्ग पर नए यात्री कोच लगाने हेतु क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या सरकार को संसद सदस्यों से मध्य रेलवे के भुसावल मंडल की पचोरा-जामनेर छोटी रेल लाइन पर वर्तमान रेल कोचों को वरियता के आधार पर बदलने हेतु निवेदन मिले हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मार्ग पर नयी पैसेंजर कोच लगाने की योजना को कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) विभिन्न क्षेत्रीय रेलों को प्रतिस्थापना आवश्यकता और नई सेवाएं शुरू करने की आवश्यकताओं के आधार पर सवारी डिब्बों का आंवटन किया जाता है।

(ख) और (ग) जी हां। संसद सदस्य श्री वाई.जी. महाजन ने दिनांक 30.11.2000 के अपने पत्र के तहत यह बताया था कि पचोरा-जामनेर छोटी लाइन खण्ड पर खिड़कियों के टूटे हुए शीशे आदि वाले पुराने सवारी डिब्बे चल रहे हैं। इन सवारी डिब्बों को ठीक कर दिया गया और सवारी डिब्बों के उचित रख-रखाव और अनुरक्षण के लिए अनुदेशों को दोहरा दिया गया है।

(घ) इस खण्ड पर नए सवारी डिब्बों को चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मौजूदा सवारी डिब्बे अपनी जीवट आयु में हैं तथा अच्छी स्थिति में हैं।

[अनुवाद]

पानी के नीचे काम करने वाला दूरभाष

2652. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेवल फिजिकल एंड ओसीनोग्राफिक लेबोरेट्री द्वारा विकसित स्वदेशी डिजाइन के आधार पर केल्ट्रोन द्वारा पानी के नीचे काम करने वाले दूरभाष का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या क्रमबद्ध तरीके से भारतीय नौसेना के सभी बड़े पोतों को इन सेटों से युक्त किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार ने कोई ठोस कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय नौसेना के सभी बड़े पोतों को इन सेटों से कब तक युक्त कर दिया जायेगा?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) अंतर्जलीय टेलीफोन के विकास का संबंध नौसेना की संक्रियात्मक सूचना से है और इसलिए सदन में इसकी सूचना देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

झारखंड में चांदमारी रेंज की स्थापना

2653. डॉ. संजय पासवान: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छत्रा जिले के झारखंड राज्य में चांदमारी रेंज की स्थापना करने का विचार छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का अब बिहार में चांदमारी रेंज की स्थापना का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) बिहार राज्य सरकार ने राज्य में फील्ड फायरिंग रेंज की स्थापना करने के लिए भूमि का आबंटन नहीं किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में एल.पी.जी. एजेन्सियों का आबंटन

2654. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 10,000 या इससे अधिक आबादी वाले प्रत्येक कस्बे अथवा गांव में एल.पी.जी. एजेंसी आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संभवत: एल.पी.जी. की कितनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप (विक्रेता) पर्याप्त होगी;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय एल.पी.जी. की कितनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हैं; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी नयी एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित करने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्ष, 1996-98 से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एन सीज) द्वारा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए विपणन योजनाएं निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी:

(1) 15 किलोमीटर के दायरे के भीतर आ रहे समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को शामिल करते हुए 10,000 और उससे अधिक आबादी वाले सभी शहरी स्थान।

(2) 15 किलोमीटर के दायरे के भीतर आ रहे समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए 5000 और उससे अधिक आबादी वाले सारे व्यवहार्य शहरी स्थान।

(3) ऐसे मुख्य गांवों, जिनकी आबादी 10,000 और उससे अधिक हैं, के 15 किलोमीटर दायरे के भीतर आने वाले गांवों के समूह के व्यवहार्य स्थान।

(4) ऐसे नगरों, जिनकी आबादी 1 लाख और उससे अधिक है, के चारों ओर 15 किलोमीटर दायरे के भीतर अवस्थित गांवों का एल पी जी डस्ट्रीब्यूटरशिपें करने के लिए सर्वेक्षण किया जाना है।

(ख) से (घ) तेल विपणन कंपनियों ने विभिन्न विपणन योजनाओं के तहत एल पी जी डिस्ट्रब्यूटरशिपें खोलने हेतु 1247 स्थान केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शामिल किए हैं। 1 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार 217 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें केवल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचालन कर रही हैं।

[हिन्दी]

लम्बित परियोजनाएं

2655. श्री रामजी लाल सुमन :
डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निर्माणाधीन परियोजनाएं सितम्बर, 2001 में लम्बित थीं;

(ख) यदि हां, तो पांच वर्ष पहले और उससे भी पहले शुरू की गयी परियोजनाओं की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार पूरा करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी तथा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यवार और कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) ये परियोजनाएं कब तक पूरी कर ली जाएंगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) इस समय कुल 278 रेल परियोजनाएं चालू हैं। राज्य-वार परियोजनाओं की संख्या जिन्हें अनुमोदित हुए 5 वर्ष या इससे अधिक समय हो गया है, संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) ये परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता और इनकी सापेक्ष प्राथमिकता के अनुसार पूरी की जाएंगी।

(घ) रेलवे एक एकीकृत प्रणाली है जिसमें निवेश संबंधी फैसलों को लेते समय राज्य की भौगोलिक सीमाओं को मानदण्ड बनाया जाता है। अक्सर एक रेलवे परियोजनाएं एक से अधिक राज्यों में फैली होती है। रेलवे द्वारा अपनायी जा रही लेखा पद्धति में व्यय का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है। अत: परियोजनाओं के व्यय संबंधी सूचना राज्य-वार नहीं रखी जाती है।

(ङ) ये परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता और उनकी सापेक्ष प्राथमिकता के अनुसार पूरी की जाएंगी।

विवरण

राज्य-वार रेल परियोजनाएं जिन्हें अनुमोदित हुए 5 वर्ष या इससे अधिक समय हो गया है

क्र.सं.	राज्य	चालू परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	6
4.	बिहार	12
5.	छत्तीसगढ़	5
6.	दिल्ली	1
7.	गुजरात	9
8.	हरियाणा	2
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू और कश्मीर	2
11.	झारखंड	6
12.	कर्नाटक	14
13.	केरल	5
14.	मध्य प्रदेश	10
15.	महाराष्ट्र	16
16.	मेघालय	1
17.	उड़ीसा	12
18.	राजस्थान	8
19.	तमिलनाडु	9
20.	त्रिपुरा	1
21.	उत्तर प्रदेश	17
22.	पश्चिम बंगाल	19

टिप्पणी : कई परियोजनाएं एक से अधिक राज्य में फैली हुई हैं।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में एल.पी.जी. एजेंसियां/पेट्रोल पम्प

2656. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के जालना, औरंगाबाद, बीड और मलगांव जिलों के लिए स्वीकृत एल.पी.जी. एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों की संख्या क्या है;

(ख) उच्चतम न्यायालय के आदेशों द्वारा उनमें से कितने आबंटनों को रद्द कर दिया गया और उक्त आदेशों के बावजूद कितनी एल.पी.जी. एजेन्सियां और पेट्रोल पम्प अभी तक कार्य कर रही हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) महाराष्ट्र के संबंधित जिलों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा किए गए एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर. ओज) के आबंटन का ब्यौरा निम्नवत् है:-

जिले का नाम	एल पी जी	खुदरा बिक्री केन्द्र
जालना	–	1
औरंगाबाद	2	–
बीड़	1	–
जलगांव	4	–

(ख) और (ग) भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरिउल्लिखित किसी आबंटन को रद्द नहीं किया है।

केन्द्रीय निगरानी सेवा

2657. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय निगरानी सेवा को प्रसार भारती से अलग करने और इसे अपने सीधे नियंत्रणाधीन करके एवं स्वतंत्र मीडिया इकाई में परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय निगरानी सेवा द्वारा निगरानी किए जाने वाले कार्यक्रमों के स्वरूप और प्रकार क्या हैं; और

(घ) इस परिवर्तन से क्या विशिष्ट लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (घ) आकाशवाणी की वर्तमान केन्द्रीय मानीटरिंग सेवा रेडियो और दूरदर्शन के विभिन्न विदेशी और भारतीय कार्यक्रमों/चैनलों का जायज समझे जाने पर मानीटरिंग करता है। जबकि एक तरफ यह प्रसार भारती के प्रमुख कार्यों का भाग नहीं है, दूसरी तरफ, मानीटरिंग एजेंसी की जरूरत है जिसमें किसी प्रसारक का हस्तक्षेप न हो ताकि केबल और प्रसारण कानून तथा संहिता को अधिक कारगर ढंग से लागू किया जा सके। इसे देखते हुए कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं कि केन्द्रीय प्रबोधन सेवा से निकाल कर एक अलग मीडिया एकक बनाने की संभावना का पता लगाया जाये।

येलाहांका-बांगड़पेट रेल लाइन का आमान परिवर्तन

2658. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या येलाहांका-बांगड़पेट के बीच आमान परिवर्तन का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) अब तक इसमें क्या प्रगति है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) जी नहीं। येलहंका से चिकबलापुर और कोलार से बांगरपेट का कार्य पूरा हो गया है और चालू कर दिया गया है। इस कार्य की अनुमानित लागत 57.54 करोड़ रुपए है। 31 मार्च, 2001 तक किया गया व्यय 57.4 करोड़ रुपए है। चिकबलापुर और कोलार के बीच आमान परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विद्युत की आवश्यकता

2659. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों के शीतकालीन अवधि में विद्युत की कितनी आवश्यकता है;

(ख) क्या उक्त अवधि में विद्युत का अतिरिक्त उत्पादन किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अतिरिक्त विद्युत के उपयोग हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) विभिन्न राज्यों में दिसम्बर, 2001 से मार्च, 2002 के शीतकालीन महीनों में ऊर्जा की अनुमानित आवश्यकता संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 2001 से मार्च, 2002 की अवधि के लिए विद्युत उत्पादन लक्ष्यों के आधार पर ऊर्जा की अनुमानित आवश्यकता, अधिशेष ऊर्जा दिसम्बर, 2001 से मार्च, 2002 के दौरान पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में क्रमश: 2564 मिलियन यूनिट एवं 38 मिलियन यूनिट ऊर्जा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। अन्य क्षेत्रों में केवल मौसमी अधिशेष होता है।

(घ) पूर्वी क्षेत्र से 1200-1300 मे.वा. विद्युत अन्य क्षेत्रों/राज्यों को मौजूदा अंत:क्षेत्रीय पारेषण क्षमता के अनुरूप निर्यात किया जा रहा है और शीतकालीन महीनों में यही स्थिति कायम रहेगी। दक्षिण क्षेत्र में तमिलनाडु एवं केरल, पश्चिम क्षेत्र में गुजरात एवं मध्य प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर और हरियाणा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम पूर्वी क्षेत्र के अधिशेष विद्युत के प्रमुख लाभार्थी हैं। पूर्वी क्षेत्र से अधिशेष विद्युत के निर्यात में वृद्धि के लिए अंत:क्षेत्रीय लिंक सुदृढ़/स्थापित करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण

दिसम्बर, 2001 से मार्च, 2002 की अवधि के दौरान अनुमानित ऊर्जा आवश्यकता

(सभी आंकड़े मि.यू. में)

राज्य/यूटी का नाम	दिसम्बर, 2001	जनवरी, 2002	फरवरी, 2002	मार्च, 2002
1	2	3	4	5
चण्डीगढ़	83	97	78	76
दिल्ली	1519	1669	1396	1428
हरियाणा	1537	1451	1457	1594
हिमाचल प्रदेश	302	307	292	297
जम्मू व कश्मीर	636	663	631	610
पंजाब	2035	2030	2088	2178
राजस्थान	2408	2477	2290	2408
उत्तर प्रदेश	3976	4157	3942	4142
उत्तरी क्षेत्र	12496	12851	12174	12733
गुजरात	5226	4864	4021	4950
मध्य प्रदेश	4537	4251	3591	3833
महाराष्ट्र	8063	7279	6650	7673
गोवा	159	161	137	151
पश्चिमी क्षेत्र	17984	16555	14398	16607
आंध्र प्रदेश	4226	4263	4255	4946
कर्नाटक	3084	3239	2989	3434
केरल	1220	1242	1146	1348
तमिलनाडु	3795	3717	3770	4479
दक्षिणी क्षेत्र	12325	12462	12160	14207
बिहार	843	873	789	811
डीवीसी	701	687	634	699
उड़ीसा	1071	1080	957	1061
पश्चिम बंगाल	1544	1623	1549	1892
पूर्वी क्षेत्र	4159	4263	3929	4462

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	11	11	11	11
असम	262	276	279	267
मणिपुर	43	46	40	39
मेघालय	57	65	58	59
मिजोरम	26	27	23	23
नागालैंड	22	24	20	19
त्रिपुरा	49	49	49	55
उ.पू. क्षेत्र	468	499	481	473
अखिल भारत	47433	46630	43141	48481

मूर्तियों की चोरी

2660. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री शिवाजी माने :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरी (उड़ीसा) में जगन्नाथ मंदिर से मदन मोहन और नारायण की दो मूर्तियां चुरा ली गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में की गयी जांच तथा इसके निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी घटनावार ब्यौरा क्या है;

(च) इस संबंध में घटनावार की गयी जांच तथा उनके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) जी हां। मदन मोहन तथा नारायण की मूर्तियां जगन्नाथ मंदिर से 10.11.2001 को चुरा ली गई थीं। ये चुराई गई मूर्तियां मंदिर न्यासियों की संपत्ति हैं। जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बीच निष्पादित समझौते के तहत जगन्नाथ मंदिर एक संरक्षित स्मारक है।

इस समझौते के तहत, वेदी की सुरक्षा सहित प्रशासनिक मामले मंदिर प्राधिकारियों तथा राज्य सरकार में निहित है। पुलिस ने मदन मोहन की मूर्ति बरामद कर ली है।

(घ) से (च) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों से चोरी हुई मूर्तियों का ब्यौरा तथा उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(छ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राजस्व आसूचना निदेशालय, सीमा-शुल्क तथा राज्य सरकारों के साथ सामंजस्य से, सीमा शुल्क निकासी बिन्दुओं पर जांच कार्य को तेज करके तथा साथ ही संगत अधिनियमों को कड़ाई से लागू करके, पुरावशेषों की चोरी पर काबू पाने के उपाय किए हैं। संरक्षित स्मारकों तथा संग्रहालयों पर राज्य पुलिस या यथा-अपेक्षित निजी सुरक्षा को लगाकर सुरक्षा को बढ़ाया गया है।

विवरण

अप्रैल, 1998 से अब तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान चुराई गई प्रतिमाओं को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारक/स्थल तथा जिला का नाम	वस्तु का विवरण	चोरी की तारीख	मामले की अभ्युक्ति स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	मूर्ति शेड घंटासाला, जिला कृष्णा	बुद्ध	27-30 नवंबर, 2000	बरामद की गई
2.	गुजरात	खुला आकाश संग्रहालय, पटना	गणेश एवं ब्रह्मा की पत्नी सहित खड़ी प्रतिमा	9.10.01	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
3.	कर्नाटक	हम्पी, जिला बेलारी	ससिवेकालु गणेश का हाथ	9.7.01	-वही-
4.	मध्य प्रदेश	महुआ, जिला शिवपुरी	शिव (अधोभाग गायब) 8-9 सता. ई.	27 से 31 दिसंबर, 1998	-वही-
5.	-वही-	सोंमनाथ मंदिर, बड़गांव, जिला कटनी	लक्ष्मी की आवक्ष मूर्ति 11-12वीं सता. ई. विष्णु शीर्ष 11-12वीं सता. ई.	22-23 अगस्त, 1999	-वही-
6.	-वही-	वराह मंदिर, कवाला, जिला मंदसौर	दो मूर्तियां	29.2.2000	-वही-
7.	-वही-	अमरकंटक स्थित मंदिर समूह, जिला शहडोल	विष्णु	8.9.2000	-वही-
8.	राजस्थान	घटेश्वर मंदिर, बारोली, जिला चित्तौड़गढ़	दस भुजाकार नृत्य मुद्रा में शिव	15-16 फरवरी 1998	बरामद की गई
9.	-वही-	सोमेश्वर मंदिर भानगढ़, जिला अलवर	गणेश (खंडित) उत्तर 10-11वीं सता. ईसवी	1-2 जुलाई 1998	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई

1	2	3	4	5	6
10.	राजस्थान	महाकाल मंदिर, बिजोली, जिला भीलवाड़ा	स्त्री देवता की प्रतिमा जो संभवत: उमा, सरस्वती एवं लक्ष्मी का संयुक्त रूप है, 12-13वीं सता. ई.	27-28 अक्तूबर 1998	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
11.	-वही-	प्राचीन खंडहर एवं भवन अवशेष, कृष्णा विलास, जिला बरन	छत्रवाली तथा दो भुजा का तीर्थंकर	21-22 सितंबर, 1999	-वही-
12.	-वही-	जैन मंदिर, कृष्णा विलास, जिला बरन	दो जैन तीर्थंकर	24-25 सितंबर 1999	-वही-
13.	-वही-	प्राचीन खंडहर एवं भवन अवशेष, कृष्णा विलास, जिला बरन	चार भुजी खड़ी प्रस्तर प्रतिमा	7-8 जनवरी, 2000	-वही-
14.	-वही-	चारखंभा मंदिर के खंडहर, कृष्णा विलास, जिला बरन	चार भुजी खड़े देवता जो संभवत: भैरन-शिव हैं	31.1.01 2.2000	-वही-
15.	-वही-	-वही-	चार भुजाकार खड़ी मुद्रा में दिकपाल जो संभवत: वरूण हैं	-वही-	-वही-
16.	-वही-	मंडलेश्वर मंदिर, अर्थुना, जिला बांसवाड़ा	प्रस्तर पर उत्कीर्ण स्त्री की आकृति	3-4 मार्च, 2000	-वही-
17.	-वही-	प्राचीन मंदिर, कनेर-की-पुतली, जिला भीलवाड़ा	भैनरार	10-11 जून, 2000	-वही-
18.	तमिलनाडु	मालावेल्लाला स्ट्रीट, जयंकोन बांध, जिला पेरम्बदुर	जैन तीर्थंकर	9.1.1999	-वही-
19.	पश्चिम बंगाल	बासुदेव मंदिर, बांसबेरिया, हुगली	बुद्ध (टेराकोटा)	27-30 नवंबर, 2000	-वही-

दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच सुपरफास्ट रेलगाड़ियां शुरू करना

2661. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तमिलनाडु में कोर्ड लाइन के माध्यम से दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने के लिये जनता द्वारा की जा रही मांग से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का इस नयी ट्रेन को कब तक शुरू करने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां। इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच एक सुपरफास्ट गाड़ी चलाना परिचालनिक और संसाधनों की तंगियों के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

स्मार्ट कार्ड के माध्यम से विद्युत का विपणन

2662. डा. रमेश चंद तोमर :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार टेलीफोन कंपनियों की तरह स्मार्ट कार्डों के माध्यम से विद्युत का विपणन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो स्मार्ट कार्डों के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्मार्ट कार्डों के प्रयोग से देश में पारेषण और वितरण संबंधी हानि में किस सीमा तक कमी होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) प्रबंधन की वास्तविक समस्या एवं विद्युत क्षेत्र में सुधार की चुनौती वितरण क्षेत्र में है और वितरण राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। प्रभावी ऊर्जा लेखा-परीक्षण एवं बेहतर मीटरीकरण, बिलिंग तथा संग्रहण के लिए तकनीकी हल ढूंढ़ने हेतु विद्युत मंत्रालय मीटरीकरण में तकनीकी उपायों तथा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दे रहा है। अन्य देशों में कुछ युटिलिटी प्रि-पेड मीटरों का सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिये रिक्तियां

2663. डा. बलिराम : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 2.7.1997 के डी.ओ.पी.टी. कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्थापना (आरक्षण) के व्याख्यात्मक टिप्पण के पैरा 11 के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित जो व्यक्ति योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं उन्हें उनके समुदायों के लिये आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे के समक्ष नहीं दर्शाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के योग्यता के आधार पर सेवाओं के विभिन्न श्रेणियों में चयनित/भर्ती/पदोन्नति के किये गये उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नहीं गिना गया; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें उक्त अवधि के दौरान योग्यता के आधार पर अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के चयनित उम्मीदवारों को उनके समुदायों के लिये आरक्षित रिक्तियों/पदों के समक्ष समायोजित किया गया तथा उसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी शिष्टमंडल का दौरा

2664. श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी :
श्री जी.एस. बसवराज :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक सात सदस्यीय शिष्टमंडल ने सितंबर, 2001 में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) भारत और चीन के बीच मौजूदा विश्वासोत्पादक उपायों के तहत सैन्य स्तर पर आदान-प्रदान किए जाते रहे हैं। ऐसे आदान-प्रदान सद्भावना यात्राओं के रूप में किए जाते हैं तथा ऐसी यात्राओं के दौरान दोनों देशों के बीच अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए कोई औपचारिक विचार-विमर्श नहीं किया जाता है।

चीन के शिष्टमंडल की सितंबर, 2001 की यात्रा ऐसे आदान-प्रदानों के तहत थी।

नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये पदों का आरक्षण

2665. श्री ब्रह्मानंद मंडल : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक उनके मंत्रालय और विभागों में नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु पदवार-श्रेणीवार कितने पद आरक्षित हैं;

(ख) ऐसे पदों पर उक्त श्रेणियों के कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया और उक्त अवधि के दौरान पदवार/श्रेणीवार कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) इन पदों को कब तक भर लिये जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) संस्कृति विभाग निम्नलिखित श्रेणी के पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकरण है:-

श्रेणी	भर्ती की पद्धति		
	सीधी भर्ती	पदोन्नति	प्रतिनियुक्ति इत्यादि
समूह क	–	2	1
समूह ख	9	9	–
समूह ग	24	8	8
समूह घ	9	2	–

विभाग द्वारा उपर्युक्त श्रेणी के पदों की रिक्तियों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की अभी नियुक्ति की जानी है क्योंकि ये रिक्तियां 1-33 प्वाइंटों के पहले ब्लॉक में अंतिम प्वाइंट तक नहीं पहुंची हैं।

रेल भूमि को पट्टे पर दिया जाना

2666. श्री चिन्तामन वनगा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेल भूमि को पट्टे पर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने लाइसेंस शुल्क की बकाया राशियों की वसूली के लिये कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) सरकार ने अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को रेलवे भूमि दीर्घकालिक पट्टे पर देने के लिए अनुदेश जारी किए हैं। रेलवे भूमि केन्द्रीय विद्यालयों और टर्मिनल आदि स्थापित करने के लिए कंटेनर कारपोरेशन को भी पट्टों पर दी जाती है।

(ख) ब्यौरा निम्नानुसार है:

रेलें	पट्टे की भूमि (हैक्टेयर में)
मध्य	52.59
पूर्व	128.68
उत्तर	158.12
पूर्वोत्तर	193.23
पूर्वोत्तर सीमा	6.99
दक्षिण	137.08
दक्षिण मध्य	41.66
दक्षिण पूर्व	52.91
पश्चिम	68.00
जोड़	839.26

(ग) और (घ) सामान्यत: पट्टा प्रभारों की वसूली के मामले में समस्याएं नहीं पाई जाती हैं। बहरहाल, जहां भूमि लाइसेंस के आधार पर दी जाती है। वहां बकायादार के विरुद्ध सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। बकाया देय राशि की वसूली के लिए पार्टियों के साथ बैठकें आयोजित करके व्यक्तिगत सम्पर्क सहित निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

गुजरात में तेल और गैस की खोज

2667. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के कच्छ क्षेत्र के समुद्र तट से तेल और गैस की खोज के संबंध में हाल ही में सरकार, ओ.एन.जी.सी. और रिलायंस कंपनी द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये; और

(ख) यदि हां, तो उस समझौते का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) भारत सरकार ने संयुक्त अन्वेषण कार्यक्रम-1955 के तहत गुजरात-कच्छ के अपतटीय ब्लाक जी के.ओ.एस.जे.-3 में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आर.आई.एल.), आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) के परिसंघ के साथ 6 सितम्बर, 2001 को एक उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संविदा की मुख्य शर्तें निम्नानुसार हैं:

(1) ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.एल. और आर.आई.एल. का क्रमश: 25 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 60 प्रतिशत भागीदारी हित है।

(2) ठेकेदार को सरकार के साथ लाभ पेट्रोलियम में हिस्सेदारी करनी होती है।

(3) सरकार को संविदा क्षेत्र में उत्पादित कच्चे तेल को खरीदने से इन्कारी का प्रथम अधिकार है।

(4) ठेकेदार उक्त संविदा क्षेत्र में उत्पादित गैस का विपणन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(5) भागीदारी हित का सौंपा जाना सरकार के पूर्वानुमोदन से सम्पन्न किया जा सकता है।

(6) ठेकेदार द्वारा पूरी की जाने वाली न्यूनतम कार्य बाध्यता विनिर्दिष्ट होती है।

(7) तीन अन्वेषण चरण होते हैं और ठेकेदार को प्रत्येक अन्वेषण चरण के अंत में वापस हट जाने का विकल्प होता है बशर्ते कि उस चरण के लिये न्यूनतम कार्य कार्यक्रम पूरा कर लिया गया हो।

[हिन्दी]

राजस्थान में एल.पी.जी. एजेंसियों/बिक्री केन्द्रों का आबंटन

2668. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में कंपनी के स्वामित्व में और कंपनी द्वारा संचालित (कोको) पेट्रोल पम्पों की जिलावार संख्या क्या है;

(ख) आज की तारीख के अनुसार राजस्थान में एल.पी.जी. मिट्टी के तेल और डीजल के बिक्री केन्द्रों के आबंटन हेतु कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ग) ये आवेदन कब से लंबित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लम्बित आवेदनों के निपटारे के लिये क्या कदम उठाए गये हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) राजस्थान राज्य में 28 कंपनी स्वामित्व कंपनी प्रचालित (कोको) खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालनरत हैं। राजस्थान राज्य में 79 खुदरा बिक्री केन्द्र, 82 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और 3 एस.के.ओ.-एल.डी.ओ. डीलरशिपें खोलने के प्रस्ताव लम्बित हैं।

डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने की प्रक्रिया में विज्ञापनों, डीलर चयन बोर्डों द्वारा साक्षात्कारों के आयोजन, गुणावगुण नामावलियों को अंतिम रूप देने, आशयपत्र जारी करने, भूमि अधिग्रहण, विभिन्न मंजूरियां प्राप्त करने आदि जैसे विभिन्न चरण शामिल हैं जो कि एक समय लगने वाली प्रक्रिया है। इन डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन का कार्य पूरा करने और इन्हें चालू करने के यथाशीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं।

टाटानगर और रांची के बीच स्थानीय रेलगाड़ियां

2669. श्री बीर सिंह महतो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का टाटानगर और रांची के बीच स्थानीय रेलगाड़ी के रूप में इंटरसिटी रेलगाड़ी प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगियों के कारण।

[अनुवाद]

दिल्ली से अटारी तक वाणिज्यिक सामान की बुकिंग

2670. श्री अरुण कुमार :
श्री मंजय लाल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक उत्तर रेलवे ने यात्री रेलगाड़ियों में दिल्ली से अटारी तक वाणिज्यिक सामान/पार्सल की बुकिंग को रद्द करने के अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे राजस्व की कितनी हानि हुई;

(ग) क्या यह भी सच है कि अटारी में यात्रियों को निरीक्षकों द्वारा सामान की बुकिंग न कराने के कारण अर्थदंड लगा कर परेशान किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे को कोई घटना सूचित नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कंपनियों द्वारा वार्षिक रिटर्न भरा जाना

2671. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में कंपनियां अपनी वार्षिक रिटर्न नहीं भर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों की संख्या कितनी है जिन्होंने गत दो वर्षों के दौरान अपनी रिटर्न नहीं भरी है; और

(ग) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध किये जाने वाले प्रस्तावित सख्त उपाय क्या हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) गत दो वर्षों के दौरान जिन कंपनियों ने अपने वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं किए हैं उनकी संख्या नीचे दी गई है:-

1998-99	–	187,776
1999-2000	–	220,370

(ग) कंपनी कार्य विभाग ने कम्पनी लॉ सेटलमेंट स्कीम, 2000 नाम की एक स्कीम आरम्भ की थी जिसमें भूतकाल में दस्तावेज फाइल करने में चूक करने वाली कम्पनियां आगे आ सकती थी और एकल-समय घोषणा और सेंटलमेंट का लाभ उठा सकती थी। स्कीम 1.6.2000 से 30.9.2000 तक के लिए संचालन में थी। स्कीम के अंतर्गत 1.27 लाख कम्पनियों से 136.83 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई थी।

कम्पनी अधिनियम में, किसी पब्लिक कम्पनी जिसने अप्रैल, 1999 के प्रथम दिन से शुरू होने वाले तथा उसके बाद किन्हीं लगातार तीन वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक लेखे और वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, के निदेशक को पांच वर्षों की अवधि के लिए किसी भी अन्य पब्लिक कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के अयोग्य ठहराये जाने का प्रावधान है।

[हिन्दी]

'क' श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर अंग्रेजी में किया गया कार्य

2672. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि 'क' श्रेणी के स्टेशनों में आज भी अधिकतर राजकीय कार्य केवल अंग्रेजी में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजभाषा हिंदी के प्रयोग का प्रचार-प्रसार करना सरकार की जिम्मेदारी है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने सभी स्तरों पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में निरीक्षकों को नाम-निर्दिष्ट किया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) 'क' क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न स्टेशनों में अधिकांश सरकारी कार्य हिंदी में किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) हिन्दी कार्यशालाएं

(2) हिन्दी में टेबल ट्रेनिंग

(3) तकनीकी विषयों पर हिन्दी में संगोष्ठियां

(4) हिन्दी में टिप्पण—प्रारूप, निबंध लेखन और वाक् प्रतियोगिताएं

(5) हिंदी टाइपिंग और हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण

(6) अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

(7) सहायक साहित्य उपलब्ध कराना।

(ङ) क्षेत्रीय रेलों के साथ-साथ उत्पादन इकाइयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में प्रेक्षकों को नामित किया जाता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन, आकाशवाणी और समाचार-पत्रों में विज्ञापन

2673. श्री रामानन्द सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्ष 2001-02 के दौरान दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक समाचार-पत्रों को जारी किये गये विज्ञापनों और इस हेतु भुगतान की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान आकाशवाणी, दूरदर्शन और निजी दूरदर्शन चैनलों को दिये गये विज्ञापनों की संख्या कितनी और इस हेतु राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 (30 नवम्बर, 2001 तक) के दौरान इसके पास सूचीबद्ध दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक समाचार-पत्रों को जारी किए गए विज्ञापनों का ब्यौरा क्रमश: विवरण I, II, III और IV में दिया गया है।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा निजी चैनलों को कोई विज्ञापन जारी नहीं किए जा रहे हैं। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 (नवम्बर, 2001 तक) के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए कराए गए प्रसारणों/टेलीकास्टों का ब्यौरा विवरण-V में दिया गया है।

विवरण-I

वर्ष 1998-99 (1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 1999 तक) के दौरान दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक समाचार-पत्रों को जारी किए गए विज्ञापनों के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा दी गई राशि के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	दैनिक (रुपयों में)	साप्ताहिक (रुपयों में)	पाक्षिक (रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	13934800	248147	122296
2.	असम	6398647	325555	5236

1	2	3	4	5
3.	बिहार	17607278	1441576	143738
4.	गुजरात	26045065	402787	16968
5.	हरियाणा	2657575	200641	34592
6.	हिमाचल प्रदेश	1773101	101261	7108
7.	जम्मू एवं कश्मीर	7448585	63076	10712
8.	कर्नाटक	20688823	67742	24802
9.	केरल	20776877	483178	0
10.	मध्य प्रदेश	24196302	6353678	85386
11.	महाराष्ट्र	70560805	369941	0
12.	मणिपुर	396763	0	0
13.	मेघालय	104634	18787	0
14.	नागालैण्ड	35277	0	0
15.	उड़ीसा	10045971	435553	34646
16.	पंजाब	27185538	597973	54862
17.	राजस्थान	25669468	1807446	2043014
18.	सिक्किम	0	153075	0
19.	तमिलनाडु	19501579	79764	21232
20.	त्रिपुरा	2464911	61585	0
21.	उत्तर प्रदेश	39346743	13281092	2192089
22.	पश्चिम बंगाल	44266287	1202509	429433
23.	अंडमान एवं निकोबार	0	16007	12046
24.	अरुणाचल प्रदेश	354829	8196	0
25.	चंडीगढ़	14348211	117522	8196
26.	दिल्ली	141446565	72744750	843848
27.	गोवा	1216070	0	0
28.	मिजोरम	153058	0	0
29.	पांडिचेरी	344787	6070	0
	योग	539906549	100587911	6093804

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 (1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक) के दौरान दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक समाचार-पत्रों को जारी किए गए विज्ञापनों के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा दी गई राशि के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	दैनिक (रुपयों में)	साप्ताहिक (रुपयों में)	पाक्षिक (रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	13453384	110153	48639
2.	असम	8123579	306953	5178
3.	बिहार	15512937	460806	81015
4.	गुजरात	34256234	286896	17820
5.	हरियाणा	3153470	176454	27111
6.	हिमाचल प्रदेश	2327926	93921	6147
7.	जम्मू एवं कश्मीर	10507243	51661	4590
8.	कर्नाटक	26156747	30570	9107
9.	केरल	21785917	294152	0
10.	मध्य प्रदेश	24219608	4782723	68580
11.	महाराष्ट्र	87704234	232285	0
12.	मणिपुर	594504	0	0
13.	मेघालय	1313137	12648	0
14.	उड़ीसा	12478402	344537	0
15.	पंजाब	32702917	445889	37488
16.	राजस्थान	34063552	1408747	1662522
17.	सिक्किम	0	198940	0
18.	तमिलनाडु	32723839	66622	20444
19.	त्रिपुरा	2949827	54354	0
20.	उत्तर प्रदेश	46152408	8505727	1520123
21.	पश्चिम बंगाल	60711627	1115324	330305
22.	अंडमान एवं निकोबार	0	16620	4957
23.	अरुणाचल प्रदेश	455978	9420	0

1	2	3	4	5
24.	चंडीगढ़	19328643	123431	0
25.	दिल्ली	174034982	103696134	647459
26.	गोवा	1513638	0	0
27.	मिजोरम	141675	0	0
28.	पांडिचेरी	365431	1726	0
29.	चंडीगढ़	5401580	150783	6147
30.	झारखण्ड	5255210	28969	9282
31.	उत्तरांचल	3076080	807599	68421
	योग	680464709	123814044	4575335

विवरण-III

वर्ष 2000-01 (1 अप्रैल, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक) के दौरान दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक समाचार-पत्रों को जारी किए गए विज्ञापनों के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा दी गई राशि के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	दैनिक (रुपयों में)	साप्ताहिक (रुपयों में)	पाक्षिक (रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12631747	21425	26607
2.	असम	6980372	83550	0
3.	बिहार	17973023	26190	12019
4.	गुजरात	30692118	146057	27494
5.	हरियाणा	4726250	44810	0
6.	हिमाचल प्रदेश	2398090	31690	10245
7.	जम्मू एवं कश्मीर	12050849	22577	0
8.	कर्नाटक	24748099	8160	0
9.	केरल	18471373	302215	0
10.	मध्य प्रदेश	22729472	969518	24537
11.	महाराष्ट्र	76458813	106775	0
12.	मणिपुर	539193	0	0

1	2	3	4	5
13.	मेघालय	1111581	8036	0
14.	उड़ीसा	10977938	157384	5840
15.	पंजाब	26343638	109006	8331
16.	राजस्थान	29787932	404406	865610
17.	सिक्किम	0	83104	0
18.	तमिलनाडु	45102450	39894	3842
19.	त्रिपुरा	2896263	0	0
20.	उत्तर प्रदेश	43274968	1737110	446953
21.	पश्चिम बंगाल	57970948	275817	174226
22.	अंडमान एवं निकोबार	0	17647	11339
23.	अरुणाचल प्रदेश	339940	0	0
24.	चंडीगढ़	14787425	13123	0
25.	दिल्ली	166876557	94629690	389616
26.	गोवा	880231	0	0
27.	पांडिचेरी	480281	0	0
28.	छत्तीसगढ़	4695238	41916	0
	योग	635924789	99280100	2006659

विवरण-IV

वर्ष 2001-02 (1 अप्रैल, 2001 से 30 नवम्बर, 2001 तक) के दौरान दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक समाचार-पत्रों को जारी किए गए विज्ञापनों के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा दी गई राशि के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	दैनिक (रुपयों में)	साप्ताहिक (रुपयों में)	पाक्षिक (रुपयों में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11281064	22048	14119
2.	असम	5432686	42778	0
3.	बिहार	11472699	21890	0
4.	गुजरात	24930660	102208	7532

1	2	3	4	5
5.	हरियाणा	3052423	34777	0
6.	हिमाचल प्रदेश	1784290	22650	4098
7.	जम्मू एवं कश्मीर	9020014	6120	3060
8.	कर्नाटक	16944320	0	0
9.	केरल	15413732	741015	0
10.	मध्य प्रदेश	18249349	392324	4710
11.	महाराष्ट्र	61632729	122628	0
12.	मणिपुर	688677	0	0
13.	मेघालय	851915	0	0
14.	उड़ीसा	9291394	95266	8006
15.	पंजाब	19250488	55061	4098
16.	राजस्थान	20956407	183166	218493
17.	सिक्किम	0	90219	0
18.	तमिलनाडु	43116604	25914	8602
19.	त्रिपुरा	2246482	0	0
20.	उत्तर प्रदेश	32967764	1007802	116858
21.	पश्चिम बंगाल	43880487	435064	38872
22.	अंडमान एवं निकोबार	0	10945	2886
23.	अरुणाचल प्रदेश	130012	0	0
24.	चंडीगढ़	11550241	15722	0
25.	दिल्ली	158899004	53397053	131116
26.	गोवा	925650	0	0
27.	पांडिचेरी	384291	0	0
28.	छत्तीसगढ़	4641364	23195	0
29.	झारखण्ड	4484383	0	0
30.	उत्तरांचल	3832846	102361	4098
	योग	537311975	56950206	566548

विवरण-V

वर्ष 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 (नवम्बर, 2001 तक) के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा कराए गए प्रसारण/टेलीकास्ट का ब्यौरा

वर्ष	प्रसारण/टेलीकास्ट की संस्था	राशि (रु.)
	आकाशवाणी	
1998-99	संपूर्ण देश में आकाशवाणी के प्राथमिक चैनलों और विज्ञापन प्रसारण केन्द्रों पर विभिन्न भाषाओं में 26,109 प्रसारण	1,22,56,691/- रु.
1999-2000	संपूर्ण देश में आकाशवाणी के प्राथमिक चैनलों और विज्ञापन प्रसारण केन्द्रों पर विभिन्न भाषाओं में 25,800 प्रसारण	1,19,18,706/- रु.
2000-01	संपूर्ण देश में आकाशवाणी के प्राथमिक चैनलों और विज्ञापन प्रसारण केन्द्रों पर विभिन्न भाषाओं में 22,528 प्रसारण	3,15,14,113/- रु.
2001-2002 (नवम्बर, 2001 तक)	संपूर्ण देश में आकाशवाणी के प्राथमिक चैनलों और विज्ञापन प्रसारण केन्द्रों पर विभिन्न भाषाओं में 4109 प्रसारण	31,12,071/- रु.
	दूरदर्शन	
1998-99	संपूर्ण देश में राष्ट्रीय नेटवर्क पर 433 टेलीकास्ट	3,14,20,150/- रु.
1999-2000	संपूर्ण देश में राष्ट्रीय नेटवर्क पर 292 टेलीकास्ट	74,87,020/-रु.
2000-2001	संपूर्ण देश में राष्ट्रीय नेटवर्क पर 104 टेलीकास्ट	1,65,28,290/-रु.
2001-2002	संपूर्ण देश में राष्ट्रीय नेटवर्क पर 47 टेलीकास्ट	58,52,500/-रु.
(नवम्बर, 2001 तक)	डीडी-7 पर 27 टेलीकास्ट (दूरदर्शन केन्द्र कोलकाता से)	5,60,000/- रु.

[अनुवाद]

सड़क उपरि पुलों का निर्माण

2674. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या धन की कमी के कारण कई सड़क उपरि पुलों और सड़क अधोगामी पुलों का कार्य रुका पड़ा है अथवा विलंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार/स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न रेल जोनों से और धन आवंटित करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) लागत में भागीदारी योजना के अंतर्गत रेलवे ऊपरी सड़क पुलों तथा निचले सड़क पुलों के रेलवे भाग का कार्य (रेलपथ के ऊपर/नीचे के पुल) निष्पादित करती है तथा राज्य सरकार पहुंच मार्गों पर कार्य करती है। लागत में भागीदारी के अंतर्गत रेलवे द्वारा निष्पादित किया जाने वाला कोई भी कार्य निधियों की तंगी के कारण स्थगित अथवा विलंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हम्पी के लिये जापान/आस्ट्रिया से धन

2675. **श्री एच.जी. रामुलू :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हम्पी को जापान और आस्ट्रिया से धन दिये जाने के प्रस्तावों को रोक दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों पर फिर से बातचीत करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि हम्पी और उसके आस-पास के क्षेत्र के विकास के वास्ते ऋण का एक प्रस्ताव समुद्रपार आर्थिक सहयोग निधि, जापान को 1997 में उनके द्वारा सीधे किया गया था। प्रस्ताव को प्रारंभिक अवस्था पर ही जापानी प्राधिकारियों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था और उसके बाद ऋण के वास्ते बातचीत करने का कोई पुन: प्रयास नहीं किया गया है। उन्होंने आगे सूचित किया है कि इस संबंध में किसी ऋण के लिए आस्ट्रिया सरकार से कभी कोई अनुरोध नहीं किया गया।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का निर्माण

2676. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू बजट में रेल पटरी के निर्माण हेतु एक निर्धारित धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और निर्मित की जाने वाली रेल पटरी की लम्बाई कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन हेतु सुरक्षा कोष से धन खर्च करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान नई रेल पटरियों के निर्माण हेतु निर्धारित किया गया लक्ष्य क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) नई लाइनों के निर्माण के लिए रेलवे बजट 2001-02 में 1015 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 147 कि.मी. नई लाइन को वर्ष के दौरान पूरा किए जाने की योजना है। संरक्षा निधि से इस उद्देश्य के लिए कोई धनराशि खर्च नहीं की जानी है।

कूड़ा प्रयुक्त करने वाली परियोजनाएं

2677. **श्री उत्तमराव पाटील :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कूड़े से विद्युत उत्पादन करने वाली परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या ऐसी और परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) प्रतिदिन लगभग 300 टन कूड़े से विद्युत उत्पादन करने के लिए 3.75 मेगावाट (एमडब्लू) क्षमता की केवल एक परियोजना की स्थापना वर्ष 1987 में तिमारपुर, दिल्ली में की गई थी।

(ख) और (ग) जी हां। शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत लखनऊ में प्रतिदिन लगभग 300 टन कूड़े से 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए एक परियोजना संस्थापनाधीन है। ऐसी और परियोजनाओं की बनाओ, अपनाओ और चलाओ आधार पर स्थापना करने के लिए राज्य नोडल एजेन्सियों और शहरी स्थानीय निकायों ने विभिन्न उद्यमियों को आशय-पत्र जारी किए हैं। इन सभी परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

म्यूनिसिपल वेस्ट अपशिष्ट (एमएसडब्लू)/कूड़े से विद्युत उत्पादन की संस्थापनाधीन/प्रस्तावित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

राज्य	परियोजना	प्रमोटर	प्रौद्योगिकी	परियोजना क्षमता		स्थिति
				इनपुट (एमएसडब्लू)	आउटपुट	
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स सेलको इंटरनेशनल, हैदराबाद	फेज-1 ईंधन पेलेटों का उत्पादन	700 टीपीडी	210 टीपीडी ईंधन पेलेट	स्थापित। प्रयोगाधीन प्रचालन उद्यमी द्वारा
			फेज-2 भस्मीकरण	210 टीपीडी ईंधन पेलेट	6.6 मेवा.	स्थानीय स्तर पर और वित्तीय संस्थाओं के साथ किए जा रहे समझौते।
	विजयवाड़ा में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स श्रीराम एनर्जी सिस्टम्स, हैदराबाद	पेलेटाइजेशन तथा भस्मीकरण	600 टीपीडी	5.70 मेवा.	उद्यमी द्वारा स्थानीय स्तर पर और वित्तीय संस्थाओं के साथ किए जा रहे समझौते।
	हैदराबाद में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स आरडीएफ विद्युत परियोजना लि., हैदराबाद	गैसीकरण	750 टीपीडी	11.00 मेवा.	-वही-
दिल्ली	दिल्ली में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स एनर्जी डेवलपमेंटस (इंडिया) लि., नई दिल्ली	गैसीकरण	1000 टीपीडी	25 मेवा.	-वही-
	दिल्ली में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स पर्व होल्डिंग लि., नई दिली	गैसीकरण	1000 टीपीडी	12 मेवा.	-वही-
गुजरात	भावनगर में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स श्री दामोदर सिंथेटिक लि., मुम्बई	आरडीएफ + भस्मीकरण	250 टीपीडी	3.9 मेवा.	-वही-

1	2	3	4	5	6	7
मध्य प्रदेश	भोपाल में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स भोपाल एन्वायरमेंटल परियोजना प्रा.लि., नई दिल्ली	गैसीकरण	500 टीपीडी	10.8 मेवा.	उद्यमी द्वारा स्थानीय स्तर पर और वित्तीय संस्थाओं के साथ किये जा रहे समझौते।
महाराष्ट्र	मुम्बई में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स बरमाको एनर्जी सिस्टम्स, मुम्बई	एनारोबिक डाइजेशन	1000 टीपीडी	14.98 मेवा.	-वही-
	मुम्बई में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स साऊंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज लि., मुम्बई	एनारोबिक डाइजेशन	1000 टीपीडी	12.8 मेवा.	-वही-
	मुम्बई में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स एनर्जी डेवलपमेंटस (इंडिया) लि., नई दिल्ली	गैसीकरण	1000 टीपीडी	21.6 मेवा.	-वही-
	पुणे में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स सिकोन एनवायरमेंट टेक्नोलोजीज, भोपाल	एनारोबिक डाइजेशन	450 टीपीडी	4.5 मेवा.	-वही-
तमिलनाडु	चेन्नई में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स एनर्जी डेवलपमेंटस (इंडिया) लि., नई दिल्ली	गैसीकरण	600 टीपीडी	14.85 मेवा.	-वही-
उत्तर प्रदेश	लखनऊ में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स एशिया बायोएनर्जी (इंडिया) लि., चैन्नई	एनारोबिक डाइजेशन	500 टीपीडी	5.0 मेवा.	संस्थापनाधीन
	गाजियाबाद में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स फ्लेक्स इंडस्ट्रीज लि., नोएडा	एनारोबिक डाइजेशन	500 टीपीडी	5.00 मेवा.	उद्यमी द्वारा स्थानीय स्तर पर और वित्तीय संस्थाओं के साथ किए जा रहे समझौते।
	कानपुर में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स एनर्जी डेवलपमेंटस (इंडिया लि., नई दिल्ली	गैसीकरण	1000 टीपीडी	21.4 मेवा.	-वही-

1	2	3	4	5	6	7
	मेरठ में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स एनर्जी डेवलपमेंटस (इंडिया) लि., नई दिल्ली	गैसीकरण	500 टीपीडी	10.8 मेवा.	उद्यमी द्वारा स्थानीय स्तर पर और वित्तीय संस्थाओं के साथ किये जा रहे समझौते।
	वाराणसी में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स एनर्जी डेवलपमेंटस (इंडिया) लि., नई दिल्ली	गैसीकरण	500 टीपीडी	10.8 मेवा.	-वही-
	बरेली में एमएसडब्लू से विद्युत संयंत्र	मैसर्स एनर्जी डेवलपमेंटस (इंडिया) लि., नई दिल्ली	गैसीकरण	500 टीपीडी	5.4 मेवा.	-वही-

[अनुवाद]

हैदराबाद से माउंट आबू के लिये रेलगाड़ी

2678. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से हैदराबाद से माउंट आबू के लिये सीधी रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां। हैदराबाद और माऊंट आबू के बीच एक गाड़ी चलाए जाने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसकी जांच की गई परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेल मार्ग पर मिट्टी का खिसकना

2679. श्री वी.एस. शिवकुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मानसून के मौसम के दौरान त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी रेल मार्ग पर मिट्टी का खिसकना एक सामान्य बात है जिससे यात्रियों और रेलवे को बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मिट्टी को खिसकने से रोकने के लिये भित्ती संरक्षण उपलब्ध कराने हेतु और धन आवंटित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) इस क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण तिरूवनंतपुरम-नागरकोइल खंड में कुछ कटावों में विफलता मिलती है।

(ख) और (ग) आवश्यक समझे जाने वाले सुरक्षा संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। यथा अपेक्षित निधियां मुहैया कराई जाती हैं।

चुने हुए रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजा

2680. श्री विनय कुमार सोराके :
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम देश के चुने हुये रेलवे स्टेशनों पर फूड प्लाजा स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक रेलवे जोन के खान-पान विभागों का भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम के साथ विलय किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या वेंडरों/लाइसेंसधारकों के चयन हेतु न्यूनतम अर्हक मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या चुने हुए स्थानों पर महिला संगठनों को ग्राउंड/बेस रसोईघर स्थापित करने तथा व्यवस्था करने में प्राथमिकता दी जाएगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) इस संदर्भ में कोई फैसला नहीं किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) चूंकि लाइसेंसों का आबंटन दो पैकेज निविदा प्रणाली पर आधारित होगा इसलिए आरक्षण/प्राथमिकता का प्रावधान न्यायोचित नहीं है।

कच्चे तेल पर रायल्टी दर

2681. श्री पी.एस. गड़वी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार के कई अभ्यावेदनों के बावजूद कच्चे तेल की रायल्टी दर को लंबे समय से संशोधित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से रायल्टी दर में संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नियमित रायल्टी दर निर्धारित करने का है और इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) रायल्टी की दरें, समय-समय पर यथा संशोधित तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित है। कच्चे तेल के संबंध में रायल्टी दर 1.4.1990 से 31.3.1993 की अवधि के लिए पहले औपचारिक तौर पर 481/- रुपए/मीट्रिक टन (मी.ट.) पर अधिसूचित थी। रायल्टी दर तत्पश्चात 1993-96 अवधि के लिए "लेखागत" आधार पर 528/- रुपए/मी.ट. पर निर्धारित की गई थी। इसे पुन: "लेखागत" आधार पर 539.80 रुपए/मी.ट. पर संशोधित किया गया था। तदुपरांत रायल्टी की अनंतिम दर 1.4.1996 से 578/- रुपए/मी.ट. पर संशोधित की गई थी। इसके बाद समय-समय पर रायल्टी की दर और आगे ऊर्ध्वमुखी रूप से संशोधित की गई थी और 1.4.1998 से अंतिम दर की अधिसूचना तथा अंतिम निर्धारण लंबित रहने के कारण 1.12.1999 से अनंतिम/तदर्थ आधार पर 850/- रुपए/मी. टन तक बढ़ाई गई थी। गुजरात सरकार कच्चे तेल पर रायल्टी की दर में संशोधन के लिए अभ्यावेदन देती रही है। सरकार ने इस मामले की जांच करने और रायल्टी की नई योजना बनाने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने 26.11.2000 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी अभी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

राज्यों की परियोजनाओं हेतु धन

2682. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूर्वोत्तर राज्यों, झारखंड और उड़ीसा की सरकारों ने अपने संबंधित राज्यों में विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु धन उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार राज्य क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निधियां प्रदान नहीं करती है। तथापि, केन्द्र सरकार संसाधनों के अव्यपगत संचय के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को निधियां प्रदान करती है। अव्यपगत संचय से निधियां मुहैया करने के लिए अभी तक निम्नलिखित परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है:

स्कीम का नाम	सामान्य उपयोगिता (करोड़ रुपये में)
रंगानदी एचईपी ट्रांस लाईन सहित	53.17
लीमाखोंग, एचएफओ आधारित विद्युत परियोजना	121.30
लिकिमरो एचईपी	37.01
रोखिया में 1×21 मेगावाट गैस आधारित टीपीपी	85.17
एचएफओ आधारित बैराबी टीपीपी	76.69
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उप पारेषण एवं वितरण स्कीमों का सशक्तीकरण	52.00

प्रस्तावित मिंत्दू लेश्का एचईपी (2×42 मेगावाट) के क्रियान्वयन हेतु 25 करोड़ रुपये समेत विभिन्न उद्देश्य के लिए चालू वर्ष (2001-02) के दौरान 100 करोड़ रुपये की विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने हेतु योजना आयोग ने मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के भाग के रूप में एक प्रस्ताव योजना आयोग में प्राप्त हुआ है। योजना आयोग में प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड, उड़ीसा और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों की सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

पारेषण एवं वितरण नेटवर्क संबंधी कार्यक्रम

2683. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क और मीटरिंग के पुनरोद्धार, आधुनिकीकरण और आवर्धक हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु विद्युत विकास आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के लिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम और अन्य राज्यों द्वारा मांगी गई और उन्हें दी गई वित्तीय सहायता कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी, हां। तथापि, मीटरिंग कार्यक्रम के लिए एपीडीपी के अंतर्गत निधियां वितरण ट्रांसफार्मर स्तर तक मीटर लगाए जाने तक ही सीमित हैं।

(ख) सरकार ने (1) पुराने उत्पादन केन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/कार्यकाल विस्तार/उन्नयन, तथा (2) उप पारेषण और वितरण के उन्नयन से संबंधित परियोजनाओं को क्रमबद्ध वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एपीडीपी स्कीम आरंभ की है। एपीडीपी के अंतर्गत निधियां राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं। विशेष श्रेणी के राज्यों की परियोजनाओं को एपीडीपी के अंतर्गत 90% अनुदान तथा 10% केन्द्रीय ऋण के रूप में 100% वित्त पोषण प्राप्त करते हैं जबकि गैर-विशेष श्रेणी के राज्य एपीडीपी के अंतर्गत आधे भुगतान और आधे ऋण के रूप में परियोजना लागत के 50% के हकदार होते हैं। परियोजना लागत का शेष 50% वित्तीय संस्थानों अथवा आंतरिक संसाधनों से उगाहा जाना है। सरकार ने वर्ष 2000-01 और 2001-02 हेतु क्रमश: 1000 करोड़ रुपए और 1500 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया है।

(ग) 2001-02 के लिए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम और अन्य राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को शीघ्र अनुमोदन हेतु मूल्यांकन किया जा रहा है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	प्राप्त परियोजना प्रस्ताव का नाम	परियोजना की लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3
1.	उप पारेषण एवं वितरण स्कीम—दक्षिण मुम्बई (बेस्ट)	113.15
2.	प्रणाली सुधार स्कीम जलगांव सर्किल	52.44
3.	प्रणाली सुधार एवं ऊर्जा आंकलन हेतु अल्पावधि योजना—शोलापुर	53.41
4.	प्रणाली सुधार—उस्मानाबाद	24.57
5.	प्रणाली सुधार-कम-मीटरिंग—शिंधुदुर्ग	9.45
6.	प्रणाली सुधार—रत्नागिरि	23.43
7.	प्रणाली सुधार व मीटरिंग—औरंगाबाद	52.60
8.	ओ एंड एम सर्किल हेतु स्कीम—नासिक	58.21

1	2	3
	राज्य—कर्नाटक (गैर-विशेष श्रेणी राज्य)	
1.	शरावती उत्पादन केन्द्र का आर एम एंड यू	16.88
2.	लिंगनामक्की बांध विद्युत गृह का आर एम एंड यू	1.75
3.	नागीहरी विद्युत गृह का आरएम एंड यू	48.45
4.	मणि बांध विद्युत गृह का आर एम एंड यू	1.00
5.	वराही अंडरग्राउंड विद्युत गृह का आर एम एंड यू	0.90
6.	भद्रा उत्पादन केन्द्र का आर एम एंड यू	5.70
7.	विद्युत प्रणाली का उच्चीकरण एवं सुधार—मैसूर (संशोधित)	2.05
8.	विद्युत प्रणाली का उच्चीकरण एवं सुधार—मैसूर (संशोधित)	95.18
9.	विद्युत प्रणाली का उच्चीकरण एवं सुधार—बेलगांव	77.32
10.	विद्युत प्रणाली का उच्चीकरण एवं सुधार—बीजापुर	52.76
11.	विद्युत प्रणाली का उच्चीकरण एवं सुधार—हुबली	54.08
	राज्य—आंध्र प्रदेश (गैर-विशेष श्रेणी राज्य)	
1.	कोठागुडम ए टीपीएस का आरएम एंड यू	57.03
2.	विजयवाड़ा टीपीएस का आर एम एंड यू	76.09
3.	नैल्लोर टीपीएस का आर एम एंड यू	24.10
	राज्य—असम (गैर-विशेष श्रेणी राज्य)	
1.	डिब्रूगढ़ सर्किल का प्रणाली सुधार	24.49
2.	गुवाहाटी-2 सर्किल का प्रणाली सुधार	21.84
3.	जोरहाट सर्किल का प्रणाली सुधार	33.04
4.	शिबसागर सर्किल का प्रणाली सुधार	22.46
5.	कछार सर्किल का प्रणाली सुधार	20.44

मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान मासिक सीजन टिकट की वैधता

2684. श्री खारबेल स्वाईं : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान सुपरफास्ट रेलगाड़ियों में मासिक सीजन टिकट धारकों को बिना टिकट समझा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलगाड़ियों में औचक/मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान इन यात्रियों से वसूल किया गया राजस्व रेलवे खाते में जमा होता है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इन यात्रियों पर मुकदमों में अनावश्यक रूप से ज्यादा समय लगता है और कभी-कभी उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा स्टेशनों पर रात भर निरुद्ध किया जाता है;

(च) यदि हां, तो ऐसे उत्पीड़न के क्या कारण हैं; और

(छ) इन यात्रियों की शिकायतों के निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) मासिक/त्रैमासिक सीजन टिकटों की किराया संरचना भिन्न है और आरक्षित सवारीडिब्बों में वैध नहीं है और सुपरफास्ट गाड़ियों में दूरी प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को बिना टिकट माना जाता है और संबंधित नियमों के अनुसार जुर्माना लिया जाता है।

(ग) और (घ) किराए और अतिरिक्त प्रभार/जुर्माने से प्राप्त राजस्व रेलों को क्रेडिट किया जाता है। बहरहाल, न्यायिक जुर्माना राज्य सरकार को क्रेडिट होता है।

(ङ) जी नहीं। जब तक दोषी द्वारा चुनौती न दी जाए, बिना टिकट यात्रियों पर मुकदमें में अधिक समय नहीं लगता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) यदि कोई शिकायत होती है तो मामला निवारण के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जाता है।

जल विद्युत उत्पादन क्षमता

2685. श्री अबुल हसनत खां : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल-विद्युत उत्पादन उपलब्ध क्षमता का केवल 17 प्रतिशत ही है;

(ख) यदि हां, तो जल-विद्युत उत्पादन की प्रति इकाई औसतन लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) देश 60% भार घटक पर आर्थिक दृष्टि से दोहन योग्य 84044 मे.वा. मूल्यांकित व्यवहार्य शक्यता में संपन्न है। बहरहाल इस क्षमता का केवल 16.6% संदोहन किया गया है। 6.3% विकास के विभिन्न स्तरों पर है और 2.73% को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।

(ख) हाइड्रो विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत विभिन्न कारकों यथा उत्पादक परियोजनाओं की स्थापना तारीख भू-विज्ञान तथा तकनीकी कारकों, पुनर्वास तथा अन्य सहबद्ध मुद्दों पर निर्भर करती है। विभिन्न राज्यों में प्रति यूनिट औसत लागत निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	उत्पादन लागत (वर्ष 2000-01)
1.	हरियाणा	23.14
2.	कर्नाटक	40.37
3.	हिमाचल प्रदेश	113.00
4.	मेघालय	86.01
5.	आन्ध्र प्रदेश	36.31
6.	तमिलनाडु	24.00
7.	महाराष्ट्र	44.95
8.	पश्चिम बंगाल	357.99

(ग) भारत सरकार देश में हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है और अब तक 10वीं व 11वीं योजना में लाभों के लिए क्रमशः 16291 मे.वा. व 22364 मे.वा. हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं की अनंतिम रूप से पहचान की है। बहरहाल इन योजनाओं में लाभ के लिए अभिनिर्धारित क्षमता संवृद्धि सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने और आवश्यक निधियां सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगी।

केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता विगत चार वर्षों में 1265 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2682 करोड़ रु. कर दी गई है। भारत सरकार विद्युत वित्त निगम से ऋण के जरिए राज्य क्षेत्र परियोजनाओं को भी सहायता उपलब्ध करा रही है। हाइड्रो स्टेशनों के नवीकरण, आधुनिकीकरण और उच्चीकरण कार्यकलापों के लिए विशेष त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

भारत सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लगने वाले अतिरिक्त समय व लागत में कमी करने की दृष्टि से केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाओं का विकास तीन

चरणों में करना आरंभ किया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी और गैर-तकनीकी मानदण्डों के आधार पर देश के सभी नदी बेसिनों में शक्यता वाले सभी जल विद्युत स्थलों की प्रारंभिक रैंकिंग का कार्य भी पूरा कर लिया है।

[हिन्दी]

ज्ञान दर्शन कार्यक्रम

2686. श्री रामशकल : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन पर वर्तमान में दिखाये जाने वाले ज्ञानदर्शन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों के विषय क्या हैं;

(ख) क्या ज्ञानदर्शन कार्यक्रम कम लोकप्रिय हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भिखारियों और फेरीवालों पर प्रतिबंध

2687. श्री उत्तमराव ढिकले :
डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला :
श्री राजैया मल्याला :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मध्य रेलवे की कुछ रेलगाड़ियों में भिखारियों और फेरीवालों को यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्थानीय रेलगाड़ियों समेत सभी रेलगाड़ियों में ऐसे ही प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी हां। मुम्बई उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में मध्य रेलवे पर सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों और सभी स्थानीय गाड़ियों में भिखारियों और फेरी वालों के चलने पर रोक लगा दी गई है। अप्रैल से अक्तूबर, 2001 की अवधि के दौरान अनधिकृत फेरी वालों और भिखारियों के विरुद्ध टिकट जांच दस्ते द्वारा की गई जांच के दौरान 3818 फेरी वाले और 120 भिखारी पकड़े गए थे और रेलों पर रेल अधिनियम से संबंधित उपबंधों के तहत मुकदमा चलाया गया।

[अनुवाद]

भारत-श्रीलंका तट पर चौकसी

2688. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वापक औषधियों की तस्करी पर रोक लगाने हेतु भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से समुद्र तट पर चौकसी बढ़ाने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस): (क) से (ग) जी, नहीं। भारत-श्रीलंका समुद्री तट पर चौकसी रखने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। तथापि, मादक पदार्थों और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के बारे में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग (सार्क) की उपसंधि के तहत आसूचना और सूचना का आदान-प्रदान होता है।

इजरायल की सहायता से गुजरात में विद्युत संयंत्र

2689. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और इजरायल ने संयुक्त रूप से 100 मिलियन डालर की लागत से गुजरात में विद्युत संयंत्र के निर्माण का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिजली उत्पादन के लिए यह विद्युत संयंत्र गर्म वायु करेंट का प्रयोग करेगा;

(ग) यदि हां, तो इस संयंत्र के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(घ) ऊर्जा टावर प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित बिजली का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कच्चे तेल पर रायल्टी

2690. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को कच्चे तेल पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की दर पर निर्णय लेने के लिए उनके मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अन्वेषण) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) कच्चे तेल पर रायल्टी की 1.4.1998 से लागू नई योजना तैयार करने के लिए सरकार ने 26.4.2001 को संयुक्त सचिव (अन्वेषण), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अध्यक्षता के तहत एक समिति का गठन किया था। समिति ने 26.11.2001 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच की जा रही है।

विद्युत क्षेत्र में निवेश आवश्यकता हेतु विद्युत कोष

2691. श्री बहादुर सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत क्षेत्र में निवेश की भारी आवश्यकता हेतु धनराशि जुटाने के लिए विद्युत कोष की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अंशदान की जाने वाली अपेक्षित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) सन् 2012 तक विद्युत उत्पादन और वितरण में मांग पर विद्युत को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल निवेश लगभग 80,0000 करोड़ रुपये होगा। निधियों की इस बड़ी आवश्यकता को विभिन्न स्रोतों से वित्त पोषण करके पूरा किया जाना प्रस्तावित किया गया है। संसाधन जुटाए जाने के लिए प्रस्तुत सुझावों में से एक सुझाव विद्युत निधि का सृजन किया जाना है।

समाचार-पत्रों को विज्ञापन जारी करना

2692. श्रीमती प्रेनीत कौर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दृश्य, श्रव्य प्रचार निदेशालय के पास समाचार-पत्रों को सूचीबद्ध करने के लिए विज्ञापन नीति और दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दृश्य श्रव्य प्रचार निदेशालय ने समाचार-पत्रों को उनके परिचालन आंकड़ों के आधार पर विज्ञापन जारी करने के लिए सूचीबद्ध किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रत्येक समाचार-पत्र द्वारा दिए गए परिचालन आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार के ध्यान में परिचालन संबंधी गलत आंकड़े प्रस्तुत किए जाने का कोई मामला आया है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे समाचार-पत्रों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या सरकार द्वारा समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं द्वारा प्रस्तुत परिचालन दावों के संतोषजनक सत्यापन हेतु प्रबंध किए गए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) "विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय में समाचारपत्रों के सूचीकरण हेतु विज्ञापन नीति तथा मार्ग-निर्देशों" की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय प्रसार सम्बन्धी लेखा परीक्षा ब्यूरो या भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक (आर.एन.आई.) अथवा सनदी लेखाकार द्वारा अधिप्रमाणित समाचार-पत्रों के प्रसार आंकड़े स्वीकार करता है। तथापि, सनदी लेखाकार के प्रमाण-पत्र

को केवल एक वर्ष के लिए 20,000 प्रतियां प्रति मुद्रण दिन के लिए स्वीकार किया जाता है।

(घ) जी, हां। ऐसे कई दृष्टान्त विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के नोटिस में आये हैं जहां समाचार-पत्रों द्वारा अत्यधिक प्रसार आंकड़े दर्शाए जाते हैं।

(ङ) भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक द्वारा मूल्यांकित प्रसार आंकड़ों की तुलना में यदि समाचार-पत्रों द्वारा प्रसार आंकड़ों का दावा बढ़ाचढ़ाकर दिखाया गया पाया जाता है तो प्रसारण से अन्य बातों के साथ-साथ अधिक प्रसार के कारण विज्ञापन एवं दृश्य-प्रचार निदेशालय द्वारा उन्हें भुगतान की अधिक राशि वापस करने के लिए कहा जाता है।

(च) जी, हां। प्रसार आंकड़ों के सत्यापन सम्बन्धी व्यवस्था कुल मिलाकर संतोषजनक पायी गयी हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विज्ञापन नीति की मुख्य बातें

पैनल में शामिल करने के लिए मानदंड :

सभी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का बिना किसी व्यवधान के निरंतर प्रकाशन और यह अवधि 12 महीनों से कम नहीं होनी चाहिए और प्रेस तथा पुस्तकों के पंजीकरण कानून 1867 के प्रावधानों का उन्हें पालन करना चाहिये। आवेदनकर्ता समाचारपत्र/पत्रिका को यह प्रमाणित करना होगा कि यह एक समुचित स्तर पर प्रकाशित किया जा रहा है। समुचित स्तर का अभिप्राय यह है कि:

(क) छपी हुई विषय सामग्री पढ़ने में आती हो। सुव्यवस्थित और दाग-धब्बो रहित हो तथा उसमें बार-बार काट कर उसके ऊपर न लिखा गया हो।

(ख) समाचारपत्र/पत्रिका में समाचारों या लेखों का पुनर्प्रकाशन या दोहराव नहीं होना चाहिए।

(ग) इसके प्रथम पृष्ठ पर ऊपर की ओर उस समाचारपत्र का नाम, स्थान, तारीख और प्रकाशन का दिन छपा होना चाहिए, इसके साथ ही उसमें आर.एन.आई. पंजीकरण क्रमांक, वॉल्यूम और अंक संख्या तथा समाचारपत्र/पत्रिका की कीमत दी जानी चाहिये; और

(घ) समाचारपत्र को पी.आर.बी. कानून के तहत आवश्यक इम्प्रिंट लाइन प्रकाशित करना आवश्यक है।

नियमितता :

आवेदनकर्ता समाचारपत्र ने पिछले बारह महीनों के दौरान हर महीने कम-से-कम 25 दिन समाचारपत्र प्रकाशित अवश्य किया हो। साप्ताहिक पत्रिकाओं ने पिछले वर्ष 46 अंक, मासिक पत्रिकाओं ने पिछले वर्ष 10 अंक तथा त्रैमासिक पत्रिकाओं ने पिछले दो वर्षों के दौरान 6 अंक प्रकाशित किये हों तो उन्हें नियमित रूप से प्रकाशित हुआ माना जायेगा। आवेदनकर्ता समाचारपत्र/पत्रिका को आर.एन.आई. द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत करना चाहिए। उचित जांच-पड़ताल के बाद अगर किसी समाचारपत्र/पत्रिका को एक बार आर.एन.आई. द्वारा अप्रमाणित घोषित कर दिया जाता है तो उसे इस विषय में आर.एन.आई. जिस तारीख को प्रमाणपत्र जारी करेगा, उसी तारीख से प्रमाणित माना जायेगा न कि पूर्ववर्ती किसी साल या महीने से। लेकिन आर.एन.आई. द्वारा कोई समाचारपत्र/पत्रिका देय न चुकाने अथवा इसी प्रकार के किसी तकनीकी कारण से अप्रमाणित घोषित किया गया हो तो आर.एन.आई. स्व-विवेक से उसे अप्रमाणित घोषित करने की तारीख से प्रमाणित घोषित कर सकता है।

मुद्रण क्षेत्र :

एक समाचारपत्र/पत्रिका में निम्न अल्पतम प्रिंट क्षेत्र होना चाहिये-

अवधि	से कम प्रिंट क्षेत्र नहीं
दैनिक	1520 स्टे. कॉ. से. मी.
साप्ताहिक, पाक्षिक	700 स्टे. कॉ. से. मी.
मासिक व अन्य पत्रिकायें	960 स्टे. कॉ. से. मी.

तेल कंपनियों को बांड जारी करना

2693. श्री मंजय लाल :
श्री अरुण कुमार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल पूल घाटे को पूरा करने के लिए सरकार का विचार तेल कंपनियों को बांड जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने अप्रैल, 2002 में पेट्रोलियम क्षेत्र को खोले जाने के विरुद्ध हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) तेल पूल खाता प्रबंधन सतत प्रक्रिया है और इसके प्रबंध की कार्यनीति विभिन्न कारकों के साथ-साथ कच्चे तेल/पेट्रोलियम उत्पादों के प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मूल्य, विनिमय दर, शुल्क ढांचा, नियंत्रित उत्पादों का घरेलू बिक्री मूल्य, (मोटर स्पिरिट, उच्च वेग डीजल, सार्वजनिक वितरण हेतु मिट्टी का तेल तथा घरेलू एल.पी.जी.) आदि पर निर्भर करती है। तेल कंपनियों को बांड जारी करके तेल पूल घाटे को समाप्त करने के लिए अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों का कोटा

2694. श्री रामदास आठवले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 2.7.1997 के डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्थापना (आरक्षण) के व्याख्यात्मक टिप्पण के पैरा 11 के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित जो व्यक्ति योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं उन्हें उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे के समक्ष नहीं दर्शाया जाना चाहिए।

(ख) यदि हां तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के योग्यता के आधार पर सेवाओं के विभिन्न श्रेणियों में चयनित/भर्ती/पदोन्नत किए गए उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नहीं गिना गया; और

(ग) ऐसे कितने मामले है जिनमें उक्त अवधि के दौरान योग्यता के आधार पर अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के चयनित उम्मीदवारों को उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के समक्ष समायोजित किया गया तथा उसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र

2695. डा. विजय कुमार मल्होत्रा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में इन क्षेत्रों द्वारा तेल और प्राकृतिक गैस की कितनी मात्रा का उत्पादन किया गया; और

(ग) देश में उपलब्ध तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर किए जा रहे अनुसंधान कार्य का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में कुल 218 मुख्य तेल और गैस क्षेत्र हैं।

(ख) वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक के दौरान ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.एल. और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा उत्पादित तेल और गैस की मात्रा निम्नानुसार है:

	तेल (मिलियन मीट्रिक टन)	गैस (बिलियन घन मीटर)
1998-99	11.40	7.15
1999-2000	11.21	7.38
2000-01	11.74	7.70

(ग) तेल और गैस क्षेत्रों का विकास, संबंधित निष्कर्षण पद्धति, तकनीक प्रोत्साहन, क्षैतिज/बहु देशीय पूर्ति तकनीक, खुदाई/वर्कओवर तरल, जल/गैस रोकना, कृत्रिम लिफ्ट क्रियाविधि, पाइपलाइन इंजीनियरिंग, कच्चा तेल स्थायित्व, हाई पोअर प्वाइंट क्रूड के लिए उत्पादन प्रणाली, पैराफिन जमाव नियंत्रण का अल्ट्रासोनिक/इलैक्ट्रोमैग्निटिक उपचार और इन-सीटू जल वियोजन जैसे संबंधित विषयों सहित ओ.एन.जी.सी. तथा ओ.आई.एल. द्वारा अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

सेबी विनियमन, 1999

2696. श्री कालवा श्रीनिवासुलु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा सेबी विनियमन 1999 का उल्लंघन करने पर गत दो वर्षों के दौरान किन कंपनियों पर मुकदमा किया गया?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आय में बढ़ोत्तरी तथा यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना

2697. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने आय में सुधार करने और यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कुछ कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भी पत्र लिखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां। आमदनियों में सुधार लाने और संरक्षा को बढ़ाने के लिए कदम उठाना रेलों पर एक सतत् प्रक्रिया है।

आमदनियों में वृद्धि करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं तथा पहले से ही प्रत्याशित यातायात का अनुमान लगाना और विशेष गाड़ियों को चलाने की योजना बनाना, खण्डवार यात्री यातायात का विश्लेषण, सवारी डिब्बों में वृद्धि और विशेष गाड़ियों का चलाया जाना, 23-24 सवारी डिब्बों तक गाड़ी की लम्बाई में वृद्धि करना, विशेष अवसरों पर अतिरिक्त यात्री यातायात पर कब्जा करना, तत्काल योजना, राष्ट्रीय गाड़ी पूछताछ सेवा, जैसी विशेष योजनाओं, विभिन्न मीडियाओं द्वारा उपलब्ध स्थान का व्यापक प्रचार और पहले सूचना प्रदान करना, टिकटों की उपलब्धता में सुधार, निरन्तर एवं गहन टिकट जांच, ग्राहकों से संव्यवहार में सुधार आदि।

गाड़ी परिचालन में संरक्षा को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की जाती है। संरक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और रेलपथ का यंत्रीकृत अनुरक्षण, ड्राइवर, स्टेशन स्टॉफ और नियंत्रण कक्ष के बीच रोडियो संचार, सहायक चेतावनी प्रणाली, टक्कर रोधी उपकरण, प्रशिक्षण के आधुनिक तरीकों द्वारा गहन प्रशिक्षण तथा रेल कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों से होने वाली त्रुटियों को रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर बारम्बार जांचें।

(ग) से (ङ) जब कभी विशेष रूप से समपारों/ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों आदि से संबंधित विषयों पर परिसंपत्तियों के अनुसार अपेक्षित होता है, रेल मंत्रालय राज्य सरकारों को पत्र लिखता है। कुछ राज्य सरकारों ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है जैसा आवश्यक समझा जाता है, रेलों द्वारा कार्रवाई मामले दर मामले के आधार पर की जाती है।

[हिन्दी]

विवेकाधीन कोटा से रसोई गैस एजेन्सियों/ पेट्रोल पंपों का आबंटन

2698. श्री कुंवर अखिलेश सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विवेकाधीन कोटा से अथवा वरीयता के आधार पर पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों को आबंटित करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय विवेकाधीन कोटा से पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेन्सियों के आबंटन हेतु कितने आवेदन लंबित हैं और इन्हें कब तक आबंटित किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) रिट याचिका (सी) संख्या 886/93 में दिनांक 31.3.1995 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के आधार पर सरकार ने विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप/ एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप/एस.के.ओ.-एल.डी.ओ. डीलरशिप का आबंटन करने के लिए 20.4.2001 को दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित दो श्रेणियों के सुपात्र व्यक्ति यथार्थ अनुकम्पा आधार पर डीलरशिप के आबंटन के लिए पात्र हैं:

(1) अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए कार्रवाई के दौरान मारे गए अथवा स्थायी रूप से विकलांग रक्षा/अर्ध सैनिक/पुलिस कार्मिकों के आश्रितों तथा जिनका उपयुक्त रूप से पुनर्वास नहीं किया गया है।

(2) अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए कार्रवाई के दौरान मारे गए अथवा स्थायी रूप से विकलांग केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों के आश्रितों जिनका उपयुक्त रूप से पुनर्वास नहीं किया गया है।

एक वर्ष में विवेकाधीन कोटे की संख्या औसत वार्षिक विपणन योजना के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं अथवा 75, इनमें जो भी कम होगी, जिनमें से खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन सामान्यतया औसत वार्षिक विपणन योजना के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ग) विवेकाधीन आबंटन के आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार गठित तेल विपणन कम्पनियों के निदेशकगण (विपणन) तथा कार्यकारी निदेशक, तेल समन्वय समिति की समिति को 1.11.2001 तक 1248 आवेदन प्राप्त हुए। यह बताना संभव नहीं है कि कितने समय तक आवेदकों को डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आबंटन किया जा सकेगा क्योंकि आबंटन करने की प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न चरण जैसे समिति द्वारा कार्रवाई, सरकार को सिफारिशें भेजना तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के उपयुक्त आदेशों को प्राप्त करने के लिए सुस्थापित मार्ग के माध्यम से सरकार में सिफारिशों की जांच करना शामिल है, जो दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक मामले का निर्णय करेगा।

[अनुवाद]

अंडमान-निकोबार में विद्युतीकरण

2699. श्री विष्णुपद राय : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में लिटिल अंडमान स्थित डुमांग क्रीक स्ट्रेट आइलैंड, साउथ वे और शोम्पेन कॉम्पलेक्स में चार 2×24 किलोवाट क्षमता वाले विद्युत संयंत्रों की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन विद्युत संयंत्रों में से प्रत्येक के लिए नौवीं योजनावधि हेतु परिव्यय कितना है;

(ग) इन क्षेत्रों की जनजातीय उपभोक्ताओं को उपलब्ध बिजली का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या 24 घंटे तक विद्युत आपूर्ति को बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) इसके कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जनजातीय क्षेत्रों में 2 × 24 किलोवाट के विद्युत गृह की अनुमानित लागत के ब्यौरे नीचे दिए गए है:

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
स्ट्रेट आइलैंड	22.787 रु.
डुगगोन ग्रीक	22.857
साउथ बे	22.731
शॉमपेन कॉम्पलेक्स	22.752
कुल	91.127

(ख) स्ट्रेट आइसलैंड, डुगांग ग्रीक, साउथ बे एवं शोम्पेन कॉम्पलेक्स में विद्युत गृहों के लिए नौवीं योजना परिव्यय निम्नानुसार है:

स्कीम का नाम	नौवीं योजना परिव्यय
स्ट्रेट आइसलैंड	56.10
डुगांग ग्रीक	56.10
साउथ बे	50.60
शोम्पेन कॉम्पलेस	33.60
कुल	196.40

(ग) इन क्षेत्रों में जनजातीय उपभोक्ताओं को उपलब्ध विद्युत के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

स्कीम के नाम	आपूर्ति की अवधि (घंटे)	
	डी.जी. विद्युत गृह	सौर विद्युत संयंत्र
स्ट्रेट आइसलैंड	6 घंटे	6 घंटे
डुगांग ग्रीक	5 घंटे	6 घंटे
साउथ बे	5 घटे	6 घंटे
शोम्पन कॉम्पलेक्स	8 घंटे	–

(घ) और (ङ) इन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की टाइमिंग को चरणों में 9वीं योजना के अंत तक 12 घंटे प्रतिदिन बढ़ाने का तथा नई 2 × 24 किलोवाट डीजी सेट की संस्थापना के बाद 24 घंटे किया जाना तय है। डीजी सेट को सिविल कार्य के पूरा होने के पश्चात् 10वीं योजना के पहले वर्ष में संस्थापित किया जाना निर्धारित है।

आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में रसोई गैस/ पेट्रोल बिक्री केन्द्र

2700. श्री राजैया मल्याला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1999-2000, 2000-2001 के दौरान आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में कितने रसोई गैस डीलर बिक्री केन्द्र आबंटित किये गये; और

(ख) अगले कुछ वर्षों के दौरान राज्य में कितने बिक्री केन्द्र/ रसोई गैस डीलर बिक्री केन्द्र स्थापित किये जायेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1999-2000, 2000-2001 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों द्वारा स्थापित एल.पी.जी. एजेंसियों और खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप	खुदरा बिक्री केन्द्र
1999-2000	16	6
20000-2001	40	61

(ख) इस समय तेल विपणन कम्पनियों ने विभिन्न विपणन योजनाओं के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में 367 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और 164 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पम्प

2701. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 के किनारों पर कुछ पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की स्थापना के लिए 17 प्रस्ताव हैं। ये विज्ञापन जारी करने, साक्षात्कार आयोजित करने, योग्यता पैनलों को अंतिम रूप देने, आशय-पत्र जारी करने, भूमि की प्राप्ति, निर्माण आदि जैसे डीलरों के चयन/आरम्भ करने के विभिन्न चरणों में हैं। सारी लम्बित डीलरशिपों के डीलरों के चयन/आरम्भ किए जाने को यथाशीघ्र पूर्ण करने के लिए पूर्ण प्रयास किए जाते हैं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 पर स्थापित की जाने वाली डीलरशिपें भी शामिल हैं।

पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और नीलांचल एक्सप्रेस की लिंक-एक्सप्रेस का चलाया जाना

2702. श्री अनन्त नायक : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार टाटानगर और बारबिल के बीच पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और नीलांचल एक्सप्रेस की लिंक एक्सप्रेस चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस लिंक एक्सप्रेस को कब तक चलाए जाने की संभावना है; और

(ग) बांसपानी और बारबिल से टाटानगर तक यात्री रेलगाड़ी चलाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बांसपानी और बड़ाबिल से टाटा नगर तक यात्री गाड़ी चलाना परिचालनिक और संसाधनों की तंगियों के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में "दीपम" योजना के अंतर्गत जारी किये गये रसोई गैस कनैक्शन

2704. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी "दीपम" योजना को जारी किये गये गैस कनैक्शनों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की संख्या के संबंध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) ''दीपम योजना'' के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने दिनांक 31.10.2001 तक राज्य सरकार द्वारा पता लगाए गए लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1,090,608 और शहरी क्षेत्रों में 266,940 नए एल.पी.जी. कनेक्शन जारी किए हैं। प्रत्येक जिले में लाभार्थियों के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश में ''दीपम'' योजना के तहत ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में एल.पी.जी. कनेक्शन जारी करना

जिले का नाम	जारी किये गये एल.पी.जी. कनेक्शनों की संख्या	
	ग्रामीण	शहरी
1	2	3
आदिलाबाद	58,741	9,847
अनंतपुर	56,765	8,200
चित्तूर	55,448	13,802
कुड्डापाह	31,708	4,736
पूर्वी गोदावरी	64,553	25,531
गूंटूर	68,469	19,751
हैदराबाद	0	46,214
करीमनगर	56,003	8,368
खम्माम	35,362	5,330
कृष्णा	71,559	11,033
कुरूनूल	50,995	8,651
महबूबनगर	50,379	7,133
मेडक	39,977	3,441
नालगोंडा	53,833	4,116
निल्लौर	41,722	4,880
निजामाबाद	43,730	7,255
प्रकाशम	43,888	4,346
रंगारेड्डी	44,420	22,343
श्रीकाकुलम	35,580	4,174
विजाग	53,168	16,380
विजियानगरम	29,605	5,358
वारंगल	55,394	16,003
पश्चिमी गोदावरी	49,269	10,048
योग	10,90,608	2,66,940

राजस्थान में इंडियन आयल डिपो में अनियमितताएं

2704. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राजस्थान में इंडियन आयल डिपो में टैंकर की माप-तोल के संबंध में कोई अनियमितताएं पायी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या जांच करायी गयी और इसके क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन लि. के हनुमानगढ़ डिपो में प्रत्येक की 1,000 लीटर क्षमता सहित 2 अंशशोधन फिल्लर हैं। इन अंशशोधन फिल्लरों का प्रयोग टैंक ट्रकों के नियमित अंशशोधन के लिए माप एवं तौल विभाग द्वारा किया जाता है तथा तदनुसार माप एवं तौल विभाग द्वारा अंशशोधन शुल्क लिया जाता है। इन अंशशोधन फिल्लरों की आवधिक रूप से जांच की जाती है तथा माप एवं तोल निरीक्षक की मुहर लगाई जाती है। 3.11.2001 को हनुमानगढ़ के माप एवं तौल निरीक्षक ने उक्त अंशशोधन फिल्लर की जांच के दौरान यह पाया कि इनमें से एक अंशशोधन फिल्लर प्रत्येक 1,000 लीटर पर 2.175 लीटर का कम प्रदान कर रहा है तथा दूसरा फिल्लर प्रत्येक 1,000 लीटर पर 1.325 लीटर का कम प्रदान कर रहा है। माप एवं तौल निरीक्षक ने दोनों फिल्लरों की सीलों को सही पाया। तथापि, माप एवं तौल विभाग ने दोनों फिल्लरों को सील कर दिया है तथा यह विभाग मामले की जांच कर रहा है।

छावनी बोर्डों को वित्तीय सहायता

2705. **श्री राजो सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न छावनी बोर्डों को वर्षवार, राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है; और

(ख) इन छावनी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्माण-कार्यों के लिए छावनी बोर्डों को पिछले वर्ष के दौरान मुहैया करवाए गए विशेष अनुदान के ब्यौरे वर्ष-वार और राज्य-वार इस प्रकार हैं:-

राज्य	1998-99	1999-2000 (लाख रुपए में)	2000-2001
महाराष्ट्र	30.00	28.08	-
मध्य प्रदेश	65.52	-	-
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	-	16.00	-
झारखंड/बिहार	-	46.02	100.21
योग	95.52	90.10	100.21

(ख) छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 116 के अंतर्गत प्रत्येक बोर्ड का यह कर्त्तव्य है कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं के लिए युक्तिसंगत प्रावधान करे। प्रत्येक छावनी बोर्ड इन कार्य-कलापों के लिए अपने ही संसाधनों से प्रावधान करता है। तथापि घाटे में चल रहे बोर्डों के मामले में, केन्द्रीय सरकार छावनी बोर्डों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साधारण सहायता-अनुदान मुहैया करवाती है। वर्ष 2000-2001 में घाटे में चल रही छावनी बोर्डों को अनुदान के रूप में 21.43 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे।

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा परियोजना को मंजूरी

2706. **श्री सुल्तान सलाऊदीन ओवेसी :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में लंबा समय लेता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने लघु जल विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए भी राज्य सरकारों को कुछ अधिकार देने हेतु इस विषय को पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) लघु विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) से (ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने शीघ्र क्लियरेंस और लघु पनबिजली (एस.एच.पी.) परियोजनाओं सहित अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए पर्यावरण एवं वन क्लियरेंसों से छूट के मामले को उठाया था। इसके परिणामस्वरूप, ऐसी एस.एच.पी. परियोजनाओं को, जिनकी लागत 50 करोड़ रु. से कम है, पर्यावरण क्लियरेंस प्राप्त करने से छूट दी गई है। इसमें लगभग 10-12 मेगावाट स्टेशन क्षमता तक की एस.एच.पी. परियोजनाएं शामिल हैं। परियोजना के आकार पर विचार किए बिना, यदि कोई वन भूमि शामिल है तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन क्लियरेंस प्राप्त करना होगा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को इन क्लियरेंसों को देने का अधिकार प्राप्त है।

(घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय लघु पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए कई प्रोत्साहन योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। ये प्रोत्साहन विस्तृत सर्वेक्षण एवं जांच, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी, सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं हेतु पूंजीगत सब्सिडी, वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए ब्याज

सब्सिडी, पुरानी एस.एच.पी. परियोजनाओं के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए योजना तथा पनचक्कियों के विकास एवं उन्नयन के लिए हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले प्रोत्साहनों की जानकारी तालिका के रूप में संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

लघु पनबिजली कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोत्साहन

योजनाएं	क्षेत्र	500 कि.वा. से कम	500 कि.वा. से 1 मे.वा. तक	1 मे.वा. से अधिक और 5 मे.वा. तक	5 मे.वा. से अधिक और 15 मे.वा. तक	15 मे.वा. से अधिक और 25 मे.वा. तक
सर्वेक्षण और जांच पड़ताल	मैदानी	0.75 लाख रु. तक		1.00 लाख रु. तक	1.50 लाख रु. तक	
	पहाड़ी	1.00 लाख रु. तक		2.00 लाख रु. तक	3.00 लाख रु. तक	
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	मैदानी	0.75 लाख रु. तक		1.00 लाख रु. तक	1.50 लाख रु. तक	
	पहाड़ी	0.75 लाख रु. तक		1.00 लाख रु. तक	2.00 लाख रु. तक	
वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए ब्याज सब्सिडी	मैदानी	5.00%		2.50%	2.00%	1.50%
	पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र	7.50%		5.00%	3.00%	2.00%
सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी	पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम	परियोजना की लागत का 90% जो 75000/- रु. कि.वा. तक है	परियोजना की लागत का 90% जो 60000/- रु. कि.वा. तक है	परियोजना की लागत का 75% जो 45000/- रु. कि.वा. तक है	उपस्कर लागत+सिविल लागत का 25% जो 22.50 करोड़ रु./परियोजना तक सीमित है।	शून्य
	मध्य हिमालय, लद्दाख, अंडमान व निकोबार	उपस्कर लागत+सिविल लागत का 50% जो 45,000 रु./कि.वा. तक है		उपस्कर लागत+सिविल लागत का 25% जो 3.00 करोड़ रु./मे.वा. तक है	उपस्कर लागत+सिविल लागत का 25% जो 15 करोड़ रु./परियोजना तक सीमित है	शून्य
	अन्य क्षेत्र (केवल अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्र)	उपस्कर लागत+सिविल लागत का 50% जो 30,000 रु./कि.वा. तक है		उपस्कर लागत+सिविल लागत का 25% जो 1.5 करोड़ रु./मे.वा. तक है	उपस्कर लागत+सिविल लागत का 25% जो 7.5 करोड़ रु./परियोजना तक सीमित है	शून्य
पुरानी परियोजनाओं की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण			2 करोड़ रु./मे.वा. तक		10 करोड़ रु. प्रति परियोजना तक सीमित	शून्य
पनचक्कियों का विकास/उन्नयन						
यांत्रिक विधि			30,000 रुपये			
यांत्रिक/इलैक्ट्रिकल विधि			60,000 रुपये			

जलपाईगुड़ी में सर्किट खंडपीठ

2707. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी नगर में स्थित पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा समर्थित उच्च न्यायालय सर्किट खंडपीठ की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय दिये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) राज्य सरकार को अगस्त, 2001 में वह समय-सीमा बताने के लिए अनुरोध किया गया है, जिसके भीतर जलपाईगुड़ी में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए अपेक्षित अवसंरचनात्मक सुविधाएं कलकत्ता उच्च न्यायालय के समाधानप्रद रूप में उपलब्ध करा दी जाएंगी। उन्हें ऐसे जिलों के नाम बताने की भी सलाह दी गई है, जिन्हें प्रस्तावित न्यायपीठ की अधिकारिता के भीतर सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। राज्य सरकार से प्रस्तावित न्यायपीठ के संबंध में संपूर्ण खर्च वहन करने के लिए उनकी सहमति भेजने का भी अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव में संसदीय विधान अंतर्वलित होने के कारण यह बताना संभव नहीं है कि अंतिम विनिश्चय कब तक लिया जा सकेगा।

गोआ शिपयार्ड लिमिटेड में उत्पादन

2708. श्री के.पी. सिंह देव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं और नौवीं योजना के दौरान गोआ शिपयार्ड द्वारा कितने पोतों का निर्माण किया गया और कितने पोत सुपुर्द किये गये; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान गोआ शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने आठवीं योजना अवधि के दौरान 10 जलपोतों का निर्माण तथा उनकी सुपुर्दगी की है। नौवीं योजना अवधि के दौरान अब तक नौ जलपोतों का निर्माण तथा उनकी सुपुर्दगी की जा चुकी है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को दो अति तीव्र प्रहारक यानों और एक सर्वेक्षण यान की आपूर्ति की है। एक अपतटीय गश्ती यान और एक तीव्र गश्ती यान तटरक्षक को सुपुर्द किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 2 क्रेनें, एक अन्य ग्राहक को सुपुर्द की गई हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का कार्य-निष्पादन संबंधी ब्यौरा नीचे की तालिका में दिया गया है

	1998-99	1999-2000	2000-01
उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपए में)	78.65	109.28	190.00
क्षमता उपभोग (प्रतिशतता में)	52.25	77.49	101.04

मुंबई हाई में गैस का रिसाव

2709. श्री मोहन रावले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुंबई हाई में कितनी मात्रा में गैस का रिसाव हो रहा है;

(ख) तकनीकी न्यूनतम स्तर से इसका संबंध किस सीमा तक है; और

(ग) इस क्षेत्र में गैस का रिसाव कम करने के लिए नयी योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्ष 2001-02 (अप्रैल, 2001 से सितम्बर, 2001) के दौरान मुंबई हाई क्षेत्र सहित पश्चिम अपतट से आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा प्रतिदिन उत्पादित की जाने वाली, आपूर्ति की जाने वाली और आंतरिक रूप से प्रयोग

में लाई जाने वाली और दहन की जाने वाली दैनिक औसत गैस के ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

(आंकड़े मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन में)

	2001-2002 (अप्रैल, 2001-सितम्बर, 2001)
उत्पादन	50.132
आपूर्ति	40.420
आंतरिक प्रयोग	7.185
दहन	2.228
प्रतिशतता उपयोग	95.55 प्रतिशत

(ख) न्यूनतम तकनीकी दहन की आवश्यकता, सुविधाओं के सृजन के समय उपलब्ध प्रौद्योगिकी तथा सृजित सुविधाओं पर निर्भर करती है। ओ.एन.जी.सी. के मुंबई हाई क्षेत्र सहित पश्चिम अपतट में गैस दहन का स्तर पहले ही कुल उत्पादित गैस के लगभग 4.4 प्रतिशत के स्तर तक नीचे आ गया है जो इस संबंध में लगभग 4.0 प्रतिशत के विश्व औसत के समतुल्य है।

(ग) ओ.एन.जी.सी. गैस के दहन को और कम करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है जैसे कम दाब गैस प्राप्ति, दहन पद्धतियों का प्रतिस्थापन, दहन गैस प्राप्ति तथा प्रचालनीय सुधार।

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

2710. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने दक्षिण-मध्य रेल मार्गों का पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो चालू वर्ष के दौरान कौन-कौन से मार्गों का विद्युतीकरण किया जायेगा;

(ग) इस समय दक्षिण-मध्य रेलवे में बिजली के कितने रेल इंजन चल रहे हैं;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान विद्युत रेल इंजनों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दक्षिण-मध्य रेलवे में विद्युत की आपूर्ति रुकने की स्थिति में क्या सुरक्षा उपाय किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) रेणिगुंटा-गुंतकल खंड (308 मार्ग कि.मी.) का विद्युतीकरण प्रगति पर है और उसके मार्च, 2004 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(ग) दक्षिण-मध्य रेलवे के क्षेत्र पर लगभग 200 बिजली रेल इंजन चल रहे हैं। दक्षिण-मध्य रेलवे के दो शैडों में 282 बिजली रेल इंजन खड़े किये जाते हैं। सेवाएं चलाने के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा बिजली रेल इंजन शेयर किये जाते हैं।

(घ) इस वर्ष के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे के शेडों में रेल इंजनों के आवंटन में और अधिक वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपरोक्त (घ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(च) दक्षिण-मध्य रेलवे में एक अथवा एक से अधिक कर्षण सब स्टेशनों में पावर की खराबी के लिए आपातकालीन फीड प्रबंधन विद्यमान हैं।

हल्के भार वाले उन्नत टॉरपीडो

2711. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.आर.डी.ओ. ने हल्के भार वाले उन्नत टॉरपीडो का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त टॉरपीडो का उत्पादन कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है और टॉरपीडो का निर्माण करने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अत्याधुनिक उन्नत प्रयोगात्मक टारपीडो का विकास किया है जिसे पोत तथा हेलिकाप्टर से दागा जा सकता है। इस टारपीडो पर अनेक प्रयोक्ता स्वीकार्य परीक्षण किए गए हैं और यह उत्पादन-पूर्व चरण में है।

(ग) मैसर्स भारत डॉयनामिक्स लिमिटेड, जो उन्नत प्रयोगात्मक टारपीडो की उत्पादन एजेंसी है, पांच टारपीडो का उत्पादन कर रही है। उत्पादन-पूर्व इकाइयों के मूल्यांकन करने के पश्चात्

नौसेना द्वारा एक वर्ष की अवधि में भारी मात्रा में उत्पादन हेतु आर्डर दिए जाने की संभावना है।

अमरीकी सहायता

2712. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने भारतीय रेल की महत्वपूर्ण तकनीकों का संवर्धन करने के लिए 4 लाख डालर की राशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अमरीकी अनुदान के उपयोग के लिए कौन-कौन से क्षेत्रों की पहचान की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) परियोजना की कुल लागत 1,024,757 अमरीकन डॉलर में से दीर्घकालीन निर्णय समर्थन प्रणाली के चरण-3 को अमरीका व्यापार और विकास एजेन्सी 400,000 अमरीकन डॉलर के अनुदान के माध्यम से अंशत: पोषित कर रही है। भारतीय रेलवे परियोजना के शेष भाग की लागत के लिए निधि उपलब्ध कराएगी।

(ग) जी हां।

(घ) 19 नवंबर, 2001 को भारतीय रेलवे और अमेरिका व्यापार विकास एजेन्सी के बीच अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं।

(ङ) अनुदान के उपयोग के लिए जिन क्षेत्रों की पहचान की गई है, उनमें शामिल हैं:-

(1) टर्मिनल विश्लेषण

(2) मल्टी-मॉडल यातायात विश्लेषण

(3) गाड़ियों का बैंचमार्किंग

रसोई गैस/पेट्रोलियम पम्पों के आबंटन में अनियमितताएं

2713. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रसोई गैस एजेन्सियों और पेट्रोल पम्पों के आबंटन में अनियमितताएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी अनियमितताओं में लिप्त अधिकारियों/व्यक्तियों की पहचान कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश राज्य में डीलर चयन बोर्डों (डी.एस.बी.) द्वारा डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन के खिलाफ प्राप्त शिकायतों को, इस मामले में मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों/महानिदेशक, मिलावट रोधी कक्ष, को कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है।

एम.ई.एस. का अनुचित कार्यकरण

2714. श्री रामजी मांझी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में एम.ई.एस. के अनुचित कार्यकरण की जानकारी है;

(ख) क्या सेना के अधिकारियों और अभियंताओं द्वारा जल और विद्युत की उपलब्धता का गलत मूल्यांकन करने के कारण 2.19 करोड़ रुपये का घाटा हुआ और महीनों से मकान खाली पड़े हुए हैं जैसाकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2001 की अपनी सातवीं रिपोर्ट में पृष्ठ 47 पर उल्लेख किया है;

(ग) क्या एम.ई.एस. दिल्ली में सैन्य आवासों में रहने वालों को किफायती, अच्छी तथा समय पर सेवा प्रदान नहीं कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो एम.ई.एस. की स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क), (ग) और (घ) जी, नहीं। सेना इंजीनियर सेवा सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के अनुरूप कार्य कर रही है जिसमें दिल्ली में सैन्य आवास में रहने वालों को किफायती, कार्यकुशल और समय पर सेवा उपलब्ध कराया जाना शामिल है। तथापि, कार्य-प्रणाली का स्तरोन्नयन सतत् प्रक्रिया है और सेवाओं में सुधार करने के प्रयास किए जाते हैं।

(ख) यद्यपि परियोजना की कुल लागत 2.19 करोड़ रुपए थी तथापि, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार अफसरों को कुल किराए की प्रतिपूर्ति, चौकीदारी तथा रख-रखाव के खर्चों में केवल 6.7 लाख रुपए दर्शाए गए हैं। ऐसे आकार की परियोजनाओं के कार्यों में यदा-कदा विलंब हो ही जाते हैं।

विजयवाड़ा-तिरुपति के बीच रेलगाड़ी

2715. **श्री वाई.वी. राव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विजयवाड़ा-तिरुपति के बीच रेलगाड़ियों की बढ़ती मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विजयवाड़ा भीमावरम होते हुए किनाडा-तिरुपति के बीच तिरुमाला एक्सप्रेस की भांति एक रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) परिचालनिक और संसाधनों की तंगियों के कारण।

मुम्बई में पाइपलाइन के जरिये गैस की आपूर्ति

2716. **श्री किरीट सोमैया :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "महानगर गैस" मुम्बई में पाइपलाइन के जरिए गैस उपलब्ध कराने का अपना वचन पूरा करने में असमर्थ है;

(ख) क्या "महानगर गैस" इस वर्ष दिवाली पर्व के पहले पूर्वी उपनगर, विशेषकर मुलुंड (पूर्व) और मुलुंड (पश्चिम) में इस प्रकार गैस की आपूर्ति आरम्भ करने वाला था;

(ग) यदि हां, तो इसमें देरी के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भांडुप, विक्रोली और कंजूरमार्ग के पूर्वी उपनगरीय क्षेत्र में पाइपलाइन बिछा दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में गैस-आपूर्ति का कार्यक्रम और समय-सारिणी क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसमें इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ब्रिटिश गैस पी.एल.सी. तथा महाराष्ट्र सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में मई, 1995 में महानगर गैस लिमिटेड (एम.जी.एल.) की स्थापना से लेकर इसने मुंबई में चैम्बूर, देवनार, गोओडी, चुनाभट्टी, कुरला (पूर्व), पंत नगर, काला नगर, बान्द्रा (पूर्व और पश्चिम), अंधेरी (पूर्व और पश्चिम), घाटकोपर (पश्चिम), जुहू, वरसोवा, विले पारले (पूर्व और पश्चिम), गोरेगांव, मलाड, कांडीवाली, मुलुंद (पश्चिम) तथा विरतरोली (पूर्व) में 3.15 लाख (लगभग) संभाव्य घरेलू उपभोक्ताओं में से 74,552 घरेलू उपभोक्ताओं को पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति से जोड़ दिया है।

(ख) एम.जी.एल. मुलुंद (पश्चिम) सहित पूर्वी उप नगरों के विभिन्न भागों में घरेलू उपभोक्ताओं को पहले से ही पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रहा है, जहां अब तक 3800 घरेलू उपभोक्ताओं को जोड़ दिया गया है। एम.जी.एल. की वर्तमान विनिर्माण दौर में मुलुंद (पूर्व) तक मौजूदा पाइपबद्ध गैस नेटवर्क के विस्तार की योजना है।

(ग) उक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) एम.जी.एल. ने कंजूरमार्ग (क्राम्पटन ग्रीव्स संयंत्र तथा जौली बोर्ड संयंत्र के समीप) तथा विखरोली (गोदरेज संयंत्र) के पूर्वी भाग में गैस पाइपलाइन बिछा दी है। एम.जी.एल. कानमधार नगर तथा टैगोर नगर सहित भांडुप (पूर्व), कंजूरमार्ग तथा विखरोली में पाइपबद्ध गैस आपूर्ति के विस्तार पर व्यवहार्यता अध्ययन कर रहा है। इन क्षेत्रों में तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो जाने के बाद 2 अक्तूबर, 2002 से घरेलू कनेक्शन देने की शुरूआत होने की संभावना है।

अपमिश्रण-रोधी प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ना

2717. **श्रीमती श्यामा सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अपमिश्रण-रोधी प्रकोष्ठ (ए.ए.सी.) के कुछ अधिकारी विक्रेताओं को प्रताड़ित करने लगे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकोष्ठ के कार्यकरण और निष्कर्षों के विरुद्ध अपील करने का तरीका क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकोष्ठ में नियुक्त अधिकारियों की गोपनीय जांच करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग से स्वीकृति मांगी है;

(घ) यदि नहीं, तो इस चूक के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार जांच करने अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग से रिपोर्ट मांगने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) मिलावट रोधी प्रकोष्ठ के किसी भी अधिकारी द्वारा डीलरों को धमकाए जाने के विषय में सरकार को अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (च) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बायोगैस संयंत्र

2718. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार अलग-अलग कुल कितने बायोगैस-संयंत्र अधिष्ठापित किए गए;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान अनेक राज्यों के संबंध में इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां कार्य लक्ष्य से कम हुआ है; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) केन्द्रीय क्षेत्र योजना-राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99 से 2000-01 के दौरान लगभग 4.89 लाख पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी नहीं। इस अवधि के दौरान असम, बिहार, गोवा, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम को छोड़कर अधिकांश राज्यों ने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं।

(घ) चालू वित्त वर्ष 2001-02 के दौरान सभी पूर्वोत्तर राज्यों में उपलब्धि में सुधार लाने के लिए सरकार ने कई नए उपाय किए हैं; जैसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और निचले स्तर के गैर-सरकारी संगठनों की अधिक भागीदारी; और 31 अगस्त, 2001 से टर्न-की कार्यशुल्क की दर में प्रति संयंत्र 700 रु. से 800 रु. की वृद्धि। अन्य राज्यों के लिए भी नि:शुल्क रखरखाव सेवा के लिए तीन वर्षों की वारंटी के साथ संयंत्रों के निर्माण के लिए उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए टर्न-की कार्यशुल्क को प्रति संयंत्र 500 रु. से 700 रु. तक बढ़ाया गया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पुराने बंद पड़े संयंत्रों की मरम्मत की एक योजना चालू रखी जा रही है। इसके अलावा, ऐसे जिलों की, जहां उच्च संभाव्यता है लेकिन प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की पर्याप्त संख्या में कमी है, राज्य स्तर के बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केन्द्रों के संरक्षण में ऑन द जॉब प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए पहचान की गई है।

विवरण

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान स्थापित पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की कुल राज्यवार संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्थापित संयंत्रों की कुल संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	71339
अरुणाचल प्रदेश	731
असम	19033
बिहार	13802
गुजरात	29610
हरियाणा	7121
हिमाचल प्रदेश	2668

1	2
कर्नाटक	72162
केरल	18698
मध्य प्रदेश	43987
महाराष्ट्र	48591
मणिपुर	448
मेघालय	1295
मिजोरम	900
नागालैंड	677
उड़ीसा	26262
पंजाब	19401
राजस्थान	3329
सिक्किम	977
तमिलनाडु	6691
त्रिपुरा	646
उत्तर प्रदेश	45739
पश्चिम बंगाल	54356
अन्य	727
कुल	4,89,190

नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का रद्द किया जाना

2719. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड मंडल में समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति हेतु लिए जाने वाले साक्षात्कार को रेल विभाग द्वारा बार-बार रद्द किया गया;

(ख) यदि हां, तो इससे आवेदकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) 27.8.2001 को खुर्द रोड मंडल में समूह 'घ' के पदों के लिए किये जाने वाला चयन पहले ही दिन कुछ स्थानीय अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उम्मीदवारों के साथ हाथापाई किये जाने के कारण स्थगित कर दिया गया था। उपर्युक्त चयन करने के लिए राज्य सरकार के पदाधिकारियों के परामर्श से उपायों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

पेट्रो-उत्पादों की खपत में कमी

2720. श्री जोरासिंह मान :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खपत घटी है;

(ख) यदि हां, तो 1998-1999, 1999-2000 और 2000-01 के दौरान देश में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी खपत हुई;

(ग) देश में प्रत्येक पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किन-किन प्रयोजनों के लिए किया जाता है; और

(घ) 2000-01 के दौरान किन-किन पेट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग होने की संभावना है और उसकी अनुमानित मात्रा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, नहीं। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि हुई है। 1998-99 से 2000-01 की अवधियों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की खपत/बिक्री विवरण-I पर विवरण में दी गई है।

(ग) विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मुख्य अंत्य: उपयोग का ब्यौरा विवरण-II पर विवरण में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2001-02 के दौरान देश में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मांग अनुमान विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत
(निजी पक्षकारों द्वारा आयातों/बिक्रियों सहित)

(आंकड़े टी.एम.टी. में)

उत्पाद	1998-99	प्रतिशत वृद्धि	1999-2000	प्रतिशत वृद्धि	2000-01	प्रतिशत वृद्धि
एल.पी.जी.	5352	11.4	6422	20.0	7016	9.3
एम.एस.	5507	6.3	5909	7.3	6613	11.9
नाफ्था/एनजीएल	9221	25.3	10892	18.1	11680	7.2
अन्य	450	-13.9	1308	190.5	4005	206.1
उप योग	20531	14.9	24531	19.5	29314	19.5
ए.टी.एफ.	2112	0.2	2200	4.2	2250	2.3
एस.के.ओ.	12243	10.6	11898	-2.8	11307	-5.0
एच.एस.डी.	37217	3.2	39295	5.6	37958	-3.4
एल.डी.ओ.	1278	3.5	1512	18.3	1399	-7.5
अन्य	480	13.4	528	10.0	553	4.7
उप योग	53330	4.8	55433	3.9	53467	-3.5
ल्यूब	1096	1.4	1244	13.4	1044	-16.1
एफ.ओ./एल.एस.एच.एस.	12511	8.9	12453	-0.5	12653	1.6
बिटुमन	2412	10.7	2879	19.4	2714	-5.7
अन्य	682	-11.5	546	-20.0	883	61.9
उप योग	16701	7.6	17122	2.5	17294	1.0
कुल योग	90562	7.4	97086	7.2	100075	3.1

विवरण-II

उत्पाद	मुख्य अंत्य: उपयोग
1	2
एल.पी.जी.	घरेलू ईंधन, वाणिज्यिक ईंधन और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए
नाफ्था/एन.जी.एल.	उर्वरक इकाइयों के लिए फीड स्टाक/ईंधन, पेट्रोरसायन क्षेत्र के लिए फीड स्टाक, विद्युत संयंत्रों के ईंधन
एन.एस.	यात्री कारों, टैक्सियों, दो और तीन पहिया वाहनों के लिए ईंधन
ए.टी.एफ.	विमानों के लिए ईंधन

एस.के.ओ.	रसोई और रोशनी के लिए ईंधन
एच.एस.डी.	परिवहन क्षेत्र (रेल मार्ग/सड़क), कृषि (ट्रैक्टर, पम्प सेट, थ्रेशर आदि) और विद्युत उत्पादन
एल.डी.ओ.	कृषीय पंप सेट, छोटी औद्योगिक इकाइयां, विद्युत उत्पादन के लिए आरंभिक संचालन ईंधन
एफ.ओ./एल.एस.एच.एस.	विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन, उर्वरक संयंत्रों, औद्योगिक इकाइयों के लिए ईंधन/फीड स्टाक
बिटुमेन	सड़कों को समतल बनाना
ल्यूब्स (स्नेहक)	आटोमोटिव और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए स्नेहीकरण

विवरण-III

वर्ष 2001-2002 के लिए मांग अनुमान
(निजी पक्षकारों द्वारा आयातों/बिक्रियों सहित)

(आंकड़े टी.एम.टी. में)

उत्पाद	अनुमानित मांग
एल.पी.जी.	7864
एम.एस.	7049
एस.के.ओ.	10462
एच.एस.डी.	37100
ए.टी.एफ.	2217
नाफ्था/एन.जी.एल.	12271
एल.डी.ओ.	1380
ल्यूब्स	1050
एफ.ओ./एल.एस.एच.एस.	12868
बिटुमेन	2657
अन्य	4519
योग	99437

भारतीय वायुसेना में अनुपयुक्त विमान

2721. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्री जयभान सिंह पवैया :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय वायुसेना के ऐसे कितने युद्धक विमान हैं जो उड़ान योग्य नहीं हैं;

(ख) इन विमानों को कब से प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय वायुसेना के इन विमानों को उड़ान के उपयुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सामान्य संपूर्ण मरम्मत चक्र के अनुसार इस समय संपूर्ण मरम्मत के लिए पड़े भारतीय वायुसेना के कुछ वायुयानों के अलावा भारतीय वायुसेना के कुछ और वायुयान हैं जो अस्थायी तौर पर उड़ान योग्य नहीं हैं क्योंकि विनिर्माताओं से अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की प्रतीक्षा की जा रही है।

अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों की सप्लाई शीघ्र कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

गुजरात विद्युत बोर्ड को धनराशि लौटाना

2722. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे, कोलकाता द्वारा गुजरात विद्युत बोर्ड से मालभाड़े के रूप में वसूल की गई 28 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि को वापस लौटाया जाना है;

(ख) यदि हां, तो मामला कब से लंबित है;

(ग) गुजरात विद्युत बोर्ड को यह धनराशि कब तक लौटा दी जाएगी;

(घ) क्या गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा अक्तूबर, 1997 से अक्तूबर, 1998 की अवधि के बीच नहीं मंगाए गए ''टु पे'' रेक्स पर लिए गए 15 प्रतिशत अधिभार को वापस लौटाया जाना है;

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक वापस किया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा पूर्व में दक्षिण पूर्व रेलवे पर दायर किए गए लगभग 28 करोड़ रुपए की राशि के धन वापसी दावों से संबंधित कागजात 4.7.1999 को रेलवे के धन वापसी कार्यालय में लगी आग में नष्ट हो गए थे। 4.7.1999 से पूर्व 1.36 करोड़ रुपए की राशि अदा कर दी गई थी। शेष राशि के लिए दावे फरवरी, 2000 में पुन: प्रस्तुत किए गए थे और उनका सत्यापन किया जा रहा है। इन मामलों पर अभी कोई धन वापसी की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि स्वीकार्य पाए गए दावे रेलवे को गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा देय बकाया राशि के साथ समायोजित किए जाएंगे। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता। कोयला परेषणों के लिए मालभाड़ा प्रभार का बुकिंग स्टेशन पर अथवा भुगतान के किसी अनुमोदित तरीके से भुगतान नहीं किया जाता है तो रेलवे 15% का ''टु पे'' अधिभार लगाती है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण

2723. श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2001 तक ''कुटीर ज्योति'' और ''प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना'' कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कितने मकानों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकरण कार्य की राज्यवार क्या प्रगति रही;

(ग) राज्यवार कितने मकान उक्त कार्यक्रम के तहत विद्युतीकरण के अंतर्गत आने के पात्र हैं; और

(घ) गरीबों के घरों तक बिजली पहुंचाने के कार्य में धीमी प्रगति होने के क्या कारण हैं और इस संबंध में कौन से निवारक उपाय किये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार ग्राम विद्युतीकरण निगम (आर.ई.सी.) के जरिए राज्यों को कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत एकल प्वायंट कनेक्शन जारी करने के लिए 100% अनुदान सहायता उपलब्ध कराता है। चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 70 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है। 31 मार्च, 2001 तक कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युतीकृत परिवारों के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। विगत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युतीकरण की प्रगति विवरण-II में दी गई है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के पात्र ग्रामीण परिवारों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरा विवरण-III में दिए गए हैं।

3 मार्च, 2001 को आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में ग्राम विद्युतीकरण को 10वीं योजना अर्थात् सन् 2007 तक पूरा करने का संकल्प किया गया है तथा सभी परिवारों को 11वीं योजना के अंत अर्थात् सन् 2012 तक कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2001-02 से ग्राम विद्युतीकरण को पी.एम.जी.वाई. के अंतर्गत रखा गया है, जिसके अंतर्गत 41859.90 लाख रु. का आबंटन किया गया है। इसके अलावा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम.एन.पी.) के अंतर्गत वर्ष 2001-02 के लिए ग्राम विद्युतीकरण के लिए 175 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

विवरण-I

31.3.2001 तक कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत सूचित विद्युतीकृत घर

क्र.सं.	राज्य	31.3.2001 तक संचयी
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	584674
2.	अरूणाचल प्रदेश	28902
3.	असम	46937
4.	बिहार	328527
5.	गोवा	1050
6.	गुजरात	66478

1	2	3
7.	हरियाणा	9996
8.	हिमाचल प्रदेश	24753
9.	जम्मू व कश्मीर	1421
10.	कर्नाटक	924587
11.	केरल	82043
12.	मध्य प्रदेश	735959
13.	महाराष्ट्र	274379
14.	मणिपुर	16066
15.	मेघालय	28165
16.	मिजोरम	39900
17.	नागालैंड	34221
18.	उड़ीसा	101381
19.	पंजाब	27746
20.	राजस्थान	124974
21.	सिक्किम	20415
22.	तमिलनाडु	471396
23.	त्रिपुरा	41538
24.	उत्तर प्रदेश	213980
25.	पश्चिम बंगाल	148826
26.	यूटी	1724
	कुल जोड़	4380038

विवरण-II

गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत सूचित विद्युतीकृत घरों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	1998-1999	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	104000	38000	130000
2.	अरुणाचल प्रदेश	112	7772	6000
3.	असम	0	569	1688
4.	बिहार	27173	41945	25342
5.	गोवा	0	0	0
6.	गुजरात	5000	5000	4200
7.	हरियाणा	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	4174	4080	2036
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	528
10.	कर्नाटक	100000	200000	145087
11.	केरल	5000	15000	35152
12.	मध्य प्रदेश	136250	35714	51770

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	36000	35757	14607
14.	मणिपुर	5000	0	0
15.	मेघालय	9000	5625	3500
16.	मिजोरम	8000	11500	10000
17.	नागालैंड	5864	11815	12000
18.	उड़ीसा	973	5286	41
19.	पंजाब	5000	5000	2500
20.	राजस्थान	8954	9940	15012
21.	सिक्किम	3000	0	0
22.	तमिलनाडु	46486	40421	45919
23.	त्रिपुरा	2344	19217	13783
24.	उत्तर प्रदेश	2584	131	509
25.	पश्चिम बंगाल	15000	4601	5000
	कुल जोड़	529914	497373	524674

विवरण-III

*नौवीं योजना के दौरान बी.पी.एल. जनगणना के राज्य-वार परिणाम**

क्र.सं.	राज्य	गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवार
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4184628
2.	अरुणाचल प्रदेश	80627
3.	असम	2164416
4.	बिहार	9399281
5.	गोवा	23101
6.	गुजरात	1980879
7.	हरियाणा	503019
8.	हिमाचल प्रदेश	286112
9.	जम्मू व कश्मीर	606545
10.	कर्नाटक	2202756
11.	केरल	गैर सूचित
12.	मध्य प्रदेश	5111874
13.	महाराष्ट्र	3860675
14.	मणिपुर	246980
15.	मेघालय	156646
16.	मिजोरम	74154
17.	नागालैंड	88541
18.	उड़ीसा**	4445736

1	2	3
19.	पंजाब	650209
20.	राजस्थान	2097560
21.	सिक्किम	गैर सूचित
22.	तमिलनाडु	2737921
23.	त्रिपुरा	397798
24.	उत्तर प्रदेश	7541494
25.	पश्चिम बंगाल	4918296
26.	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	6421
27.	दादरा व नगर हवेली	17231
28.	दमन व दीव	395
29.	लक्षद्वीप	885
30.	पाण्डिचेरी	63262
	अखिल भारत	53847442

*अनंतिम
**ग्रामीण घर

भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान में भूमि का अधिग्रहण

2724. श्री निहालचन्द चौहान : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रावतसर नगर के निकट वायुसेना का एक वायु-अड्डा बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है और इसे किन-किन ग्रामों से लिया गया है;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव किसानों को उनकी भूमि के बदले मुआवजा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो किसानों को यह मुआवजा कब तक दिया जायेगा और उसकी राशि कितनी होगी?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, भारतीय वायुसेना के लिए एयर टु ग्राउंड फायरिंग रेंज बनाए जाने के वास्ते राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में लगभग 47,000 बीघा भूमि का अर्जन किए जाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ) और (ङ) भूमि का अर्जन अभी किया जाना है इसलिए इस अवस्था में मुआवजे की अदायगी का प्रश्न नहीं उठता।

रूस द्वारा टी.यू.-22 बमवर्षकों की आपूर्ति

2725. डा. अशोक पटेल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस भारत को पट्टा आधार पर टी.यू.-22 बमवर्षक विमान देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये विमान कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) भारत अपनी रक्षा और सामरिक जरूरतों के लिए विभिन्न देशों से शस्त्रों और गोला-बारूद की अधिप्राप्ति कर रहा है। अधिप्राप्तियों के संबंध में किन्हीं देशों अथवा गोला-बारूद/शस्त्रों का ब्यौरा देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण तथा पुनरुद्धार कार्य

2726. श्री लक्ष्मण गिलुवा : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कम विद्युत-लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) वाले विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

''एनरान'' मुद्दा

2727. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ ने ''एनरॉन'' समस्या को सुलझाने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'एनरॉन'' का मसला भारत और अमरीका के संबंधों के बीच एक बड़ी बाधा है; और

(घ) यदि हां, तो ''एनरॉन'' समस्या के हल के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

(घ) यद्यपि मामले से संबंधित मुद्दों का समाधान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी दभोल विद्युत कंपनी (डी.पी.सी.) और महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, जिन्होंने विद्युत क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, की है, फिर भी भारत सरकार सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए सहमत हो गई है।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में माता बगलामुखी मंदिर का उत्खनन

2728. श्री महेश्वर सिंह : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की देहरा तहसील के वनखंडी स्थान पर माता बगलामुखी का एक प्रसिद्ध प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर था, जो वर्ष 1905 में आए भीषण भूकंप से ध्वस्त होकर भूगत हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उस स्थान पर उत्खनन कार्य के दौरान इस मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर के अवशेषों को निकालने के क्रम में उक्त स्थान पर उत्खनन कार्य करवाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (घ) जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) में तहसील देहरा में वनखंडी स्थित वर्तमान माता बगलामुखी मंदिर किसी प्राचीन मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया प्रतीत होता है। वर्तमान मंदिर के आस-पास भारी निर्माण को ध्यान में रखकर, इस स्थल का पुरातात्विक उत्खनन संभव नहीं है।

[अनुवाद]

रेल पटरियों के स्क्रैप का गायब होना

2729. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि रेल विभाग द्वारा किये गये आमान परिवर्तन कार्य के फलस्वरूप निकले रेल-पटरी के स्क्रैप तथा भारी मात्रा में अन्य अवशिष्ट सामग्री या तो अपने स्थान से गायब है अथवा वहां पर नहीं पाई गई;

(ख) यदि हां, तो रेल विभाग द्वारा पता लगाए गए इस प्रकार गायब पाई गई सामग्रियों का खंडवार ब्यौरा क्या है और इससे कितने मूल्य की हानि होने का अनुमान है;

(ग) कितने मामलों में रेल विभाग ने फालतू/स्क्रैप के रूप में श्रेणीबद्ध रेल पटरी की सम्पत्तियों के गायब होने के कारण राजकोष को हुए घाटे का अधित्याग करने की अनुमति मांगी है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रकार हुए घाटे के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) सभी क्षेत्रीय रेलों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रसारण सेवाओं पर सेवा-कर

2730. श्री सुबोध मोहिते : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्रसारण सेवाओं पर सेवा-कर लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे कर का आरोपण करने के विरुद्ध 'फिक्की' की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने सेवा कर नियम, 1994 में एक संशोधन के जरिए 16 जुलाई, 2001 से 5% सेवा कर लगाने के लिए प्रसारण सेवाओं को शामिल किया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। फिक्की ने अभी हाल ही में एक बजट-पूर्व ज्ञापन में इस आधार पर इस कर को लगाने का विरोध किया है कि इससे उदीयमान प्रसारण उद्योग का विकास प्रभावित होता है। फिक्की ने सुझाव दिया है कि यदि यह महसूस किया जाता है कि इस कर को जारी रखा जाना चाहिए तो यह कर केवल प्रसारण सेवाओं पर होना चाहिए न कि प्रसारकों द्वारा वसूल की गई कुल बीजक राशि पर। फिक्की के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया करना समय पूर्व होगा।

[हिन्दी]

कोडरमा-रांची रेल लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण

2731. प्रो. दुखा भगत : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोडरमा और रांची के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितना प्रतिशत काम हो चुका है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण का काम कब तक पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) जी हां। प्रारम्भिक तौर पर आकलित की गई लगभग 2000 हैक्टेयर भूमि की कुल आवश्यकता में से अब तक 100 हैक्टेयर भूमि अधिगृहीत कर ली गई है। भूमि अधिग्रहण पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

दौंड-मनमाड रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण

2732. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दौंड-मनमाड रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के क्रियान्वयन का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस योजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (घ) दौड-मनमाड खंड के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का सर्वेक्षण प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध होने के पश्चात् परियोजना पर आगे विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

मजगांव गोदी

2733. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मजगांव-गोदी रक्षा संबंधी सामग्रियों की आपूर्ति मांग के अनुसार करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इसके द्वारा अर्जित लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस गोदी को पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति आदेश उपलब्ध न होने के कारण यह अपनी क्षमता के अनुसार काम करने में सक्षम नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां। माझगांव डाक के पोतनिर्माण डिवीजन में वर्ष 1998-99 में क्षमता उपयोग 80% था वह वर्ष 2000-01 में घटकर 53% रह गया है।

(घ) युद्धपोतों के श्रृंखलाबद्ध निर्माण के लिए माझगांव डाक लिमिटेड को आर्डर दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, माझगांव डाक लिमिटेड में पनडुब्बियों के श्रृंखलाबद्ध निर्माण कार्य को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन उपायों से माझगांव डाक लिमिटेड के क्षमता उपयोग में वृद्धि होगी।

विवरण

(करोड़ रुपए)

वर्ष	1998-99	1999-2000	2000-2001
सकल मार्जिन	61.10	47.08	11.78
कर पूर्व लाभ/(हानि)	28.23	23.90	(-) 18.36
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	16.23	13.07	(-) 18.36

विद्युत क्षेत्र में सुधार

2734. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 7 दिसम्बर, 2001 को नई दिल्ली में व्यापार और उद्योग परिषद् की हुई बैठक में सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु कोई समय सारणी तैयार करने का आश्वासन दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस सुधार के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) प्रधानमंत्री की व्यापार व उद्योग संबंधी परिषद् की दिनांक 7.9.2001 को आयोजित बैठक में रा.वि.बो. की वित्तीय स्थिति सुधारने पर जोर दिया गया। विद्युत मंत्रालय तात्कालिकता आधार पर सुधारों की आवश्यकता पर बल दे रहा है। मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के मार्च, 2001 में आयोजित सम्मेलन में आगामी 2-3 वर्षों में विद्युत चोरी का पता लगाने तथा उसका उन्मूलन करने के लिए प्रभावी कार्यक्रम आरंभ करने की जरूरत का संकल्प किया गया। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र सुधारों की संयुक्त प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 19 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों में राज्यों ने सुधार लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धता दर्शायी है और भारत सरकार ए.पी.डी.पी. और विद्युत के अतिरिक्त आवंटन आदि के जरिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायेगी।

रूस से टी-90 टैंकों की खरीद

2735. श्री ए. नरेन्द्र :
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री के. येरननायडू :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस से टी-90 टैंकों की आपूर्ति की पहली खेप शीघ्र ही मिल जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रूस टी-90 टैंकों की प्रौद्योगिकी के अंतरण पर भी सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उन इकाइयों की स्थापना/पहचान की है जिनमें इस प्रौद्योगिकी को प्रारंभिक चरण में उपयोग किए जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान इस संबंध में कितना धन आबंटित किया गया?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हां। टी-90 टैंकों की पहली खेप शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रौद्योगिकी अंतरण से भारत में टी-90 टैंकों का समन्वायोजन और बाद में उनका विनिर्माण होने लगेगा।

(ङ) और (च) जी, हां। इस उद्देश्य के लिए कुछेक रक्षा इकाइयों की पहचान की गई है।

(छ) इस प्रयोजन के लिए आवश्यक धनराशि निर्धारित की गई है।

10वीं योजना संबंधी समिति का गठन

2736. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नीति और निवेश संबंधी निर्णयों में दिशानिर्देश देने हेतु 10वीं योजना संबंधी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति का अधिकार क्षेत्र क्या है; और

(घ) इससे सूचना और प्रसारण को बेहतर बनाने में किस सीमा तक सहायता प्राप्त होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (च) योजना आयोग ने 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु सूचना और प्रसारण क्षेत्र संबंधी एक कार्य दल का गठन किया है। सचिव (सूचना और प्रसारण) की अध्यक्षता में गठित कार्य दल में मास मीडिया क्षेत्र के गैर-सरकारी विशेषज्ञों सहित 17 अन्य सदस्य शामिल हैं। कार्य दल के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:-

(1) रेडियो, दूरदर्शन और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा उपलब्ध मीडिया अनुप्रयोगों में उभरती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए 10वीं पंचवर्षीय योजना हेतु सूचना और प्रसारण क्षेत्र के लिए प्रस्ताव तैयार करना।

(2) प्रसारण नेटवर्क का विस्तार किस सीमा तक किए जाने की आवश्यकता है, इसकी जांच करना और कवर न किए गए क्षेत्रों तक रेडियो और टेलीविजन सिगनल उपलब्ध कराने के लिए सर्वोत्तम तरीके का पता लगाना।

(3) विषय-वस्तु निर्माण सहित प्रसारण अवसंरचना में निवेश की कुल आवश्यकता का मूल्यांकन करने और 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में और उससे आगे किस सीमा तक निजी निवेश प्राप्त हो सकता है इसका मूल्यांकन करना तथा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

(4) दूरसंचार, प्रसारण, मीडिया, इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक मानव संसाधनों का मूल्यांकन करना और इसकी उपलब्धता के लिए रास्ता सुझाना।

(5) फिल्म उद्योग के स्तर का मूल्यांकन करना और अच्छी, सामाजिक रूप से उपयुक्त और नैतिक रूप से सृजनात्मक फिल्मों का निर्माण करने के लिए नीतिगत उपाय और अन्य कदम सुझाना।

(6) क्षेत्रीय प्रचार कार्यक्रमों सहित सरकार की प्रचार आवश्यकताओं पर एक नजर डालना और सरकारी प्रकाशनों, विज्ञापनों और मीडिया उत्पादों के संस्थागत प्रबंधों का पुनर्मूल्यांकन करना।

कार्यप्रणाली दल में सूचना और प्रसारण क्षेत्र से लिए गए विशेषज्ञ शामिल हैं और उनकी सिफारिशें भावी नीतियों तथा निवेश के निर्णयों एवं इस क्षेत्र के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा।

छोटे, मझौले और बड़े अखबारों को विज्ञापन

2737. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे अखबारों को विशेषकर सरकार से विज्ञापन प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने छोटे, मंझोले और बड़े अखबारों को विज्ञापन देने संबंधी मुद्दे पर कोई ठोस नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) छोटे और मंझौले अखबारों के सामने अन्य कौन-कौन सी समस्याएं आ रही हैं; और

(ङ) उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय लक्षित पाठकगण प्रचार अपेक्षाओं, ग्राहक मंत्रालयों/विभागों की सिफारिश और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर उन प्रकाशनों को विज्ञापन जारी करता है जो "विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में समाचारपत्र सूचीकरण के लिए विज्ञापन नीति और दिशानिर्देशों के प्रावधानों" के आधार पर सूचीबद्ध किए जाते हैं। जिसकी मुख्य बातें विवरण में दी गयी हैं।

(घ) लघु एवं मझौले समाचारपत्र संस्थाएं लघु और मझौले समाचार-पत्रों द्वारा सामना की जा रही गैर-मितव्ययी विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की दरों, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापन बिलों के भुगतान में विलम्ब और भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा बारंबार प्रसार सत्यापन आदि जैसी विभिन्न समस्याओं को उठाती रही हैं।

(ङ) सरकार समाचार-पत्रों विशेषकर लघु एवं मझौले समाचार पत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। इन कदमों में संशोधित विज्ञापन नीति और सूचीकरण दिशा-निर्देश बनाना, संशोधित दर ढांचे की सिफारिश करने के लिए दर ढांचा समिति की स्थापना करना, भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक द्वारा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा भेजे जाने वाले समाचार-पत्रों के प्रसार सत्यापन को प्राथमिकता देना शामिल है। विज्ञापन बिलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

विज्ञापन नीति की मुख्य बातें

पैनल में शामिल करने के लिए मानदंड:

सभी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का बिना किसी व्यवधान के निरंतर प्रकाशन और यह अवधि 12 महीनों से कम नहीं होनी चाहिए और प्रेस तथा पुस्तकों के पंजीकरण कानून 1867 के प्रावधानों का उन्हें पालन करना चाहिये। आवेदनकर्ता समाचारपत्र/पत्रिका को यह प्रमाणित करना होगा कि यह एक समुचित स्तर पर प्रकाशित किया जा रहा है। समुचित स्तर का अभिप्राय यह है कि:

(क) छपी हुई विषय सामग्री पढ़ने में आती हो। सुव्यवस्थित और दाग-धब्बों रहित हो तथा उसमें बार-बार काट कर उसके ऊपर न लिखा गया हो।

(ख) समाचारपत्र/पत्रिका में समाचारों या लेखों का पुनर्प्रकाशन या दोहराव नहीं होना चाहिए।

(ग) इसके प्रथम पृष्ठ पर ऊपर की ओर उस समाचारपत्र का नाम, स्थान, तारीख और प्रकाशन का दिन छपा होना चाहिए, इसके साथ ही उसमें आर.एन.आई. पंजीकरण क्रमांक, वॉल्यूम और अंक संख्या तथा समाचारपत्र/पत्रिका की कीमत दी जानी चाहिये; और

(घ) समाचारपत्र को पी.आर.बी. कानून के तहत आवश्यक इम्प्रिंट लाइन प्रकाशित करना आवश्यक है।

नियमितता:

आवेदनकर्ता समाचारपत्र ने पिछले बारह महीनों के दौरान हर महीने कम-से-कम 25 दिन समाचारपत्र प्रकाशित अवश्य किया हो। साप्ताहिक पत्रिकाओं ने पिछले वर्ष 46 अंक, मासिक पत्रिकाओं ने पिछले वर्ष 10 अंक तथा त्रैमासिक पत्रिकाओं ने पिछले दो वर्षों के दौरान 6 अंक प्रकाशित किये हों तो उन्हें नियमित रूप से प्रकाशित हुआ माना जायेगा। आवेदनकर्ता समाचारपत्र/पत्रिका को आर.एन.आई. द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति भी प्रस्तुत करना चाहिए। उचित जांच-पड़ताल के बाद अगर किसी समाचारपत्र/पत्रिका को एक बार आर.एन.आई. द्वारा अप्रमाणित घोषित कर दिया जाता है तो उसे इस विषय में आर.एन.आई. जिस तारीख को प्रमाणपत्र जारी करेगा, उसी तारीख से प्रमाणित माना जायेगा न कि पूर्ववर्ती किसी साल या महीने से। लेकिन आर.एन.आई. द्वारा कोई समाचारपत्र/पत्रिका देय न चुकाने अथवा इसी प्रकार के किसी तकनीकी कारण से अप्रमाणित घोषित किया गया हो तो आर.एन.आई. स्व-विवेक से उसे अप्रमाणित घोषित करने की तारीख से प्रमाणित घोषित कर सकता है।

मुद्रण क्षेत्र:

एक समाचारपत्र/पत्रिका में निम्न अल्पतम प्रिंट क्षेत्र होना चाहिये-

अवधि	से कम प्रिंट क्षेत्र नहीं
दैनिक	1520 स्टे. कॉ. से. मी.
साप्ताहिक, पाक्षिक	700 स्टे. कॉ. से. मी.
मासिक व अन्य पत्रिकाये	960 स्टे. कॉ. से. मी.

विद्युत उपयोगिताओं का आधुनिकीकरण

2738. श्री एन. जनार्दन रेड्डी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 अक्तूबर, 2001 के ''द हिन्दू'' में ''रुपीज 20,000 कोरड़ प्लैन टू माडर्नाइज पावर यूटिलिटिज'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार विद्युत की वर्तमान उपयोगिता का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने के लिए अगले कुछ वर्षों में कई करोड़ निवेश करने का है;

(ग) यदि हां, तो विद्युत उपयोगिताओं के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए किस तरह धन जुटाए जाने की संभावना है; और

(घ) देश में विद्युत उत्पादन किस सीमा तक बढ़ने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी हां। यह प्रस्तावित किया गया है कि त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पुराने विद्युत संयंत्रों के 20,000 करोड़ रुपये निवेश के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण आर एण्ड एम जीवन विस्तार तथा उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उच्चीकरण के लिए भी व्यवस्थित वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।

(ग) और (घ) सरकार ने पुराने विद्युत उत्पादन यूनिटों के आर एण्ड एम/जीवन विस्तार के लिए तथा मीटरिंग समेत उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सशक्तिकरण के लिए भी अनुदान एवं ऋण के रूप में राज्यों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ए.पी.डी.पी. नामक एक स्कीम प्रारंभ की है। गैर-विशेष श्रेणी राज्य के मामले में ए.पी.डी.पी. अंतर्गत परियोजना लागत की 50% राशि को आधे अनुदान और आधे ऋण के संयोजन से पूरा किया जाएगा। यूटिलिटी को परियोजना लागत का शेष 50% वित्तीय संस्थानों से जुटाना होगा। तथापि विशेष श्रेणी के राज्य की परियोजनाएं ए.पी.डी.पी. के अंतर्गत शत प्रतिशत वित्त पोषण को 90% अनुदान और 10% के संयोजन में प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त पावर फाइनेंस कारपोरेशन त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युत यूटिलिटियों के आर एण्ड एम के लिए रियायती ब्याज दरों पर निधि प्रदान कर रहा है। 10वीं और 11वीं योजना के दौरान आर एण्ड एम के पूरा होने के पश्चात् प्रतिवर्ष 39,000 मि. यूनिट अतिरिक्त ताप विद्युत उत्पादन प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा है। इसके अतिरिक्त आगे 15-20 वर्षों में 140 ताप विद्युत यूनिटों (17,000 मे.वा. क्षमता) के जीवन विस्तार की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा लगभग 6100 मे.वा. जल विद्युत क्षमता का विस्तार किया जाएगा।

कुनेरू रेलवे स्टेशन पर विस्फोट

2739. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पीपुल्स वार ग्रुप (पी.डब्ल्यू.जी.) के नक्सलियों ने 28 अक्तूबर, 2001 को आंध्र प्रदेश में पार्वतीपुरम के निकट कुनेरू रेलवे स्टेशन पर विस्फोट किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे सिगनल और दूर संचार उपकरण तथा रेलवे की अन्य संपत्तियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं;

(ग) यदि हां, तो इस विस्फोट में रेलवे को कुल कितना नुकसान उठाना पड़ा; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या निवारणात्मक कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी हां।

(ग) लगभग 76,500/- रुपए।

(घ) कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना राज्य का विषय है अत: ऐसी घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। बहरहाल, रेलें अपनी ओर से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने की दृष्टि से भेद्य स्टेशनों पर सशस्त्र टुकड़ियां तैनात कर रही हैं।

[हिन्दी]

रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाना

2740. डा. बलिराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में रेलवे की भूमि से अनधिकृत कब्जा हटाने के लिए डायनामाइट से तोड़े गए भवनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र की भूमि के बारे में टी.एल.आर. रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनके लिए अदालतों में मुकदमे दायर किए गए हैं;

(घ) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें रेलवे के पक्ष/विरोध में फैसला दिया गया;

(ङ) क्या सरकार का विचार इनमें से कुछ मामलों का निपटारा अदालत से बाहर ही करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) कल्याण में एक।

(ख) भू-अभिलेख, तालूका इंस्पेक्टर की रिपोर्ट न्यायाधीन है तथा एक कोर्ट केस कल्याण में चल रहा है।

(ग) एक।

(घ) मामले पर अभी निर्णय लिया जाना है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कम सल्फर वाले पेट्रोल और डीजल

2741. श्री चन्द्र विजय सिंह :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ महानगरों में तेल के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर अधिक से अधिक 0.05% सल्फर वाले पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का देश के अन्य शहरों में ऐसे पर्यावरण अनुकूल ईंधन की आपूर्ति कब तक और किस तरह करने का विचार है; और

(ग) इस तरह के ईंधन देश के ग्रामीण इलाकों में कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) चार महानगरों में अधिकतम 0.05 प्रतिशत सल्फर वाले पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की जा रही है।

(ख) और (ग) सरकार ने देश के लिए आटो ईंधन नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए सड़क मानचित्र तैयार करने हेतु डा. आर.ए. माशेलकर, महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो सरकार को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेंगी।

राजस्थान में एल.पी.जी. के भराई संयंत्र

2742. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य राज्यों में स्थित एल.पी.जी. भराई संयंत्रों की तुलना में राजस्थान में ऐसे संयंत्र बहुत ही कम संख्या में हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजस्थान में अतिरिक्त एल.पी.जी. भराई संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) एल.पी.जी. भरण संयंत्र क्षेत्र में डिब्बाबंद एल.पी.जी. की मांग संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर स्थापित किए जाते हैं। इस समय राजस्थान राज्य में 10 एल.पी.जी. भरण संयंत्र प्रचालनरत हैं जिनकी भरण क्षमता 262 टी.एम.टी.पी.ए. है जो राज्य में डिब्बाबंद एल.पी.जी. की पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। डिब्बाबंद एल.पी.जी. की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए तेल उद्योग ने 2002 के मार्च के अंत तक 66 टी.एम.टी.पी.ए. भरण क्षमता के साथ राजस्थान में 2 और भरण संयंत्रों की स्थापना करने की योजना बनाई है।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

2743. श्री बीर सिंह महतो : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल की सभी रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए कोई समयबद्ध योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में इस राज्य में कितने किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है/किया जा रहा है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31 मार्च, 2001 तक पश्चिम बंगाल राज्य में 1692 मार्ग कि.मी. रेलपथ का विद्युतीकरण कर दिया गया है। इसके अलावा, 180 मार्ग कि.मी. में विद्युतीकरण संबंधी कार्य प्रगति पर है।

[अनुवाद]

राजभाषा हिन्दी को प्रोत्साहन

2744. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने और उसके प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी सरकार की है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा विभाग की तीनों शाखाओं में केवल अंग्रेजी में किए जा रहे कार्यालयी काम-काजों का ब्यौरा क्या है और इन्हीं काम-काजों को राजभाषा हिन्दी में करने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए;

(घ) उनके मंत्रालय में सभी स्तरों पर कितनी राजभाषा क्रियान्वयन समितियां गठित की गईं और कितनी समितियों में संसदीय हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को नामित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) रक्षा मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

(1) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात दोनों ही भाषाओं में अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए जाते हैं।

(2) हिंदी में प्राप्त सभी पत्रादि का उत्तर हिंदी में दिया जाता है।

(3) हिंदी कार्यशालाएं समय-समय पर आयोजित की जा रही हैं।

(4) इलेक्ट्रानिक उपकरणों/कम्प्यूटरों पर हिंदी में काम करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

(5) हिंदी में अधिकाधिक काम करने को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा शुरू की गई सभी प्रोत्साहन योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(6) गणतंत्र दिवस समारोह/स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित सभी प्रकाशन/विवरणिकाएं/निमंत्रण-पत्र हिंदी में प्रकाशित किए जा रहे हैं।

(7) रक्षा संबंधी सभी विषयों पर मूल रूप से हिंदी में पुस्तकें लिखने तथा स्तरीय पुस्तकों के हिंदी अनुवाद के लिए एक द्विवार्षिक नकद पुरस्कार योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(8) रक्षा मंत्रालय के विभागों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की दोनों विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में समीक्षा की जाती है।

(9) प्रधान मंत्री जी द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दिए गए आदेश सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अनुपालनार्थ परिचालित किए गए हैं।

(ग) मंत्रालय के कामकाज में हिंदी का अधिकाधित प्रयोग करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। केवल अंग्रेजी में काम करने के लिए अलग से कोई विषय निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) रक्षा मंत्रालय में दो राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्यरत हैं- एक रक्षा विभाग एवं रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के लिए और दूसरी रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग के लिए। इन समितियों में से किसी में भी संसदीय राजभाषा समिति (संभवत: सांसद महोदय का आशय संसदीय राजभाषा समति से है क्योंकि संसदीय हिंदी सलाहकार समिति नाम की कोई समिति मौजूद नहीं है) के किसी सदस्य को नामित नहीं किया गया है।

(ङ) संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों को विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में नामित किए जाने के संबंध में राजभाषा विभाग से कोई विशिष्ट अनुदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

कारगिल के शहीदों की विधवाओं का पुनर्वास

2745. श्री नरेश पुगलिया: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कारगिल युद्ध में अपनी जान गवां देने वाले भारतीय सैनिकों की विधवाओं के पुनर्वास के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या शहीदों की इन विधवाओं के पुनर्वास कार्य की गति संतोषजनक पाई गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो शहीदों की इन विधवाओं के पुनर्वास कार्य की गति में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) कारगिल आपरेशन में शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों के पुनर्वास के उपाय के रूप में आवश्यक संवैधानिक अपेक्षाएं पूरी किए जाने पर प्रत्येक मामले में 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है तथा उन्हें शहीद सैनिक द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के बराबर

उदारीकृत परिवार पैंशन मंजूर की गई है। उन्हें राष्ट्रीय रक्षा निधि से आवास के लिए 5 लाख रुपए की राशि तथा बच्चों की शिक्षा के लिए प्रति बालक एक लाख रुपए अथवा प्रति परिवार 2 लाख रुपए का भुगतान भी किया गया है।

''डीजल स्मोक स्क्रबर'' का उत्पादन

2746. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लि. ने 1986 में ''डीजल स्मोक स्क्रबर'' नामक एक परियोजना वाहन प्रदूषण कम करने के लिए एक साधारण प्रक्रिया विकसित करने के लिए शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के क्या परिणाम रहे; और

(ग) ''डीजल स्मोक स्क्रबर'' का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण तथा पेटेंट किया जा चुका है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) गेल ने डीजल इंजनों से प्रदूषण में कमी करने के लिए एक साधारण उपकरण तैयार करने के उद्देश्य से 1996 में डीजल स्मोक स्क्रूबर के विकास के संबंध में एक परियोजना आरम्भ की।

(ख) इस परियोजना के परिणामस्वरूप मैसर्स स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ द्वारा निर्मित ''विक्रम'' इंजन के लिए डीजल स्मोक स्क्रूबर (डी.एस.एस.) का विकास किया गया।

डीजल स्मोक स्क्रूबर के उपयोग से वाहन द्वारा उत्सर्जित पार्टिकुलेट्स, सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड आदि जैसे प्रदूपकों में कमी आती है और लखनऊ में चलाने के लिए अनुमत ''बिक्रमों'' में इसका उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

गेल ने उपकरण के लिए पेटेंट प्रदान करने के लिए भी आवेदन किया है।

(ग) गेल ने निम्नलिखित पक्षकारों को उपकरण के निर्माण करने और विपणन करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया था।

1. स्कूटर्स इंडिया लि., लखनऊ
2. माईक्रो इन्टरप्राइजेज, दिल्ली
3. आर. डी. इंजीनियर्स, मुम्बई

''शेल'' इंटरनेशनल का भारतीय गैस प्रधिकरण लि. के साथ समझौता

2747. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लि. ने ''शेल'' इंटरनेशनल गैस के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौता ज्ञापन में शामिल क्षेत्रों का क्या ब्यौरा है;

(ग) समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन के बाद होने वाले व्यापार विस्तार का ब्यौरा क्या है;

(घ) कब तक समझौता ज्ञापन को क्रियान्वित कर दिया जायेगा; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान खोज के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) गेल ने 4 जुलाई, 2001 को शैल इंटरनेशनल गैस लिमिटेड के साथ सहयोग सिद्धान्त समझौता पर तथा 8 नवम्बर, 2001 को सहयोग सिद्धान्त समझौता के संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) सहयोग सिद्धान्त समझौता में अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न सम्भावित क्षेत्रों/सहयोग के क्षेत्रों का संयुक्त मूल्यांकन अर्थात् तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी) का आयात, पुनर्गैसीकृत एल.एन.जी. के विपणन के लिए गैस ट्रान्समिशन का विकास तथा वितरण पाइपलाइन, बंगलादेश से गैस का आयात तथा बिक्री अन्वेषण तथा उत्पादन, ईरान से गैस का आयात करने के अवसर, आफशोर हाइड्रेट्स का अन्वेषण तथा दोहन, विद्युत अवसरों को एकीकृत गैस का विकास तथा कार्मिकों का प्रशिक्षण आदि शामिल है।

(ग) और (घ) सहयोग सिद्धान्त समझौतों के अनुसरण में, दोनों कम्पनियों ने भारत में अन्वेषण एवं उत्पादन अवसरों, अफशोर हाइड्रेट्स, ईरान एल.एन.जी. परियोजना, एल.एन.जी. सुविधाओं का विकास तथा पुनर्गैसीकृत एल.एन.जी. के विपणन का मूल्यांकन किया है। संयुक्त मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है। यद्यपि, अभी

तक परिसंघ के रूप में कार्यान्वयन के लिए किसी भी परियोजना की पहचान नहीं की गई है, संयुक्त मूल्यांकन को कायम रखने के लिए सहयोग सिद्धान्त समझौता नवम्बर, 2002 तक बढ़ा दिया गया है।

(ङ) चालू वर्ष के दौरान अन्वेषण का कोई लक्ष्य नहीं है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में लघु पन बिजली परियोजनाएं

2748. श्री उत्तमराव पाटील: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में कोई लघु पन बिजली परियोजना स्थापित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) जी हां। महाराष्ट्र राज्य में समग्र 198.32 मे.वा. की 24 लघु पनबिजली परियोजनाएं (25 मेवा. स्टेशन क्षमता तक की) स्थापित की गई हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

महाराष्ट्र में अब तक स्थापित की गई 25 मेवा. स्टेशन क्षमता तक की लघु पनबिजली परियोजनायें

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	क्षमता (कि.वा)
1	2	3
1.	वैतरण डैम दो	1,500
2.	येयोतेश्वर	75
3.	ढोम	2,000
4.	सूर्या आर.बी.सी.	750
5.	भीवपुरी तैलरेस	2,500
6.	तेरावन मेधे	200
7.	एल्डारी	22,500
8.	भाटगढ़	16,000
9.	पैथन	12,000
10.	बंधरधारा	10,000
11.	पावना	10,000
12.	खडकवसला-1	8,000
13.	खडकवसला-2	8,000
14.	भत्सा	15,000
15.	वीर	9,000
16.	राधानगरी	4,800
17.	कनहेर	4,000
18.	उज्जैन	12,000
19.	मानिकडोह	6,000
20.	सूर्या	6,000
21.	दूधगंगा	24,000
22.	वरना	16,000
23.	डिम्भे	5,000
24.	करंजवान	3,000
	कुल	198,325

[अनुवाद]

पेद्दापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद रेल लाइन के लिए आबंटन

2749. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण पेद्दापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद नई बड़ी रेल लाइन परियोजना को पूरा करने में विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने 2001-2002 के दौरान 30 करोड़ रु. के आबंटन के लिए अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) कब तक परियोजना पूरी कर ली जाएगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति कर रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) बजट 2001-02 में इस कार्य के लिए 20 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है। धन उपलब्धता पर निर्भर करते हुए आगामी वर्षों में कार्य की प्रगति होगी और पूरा किया जाएगा।

विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए गुजरात से प्रस्ताव

2750. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन जिलों के क्या नाम हैं जहां ये विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार की कोई योजना सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में विद्युत परियोजना स्थापित करने की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) गुजरात में विद्युत परियोजना की स्थापना का कोई भी प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु के.वि.प्रा. के पास लम्बित नहीं है।

(ग) और (घ) गुजरात विद्युत बोर्ड (जीईबी) ने सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में कच्छ लिग्नाइट ताप विद्युत स्टेशन की 1×75 मेगावाट क्षमता की विस्तार यूनिट-4 के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। भूमि की उपलब्धता, ईंधन लिंकेज, जल की उपलब्धता, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से एनओसी और धारा 29(3) की अनुपालना जैसे निवेश/स्वीकृतियां जीईबी द्वारा अभी प्राप्त की जानी हैं। जीईबी द्वारा उपरोक्त निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् प्रस्तावित स्कीम को केन्द्रीय विद्युत प्राधिक्रण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृत के विचार हेतु लिया जाएगा।

[हिन्दी]

नई दिल्ली में निजाम के जेवरों की प्रदर्शनी

2751. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में हाल में हैदराबाद के निजाम के जेवरों की प्रदर्शनी लगाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने प्रदर्शनी को देखा तथा उससे कितनी आय अर्जित हुई; और

(ग) इस प्रदर्शनी को लगाने के पीछे क्या उद्देश्य थे तथा इस पर कुल कितना व्यय हुआ?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां। राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में 30.8.2001 से 31.10.2001 तक प्रदर्शनी लगाई गई थी।

(ख) 68,718 व्यक्तियों ने इस प्रदर्शनी को देखा। इस अवधि के दौरान, विवरणिकाओं, पिक्चर पोस्ट कार्डों, स्मृति-चिन्हों, इत्यादि की बिक्री सहित प्रदर्शनी से 53,62,735/- रु. की आय हुई।

(ग) प्रदर्शनी लगाने के मुख्य उद्देश्य देश की धरोहर, बहुमूल्य जवाहरातों तथा उत्कृष्ट कारीगरी से बने 173 आभूषणों के दुर्लभ संग्रह, को पहली बार आम जनता के देखने के लिए प्रदर्शित करना था। इस प्रदर्शनी को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में लगाने पर लगभग 210 लाख रु. का कुल व्यय हुआ।

[अनुवाद]

बंगलौर-मैसूर रेल लाइन की मरम्मत

2752. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी वर्षा तथा नहर टूटने से बंगलौर-मैसूर रेलवे लाइन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइन की मरम्मत करने तथा सामान्य रेल सेवा बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) रेलपथ के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत कर दी गई और 9.11.2001 को शाम 6 बजे रेल सेवाएं आरम्भ कर दी गई थी।

पुराने पुलों का प्रतिस्थापन

2753. श्री के. मुरलीधरन :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री एन.टी. षणमुगम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आगामी पांच वर्षों में सभी पुराने पुलों को प्रतिस्थापित करने/मरम्मत करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो जोनवार तथा राज्यवार इसमें अनुमानित कितनी राशि शामिल है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य शुरू किया जाएगा; और

(ङ) राज्यवार तथा जोनवार पुलों/पुलियों के प्रतिस्थापन के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी राशि आबंटित की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ङ) रेलें पुलों के पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण संबंधी कार्य केवल उनकी आयु के आधार पर नहीं करती हैं बल्कि संसाधनों की उपलब्धता और निरीक्षण के माध्यम से वार्षिक रूप से यथानिर्धारित पुलों की वास्तविक स्थिति, निर्माण की किस्म और प्रत्याशित यातायात ढोने की क्षमता के कार्यक्रमबद्ध आधार पर किये जाते हैं। विशेष रेल संरक्षा निधि के सृजन से अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हुए हैं और अगले पांच या छः वर्षों में पुलों के पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण के कार्य को बढ़ावा मिलेगा। प्रत्याशित निवेश लगभग 2000 करोड़ रुपए का है। जिन पुलों का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण किया जाना है वे सम्पूर्ण रेल प्रणाली में फैले हुए हैं। जीर्ण-शीर्ण और कास्ट आयरन पाइल वाले पुलों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कार्य सभी क्षेत्रीय रेलों द्वारा किया जा रहा है। चालू वर्ष के दौरान पुलों के पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण के लिए 96 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट आवंटन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है न कि राज्य-वार। चालू वर्ष के दौरान निधियों का क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:-

(आंकड़ो करोड़ रुपए में)

रेलें	बजट आवंटन
मध्य	6.90
पूर्व	22.90
उत्तर	22.90
पूर्वोत्तर	2.78
पूर्वोत्तर सीमा	16.96
दक्षिण	1.13
दक्षिण मध्य	7.30
दक्षिण पूर्व	5.80
पश्चिम	9.33
कुल	96.00

[हिन्दी]

मॉडर्न आर्ट की राष्ट्रीय गैलरी की कलाकृतियों की नीलामी

2754. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मॉडर्न आर्ट की राष्ट्रीय गैलरी में रखी कलाकृतियों की नीलामी का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली के मृतप्राण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र को सक्रिय तथा आकर्षक बनाने का भी कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ङ) अन्य किन-किन संग्रहालयों को आकर्षक बनाया जायेगा तथा संग्रहालयवार उन पर कितना व्यय होगा?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र मृतप्राण नहीं है तथा यह उनके न्यास विलेख (ट्रस्ट डीड) में यथा परिकल्पित कार्य-कलापों को कर रहा है। संस्कृति विभाग ने इस केंद्र के लिए 50.00 करोड़ रु. की एकमुश्त धनराशि प्रदान की थी तथा उन्होंने इस राशि पर प्राप्त होने वाले ब्याज से संस्थान को चलाना है। इसके अतिरिक्त, जनपथ, नई दिल्ली में इसके परिसर की स्थापना के लिए इस केंद्र को 100.00 करोड़ रु. का भवन निर्माण अनुदान भी प्रदान किया गया था।

(ङ) इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संग्रहालय का सुधार एक सतत प्रक्रिया है तथा इस प्रयोजन के लिए आवश्यकता और बजट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर धनराशि जारी की जाती हैं। चालू वर्ष के दौरान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संग्रहालयों को आबंटित की गई योजनागत धनराशि निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	संगठन का नाम	योजनागत बजट अनुमान (2001-02) (लाख रु. में)
1.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	450.00
2.	सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	400.00
3.	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद	90.00
4.	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	400.00
5.	नेशनल गैलरी ऑफ माडर्न आर्ट, नई दिल्ली	255.00
6.	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता	125.00

[अनुवाद]

व्यावसायिक समय का उपयोग

2755. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन बांग्लादेश इंडिपेंडेंस कप, 1998 तथा फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, 1997 में संलग्न एयर टाइम सेलिंग एजेंसियों से उपयोग किए गए व्यावसायिक समय की कम गणना तथा अपलिंकिंग तथा स्पेस सेगमेंट शुल्कों की बिलिंग न होने के कारण 8.93 करोड़ रु. के दावे की वसूली करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा जिम्मेवार प्राधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस दावे की राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष की अपनी रिपोर्ट-2001 की संख्या-2 में अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की है कि दूरदर्शन बांग्लादेश इंडिपेंडेंस कप, 1998 और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, 1997 के बारे में विपणन एजेंसियों से 8.93 करोड़ रु. के दावे की वसूली करने में असफल रहा है। प्रसार भारती ने इस राशि को विवादास्पद बताया है और सूचित किया है कि कम वसूली की राशि 6.12 करोड़ रु. है। इसके अलावा, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, 1997 से संबंधित मामला सी.बी.आई. जांच के अधीन है।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उक्त बकायों की वसूली के लिए विपणन कम्पनी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

मछुआरों के लिए मिट्टी तेल का आबंटन

2756. श्री वी.एस. शिवकुमार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केरल में मछुआरों की सहकारी समितियों को पारंपरिक मछुआरों के लिए मिट्टी के तेल का शुल्क रहित आयात करने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस भंडार

2757. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में ठाणे जिले के वसई गांव के नजदीक समुद्र में पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब तक इन स्रोतों का दोहन कर लिया जायेगा; और

(ग) इन उत्पादों की अनुमानित कितनी मात्रा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य के तट से दूर पश्चिमी अपतट में मुख्य बेसिन गैस क्षेत्र के पूर्व में एक क्षेत्र में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की प्राप्ति हुई है। इस समय भूकंपीय सर्वेक्षण और वेधन के माध्यम से क्षेत्र की रूपरेखा तैयार की जा रही है। निकासी योग्य कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस और क्षेत्र से उनके उत्पादन का अनुमान क्षेत्र की रूपरेखा के बाद ही लगाया जा सकता है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्वच्छ जलापूर्ति

2758. श्री रघुनाथ झा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए उपलब्ध पेयजल उपभोग के लिए असुरक्षित/खतरनाक है तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म दे सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी आपूर्ति रोक दी गई है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्राधिकारी बरसाती कुएं से पेयजल प्रदान कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो कब से बरसाती कुएं से जल आपूर्ति की जा रही है;

(ङ) क्या स्टेशन पर रेलवे प्राधिकारियों ने यात्रियों को इनकी आपूर्ति करने के पूर्व इसके नमूने की जांच कर ली थी तथा यदि हां, तो परीक्षण के क्या परिणाम रहे; और

(च) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीमार रिपोर्ट किए गए यात्रियों की गत दो वर्षों के दौरान संख्या क्या थी तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि पर्याप्त क्लोरीनेशन के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लिए गए पानी के नमूने का पीने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(ग) जी हां।

(घ) पानी की किस्म उपयोग के लिए उपयुक्त पाए जाने पर दिल्ली जल बोर्ड से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जनवरी 2001 से रैनी-वेल से पानी की आपूर्ति की जा रही है।

(ङ) पानी के नमूने की बार-बार जांच की जाती है और परिणाम संतोषजनक हैं।

(च) कुछ नहीं।

[हिन्दी]

फास्ट ट्रैक न्यायालय

2759. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायालयों में काफी समय से लंबित पड़े मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने और न्यायालयों पर आम आदमी में भरोसा उत्पन्न करने के मद्देनजर सरकार ने 'फास्ट ट्रैक' न्यायालय स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में ऐसे न्यायालयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को जारी किये गये दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने 'फास्ट ट्रैक' न्यायालयों की निगरानी करने और उनके कार्यकरण के लिए दिशा-निर्देश तैयार किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने इन न्यायालयों की स्थापना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, इस उद्देश्य के लिए भवनों को किराये पर लेने अथवा खरीदने के संबंध में अब तक क्या कदम उठाये हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां।

(ख) ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में स्थापित किए जाने वाले त्वरित निपटान न्यायालयों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) आरंभ में वित्त मंत्रालय ने वित्त आयोग द्वारा बनाए गए 'विशेष समस्या अनुदान' के लिए जिसके अंतर्गत 'न्यायिक प्रशासन'

के लिए अनुदान भी है, तारीख 3 नवंबर, 2000 को व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये थे जिनमें त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना की स्कीम की परिकल्पना की गई है। मार्गदर्शक सिद्धांतों का सुसंगत भाग संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य सरकारों को विभिन्न मुद्दों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं।

(घ) हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने अंतरण मामला (सिविल) सं. 22/2001 बृजमोहन लाल बनाम भारत संघ और अन्य में तारीख 8 नवंबर, 2001 के अपने आदेश में यह संप्रेक्षण किया है:

> "यह उपयुक्त होगा यदि त्वरित निपटान न्यायालयों के कार्यकरण के संबंध में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित किए जाएं।"

मामला भारत के उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन है।

(ङ) राज्य सरकारें त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, भवनों का निर्माण या किराये पर लिए जाने जैसे आवश्यक उपाय करती रही हैं। जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए न्यायालयों और ऐसे न्यायालयों की संख्या, जिन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया है, संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा उद्दिष्ट त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा उद्दिष्ट त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	86
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	असम	20
4.	बिहार	183
5.	छत्तीसगढ़	31
6.	गोवा	5
7.	गुजरात	166
8.	हरियाणा	36
9.	हिमाचल प्रदेश	9
10.	जम्मू-कश्मीर	12
11.	झारखंड	89
12.	कर्नाटक	93
13.	केरल	37
14.	मध्य प्रदेश	85
15.	महाराष्ट्र	187
16.	मणिपुर	3
17.	मेघालय	3
18.	मिजोरम	3
19.	नागालैंड	3
20.	उड़ीसा	72
21.	पंजाब	29
22.	राजस्थान	83
23.	सिक्किम	3
24.	तमिलनाडु	49
25.	त्रिपुरा	3
26.	उत्तरांचल	45
27.	उत्तर प्रदेश	242
28.	पश्चिमी बंगाल	152
	योग	1734

विवरण-II

सं. एफ 16(2)-एफ.सी.डी./2000
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
वित्त आयोग प्रभाग

***

ब्लाक 11, 5वां तल,
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स
नई दिल्ली-110002
तारीख 3 नवंबर, 2000

सेवा में,

वित्त सचिव, आंध्र प्रदेश/अरूणाचल प्रदेश/असम/बिहार/छत्तीसगढ़/गोआ/गुजरात/हरियाणा/हिमाचल प्रदेश/जम्मू-कश्मीर/कर्नाटक/केरल/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/मणिपुर/मेघालय/मिजोरम/नागालैंड/उड़ीसा/पंजाब/राजस्थान/सिक्किम/तमिलनाडु/त्रिपुरा/उत्तर प्रदेश/पश्चिमी बंगाल सरकार।

विषय : प्रशासन के मानकों के उन्नयन और विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए उपबंधों के उपयोजन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत।

महोदय,

मुझे ''ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए अनुदानों के उपयोजन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत'' की एक प्रति जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने का निदेश हुआ है।

2. कृपया प्राप्ति की अभिस्विकृति भेजें।

भवदीय
ह./-
(रूपा आर. जोशी)
निदेशक
टेली : 4360647
फैक्स : 4360174

प्रति निम्नलिखित को:

1. सचिव, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
2. बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव (सी.एस.), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली-आवश्यक कार्रवाई के लिए जैसा कि मार्गदर्शक सिद्धांतों के पैरा 4 में अधिकथित है।
4. महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, नई दिल्ली-आवश्यक कार्रवाई के लिए जैसी की मार्गदर्शक सिद्धांतों के पैरा 4 में अधिकथित है।
5. संयुक्त सचिव (एन.ई.), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
6. सचिव, न्याय विभाग।
7. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, नई दिल्ली।
8. सचिव, शिक्षा, नई दिल्ली।
9. सचिव, संस्कृति विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, जल संसाधन, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
11. महालेखाकार (लेखापरीक्षक)/आंध्र प्रदेश/अरूणाचल प्रदेश/असम/बिहार/छत्तीसगढ़/गोआ/गुजरात/हरियाणा/हिमाचल प्रदेश/जम्मू-कश्मीर/कर्नाटक/केरल/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/मणिपुर/मेघालय/मिजोरम/नागालैंड/उड़ीसा/पंजाब/राजस्थान/सिक्किम/तमिलनाडु/त्रिपुरा/उत्तर प्रदेश/पश्चिमी बंगाल।

ह./-
(रूपा आर. जोशी)
निदेशक
टेली : 4360647
फैक्स : 4360174

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
(वित्त आयोग प्रभाग)

प्रशासन के मानकों के उन्नयन और विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए उपबंधों के उपयोजन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने 25 राज्यों में प्रशासन के मानकों के उन्नयन के लिए निम्नलिखित सैक्टरों के लिए 3843.63 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है:-

1. जिला प्रशासन;
2. पुलिस प्रशासन;
3. जेल प्रशासन;
4. अग्निशमन सेवाएं;
5. न्यायिक प्रशासन;
6. राज वित्तीय प्रशासन;
7. स्वास्थ्य सेवाएं;

8. प्रारंभिक शिक्षा;

9. स्कूली बालकों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण;

10. सार्वजनिक पुस्तकालय;

11. परम्परा संरक्षण; और

12. परम्परागत जल स्रोतों का संवर्धन।

2. उन्नयन के लिए अनुदान के अतिरिक्त, आयोग ने ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 7 – ''उन्नयन और विशेष समस्या अनुदान'' के अनुसार राज्यों की विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए 1129.00 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की है।

3. भारत सरकार ने उन्नयन और विशेष समस्याओं के लिए अनुदानों से संबंधित ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

4. राज्यों को उनके द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के भीतर स्कीमों की मंजूरी का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व देने के लिए, एकल स्कीम को मंजूर करने और यूनिटों की लागत अवधारित करने की शक्ति राज्य स्तरीय सशक्त समिति में निहित होगी। राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा किसी परियोजना को एक बार मंजूर किए जाने पर परियोजना के विभिन्न प्रक्रमों और निधियों की अपेक्षा के लिए समय-सूची बनाने वाली उसकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए। पुलिस और जेलों से संबंधित स्कीमों के लिए उपस्करों, आयुधों, आदि के मानकीकरण के हित में व्यापक मार्ग-दर्शक सिद्धांत गृह मंत्रालय/पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा पृथक् रूप से जारी किए जाएंगे। तथापि, विनिर्दिष्ट मदों के लिए विलग होने वाले किसी उपांतरण, आदि के लिए, उस राज्य को किए गए संपूर्ण आबंटन को ध्यान में रखते हुए सुझाव दिया जाना होगा।

5. उनके माध्यम से आरंभ की गई परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय मानिटरिंग राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा की जानी चाहिए। राज्य सरकारों को भी पूर्व में क्रियान्वित किए गए कार्यक्रम के गुणावगुणों को सामने लाने के लिए वृत्तिक अभिकरणों के माध्यम से मूल्यांकन कराना चाहिए, जिससे आवश्यक सुधार लाने में सहायता मिल सकेगी।

6. राज्य के पृथक् प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाई गई 11वें वित्त आयोग की संपूर्ण अवधि अर्थात् 2000-2005 वाली कार्य योजनाओं को भौतिक और वित्तीय दोनों ही अर्थों में अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय सशक्त समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। राज्य स्तरीय समिति द्वारा किसी परियोजना को एक बार अनुमोदित किए जाने पर परियोजना के विभिन्न चरणों के लिए और निधियों की अपेक्षा के लिए समय-सूची बताने वाली राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित व्यापक कार्य योजना की एक प्रति राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को भेजी जा सकेगी। राज्य सरकार के पृथक् प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई कार्य योजनाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस विषय में सभी प्रत्राचार, सम्मिलित सैक्टर (सैक्टरों) पर ध्यान दिए बिना केवल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और राज्य सरकार के वित्त विभाग के बीच किए जाएंगे।

7. राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा कार्य योजना अनुमोदित किए जाने के पश्चात् राज्य सरकार बजट में (जिसके अंतर्गत आवश्यक अनुपूरक मांग भी है) उपयुक्त लेखा शीर्ष के अधीन उपयुक्त व्यय प्रावधान करेगी। यद्यपि, राज्य सरकार के व्यय बजट में ऐसा प्रावधान उपयुक्त कार्यात्मक शीर्ष के अधीन किया जाना चाहिए और उसके अधीन गौण लेखा शीर्ष के अधीन अनुमोदित कार्यक्रम के लिए प्रावधान ''ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए प्रशासन के मानकों के उन्नयन'' उक्त शीर्ष के अधीन व्यय की विशिष्ट और अभिज्ञेय मद के रूप में किया जाना चाहिए। तदनुरूप राज्य सरकारों को राजस्व रसीदों के अपने प्राक्कलनों में केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान की समतुल्य रकम की रसीदों को भी मानना चाहिए, ऐसी रसीदों को संविधान के अनुच्छेद 275(1) के उपबंधों के अधीन ''1601 - केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान - क - गैर-योजना अनुदान'' - ''प्रशासन के मानकों के उन्नयन और विशेष समस्याओं के लिए अनुदान'' लेखा शीर्ष के अधीन अनुदान माना गया है।

8. राज्य बजट में इस प्रकार प्रावधान किए जाने के पश्चात् राज्य सरकार का सक्षम प्राधिकारी अनुमोदित योजना वाली विभिन्न स्कीमों/संकर्मों की बाबत व्यय के लिए औपचारिक मंजूरी (मंजूरियां) जारी करेगा और प्रत्येक की एक प्रति वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को पृष्ठांकित की जा सकेगी।

9. ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट के पैरा 7.54 के अधीन परिकल्पित भौतिक अर्थ में कार्यपालन को मानीटर करने से अलग यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अनुमोदित कार्य योजनाओं के संबंध में राज्य सरकार द्वारा वास्तव में उपगत रकम, इसके बजट और लेखाओं में ऐसी रीति में समायोजित की जाती है, जो लेखा परीक्षा द्वारा तुरंत पता लगाने, सत्यापन और प्रमाणन को सुकर बनाएगी। परिणामस्वरूप यह आवश्यक है कि प्रशासन के मानकों के उन्नयन में और विशेष समस्याओं की अनुमोदित कार्य योजनाओं पर उपगत ऐसे व्यय जो राज्य सरकार के समान व्यय की साधारण मदों, योजना या गैर-योजना से मिलाए जाने से

बचाया जा सके। ऐसा ऊपर पैरा 7 में अधिकथित किए गए अनुसार राज्य बजट में अभिज्ञेय प्रावधान करके और बजट में अभिज्ञेय प्रावधान के संबंध में व्यय के लिए औपचारिक मंजूरियों में संक्षिप्त वर्गीकरण करके स्पष्टतया बताते हुए किया जा सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जो समान रूप से महत्वपूर्ण है वह, जहां कहीं संभव हो, मानकों के उन्नयन के लिए प्रावधान की ऐसी मदों के संबंध में उपगत किए जाने वाले व्ययों के लिए पृथक् बिल तैयार करना है और बजट और लेखाओं में उसके संबंध में सदैव विशिष्ट वर्गीकरण उपदर्शित करना है। जहां विनिर्दिष्ट क्षेत्र में मानकों के उनन्यन पर ऐसा व्यय आरंभ से ही सामान्य व्यय से पृथक् किए जाने के लिए ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है और परिणामस्वरूप पूर्व के लिए पृथक् बिल तैयार करना व्यवहार्य नहीं है वहां संबंधित राज्य सरकार को महालेखाकार की सलाह से एक उपयुक्त प्ररूप तैयार करना चाहिए, जिसमें उन्नयन व्यय की विशिष्टियां नियमित लेखे से अलग प्रोफार्मा में पृथक् रूप से रखी जा सकेंगी। ऐसा लेखा प्रोफार्मा, जहां कहीं महालेखाकार की सलाह पर विनिश्चित किया गया है, प्रत्येक मास के लिए सावधानीपूर्वक रखा जाना चाहिए और महालेखाकार द्वारा परीक्षा और प्रमाणन के लिए उपलब्ध रहना चाहिए।

10. राज्यों के संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा राज्य स्तरीय सशक्त आयोग के अनुमोदन के लिए तैयार की गई कार्ययोजना को:-

(क) उन्नयन अनुदानों के उपयोजन के लिए वित्त आयोग द्वारा अनुध्यात पैटर्न के अनुरूप होना चाहिए (उदाहरण के लिए स्कीमों को विभिन्न सैक्टरों में आधारभूत रूप में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया जाना चाहिए, न कि उच्चतर प्रशासनिक संरचनाओं में सुविधाओं का सुधार करने के लिए)।

(ख) पिछड़े क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों पर बल देना चाहिए। समय-समय पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उन्हें पिछड़े क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए खर्च उद्दिष्ट करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

(ग) वित्तीय और भौतिक, दोनों ही अर्थों में पर्याप्त ब्यौरे में तैयार की जानी चाहिए (जिसके अंतर्गत प्रस्तावित व्यय की प्रकृति, अपनाए गए मानदंड, नवीनतम यूनिट लागत, कार्य का स्थान, कुर्सी क्षेत्र, स्थल की उपलब्धता आदि भी हैं) जिससे कि वह अर्थपूर्ण हो सके और अन्य बातों के साथ-साथ पांच वर्षों के लिए (2000-2005) व्यय की पूर्वानुमानित वार्षिक चरणबद्धता को बता सके।

(घ) विद्यमान सुविधाओं, पहले से प्रगति में कार्यों के आधार पर सृजित की जाने वाली सुविधाओं और सृजित किए जाने के लिए आश्यित अतिरिक्त सुविधाओं का व्यापक ब्यौरा संप्रदर्शित करना चाहिए जिससे कि प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का पता लगाया जा सके।

11. राज्य सरकार को कार्य के शीघ्र निष्पादन के लिए अपेक्षित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां कार्यकारी अभिकरणों को प्रत्यायोजित करनी चाहिए। कार्य/स्कीमों के अनुमोदन के समय आरंभ में जारी की गई मंजूरियों को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि कार्य के निष्पादन के दौरान विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के लिए मुक्त रूप से निर्देशों की आवश्यकता को यथासंभव शक्य दूर किया जा सके।

12. राज्यों को सहायता अनुदान निम्नलिखित रीति में जारी की जाएगी:-

1. वर्ष 2000-01 के लिए प्रावधान का 50% राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा सम्यकत: अनुमोदित व्यापक कार्ययोजनाओं की प्राप्ति पर वर्ष के दौरान "लेखा मदें" आधार पर जारी किया जाएगा।

2. पश्चात्वर्ती अनुदान को पहले से जारी किए गए अनुदान के उपयोजन पर और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को प्रगति रिपोर्ट देने पर निर्भर करते हुए त्रैमासिक किस्तों में जारी किया जाएगा। राज्य सरकार त्रैमासिक आधार पर विहित प्रोफार्मा में उपयोजन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, एक केंद्रीय स्तरीय पुनर्विलोकन समिति होगी जो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभागों से मिलकर बनेगी जो निधियों के उपयोजन का वार्षिक पुनर्विलोकन करेगी।

3. किसी विशिष्ट वर्ष में किसी राज्य को जारी की जाने वाली अनुदान की अधिकतम राशि उस वर्ष के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई कुल राशि तक सीमित होगी; और

4. ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए उन्नयन और विशेष समस्या अनुदानों का 90 प्रतिशत राज्य सरकारों को पहले से ही जारी किए गए अनुदान के उपयोजन के संबंध में प्रस्तुत की गई प्रगति रिपोर्टों के आधार पर जारी किया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत अनुदान विहित प्रोफार्मा में कार्य समापन प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर ही जारी किया जाएगा।

5. ऐसी अनुदान, जो 31 मार्च, 2005 को अनुपयोजित रह जाता है, व्यपगत होगा।

6. ऐसे पूंजी संकर्मों की बाबत, जो 31 मार्च, 2005 तक पूरे नहीं किए जाएंगे, जारी किए गए अनुदान राज्य सरकार से वसूल किए जाएंगे।

विवरण-III

देश में गठित किए गए न्यायालयों और ऐसे न्यायालयों की, जिन्होंने कार्य करना आरंभ कर दिया है, राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	गठित किए गए न्यायालयों की संख्या	कार्य कर रहे न्यायालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	42	25
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	–
3.	असम	15	15
4.	बिहार	183	37
5.	छत्तीसगढ़	29	11
6.	गोवा	–	–
7.	गुजरात	–	–
8.	हरियाणा	12	–
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–
10.	जम्मू-कश्मीर	43	40
11.	झारखंड	–	–
12.	कर्नाटक	13	8
13.	केरल	1	1
14.	मध्य प्रदेश	85	64
15.	महाराष्ट्र	94	94
16.	मणिपुर	2	2
17.	मेघालय	3	–
18.	मिजोरम	3	–
19.	नागालैंड	2	–
20.	उड़ीसा	19	17
21.	पंजाब	–	–
22.	राजस्थान	40	40
23.	सिक्किम	–	–
24.	तमिलनाडु	30	–
25.	त्रिपुरा	3	2
26.	उत्तरांचल	45	30
27.	उत्तर प्रदेश	182	150
28.	पश्चिमी बंगाल	13	6
	कुल	862	542

[अनुवाद]

लेह में ए.टी.एफ. स्टेशन

2760. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने इंडियन एयरलाइन्स तथा जेट एयरवेज को प्रत्येक उड़ान में और ज्यादा यात्रियों को लेह ले जाने के लिए लेह में अपना एविएशन टर्बाइन फ्यूअल स्टेशन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे स्थापित करने के लिए कारगिल तथा लेह को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक यह कारगिल और लेह को सहायता प्रदान करेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) ने 10.10.2001 को लेह में एक तेल डिपो आरंभ किया है जहां वे एसकेओ, एमएस, डीजल और एटीएफ का भंडारण और आपूर्ति कर सकते हैं। वर्तमान में उन्होंने एसकेओ, एमएस और डीजल के

लिए प्राथमिकता दी है क्योंकि इनकी बड़ी मात्रा में आवश्यकता है। ए.टी.एफ. के लिए निर्धारित टैंकों का भी एच.एस.डी. के लिए उपयोग किया जा रहा है। आई.ओ.सी.एल. का जून 2002 से इस डिपो में ए.टी.एफ. का भंडारण करने का प्रस्ताव है जब वे ग्रीष्म काल के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और जेट एयरवेज सहित नागर विमानन की मांग पूरी कर सकते हैं। आई.ओ.सी.एल. नागर विमानन उद्योग को पूरे वर्ष बड़ी मात्रा में ए.टी.एफ. की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त टैंकेज के निर्माण की प्रक्रिया में भी है।

रसोई गैस का मूल्य

2761. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू रसोई गैस सिलिंडर का वर्तमान मूल्य क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस के मूल्य में कितनी बार वृद्धि की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा बेची जाने वाली घरेलू एल.पी.जी. का भंडारण स्थल तक का मूल्य 176.46 रु. प्रति सिलेंडर है। चार महानगरों में खुदरा बिक्री मूल्य विवरण में दिया गया है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा बेची जाने वाली घरेलू एल.पी.जी. का भंडारण स्थल तक का मूल्य गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तीन बार बढ़ाया गया है और दो बार घटाया गया है।

विवरण

10.11.2001 की स्थिति के अनुसार चार महानगरों में घरेलू एल.पी.जी. का खुदरा बिक्री मूल्य निम्नानुसार है

	रुपए प्रति सिलेंडर
दिल्ली	223.30
कोलकाता	246.65
मुंबई	226.70
चेन्नई	229.65

[हिन्दी]

बम विस्फोट संबंधी प्रशिक्षण केन्द्र

2762. श्री रामदास आठवले : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के उन केन्द्रों का विवरण क्या है जहां इस समय सैन्य कर्मियों को बम विस्फोट के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विस्फोट किए गए बमों के अवशेष इन केन्द्रों से चुरा लिए जाते हैं;

(ग) सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान चोरी के कारण कुल कितना नुकसान हुआ और इन कार्यों में कितने व्यक्ति मारे गए; और

(घ) सरकार द्वारा चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (घ) कॉलेज आफ मिलिटरी इंजीनियरिंग, पुणे, बम को निष्क्रिय करने का प्रशिक्षण देता है। जबकि आर्टिलरी तोपों और टैंकों की गोलीबारी विभिन्न फील्ड फायरिंग रेजों में की जाती है। बम-विस्फोटों से बचे टुकड़ों को कॉलेज ऑफ मिलिटरी इंजीनियरिंग, पुणे की मालसूची में दर्ज किया जाता है तथा नियंत्रित भंडार के रूप में इनकी जवाबदेही होती है जबकि फील्ड फायरिंग रेंजों में बम विस्फोटों से बचे टुकड़ों का संरक्षण विनियमानुसार किया जाता है। इस प्रकार चोरी से सरकार को नुकसान होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात में गैस की खोज

2763. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में 1997-2000 के दौरान खोदे गए गैस के कुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस की खोज की गई;

(ग) किन-किन स्थानों पर खोज का कार्य किया जा रहा है;

(घ) इन स्थानों से कब तक गैस निकाले जाने की संभावना है;

(ङ) इन कुंओं से कितनी मात्रा में कच्चा तेल और गैस निकाले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा वर्ष 1997-2000 के दौरान खोदे गए 427 कुओं में से 315 कुओं में सफलता प्राप्त हुई थी। 290 कुओं में तेल के साथ गैस भी प्राप्त हुई थी और 25 कुओं में केवल गैस प्राप्त हुई थी।

जहां तक निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का प्रश्न है, वर्ष 1997-2000 के दौरान केवल 14 कुओं की खुदराई की गयी थी। 10 कुओं में तेल के साथ गैस प्राप्त हुई थी और हजीरा फील्ड में खोदे गए केवल 4 कुओं में गैस प्राप्त हुई थी जोकि भूमि तथा अभितट दोनों पर स्थित हैं।

कुएं की खुदाई पूर्ण होने पर प्राकृतिक गैस भंडार सीधे ही स्थापित नहीं होते हैं। इनके लिए विस्तृत भू-तकनीकी आकलन की आवश्यकता होती है जिनमें से कुछ मामलों में भूकंपीय आंकड़ों, पुन: व्याख्या तथा कुओं की और खुदाई की प्रक्रिया पुन: अपनानी होती है। यह सतत् चलने वाली प्रक्रिया है।

(ग) 2डी और 3डी भूकंपीय सर्वेक्षण तथा अन्वेषण खुदाई ओ.एन.जी.सी. द्वारा आठ जिलों, अर्थात् मेहसाना, अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा, आनन्द, बड़ौदरा, भड़ौच और सूरत में की जा रही है। जहां तक निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का प्रश्न है, अन्वेषण कार्य बड़ौदरा, भड़ौच और खम्बात जैसे जिलों में किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) तेल और गैस के निष्कर्षण का संभावित समय और निष्कर्षण योग्य मात्रा अन्वेषण परिणामों और उनके मूल्यांकन तथा साथ ही तकनीकी-आर्थिक तथ्यों पर निर्भर करता है, जिसके लिए कोई समय अवधि निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को रसोई गैस एजेंसियां/पेट्रोल पंप

2764. श्रीमती जसकौर मीणा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को आज की तारीख तक राज्यवार कितने पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसियां आबंटित की गई हैं;

(ख) इनमें से कितने पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसियों ने काम करना शुरू कर दिया है; और

(ग) शेष पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों द्वारा कब तक काम शुरू कर दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) सरकार ने 'आपरेशन विजय' (कारगिल) में शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाओं/निकट संबंधी के लिए विशेष योजना के तहत 264 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप तथा 165 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अनुमोदित की हैं, जिनमें से दिनांक 1.11.2001 तक 100 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें और 89 एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू कर दी गई थी। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) यह बता पाना संभव नहीं है कि शेष खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें/एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपें कब तक चालू हो पाएंगे, क्योंकि यह अन्य बातों के साथ-साथ भूमि प्राप्ति की उपलब्धता, विनिर्माण, विभिन्न एजेंसियों से आवश्यक अनुमोदनों/अनापत्तियों आदि की प्राप्ति पर निर्भर करता है।

विवरण-I

'आपरेशन विजय' (कारगिल) में शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाओं/निकट संबंधी के लिए विशेष योजना के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के आबंटन का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित आबंटनों की संख्या	चालू खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	1
2.	बिहार	6	4

1	2	3	4
3.	छत्तीसगढ़	1	0
4.	गुजरात	8	3
5.	हरियाणा	42	25
6.	हिमाचल प्रदेश	15	4
7.	जम्मू और कश्मीर	21	4
8.	झारखंड	1	0
9.	कर्नाटक	4	3
10.	केरल	3	1
11.	महाराष्ट्र	2	0
12.	मणिपुर	2	0
13.	मेघालय	1	0
14.	मध्य प्रदेश	3	1
15.	नागालैंड	1	0
16.	नई दिल्ली	11	5
17.	उड़ीसा	5	2
18.	पंजाब	22	7
19.	राजस्थान	38	20
20.	उत्तर प्रदेश	42	17
21.	उत्तरांचल	33	3
22.	पश्चिम बंगाल	2	0
	योग	264	100

विवरण-II

'आपरेशन विजय' (कारगिल) में शहीद हुए रक्षा कर्मियों की विधवाओं/निकट संबंधी के लिए विशेष योजना के तहत एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	आबंटन संख्या	चालू एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4	3
2.	असम	3	0
3.	बिहार	7	3
4.	झारखंड	1	0
5.	हरियाणा	22	19
6.	हिमाचल प्रदेश	19	3
7.	जम्मू और कश्मीर	18	11
8.	कर्नाटक	1	1
9.	केरल	5	2
10.	महाराष्ट्र	4	3
11.	मणिपुर	1	0
12.	उड़ीसा	2	0
13.	पंजाब	17	11
14.	राजस्थान	10	7
15.	तमिलनाडु	2	2
16.	उत्तर प्रदेश	33	19
17.	उत्तरांचल	13	5
18.	पश्चिम बंगाल	3	0
	योग	165	89

[अनुवाद]

राजधानी एक्सप्रेस की बारम्बारता

2765. श्री अनन्त नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2421-2422 भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलने वाली गाड़ी बनाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रेलगाड़ी की बारम्बारता किस तारीख से बढ़ाए जाने की संभावना है; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ी से शस्त्रों की लूट

2766. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 31 अक्तूबर, 2001 के 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित समाचार के अनुसार पन्हागढ़ छावनी से असम जा रही शस्त्रों से भरी रेलगाड़ी को लूट लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ङ) गोलाबारूद से लदी तथा एक जूनियर कमीशन अफसर, एक नान कमीशन अफसर तथा 6 अन्य रैंकों द्वारा विधिवत् अनुरक्षित एक विशेष रेलगाड़ी 19 अक्तूबर, 2001 को 14 फील्ड एम्युनिशन डिपो के लिए एम्युनिशन डिपो, पानागढ़ से न्यू गुवाहाटी भेजी गई थी। अनुरक्षा कमांडर ने 27 अक्तूबर, 2001 को सूचना दी की 26/27 अक्तूबर, 2001 की रात को अंडल रेलवे स्टेशन पर एक माल-डिब्बे (संख्या एन.आर. 66207) की सील तथा ताला टूटा पाया गया। इस डिब्बे की जांच के लिए एक अफसर तथा एक जूनियर कमीशन अफसर को लेकर गठित एक दल को तुरंत पानागढ़ से अंडल रेलवे स्टेशन भेजा गया था। माल डिब्बे को खाली करके गोलाबारूद की गिनती की गई थी। 105 एम.एम. के एक कार्ट्रिज का एक बॉक्स गुम पाया गया था। अंडल में रेलवे पुलिस तथा सिविल पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी।

जांच अदालत के आदेश दे दिए गए है। जांच अदालत द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर उपाचारात्मक तथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कॉनकर द्वारा वैगनों की खरीद

2767. श्री अरुण कुमार : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा खरीदे गए हाई स्पीड कंटेनर वैगनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या रेल सुरक्षा आयुक्त द्वारा इन वैगनों को मंजूरी नहीं दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे नेटवर्क पर इन वैगनों को चलाए जाने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1905 उच्च गति निम्न प्लेटफार्म कंटेनर फ्लैट मालडिब्बों की खरीद की है।

(ख) जी, नहीं। मुख्य आयुक्त, रेलवे संरक्षा ने इन मालडिब्बों को भारतीय रेलवे में परिचालित करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महिला आरक्षण विधेयक

2768. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य और केन्द्रीय विधान मंडलों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण हेतु महिला आरक्षण विधेयक पर सर्वसम्मति बनाने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस विधेयक को संसद के सदनों के विचारार्थ कब तक लाए जाने की संभावना है; और

(ग) इसमें असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं और सर्वसम्मति के लिए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप कौन-कौन से प्रमुख मतभेद उभर कर सामने आये हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) सरकार ने, महिलाओं को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तारीख 22.12.1999 को संसद् में हुई दलों/समूहों के नेताओं की बैठक में अधिकांश राजनीतिक दलों द्वारा सिद्धांत रूप में स्वीकार किए गए अनुसार, तारीख 23.12.1999 को संविधान (पचासीवां संशोधन)

विधेयक, 1999 पुर:स्थापित किया, जो यह उपबंध करने के लिए है कि लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में लगभग एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। विधेयक को शीतकालीन सत्र के दौरान तारीख 21.12.2000 और 22.12.2000 को उस सदन में विचार किए जाने और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया था, किंतु राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति न हो पाने के कारण उस पर विचार नहीं किया जा सका था। विधेयक को इस वर्ष संसद् के बजट और मानसून सत्रों में विचार किए जाने और पारित करने के लिए नहीं लाया गया। चालू शीतकालीन सत्र, 2001 में लोक सभा में विधेयक पर विचार करने और उसे पारित किए जाने की सूचना भी दे दी गई है।

महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को सरकार द्वारा 13.9.2001 को निर्वाचन सुधारों पर बुलाई गई सभी दलों की बैठक में भी अनौपचारिक रूप में उठाया गया था किंतु उस पर कोई ठोस चर्चा नहीं की जा सकी थी। अत:, यह देखा जा सकता है कि सरकार ने संसद् के सदनों में विधेयक पर बहस और चर्चा कराने तथा सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिए पूर्णतया ईमानदारी से प्रयास किए हैं। अब लंबित विधेयक पर विनिश्चय करने का दायित्व संसद् का है।

रूस से विमान वाहक की खरीद

2769. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमान वाहक की आपूर्ति के मामले में रूस से समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें पुन: कार्यसाधित करने और इनके आधुनिकीकरण आदि पर कितना व्यय होने की संभावना है और कितने समय तक और इनकी सेवा प्रदान करने की संभावना है; और

(ग) विमान वाहकों का घरेलू रूप से विनिर्माण नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) रूसी संघ सरकार के साथ 4 अक्तूबर, 2000 को एक अंतर-सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रूस से विमान-वाहक पोत 'एडमिरल गोर्शकोव' अर्जित करने तथा उसके पुनर्संयोजन और आधुनिकीकरण का प्रावधान है। रूस द्वारा तैयार किए गए विस्तृत परियोजना दस्तावेज की इस प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा जांच की गई है। 'एडमिरल गोर्शकोव' पर निवेश संबंधी निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

सरकार ने वर्ष 1999 में भारतीय नौसेना के लिए वायु रक्षा पोत का देश ही में विनिर्माण किए जाने की अनुमति दे दी है।

मालभाड़े और यात्री किराए को युक्तिसंगत बनाना

2770. **श्री रामशेठ ठाकुर :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग कम आय की स्थिति को दूर करने के लिए विशेषकर मालभाड़ा यातायात से होने वाली कम आय को दूर करने के लिए मालभाड़ा और यात्री किरायों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान मालभाड़ा यातायात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक यह लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ङ) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय रेल की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा मालभाड़े यातायात और गैर-व्यापार स्रोतों से रेलवे की आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) मालभाड़ा दरों और यात्री किरायों को युक्तिसंगत बनाना एक सतत प्रक्रिया है और आंतरिक तौर पर संसाधनों के सृजन तथा साधन-सामग्री की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए इन दरों को समय-समय पर समायोजित किया जाता है।

(घ) वर्ष 2001-02 के लिए 500 मिलियन टन प्रारंभिक माल यातायात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रेलों ने अक्तूबर, 2001 तक 281.35 मिलियन टन के समानुपातिक लक्ष्य की तुलना में 273.10 मिलियन टन (अनंतिम) का लदान किया है।

(ङ) से (छ) चालू वर्ष की वित्तीय स्थिति दबाव में है। अक्तूबर, 2001 (लगभग) के अंत तक यातायात से आमदनी के अंतर्गत समानुपातिक लक्ष्य की तुलना में 647 करोड़ रु. कम है। इसके अलावा, "आप्टिक फाइबर केबल बिछाने के मार्गाधिकार" से 700 करोड़ रु. की लक्षित आमदनी भी प्राप्त होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 750 करोड़ रु. तक की रेलवे की बकाया राशि जिसे मुख्य रूप से पावर हाउसों/राज्य विद्युत बोर्डों से प्राप्त करने का लक्ष्य था, प्राप्त होने की संभावना भी नहीं है। बहरहाल, वर्ष के दौरान साधारण संचालन व्यय के अंतर्गत लगभग 960 करोड़ रु. की बचत से प्राप्तियों में आई समग्र कमी से संतुलित हो जाने की संभावना है। रेल की मालभाड़ा लदान की मांग प्रमुख तथा अप्रमुख क्षेत्रों से प्राप्त यातायात पर आधारित व्युत्पन्न मांग है। आर्थिक मंदी के कारण यातायात मांग में कमी आने से मालभाड़ा आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। रेलवे ने परिवहन के अन्य साधनों से यातायात को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। कम गमन दूरी के थोक यातायात को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों में "वॉल्यूम डिस्काउंट योजना" का विस्तार, "स्टेशन-दर-स्टेशन" योजना का उदारीकरण, मेरी-गो राउंड (एम.जी.आर.) प्रणाली के संबंध में नई नीति शामिल है।

वृत्तचित्र/समाचार रीलों का निर्धारण

2771. **श्री एम.टी. षणमुगम :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप फिल्म प्रभाग द्वारा बनाए गए वृत्तचित्रों और समाचार रीलों का महत्व निर्धारित करने के लिए कोई प्रणाली विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो पुरानी और नई प्रणाली में क्या अन्तर है; और

(ग) निर्माताओं के नई प्रणाली से किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 15.7.1999 के निर्णय में वृत्तचित्र फिल्मों और समाचार रीलों के अनिवार्य प्रदर्शन का समर्थन किया है। इसलिए मौजूदा प्रणाली में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र में डीजल/पेट्रोल पंपों का स्थानान्तरण

2772. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 1996 से 2001 तक राज्य के भीतर जिले-वार कितने डीजल/पेट्रोल पंपों का स्थानान्तरण किया गया है;

(ख) डीजल/पेट्रोल पंपों के स्थानान्तरण संबंधी कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(ग) इन डीजल/पेट्रोल पंपों को कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है; और

(घ) डीजल/पेट्रोल पंपों के स्थानान्तरण हेतु क्या नीति तैयार की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1 अप्रैल, 1996 से 31 मार्च, 2001 तक की अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में 145 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों का पुनर्गठन किया गया है।

(ख) इस समय खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के पुनर्गठन के बारे में तेल विपणन कंपनियों के पास 49 अनुरोध/प्रस्ताव लंबित है।

(ग) डीलरशिपों के पुनर्गठन के संबंध में अनुमोदन सूचित करने के लिए लिया गया समय डीलरों के सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिदेशों की सभी जरूरतों का अनुपालन करने पर निर्भर करता है।

(घ) सरकार ने तेल विपणन कंपनियों को खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों/एस.के.ओ./एल.डी.ओ. डीलरशिपों/एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के पुनर्गठन के लिए प्राधिकार प्रत्यायोजित करने वाले दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित मुख्य बातें शामिल हैं:-

(1) निम्नांकित शर्तों के तहत के सिवाए आरंभ होने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व तथा तत्पश्चात तीन वर्ष के पूर्व तदनंतर पुनर्गठन की अनुमति नहीं होगी:-

अनुकंपा आधार

परिवार में स्वामी, अथवा

भागीदार (भागीदारों) की मृत्यु

(2) नए भागीदार (भागीदारों) को बहु डीलरशिप मानक पूरे करने चाहिए तथा सामान्यतया सामान्य चयन के लिए अन्य मानदंड यथा आयु, शैक्षिक योग्यता, आय, इत्यादि पूरे करने चाहिए।

(3) विद्यमान भागीदार (भागीदारों) के पास अधिकांश भागीदारी होगी।

(4) अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी से संबंधित डीलरशिपों के विषय में आगत भागीदार को भी अ.जा./अ.ज.जा. का होना चाहिए। जहां कहीं एक अ.जा./अ.ज.जा. डीलर ने गैर-अ.जा./अ.ज.जा. से विवाह किया है, ऐसे पति पत्नी, जो गैर-अ.जा./अ.ज.जा/ का/की है, के बारे में भी ऐसे पुनर्गठन में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है।

(5) भागीदारी फर्म के मामले में अगर एक या अधिक भागीदार हटने की इच्छा करते हैं तो शेष भागीदार(रों) को फर्म का पुनर्गठन करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते शेष भागीदार कार्पोरेशन को स्वीकार्य हो। मौजूदा भागीदार(रों) को अधिकांश हिस्सा रखना चाहिए और नए सम्मिलित भागीदार(रों) को अधिकांश धार्यता रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(6) आगत भागीदार(रों) को किसी दंडनीय अपराध अथवा नैतिक पतन के लिए दोषी सिद्ध नहीं होना चाहिए।

(7) ऐसे योग्य मामले निर्णय के लिए सरकार को भेजे जाने चाहिए जिनके संबंध में तेल विपणन कंपनियों द्वारा नीति के अनुसार निर्णय नहीं लिया जा सकता।

पुरातत्व संस्थान को निधि आबंटन में अनियमितताएं

2773. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे पुरातत्व संस्थान को धन के आवंटन में अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संदर्भ में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) राखी गढ़ी, जिला हिसार (हरियाणा) में पुरातत्व संस्थान द्वारा की गई खुदाइयों में अनियमितताओं के कुछ आरोप हैं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस संबंध में एक मामला दर्ज किया है।

गैसोहोल पेट्रोल की बिक्री

2774. श्री किरीट सोमैया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में गैसोहोल पेट्रोल की बिक्री का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय मानक ब्यूरो ने गैसोहोल पेट्रोल की स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह पेट्रोल से किस प्रकार अलग है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने गैसोहोल, जो एथानोल के साथ 5 प्रतिशत तक पेट्रोल डोप किया उत्पाद है तथा जिसके बारे में क्रियाविधियां प्रतिपादन की अवस्था में है, की देश में दो चरणों में आपूर्ति करने का निर्णय लिया है।

(ग) 5 प्रतिशत तक अल्कोहल का मिश्रण करना पहले ही बी.आई.एस. विनिर्देश सं. बी.आई.एस. 2796-2000 के अंतर्गत है।

(घ) 5 प्रतिशत एथानोल वाले मिश्रणों को केवल पेट्रोल के रूप में माना जाता है और इन मिश्रणों में आक्सीजन की मात्रा अधिक है और ये कार्बन मोनोक्साइड उत्सर्जनों को कम करने में सहायता करते हैं।

ओ.एन.जी.सी. की स्वतंत्र भूमिका

2775. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) लिमिटेड को 17 महत्वपूर्ण व्यापारिक इकाइयों के रूप में विभाजित कर दिया गया है और प्रत्येक इकाई के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या अगस्त, 2001 में पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है;

(ग) क्या ये संगठनात्मक परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री कंपनी मैकिन्से द्वारा 1998 में दिए गए सुझावों के बाद किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो समग्र योजना के कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) के अंतर्गत पुनरसंरचना प्रक्रिया प्रथमत: अगस्त, 1997 में 'नीलम क्षेत्र' के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में आरंभ की गई थी और तत्पश्चात् अप्रैल, 1999 में 'पश्चिमी क्षेत्र कार्यव्यापार केन्द्र' के अंतर्गत। मैसर्स मेकिन्से एंड कंपनी ने कार्पोरेशन की इस पुनरसंरचना के विषय में ओ.एन.जी.सी. के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्य किया। इन प्रायोगिक परियोजनाओं को क्रियान्वित करते समय प्राप्त अनुभवों के प्रकाश में इस प्रक्रिया में समय-समय पर सुधार किया गया था। यह पुनरसंरचना योजना ओ.एन.जी.सी. के निदेशक मंडल द्वारा जुलाई 2001 में अनुमोदित की गई थी तथा ओ.एन.जी.सी. के अंतर्गत क्रियान्वित की गई थी। इस योजना को कार्पोरेट रि-ज्यूवेनेशन कम्पेन (सी.आर.सी.) नाम दिया गया था। इस सी.आर.सी. में अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों की बराबरी हासिल करने तथा उनसे आगे बढ़ने के लिए सभी क्रियाकलापों में सुधार की सतत् प्रक्रिया परिकल्पित है। मानव शक्ति संसाधनों, उत्तरदायित्वों के पुनरवितरण एवं पुनरनिर्धारण से संबंधित ये संरचनात्मक परिवर्तन अन्वेषी कार्य से संबंधित सात 'बेसिनों' के लिए तथा उत्पादन कार्य से संबंधित दस 'परिसंपत्तियों' के लिए सौंपे जाने वाले मुख्य क्रियाकलापों के विषय में विचार करते हैं। ये परिसंपत्तियां एवं 'बेसिन' निदेशक मंडल के प्रबंधन के समग्र नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेंगे तथा ये स्वतंत्र इकाइयों के रूप में विचारित नहीं हैं।

राष्ट्रीय रेल संग्रहालय

2776. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की भूमिका क्या है;

(ख) क्या यह रेल संग्रहालय देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शनियां आयोजित करता है;

(ग) क्या लोगों में सुरक्षित रेल यात्रा के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) कला वस्तुओं और विरासत को बचाना तथा उन्हें संग्रहालय में प्रदर्शित करना।

(ख) और (ग) जी नहीं। बहरहाल, क्षेत्रीय रेलें और रेल मंत्रालय लोगों को रेलों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए देश भर में विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लेते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोलियम कंपनियों से जुड़े ट्रांसपोर्टर

2777. डा. बलिराम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न पेट्रोलियम कंपनियों से जुड़े ट्रांसपोर्टरों के परिवहन शुल्क में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछली बार किस तिथि को परिवहन शुल्कों में संशोधन किया गया था;

(घ) किन-किन कंपनियों ने अभी तक बढ़ी हुई दरों से शुल्क का भुगतान कर दिया है/नहीं किया है;

(ङ) क्या आई.बी.पी. कंपनी ने अभी तक अपने दिल्ली के ट्रांसपोर्टरों को बढ़े हुए परिवहन शुल्क का भुगतान नहीं किया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) सरकार के निदेशों के अनुसार कब तक भुगतान कर दिए जाने की संभावना है; और

(ज) सरकारी आदेशों को क्रियान्वित न करने के कारण क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टरों के साथ अनुबंध (ठेके) सार्वजनिक निविदा प्रणाली के माध्यम से अलग-अलग तेल विपणन कंपनियों द्वारा तय किये जाते हैं। ठेके उसमें निर्धारित अवधि के लिए होते हैं और ठेके की शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार तेल विपणन कंपनियां परिवहन प्रभारों का भुगतान करती हैं। तेल विपणन कंपनियों द्वारा परिवहन प्रभार निर्धारित करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है।

(ङ) से (ज) आई.बी.पी. बोर्ड ने अपनी दिनांक 29.11.2001 को संपन्न हुई बैठक में दिल्ली में संशोधित परिवहन प्रभारों के भुगतान को मंजूरी प्रदान कर दी है। ट्रांसपोर्टरों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कंपनी द्वारा भुगतान किया जाना है।

अभिलेखागार (स्कूल ऑफ आर्काईव्स)

2778. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में राज्य-वार और स्थान-वार कौन-कौन से अभिलेखागार (स्कूल ऑफ आर्काईव्स) कार्यशील हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे स्थानों पर भी इन अभिलेखागारों की स्थापना करने का है जहां ये वर्तमान में नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) अभिलेखागार अध्ययन स्कूल (स्कूल ऑफ आर्काईव्स) भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल आर्काईव्स ऑफ इण्डिया) जनपथ, नई दिल्ली-110001 ।

(ख) से (घ) भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की देश में किसी अन्य स्थान पर अभिलेखागार अध्ययन स्कूल शुरू करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्नातकोत्तर स्तर पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में अभिलेखागार अध्ययन शुरू करने का विचार है।

पेट्रोल पंप/रसोई गैस एजेंसियों का विवेकाधीन कोटे से आबंटन

2779. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आई.टी.बी.पी., सी.आर.पी.एफ. आदि अर्ध-सैनिक संगठनों के अधिकारियों जो कश्मीर में उग्रवाद के दौरान मारे गए थे की विधवाओं या परिवारों को विवेकाधीन कोटे से पेट्रोल पंप या रसोई गैस एजेंसी आबंटित करने हेतु कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार ने 11 सितंबर, 2001 से पूर्व प्राप्त हुए ऐसे सभी आवेदन-पत्रों की अनवीक्षा कर ली है;

(ग) यदि हां, तो सरकार के पास ऐसे कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं; और

(घ) आवेदकों, विशेषकर गत दो वर्षों के दौरान कश्मीर में मारे गए अधिकारियों की विधवाओं के नाम क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) 1.11.2001 की स्थिति के अनुसार विवेकाधीन आबंटनों से संबंधित आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही करने के लिए दिशानिर्देशानुसार तेल विपणन कंपनियों के निदेशकों (विपणन) तथा कार्यकारी निदेशक, तेल समन्वय समिति को लेकर गठित समिति को 1248 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें उन विभिन्न अर्द्धसैनिक संगठनों के ऐसे कार्मिकों, जो जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध आपरेशन कार्रवाई में मारे गए थे, के आश्रितों से प्राप्त आवेदन-पत्र शामिल हैं। 11.9.2001 की स्थिति के अनुसार उक्त समिति द्वारा 613 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे।

अब तक उक्त समिति ने 83 आवेदन-पत्रों की जांच की है और सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

तेल टैंकों का रखरखाव और मरम्मत

2780. श्री राजो सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में विभिन्न तेल कंपनियों के विपणन टर्मिनलों और डिपुओं पर मरम्मत और रखरखाव के अभाव में कितने तेल टैंक बेकार पड़े हैं; और

(ख) इस समस्या को सुलझाने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इस समय विभिन्न राज्यों में विभिन्न तेल कंपनियों और डिपुओं के विपणन टर्मिनलों पर मरम्मत और रखरखाव के कारण 67 तेल टैंक उपयोग में नहीं हैं।

(ख) उद्योग गुणवत्ता नियंत्रण मैनुअलों के अनुसार सावधि सफाई के लिए टैंकों का प्रयोग नहीं किया जाता। यह एक नेमी कार्य है और प्रचालनों का भाग है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विद्युत उत्पादन

2781. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने वर्ष 2012 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से इस प्रयोजनार्थ 16,000 करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क), (घ) और (ङ) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.) ने सन् 2012 तक लगभग 20,000 मेवा क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना करते हुए एक निगम योजना तैयार की है। क्षमता अभिवृद्धि कायक्रम में अतिरिक्त 10,000 मेवा की बढ़ोत्तरी किये जाने पर विचार करने के लिए भी विद्युत मंत्रालय द्वारा एन.टी.पी.सी. को कहा गया है। एन.टी.पी.सी. अपनी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम को 20,000 मेवा से बढ़ाकर 30,000 मेवा करने की संभावना का पता लगाने के लिए सहमत हो गया है और एन.टी.पी.सी. ने 11वीं योजना के दौरान लाभ देने वाली अतिरिक्त परियोजनाओं का पता लगाने का कार्य आरम्भ कर दिया है साथ ही समय पर सम्पर्क, स्वीकृतियां/अनुमोदन व निधियां सुनिश्चित करने के लिए भी कार्रवाई आरंभ कर दी है।

(ख) विद्युत मंत्रालय ने एन.टी.पी.सी. की क्षमता अभिवृद्धि हेतु बजटीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु वित्त मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

(ग) उपरोक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पाकिस्तान द्वारा सर क्रीक में सैन्य जमावड़ा

2782. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र के सर क्रीक में अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान से अवैध प्रवेश और शस्त्रों की आपूर्ति को रोकने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र तटों पर निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों से ऐसे संकेत मिले हैं कि पाकिस्तानी विरचनाओं की कुछ सैन्य टुकड़ियां प्रशिक्षण के लिए कच्छ के सम्मुख कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ी थी। इस समय इस क्षेत्र में पाकिस्तानी जमावड़ा सुरक्षात्मक स्वरूप का प्रतीत होता है।

सरकार तटवर्ती रेखा सहित अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर समुचित उपाय करती है।

[हिन्दी]

विद्युत सुधार

2783. श्री जय प्रकाश : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों के साथ विद्युत सुधार के लिए केन्द्र सरकार ने समझौते किए हैं तथा अन्य राज्यों के साथ ऐसे समझौते कब तक किए जाने की संभावना है;

(ख) इस समझौते की मुख्य विशेषता क्या है;

(ग) क्या जनसाधारण के बीच बिजली सुधार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कोई अभियान शुरू किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) उन्नीस राज्यों, नामश: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल ने समयबद्ध रूप में विद्युत क्षेत्र सुधार शुरू करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापनों में संबंधित राज्य सरकारों ने विद्युत क्षेत्र में सुधार शुरू करने के लिए निम्नांकित क्षेत्रों में प्रतिबद्धता दर्शाई है:-

(1) 11 के.वी. के सभी फीडरों का मीटरीकरण;

(2) 100% उपभोक्ताओं का मीटरीकरण;

(3) तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी;

(4) प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास;

(5) वितरण क्षेत्र में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करना;

(6) राज्य विद्युत विनियामक आयोगों की स्थापना और टैरिफ याचिका दाखिल करना;

(7) बजट के जरिए सब्सिडियों का भुगतान।

भारत सरकार निम्नांकित क्षेत्रों में राज्य सरकारों को सहायता और समर्थन दे रही है:-

(1) अतिरिक्त विद्युत प्रावधान के जरिए:

(क) केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों से अतिरिक्त विद्युत आबंटन।

(ख) सी.पी.एस.यू. जरिए नव उत्पादक क्षमता का विकास।

(ग) राज्य क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता।

(2) आवश्यक अन्तर-राज्य पारेषण लाइनों का प्रावधान और कुछ अभिनिर्धारित अन्तर-राज्य लाइनों के लिए पी.जी.सी.आई.एल. के प्रति प्रतिबद्धता।

(3) मानक जरूरतों में छूट में पी.एफ.सी. द्वारा अतिरिक्त वित्त व्यवस्था प्रावधान।

(4) त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) : भारत सरकार ने गत वर्ष से त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) आरंभ किया है। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष का परिव्यय क्रमश: 1000 करोड़ रुपए तथा 1500 करोड़ रुपए है। ए.पी.डी.पी. वित्त व्यवस्था निम्नांकित से जुड़ी परियोजनाओं के लिए है:-

क. नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार/पुराने विद्युत प्लांटों का उच्चीकरण।

ख. ऊर्जा एकाउंटिंग एवं मीटरिंग सहित उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का उच्चीकरण।

(ग) और (घ) विद्युत मंत्रालय ने 15 अक्टूबर, 2001 से देशव्यापी ''जागरूकता अभियान'' शुरू किया है। पूरे देश में लगभग 2000 पब्लिक इंटरेक्शन/सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। ये सार्वजनिक अभियान विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सी.ई.ए. व केन्द्रीय क्षेत्र उपक्रम देश के विभिन्न जनपदों में विद्युत क्षेत्र अंतरण की योजनाओं में नागरिकों के साथ हिस्सेदारी कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सरकारी विभागों में निरर्थक खर्च

2784. श्री अमरराय प्रधान : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी विभागों में निरर्थक खर्च को कम करने के लिए कदम उठाए हैं तथा कुछ क्षेत्रों की पहले से ही पहचान कर ली है जहां सरकारी विभागों में निरर्थक खर्च अधिकतम है;

(ख) यदि हां, तो आपके मंत्रालय/विभाग के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी पहचान इस उद्देश्य से की गई है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसमें पहचान किये गए निरर्थक खर्च की मात्रा कितनी है; और

(ग) ऐसे निरर्थक खर्च को कम करने/रोकने के लिए अभी तक आपके मंत्रालय द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों, यदि कोई हों, तो का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) वित्त मंत्रालय समय-समय पर व्यय में किफायती/मितव्ययी उपायों के संबंध में दिशानिर्देश और हिदायतें जारी करता रहा है। वित्त मंत्रालय ने संबंधित विषय पर दिनांक 5.8.1999 के अपने पूर्व कार्यालय ज्ञापन में क्रम में दिनांक 24.9.2000 को ऐसे दिशानिर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी संबंधितों को पुन: इनसे अवगत कराया गया है। वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ गैर-योजना और गैर

वेतन व्यय, स्टाफ कार तथा सरकारी वाहनों, विदेश यात्रा, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि के संबंध में मितव्ययी उपाय विनिर्धारित हैं।

मंत्रालय उपरोक्त के संबंध में व्यय को कम करने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के प्रकाश में सभी आवश्यक उपाय कर रहा है। मंत्रालय के अधीन आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी बेकार के व्यय को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इस दिशा में उनके द्वारा उठाए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के उन्नयन, ऊर्जा संरक्षण, इनपुट लागत में कमी, उधार, मरम्मत तथा अनुरक्षण लागत में कमी तथा अन्य विभिन्न लागत नियंत्रण उपाए शामिल हैं।

पुलों के निर्माण

2785. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो पुलों के ध्वस्त होने के कारण पाटन और मेहसाना के बीच रेल सेवा बाधित हुई;

(ख) यदि हां, तो कब तक इन पुलों के निर्माण की संभावना है तथा उक्त रेल सेवाएं कब तक पुन: बहाल की जाएंगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) धिनोज तथा पंचोट के बीच दरारों के कारण जून, 1997 में पुलों को नुकसान पहुंचा था इसलिए धिनोज-पंचोट के रास्ते मेहसाणा तथा पाटन के बीच चलने वाली सभी गाड़ियां रद्द कर दी गई थीं;

(ख) क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण कर दिया गया था तथा खण्ड 3.9.1999 को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग संपर्क अधिकारियों का नामांकन

2786. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपके मंत्रालय के कुछ विभाग/अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के और स्वायत्त संगठन/निगम अ.जा., अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के संपर्क अधिकारी नामित नहीं कर रहे हैं जैसा कि अ.जा., अनु. जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के मामले में सरकारी अनुदेशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से गृह मंत्रालय के दिनांक 10 अप्रैल, 1968 के कार्यालय ज्ञापन सं. 16/17/67 स्थापना (सी) (डीओपीटी) कार्यालय ज्ञापन सं. 36022/5/76 दिनांक 27 मई, 1976 के अंतर्गत अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उन कार्यालयों/संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो आपके मंत्रालय के ऐसे संगठनों/कार्यालयों की कुल संख्या कितनी है जो ''प्रशासनिक इकाइयों'' के रूप में स्थापना और कर्मचारियों से संबंधित मामले देखते हैं; और

(घ) आज की तारीख के अनुसार संदर्भित प्रयोजन के लिए कुल कितने संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) भारतीय रेल पर 9 क्षेत्रीय रेलें हैं, जिसमें प्रत्येक का अध्यक्ष महाप्रबंधक होता है। जोनों को आगे 59 परिचालन मंडलों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल, मंडल रेल प्रबंधक के नियंत्रण में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त 6 उत्पादन इकाइयां हैं जिसमें प्रत्येक का अध्यक्ष महाप्रबंधक या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है।

प्रत्येक क्षेत्रीय रेल/उत्पादन इकाई पर नामित संपर्क अधिकारी होते हैं। क्षेत्रीय मुख्यालय पर मुख्य कार्मिक अधिकारी को मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में और वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (आरक्षण) को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक मंडल पर मंडल कार्मिक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

उत्पादन इकाइयों पर विभिन्न स्तर के अधिकारियों को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के 8 उपक्रम रेल मंत्रालय के अधीन हैं। इन सभी 8 संगठनों में संपर्क अधिकारी हैं। सिवाय, भारतीय रेल टेल निगम के, जो एक नया संगठन है और इसमें अधिकारियों की भर्ती के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

(घ) भारतीय रेलों पर आरक्षण संबंधी नीतियों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए 90 संपर्क अधिकारी हैं।

विद्युत परियोजनाओं का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण

2787. श्री मोहन रावले : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.एस.ई.बी. के तापीय, गैस और जल विद्युत केन्द्रों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) तथा जीवन विस्तार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रयोजन से केन्द्र सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने देश में पुराने विद्युत संयंत्रों (ताप विद्युत और जल विद्युत) के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार/उच्चीकरण तथा उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के उच्चीकरण के लिए अनुदान और ऋण के स्वरूप में राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) नामक एक नई स्कीम आरम्भ की है। उन ताप विद्युत स्कीमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिनके संबंध में वर्ष 2000-01 के दौरान ए.पी.डी.पी. के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम.एस.ई.बी.) के विद्युत स्टेशनों को निधियां स्वीकृत की गई थी।

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	ताप विद्युत स्टेशन का नाम	स्कीम की कुल लागत	ए.पी.डी.पी. के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि		
			ग्रांट	लोन	टोटल
1.	पारली	12.46	3.11	3.11	6.22
2.	नासिक	22.00	5.50	5.50	11.00
3.	कोराडी, नासिक एवं पारला	6.00	1.50	1.50	3.00
4.	कोराडी	48.00	12.00	12.00	24.00

जल विद्युत स्टेशनों के आर एंड एम और जीवन विस्तार के लिए एमएसईबी द्वारा एपीडीपी के अंतर्गत स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने वाले बच्चे

2788. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अगस्त, 2001 को 'द हिन्दुस्तान टाइम्स', नई दिल्ली में 'किड्स गो हंगरी, थर्स्टी फॉर ग्रेटर ग्लोरी ऑफ आई-डे' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) भविष्य में लालकिले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने वाले स्कूली बच्चों को अच्छी गुणवत्ता का जलपान और पर्याप्त पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने/उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली सरकार ने इस मामले की छानबीन की है। छानबीन से पता चला है कि वहां पर किए गए अत्यधिक सख्त सुरक्षा प्रबंधों के मद्देनजर पर्याप्त/बेहतर जलपान आदि बच्चों को मुहैया नहीं कराया जा सकता। दिल्ली सरकार ने जांच-रिपोर्ट के आधार पर इस समारोह के लिए तैनात किए गए कुछ अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया है तथा ठेकेदारों पर उनकी तरफ से कोई लापरवाही होने की स्थिति में दंड लगाने का भी विचार कर रही है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अन्य सुधारात्मक उपाय भी किए गए हैं।

राजस्थान में बाल-विवाह पर रोक लगाने के लिए शेरला अधिनियम में संशोधन

2789. **डा. जसवंत सिंह यादव** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विशेषकर, गजस्थान में बाल विवाह की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिए शरला अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार कब तक संसद में नया विधेयक लाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) शेरला अधिनियम नामक कोई अधिनियम नहीं है। वस्तुत: बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 ही शारदा अधिनियम के नाम से विख्यात है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है और इसके प्रस्तावों को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके विचार जानने के लिए परिचालित कर दिया गया है। अभी तक 9 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने, जिसके अंतर्गत राजस्थान राज्य सरकार भी है, इस संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सहमति दी है। सरकार, शेष राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की राय प्राप्त करने के पश्चात् इस विषय में विचार करेगी।

राज्यों को पेट्रोलियम उत्पादों का आबंटन

2790. श्री राजो सिंह : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार देश में प्रत्येक राज्य को आबंटित डीजल, पेट्रोल और केरोसीन की मात्रा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): तेल विपणनकर्ता कंपनियों द्वारा डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति मांग के अनुसार की जाती है। केन्द्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मिट्टी तेल का आबंटन करती है।

1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा किए गए मिट्टी तेल के राज्यवार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यवार एस.के.ओ. आबंटन 1998-99 से 2000-01

(आंकड़े एम.टी. में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1998-99			1999-2000			2000-01		
	आबंटन	तदर्थ	कुल आबंटन	आबंटन	तदर्थ	कुल आबंटन	आबंटन	तदर्थ	कुल आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंदमान और निकोबार	7155	0	7155	6736	301	7037	6736	0	6736
आन्ध्र प्रदेश	675056	3891	678947	679848	0	679848	650596	778	651375
अरुणाचल प्रदेश	10240	0	10240	10295	623	10917	10346	0	10346
असम	271235	0	271235	272623	0	272623	273270	0	273270
बिहार*	863745	0	863745	870036	0	870036	894246	0	894246
चंडीगढ़	21778	0	21778	15408	0	15408	15408	0	15408
दादर नगर हवेली	3237	0	3237	3238	0	3238	3238	0	3238
दमन और दीव	3064	0	3064	2438	0	2438	2438	0	2438
दिल्ली	248325	0	248325	204672	0	204672	204672	0	204672
गोवा	28257	0	28257	28075	0	28075	28075	0	28075
गुजरात	831600	15564	847164	832432	4864	837295	832432	42023	874455

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	170563	0	170563	171731	0	171731	175633	0	175633
हिमाचल प्रदेश	60737	0	60737	61067	778	61845	61434	0	61434
जम्मू और कश्मीर	91433	6226	97659	91921	19844	111765	92376	12840	105216
कर्नाटक	528301	0	528301	531167	0	531167	534360	0	534360
केरल	300006	0	300006	302078	0	302078	309149	0	309149
लक्षद्वीप	919	0	919	921	0	921	921	0	921
मध्य प्रदेश*	661812	0	661812	666632	0	666632	685182	0	685182
महाराष्ट्र	1576298	0	1576298	1577953	0	1577953	1488926	0	1488926
मणिपुर	22670	0	22670	22781	78	22859	22781	0	22781
मेघालय	20847	0	20847	20960	74	21034	21086	0	21086
मिजोरम	8102	0	8102	8146	0	8146	8195	0	8195
नागालैंड	14207	0	14207	14284	78	14362	14370	0	14370
उड़ीसा	316597	0	316597	318903	62793	381696	327777	54475	382251
पांडिचेरी	15342	0	15342	15363	0	15363	15363	0	15363
पंजाब	342376	0	342376	343127	0	343127	343127	0	343127
राजस्थान	440060	0	440060	443265	0	443265	450930	93385	544316
सिक्किम	7885	0	7885	7895	0	7895	7895	0	7895
तमिलनाडु	716830	0	716830	720076	12451	732527	720076	12451	732527
त्रिपुरा	32386	0	32386	32562	0	32562	32757	0	32757
उत्तर प्रदेश*	1391123	12167	1403290	1401255	9650	1410905	1440246	16537	1456783
पश्चिम बंगाल	808013	3891	811904	812309	7782	820091	816158	152564	831722
अखिल भारत	10490199	41739	10531938	10490199	119316	10609516	10490199	248054	10738253

*नवम्बर, 2000 के दौरान बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से क्रमशः झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल नए राज्य बनाए गए हैं। नए राज्यों के लिए 2000-01 के लिए आबंटन का ब्यौरा बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सम्मिलित है।

विद्युत वितरण में सुधार

2791. डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जिला स्तर पर विद्युत वितरण में सुधार करने जा रही है;

(ख) क्या राज्य विद्युत बोर्डों की राजस्व अर्जन क्षमता में सुधार करने तथा विद्युत के उत्पादन और वितरण की खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ग) भारत सरकार ने वर्ष 2000-2001 और 2001-02 के लिए क्रमश: 1000 करोड़ रुपए और 1500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) नामक एक स्कीम वर्ष 2000 में प्रारंभ की है ताकि पुराने विद्युत उत्पादन स्टेशनों (ताप विद्युत और जल विद्युत) के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तार/उच्चीकरण से संबंधित परियोजनाओं के लिए व्यवस्थित वित्त पोषण प्रदान किया जा सके। सरकार उप-पारेषण एवं वितरण के उच्चीकरण के उद्देश्य वाली परियोजनाओं के माध्यम से जिला स्तर पर वितरण सुधार करने का लक्ष्य रखती है। इस प्रयोजनार्थ उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के उच्चीकरण हेतु प्रारंभ में 63 वितरण सर्किलों को लिया गया है। अन्तत: यह प्रस्तावित किया गया है कि वितरण सर्किल का प्रचालन एक लाभ केन्द्र के रूप में और फीडर का प्रचालन एक व्यावसायिक यूनिट के रूप में किया जाएगा। जो उपाय ए.पी.डी.पी. के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे वे हैं : सभी ट्रांसफोरमेशन स्तर पर मीटरिंग, विकेन्द्रीकृत बिलिंग और संकलन, एलटी लाइनों का एचटी लाइनों के साथ सुव्यवस्थित प्रतिस्थापन, रूपांतरण क्षमता में अभिवृद्धि, रिकंडक्टिंग, उपभोक्ता के अनुसार आंकड़ा तैयार करना आदि। 10वीं योजना (2002-2007) के दौरान देश में सभी सर्किलों को सम्मिलित किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है। यह प्रत्याशा की जाती है कि वितरण सुधारों से पारेषण एवं वितरण नेटवर्क में तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां कम हो जाएंगी और इसके परिणामस्वरूप विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में भी सुधार होगा। तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी से राज्य विद्युत बोर्डों के राजस्व में भी सुधार होगा।

एमपीलैड योजना के अंतर्गत नवीकरण स्त्रोतों को वित्तीय सहायता

2792. श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा के नए और नवीकृत स्त्रोतों के लिए आबंटित निधियों के समुचित उपयोग के साथ-साथ वर्तमान वित्तीय आबंटन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से, इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एमपीलैड योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अनुरोध भी राज्य सरकारों से किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आयातित तेल में वृद्धि के कारण देश में पर्याप्त रूप से उपलब्ध नवीकृत उर्जा स्त्रोतों की महत्ता बढ़ रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे स्त्रोतों के लिए राज्यों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई विभिन्न अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक राज्य योजना बजट के अंतर्गत वित्तीय जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए यह मंत्रालय नियमित रूप से मामले को राज्य सरकारों के साथ उठा रहा है। यह मंत्रालय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को आवंटित निधियों के उपयोग की समीक्षा भी उनके साथ आवधिक बैठकों के माध्यम से करता है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों से ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए बायोगैस, सौर प्रकाशवोल्टीय और बायोमास गैसीफायर जैसे समाजोन्मुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एम.पी.एल.ए.डी. योजना से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर रहा है।

(ङ) और (च) चूंकि भारत में सौर, पवन, लघु पनबिजली और बायोमास जैसे अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों की व्यापक संभाव्यता मौजूद है इसलिए देश भर में खाना पकाने, तापन, रोशनी आदि जैसी विभिन्न ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों का इस्तेमाल धीरे-धीरे बढ़ रहा है। यह मंत्रालय बायोमास, पवन, सौर, बायोगैस आदि जैसे अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों के दोहन के लिए अपने विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है और मंत्रालय ने देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए चालू वित्त वर्ष 2001-2002 के लिए 339.25 करोड़ रु. की राशि आवंटित की है।

पश्चिम बंगाल में सब-वे का निर्माण

2793. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कुमितपुर रेल जंक्शन स्टेशन पर एक सब-वे के निर्माण के संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के अनुरोध पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कुमितपुर रेल जंक्शन स्टेशन पर सब-वे के निर्माण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) "कुमेदपुर" नाम का रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य में है। यह स्टेशन पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में स्थित है, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे से कुमेदपुर रेलवे स्टेशन पर भूमिगत मार्ग का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गांव से स्टेशन तक आने-जाने के लिए कुमेदपुर बाई-पास लाइन पर भूमिगत मार्ग मुहैया कराने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। गांव पहले ही रेलवे रोड़ के माध्यम से अपेक्षाकृत थोड़े लम्बे मार्ग द्वारा रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। अत: भूमिगत मार्ग का निर्माण करना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसके अलावा, कुमेदपुर बाईपास लाइन निचली सतह की भूमि पर है और उसके नीचे भूमिगत मार्ग बनाना तकनीकी तौर पर व्यवहारिक नहीं है।

दूरदर्शन द्वारा भारतीय संस्कृति का संरक्षण

2794. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन वाणिज्यिक संगठन की तरह कार्य कर रहा है जबकि सरकार की नीति भारतीय संस्कृति और परम्परा को बनाये रखने तथा इसकी समृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) और (ख) प्रसार भारती अधिनियम के अनुसार, प्रसार भारती का मुख्य दायित्व उपयुक्त कार्यक्रमों के प्रसारण के द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों को पर्याप्त कवरेज उपलब्ध करा कर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने हेतु सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को व्यवस्थित करना तथा उनका संचालन करना है।

हीराकुंद एक्सप्रेस की आवृत्ति

2795. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सम्बलपुर और तलचर होते निजामुद्दीन और भुवनेश्वर के बीच चलने वाली हीराकुंद एक्सप्रेस की आवृत्ति बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की आवृत्ति बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो कब से इन ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ायी जाएगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नए रेलवे स्टेशन का निर्माण

2796. श्री किरीट सोमैया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय मध्य रेलवे, मुम्बई के उपशहरीय क्षेत्र भानदुप और मुलुंद के बीच एक नए रेलवे स्टेशन की मांग पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने कोई संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके निर्माण की कब तक संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) से (ग) भांडूप तथा मुलुंड स्टेशनों के बीच नाहुर में हाल्ट स्टेशन खोले जाने संबंधी प्रस्ताव की जांच की गई है परन्तु परिचालनिक तथा इंजीनियरिंग की दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

आई.आर.सी.एफ., कपूरथला में विस्थापित परिवारों को रोजगार

2797. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन विस्थापित परिवारों के लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है जिनके सदस्यों को रोजगार प्रदान किया जाना है जिनकी भूमि कपूरथला कोच फैक्टरी (पंजाब) के लिए अर्जित की गई थी;

(ख) रोजगार प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक उनके अनुरोध को पूरा किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) कुछ नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीडीए अधिकारियों के विरुद्ध सीबीआई जांच

2798. **श्री रामजी मांझी :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने सी.डी.ए. (मुख्यालय) को नकली और जाली बिल प्रस्तुत करने और इस प्रकार राज्य कोषागार को 1994-97 के दौरान 8 करोड़ रुपए की हानि के आरोप में रक्षा लेखा नियंत्रक (सी.डी.ए. मुख्यालय), नई दिल्ली के वरिष्ठ और सहायक लेखा अधिकारियों, लिपिकों और निजी फर्मों के कुछ मालिकों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है;

(ख) यदि हां, तो किन अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं तथा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) सरकार द्वारा इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) जी, हां, आरोप-पत्र दाखिल व्यक्तियों से संबंधित ब्यौरे विवरण-II और 2 के रूप में संलग्न हैं।

(ग) स्वीकृतियों और नमूना हस्ताक्षरों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन की व्यवस्था सुदृढ़ करने, बिलों की पावती के तरीकों के सख्ती से अनुपालन तथा स्वीकृत बिलों की अतिरिक्त जांच जैसे आवश्यक उपाय किए गए हैं।

विवरण-I

प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा, नई दिल्ली (तत्कालीन नियंत्रक रक्षा लेखा मुख्यालय) के अधिकारी और कर्मचारी

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम और पदनाम सर्वश्री/श्री	क्या निलंबित किया गया	की गई विभागीय कार्रवाई
1	2	3	4
1.	टी.पी. वेणूगोपालन, वरिष्ठ लेखाधिकारी (सेवानिवृत्त)	हां	इस अधिकारी (अब सेवानिवृत्त) को उसे अन्यथा स्वीकार्य पेंशन की 50% राशि स्थाई आधार पर और उसे स्वीकार्य उपदान की 50% राशि रोके जाने का दंड दिया गया है।
2.	एच.एल. गुलाटी, वरिष्ठ लेखाधिकारी	नहीं	बड़ी शास्ति से संबंधित आरोप-पत्र दिनांक 7.7.98 को दिया गया था। मामले में जांच-पड़ताल की जा रही है।
3.	आर.के. वाजपेयी, वरिष्ठ लेखाधिकारी (सेवानिवृत्त)	नहीं	बड़ी शास्ति से संबंधित आरोप-पत्र दिनांक 2.7.98 को जारी किया गया था। जांच पूरी कर ली गई है तथा मामले को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
4.	पी.आर. सुमन, वरिष्ठ लेखापरीक्षक (सेवानिवृत)	नहीं	बड़ी शास्ति से संबंधित आरोप-पत्र दिनांक 5.11.98 को जारी किया गया था। जांच-कार्रवाई पूरी कर ली गई है। मामले को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1	2	3	4
5.	जे.सी. शर्मा, सहायक लेखाधिकारी	हां	दिनांक 23.9.99 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया गया।
6.	जे.बी. गुप्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षक	हां	दिनांक 31.8.99 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया गया।
7.	एन.डी. नौटियाल, लिपिक (सेवानिवृत्त)	नहीं	जांच-कार्रवाई पूरी होने के बाद उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया गया है।
8.	आर.एन. ध्यानी, सहायक लेखाधिकारी	नहीं	बड़ी शास्ति से संबंधित आरोप-पत्र दिनांक 11.11.98 को जारी किया गया था। इस मामले में जांच-कार्रवाई पूरी कर ली गई है तथा जांच-रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।
9.	एस.बी. शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक	नहीं	बड़ी शास्ति से संबंधित आरोप-पत्र दिनांक 16.11.98 को जारी किया गया था। इस मामले को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
10.	सुरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक	नहीं	बड़ी शास्ति से संबंधित आरोप-पत्र अगस्त, 1999 में जारी किया गया था। इस मामले में जांच-पड़ताल की जा रही है।
11.	स्टीफेन जॉर्ज, सहायक लेखाधिकारी	नहीं	दिनांक 19.9.2000 से सेवा से बर्खास्त किए जाने का दंड दिया गया।

विवरण-II

आरोप-पत्र में शामिल रक्षा लेखा विभाग को छोड़कर अन्य व्यक्ति

क्र.सं.	नाम	की-गई-कार्रवाई
1.	श्री दीपक दत्त मुद्गल, उ.श्रे.लि. (सेना मुख्यालय)	केन्द्रीय जांच ब्यूरो के आरोप-पत्र में शामिल किया गया है।
2.	लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) पी.आर.एस. राव, उप निदेशक आयुध सेवाएं (आई एंड बी सी), सेना मुख्यालय	-वही-
3.	श्री राहुल दत्त (निजी व्यक्ति)	-वही-
4.	श्री अशोक कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षाधिकारी, डी.जी.ए. (डी.एस.)	-वही-
5.	कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्दर बीर सिंह उप्पल	-वही-

आग के कारण हुई हानि

2799. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या रेल मंत्री आग के कारण रेलवे को हुई हानि के बारे में 16 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3789 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष	स्थान	हानि की राशि	कारण	इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदम
1998	स्क्रैप यार्ड/स्टोर	37300 रुपए	आकस्मिक, बिजली की चिंगारी, आंदोलन, सिगरेट/बीड़ी के टोंटे	समय-समय पर प्रचार अभियान चलाए जाते हैं कि जनता सिगरेट न फैंके, आग की घटनाओं को रोकने के लिए रेल कर्मचारियों और रे.सु.ब. कर्मचारियों को अधिक सतर्क रहने के अनुदेश दिए गए हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड तत्काल बुलाई जाती है। क्षेत्र साफ रखने और स्क्रैप सामग्री को ज्वलनशील मदों से अलग रखने के लिए समय-समय पर सामान्य अनुदेश जारी किए जाते हैं। स्क्रैप यार्ड में और उसके आस-पास सुरक्षा गश्त गहन कर दी गई है। रेल कर्मचारियों को अग्नि शमन में प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें परिसर के सही रख-रखाव और सिगरेट, बीड़ी के जले हुए टुकड़े रेल परिसरों में न फेंकने के लिए भी कहा जाता है और अतंत: यह सुनिश्चित करने के लिए अग्नि शमन उपस्करों और संस्थापकों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है कि वे अच्छी हालत में और उपयोग करने योग्य हैं। बहरहाल, यह उल्लेखनीय है कि कुछ स्थानों को छोड़कर 1999 में रे.सु.ब. के अग्नि शमन विंग बंद कर दिए गए हैं।
1999	-यथोक्त-	6,20,000 रुपए	-यथोक्त-	
2000	-यथोक्त-	12,92,077 रुपए	-यथोक्त-	
2001 (जुलाई तक)	-यथोक्त-	28,82,561 रुपए	-यथोक्त-	

कम्प्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली का ठप्प हो जाना

2800. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि कम्प्यूटरीकृत सेन्ट्रल आरक्षण प्रणाली ठप्प हो गई है जिससे रेल यात्रियों को परेशानी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके ठप्प होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इसकी पुनरावृत्ति न होने देना सुनिश्चित करेगी; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) जी नहीं।

बहरहाल, किसी ऑन-लाइन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली की भांति दूर संचार, सी.पी.यू. के स्लोइंग नेटवर्क से संबंधित समस्याओं आदि जैसे विभिन्न कारणों से विभिन्न जोनों पर भिन्न-भिन्न अवधि के दौरान बाधा उत्पन्न हुई है।

(ग) और (घ) सभी विफलताओं का तकनीकी दृष्टि से विश्लेषण किया जाता है और निवारक कार्रवाई की जाती है ताकि ऐसी विफलताओं की पुनरावृत्ति न हो। यात्री आरक्षण प्रणाली की कार्य कुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट स्लो होने के कारण होने वाली विफलताओं के अवसरों को कम करने के लिए भारतीय रेलों पर न्यू अल्फा प्रणाली शुरू कर दी गई है।

विजयवाड़ा और दिल्ली के बीच रेलगाड़ी

2801. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे ने विजयवाड़ा और दिल्ली के बीच सीधे एक नई रेलगाड़ी शुरू करने संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलगाड़ी को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह रेलगाड़ी सिर्फ चार स्टेशनों पर रुकेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

टर्मिनल प्रबंधन व्यवस्था

2802. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय शीघ्र ही टर्मिनल प्रबंधन व्यवस्था शुरू करने वाला है;

(ख) यदि हां, तो इस नई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नई व्यवस्था के क्या लाभ हैं;

(घ) इस नई व्यवस्था के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों को लाया जायेगा; और

(ङ) टर्मिनल प्रबंधन व्यवस्था कब तक चालू हो जाएगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) इस माल परिचालन सूचना प्रणाली के रेक प्रबंधन प्रणाली (आर.एम.एस.) के स्थापित हो जाने के बाद शुरू किया जाएगा।

(ख) यह प्रणाली ग्राहकों द्वारा मालडिब्बों हेतु मांग-पत्रों के रजिस्ट्रेशन माल डिब्बा की आपूर्ति और लदान ब्यौरों, कम्प्यूटरीकृत रेलवे रसीद को जारी करने और गंतव्य आदि पर सुपुर्दगी आदि के लिए अभिकल्पित की गई है।

(ग) नई प्रणाली की मुख्य विशेषता सरलीकृत ग्राहक अंत: क्रिया, निरंतर परेषण ट्रेकिंग और आतंरिक प्रक्रियाओं का स्वचालन होगा।

(घ) योजना प्रगति पर है।

(ङ) आर.एम.एस. के स्थापित हो जाने, साफ्टवेयर टेस्टिंग पूरी हो जाने और पर्याप्त निधियां उपलब्ध होने पर इसका पता लग सकता है।

त्रिवेन्द्रम में दूरदर्शन का विस्तार

2803. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के कार्यक्रमों में सुधार और इनके विस्तारण का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में किस प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं; और

(घ) दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के अंतर्गत स्थानानुसार कुल कितने एल.पी.टी. कार्यरत हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) त्रिवेन्द्रम सहित दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यक्रमों में सुधार करना और सुविधाओं का संवर्धन एवं आधुनिकीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है। वर्तमान में दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में उपलब्ध प्रमुख सुविधाएं (उपस्कर) नीचे दिए अनुसार हैं:

1. सम्बद्ध सुविधाओं सहित 2 स्टूडियो को मिलाकर स्टूडियो ढांचा।

2. विज्ञापन निर्माण सुविधा।

3. ई.एफ.पी. (इलैक्ट्रानिक क्षेत्रीय निर्माण) वाहन।

4. ई.एन.जी. (इलैक्ट्रानिक समाचार एकत्रण) उपस्कर।

5. डीडी-1 और डीडी-2 चैनलों के लिए 2 उ.श.ट्रां प्रत्येक 10 कि.वा.।

6. उपग्रह अपलिंक।

दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में अतिरिक्त उपस्कर अर्थात् डिजीटल वी.सी.आर., डिजीटल कैमकोर्डर, डिजीटल स्वीचर और टेलीप्रोमटर आदि उपलब्ध करवाये जाने का विचार है।

(घ) केरल में निम्नलिखित 19 अ.श.ट्रां. को उपग्रह के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यक्रमों को रिले करने के लिए दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम से लिंक हैं:

अदूर, अट्टापाडी, चांगानाचैरी, चैंगान्नूर, कन्नानौर, इदुक्की, कालपेट्टा, काननगढ़, कासरगोड, कायमकुलम, मल्लापुरम, पाला, पालघाट, पाठनमिथीट्टा, पुनालूर, शोरानूर, तेलीचैरी, थोडुपुजा और त्रिचूर।

विजयवाड़ा-गुंटूर-तैनाली रेल खंड का दोहरीकरण

2804. **श्री वाई.वी. राव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विजयवाड़ा-गुंटूर और गूंटूर-तेनाली रेल खंड के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार कौन से कदम उठाने जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) कृष्णा नहर के रास्ते विजयवाड़ा-तेनाली पहले से ही दोहरी लाइन खण्ड है। तीसरे कृष्णा पुल सहित विजयवाड़ा-कृष्णा के बीच तीसरी लाइन का निर्माण कार्य एक अनुमोदित कार्य है, जो प्रगति पर है।

जहां तक कृष्णा नहर-गुंटूर-तेनाली खण्ड के दोहरीकरण का संबंध है, इस संबंध में स्थिति यह है कि जब एकल लाइन वाले खण्डों की वहन क्षमता संतृप्त हो जाती है तभी उनका दोहरीकरण किया जाता है। उन एकल लाइन खण्डों के दोहरीकरण के कार्य को विषयगत खण्ड पर यातायात अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि उसके दोहरीकरण को न्यायोचित ठहराया जा सके। संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर यातायात की आवश्यकता के अनुसार दोहरीकरण पर विचार किया जाएगा।

विदेशी उपकरण

2805. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू उत्पादों की अपेक्षा विदेशी उपकरण अधिक विश्वसनीय हैं जैसाकि दिनांक 22 नवंबर, 2001 के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' संस्करण में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सशस्त्र सेनाओं के प्रयोगार्थ उपकरणों को चुनने हेतु महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन द्वारा कौन से मापदंड अपनाए गए हैं;

(घ) किन कारणों से घरेलू उत्पाद सेना के उपयोग के लायक नहीं समझा जाता है; और

(ङ) घरेलू उपकरणों को विदेशी उपकरणों की तुलना में अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सशस्त्र बलों के इस्तेमाल के लिए उपस्करों का चयन गुणता आश्वासन महानिदेशक नहीं करता है। वे संविदागत विनिर्दिष्टियों के अनुसार केवल उपस्कर की गुणता सुनिश्चित करते हैं।

(घ) और (ङ) रक्षा प्रयोजन के लिए घरेलू उपस्करों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके भी विदेशी उपस्करों के लिए लागू कड़े गुणता एवं विश्वसनीयता संबंधी परीक्षण किए जाते हैं।

रसोई गैस/सीएनजी/पेट्रोल पंपों का सहकारी समितियों को आवंटन

2806. **श्री टी. गोविन्दन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सहकारी समितियों/न्यासों/स्थानीय निकायों/राज्य सरकार उपक्रमों/निगमों इत्यादि को रसोई गैस/सीएनजी/पेट्रोल पंपों के आबंटन हेतु कोई उपबंध किया है या उन्हें प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्राप्त ऐसे आवेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) खुदरा बिक्री केन्द्रों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार सहकारी समितियां/सहकारी संगठन ऐसी डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के लिए पात्र हैं। तथापि, उन्हें चयन में कोई वरीयता नहीं दी जाती। जहां तक सीएनजी का संबंध है जिसकी आपूर्ति केवल दिल्ली और मुंबई में की जाती है। बिक्री केन्द्र, दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और मुंबई में महानगर गैस लिमिटेड द्वारा स्थापित स्वयं के बिक्री केन्द्रों के अलावा, उनकी उपयुक्तता के आधार पर मौजूदा खुदरा बिक्री केन्द्रों में साथ-साथ स्थापित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान डीलर चयन बोर्ड के माध्यम से विभिन्न सहकारी समितियों/राज्य निकायों को सात खुदरा बिक्री केन्द्र (हिमाचल प्रदेश में दो और महाराष्ट्र, केरल, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक-एक) और महाराष्ट्र में एक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित की है।

उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में डीलरशिप हेतु लक्ष्य

2807. **राजकुमारी रत्ना सिंह :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन सालों के दौरान उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में डीलरशिप/वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के चयन बोर्डों ने डीलरशिप के लिए अब तक कितने साक्षात्कार किए हैं;

(ग) सरकार को डीलरशिप के चयन संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इन शिकायतों की जांच के क्या परिणाम रहे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर समेत देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना करने के लिए कोई वर्षवार लक्ष्य नियत नहीं है। उत्तर प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर समेत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें/एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपें/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए विपणन योजनायें तेल विपणन कंपनियों द्वारा तैयार की जाती हैं तथा सरकार द्वारा अनुमोदित की जाती है।

विपणन योजनाओं में सम्मिलित स्थानों के विषय में तेल विपणन कंपनियों द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं तथा डीलरों/वितरक का चयन निर्धारित प्रक्रिया, जिसमें साक्षात्कार आयोजित करना शामिल है, के अनुसार डीलर चयन बोर्डों द्वारा किया जाता है।

डीलरों/वितरकों के चयन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की डीलर/वितरकों के चयन हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार जांच-पड़ताल की जाती है तथा निर्णय लिया जाता है।

[हिन्दी]

छावनी बोर्ड को देय सेवा प्रभार

2808. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों के संबंध में छावनी बोर्डों को सेवा प्रभार देय है;

(ख) क्या वायु सेना प्राधिकरण, देवलाली द्वारा 1982 से छावनी बोर्ड को सेवा प्रभारों का भुगतान नियमित रूप से और समय पर किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो वायु सेना प्राधिकरण देवलाली द्वारा छावनी बोर्ड को अपने 25 ई.डी. वायु सेना केन्द्र, दक्षिण देवलाली के लिए कितने सेवा प्रभार का भुगतान किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो सेवा शुल्क का भुगतान न करने वाले और सरकारी सूचनाओं/आदेशों का अनुपालन न करने वाले वायु सेना दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जी, नहीं। वायु सेना प्राधिकारियों द्वारा देवलाली छावनी स्थित उनकी संपत्तियों के संबंध में सेवा प्रभारों के भुगतान का मामला छावनी बोर्ड/महानिदेशक रक्षा सम्पदा द्वारा

संबंधित वायु सेना प्राधिकारियों के साथ भुगतान जारी किए जाने के लिए उठाया जा चुका है।

[अनुवाद]

मिसाईल प्रौद्योगिकी के लिए विदेशी सहायता

2809. **श्री रामजीवन सिंह :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपनी प्रमुख मिसाईल प्रौद्योगिकी के लिए अब भी विदेशी सहायता पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी निर्भरता की प्रकृति कैसी है और किस देश से सहायता प्राप्त की जा रही है; और

(ग) इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अब तक प्रयास किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी सभी महत्वपूर्ण पहलुओं और प्रणाली डिजाइन, एयरोडायनामिक प्रणोदन, नियंत्रण और मार्गदर्शन तथा वारहैडों, आदि में अधिकांशतया आत्मनिर्भर हैं। चुनिंदा उप प्रणालियों में आयातित संघटकों अथवा विदेशी तकनीकी सहायता का उपयोग किया जाता है ताकि विकास में गति लाई जा सके और लागत प्रभावकारिता में सुधार किया जा सके।

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायधीशों के स्वीकृत पद

2810. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायधीशों के कितने स्वीकृत पद हैं और इस समय कितने पद रिक्त हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों के 32 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 8 पद 3.12.2001 को रिक्त थे।

(ख) और (ग) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरा जाना सांविधानिक प्राधिकारियों के बीच एक निरंतर चलने वाली, परामर्शी प्रक्रिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कुछ सिफारिशें प्राप्त हुई हैं, जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

इलैक्ट्रानिक सुरक्षा निगरानी

2811. **श्री के. बलराम कृष्णमूर्ति :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश की सुरक्षा को संभावित खतरे को कम करने के लिए जल, वायु और भूमि पर इलैक्ट्रानिक सुरक्षा निगरानी प्रारंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) देश की निगरानी तथा टोही क्षमताओं में सुधार के लिए सरकार निरन्तर प्रयासरत रहती है। इस संबंध में ब्यौरा देना राष्ट्र हित में नहीं होगा।

अति न्यून मात्रा वाले सल्फर डीजल की बिक्री

2812. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रतिशत-वार अति न्यून मात्रा वाले सल्फर डीजल और साधारण डीजल की कितनी बिक्री होती है;

(ख) .005 प्रतिशत से कम सल्फर की मात्रा वाले डीजल को बनाने में रिफाइनरियों द्वारा कितनी अतिरिक्त लागत वहन की जाती है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में साफ डीजल की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त राशि लेने के आदेश/स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, क्या इस साफ डीजल को उपयोग के लिए पुराने ट्रैक्टरों/कंबाइन पंप सेटों में सुधार की आवश्यकता है और निर्धारित मानकों के अंतर्गत इन वाहनों द्वारा छोड़े गए धुएं को अनुमति सम्मत बनाये जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता तथा

चेन्नई में 0.05 प्रतिशत अधि. सल्फर अंश वाले लो सल्फर डीजल की आपूर्ति की जा रही है। इस किस्म के डीजल की बिक्री देश में डीजल की कुल बिक्री का लगभग 11 प्रतिशत है, शेष 89 प्रतिशत बिक्री 0.25 प्रतिशत अधि. सल्फर डीजल की है।

(ख) रिफाइनरियां 0.005 प्रतिशतता से कम कल्फर अंश वाले डीजल का उत्पादन नहीं कर रही हैं।

(ग) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बेहतर गुणवत्ता वाले डीजल के मूल्यनिर्धारण के संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं दिए हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डीलरशिप समझौतों में विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों की भूमिका

2813. श्री नरेश पुगलिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1998 की रिट याचिका सं. 2876 में प्रथमदृष्टतया: विभिन्न अनियमितताओं के लिए समरूप और उसी प्रकार के दंडों के प्रावधान और निलंबन को टालने के लिए डीलरशिप समझौते के एक भाग के रूप में विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों की महत्ता से संबंधित एक शपथ-पत्र दाखिल किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या डीलर और तेल निगम विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों और इस शपथ-पत्र के तथ्यों के पालन के लिए बाध्य हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस शपथ पत्र के तथ्यों और विपणन अनुशासन उपबंधों का उल्लंघन/इनका पालन न करने से इस संबंध में क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों पर पुन: विचार करने का है जिनमें तेल निगमों ने उपरोक्त तथ्यों और विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उपबंधों का उल्लंघन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुमोदन से तेल कंपनियों द्वारा जारी विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एम.डी.जी.) में दंड कार्रवाई विहित है जो खुदरा बिक्री केन्द्रों पर अनियमितताएं करने वाले डीलरों के विरुद्ध की जा सकती है। दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन तथा अन्यों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में ए.डी.जी. में निहित उपबंधों को 1998 की सीडब्ल्यूपी संख्या 2876 फाइल करके चुनौती दी थी। दिनांक 18.8.1999 के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से उक्त याचिका को खारिज कर दिया गया था। चाचिकाकर्ताओं ने एकमात्र न्यायाधीश के उक्त निर्णय के विरुद्ध एल.पी.ए. संख्या 490/99 दायर की है तथा यह दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सीडब्ल्यूपी संख्या 2876 में दायर शपथ-पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया कि 'तेल कंपनियों तथा डीलरों के बीच संबंध डीलरशिप समझौते द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसके अंतर्गत दोनों पक्षों के लिए अनेक अधिकार एवं दायित्व शामिल है। इस समझौते में यह व्यवस्था है कि विभिन्न कदाचारों/अपराधों के लिए, जिनमें देश के कानून सरकार तथा कंपनी दिशानिर्देशों/अनुदेशों की अवहेलना करना, शामिल है, डीलरशिप को समाप्त किया जा सकता है। सरकारी तेल कंपनियां इस प्रकार के अपराध करने पर उनका समझौता समाप्त नहीं करेंगी तथा बड़े एवं छोटे अपराधों के लिए सजा/दंड के विभिन्न स्तरों की व्यवस्था की गई हैं तथा चूंकि इसी प्रकार के अपराधों के लिए विभिन्न डीलरों के विरुद्ध उनकी कार्रवाई में सुसंगति भी है, सामान्य दिशानिर्देश प्रतिपादित किए गए हैं। तदनुसार, बहुत से अपराधों के लिए डीलरशिप का समापन केवल दूसरी अथवा तीसरी बार में किया जाता है। आमतौर पर छोटे अपराधों के लिए डीलरशिप समाप्त नहीं की जाती है। ये दिशानिर्देश केवल डीलरशिप समझौते के तहत कार्रवाई करने के लिए हैं। अधिनियम/नियंत्रण आदेश में दी गई कोई सजा आपराधिक है तथा यह डीलरशिप समझौते के अधीन की जाने वाली कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है।

समझौते की शर्तों के अनुसार, डीलरों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से पूर्व तेल विपणन कंपनियों को विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों में निहित उपबंधों पर ध्यान देना होता है। इस मामले पर अलग से कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

नई शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों को शुरू करना

2814. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान देश में कितनी नई शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां शुरू की गईं, और उनके प्रारंभिक और गंतव्य स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त अवधि के दौरान इन गाड़ियों में उपलब्ध सुविधाओं में इजाफा किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) पिछले तीन महीनों के दौरान हावड़ा और पटना के बीच एक जोड़ी शताब्दी एक्सप्रेस और 2 जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस, एक नई दिल्ली और रायपुर-बिलासपुर के बीच तथा दूसरी नई दिल्ली और रांची-हटिया के बीच चलाई गई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रेलवे ने एल्सटॉम एल.एच.बी. डिजाइन के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले सवारी डिब्बों को लगाने की योजना बनाई है जिसकी कुछ उन्नत विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

* कम सवारी सूचकांक होने के कारण बेहतर आरामदायक यात्रा।
* गंटीड्रमिंग तथा साउंड इन्सुलेशन मुहैया करके शोर मुक्त यात्रा।
* पर्यावरण के अनुकूल नियंत्रित निकासी वाले प्रसाधन।
* कप्लरों की ऐंटिक्लाइम्बिंग विशेषता तथा अग्निरोधी विशेषता सामग्री के प्रयोग से संवर्धित संरक्षा।
* भोजन और पानी परोसने के लिए प्रत्येक सवारी डिब्बे में एक मिनी पैंट्री की व्यवस्था।
* 160 कि.मी. प्रति घंटा की रफ्तार क्षमता हल्के भार वाली है, अत: ईंधन बचाती है।

नई दिल्ली और लखनऊ के बीच शताब्दी सेवा शीघ्र शुरू किए जाने की संभावना है।

एनरान की डाभोल पावर कम्पनी में कर्नाटक की रुचि

2815. श्री जी.एस. बसवराज : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य विद्युत बोर्ड ने एनरान की डाभोल पावर कंपनी से विद्युत प्राप्त करने की गहरी रुचि दिखायी है;

(ख) यदि हां, तो एनरान की डाभोल पावर कम्पनी से विद्युत प्राप्त करने की संभावित दर के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) कर्नाटक विद्युत पारेषण कारपोरेशन लिमिटेड (के.पी.टी.सी.एल.) ने कमी की अवधि अर्थात् जनवरी-मई के दौरान "लो और भुगतान करो" आधार पर 2.50 रुपये से 2.60 रुपये प्रति यूनिट की दर पर डाभोल विद्युत कम्पनी से 300 मेगावाट तक की विद्युत खरीदने में रुचि प्रकट की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अर्जुन टैंकों का उत्पादन

2816. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अर्जुन टैंकों के उत्पादन के आदेश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) जी, हां।

(ख) 124 एम.बी.टी. अर्जुन टैंकों के निर्माण करने के लिए आयुध निर्माणी बोर्ड को मार्च, 2000 में आदेश दे दिए गए हैं।

नीति निर्मात्री संस्थाओं में प्रवेश से अपराधियों को रोकने के लिए कानून

2817. श्री सईदुज्जमा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीति निर्मात्री संस्थाओं में अपराधियों और ऐसे दूसरे लोगों का प्रवेश रोकने के लिए चुनाव कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) ऐसे लोक निकायों के बारे में संकेत नहीं किया गया है, जिनके बारे में जानकारी मांगी गई है। संसद् और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचनों को शासित करने वाली निर्वाचन विधियां हैं, जो संसद द्वारा बनाई गई हैं। पंचायती राज संस्थाओं जैसे स्थानीय निकायों, शहरी स्थानीय निकायों आदि के निर्वाचनों को शासित करने वाली ऐसी विधियां हैं, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त, विपणन परिसंघों, सहकारी सोसाइटियों, खेल-कूद निकायों आदि जैसी संस्थाएं हैं, जिन्हें लोक निकाय समझा जा सकता है। ये संस्थाएं भी अपनी स्वयं की निर्वाचन विधियों के माध्यम से अपने-अपने विनिश्चय करने वाले निकायों के निर्वाचन कराती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तान की परमाणु परिसंपत्तियां

2818. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान की परमाणु परिसंपत्तियां सुरक्षित हाथों में हैं जैसा कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी सूचना का स्रोत क्या है; और

(ग) भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु परिसंपत्तियों की सुरक्षा को लेकर सूचना के लेन-देन के संबंध में यदि कोई समझौता है तो उसका ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) 30 अक्टूबर, 2001 को नई दिल्ली में एक संगोष्ठी में श्रोताओं की ओर से पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते समय यह कहा गया था कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग परमाणु शस्त्रागार के प्रभारी अधिकारी हैं वे जिम्मेदार लोग हैं इसलिए वे ऐसे हथियारों को गलत हाथों में नहीं पड़ने देंगे।

(ग) भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा कोई करार नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

रीवा और दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा

2819. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को रीवा और दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा शुरू करने के लिए कोई ज्ञापन/पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त रेल सेवा को कब तक शुरू करने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जांच की गई परन्तु इस समय परिचालनिक कठिनाई तथा संसाधन की तंगी के कारण व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

वर्ष 1998 से नियुक्त आयोग

2820. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा :
श्री आर.एस. पाटील :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :
श्री जी.एस. बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री विनय कुमार सोराके :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 से नियुक्त आयोगों (जांच और कल्याण) की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने आयोग स्थायी/अस्थाई हैं;

(ग) ऐसे आयोगों पर प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय की जाती हैं;

(घ) इन आयोगों से कितनी रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं; और

(ङ) कार्यान्वयन के लिए कितनी रिपोर्टों पर विचार किया गया?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पवन ऊर्जा मिलों के पुनरुद्धार के लिए धन

2821. **श्री राम सिंह कस्वां :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पुरानी पनबिजली परियोजनाओं, जल मिलों एवं पवन मिलों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य हेतु धन उपलब्ध कराने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय पुरानी लघु पनबिजली परियोजनाओं के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और पनचक्कियों के विकास व उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु दो योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। योजना के अनुसार, मंत्रालय पुरानी लघु पनबिजली परियोजनाओं के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों के लिए अधिकतम 2 करोड़ रु. प्रति मेगावाट तक की सहायता उपलब्ध करा रहा है। पनचक्कियों के विकास व उन्नयन के लिए मंत्रालय एक मैकेनिकल-सह-विद्युत उत्पादन करने वाली पनचक्की के लिए अधिकतम 60,000 रु. तक की सहायता उपलब्ध करा रहा है। पुरानी पवन चक्कियों के पुनर्निमाण व मरम्मत कार्य के लिए मंत्रालय कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करा रहा है।

(ग) इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान 4.96 करोड़ रु. और वर्ष 2000-01 के दौरान 2.14 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई थी।

कच्चे तेल के भंडार और उनका उत्पादन

2822. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री बृजलाल खाबरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन किया गया;

(ख) इस अवधि के दौरान सरकार ने कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितनी राशि व्यय की है;

(ग) वर्तमान में देश में तेल भंडारों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश में तेल के और भंडारों की खोज करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) गत 3 वर्षों के दौरान देश में तेल उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

तेल उत्पादन (मिलियन मीटरी टन)

1998-99	1999-2000	2000-2001
32.72	31.95	32.43

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान तेल उत्पादन पर हुआ व्यय निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपये में)

1998-99	1999-2000	2000-01
5917.08	6818.94	7243.08

(ग) देश में राज्यवार तेल भंडारों का विवरण (मिलियन मीटरी टन में:

गुजरात	-	142.98
असम	-	160.12
नागालैंड	-	2.69
आंध्र प्रदेश	-	1.52
तमिलनाडु	-	3.23
अरुणाचल प्रदेश	-	4.84
राजस्थान	-	2.19

(घ) और (ङ) देश में तेल और गैस के अन्वेषण तथा उत्पादन के क्षेत्र में और अधिक निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने 1999 में अधिक आकर्षक शर्तों और निबंधनों के साथ नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति का कार्यान्वयन किया है और निजी तथा राष्ट्रीय तेल कंपनियों को समान व्यापार क्षेत्र उपलब्ध कराया है। एन.ई.एल.पी. के पहले दो चक्रों में विभिन्न कंपनियों के साथ अभी तक 47 ब्लाकों के लिए संविदाएं हस्ताक्षरित की गई हैं। ओ.एन.जी.सी. और ओ.आई.एल. भी स्वयं को नामांकन आधार पर आबंटित क्षेत्रों में अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियां चला रही है।

[अनुवाद]

मल्टीमॉडल रेल-प्रणाली

2823. श्री बी. वेंकटेस्वरलु :
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 50-50 प्रतिशत भागीदारी आधार पर हैदराबाद और सिकन्दराबाद मल्टीमॉडल रेल-प्रणाली (एम.आर.टी.एस.) संबंधी परियोजना का कार्यान्वयन करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार और ''भारतीय रेल'' के बीच 25 सितम्बर, 2000 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने वर्ष 2000-2001 के अपने बजट में इस परियोजना के लिए अपने हिस्से की 38 करोड़ रु. की धनराशि पहले ही जारी कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या ''भारतीय रेल'' के हिस्से की धनराशि जारी करने की मंजूरी अभी लंबित है;

(घ) यदि हां, तो रेल विभाग के हिस्से की राशि जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(च) ''भारतीय रेल'' अपनी हिस्से की धनराशि कब तक जारी कर देगा; और

(छ) यह परियोजना कब तक चालू हो जायेगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) व्यापक मल्टीमॉडल उपनगरीय यात्री परिवहन प्रणाली के भाग के रूप में हैदराबाद शहर में उपनगरीय रेल अवसंरचना और सेवाओं को मजबूत करने के लिए रेल मंत्रालय और आन्ध्र प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे।

(ख) जी हां।

(ग) से (च) इस परियोजना को आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सी.सी.ई.ए.) द्वारा अनुमोदित किया गया है और रेल मंत्रालय द्वारा इसके लिए बिना बारी के धन उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना को नवम्बर 2001 में 2001-02 की अनुदान की अनुपूरक मांगों में शामिल कर लिया गया है। इस परियोजना के लिए धन रिलीज करने की अगली कार्रवाई संसद द्वारा इसे पारित किए जाने के बाद की जाएगी।

इस संदर्भ में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें रेलवे बजट 2001-02 में पर्याप्त निधि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।

(छ) निर्धारित रेल अवसंरचना विकास की इस परियोजना को नवम्बर, 2002 तक पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

सेवाओं में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां व अन्य पिछड़े वर्ग

2824. श्री शमशेर सिंह दूलो : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी, 1988 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59% है (अनुसूचित जातियां-10.38% और अनुसूचित जनजातियां-3.21% है) और द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% है (अनुसूचित जातियां-11.73% और अनुसूचित जनजातियां-2.68%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% है;

(ख) यदि हां, तो विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के अधीन प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा-5 के अनुसार

इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) तारीख 1.1.1998 को केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह 'क' सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 14.24% था (अनुसूचित जाति-10.8% और अनुसूचित जनजाति-3.44%) और समूह 'ख' सेवाओं में यह 15.37% था (अनुसूचित जाति-12.35% और अनुसूचित जनजाति 3.02%)।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

देश में विद्युत की मांग

2825. श्री साहिब सिंह : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत क्षेत्र को ग्रसित कर रही समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने कोई सात-सूत्रीय कार्यसूची बनाई है;

(ख) यदि हां, तो ये समस्याएं वर्तमान में किस रूप में विद्यमान हैं और इनका वित्तीय आयाम क्या हैं;

(ग) देश में इस समय कितनी विद्युत की आवश्यकता है और वर्ष 2005 तथा 2010 तक इसकी प्रत्याशित आवश्यकता की तुलना में प्रत्याशित उपलब्धता कितनी रहने का अनुमान है; और

(घ) विद्युत की अतिरिक्त मात्रा को उचित लागत पर किन-किन स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) 3 मार्च, 2001 को मुख्य मंत्रियों/विद्युत मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में निम्नांकित संकल्प किए गए:

(1) सन् 2007 तथा 2012 तक क्रमश: सभी गांवों व परिवारों के विद्युतीकरण को पूरा करना।

(2) वितरण सुधार करना।

(3) राज्य विद्युत नियामक आयोगों को कार्यकारी बनाना और राज्यों की भुगतान क्षमता के अनुसार उन्हें सब्सिडी देना।

(4) नई उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और नवीकरण व आधुनिकीकरण के जरिए मौजूदा संयंत्रों के पी.एल.एफ. में वृद्धि करना।

(5) ऊर्जा संरक्षण और मांगपक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

(6) सुधारों आदि के लिए राज्यों को भारत सरकार की सहायता।

(7) सुधारों की समीक्षा, मानीटरिंग व समन्वयन के लिए विद्युत मंत्री और कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों को शामिल करके उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त दल का गठन करना।

इस समय (31.10.2001 के अनुसार) देश में 74,226 मेवा (व्यस्ततमकालीन मांग) विद्युत की जरूरत है। 16वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 2004-05 के दौरान व्यस्ततम काल में अनुमानित मांग 1,02,160.8 मेवा होगी और 11वीं योजना (2011-12) के अंत तक यह 1,57,107 मेवा होगी। 16वें इपीएस के अनुमानों के आधार पर मांग पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए सन् 2012 तक अनुमानत: 1,00,000 मेवा क्षमता की जरूरत होगी। 10वीं योजना में योजना आयोग द्वारा गठित विद्युत संबंधी कार्यदल ने 46,939 मेवा अतिरिक्त संभावित क्षमता वृद्धि का अनुमान लगाया है, इसमें 17,311 मेवा हाइड्रो, 28328 मेवा थर्मल तथा 1300 मेवा न्यूक्लियर शामिल है। 11वीं योजना के दौरान क्षमता संवृद्धि 62,000 मेवा होने का अनुमान है। 10वीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्यदल ने 10वीं योजना के लिए कुल 5,66,000 करोड़ निधि जरूरत का अनुमान लगाया है।

गैर-पारंपरिक स्रोतों के अलावा 10वीं व 11वीं योजनाओं में हाइड्रो, थर्मल (गैस समेत) तथा न्यूक्लियर स्रोतों से अतिरिक्त बिजली उपलब्ध होगी। इस प्लान माडल द्वारा निष्पादित क्षमता संवृद्धि कार्यक्रमों में विद्युत उत्पादन के लागत मानदण्डों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

[हिन्दी]

अहमदाबाद में उच्च न्यायालय

2826. श्री मानसिंह पटेल :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अहमदाबाद में उच्च न्यायालय-भवन के निर्माण के संबंध में गुजरात सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव का अनुमोदन न किए जाने के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी नहीं।

(ख) गुजरात उच्च न्यायालय के नए भवन का निर्माण पहले ही शोला, अहमदाबाद में राज्य सरकार की निधियों, न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास से संबंधित केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन निधियों और योजना आयोग द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से किया जा चुका है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण

2827. डा. मन्दा जगन्नाथ : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68% (अनुसूचित जातियां-08.41% और अनुसूचित जनजातियां-2.27%) है और द्वितीय श्रेणी सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व केवल 13.20% (अनुसूचित जातियां-09.68% और अनुसूचित जनजातियां-3.52%) है जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों/उद्यमों/सांविधिक संगठनों/निगमों, स्वायत संगठनों सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के तहत प्रथम श्रेणी समूह (क) और द्वितीय श्रेणी समूह (ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के तहत अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) तारीख 1.1.1996 को केन्द्रीय पब्लिक सैक्टर उद्यमों में समूह क और ख पदों के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार था:

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों की संख्या	अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजातियों की संख्या	अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत
समूह 'क'	1,98,625	16,710	8.41%	4,505	2.27%
समूह 'ख'	1,64,402	15,921	9.68%	5,788	3.52%

(ख) और (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

'फास्ट ट्रैक' अदालतें

2828. श्री जे.एस. बराड़ : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्वरित गति से काम निपटाने वाली 'फास्ट ट्रैक' अदालतों ने कामकाज शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय राज्यवार ऐसी कितनी अदालतें काम कर रही हैं और राज्यवार कुल कितनी अदालतें स्थापित की जानी हैं;

(ग) इन अदालतों में विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने व्यक्तियों को नियुक्त किये जाने की संभावना है; और

(घ) इन अदालतों द्वारा वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान कितने लंबित मामलों का निपटारा किये जाने की उम्मीद है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अधिकथित सन्नियमों के अनुसार प्रत्येक त्वरित निपटान न्यायालय में एक पीठासीन न्यायाधीश, एक पेशकार/अहलमद, एक आशुलिपिक और एक चपरासी नियुक्त किया जाएगा।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 अक्तूबर, 2001 तक 16,066 मामलों को निपटाया गया है। हालांकि मामलों की कोई निश्चित संख्या तो नहीं बताई जा सकती किंतु प्रत्येक न्यायालय से हर मास में 14 सेशन मामले या 20 से 25 अन्य दांडिक/सिविल मामले निपटाने की आशा की जाती है।

विवरण

देश में गठित किए जाने वाले और पहले से ही कार्य कर रहे न्यायालयों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	गठित किए जाने वाले न्यायालयों की संख्या	कार्य कर रहे न्यायालयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	86	25
2.	अरूणाचल प्रदेश	5	–
3.	असम	20	15
4.	बिहार	183	37
5.	छत्तीसगढ़	31	11
6.	गोवा	5	–
7.	गुजरात	166	–
8.	हरियाणा	36	–
9.	हिमाचल प्रदेश	9	–
10.	जम्मू-कश्मीर	12	40
11.	झारखंड	89	–
12.	कर्नाटक	93	8
13.	केरल	37	1
14.	मध्य प्रदेश	85	64
15.	महाराष्ट्र	187	94
16.	मणिपुर	3	2
17.	मेघालय	3	–
18.	मिजोरम	3	–
19.	नागालैंड	3	–
20.	उड़ीसा	72	17
21.	पंजाब	29	–
22.	राजस्थान	83	40
23.	सिक्किम	3	–
24.	तमिलनाडु	49	–
25.	त्रिपुरा	3	2
26.	उत्तरांचल	45	30
27.	उत्तर प्रदेश	242	150
28.	पश्चिमी बंगाल	152	6
	कुल	1734	542

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत आपूर्ति

2829. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार आन्ध्र प्रदेश को विद्युत आपूर्ति की 20 प्रतिशत कमी का सामना करना पड़ रहा है जो भारत में तीसरी बड़ी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से आन्ध्र प्रदेश को और अधिक विद्युत जारी करने का अनुरोध किया है ताकि राज्य के किसानों और अन्य उपभोक्ताओं की मांगों को पूरी तरह से पूरा किया जा सके?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) अप्रैल-अक्तूबर, 2001 की अवधि के दौरान

आंध्र प्रदेश में ऊर्जा की कमी और व्यस्ततम कमी क्रमश: 9.3% और 17.6% थी। अप्रैल-अक्तूबर, 2001 की अवधि के दौरान राज्य में तीसरी बार उच्चतम व्यस्ततमकालीन कमी हुई है।

राज्य सरकार के अनुरोध पर आंध्र प्रदेश के पक्ष में 30 सितम्बर, 2001 तक के लिए राजस्थान ऑटोमिक पावर स्टेशन यूनिट सं. 4 से 33 मेगावाट का आवंटन किया गया है और केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों के अनावंटित कोटे से आवंटन को 40% से बढ़ाकर 54% किया गया है। आंध्र प्रदेश द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत गजुवाका एचवीडीसी लिंक के जरिए पूर्वी क्षेत्र के स्टेशनों से 200-210 मेगावाट तथा अपर सिलेरू बालीमेला 220 के.वी. लिंक के जरिए और 150-160 मेगावाट विद्युत प्राप्त करता है। तथापि, अक्तूबर, 2001 में आंध्र प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर्याप्त वर्षा के कारण सुधरी है जिससे जल विद्युत उत्पादन अधिक हुआ है और मांग में कमी आई है। इसे मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने अक्तूबर और नवम्बर, 2001 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र तथा उड़ीसा से अपनी हकदारी की पूर्ण विद्युत की निकासी नहीं की है।

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की रिक्तियों का आरक्षण

2830. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 25 अप्रैल, 1989 के डी.ओ.पी.टी. ज्ञापन संख्या 36012/6/88 आरक्षण (एस.सी.टी.) के जरिये 1 अप्रैल, 1989 से अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के लिए आरक्षित रिक्तियां/पद बड़ी संख्या में अनारक्षित किए जा रहे हैं और अन्य द्वारा भरे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त/सांविधिक संगठनों, सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में उन उदाहरणों के ब्यौरे क्या हैं जिनमें 1 अप्रैल, 1989 से लेकर अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के लिए आरक्षित पदों को अनारक्षित किया गया तथा उन्हें अन्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा भरा गया?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

2831. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68% (अनुसूचित जातियां-08.41% और अनुसूचित जनजातियां-2.27%) है और द्वितीय श्रेणी सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व केवल 13.20% (अनुसूचित जातियां 09.68% और अनुसूचित जनजातियां 3.52%) है जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों/उद्यमों/सांविधिक संगठनों/निगमों, स्वायत्त संगठनों सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के तहत प्रथम श्रेणी (समूह 'क') और द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के तहत अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

यात्री रेलगाड़ियों की बारंबारता

2832. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री अनन्त नायक :
श्री त्रिलोचन कानूनगो :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रात:काल एवं सायंकाल के दौरान प्रतिदिन आगरा, मथुरा, कोसी, होडल, पलवल, फरीदाबाद और दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों के लिए रेलगाड़ियों की बारंबारता क्या है;

(ख) क्या यात्रियों को जारी किए गए टिकटों का अनुपात रेलगाड़ियों की संख्या से मेल खाता है;

(ग) यदि नहीं, क्या ताज ट्राइपेजियम के कारण औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के यात्रियों की दशा में सुधार लाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त स्थानों के लिए रेलगाड़ियों की बारंबारता में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) और (ख) फिलहाल आगरा, मथुरा, कोसी, होडल, पलवल, बल्लबगढ़, फरीदाबाद और दिल्ली के बीच दैनिक यात्रियों के लिए अन्य मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के अलावा 16 जोड़ी ई.एम.यू. गाड़ियां, एक जोड़ी परम्परागत पैसेंजर, एक जोड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ियां उपलब्ध है। ये सेवाएं इस खण्ड के दैनिक यात्रियों के मौजूदा स्तर के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं।

(ग) से (ङ) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण आगरा-मथुरा-कोसी-होडल-पलवल-फरीदाबाद-दिल्ली के बीच अतिरिक्त गाड़ियां शुरू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

अधिवक्ताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कल्याणकारी योजना

2833. श्री वैको :
श्री पी.सी. थामस :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय स्तर पर अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजना आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कल्याणकारी योजना कब तक पूरी तरह लागू होगी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (घ) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 पहले ही अधिनियमित किया जा चुका है और इसे 1.11.2001 से प्रवृत्त कर दिया गया है।

(ख) अधिवक्ता कल्याण निधि का उपयोग निधि के किसी सदस्य को उसकी गंभीर स्वास्थ्य समस्या की दशा में अनुग्रह अनुदान राशि देने, व्यवसाय बंद हो जाने पर उसे एक नियत राशि का संदाय करने और सदस्य की मृत्यु की दशा में उसके नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी को एक नियत राशि का संदाय करने, सदस्यों और उनके आश्रितों को चिकित्सीय तथा शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने, पुस्तकें क्रय करने और अधिवक्ताओं के लिए सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा।

(ग) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 की धारा 18 में अधिवक्ता कल्याण निधि के सदस्यों के रूप में अधिवक्ताओं के प्रवेश के लिए उपबंध है।

अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों को भरा जाना

2834. श्री बृजलाल खाबरी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) (ख) के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 को स्थिति के अनुसार अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों के भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर उनके मंत्रालय में डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में पता लगाई गयी बकाया अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान, पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियों/पदों का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आकाशवाणी केन्द्र

2835. श्री के. येरननायडू : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के सभी आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या कितनी है और गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक केन्द्र पर हुआ खर्च एवं वर्ष 2001-2002 हेतु नियत धनराशि राज्यवार कितनी है;

(ख) क्या सरकार के पास सरकार के भारी व्यय में कमी लाने हेतु आकाशवाणी को आत्मनिर्भर बनाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आकाशवाणी के अधिकतर कार्यक्रमों के श्रोताओं की संख्या काफी कम है और संसाधनों की तुलना में कर्मचारियों की संख्या का अनुपात ज्यादा है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय आरंभ किए जा रहे हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसका औचित्य क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) जी, हां। प्रसार भारती इंदिरा गाधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय/निजी प्रसारकों को लाइसेंस शुल्क आधार पर अपनी आधारभूत सुविधा देकर, टर्न-की परामर्श, स्थापना सेवाएं और अभिलेखीय सामग्री आदि उपलब्ध करा कर राजस्व अर्जित करने का प्रयास कर रहा है।

(घ) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रादेशिक सेना

2836. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कर्मचारी प्रादेशिक सेना में जाने में रुचि ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार प्रादेशिक सेना में कितने कार्मिक सेवारत हैं;

(ग) क्या सरकार प्रादेशिक सेना में पेंशन के लिये न्यूनतम सेवा अवधि 20 वर्ष से कम करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) सरकारी कर्मचारी प्रादेशिक सेना की कुल नफरी का 3.23% हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सम्पत्ति कानून में संशोधन

2837. श्री अनन्त गुढ़े: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महिलाओं के पक्ष में उत्तराधिकार संबंधी संपत्ति कानूनों में संशोधन करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है कि महिलाओं को उत्तराधिकार में अपने भाइयों के बराबर संपत्ति अधिकार मिले; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) महिलाओं के संपत्ति अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 और विभिन्न समुदायों से संबंधित अन्य स्वीय विधियों द्वारा शासित होते हैं। जहां तक हिन्दू महिलाओं के संपत्ति अधिकारों का संबंध है, "हिन्दू महिलाओं के संपत्ति अधिकार- प्रस्तावित सुधार" संबंधी विषय पर भारत के विधि आयोग की 174वीं रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को इस विषय में उनकी राय मांगते हुए पत्र लिखे हैं।

(घ) कुछ राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने सरकार द्वारा लिखे गए पत्र का उत्तर दे दिया है और सरकार अधिकांश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भेजे गए उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् इस विषय में विचार करेगी।

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन, आयात और निर्यात

2838. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम पदार्थों का मदवार, मूल्यवार तथा वजनवार कितना अनुमानित उत्पादन, आयात व निर्यात होने की संभावना है; और

(ख) गत दो वर्षों में तत्संबंधी वास्तविक आंकड़े क्या हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख)

क. उत्पादन

वर्ष	मिलियन मीट्रिक टन में (मि.मी.ट)	
	कच्चा तेल	पेट्रोलियम उत्पाद
1999-2000	31.95	82.94
2000-01	32.43	99.58
2001-02 (अनुमानित)	32.50	106.02

ख. आयात और निर्यात

		कच्चा तेल		पेट्रोलियम उत्पाद	
		प्रमात्रा (एमएमटी)	मूल्य (करोड़ रु.)	प्रमात्रा (एमएमटी)	मूल्य (करोड़ रु.)
1999-2000	आयात	57.81	40,028	16.61	14,185
	निर्यात	-	-	0.75	698
2000-01	आयात	74.10	65,932	9.27	12,093
	निर्यात	-	-	8.37	7,672
2001-02	आयात	80.40	67,600	4.96	5,937
(अनुमानित)	निर्यात	-	-	8.72	7,684

अलगाववादी कार्यवाहियों का मुकाबला करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका

2839. श्री के. बलराम कृष्णमूर्ति:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री चंद्रनाथ सिंह:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर तथा जम्मू कश्मीर में प्रादेशिक सेना अलगाववादी कार्यवाही का मुकाबला करने में किस प्रकार सहायता कर रही है;

(ख) जम्मू कश्मीर में प्रादेशिक सेना की कितनी इकाईयां तैनात की गई हैं;

(ग) क्या अशांत सीमाओं तथा अलगाववादी समस्याओं के मद्देनजर प्रादेशिक सेना की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) और (ख) प्रादेशिक सेना यूनिटें मुख्यत: नियमित सैन्य यूनिटों की स्थैतिक सुरक्षा कार्यों से राहत दिलाने के वास्ते आतंकवाद प्रतिरोधी क्षेत्र में तैनात की गई हैं। जम्मू और कश्मीर में प्रादेशिक सेना की नौ इंफैन्ट्री बटालियनों को तैनात किया गया है।

(ग) और (घ) यद्यपि इस समय प्रादेशिक सेना की समग्र नफरी में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, इस संगठन की पुनर्रचना करने के बारे में कतिपय उपाय पहले से ही प्रारंभ किए गए हैं।

डी.वी.सी. प्रधान कार्यालय का स्थानांतरण

2840. प्रो. ए.के प्रेमाजम: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.) के प्रधान कार्यालय को कलकत्ता से हटाकर रांची में स्थापित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) और (ख) झारखंड सरकार ने अनुरोध किया है कि डीवीसी के मुख्यालय को रांची स्थानांतरित कर दिया जाए क्योंकि डीवीसी के अधिकांश प्रचालन-क्षेत्र झारखंड राज्य में आते हैं।

एसकेओ डीलरों द्वारा अर्जित लाभ/कमीशन

2841. डा. रमेश चंद तोमर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आर्थिक रूप से व्यवहार्य समझी जाने वाली बिक्री, 75 केएलएस प्रतिमाह की बिक्री पर एसकेओ डीलर द्वारा कुल कितना सकल लाभ/कमीशन अर्जित किया गया;

(ख) क्या इन डीलरों का कमीशन तथा उनके जीवन-यापन के लिए निवल आय पर निर्णय करने के लिए लागत तत्वों पर मूल्य-वार विचार किया जाता है;

(ग) क्या उन्हें निवल हानि अथवा नगण्य लाभ हो रहा है और इस प्रणाली को विकसित करने के लिए क्या कारण/औचित्य है;

(घ) क्या ऐसे डीलर कदाचार के द्वारा जीविकोपार्जन करने के लिए विवश होते हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) एसकेओ डीलरों द्वारा प्रतिमाह 75 कि.ली. की बिक्री पर अर्जित सकल कमीशन निम्नवत है:

(1) फार्म 13 में लाइसेंसधारी डीलर: 12,675/- रु. प्रतिमाह

(2) फार्म 13 के अलावा लाइसेंसधारी डीलर: 9,450/- रु. प्रतिमाह

(ख) एसकेओ डीलर कमीशन में निम्नलिखित लागत तत्वों को ध्यान में रखा जाता है:

(1) पूंजी निवेश पर प्रतिफल

(2) उपकरण में अतिरिक्त निवेश पर प्रतिफल (फार्म 13 में लाइसेंसधारी डीलरों पर लागू)

(3) कार्यशील पूंजी पर प्रतिफल

(4) प्रचालन लागत

(5) उत्पाद हानि।

(ग) एसकेओ डीलरों द्वारा कोई शुद्ध हानि या नगण्य लाभ अर्जन नहीं हुआ है क्योंकि कमीशन में उक्त (ख)में बताए गए लागत तत्वों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उक्त (ग) और (घ) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता। एसकेओ डीलर कमीशन सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

[हिन्दी]

फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना में विलम्ब

2842. श्री जय प्रकाश: क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ राज्य सरकारें फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करने में विलम्ब कर रहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) नई दिल्ली में हाल ही में हुए राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विधि और गृह सचिवों के अखिल भारतीय स्तर के सम्मेलन में इस संबंध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया रही; और

(घ) 30 सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए ऐसे न्यायालयों का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों को ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा यथा परिकल्पित त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना करने के लिए समय-समय पर कहा जा रहा है।

(ग) नई दिल्ली में 30 अक्तूबर, 2001 को हुए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधि और गृह सचिवों के अखिल भारतीय स्तर के सम्मेलन में राज्यों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहवर्धक थी।

(घ) 30 सितंबर, 2001 को उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए त्वरित निपटान न्यायालयों का जिलावार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

30 सितंबर, 2001 को उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए जिलावार त्वरित निपटान न्यायालय

क्र.सं.	जिला	त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	5
2.	अलीगढ़	5
3.	इलाहाबाद	5
4.	आजमगढ़	5
5.	बांदा	5
6.	बाराबंकी	5
7.	बदायूं	5
8.	बुलंदशहर	5
9.	देवरिया	5
10.	एटा	5
11.	इटावा	5
12.	फैजाबाद	5
13.	कानपुर (ग्रामीण)	5
14.	फिरोजाबाद	5
15.	गाजियाबाद	5
16.	गाजीपुर	5
17.	गोंडा	5
18.	गोरखपुर	5
19.	हरदोई	5
20.	जौनपुर	5
21.	कानपुर	5
22.	खीरी	5
23.	लखनऊ	5
24.	मथुरा	5
25.	मेरठ	5
26.	मुरादाबाद	5
27.	मुजफ्फरनगर	5
28.	प्रतापगढ़	5
29.	रायबरेली	5
30.	सहारनपुर	5
31.	शाहजहांपुर	5
32.	सीतापुर	5
33.	सुल्तानपुर	5

1	2	3
34.	वाराणासी	5
35.	गौतम बुद्ध नगर	5
36.	फतेहपुर	4
37.	रामपुर	3
	योग	182

[अनुवाद]

खतरे से निपटने हेतु विधि आयोग की सिफारिशें

2843. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विधि आयोग ने पड़ोसी देशों के विदेशियों के गैर-कानूनी ढंग से भारत में प्रवेश करने के खतरे से निपटने हेतु कड़े उपायों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न सिफारिशों पर क्या कार्यवायी की गई है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी हां।

(ख) विधि आयोग की मुख्य शिफारिशों में आप्रवास अधिकरणों की स्थापना, विशेष न्यायालयों की स्थापना और भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों का पता लगाने और उनके निवासन के लिए पृथक आप्रवास काडर का सृजन किया जाना सम्मिलित है।

(ग) विधि आयोग की सिफारिशों पर गृह मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था। यह महसूस किया गया था कि इन सिफारिशों से सरकार को भारत में विदेशियों के अवैध रूप से प्रवेश के खतरे को समाप्त करने में सहायता मिलने की संभावना नहीं है और इस प्रकार विद्यमान दंड को पांच वर्ष से बढ़ाकर आठ वर्ष के कारावास तक करने का उपबंध करने के लिये विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 14 का संशोधन करने के गृह मंत्रालय के मूल प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का विनिश्चय किया गया है। जिससे कि अधिनियम के उल्लंघन के मामलों को सैशन न्यायालय द्वारा विचारणीय बनाया जा सके।

अधिकारियों का विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण

2844. श्री रामजीलाल सुमन: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों की शैक्षणिक, प्रबंधकीय तकनीकी और प्रशासनिक क्षमताओं में सुधार लाने के लिए उन्हें प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण देने हेतु चयनित/प्रायोजित/नामनिर्दिष्ट/प्रतिनियुक्त करती है जहां कुछ मामलों में ऐसे प्रशिक्षण की लागत प्रायोजक देशों/एजेन्सियों द्वारा द्विपक्षीय/अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अन्तर्गत वहन की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत मंत्रालय के वर्षवार कितने लोगों को अल्पकालीन/दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ों वर्गों के व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनकी प्रतिशतता क्या है;

(घ) संविधान के अनुच्छेद 46 के अन्तर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार, ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं; और

(ङ) यदि कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं तो संविधान के उक्त निदेशों की अपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) विद्युत क्षेत्र के अधिकारियों को उनके तकनीकी कार्यों में दक्षता लाने के लिए विभिन्न देशों में द्विपक्षीय एवं परियोजना से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत भाग लेने के लिए समय-समय पर विदेशों में प्रतिनियुक्त किया जाता है। कुछ विशिष्ट सेवाओं/श्रेणियों से संबंधित केन्द्रीय कर्मचारी योजना के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी जैसे आई.ए.एस., पीसीएस, राज्य सिविल सेवा एवं ऑल इंडिया सर्विस एवं केन्द्रीय सेवा के समूह ''क'' श्रेणी के अन्य दो अधिकारियों को इंडो-आस्ट्रेलियन ट्रेनिंग एवं क्षमता निर्माण योजना, जापान एवं फ्रान्स सरकार के तकनीकी सहयोग के अंतर्गत आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी विदेशों में नामित किया जाता है।

विदेशो में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिकारियों के वर्ग, निर्धारित पात्रता मानदण्ड को पूरा किए जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपयुक्तता, अधिकारी द्वारा संभावित किए जा रहे कामों के साथ प्रशिक्षण की सुसंगता आदि मदों को मद्देनजर रखते हुए अ.जा./अ.ज. जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित अधिकारियों के आवेदनों/नामांकनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर उनका समुचित प्रतिनिधित्व रखते हुए प्रशिक्षणार्थियों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाता है। विद्युत मंत्रालय से भेजे गए कार्मिकों की संख्या जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित अल्पकालिक/ दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है तथा उनमें से अ. जाति, अ.ज. जाति व अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों की संख्या सहित उनकी प्रतिशतता का विवरण एकत्रित किया जा रहा है तथा उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

चेन्नई में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ

2845. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चेन्नई में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को वर्ष 1999 में उच्चतम न्यायालय द्वारा ठुकरा दिए जाने के बाद वहां इसे स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार चेन्नई में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए संविधान संशोधन करने का है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय के दिल्ली स्थित प्रधान स्थान से दूर इसकी न्यायपीठ की स्थापना के संबंध में, अनेक अवसरों पर भारत के उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ के विरोध को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस संबंध में कोई सांविधानिक संशोधन लाने का प्रस्ताव नहीं।

[हिन्दी]

कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि

2846. डा. सुशील कुमार शिंदे:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में देश में घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान कच्चे तेल का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान नए तेल उत्पादन क्षेत्रों द्वारा किये गये उत्पादन का ब्यौरा क्या है और उनकी क्षमता कितनी है; और

(घ) क्या वर्ष 2001-2002 के दौरान कच्चे तेल के कुल उत्पादन का आकलन किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान लक्ष्यों की तुलना में कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आई थी। तथापि, वर्ष 2000-01 में यह रुझान पलट सकता है। इस संबंध में ब्यौरे निम्नवत हैं:

वर्ष	तेल उत्पादन मिलियन मीट्रिक टन में (मि.मी.ट.)	
	लक्ष्य	वास्तविक
1998-99	34.77	32.70
1999-2000	33.05	31.93
2000-2001	31.96	32.43

(ग) विगत तीन वर्षों में आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) तथा आयल इंडिया लि. (ओआईएल) के नए क्षेत्रों से कच्चे तेल का कुल उत्पादन निम्नवत रहा:

वर्ष	उत्पादन (मि.मी.ट.)		
	ओएनजीसी	ओआईएल	योग
1998-99	0.16	0.28	0.44
1999-2000	0.18	0.60	0.78
2000-2001	0.31	0.60	0.91

ओएनजीसी के नए क्षेत्रों की निर्धारित संभाव्यता/ क्षमता लगभग 800 टन प्रतिदिन है। ओआईएल के नए तेल क्षेत्रों का उत्पादन उनकी संभाव्यता के अनुसार है।

विगत तीन वर्षों में निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा किसी नए क्षेत्र से उत्पादन नहीं किया गया।

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान कच्चे तेल का संभावित उत्पादन 32.5 मि.मी.ट. है।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए नियम

2847. श्री मानसिंह पेटल:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए नियम क्या है;

(ख) क्या दक्षिणी गुजरात में गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्र में अभी तक यह खंडपीठ स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जसवंत सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किसी उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान से दूर उसकी न्यायपीठ की स्थापना के औचित्य और वांछनीयता के प्रश्न का विनिश्चिय करते समय अनुपालन किए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों और मानदंड तथा उक्त न्यायपीठ के स्थान का चयन करने में ध्यान में रखे जाने वाली बातों का सुझाव दिया है। आयोग की रिपोर्ट को तारीख 15.10.86 को संसद् पुस्तकालय में रख दिया गया था और तारीख 20.4.87 तथा तारीख 21.4.87 को क्रमशः राज्य सभा और लोक सभा के पटल पर रख दिया गया था, जिसको देखा जा सकता है। किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ आरंभ करने के प्रश्न पर केंद्रीय सरकार द्वारा इन सिद्धांतों और मानदंडों को ध्यान में रखते हुए तभी विचार किया जाता है जब राज्य सरकार से, संबंधित उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायमूर्ति के परामर्श से, कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है।

(ख) और (ग) किसी उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान से दूर उसकी न्यायपीठ की स्थापना करने के विषय पर संबंधित राज्य सरकार से, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जाता है। दक्षिणी गुजरात में, गुजरात उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित किए जाने के संबंध में कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

स्मारकों का रखरखाव

2848. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कई गौरवशाली ऐतिहासिक स्मारकों के रखरखाव/देख-रेख के लिए कोई अभियान चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्मारकों के नाम क्या हैं जिनकी मरम्मत की जानी है;

(घ) स्मारक-वार उक्त उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) उक्त अभियान कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का यह सतत प्रयास है कि 3606 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों को संरक्षण की उचित स्थिति में रखा जाए। नियमित रखरखाव के अतिरिक्त, स्मारकों की वास्तविक आवश्यकताओं को देखते हुए, उनका संरक्षण पुरातत्वीय मानदंडों के अनुसार किया जाता है जो कुल मिलाकर संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होता है।

(घ) देश में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के रखरखाव संरक्षण तथा विकास हेतु आवंटित धन तथा व्यय निम्न प्रकार है:

वर्ष	बजट व्यवस्था (लाख रुपयों में)	व्यय लाख रुपयों में
98-99	2930.00	2913.09
99-2000	3016.00	2873.50
2000-01	2948.00	2917.45
2001-02 (व्यवस्था)	4935.00	-

(ङ) संरक्षित स्मारकों का अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र और दिल्ली में रसोई गैस एजेंसियां

2849. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र और दिल्ली में कितनी रसोई गैस एजेंसियां हैं;

(ख) क्या सरकार का अगले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र और दिल्ली में और अधिक रसोई गैस एजेंसियां खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो नई एजेंसियां कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) इस समय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) महाराष्ट्र में 769 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा दिल्ली में 301 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रही हैं।

(ख) से (घ) तेल विपणन कंपनियों की विभिन्न विपणन योजनाओं के तहत महाराष्ट्र में 238 और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा दिल्ली में ऐसी ही 23 और डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने की योजना है। डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का चयन एक सतत् प्रक्रिया है तथा ऐसी कोई निश्चित समय सीमा, जिस तक ये डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आरंभ होने की संभावना है, निर्दिष्ट करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

तेल की कीमतों में कमी

2850. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कमी के कारण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तेल की कीमतों को घटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) फिलहाल नियंत्रित उत्पादों के मूल्य में कटौती करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि तेल पूल खाता घाटा बहुत अधिक है इसलिए नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों में कटौती पर विचार तेल पूल खाते की स्थिति में सुधार होने के बाद किया जा सकता है।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र के विद्युत-उत्पादनकर्ताओं से विद्युत की खरीद

2851. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में निजी क्षेत्र की विद्युत-उत्पादनकर्ता कम्पनी ''स्पेक्ट्रम-जी.वी.के.'' को मनमानी लागत पूंजी रखने की अनुमति देने के निर्णय से एक बड़ा विवाद हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश की ''ए.पी. ट्रांसकों''कम्पनी ने निजी उत्पादनकर्ता से ऊंची लागत पर विद्युत खरीदने का अनुबंध किया है;

(ग) यदि हां तो क्या भारतीय स्टेट बैंक सहित सात सरकारी बैंकों और आई.डी.बी.आई. सहित सात वित्तीय संस्थाओं ने इस परियोजना के लिए ऋण उपलब्ध कराया है; और

(घ) यदि हां, तो यदि अनिवासी भारतीयों का उक्त कन्सॉर्शियम इस सौदे को छोड़ देता है तो क्या सरकार बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के हितों/निर्विष्ट धनराशि का संरक्षण करेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मै. जीवीके इंडस्ट्रीज जेगरुपाडु विद्युत परियोनजा (216 मेगावाट) को 827 करोड़ रुपये की अनंतिम लागत पर (निर्माण के दौरान ब्याज समेत) तथा मै. स्पेट्रम पावर जेनरेशन लि. की गोदावरी विद्युत परियोजना को 748.43 करोड़ रुपये की अनंतिम लागत पर (निर्माण के दौरान ब्याज समेत) तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरकार द्वारा इस आशय से प्रात कुछ अभ्यावेदनों की इन परियोजनाओं हेतु पूर्णता लागत काफी ज्यादा है, आंध्र प्रदेश सरकार को भेज दिए गए हैं। गोदावरी विद्युत परियोजना के संबंध में कुल 11 वित्तीय संस्थान/बैंक (एसबीआई को छोड़कर) शामिल हैं। जहां तक एसबीआई का प्रश्न है, कम्पनी द्वारा प्रत्याशित स्तर तक इक्विटी नहीं उगाहनें के कारण एबीआई द्वारा साख-पत्रों का हस्तांतरण कर दिया गया। एलसी के अंतर्गत बकाया राशियों को सावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया गया है और वर्तमान में कम्पनी में एसबीआई की प्रतिभागिता 170.29 करोड़ रुपये हैं। जेगरूपाडु विद्युत परियोजना में के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत अनंतिम वित्तीय पैकज के अनुसार परियोजना के ऋण वित्त पोषण के लिए कुल 7 भारतीय वित्तीय

संस्थानों को शामिल किया गया है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने सूचित किया है कि गोदावरी परियोजना के चालू होने में लगभग 9 महीने ज्यादा समय लगा तथा 990 करोड़ रुपये की अनुमानित संशोधित लागत पर जुलाई, 1997 की तुलना में अप्रैल, 1999 में परियोजना ने वाणिज्यिक रूप से कार्य करना शुरू किया। के.वि.प्रा., जो उक्त परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करने के लिए जिम्मेवार एक सांविधिक निकाय है, ने अब तक दोनों परियोजनाओं की अंतिम पूर्णता लागत को स्वीकृति नहीं प्रदान की है क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार/आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कारपोरेशन (एपीट्रांस्कों) से कतिपय ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं। उपरोक्त परियोजनाओं के संबंध में पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड एवं परियोजना विकासकर्त्ताओं के बीच विद्युत क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

घुसपैठियों और पड़ोसी देशों के साथ झड़पें

2852. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन माह के दौरान विभिन्न सीमाओं पर घुसपैठियों और पड़ोसी देशों के साथ हुई झड़पों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इससे हुई जान-माल की कुल क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीमा पर रोज-रोज की झड़पों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा को छोड़कर पिछले तीन माह (1 अगस्त से 31 अक्तूबर, 2001) के दौरान सीमा पर कोई टकराव नहीं हुआ है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, जम्मू-कश्मीर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर कुल 250 घुसपैठिए/आतंकवादी मारे गए हैं। इसी अवधि के दौरान इस सेक्टर में सीधी कार्रवाई में भारतीय सेना के 11 कार्मिक मारे गए तथा 17 घायल हुए।

नियंत्रण रेखा पार से घुसपैठ रोकने के लिए निरंतर पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस जमीन पर तैनात हमारी सैन्य टुकड़ियों द्वारा प्रवेश/घुसपैठ के सभी रास्तों पर पहरा दिया जा रहा है तथा गश्त लगाई जा रही है।

सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के व्यक्ति

2853. श्री बृजलाल खाबरी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत 1, जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59% है (अनुसूचित जातियां-10.38% और अनुसूचित जनजातियां-3.21% है और द्वितीय श्रेणी (समूह 'ख') में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% है (अनुसूचित जातियां- 11.73% और अनुसूचित जनजातियां-2.68%) जब कि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनूसूचित जनजातियों के लिए 7%) है।

(ख) यदि हां, तो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के अधीन प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/96-(आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार (इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. कन्नप्पन): (क) केन्द्र सरकार में समूह 'क' सेवाओं में दिनांक 1.1.1998 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व 14.24% (अनुसूचित जाति- 10.8% और अनुसूचित जनजाति-3.44%) और समूह 'ख' सेवाओं में यह 15.37% (अनुसूचित जाति 12.35% और अनुसूचित जनजाति 3.02%) था।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

समूह	कुल पदों की संख्या	भरे हुए पद	समान्य (%)	अनुसूचित जाति (%)	अनुसूचित जनजाति (%)	अन्य पिछड़े वर्ग (%)
क*	87	87	77 (88.50%)	6 (6.89%)	4 (4.59%)	-

*(1) केवल वैज्ञानिक पदों के संबध में स्थिति दी गई है। इनमें केवल प्रवेश स्तर पदों पर आरक्षण लागू है।

(2) अन्य समूह 'क' पदों (संख्या-12) का नियंत्रण केन्द्रीय रूप से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है जो इनके लिए आरक्षण स्थिति रखते हैं।

(3) 1 (एक) समूह 'क' पद राजभाषा विभाग संवर्ग का है और वे आरक्षण आदि रख रहे हैं।

(4) 2 (दो) समूह 'क' पद (1 फोटो अधिकारी और 1 प्रशासनिक अधिकारी) पृथक पद (बाह्य संवर्ग) हैं और इन पदों पर कोई आरक्षण लागू नहीं है।

(5) चूंकि पिछले 6-7 वर्षों में वैज्ञानिक ग्रेड में कोई भर्ती नहीं हुई, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का प्रतिनिधित्व 'शून्य' है।

समूह 'ख' पद

(1) समूह 'ख' के 64 पद विद्युत मंत्रालय संवर्ग के हैं और विद्युत मंत्रालय द्वारा आरक्षण आदि रखा जा रहा है।

(2) इस मंत्रालय के संवर्ग से संबंधित 9 (नौ) पद पृथक (बाह्य संवर्ग) हैं, प्रत्येक श्रेणी का एक पद है और इनमें कोई आरक्षण लागू नहीं है।

(3) (1) (एक) पद राजभाषा विभाग संवर्ग का है और वे आरक्षण स्थिति आदि रख रहे हैं।

विद्युत संयंत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक

2854. श्री अनंत गुढे: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत संयंत्र की सुरक्षा मानकों की निगरानी हेतु कर्मचारियों के स्वास्थ्य रिकार्ड बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पर्यवेक्षण/क्रियान्वयन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विद्युत संयंत्रों के कामगार संघ/एसोसिएशन स्वास्थ्य रिकार्ड रखने में पारदर्शिता लाने हेतु दबाव डाल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अंतर्राष्ट्रीय मार्गनिर्देशों के अनुसार सुरक्षा मानकों का कड़ाई से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

परिवहन क्षेत्र में रसोई गैस का उपयोग

2855. प्रो. ए.के. प्रेमाजम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू क्षेत्र में रसोई गैस की कमी के बावजूद सरकार परिवहन क्षेत्र में इसके उपयोग पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का निर्णय लिए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) एलपीजी स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूलन ईंधन होने के कारण, एलपीजी को आटो ईंधन के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। आटो ईंधन के रूप में एलपीजी का प्रयोग केवल आयातित एलपीजी (आयात विकल्प सहित) से ही अनुमत किया गया है और इससे घरेलू एलपीजी की जरूरतों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

युद्ध के समान स्थिति

2856. श्री नरेश पुगलिया: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी क्षेत्र के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. नानावती ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान से लगी सीमा पर तनाव बढ़ रहा है और वर्तमान स्थिति 1965 के युद्ध के पूर्व की स्थिति के समान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) सेना कमांडर, उत्तरी कमान ने पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर में गुप्त युद्ध जारी रखने तथा वहां पर आतंकवादियों को समर्थन दिए जाने और इस खतरे से कारगर ढंग से निपटने संबंधी राष्ट्र के संकल्प के बारे में जम्मू विश्वविद्यालय में हाल ही में दिए गए अपने

आधार व्याख्यान के दौरान कतिपय अभिमत व्यक्त किए थे। सरकार ने इस विषय पर कुछ मीडिया रिपोर्टों को देखा है जिनमें ऐसे कुछ अभिमतों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया है।

सल्फर की अत्यधिक कम मात्रा वाले डीजल की उत्पादन लागत

2857. डा. रमेश चंद तोमर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से केवल 100 कि.मी. की दूरी वाले क्षेत्रों की ही पहचान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में की गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को दर्शाने वाले कुछ मानचित्र प्रकाशित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी और सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों द्वारा वहन की जा रही सरकार की अत्यधिक कम मात्रा वाले डीजल के उत्पादन की अतिरिक्त लागत अलग-अलग क्या है;

(घ) क्या ये तेल शोधक कारखानें/तेल निगम इस समय सल्फर की अत्यधिक कम मात्रा वाले डीजल के विपणन/बिक्री में अधिक लाभ का अर्जन कर रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार न्यायालय के निर्देशों को पूरा करने के अनुसरण में इन उत्पादों की आपूर्ति करते समय इनवॉइस पर बैचवार वास्तव में किए गए नमूना परीक्षण का परिणाम लिखने के लिए सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों को निर्देश देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों में निकटवर्ती क्षेत्रों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है।

(ख) जी हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मानचित्र का प्रकाशन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा किया गया है।

(ग) और (घ) दिनांक 1.4.1998 से निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र की रिफाइनरियां आयातित समता मूल्यों पर समायोजित टैरिफ पर प्रतिपूरित की जा रही है तदनुसार बेहतर श्रेणी के डीजल के लिए प्रतिपूर्ति उच्चतम सीमा तक है क्योंकि ऐसी श्रेणी का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य ऊंचा होता है।

(ङ) और (च) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विद्युत उत्पादन में संलिप्त निजी कंपनियां

2858. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी कंपनियां विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्यों में इन कंपनियों द्वारा चलायी जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन राज्यों में इन कंपनियों द्वारा स्थानीय लोगों के लिए सृजित किए गए रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इन कंपनियों के विरुद्ध कोई शिकायतें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) जी हां।

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

रेलगाड़ियों का पटरी से उतरना

2859. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री प्रहलाद सिंह पटेल:
श्री ब्रह्मानन्द मंडल:
श्री किरीट सोमैया:
श्री अमर राय प्रधान:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री सुन्दरलाल तिवारी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान मालगाड़ियों समेत रेलगाड़ियों के राज्य-वार, रेलगाड़ी-वार, तारीख-बार पटरी से उतरने/दुर्घटना होने की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें कितने व्यक्ति घायल हुए/मारे गए;

(ग) घायल व्यक्तियों और मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ. राजगोपाल): (क) रेलवे बोर्ड में दुर्घटनाओं का ब्यौरा जोनवार रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं (गाड़ी के पटरी से उतरने सहित) का जोनवार ब्यौरा निम्नुसार है:

रेलवे	1998-99		1999-2000		2000-2001*	
	पटरी से उतरना	दुर्घटनाओं की कुल संख्या	पटरी से उतरना	दुर्घटनाओं की कुल संख्या	पटरी से उतरना	दुर्घटनाओं की कुल संख्या
मध्य	57	68	47	68	42	58
पूर्व	25	31	21	31	29	35
उत्तर	35	54	54	80	25	66
पूर्वोत्तर	16	23	9	25	23	37
पूर्वोत्तर सीमा	23	27	67	76	88	95
दक्षिण	50	59	34	48	33	43
दक्षिण मध्य	31	45	34	49	33	48
दक्षिण पूर्व	38	55	36	52	44	53
पश्चिम	17	26	23	30	27	29
मेट्रो	-	-	-	-	-	-
कोंकण	8	9	4	4	6	9
जोड़	300	397	329	463	350	473

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान घायल/मारे गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:

	1998-99	1999-2000	2000-2001*
मारे गए व्यक्तियों की संख्या	489	616	216
घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	852	1121	488

दुर्घटनाओं के कारण इस प्रकार है:

कारण	वर्ष		
	1998-99	1999-2000	2000-2001*
1	2	3	4
(1) रेल कर्मचारियों की विफलता	268	287	293
(2) रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों की विफलता	63	105	109

1	2	3	4
(3) सामग्री/उपस्कर की खराबी	33	28	33
(4) तोड-फोड़	11	21	19
(5) मिले-जुले कारण	1	-	4
(6) आकस्मिक	14	15	11
(7) सिद्ध नहीं हो सके	7	7	4
(8) जोड़	397	463	473

*2000-2001 के आकंड़े अनन्तिम हैं।

(ग) घायल हुए व्यक्तियों को और मारे व्यक्तियों के परिवारजनों को अदा की गई क्षतिपूर्ति की राशि इस प्रकार है:

	1998-99	1999-2000	2000-2001*
अदा की गई क्षतिपूर्ति की राशि (करोड़ रुपए में)	10.41	2.60	10.15

*2000-2001 के आकंड़े अनन्तिम हैं।

(घ) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाए निम्नलिखित हैं:

(1) गतायु परिसंपत्तियों के नवीकरण और संरक्षा संबंधी कार्यों में वृद्धि करने के लिए 17,000 करोड़ रु. की गैर-व्यपगत विशेष रेल संरक्षा निधि की स्थापना की गई है।

(2) ''ए'', ''बी'', ''सी'', ''डी'' और ''डी विशेष'' जहां गति 75 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक है, सभी मार्गों पर उल्लंघन चिह्नों से उल्लंघन चिह्नों तक रेलपथ परिपथन पूरा हो गया है। शेष भागों में कार्य प्रगति पर है।

(3) दुर्घटना होने में मानवीय चूक के मौके न्यूनतम करने के लिए सिगनल परिपथन में आसोधन किया जा रहा है।

(4) मध्य रेलवे के तुगलकाबाद-मथुरा खंड के लिए परीक्षण के आधार पर सहायक चेतावनी प्रणाली की पायलट परियोजना अनुमोदित की गई है। उसके लिए निविदा की प्रक्रिया चल रही है।

(5) उत्तर रेलवे पर टक्करोधी उपकरण के एक्सटेंडेड फील्ड परीक्षण को मंजूरी दे दी गई है। सफल रहने पर भारतीय रेलवे के अन्य मार्गों पर इसके कार्यान्वयन पर निर्णय लिया जाएगा।

(6) 150 से अधिक ब्लाक खंडों में धुरा काउंटरों द्वारा अंतिम वाहन जांच आरंभ की गई है तथा इसे उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है।

(7) ड्राइवर/गार्ड और नियंत्रण कक्ष के बीच डूप्लेक्स रेडियो संचार मुहैया कराने के लिए कुछेक महत्वपूर्ण खंडों पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले डिजिटल मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार को मंजूरी दी गई है।

(8) सभी गाड़ियों के ड्राइवरों और गार्डों को वाकी-टाकी सेट्स सप्लाई किए गए हैं ताकि संप्रेषण तीव्रतर और बेहतर ढंग से हो सके।

(9) ड्राइवर और गार्डों को लैड आधारित इलेक्ट्रोनिक्स फ्लेशिंग टेल लैंप मुहैया कराए गए हैं जिनकी दृश्यता परंपरागत मिट्टी के तेल वाले हाथ के सिगनल लैंप की अपेक्षा बेहतर है।

(10) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टेंपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। साथ ही, रेलपथ नवीकरण गाड़ियों का भी उपयोग किया जा रहा है।

(11) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(12) पटरियों में दरारों और वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की गई है। अब स्वनोदित पराश्रव्य रेल जांच वाहनों की भी खरीद की जा रही है।

(13) बहुत से डिपुओं पर सवारी डिब्बों और माल डिब्बों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं को आधुनिकीकृत और अपग्रेड किया गया है।

(14) धुरों में खामी का पता लगाने के लिए, नेमी ओवरहालिंग डिपुओं को पराश्रव्य परीक्षण उपस्करों से सुसज्जित किया गया है ताकि धुरों के कोल्ड ब्रेकेज के मामलों को रोक-थाम की जा सके।

(15) डीजल उपकरों से प्राप्त निधियों का उपयोग समपारों से संबंधित संरक्षा संबंधी कार्यों के लिए किया जाएगा।

(16) चौकीदार रहित समपारों पर सीटी बोर्डों/गति अवरोधों व सड़क चिह्न मुहैया कराए गए है।

(17) सड़क उपयोगकर्ताओं को यह सिखाने के लिए कि समपारों को सुरक्षित ढंग से कैसे पार किया जाए, दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(18) भारी घनत्व के यातायात वाले समपारों का योजनागत आधार पर सिगनलों के साथ उत्तरोत्तर अंतर्पाशन किया जा रहा है।

(19) यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाने की रोक-थाम के लिए उपाए किए गए हैं।

(20) क्षेत्रीय मुख्यालयों के अंतर्विभागीय दलों द्वारा विभिन्न मंडलों की आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की है।

(21) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं आधुनिक बनाई गई हैं जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग शामिल है।

(22) गाड़ी परिचालन से संबद्ध कर्मचरियों के कार्य-निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जाती है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है, उन्हें त्वरित (क्रैश) प्रशिक्षण के लिए भी भेजा जाता है।

(23) कर्मचारियों और सड़क उपयोगकर्ताओं में संरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आवधिक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

(24) गंभीर दुर्घटनाओं के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों को सेवाओं से बर्खास्तगी/हटाने की सीमा तक गंभीर दंड दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

तेल के उत्पादन हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी शुरू करना

2860. श्री रामजी लाल सुमन:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उन्नत प्रौद्योगिकी के न होने से विभिन्न तेल परियोजनाओं से कम मात्रा में तेल का उत्पादन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उन्नत प्रौद्योगिकी के शुरू करने से इस समय चल रही परियोजनाओं से तेल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो उत्पादन में किस हद तक वृद्धि होने की संभावना है और उक्त प्रयोजनार्थ उन्नत प्रौद्योगिकी को शुरू करने के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) तेल के उत्पादन में अब तक उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग न करने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जहां तक तेल उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का संबंध है, इस क्षेत्र से संबंधित लगभग सभी पक्षों के लिए तेल उत्पादक कंपनियों के पास आवश्यक प्रौद्योगिकी है। आधुनिक प्रौद्योगिकी और नई उभरते क्षेत्रों के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में, जब और जैसे जरूरत होती है, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ एजेंसियों की सहायता भी ली जा रही है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों में पारेषण और वितरण की हानि

2861. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत योजनाओं की मंद प्रगति के लिए कुछ राज्य विद्युत बोर्डों को दोषी ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार की विद्युत योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप पारेषण और वितरण की हानि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने पारेषण और वितरण की हानि को समाप्त करने के लिए कार्यान्वयन हेतु कुछ और योजनाएं तैयार की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता): (क) से (ङ) अधिकांश राज्यों में उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुधार वाली स्कीमों की प्रगति वित्तीय संसाधनों के अभाव में धीमी है जिससे कि अधिकांश राज्यों में पारेषण एवं वितरण हानि बहुत अधिक हो रही है। युटिलिटियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पारेषण एवं वितरण हानियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

भारत सरकार ने चरणबद्ध तरीके से मौजूदा पुराने विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/दर-वृद्धि और उप-पारेषण एवं वितरण प्राणाली के उन्नयन समेत ऊर्जा लेखा-परीक्षण एवं वितरण सर्किलों में 100% मीटरिंग के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (एपीडीपी) नामक एक स्कीम शुरू की गयी है। वर्ष 2000-2001 में थर्मल एवं हाइड्रो विद्युत केन्द्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली में सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए आबंटित की गई थी। एपीडीपी के अंतर्गत इन कार्यों के लिए वर्ष 2001-2002 में 1500 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। आरंभ में ऐसे 60 वितरण सर्किल अभिज्ञात किए गए हैं जिनमें पारेषण एवं वितरण हानि कम करने हेतु एचटी: एलटी अनुपात में सुधार, रूपांतरण क्षमता में वृद्धि, रिकन्डक्टरिंग पूरी प्रणाली का पुन: निरूपण, मीटरीकरण के रूप में तकनीकी-वाणिज्यिक प्रयास एवं अन्य उपाए किए जा रहे हैं। अन्य वितरण सर्किलों में इसी प्रकार के उपाय चरणों में किए जाएंगे।

विवरण

राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों में रूपांतरण, पारेषण एवं वितरण संबंधी प्रतिशत हानियां (चोरी जैसी वाणिज्यिक हानियां समेत)

क्षेत्र रा.वि.बो./विद्युत विभाग	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99*
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तरी क्षेत्र							
हरियाणा	26.78	25.00	30.80	32.39	32.77	34.04	33.81
हिमाचल प्रदेश	19.51	18.31	18.21	16.09	18.02	20.13	20.13
जम्मू व कश्मीर	48.28	45.69	48.74	47.52	48.27	49.95	47.07
पंजाब	19.24	19.37	16.70	18.49	19.10	18.94	16.83
राजस्थान	22.74	25.00	24.78	29.27	26.28	26.41	29.43
उत्तर प्रदेश	24.43	24.08	21.69	21.84	24.84	26.18	26.86
चण्डीगढ़	26.21	27.27	28.44	33.72	21.88	22.38	अनुपलब्ध
डीवीबी (दिल्ली)	23.56	31.79	34.56	48.57	49.08	47.91	40.0
पश्चिमी क्षेत्र							
गुजरात	22.03	20.34	20.02	20.08	17.14	21.57	19.69
मध्य प्रदेश	21.35	20.26	19.61	17.84	19.24	19.58	20.92

1	2	3	4	5	6	7	8
महाराष्ट्र	17.83	16.22	16.33	16.95	16.55	18.75	18.14
दादरा व नगर हवेली	17.98	12.64	11.35	09.31	08.80	12.90	अनुपलब्ध
गोवा	21.85	24.50	26.87	26.06	23.50	31.02	अनुपलब्ध
दमन और दीव	15.67	22.34	16.30	12.80	08.15	14.69	अनुपलब्ध
दक्षिणी क्षेत्र							
आंध्र प्रदेश	19.88	19.91	17.95	19.34	33.19	32.14	31.8
कर्नाटक	19.55	19.55	19.41	19.06	18.73	19.31	30.08
केरल	21.95	20.00	20.05	21.12	20.59	18.73	17.75
तमिलनाडु	17.50	17.18	17.11	16.19	17.65	17.29	16.9
लक्षद्वीप	18.72	16.99	17.84	17.23	15.11	15.70	अनुपलब्ध
पाण्डिचेरी	15.31	15.80	15.00	16.54	17.38	13.56	अनुपलब्ध
पूर्वी क्षेत्र							
बिहार	22.00	20.35	19.76	15.91	25.31	16.26	23.0
उड़ीसा (ग्रिडको)	25.25	22.43	23.03	24.17	50.15	50.10	48.44
सिक्किम	22.55	22.60	21.22	16.47	29.24	22.87	
पश्चिम बंगाल	24.87	20.82	21.51	19.26	18.01	19.67	25.5
अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	23.62	23.71	22.38	19.25	19.15	20.59	अनुपलब्ध
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र							
असम	21.41	22.44	24.18	26.91	25.97	27.32	23.0
मणिपुर	22.35	23.92	25.30	24.85	22.95	21.09	अनुपलब्ध
मेघालय	11.79	18.03	18.47	12.55	19.75	12.28	20.17
नागालैंड	27.26	33.45	36.12	35.17	26.81	29.79	अनुपलब्ध
त्रिपुरा	30.64	30.53	31.96	30.86	30.11	31.11	अनुपलब्ध
अरुणाचल प्रदेश	32.32	42.04	45.30	37.12	32.62	34.10	अनुपलब्ध
मिजोरम	29.04	31.89	29.76	25.18	34.35	46.84	अनुपलब्ध
अखिल भारत (यूटिलिटीज)	21.80	21.41	21.13	22.27	24.53	24.79	25.62

*जैसाकि रा.वि.यो./विद्युत विभाग द्वारा सूचित किया गया और ऊर्जा की अंतर्राज्यीय बिक्री की मिलान करने के पश्चात् परिवर्तन आधारित है तथा यह अनंतिम है।

नियंत्रित मूल्य प्रणाली का तेल शोधन कारखानों पर प्रभाव

2862. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल शोधन कारखाने 1 अप्रैल, 2002 तक तेल क्षेत्र के खोले जाने के विरुद्ध हैं;

(ख) क्या ऐसी आशंकाए हैं कि विनियंत्रित पेट्रोल उत्पादों (मुक्त आयात वाले) की गिरती मांग से सरकारी क्षेत्र के तेल शोधन कारखानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो उत्पाद-वार मोटर स्प्रिट, एचएसडी और रसोई गैस की मांग में कितनी गिरावट आई;

(घ) क्या सरकार का विचार पेट्रोल उत्पादों की मांग पुन: बढ़ने तक तेल क्षेत्र को खोलने की योजना को बंद करने पर विचार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां

2863. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को मध्य प्रदेश में रसोई गैस एजेंसियां खोलने के लिए अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और इनमें से कितने आवेदनों का निपटान कर दिया गया है और सरकार द्वारा शेष आवेदनों का निपटान कब तक कर दिए जाने की संभावना है;

(ख) मध्य प्रदेश की जनता की अवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वास्तव में कितनी रसोई गैस एजेंसियों की आवश्यकता है; और

(ग) सरकार मध्य प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठा रही है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) फिलहाल विभिन्न विपणन योजनाओं के तहत मध्य प्रदेश में 270 स्थानों पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू किए जाने के लिए लंबित हैं।

डिस्ट्रीब्यूटरशिप का चयन एक सतत् प्रक्रिया है और ऐसी कोई निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है जब तक ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू किए जाने की संभावना है। इस समय मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटर पंजीकृत ग्राहकों की जरूरत संतोषजनक ढंग से पूरी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में किसी बकाया कार्य की रिपोर्ट नहीं मिली है।

[अनुवाद]

रसोई गैस की भंडारण क्षमता

2864. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की मौजूदा कंपनी-वार रसोई गैस भंडारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या यह भंडारण क्षमता भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो रसोई गैस की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) दिनांक 1.10.2001 को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों

की एलपीजी संग्रहण क्षमता लगभग 368 टीएमटी थी। कंपनीवार ब्यौरा निम्नवत है:

कंपनी/लोकेशन का नाम	सकल एलपीजी संग्रहण क्षमता (टीएमटी)
ओएनजीसी	15.25
गेल	24.58
ओआईएल	2.10
रिफाइनरियां	58.10
आयात लोकेशन	47.10
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां भराई संयंत्र	221.15

(ख) और (ग) मांग के अनुसार संग्रहण क्षमता में वृद्धि की जाती है। इस समय संग्रहण क्षमता मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और भावी को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की नौवीं योजना में संग्रहण क्षमता को 45.67 टीएमटी बढ़ाने की योजना है।

सीएनजी की मांग

2865. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरों में प्रदूषण को रोकने के लिए सीएनजी की अत्यधिक मांग है;

(ख) यदि हां, तो वरीयता के आधार पर सीएनजी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सीएनजी की मांग की तुलना में इसका वार्षिक उत्पादन कुल कितना है; और

(घ) मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी हां।

(ख) इस समय सीएनजी की आपूर्ति दिल्ली तथा मुंबई दो महानगरों तक सीमित है। वाहनों को सीएनजी देने के लिए दिल्ली में 87 तथा मुंबई में 24 स्टेशन पहले ही खोले जा चुके हैं।

(ग) सीएनजी का उत्पादन नहीं हो रहा है। प्राकृतिक गैस केवल वाहनों में प्रयोग के लिए उच्च दबाव पर संपीड़ित की जाती है। मुंबई तथा दिल्ली को प्राकृतिक गैस का कुल आबंटन 1.08 एमएमएससीएमडी है जो विद्यमान मांग से ज्यादा है।

(घ) सीएनजी के लिए वाहनों की भावी मांग को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों की संख्या बढ़ाने तथा संपीड़न क्षमता में वृद्धि करने के उपाय किए जा रहे हैं। घरेलू गैस उत्पादन में संभावित मामूली वृद्धि के अलावा तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात की योजना बनाई जा रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी उद्योग

2866. श्री एम.के. सुब्बा: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्री ने इस वर्ष अक्तूबर में पूर्वोत्तर क्षेत्र के हाल ही के अपने दौरे के दौरान क्षेत्र के संतुलित विकास हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों को मजूबत बनाने और उनको पुनरुज्जीवित करने के लिए सरकार की वचनबद्धता दोहराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2001-2002, 2002-2003 और दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम को मजूबत बनाने हेतु सरकार की क्या योजना है; और

(ग) प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उत्पादन क्षमता दर्शाने वाले आकंड़े क्या हैं, वर्ष 1999-2000, 2000-2001 के दौरान उनका वास्तविक उत्पादन, लाभ और हानि कितना है और वर्ष 2001-2002 के दौरान उनके आंकड़े क्या हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): (क) उक्त यात्रा के दौरान सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में सरकारी नीति अर्थात अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के संभावित व्यावहारिक उपक्रमों का पुनर्गठन और पुनरुद्धार करने पर जोर दिया गया, जिसकी वर्ष 2000-2001 के बजट भाषण में घोषणा की गई है। जहां तक हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के पुनरुद्धार का संबंध है, वर्ष 1996 में पुनर्गठन योजना स्वीकृत और क्रियान्वित की गई थी।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन और पुनरुद्धार करना सरकार का सतत् प्रयास रहा है। वर्तमान प्रबंधों के

अन्तर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों के पुनरुद्धार के लिए व्यवहारिकता के संबंध में निर्णय लेता है और पुनर्वास योजनाएं स्वीकृत करता है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग प्रत्येक मामले के आधार पर अपने नियंत्रणाधीन उद्यमों के पुनरुद्धार/पुनर्गठन के लिए विभिन्न विकल्पों का पता लगाते हैं।

(ग) वर्ष 1999-2000 के लिए, जिस अवधि तक सूचना उपलब्ध है, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लाभ/हानि, कारोबार आदि के संबंध में ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1999-2000 में दिया गया है, जिसे लोक सभा में 27-2-2001 को प्रस्तुत किया गया था और यह एक प्रकाशित दस्तावेज है। वर्ष 2000-2001 और वर्ष 2001-2002 के लिए सूचना बाद के लोक उद्यम सर्वेक्षण रिपोर्टों में उपलब्ध होगी।

[हिन्दी]

अम्बेडकर ग्राम योजना

2867. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री लक्ष्मण गिलुआ:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यह देश के सभी गांवों में ''अम्बेडकर ग्राम योजना'' क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

(घ) इसके अंतर्गत देश के सभी गांवों को शामिल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अथवा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में लड़कियों का बेचा जाना

2868. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की सरकारों ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बच्चियों को बेचे जाने की घटना की सी.बी.आई. से जांच कराने का आदेश देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सेन्ट्रल एडौपशन रिसोर्स एजेंसी उच्चतम न्यायालय द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने में असफल रही है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने भी जांच कराने का निर्णय दिया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सी.बी.आई. द्वारा जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच करवाने के लिए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का कोई आदेश नहीं है। राज्य सरकारें इन मामलों में जांच कर रही हैं।

(ख) केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी ''भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश 1995'' तथा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करती रही हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस मंत्रालय ने दोनों राज्य सरकारों को मामलों की जांच करने के लिए कहा है तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी।

नशीली दवा के उत्पादक देश के रूप में भारत

2869. श्री टी. गोविन्दन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका ने प्रमुख नशीली दवा/स्मैक उत्पादक देशों की अपनी सूची में भारत को शामिल किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाई गई सूची के अनुसार, भारत नशीली दवाओं का उत्पादन करने वाले और/अथवा नशीली दवाओं के पारगमन वाले प्रमुख देशों में शामिल है। भारत विश्व में अफीम गोंद का एकमात्र उत्पादक देश है जिसे फार्मास्युटिकल्स के उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई हेतु प्रयुक्त किया आता है।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी सहायता अधिनियम, 1961 में नशीली दवाओं के प्रमुख उत्पादक देशों/नशीली दवाओं के प्रमुख पारगमन देशों के रूप में पहचान किये गये प्रत्येक देश के संबंध में हर वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणन किया जाना अपेक्षित है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार की रोकथाम करने और खेती को विनयमित करने के भारत के प्रयासों की प्रभावकारिता के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा भारत को हमेशा ही प्रमाणित किया जाता रहा है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया पर फेडरल रिजर्व द्वारा दंड लगाया जाना

2870. श्री वाई.वी. राव:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी फेडरल और राज्य बैंकिंग विनियामक ने स्टेट बैंक आफ इंडिया को आंतरिक रिपोर्टिंग और लेखा प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कहा है और अपने अमरीकी परिचालन की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र फर्म नियुक्त करने को भी कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा क्या अन्य टिप्पणी की गई/आरोप लगाए गए;

(ग) क्या आदेश जारी होने के बाद स्टेट बैंक आफ इंडिया अनिवासी भारतीयों और अन्यों से नई धनराशि स्वीकार नहीं कर पायेगी;

(घ) यदि हां, तो इसके बाद स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा वहन किये जाने वाले संभावित घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अमरीकी प्राधिकारियों के साथ इस मुद्दे को सुलझाने और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि यूएसए के विनियामक प्राधिकरण ने इसकी न्यूयार्क में शाखाओं के समूह का 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार निरीक्षण किया था। विनियामकों ने प्रणालियों एवं पद्धतियों तथा निगरानी तंत्र के साधनों विशेषकर विप्रेषण, निधियों के अंतरण तथा अन्त:कार्यालय लेखों में "अपने ग्राहक को जानना एवं पर्याप्त क्षमता में विकास" पद्धतियों में कुछ कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। इसके आधार पर यूएस नियामकों ने हाल ही के आदेश के अनुसार एसबीआई को अपने यूएस परिचालनों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र फर्म को नियुक्ति करने तथा अपने यूएस कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक नई आन्तरिक लेखा परीक्षा फर्म नियुक्त करने के लिए कहा था।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इसे आदेशानुसार अनिवासी भारतीयों से नई निधियां स्वीकार करने से पूर्व कुछ पर्याप्त क्षमता में विकास पद्धतियों की पुष्टि करनी होगी तथा इस संबंध में उसे कोई हानि होने की संभावना नहीं है।

(ङ) भारतीय स्टेट बैंक ने यूएसए के विनियामकों को आश्वासन दिया है कि उसकी न्यूयार्क शाखा में प्रणालियों एवं प्रौद्योगिकी तथा पद्धतियों में नियामकों द्वारा दिए गए निर्धारण के अनुसार वांछित सुधार किया जाएगा और यह भारत में बैंक में सर्वोच्च स्तर पर विशेष निगरानी की जाएगी। विनियामकों द्वारा तथा वांछित मुख्य अनुपालन अधिकारी मुख्य वित्तीय अधिकारी, आन्तरिक लेखापरीक्षक तथा परामर्शदाताओं की नियुक्तियां कम से कम समय में की जाएगी। भारत सरकार इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक से परामर्श कर रही है और डिप्लोमेटिक चैनल के माध्यम से यूएस प्राधिकारियों के साथ भी मामला उठाया जा रहा है।

[हिन्दी]

तस्करी गतिविधियां

2871. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तस्करी गतिविधियों में आतंकवादी संगठनों के लिप्त होने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या नशीली दवाओं की तस्करी और जाली नोटों को रोकने हेतु कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा कोई विशेष अभियान चलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के ध्यान में राज्य-वार ऐसे कितने मामले आए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) आतंकवादियों से सांठ-गांठ करके काम कर रहे तस्करों द्वारा हथियारों, विस्फोटकों, नशीले पदार्थों और जाली भारतीय करेंसी के तस्करी के कुछेक मामले ध्यान में आये हैं।

(ख) नशीली दवाओं के अवैध व्यापार और आतंकवाद सहित तस्करी को रोकने तथा इस पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने पहले से ही बहुत से उपाय किये हैं। इनमें अधिक से अधिक चौकसी बरतना और प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाना, अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, केन्द्र और राज्य सरकारों की एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल रखना, समन्वित कार्रवाई करके राष्ट्र विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्फल करना, अत्याधुनिक हथियारों से पुलिस और सुरक्षा बलों को लैस करना, फ्लड लाइटिंग के साथ-साथ भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षकों को शक्तियां प्रदान करना, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तिमाही समन्वय बैठकों का आयोजन करना, सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजरों की सीमावर्ती बैठकों के हिस्से के रूप में भारतीय तथा पाकिस्तानी स्वापक औषधि रोधी एजेंसियों की सीमा पार बैठकों को तिमाही आधार पर आयोजित करना शामिल है।

(ग) 28/29 अक्तूबर, 2000 को एक मामले में, दिल्ली पुलिस ने 50 कि.ग्रा. हैरोइन और 14.5 कि.ग्रा. आर.डी.एक्स. के साथ आठ पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा जिनके बारे में यह बताया गया था कि वे आई.एस.आई. के एजेंट हैं।

[अनुवाद]

बीड़ी पर उत्पाद शुल्क में छूट

2872. श्री अबुल हसनत खां: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई बड़े बीड़ी निर्माता बीड़ी उत्पादन पर हर महीने उत्पाद शुल्क पर 20 लाख रुपये तक की छूट का अवैध लाभ उठा रहे हैं यद्यपि उनके उत्पादन इस कोटा से बहुत अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस कदाचार को रोकने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 में एक मामले का पता लगाया गया है। अपवंचक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही की गई है।

[हिन्दी]

झारखंड में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

2873. श्री राम टहल चौधरी:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड और उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के छत और बिना छत वाले कितने गोदाम हैं और उनका स्थान और भंडारण क्षमता कितनी है;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान झारखंड में और पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में इन गोदामों के बाहर खुले में रखे गए खाद्यान्नों की मात्रा कितनी है और खाद्यान्नों का मूल्य क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा खाद्यान्नों को सड़ने और उन्हें बर्बाद होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) 1.10.2001 की स्थिति के अनुसार झारखंड और उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के

पास उपलब्ध भंडारण क्षमता सहित ढके और बिना ढके गोदामों की संख्या निम्नानुसार है:

झारखंड

	गोदामों की संख्या (अपनी और किराये की)	कुल क्षमता (टन में)
ढकी हुई	14	1,08,780
कैप (खुली)	–	–

उत्तर प्रदेश

	गोदामों की संख्या (अपनी और किराये की)	कुल क्षमता (टन में)
ढकी हुई	183	28,80,900
कैप (खुली)	69	11,35,620

स्थानवार ब्यौरे क्रमश: विवरण-I, और II में दिए गए हैं।

(ख) पिछले वर्ष के दौरान झारखंड में और पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खुले (कैप) गोदामों में रखे खाद्यान्नों की मात्रा और कीमत निम्नानुसार है:

	खाद्यान्नों की मात्रा (टन में)	कीमत (करोड़ रुपये में)
झारखंड	शून्य	शून्य
उत्तर प्रदेश (31/3 को)		
1998-99	2,27,610	144.32
1999-2000	1,39,910	98.07
2000-2001	2,55,180	179.50
2001-2002 (1.10.2001 को)	10,27,770	758.35

(ग) भारतीय खाद्य निगम के पास रखे खाद्यान्नों के स्टाक का परिरक्षण वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, ताकि क्षति को रोका जा सके। खाद्यान्नों का परिरक्षण करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किये जाते हैं:

(1) खाद्यान्नों का भंडारण मूषक और नमी रोधी गोदामों में किया जाता है।

(2) कीट जन्तुबाधा उपाय नियमित रूप से किये जाते हैं।

(3) खाद्यान्नों का उचित रखरखाव करने के लिए आवधिक निरीक्षण करने हेतु अर्हक और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी लगाये जाते हैं।

(4) जहां तक संभव होता है खाद्यान्नों का संचलन ढके हुए वैगनों में किया जाता है ताकि मार्गस्थ क्षति से बचा जा सके। जब खुले वैगनों में संचालन किया जाता है, तो इन्हें तारपोलिन आदि से ढका जाता है।

(5) इनके रोगनिरोधी और रोगहर उपचार भी किये जाते हैं।

(6) कैप भंडारण में स्टाक का भण्डारण लकड़ी की क्रैटो पर किया जाता है जिसे कम घनत्व के काले पॉलिथीन कवरों से ढका जाता है जो जलरोधी होते हैं। इन्हें नायलोन की रस्सियों से बांधा जाता है ताकि तेज हवाएं चलने के दौरान कवरों में हवा भरने से होने वाली क्षति से बचा जा सके।

विवरण I

30.9.2001 को झारखंड राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध ढकी हुई भंडारण क्षमता (स्वामित्व और किराए वाली)

(आंकड़े हजार टन में)

झारखंड राज्य

भारतीय खाद्य निगम जिले का नाम	राजस्व जिले का नाम	केन्द्र का नाम	ढकी हुई भंडारण क्षमता		
			स्वामित्व	किराए पर	जोड़
रांची	प्लामू	डाल्टनगंज	14.64	–	14.64
रांची	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	10.84	4.50 के.भं.नि.	15.34
रांची	गुमला	गुमला	4.17	–	4.17
रांची	रांची	रांची	11.67	–	11.67
रांची		तितिसीवाल	–	15.00 निजी	15.00
रांची	गढ़वा	गढ़वा	–	1.50 रा.भं.नि.	1.50
रांची	लोहारदंगा	लोहारदंगा	–	–	–
हजारीबाग	धनबाद	धनबाद	13.74	–	13.74
हजारीबाग	कोडेरमा	कोडरमा	–	2.65 निजी	2.65
हजारीबाग	हजारीबाग	हजारीबाग	–	10.20 के.भं.नि.	10.20
हजारीबाग	गिरिडिह	सूर्या	–	5.00 निजी	5.00
हजारीबाग	देवघर	जसीडिह	12.50	–	12.50
हजारीबाग	साहिबगंज	साहिबगंज (1.00 रा.भं.नि.+ 1.37 निजी)	–	2.37(2)	2.37
झारखंड राज्य का जोड़ (ढकी हुई क्षमता)			67.56	41.22	108.78

****सारांश****

एजेंसी	क्षमता	मौजूदा स्टॉक	उपयोग	गोदामों की क्षमता
1	2	3	4	5
भा.खा.नि. के स्वामित्व वाले	67.56	33.61	50%	6

1	2	3	4	5
किराए पर लिए गए:				
केन्द्रीय भंडारण निगम	14.70	7.54	51%	2
राज्य भंडारण निगम	2.50	1.34	54%	2
निजी पार्टियां	24.02	14.56	61%	4
जोड़	108.78	57.05	52%	14

विवरण II

30.9.2001 को उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध ढकी हुई भंडारण क्षमता (स्वामित्व और किराए वाली)

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य: उत्तर प्रदेश

भारतीय खाद्य निगम जिले का नाम	राजस्व जिले का नाम	केन्द्र का नाम	ढकी हुई भंडारण क्षमता		
			स्वामित्व	किराए पर	जोड़
1	2	3	4	5	6
आगरा	आगरा	आगरा	54.80	6.38 रा.भं.नि.	61.18
आगरा	फिरोजाबाद	शिकोहाबाद	24.21	4.65 रा.भं.नि.	28.86
आगरा	मैनपुरी	फिरोजाबाद	0.54	53.86 रा.भं.नि.	54.40
		मैनपुरी	–	13.18 रा.भं.नि.	13.18
इलाहाबाद	इलाहाबाद	नैनी (इलाहाबाद)	51.97	–	51.97
		अलोपीबाग	–	14.12 रा.भं.नि.	14.12
		घूमनगंज	–	7.44 रा.भं.नि.	7.44
		करछना	–	15.92 रा.भं.नि.	15.92
		कनोडिया	–	1.97 रा.भं.नि.	1.97
इलाहाबाद	फतेहपुर	फतेहपुर (45.71 रा.भं.नि. 5.00 निजी)	8.34	50.71(2)	59.05
		जहानाबाद	–	9.45 रा.भं.नि.	9.45
इलाहाबाद	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़ (7.35 रा.भं.नि. 5.00 निजी)	–	12.35(2)	12.35

1	2	3	4	5	6
अलीगढ़	अलीगढ़	अलीगढ़	12.50	35.04 रा.भं.नि.	47.54
		हरदुआगंज	82.20	–	82.20
अलीगढ़	हाथरस	हाथरस	13.36	–	13.36
		सिकंदरा राव	–	8.25 रा.भं.नि.	8.24
अलीगढ़	ईटा	ईटा	11.89	15.59 रा.भं.नि.	27.48
		कासगंज	9.16	–	9.16
अलीगढ़	मथुरा	कोसीकालन	56.58	6.81 रा.भं.नि.	64.39
		मथुरा	13.10	28.99 रा.भं.नि.	42.09
आजमगढ़	आजमगढ़	आजमगड़	22.30	–	22.30
आजमगढ़	देवरिया	देवरिया (9.02 रा.भं.नि. 5.00 निजी)	–	14.02(2)	14.02
	मऊ	मऊ	–	–	–
आजमगढ़	पदरौना	पदरौना	2.50	–	2.50
बरेली	बरेली	बहेरी	–	4.10 रा.भं.नि.	4.10
		बरेली	39.51	–	39.51
बरेली		पारसखेरा	25.00	46.90 रा.भं.नि.	71.90
	पीलीभीत	पीलीभीत (0.36 रा.भं.नि. 2.00 निजी)	7.50	2.36(2)	9.86
		बिसलंदा	–	2.00 निजी	2.00
		पर्णपुर	–	4.73 रा.भं.नि.	4.73
बुलंदशहर	बुलंदशहर	बुलंदशहर (इमालिया)	13.34	8.22 रा.भं.नि.	21.56
		खुर्जा (एफ एस डी)	16.10	2.88 रा.भं.नि.	18.98
		खुर्जा (सिलो)	20.00	–	20.00
		श्याम नगर	8.79	–	8.79
		जोखाबाद	–	31.53 रा.भ नि.	31.53
		झंगीराबाद	–	4.82 रा.भं.नि.	4.82
		चांदपुर रोड	25.84	–	25.84

1	2	3	4	5	6
		गुलाठी	–	1.91 रा.भं.नि.	1.91
		सनकारीआंग	–	2.94 रा.भं.नि.	2.94
		देबई (8.00 के.भं.नि. 8.04 रा.भं.नि.)	–	16.04 (2)	16.04
		सिकंदराबाद	–	5.00 निजी	5.00
		भाटी	–	3.09 निजी	3.09
		शिकारपुर	–	2.48 रा.भं.नि.	2.48
बांदा	बांदा	अतरा	12.31	5.68 रा.भं.नि.	17.99
		बांदा (1.02 के.भं.नि. 10.00 निजी)	5.00	11.02(2)	16.02
		मानिकपुर	–	1.36 रा.भं.नि.	1.36
बांदा	महोबा	महोबा	10.00	1.22 रा.भं.नि.	11.22
बांदा	चित्रकूट	करवी	–	0.93 रा.भं.नि.	0.93
फैजाबाद	बाराबंकी	बाराबंकी (पुराना)	17.56	–	17.56
		बाराबंकी (नया)	55.00	–	55.00
फैजाबाद	फैजाबाद	फैजाबाद	39.23	–	39.23
फैजाबाद	सुल्तानपुर	सुलतानपुर	–	9.00 निजी	9.00
गोरखपुर	बस्ती	बस्ती	5.74	15.78 रा.भं.नि.	21.52
	गोरखपुर	गोरखपुर	35.34	–	35.34
		नाखा	–	5.25 रा.भं.नि.	5.25
गाजीपुर	गाजीपुर	गाजीपुर	–	4.81 रा.भं.नि.	4.81
गाजीपुर	बलिया	बलिया (4.03 के.भं.नि. 2.75 निजी)		5.78(2)	5.78
गोंडा	बहरीच	बहरीच (2.25 निजी 4.19 के.भं.नि. 1.34 रा.भं.नि.)	–	7.78 (3)	7.78

1	2	3	4	5	6
		केसरगंज	–	3.00 रा.भं.नि.	3.00
गोंडा	गोंडा	गोंडा	30.00	–	30.00
हापुड़	गाजियाबाद	हापुड़ (एफ एस डी)	61.91	3.82 रा.भं.नि.	65.73
		हापुड़ (सिलो)	15.36	–	15.36
		लोनी	–	29.40 के.भं.नि.	29.40
		साहिबाबाद	–	3.61 के.भं.नि.	3.61
हापुड़	मेरठ	परतापुर	29.58	–	29.58
		मेरठ	–	29.93 रा.भं.नि.	29.93
झांसी	झांसी	झांसी (2.67 निजी+ 7.87 के.भं.नि.+ 9.54 रा.भं.नि.)	19.04	20.08(3)	39.12
झांसी		चिरगांव	–	5.41 रा.भं.नि.	5.41
		माऊरानीपुर	–	4.14 रा.भं.नि.	4.14
	जालौन	ओरई	24.98	27.62 रा.भं.नि.	57.10
		करपी	–	6.18 रा.भं.नि.	6.18
		कोंच	–	5.31 रा.भं.नि.	5.31
		जालौन	–	1.58 रा.भं.नि.	1.58
	ललितपुर	ललितपुर	–	2.57 रा.भं.नि.	2.57
कानपुर	ईटावा	ईटावा	3.06	13.67 रा.भं.नि.	26.73
		जसवंत नगर	–	22.46 रा.भं.नि.	22.46
कानपुर	औरिया	औरिया	–	10.57 रा.भं.नि.	10.57
		जौनपुर	–	7.26 रा.भं.नि.	7.26
		कांपली	–	3.00 रा.भं.नि.	3.00
कानपुर	फरुखाबाद	फरूखाबाद (5.00 निजी+3.20 रा.भं.नि.)	–	8.20(2)	8.20
		छिबरामऊ	–	4.83 रा.भं.नि.	4.83
		कैमगंज	–	1.69 रा.भं.नि.	1.69
		दूमनगंज	–	2.05 रा.भं.नि.	2.05

1	2	3	4	5	6
कानपुर	कानपुर देहात	पोखरायन	–	2.50 रा.भं.नि.	2.50
		छौबेपुर	–	1.05 रा.भं.नि.	1.05
		रूमापुर	–	5.61 रा.भं.नि.	5.61
		भारथाना	–	5.97 रा.भं.नि.	5.97
		भावनपुर	–	1.54 रा.भं.नि.	1.54
		खेमपुर	–	23.58 रा.भं.नि.	23.58
		भौनटी	–	3.15 रा.भं.नि.	3.15
कानपुर	कानपुर	चांदेरी (कानपुर एफ एस डी)	121.08	–	121.08
		चांदेरी (सिलो)	72.00	–	72.00
		नौबस्ता	–	9.93 रा.भं.नि.	9.93
		पाहरी	–	2.40 रा.भं.नि.	2.40
लखनऊ	लखनऊ	तालकटोरा (लखनऊ एफ एस डी)	36.50	3.90 के.भं.नि.	40.41
		तालकटोरा (सिलो)	20.00	–	20.00
लखनऊ	रायबरेली	रायबरेली	40.00	–	40.00
लखनऊ	उन्नाव	बंगारमऊ	–	6.90 रा.भं.नि.	6.90
		उन्नाव	–	10.46 रा.भं.नि.	10.46
मुरादाबाद	बदाऊं	बदाऊं (17.36 रा.भं.नि.+14.35 निजी)	–	31.71(2)	31.71
		बसौली	–	2.95 रा.भं.नि.	2.95
		बिटौरी	–	9.00 निजी	9.00
		उझानी (2.86 रा.वि.नि.+3.95 निजी)	–	6.81(2)	6.81
		वजीरगंज	–	2.82 रा.भं.नि.	2.82
		बरेला	–	10.40 रा.भं.नि.	10.40
मुरादाबाद	बिजनौर	बिजनौर	–	5.08 रा.भं.नि.	5.08
		नगीना	–	2.50 रा.भं.नि.	2.50
मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद	23.34	–	23.34

1	2	3	4	5	6
		चंदौसी (22.15 के.भं.नि.+20.00 निजी+8.00 रा.वि.नि.)	–	50.15(3)	50.15
		ठाकुरद्वार	–	4.20 रा.भं.नि.	4.20
		दलपतपुर	–	14.96 रा.भं.नि.	14.96
मुरादाबाद	रामपुर	दमोरा	35.00	–	35.00
		रामपुर (10.33 रा.भं.नि.+8.62 रा.भं.नि.)	–	18.95(2)	18.95
		बिलासपुर	–	16.96 रा.भं.नि.	16.96
		टांडा	–	4.15 रा.भं.नि.	4.15
मुरादाबाद	जे.बी. नगर	गजरौला	–	36.36 रा.भं.नि.	36.36
शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	रोजा	50.00	–	50.00
		शाहजहांपुर (18.25 के.भं.नि.+31.73 रा.भं.नि.)	13.98	49.98(2)	63.96
		प्रसादपुर	–	4.97 रा.भं.नि.	4.97
सीतापुर	हरदोई	हरदोई (17.82 के.भं.नि. + 5.18 रा.भं.नि.)	11.92	22.80(2)	34.72
		संदिला	–	27.10 रा.भं.नि.	27.10
सीतापुर	लखीमपुर	लखीमपुर खेरी	12.34	32.87 रा.भं.नि.	45.21
	खेरी	पालिया	–	10.79 रा.भं.नि.	10.79
		गोला	–	13.57 के.भं.नि.	13.57
		महबूबाबाद	–	4.53 रा.भं.नि.	4.53
		तिनकुनिया	–	2.46 रा.भं.नि.	2.46
सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	25.77	0.72 रा.भं.नि.	26.49
वाराणसी	जौनपुर	जौनपुर (3.34 निजी+2.00 रा.भं.नि.)	–	5.34(2)	5.34
		शाहगंज	–	2.36 के.भं.नि.	2.36
वाराणसी	मिर्जापुर	मिर्जापुर	7.32	13.12 रा.भं.नि.	20.44

1	2	3	4	5	6
वाराणसी	सोनभद्र	राबर्टगंज (0.83 रा.भं.नि.+1.00 निजी)	–	1.83(2)	1.83
वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	71.42	12.64 रा.भं.नि.	84.06
		व्यासनगर	25.00	–	25.00
सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	बामनहेरी (105.06 के.भं.नि.+ 4.23 रा.भं.नि.)	–	109.29(2)	109.29
सहारनपुर	सहारनपुर	पिलखानी (72.04 के.भं.नि.+ 13.08 रा.भं.नि.)	–	85.12 (2)	85.12
जोड़: उत्तर प्रदेश (ढकी हुई) क्षमता			1464.71	1416.19	2880.90

सारांश

एजेंसी	क्षमता	मौजूदा स्टॉक	उपयोग	गोदामों की संख्या
भारतीय खाद्य निगम स्वामित्व से किराए पर:	1464.71	1331.92	91%	52
के.भं.नि.	375.47	375.47	100%	24
रा.भं.नि.	931.33	932.35	100%	88
निजी पार्टियां	109.93	99.36	91%	19
जोड़	2880.90	2739.10	95%	183

30.9.2001 को उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध (स्वामित्व वाले और किराए पर) कैप (खुली) भंडारण क्षमता

(आंकड़े हजार टन में)

राज्य: उत्तर प्रदेश

भारतीय खाद्य निगम जिले का नाम	राजस्व जिले का नाम	केन्द्र का नाम	ढकी हुई भंडारण क्षमता		
			स्वामित्व	किराए पर	जोड़
1	2	3	4	5	6
आगरा	आगरा	आगरा	16.01	–	16.01
		मैनपुरी	28.28	–	28.28

1	2	3	4	5	6
अलीगढ़	अलीगढ़	हरदुआगंज	3.15	–	3.15
		हाथरस	0.84	6.98	7.82
इलाहाबाद	इलाहाबाद	नैनी (इलाहाबाद)	7.16	–	7.16
		इरादतगंज (ए एस)	–	101.32	101.32
इलाहाबाद	प्रतापगढ़	पृथ्वीगंज	–	40.65	40.65
इलाहाबाद	फतेहपुर	फतेहपुर	–	10.55	10.55
आजमगढ़	आजमगढ़	आजमगढ़	4.62	–	4.62
बरेली	बरेली	बरेली	2.40	63.37	66.07
		नारीवाल	–	19.73	19.73
		भूटा	–	30.37	30.37
		पारसखेरा	2.13	–	2.13
बरेली	पीलीभीत	बिलासपुर	–	1.00	1.00
		पूरनपुर	–	4.50	4.50
		पीलीभीत	1.26	–	1.26
बांदा	बांदा	बतरा	2.40	–	2.40
		बांदा	1.20	–	1.20
बांदा	महोबा	महोबा	2.60	–	2.60
बुलंदशहर	बुलंदशहर	बुलंदशहर (इमलिया)	1.50	–	1.50
		चांदपुर	6.16	–	6.16
		खुर्जा	1.40	–	1.40
		लालपुर	55.40	–	55.40
		सियाना	–	7.10	7.10
फैजाबाद	बाराबंकी	बाराबंकी	24.00	–	24.00
फैजाबाद	सुलतानपुर	सुलतानपुर	–	1.50	1.50
फैजाबाद	फैजाबाद	फैजाबाद	–	28.00	28.00
		पृथ्वीगंज (ए एस)	–	70.00	70.00

1	2	3	4	5	6
गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर	2.40	3.68	6.08
	बस्ती	बस्ती	2.50	–	2.50
गाजापुर	गाजीपुर	गाजीपुर	–	11.17	11.17
गोंडा	गोंडा	गोंडा	31.90	–	31.90
गोंडा	बहरीच	बहरीच	–	1.00	1.00
गोंडा	श्रावती	केसरगंज	–	1.80	1.80
गोंडा	बलरामपुर	बलरामपुर	–	1.71	1.71
हापुड़	गाजियाबाद	हापुड़	6.34	4.32	10.66
झांसी	जालौन	ओरई	–	10.85	10.85
झांसी	झांसी	झांसी	8.12	4.41	12.53
झांसी	ललितपुर	ललितपुर (ए एस)	–	120.00	120.00
कानपुर	कानपुर	चंदेरी (कानपुर)	24.00	–	24.00
		नौबस्ता	–	12.00	12.00
लखनऊ	लखनऊ	तालकटोरा (लखनऊ)	8.40	–	8.40
लखनऊ	रायबरेली	रायबरेली	25.00	–	25.00
मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद	1.66	1.75	3.41
		दलपतपुर	–	18.74	18.74
मुरादाबाद	बदायूं	बाबरेला	–	13.70	13.70
	बिजनौर	नगीना	–	1.90	1.90
मुरादाबाद	रामपुर	धमौरा	65.00	–	65.00
शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	रोजा	20.00	–	20.00
		शाहजहांपुर	–	32.13	32.13
		तिलहार	–	26.38	26.38
		जामौर	–	7.20	7.20
सहारनपुर	सहारनपुर	पलखानी	–	8.00	8.00
		बामनहेरी	–	23.40	23.40

1	2	3	4	5	6
सीतापुर	हरदोई	हरदोई	2.24	1.10	3.34
	सीतापुर	सीतापुर (मिश्रिख)	–	9.97	9.97
वाराणसी	भदोई	उगरपुर (ए एस)	–	39.94	39.94
वाराणसी	चंदौली	व्यास नगर	13.34	–	13.34
वाराणसी	जौनपुर	शाहगंज	–	9.77	9.77
वाराणसी	मिर्जापुर	मिर्जापुर	1.12	–	1.12
वाराणसी	वाराणसी	वाराणसी	2.80	–	2.80
उत्तर प्रदेश की कुल कैप (खुली)		क्षमता	375.33	750.29	1125.62
		स्टॉक	342.30	685.45	1020.77
		उपयोग	91%	91%	91%
		गोदामों की संख्या	32	37	69

[अनुवाद]

म्युचुअल फंड

2874. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड म्यूचुअल फंड को अधिक पारदर्शी बनाने हेतु कई उपाय क्रियान्वित करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये जाने वाले संभावित उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या म्युचुअल फंड बेचने वाले एजेंटों को शिक्षित करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरू किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्युचुअल फंडों के प्रचालनों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए समय-समय पर अनेक सुधार आरंभ किए हैं। इन अपेक्षाओं में निम्न शामिल हैं: प्रकटन मानकों का सुदृढ़ीकरण; परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी को दो-तिहाई न्यासी और 50 प्रतिशत निदेशक स्वतंत्र होने चाहिए; असीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में निवल परिसंपत्ति मूल्यों का दैनिक आधार पर प्रकटन और असीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में साप्ताहिक आधार पर प्रकटन; निर्धारित प्रपत्र में अलेखापरीक्षित अर्धवार्षिक परिणामों का प्रकाशन; परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां प्रत्येक निवेश निर्णय के समर्थन में रिकार्डों का रखरखाव करेंगी; म्युचुअल फंडों के कर्मचारियों द्वारा प्रतिभूतियों में निवेश/व्यापार करने के लिए मार्गनिर्देश और म्यूचुअल फंडों द्वारा अपनी योजनाओं में भारी यूनिट धारिताओं का प्रकटीकरण करना।

(ग) और (घ) दिनांक 1 नवम्बर, 2001 से सेबी ने सभी म्युचुअल फंडों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे भारत म्यूचुअल फंड संघ (एएमएफआई) द्वारा प्रमाणित एजेंट/वितरक नियुक्त करें। विद्यमान एजेंटों/वितरकों से आशा की जाती है कि वे 31 मार्च, 2003 तक प्रमाणन कार्यक्रम पास कर लें।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में निवेश

2875. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के कितने प्रस्ताव भेजे गए;

(ख) इसमें कितनी राशि शामिल है और उत्तर प्रदेश से संबंधित कितने प्रस्ताव हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी राशि शामिल है;

(घ) स्वीकृत प्रस्ताव के अंतर्गत कितना वास्तविक निवेश किया गया;

(ङ) क्या परियोजना के स्वीकृत होने के बाद भी कई अनिवासी भारतीयों द्वारा कड़ी कार्यालयी औपचारिकताओं और भ्रष्टाचार के कारण निवेश नहीं किया गया; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) वर्ष 1998 से सितंबर, 2001 के दौरान अनिवासी भारतीयों के 525 निवेश प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था, जिनमें 3160.02 करोड़ रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश के संबंध में 22 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था, जिनमें 66.64 करोड़ रुपये की राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है;

(घ) अनिवासी भारतीयों द्वारा किये गये वास्तविक निवेश से संबंधित सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है;

(ङ) और (च) अन्तर्वाह के लिए भूमि अधिग्रहण, विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की प्राप्ति, निधियों की व्यवस्था, आदि जैसे कई कारकों की वजह से प्राय: लम्बा समय लिया जाता है जिसमें समय लगता है। इनके अलावा, विश्व बाजार की परिस्थितियां और व्यापार के मूल तत्व जैसे अंतर्राष्ट्रीय कारक भी निवेश के बड़े निर्णयों को निर्धारित करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने तथा निवेशक-अनुकूल वातावरण का सृजन करने की दृष्टि से, अनिवासी भारतीय निवेश सहित विदेशी व्यापार निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक गतिशील नीति पहले से ही लागू है। तथापि, उक्त नीति की समीक्षा करना एक सतत् और परामर्शदायी प्रक्रिया है, जिसमें सरकार के अनेक विभागों और मंत्रालयों को शामिल किया जाता है।

विवरण

जनवरी, 1998 से सितंबर, 2001 के दौरान अनुमोदित किए गए एन आर आई प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे तथा इनमें अंतर्ग्रस्त राशि

राज्य	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित एफ डी आई की राशि करोड़ रुपये	जोड़ का %
	कुल	तकनीकी	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	78	0	78	555.84	17.59
गुजरात	20	0	20	77.04	2.44
हरियाणा	16	0	16	138.53	4.38
हिमाचल प्रदेश	2	0	2	0.79	0.02
कर्नाटक	68	1	67	18878	5.97
केरल	14	0	14	107.40	3.40
मध्य प्रदेश	3	0	3	3.04	0.10
महाराष्ट्र	108	0	108	1169.35	37.00

1	2	3	4	5	6
उड़ीसा	3	0	3	8.87	0.28
पंजाब	5	0	5	8.79	0.28
राजस्थान	9	0	9	60.99	1.93
तमिलनाडु	74	1	73	230.73	7.30
उत्तर प्रदेश	22	0	22	66.64	2.11
पश्चिम बंगाल	12	0	12	91.47	2.89
झारखंड	1	0	1	0.20	0.01
छत्तीसगढ़	3	0	3	2.98	0.09
दादर और नागर हवेली	1	0	1	0.86	0.03
दिल्ली	61	0	61	326.07	10.32
पांडिचेरी	5	0	5	13.26	0.42
दमन और दीव	1	0	1	0.25	0.01
राज्य जिनका उल्लेख नहीं किया गया	19	0	19	108.14	3.42
योग	525	2	523	3160.02	

टिप्पणी: स्थापना स्थल में परिवर्तन के कारण एफ डी आई अनुमोदनों में वृद्धि/कमी।

[अनुवाद]

व्यय सुधार आयोग

2876. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय और उनके अधीन आने वाले विभागों में हो रहे अपव्यय को कम करने के लिए सिफारिश देने हेतु उनके मंत्रालय में कोई व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि को आयोग का गठन किया गया और इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) इस आयोग द्वारा अब तक की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उनके मंत्रालय और उसके अधीन आने वाले विभागों में क्रियान्वयन हेतु लम्बित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक उनको क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें उचित रूप से कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) व्यय सुधार आयोग का गठन वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा 28 जनवरी, 2000 को किया गया था। आयोग की संरचना निम्नानुसार है:

(1) श्री के.पी. गीताकृष्णन, पूर्व वित्त सचिव — अध्यक्ष

(2) श्री बी.एम. जफा, पूर्व वित्तीय सलाहकार रक्षा मंत्रालय — सदस्य

(3) श्री कीर्ति पारीख, अर्थ शास्त्री — सदस्य

(4) सी.सी.एम. वासुदेव सचिव (वित्त) वित्त मंत्रालय — पदेन-सदस्य

(5) श्री जे.एस. माथुर, अपर सचिव (बजट) वित्त मंत्रालय) — सदस्य सचिव

(ग) वाणिज्य विभाग के बारे में आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा इसकी नौवीं रिपोर्ट में दिया गया है। यह रिपोर्ट वित्त मंत्री को 19.9.2001 को सौंपी गई थी। सिफारिशों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) रिपोर्ट की जांच की जा रही है और 31 मार्च, 2002 से पूर्व इसे क्रियान्वित किये जाने की संभावना है।

विवरण

4. विश्लेषण एवं सिफारिशें

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय

4.1 सुधारों के शुरू होने और आयातों एवं निर्यातों का प्रभावी नियंत्रण हटने के कारण डी जी एफ टी के कार्य भार में भारी गिरावट आयी है। सामान्यत: 2500 से अधिक के कर्मचारियों वाले इस विशाल संगठन को या तो व्यापक रूप से सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए या विकल्पत: इसका परिसमापन कर एक ऐसे नए लघु संगठन की स्थापना की जानी चाहिए जो वाणिज्य विभाग द्वारा उसे अब सौंपी गयी अधिक समर्थनकारी भूमिका निभा सके। तथापि, कर्मचारियों की संख्या में कुछ कमी करने के अलावा कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। डी जी एफ टी इस सर्वविदित अवधारणा का एक बेहतर उदाहरण है कि सरकार में जब नियंत्रण समाप्त होते हैं तो नियंत्रक बने रहते हैं भले ही उनका स्वरूप भिन्न हो।

4.2 डी जी एफ टी अब सौंपे गए समर्थनकारी कार्यों में एकमात्र सबसे बड़ी मद अग्रिम लाइसेंस योजना की है। हालांकि निविष्टि एवं उत्पादन संबंधी मानदंड के निर्धारण का कार्य मुख्यालय द्वारा किया जाता है तथापि, अग्रिम लाइसेंसों का मुद्दा 31 क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य की प्रमुख मद है। कम्प्यूटरीकरण होने से इन आवेदन पत्रों की कार्रवाई में आने वाले कार्य भार में भारी कमी आयी है। अत: एक ओर नियंत्रण संबंधी कार्यों में भारी कमी और दूसरी ओर अग्रिम लाइसेंसिंग योजना हेतु इस समय प्रवृत्त कम्प्यूटरीकृत कार्य से संबंधित क्रियाविधियों को ध्यान में रखते हुए इन कार्यालयों में से प्रत्येक कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या का पुनर्निर्धारण करना जरूरी है। भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद को इन कार्यालयों के कर्मचारियों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन करने की अपेक्षा की जानी चाहिए।

4.3 मात्रात्मक प्रतिबंधों की चरणबद्ध समाप्ति से यह योजना अब शुल्क वापसी योजना से भिन्न नहीं रह गयी है जिनमें निर्यात से संबद्ध आयातों पर शुल्क में प्रारंभिक स्तर पर ही छूट प्रदान की जाती है। इस प्रकार जहां डी जी एफ टी का कार्यालय निर्यातकों के लिए अग्रिम लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में उनके अनुरोध पर प्रथम सम्पर्क की व्यवस्था करता है उसके बाद वे अग्रिम लाइसेंस और आयात-निर्यात पास बुकें प्राप्त करते हैं, वहीं उनके लिए बाण्डों और बैंक गारंटियों, जहां आवश्यक हो, के साथ संबंधित सीमाशुल्क कार्यालयों में पंजीकरण कराना अपेक्षित होता है। उसके बाद आयात और निर्यात के प्रत्येक चरण में उनका संबंध केवल सीमाशुल्क विभाग से रहता है। निर्यातकों द्वारा एक बार निर्यात दायित्वों को पूरा कर लेने के बाद वे निर्यात दायित्व निष्पादन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए पुन: डी जी एफ टी में जाते हैं। इस प्रमाण पत्र के बाद वे बाण्डों/बैंक गारंटियों के मोचन हेतु सीमा शुल्क प्राधिकारियों से संपर्क करते हैं। किसी कदाचार अथवा कमी की स्थिति में जो अनुवर्ती कार्रवाई आवश्यक हो सकती है उसे केवल सीमाशुल्क विभाग द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अग्रिम लाइसेंसों के मामले में निर्यातकों को डी जी एफ टी की अपेक्षा सीमाशुल्क विभाग के साथ अधिक सम्पर्क में रहना पड़ता है। लाइसेंसों के प्रारंभिक निर्गम सहित समूचे प्रचालनात्मक कार्य को सीमाशुल्क विभाग में निहित किए जाने से निर्यातकों के लिए सौदों के समय और लागत में कमी आएगी। खासकर, जब सभी पत्तनों पर इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली को लागू करने और आयातों एवं निर्यातों की इलैक्ट्रॉनिक घोषणा से संबंधित कार्रवाई सीमाशुल्क विभाग द्वारा पूरी की जाती है तब निर्यातकों के लिए सौदों के समय में हुई बचत महत्वपूर्ण हो जाएगी। अत: सरकार के लिए दो वर्षों में यह आश्यक होगा कि वह इस बात की जांच करे कि क्या अग्रिम लाइसेंसों की मंजूरी से संबंधित कार्य सीमाशुल्क विभाग में निहित नहीं किया जाना चाहिए? तथापि, अन्य मंत्रालयों के परामर्श से निविष्टि-उत्पादन संबंधी मापदण्डों और नीतिगत मुद्दों को तय करने की जिम्मेदारी वाणिज्य विभाग के पास बनी रह सकती है।

(ख) वाणिज्यिक आसूचना महानिदेशालय

4.4 इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केन्द्र (सी एम आई ई) जिसका मुख्यालय मुम्बई में और एक कार्यालय नई दिल्ली में है, डी जी सी आई एस द्वारा लिये जाने वाले समय

से अपेक्षाकृत कम समय में व्यापार आंकड़ों से संबंधित व्यापक आंकड़े भी प्रकाशित कर रहा है। खास बात है कि सी एम आई ई के आंकड़ों में लाभांश, रॉयल्टी, परामर्श शुल्क इत्यादि के रूप में विदेशी मुद्रा में अर्जित आय जैसी मदें भी शामिल होती हैं और इस प्रकार ये डी जी सी आई एस की समीक्षाओं से अधिक निर्यात आंकड़ों की अपेक्षाकृत अधिक मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं।

4.5 किन्तु उसके बाद भी सी एम आई ई का विश्लेषण अनिवार्यत: डी जी सी आई एस के आंकड़ों पर आधारित होता है। इस प्रकार डी जी सी आई एस के आंकड़े वह आधार बने रहेंगे जिस पर व्यापार आंकड़ों का संकलन करना होगा। तथापि, प्रमुख समस्या डी जी सी आई एस द्वारा आठ अंक स्तरीय परिणामों को निकालने में लिए जाने वाले असामान्य समय की रही है। क्रियाविधियों को सरल और कारगर बनाने के लिए पहले से ही शुरू किए गए प्रयासों के कारण आशा है कि इस वर्ष की समाप्ति से पूर्व इस समयान्तराल को घटा कर केवल लगभग आठ सप्ताह कर दिया जाएगा। इससे डी जी सी आई एस के आंकड़ों में प्रमुख कमी समाप्त हो जाएगी।

4.6 डी जी सी आई एस के कर्मचारियों की संख्या का पहले निर्धारण उस तरीके, जिसमें आंकड़े सीमाशुल्क गृहों से प्राप्त होते थे, के संदर्भ में किया गया था और इसमें शामिल कार्य डी जी सी आई एस में उस समय प्रचलित क्रियाविधियों और उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार आंकड़ों की निकासी, संकलन और विश्लेषण का है। जैसा कि पहले बताया गया है कि सीमाशुल्क गृहों से अब प्राप्त हुए 85 प्रतिशत आंकड़े पहले से ही मैगनेटिक मीडिया पर होते हैं और इस प्रकार इन आंकड़ों की निकासी और उनके संकलन के कार्यभार में पर्याप्त कमी आ गयी है। इससे डी जी सी आई एस में सहायक स्टाफ के स्तरों (समूह ख ग और घ में 423) में पर्याप्त कमी करनी अपेक्षित होगी। इसके अलावा, सीमाशुल्क विभाग ने एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण अभियान शुरू किया है और आशा है कि टेपों में प्रविष्ट किये जाने वाले निर्यात-आयात के आंकड़ों की वर्तमान प्रणाली में उस स्थिति में प्रमुख परिवर्तन हो जाएगा जब निर्यात नौवहन बिलों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सत्यापन की जरूरत वस्तुत: समाप्त हो जाएगी और डी जी सी आई एस में संकलन संबंधी कार्य भार भी कम हो जाएगा। लघु सीमाशुल्क गृह जो इस समय मैन्युअल डी टी आर पर आंकड़े भेजते हैं, आगामी वर्षों में मैगनेटिक मीडिया का उपयोग शुरू कर देंगे। जब सीमाशुल्क विभाग द्वारा ये परिवर्तन कर लिए जाएंगे तो डी जी सी आई एस की स्टाफ संबंधी जरूरत में आगे और कमी आ जाएगी। यह सुनिश्चित तथ्य है कि आई आई एम, कोलकाता को डी जी सी आई एस की स्टाफ संबंधी जरूरत के पुनर्मूल्यांकन का काम सौंपा गया है। उनके लिए विशेष रूप से यह अपेक्षित होना चाहिए कि वे आंकड़ों की उपलब्धता की गुणवत्ता और उनके स्वरूप में हुए सुधारों, जो अब हो चुके हैं, और आगामी वर्षों में संभावित अगली सुधारों को ध्यान में रखें और अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि इसे 1.4.2002 से लागू किया जा सके। यदि आई आई एम का अध्ययन पूरा होने में एक या उससे अधिक वर्ष का समय लगने की संभावना है तो एस आई यू से प्राथमिकता आधार पर यह निर्धारण करने का अनुरोध किया जा सकता है।

(ग) शत्रु संपत्ति अभिरक्षक, मुम्बई और कोलकाता स्थित शाखा कार्यालय

4.7 यह निर्धारण करना कि ऐसी कौन-कौन सी परिसंपत्तियां हैं जिन्हें अभी भी उनके वर्तमान स्वरूप में रखना अपेक्षित है और उन परिसंपत्तियों का पता लगाना जिनका निपटान किया जा सकता है और प्राप्त आय को विशेष खाते में रखना जरूरी होगा। इन सभी सम्पत्तियों का अनिश्चित काल तक "संरक्षण और प्रबंधन" जारी रखना औचित्यपूर्ण नहीं है। इसी प्रकार, उन भारतीय नागरिकों/कंपनियों, जिनकी सम्पत्तियां 1965 के संघर्ष में पाकिस्तान द्वारा जब्त कर ली गयी थी, द्वारा किए गए आनुग्रहिक भुगतान के दावों की जांच करना और इनका एक या दूसरे तरीके से शीघ्र निपटान करना भी जरूरी होगा। कार्य के इन सभी पहलुओं और कार्य की ऐसी मदों जो गृह मंत्रालय की सुपुर्दगी में रहती है, को समयबद्ध ढंग से अर्थात् दो वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए ताकि इस संगठन का परिसमापन किया जा सके।

(घ) निर्यात संसाधन/विशेष आर्थिक जोन

4.8 जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है कि एफ ई पी जेड, कोलकाता में कुछ सेवाओं को कम करके सहायक कर्मचारियों की संख्या को कम रखा गया है। अन्य ई पी/एस ई जोनों में इसी प्रकार की व्यवस्थायें लागू करने की व्यवहार्यता की तलाश की जानी चाहिए ताकि कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम स्तर पर लायी जा सके। इससे मुद्दों पर कार्रवाई करने वाले स्टाफ को आबंटित किये जाने वाले प्रयास को न्यूनतम करना और जोनों से संबंधित समस्याओं और मुद्दों के प्रति कम समय में अधिक ध्यान देना सुविधाजनक बनेगा।

4.9 विशेष आर्थिक जोन जो यद्यपि अनुमोदित किये जा चुके हैं लेकिन उन्होंने अभी तक कार्य शुरू नहीं किया है। चूंकि इनकी स्थापना और रख-रखाव निजी क्षेत्र में किया जाएगा इसलिए केवल निगरानी की जिम्मेवारी सरकार की होगी। इस प्रकार अतिरिक्त स्टाफ की कोई जरूरत नहीं हो सकती है।

(ङ) वस्तु बोर्ड

4.10 वाणिज्य विभाग के कहने पर वस्तु बोर्डों के कार्य संचालन की जांच हाल ही में श्री पी.पी. प्रभु, पूर्व सचिव (वाणिज्य) द्वारा की गयी है। विभाग को मई, 2001 में प्रस्तुत रिपोर्ट में व्यापक आधार-इन बोर्डों का संगठनात्मक ढांचा और कार्य एवं गतिविधियां शामिल हैं और इसमें अनेक विशिष्ट सिफारिशें निहित हैं। इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ इन बोर्डों को व्यापक आधारित बनाने और साथ ही साथ सरकारी उपस्थिति का कम करने, इन बोर्डों को अधिक वित्तीय प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी जिम्मेवारी प्रदान करने, कार्यकलापों का मुख्य बिन्दु निर्यात संवर्धन और अनुसंधान इत्यादि को बनाने पर जोर दिया गया है।

4.11 श्री प्रभु ने चाय बोर्ड के पांच विदेश स्थित कार्यालयों को बंद करने का सुझाव दिया है जिससे लगभग 5 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत होगी और उन्होंने चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबड़ बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या को काफी कम करने का सुझाव भी दिया है। चाय बोर्ड के मामले में कर्मचारियों की संख्या में 25 प्रतिशत की कमी स्पष्ट होती है। चेन्नई और कोचीन स्थित कार्यालयों को बंद करने, समस्त अनिवार्य पंजीकरण और लाइसेंसिंग को समाप्त करने और मुख्यालय एवं संसद भवन स्थित टी-हाऊस को छोड़कर अन्य हाऊसों का निजीकरण करने की सिफारिश की गयी है। कॉफी बोर्ड के मामले में उक्त प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ कॉफी हाऊसों का निजीकरण करने तथा गैर-तकनीकी संवर्गों एवं विस्तार कार्य तथा प्रशासन को कम करने का उल्लेख किया गया है। इन उपायों से 1100 से अधिक मौजूदा स्टाफ संख्या में से लगभग 330 की कमी आने की संभावना है। रबड़ बोर्ड के मामले में रिपोर्ट में उत्पादन विभाग में एक तिहाई (लगभग 450) से अधिक का स्टाफ बेशी बताया गया है जबकि लाइसेंसिंग कार्य की समाप्ति से 230 से अधिक की कमी आने की संभावना है। प्रशासनिक, वित्त एवं अनुसंधान पक्ष के सहायक स्टाफ को कम करने की भी सिफारिश की गयी है। अंतिम विश्लेषण में संभवत: 2274 की मौजूदा तादाद के 60 प्रतिशत से अधिक की जरूरत नहीं होगी। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि इस बेशी की स्थिति के बावजूद बोर्ड प्रति वर्ष कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप पिछले 10 वर्षों में कर्मचारियों की संख्या में समूह ''क'' में 60 प्रतिशत, समूह ''ख' में 35 प्रतिशत और समूह ''ग'' में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। स्पष्टत: यह मामला समस्त बोर्डों को इस आशय का निर्देश जारी करने का बनता है कि श्री पी.पी. प्रभु द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की संख्या का पुनर्निर्धारण होने तक सभी स्तरों पर आगे भर्ती बंद की जाए। तत्काल संदर्भ की सुविधा हेतु उक्त रिपोर्ट में निहित सिफारिशों का सारांश अनुबंध-IV में दिया गया है।

4.12 व्यय सुधार आयोग यह सिफारिश करता है कि कम सरकारी प्रतिनिधित्व के साथ बोर्डों का पुनर्गठन करने, निर्यात संवर्धन एवं अनुसंधान को कार्यकलापों का मुख्य बिन्दु बनाने, चाय बोर्ड के विदेश स्थित कार्यालयों को बंद करने, काफी हाऊसों का निजीकरण करने और चाय बोर्ड, काफी बोर्ड और रबड़ बोर्ड में कर्मचारियों की संख्या को कम करने के सुझावों का वस्तुत: कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। इसके बाद, व्यय सुधार आयोग इन सिफारिशों के मुख्य बिन्दुओं का आगे कार्यान्वयन करने की जरूरत को भी रेखांकित करेगा। स्पष्ट रूप से इन बोर्डों को सरकारी नियंत्रण तथा सरकारी क्रियाविधियों से मुक्त बनाने में समर्थ बनाए जाने चाहिए और इनके द्वारा कार्यों का निष्पादन विकासपरक भूमिका में वृद्धि को छोड़कर, जो क्षेत्र स्तर पर समर्थनकारी क्रियाकलापों की अपेक्षा अनुसंधान पर केन्द्रित होगी, निर्यात संवर्धन परिषदों के समान होना चाहिए। इन बोर्डों पर से वित्तीय, प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय नियंत्रण कम करने के लिए वाणिज्य विभाग में कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया के लिए उन अधिनियमों जिनके तहत इन बोर्डों की स्थापना की गयी है को या तो समाप्त करना या उनमें प्रमुख संशोधन करना भी अपेक्षित हो सकता है। अत: इस कार्य को तत्काल आधार पर शुरू किए जाने की जरूरत होगी। इस समस्त कार्य को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए और विभाग के एक अधिकारी को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की परम्परा को समाप्त किया जाना चाहिए। श्री पी.पी. प्रभु द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार एक बार विदेश स्थित कार्यालयों के बंद होने और संगठनों में कर्मचारियों की संख्या कम हो जाने के बाद इनमें से प्रत्येक बोर्ड के वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित निधियों का नए सिरे से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इन बोर्डों के लिए सरकार द्वारा संग्रहित उप कर की राशि में से जारी की गयी निधियों से तथा आंतरिक नकदी का सृजन करके विशिष्ट समय-सीमा-2 वर्ष और उससे अधिक नहीं के भीतर अपने समस्त आवर्ती और अनावर्ती व्यय को पूरा करना अपेक्षित होना चाहिए और सरकारी बजटीय सहायता के संबंध में आगे और कोई मांग नहीं की जानी चाहिए। इन बोर्डों को किए जाने वाले विविध कार्यों से संबंधित व्यापक दिशा-निर्देशों और परिसम्पत्तियों के निपटान और नए पदों के सृजन संबंधी प्रतिबंधों तथा मध्यम अथवा दीर्घावधि स्वरूप की किसी वचनबद्धता के अधीन रहते हुए पूर्ण कार्यचालनात्मक स्वायत्ता प्रदान की जानी चाहिए।

(च) स्वायत्तशासी संगठन

I. भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

4.13 आई आई एफ टी को इस ढंग से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वह व्यापार और उससे जुड़े मामलों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का एक प्रमुख संस्थान बन सके। इसमें अपने आंतरिक नकदी के सृजन को उस स्तर तक बढ़ाने की क्षमता है जिस पर इसे अपने दिनानुदिन के व्यय संबंधी जरूरतों के लिए सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम अर्थात् 2 से 3 वर्षों का तैयार किया जाना चाहिए। जब यह लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा तो संस्थान सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो सकता है। तत्पश्चात् यह शासी निकाय प्रबंधित बन सकता है। किसी सरकारी अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करने की परम्परा को समाप्त किया जा सकता है।

II. निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली

4.14 हालांकि कुछ मामलों में कुछेक बेईमान निर्यातकों द्वारा घटिया माल के निर्यात से इन क्षेत्रों में समूचे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथापि यह सच है कि निर्यात प्रमाणन को व्यापक रूप से मांग आधारित बनाया जाना चाहिए। अत: मंत्रालय के लिए उन मदों की सूची की समीक्षा करना जरूरी होगा जिनके लिए निर्यात प्रमाणन को अनिवार्य बनाया जाता है और इसे केवल उन क्षेत्रों तक सीमित किया जाता है जहां प्रमाणन पर जोर न दिये जाने से उस क्षेत्र के समूचे निर्यात प्रयासों में बाधा आ सकती है। अन्य सभी मामलों में निर्यात प्रमाणन को मांग आधारित होना चाहिए। निर्यात निरीक्षण परिषद के अलावा एम्पीडा इत्यादि जैसी एजेंसियों सहित अन्य संगठनों को भी उस स्थिति में ऐसे प्रमाणन की व्यवस्था करने का प्राधिकार दिया जा सकता है यदि उनके पास आवश्यक सुविधाएं हों। इस प्रकार की प्रतिस्पर्द्धा से प्रमाणन कार्य की गुणवत्ता में सुधार आ सकता है और उसके लिए प्रभारों में कमी आ सकती है। तत्पश्चात् निर्यात निरीक्षण परिषद मोटे तौर पर मांग आधारित बन जाएगा और इसके लिए प्रतिस्पर्द्धी वातावरण बनेगा और इसके लिए वास्तविक कार्य भार के अनुसार उसके विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या का पुनर्निर्धारण अपेक्षित हो सकता है। ई आई सी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में ऐसी किसी समीक्षा के लंबित रहने तक आई डब्ल्यू एस यू की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के संबंध में त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए जिसने कोलकाता कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या की जांच करने के बाद यह सिफारिश की थी कि 277 की कुल संख्या में जूट योजना में लगाए गए 183 कर्मचारियों को फालतू घोषित किया जाए।

***III.* भारतीय पैकेजिंग संस्थान और भारतीय माध्यस्थम परिषद, नई दिल्ली**

4.15 दोनों संगठनों के कार्यकलापों का स्वरूप और उनका दायरा इस ढंग का है जिससे कि इन संगठनों में भागीदारी और उन पर नियंत्रण रखना सरकार के लिए आवश्यक नहीं रह गया है। दोनों संगठनों की शासी निकाय को सुव्यवस्थिति किया जा सकता है ताकि प्रबंधकीय जिम्मेवारी को पूर्णत: विभिन्न हितबद्ध पक्षों में निहित किया जा सके और सरकार दोनों संगठनों में से अपनी भागीदारी समाप्त कर सके। अगले दो वर्षों में भारतीय माध्यस्थम परिषद के लिए सरकार की बजटीय सहायता को चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया जाना चाहिए। इन दोनों संगठनों के लिए सरकार द्वारा विशिष्ट परियोजनाओं के लिए मामला दर मामला आधार पर सहायता प्रदान की जा सकती है जैसाकि अब भारतीय पैकेजिंग संस्थान के संबंध किया जा रहा है।

IV. समुद्री उत्पाद तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

4.16 वस्तु बोर्डों के संबंध में पहले की गयी सिफारिशें इन दोनों संगठनों पर ही समान रूप से लागू होंगी।

V. भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ

4.17 यद्यपि फिओ विभिन्न निर्यात संवर्धन संगठनों के लिए एक शीर्षस्थ निकाय है तथापि आज यह प्रमुखत: एक सेवा दाता अभिकरण के रूप में कार्य कर रहा है और निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट सरकार की निधियां फिओ के जरिए जारी की जाती है। जैसाकि निर्यात संवर्धन परिषदों के मामले में किया गया है, सरकार को इस संगठन में भागीदारी करने अथवा उस पर नियंत्रण रखने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार की बजटीय सहायता को विशिष्ट परियोजनाओं के लिए बाजार विकास सहायता प्रदान करने तक सीमित किया जाना चाहिए।

VI. भारतीय हीरा संस्थान

4.18 इस संस्थान में रत्न एवं आभूषण उद्योग की प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में विकसित होने की संभावना है। इस प्रयोजनार्थ इस संस्था में और उस पर नियंत्रण रखने की सरकार की भूमिका को आगामी दो वर्षों में चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया जाना चाहिए। इस संस्थान को ऐसी क्रियाविधियां-वित्तीय प्रशासन और प्रबंधन, की अनुमति की जानी चाहिए। जो उसकी जरूरतों के लिए सर्वथा उपयुक्त हों और रत्न एवं आभूषण उद्योग द्वारा संस्थान के प्रबंधन में अधिक व्यापक भूमिका निभायी जानी चाहिए।

VII. निर्यात संवर्धन परिषदें

4.19 मौजूदा व्यवस्था को जारी रखा जा सकता है जिसके तहत निर्यात संवर्धन परिषदों का संचालन संबंधित समूह के उद्योगों द्वारा किया जाता है और सरकार द्वारा जब उचित समझा जाता है विशिष्ट कार्यकलापों के लिए बाजार विकास सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इन संगठनों पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता है और इस व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए।

(छ) वाणिज्य विभाग

4.20 वाणिज्य विभाग का संचालन शीर्षस्थ स्तर पर एक सचिव और एक विशेष सचिव द्वारा किया जाता है। विशेष सचिव डब्ल्यू टी ओ मामलों, व्यापार नीति के मुद्दों और यूरो से संबंधित विदेश व्यापार के मामलों को भी देखते हैं। हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है कि डब्ल्यू टी ओ मामलों पर एकल पद्धति के तहत विचार किया जा सकता है तथापि, सामान्य तौर पर आगामी अनेक वर्षों में डब्ल्यू टी ओ और व्यापार नीति संबंधी मुद्दों तथा व्यापार संवर्धन एवं द्विपक्षीय व्यापार के मामलों को समेकित ढंग से देखना होगा। इसके लिए इस विभाग के सचिव को कार्य के दोनों क्षेत्रों के कुशल प्रचालन के लिए सीधे जिम्मेवार होना चाहिए। मौजूदा व्यवस्था जिसके तहत समकक्ष स्तर का अधिकारी यद्यपि उसे विशेष सचिव के रूप में पद नामित किया जाता है डब्ल्यू टी ओ और व्यापार नीति प्रभागों का कार्य देखता है, इस एकीकृत पद्धति का ह्रास होता है। अत: विशेष सचिव के पद का स्तर घटाकर उसे अपर सचिव के स्तर पर लाया जाना चाहिए ताकि सचिव इस विभाग के समस्त कार्यों के लिए पूर्णत: जिम्मेवार बन सकें।

4.21 जैसा कि खंड I के अंत में उल्लेख किया गया है कि डब्ल्यू टी ओ और बहुपक्षीय मुद्दे, समेकित व्यापार नीति जिसके तहत निर्यात प्रयासों को अधिकतम बनाना और 'पाटन' से घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करना अपेक्षित है, अब विभाग के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों के रूप में उभरे हैं। विभाग को इन कार्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन हेतु वरिष्ठ स्तर पर सुदृढ़ करने की जरूरत होगी जहां तक डब्ल्यू टी ओ और बहुपक्षीय मुद्दों का संबंध है, वाणिज्य विभाग के पास कृषि, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन इत्यादि जैसे अन्य विभागों को ठोस और समय पर सलाह देने की क्षमता भी होनी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ विशेषज्ञों के "इन हाऊस" सुयोग्य व्यावसायिक दल की त्वरित बैठक होने में आने वाली क्रियाविधिक अड़चनों के कारण एक विकल्प प्रख्यात विशेषज्ञों के एक थिंक टैंक की स्थापना की संभावना को तलाशना। इस थिंक टैंक के लिए समन्वय कर्त्ता के रूप में कार्य करने हेतु संविदा आधार पर नियुक्त किए गए केवल एक पूर्णकालिक वरिष्ठ व्यावसायिक की जरूरत है। विशेषज्ञों का एक बड़ा पैनल हो सकता है जो अपनी सुविधानुसार अल्पावधियों के लिए थिंक टैंक की चर्चाओं और विचार-विमर्शों में भाग ले सकता है। इस थिंक टैंक की स्थापना आई आई एफ टी कैम्पस में की जा सकती है ताकि उसे पुस्तकालय सहित अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। साथ ही साथ इसकी एक पृथक सत्ता होगी जिसमें एक प्रबंध परिषद होगी जिसमें वाणिज्य विभाग, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन तथा कृषि इत्यादि के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। थिंक टैंक पर आने वाले व्यय की भागीदारी भिन्न-भिन्न उपयोक्ता विभागों द्वारा की जा सकती है।

4.22 आर्थिक प्रभार के कार्यों को व्यापार नीति प्रभाग में पूर्ण रूप से समेकित करने की जरूरत होगी ताकि व्यापार नीति प्रभाग को अधिक सुविधा प्रदान की जा सके। वस्तु एवं तकनीकी प्रभागों के साथ इसके संबंध का मजबूत बनाने की जरूरत होगी।

4.23 पाटनरोधी महानिदेशालय का कार्यालय तुलनात्मक रूप से नयी उपज है और इसके संगठनात्मक ढांचा और क्रियाविधियां पूर्ण रूप से अभी तैयार की जानी है। 1.4.2001 से अधिकांश मात्रात्मक प्रतिबंधों के समाप्त हो जाने के कारण चुनोतयों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए संगठन और वस्तुत: स्वयं सरकार की क्षमताओं की अब पूरी परख की जाएगी। कार्रवाई किए जाने वाले मामलों की संख्या बढ़ने के कारण इस संगठन के समक्ष आने वाले मामलों की समय पर जांच करने के लिए इसकी तकनीकी क्षमताओं को सुदृढ़ करना होगा। इस संगठन और राजस्व विभाग के अधीन रक्षोपायक महानिदेशालय से संबंधित मामलों के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण बनने के बाद इस प्रश्न की जांच की जा सकती है कि क्या इन कार्यों को टैरिफ संशोधन के कार्य के साथ जोड़ा जा सकता है और इस कार्य को किसी स्वतंत्र सांविधिक आयोग को सौंपा जा सकता है।

4.24 जहां तक वस्तु बोर्डों से संबंधित कार्य का संबंध है, शक्तियों के उद्दिष्ट प्रत्यायोजन, संबंधित अधिनियमों में संशोधन/उनके समापन इत्यादि कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्टाफ को ही विभाग में बनाए रखना आवश्यक होगा। अन्य समस्त पदों, जिन्हें अब वस्तु बोर्डों से संबंधित कार्य के निष्पादन हेतु अनन्य रूप से स्वीकृत किया गया है को आगे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

4.25 व्यापार पूछताछों पर कार्रवाई करने और व्यापार विवादों के निपटान और प्रदर्शनियों/मेलों इत्यादि के आयोजन में सहायता प्रदान करने के लिए विदेशों में वाणिज्य विभाग के अधीन 66 व्यापार मिशन हैं। पिछले वर्ष इन मिशनों पर लगभग 60 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। इन मिशनों में तैनात किये गए 171 अधिकारियों में से केवल 12 अधिकारी वाणिज्य

मंत्रालय के थे। विदेश मंत्रालय के कार्यों, क्रियाकलापों और संरचना की समीक्षा में यह सुझाव दिया गया है कि विदेश मंत्रालय से भिन्न अन्य सभी मंत्रालयों/विभागों के विदेशों में कार्यालयों की जरूरत पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए और जहां कहीं व्यावहारिक समझा जाए इन अन्य मंत्रालयों के क्रियाकलापों का निष्पादन विदेश स्थित विदेश मंत्रालय के कार्यालय द्वारा उन्हें आबंटित बजट और स्टाफ संख्या के भीतर किया जाना चाहिए। ऐसा केवल उन मामलों में है जहां अन्य मंत्रालयों के लिए विदेशों में अपना कार्यालय स्थापित करने के बारे में इस आशय का पूर्ण औचित्य दर्शाया जाता है कि क्या उन्हें ऐसे कार्यालयों में अपने कर्मचारियों को तैनात करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में ऐसे कार्यालयों की स्थापना संबंधी खर्च को वस्तुत: उस मंत्रालय/विभाग के बजट में दर्शाया जाएगा। इसी प्रक्रिया का अनुपालन वाणिज्य विभाग के विदेश स्थित 60 विषम व्यापार मिशनों के संबंध में किया जाना चाहिए। विदेश स्थित व्यापार मिशनों को न केवल वाणिज्य विभाग के अधीन संगठनों से बल्कि निजी क्षेत्र की पार्टियों से भी प्राप्त सभी पूछताछों पर कार्रवाई करने के लिए सुसज्जित होना चाहिए और इस प्रकार इन अन्य संगठनों द्वारा अलग कार्यालय स्थापित करने की जरूरत समाप्त हो जानी चाहिए।

4.26 हालांकि इस रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के पांचों उपक्रमों के कार्यों और क्रियाकलापों की जांच नहीं की गयी है तथापि सामान्य स्वरूप के तीन मुद्दों का उल्लेख करना जरूरी है। प्रथमत: राज्य व्यापार निगम और खनिज एवं धातु व्यापार निगम का निजीकरण करने के बारे में पहले ही लिए गए फैसले के अनुरूप परियोजना एवं उपकरण निगम के निजीकरण का मामला भी है जबकि मसाला व्यापार निगम को वस्तु बोर्डों के लिए दिए गए सुझाव के अनुसार स्वायत्तशासी बनाया जा सकता है। ई सी जी सी के स्वामित्व और उसके प्रबंधन को भी व्यापक आधारित बनाये जाने की जरूरत होगी जिसमें सरकार की पर्याप्त भूमिका होगी। इन परिवर्तनों के बाद इन उपक्रमों के पर्यवेक्षण हेतु विभाग में विशेष रूप से स्वीकृत किए गए स्टाफ में तदनुसार कमी लाने की जरूरत होगी। द्वितीयत: जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भारतीय निर्यात संगठन परिषद विभिन्न निर्यात संवर्धन संगठनों के लिए शीर्षस्थ निकाय के रूप में कार्य करने में समर्थ नहीं रहा है। नियंत्रण की पद्धति के बजाय सहायक और समर्थनकारी ढंग से आई टी पी ओ द्वारा अपनी शीर्षस्थ भूमिका अदा करने की व्यवहार्यता की तलाश की जानी चाहिए। तृतीयत: हालांकि अनुसंधान संबंधी अध्ययन करने में आई टी पी ओ और आई आई एफ टी के बीच कुछेक अतिव्याप्ति अपरिहार्य है और वस्तुत: यह वांछनीय भी हो सकती है तथापि, इन दोनों संगठनों के अनुसंधान कार्यकलापों के समन्वय हेतु किसी तंत्र की जरूरत है।

4.27 डी जी एफ टी, जहां बड़ी संख्या में कार्मिकों का प्रशासन अंतर्ग्रस्त है, के मामले को छोड़कर वाणिज्य विभाग के अन्य कार्य इस स्वरूप के हैं जिन्हें डेस्क अधिकारी प्रणाली द्वारा समर्थित एक अधिकारी उन्मुखी प्रणाली द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। अत: अधिकारियों/सहायक स्टाफ की जरूरतों का प्रभाग दर प्रभाग पुनर्निर्धारण अपेक्षित होना चाहिए और अगले एक वर्ष के भीतर चरणबद्ध ढंग से नई व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। इसी प्रकार वस्तु बोर्डों तथा स्वायत्तशासी संगठनों को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान करने के सुझावों के कार्यान्वयन से भी अगले दो से तीन वर्षों में इस विभाग में स्टाफ की जरूरत में कमी आनी चाहिए। किसी भी मामले में वस्तुत: कार्यान्वित किये जा सकने वाले सुझावों में भी सहायक स्टाफ के साथ संयुक्त सचिव के एक पद को तुरंत फालतू घोषित किया जाना आपेक्षित होगा। इसके अलावा 1992 में यह आदेश दिया गया था कि 1992 में स्वीकृत स्टाफ संख्या में से 10 प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। यह देखा गया है कि विभाग (खास) में 671 की कुल स्टाफ संख्या में से केवल 32 पदों को कम किया गया है जबकि अधीनस्थ कार्यालयों में 1560 मदों में से अब तक केवल 67 पद कम किये गए हैं। विभाग को अगले तीन महीनों के भीतर इन मितव्ययिता संबंधी अनुदेशों पर कार्रवाई पूरी करने हेतु उपाय करने चाहिए।

अनुबंध I

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का संक्षिप्त इतिहास

1. भारत सरकार में एक पृथक वाणिज्य विभाग का सृजन सन् 1921 में किया गया था। इससे पूर्व, इस विभाग के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कार्रवाई वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (1905 में स्थापित) द्वारा की जाती थी जब वाणिज्य और उद्योग तथा श्रम विभाग का विभाजन दूरसंचार विभाग और श्रम विभाग में किया गया तो वाणिज्य विभाग ने भी उद्योग से संबंधित कुछेक विषय अपने पास ले लिए थे। तथापि, 1943 में इन विषयों को नव सृजित उद्योग और नागरिक आपूर्ति विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था।

2. स्वतंत्रता के पश्चात् वाणिज्य विभाग को वाणिज्य मंत्रालय के रूप में पुन: नामित किया गया और इसे उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय के साथ एक केन्द्रीय मंत्री के प्रभार में रखा गया था। इन दोनों मंत्रालयों का विलय फरवरी 1951 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय बनाने के लिए किया गया था। यह व्यवस्था लगभग पांच वर्षों तक तब तक चली जब सितम्बर, 1995 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को दो पृथक मंत्रालयों अर्थात्

वाणिज्य एवं उपभोक्ता उद्योग और भारी उद्योग मंत्रालय में विभक्त कर दिया गया। इन दोनों मंत्रालयों का अप्रैल 1957 में पुन: विलय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय बनाने के लिए किया गया था। इस नए मंत्रालय ने भी उन अधिकांश सरकारी उपक्रमों से संबधित कार्य अपने पास ले लिए जिन पर पहले कार्रवाई उत्पादन मंत्रालय द्वारा की जाती थी जिसे 1957 में समाप्त कर दिया गया था। 1958 में वित्त मंत्रालय से कंपनी कानून प्रशासन विभाग का हस्तांतरण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को किया गया था। बाद में जिसका पुनर्गठन तीन विभागों अर्थात् उद्योग, वाणिज्य और कंपनी कानून प्रशासन के रूप में किया गया।

3. अप्रैल, 1962 में ''भारी उद्योग'' विषय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से ले लिया गया और मंत्रालय का पुनर्गठन निम्नलिखित तीन विभागों में किया गया था:

   (1) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग

   (2) उद्योग विभाग; और

   (3) कंपनी कानूनी प्रशासन विभाग

4. जुलाई, 1963 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का विभाजन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय (उद्योग विभाग और कंपनी कानून विभाग) में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के सभी विषय अपने पास ले लिये थे। जून, 1964 में इस मंत्रालय का नाम पुन: वाणिज्य मंत्रालय रखा गया था।

5. फरवरी 1969 में इस मंत्रालय का नाम बदलकर ''विदेश व्यापार और आपूर्ति मंत्रालय'' कर दिया गया था जिसमें दो विभाग थे, अर्थात्:-

   (क) विदेश व्यापार विभाग; और

   (ख) आपूर्ति विभाग

6. नवम्बर 1969 में आपूर्ति विभाग को अलग कर दिया गया और विदेश व्यापार विभाग का नाम पुन: बदलकर विदेश व्यापार मंत्रालय कर दिया गया।

7. फरवरी 1973 में मंत्रालय का नाम पुन: बदलकर वाणिज्य मंत्रालय कर दिया गया और इसमें आंतरिक व्यापार विभाग जोड़ दिया गया। इस समय मंत्रालय के नियंत्रण में दो विभाग थे, अर्थात:-

   (i) विदेश व्यापार विभाग;

   (ii) आंतरिक व्यापार विभाग

8. जनवरी 1974 में वाणिज्य मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार विभाग का विभाजन दो पृथक विभागों में हो गया अर्थात:

   (ग) विदेश व्यापार विभाग; और

   (घ) निर्यात उत्पादन विभाग

   तीसरा विभाग अर्थात् आंतरिक व्यापार विभाग अपरिवर्तित रहा।

9. अक्तूबर 1974 में आंतरिक व्यापार विभाग का हस्तांतरण पुनर्गठित उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया जिससे दो विभागों के साथ मंत्रालय का पुनर्गठन किया गया:

   (i) विदेश व्यापार विभाग; और

   (ii) निर्यात उत्पादन विभाग

10. मार्च 1976 में इस मंत्रालय का दुबारा पुनर्गठन किया गया और इस मंत्रालय के प्रभार में एक और विभाग अर्थात् वस्त्र विभाग जोड़ दिया गया। जून, 1977 में इस मंत्रालय का पुनर्गठन वस्त्र विभाग के साथ वाणिज्य मंत्रालय के रूप में एक संगटनात्मक इकाई के रूप में किया गया था।

11. नवम्बर 1977 में उन सभी कार्यों का हस्तान्तरण उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) को कर दिया गया था जिन पर वस्त्र मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जा रही थी और वस्त्र मदों में से वस्त्रों के संबंध में केवल निर्यात क्रियाकलाप; जूट; हस्तशिल्प इत्यादि इस मंत्रालय के प्रभार में रह गए थे।

12. फरवरी, 1978 में इस मंत्रालय का पुनर्गठन ''वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मंत्रालय'' के नाम से किया गया था जिसके निम्नलिखित दो विभाग थे:

   (i) वाणिज्य विभाग; और

   (ii) नागरिक आपूर्ति और सहकारिता विभाग।

13. निर्यातों को छोड़कर वस्त्र उद्योग से संबंधित कार्य औद्योगिक विकास विभाग के प्रभार में तब तक रहा जब वाणिज्य मंत्रालय में अप्रैल 1980 में एक पूर्णकालिक वस्त्र विभाग पुन: बना दिया गया था। अप्रैल, 1980 में वस्त्र उद्योग के विकास संबंधी कार्य का हस्तांतरण उद्योग मंत्रालय से वाणिज्य मंत्रालय में नवसृजित वस्त्र

विभाग को कर दिया गया था और उस समय इस मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा निम्नलिखित तीन विभागों से बना हुआ था:

(i) वाणिज्य विभाग

(ii) नागरिक आपूर्ति विभाग; और

(iii) वस्त्र विभाग

14. जुलाई, 1980 में पूर्व वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का आगे और संगठनात्मक पुनर्गठन किया गया और इसका नाम ''वाणिज्य मंत्रालय'' रखा गया जिसके निम्नलिखित दो विभाग थे:

(i) वाणिज्य विभाग; और

(ii) वस्त्र विभाग

15. जनवरी, 1985 में आपूर्ति विभाग को भी इस मंत्रालय के तहत लाया गया था। तब वाणिज्य मंत्रालय में निम्नलिखित तीन विभाग थे:

(i) वाणिज्य विभाग

(ii) वस्त्र विभाग और

(iii) आपूर्ति विभाग

16. नवम्बर, 1985 में निम्नलिखित दो विभागों के साथ एक स्वतंत्र वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की गई थी:

(i) वाणिज्य विभाग; और

(ii) आपूर्ति विभाग

17. अक्तूबर, 1999 में इस मंत्रालय का विलय उद्योग मंत्रालय के साथ कर दिया गया और इसे ''वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय'' का नाम दिया गया। इसमें निम्नलिखित चार विभाग हैं:

(i) वाणिज्य विभाग

(ii) औद्योगिक विकास विभाग

(iii) औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग; और

(iv) आपूर्ति विभाग

18. अप्रैल, 2000 में औद्योगिक विकास विभाग का विलय औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के साथ कर दिया गया। जिससे इस मंत्रालय में विभागों की संख्या घटकर तीन हो गई।

19. इसके अलावा, अगस्त, 2000 में विभागों की संख्या आपूर्ति विभाग की समाप्ति के साथ घटकर दो हो गई।

अनुबंध IV

श्री पी.पी. प्रभु द्वारा वस्तु बोर्डों के कार्यसंचालन का एक अध्ययन

कार्यकारी सारांश

बागान वस्तुएं भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त बागान वस्तुएं, समुद्री उत्पाद तथा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद देश की विदेशी मुद्रा आय में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

2. सांविधिक वस्तु बोर्डों का गठन बागान वस्तुओं के विकास की देख-रेख करने के लिए किया गया था तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की अपने-अपने क्षेत्रों की वृद्धि और विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

अध्याय-II

3. एक मिलियन से भी अधिक उपजकर्त्ता बागान वस्तुओं की खेती में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त बागान क्षेत्र अकेला ही लगभग 2 मिलि. प्रत्यक्ष रोजगार की व्यवस्था करता है। यह क्षेत्र देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा का भी अर्जन करता है। (2.8.9)

4. पिछले तीन दशकों में उत्पादन में वृद्धि (चाय के मामले में 100% वृद्धि और प्राकृतिक रबड़ के मामले में छः गुणा वृद्धि) तथा उत्पादकता स्तर में अपेक्षाकृत संतोषजनक उपलब्धि बोर्डों के निष्पादन को दर्शाती है। (2.11.13)

5. बोर्डों के अधिकारी वर्ग पर व्यय अधिक नहीं रहा है। संसाधन संबंधी आवश्यकताओं को भी स्वयं उद्योग द्वारा अधिकांशतः उपकर के जरिए पूरा किया जाता है। (2.14.15)

6. बोर्ड में भी स्वामित्व की भावना जागृत हुई है तथा वह उपजकर्त्ताओं में विश्वसनीयता भी स्थापित कर सका है। इस प्रकार बोर्ड ने उपजकर्त्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी प्रदर्शित की है। अतः इस प्रकार उपजकर्त्ता समुदाय भी यह चाहता है कि वस्तु बोर्ड बने रहें। (2.17.20)

7. भारत सरकार बोर्डों को पर्याप्त निधियों का आबंटन करती रही है और यह राशि संबंधित क्षेत्रों से एकत्र किए गए उपकर की राशियों से कहीं अधिक है। (2.21.22)

8. किफायत के उपाय के रूप में संयुक्त बागान बोर्ड का गठन करने संबंधी सुझाव न तो व्यवहारिक है और न ही यह ठोस प्रस्ताव है। (2.23-25)

9. बोर्डों की सदस्यता को युक्तियुक्त बनाया जा सकता है और इसकी संख्या को कम किया जा सकता है। (2.26-27)

10. यद्यपि चाय, कॉफी और प्राकृतिक रबड़ बोर्डों को मूलत: उपजकर्त्ता-अभिमुख होना चाहिए तथापि बोर्डो में सभी हितबद्ध पक्षों और भागीदारी का प्रतिनिधित्व होना लाभकारी होगा। (2.29)

11. रबड़ बोर्ड में बड़ी संख्या में उपजकर्त्ताओं के प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव की मौजूदा पद्धति में संशोधन किया जा सकता है। (2.30)

12. बोर्डों में छोटे उपजकर्त्ताओं को प्रभावी प्रतिनिधित्व देना होगा अत: छोटे उपजकर्त्ताओं के 50% नामिती चयन उन उपजकर्त्ताओं में से किया जाए जिनके पास 4 हैक्टेयर से भी कम भूमि के स्वामी हो। (2.31.32)

13. बोर्ड तीन बोर्ड की समितियों-अनुसंधान, कार्यकारी तथा विकास समितियों का गठन कर सकते हैं, बोर्ड निर्यात संवर्धन के मुख्य उद्देश्य से निर्यात संवर्धन समिति का गठन भी कर सकते हैं। 92.33)

14. बोर्डों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाकर एक करोड़ रुपए तक कर दिया जाए जो कुछेक प्रतिबंधों की शर्त के अधीन होगी। (2.35-36)

15. बोर्डों का गठन जो कि वर्षों से हुआ है उसमें धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से परिवर्तन किये जाने की जरूरत होगी, यदि बागान क्षेत्र का आने वाली चुनौतियों तथा मांगों को कारगर ढंग से पूरा करना है। (2.37-39)

16. इलायची को छोड़कर सभी मसालों के बारे में अनुसंधान का दायित्व आईसीएआर का है। प्रमुख मसालों का दायित्व या तो मसाला बोर्ड को अंतरित किया जाए अथवा मसाला अनुसंधान केन्द्रों पर मसाला बोर्ड का प्रचालनात्मक नियंत्रण रखा जाए जिसमें वैज्ञानिक/कर्मचारी आईसीएआर का ही एक भाग रहेंगे और उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते रहेंगे। (2.45-49)

17. अनुसंधान कार्यक्रमों का वार्षिक मूल्यांकन तथा अनुसंधान कार्य और कार्यक्रमों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक तकनीकी तथा वैज्ञानिक दल द्वारा 7.8 वर्षों में एक बार आवधिक मूल्यांकन तथा अनुसंधान के भावी कार्यक्रम एवं दिशानिर्देशन की सिफारिश करना वांछनीय है। (2.50-53)

18. बोर्डों को अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित करना होगा क्योंकि बोर्ड के अनुसंधान केन्द्रों से बाहर बहुत ही कम कार्य होता है। बोर्डों को विश्व-विद्यालयों में कुछ अनुसंधान कार्य सौंपने की संभावनाओं का पता लगाना होगा। (2.54-55)

19. बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्य के रूप में विकास क्रियाकलाप को जारी रखा जाना है। ऋण तथा सहायता योजनाएं उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है परन्तु इन्हें धीरे-धीरे समाप्त करना होगा। इमदाद की मुख्य रूप से गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों तक ही सीमित रखना होगा (2.58-65)

20. विस्तार सेवा भी एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप रहा है परन्तु रोपण सामग्री से लेकर फार्म परामर्शी सेवाओं तक की आपूर्ति, मृदा परीक्षण से प्रोसैसिंग तकनीकों की व्यवस्था तक अधिकांश सेवाएं गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अधिकाधिक प्रदान की जा रही है। अत: बोर्डों को इन क्रियाकलापों से धीरे-धीरे हट जाना चाहिए। (2.66-68)

21. बोर्डों को सलाह तथा सूचना का प्रसार करने के लिए उपजकर्त्ताओं की भागीदारी से कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए।

22. बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु अगला तर्कसंगत कदम तथा प्रगति, संचार तथा कम्प्यूटिंग प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की दिशा में होगी। उत्पादन केन्द्रों में इंटरनेट सुविधा की स्थापना तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को वास्तविक विस्तार कार्यालयों में बदलने से उपजकर्त्ताओं को सर्वोत्तम विस्तार सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। (2.70)

23. बोर्ड के विदेश स्थित कार्यालयों को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इन कार्यालयों को समाप्त करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे वाणिज्यिक मिशनों के निष्पादन के प्रति असंतोष व्याप्त है क्योंकि वे निर्यातकों तथा उद्योग जगत का उतनी आवश्यक

सेवाएं उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं जितनी उनसे अपेक्षित हैं। उपासी न हाल ही में हमारे वाणिज्यिक मिशनों की लापरवाही के उदाहरण की ओर ध्यान दिलाया है। (2.72-75)

24. एक संभावित हल यह हो सकता है कि महत्वपूर्ण देशों में वाणिज्यिक मिशनों को विदेश मंत्रालय तथा वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त नियंत्रण में रखा जाए। मिशनों में वाणिज्यिक मिशनों के लिए अधिकारियों का चयन अर्हता प्राप्त व्यावसायिकों में से किया जाए जिन्हें कि उत्तरदायी ठहराया जा सके।

25. घरेलू संवर्धन केन्द्रों को बनाए रखने का कोई अधिक औचित्य नहीं है जिनका क्रमिक रूप से निजीकरण किया जा सकता है। (2.78)

26. बोर्ड बाजार हस्तक्षेप कार्य के लिए अभी तैयार नहीं हैं और वे इससे विमुख हो सकते हैं। न्यूनतम और अधिकतम कीमतों को लागू करना कठिन है। (2.79)

27. प्रोसैसिंग, कटाई पश्चात प्रबंधन तथा गुणवत्ता संबंधी आश्वासन ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बोर्ड द्वारा अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। (2.80)

28. रोपण, आवागमन, विपणन आदि के संबंध में में विभिन्न कानूनों में सभी नियंत्रण संबंधी प्रावधान समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। उपजकर्त्ताओं के पंजीकरण से संबंधित विनियमन से यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। आवधिक जनगणना इसका अच्छा विकल्प हो सकता है।

29. निर्यातकों के पंजीकरण और निर्यात परमिट प्रणाली को भी समाप्त किया जा सकता है, अगर डीजीसीआई एंड एस तथा सीमाशुल्क अपने कार्यों के कम्प्यूटरीकरण को पूरा कर ले। (2.89-97)

30. गुणवत्ता प्रमाणन भविष्य में आवश्यक हो जाएगा। बोर्ड इस प्रयोजन के लिए पारदर्शी मापदंड के आधार पर गैर-सरकारी प्रयोगशालाओं को प्राधिकृत कर सकता है।

31. कार्बनिक उत्पादों, खेती तथा इसके विपणन को लोकप्रिय बनाने की योजनाएं तैयार की जाएं। (2.96)

32. अधिकांश बोर्डों में बेशी जनशक्ति है। रबड़ बोर्ड, जहां सबसे अधिक बेशी है, पदों का सृजन करता रहा है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान अतिरिक्त स्टॉफ की भर्ती करता रहा है। वीआरएस की सुविधा जब सरकार द्वारा घोषित की जाए तब उसे बेशी स्टॉफ पर लागू किया जा सकता है। (2.98-100)

33. अधिकांश बोर्ड लाभप्रद प्रकाशन प्रकाशित करते हैं परन्तु विलंब के कारण उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। उनकी विषय वस्तु में भी सुधार की गुंजाइश है। (2.101 से 106 तक)

34. बोर्ड को कम्प्यूटरीकरण में अधिक प्रगति नहीं मिली है और कुशलता हासिल करने तथा विलंब को कम करने के उद्देश्य अभी प्राप्त किये जाने हैं। (2.107-115)

35. बोर्ड के वैबसाइटों में बड़े पैमाने पर सुधार किये जाने की आवश्यकता है। बोर्डों को उन्हें समय-समय पर नवीनतम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। (2.116-119)

36. पूर्वोत्तर राज्यों में बागान वस्तुओं का विकास करने की पर्याप्त क्षमता/गुंजाइश है। बोर्ड ने इस बारे में प्रशंसनीय कार्य किया है और पूर्वोत्तर में अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। प्रसंस्करण तथा विपणन सुविधाओं के सृजन सहित बागानों के विकास का एक सुनियोजित कार्यक्रम इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता करेगा। बागानों के विकास से हजारों व्यक्तियों के लिए रोजगार सुनिश्चित होगा तथा आय में स्थिरता आएगी और पूर्वोत्तर के कुछेक हिस्सों को कुर्ग अथवा कोट्टायम की तरह विकसित करने में मदद मिलेगी।

अध्याय III

I. चाय बोर्ड

37. चाय बोर्ड के सदस्यों की संख्या को घटाकर 25 किया जा सकता है। (3.1.10)

38. बोर्ड के अनुदान के साथ उद्योग प्रायोजित अनुसंधान की मौजूदा प्रणाली को जारी रखा जाय। दार्जिलिंग अनुसंधान केन्द्र को दार्जिलिंग चाय से संबंधित विशिष्टीकृत प्रायोगिक अनुसंधान के प्रयोजन से सुदृढ़ किया जाए। (3.15-23)

39. विकास संबंधी क्रियाकलापों को लघु उपजकर्त्ता के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। (3.1.24)

40. चाय घरानों का क्रमिक रूप से निजीकरण किया जाए। (3.1.25)

41. बोर्ड के विदेश स्थित कार्यालय एक अनावश्यक एश्वर्य के साधन हैं और इनका कार्य निष्पादन इन्हें आगे

कायम रखने का औचित्य नहीं दर्शाता है। (3.1.26-33)

42. रोपण की लाइसेसिंग, पंजीयन आवश्यकताओं आदि को समाप्त किया जाए। (3.1.35-41)

43. विपणन नियंत्रण आदेश 1984 के उस प्रावधान को समाप्त कर दिया जाए जो बोर्ड को नीलामी के जरिए अनिवार्य रूप से बेचने के लिए उत्पादन का एक न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करने का अधिकार प्रदान करता है। (3.1.43-53)

44. नीलामी के नियमों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है। (3.1.54-58)

45. चाय भंडार गृह लाइसेसिंग आदेश, 1989 को लागू किया जाए, नीलामीकर्ताओं को जारी किए गए लाइसेंसों में नीलामी हॉल से संबद्ध भंडागारों के लिए विनिर्देश निर्धारित किए जाएं। (3.1.59-60)

46. चाय के वितरण या निर्यातों पर किसी नियंत्रण की जरूरत नहीं है। (3.1.61-62)

47. चाय अपशिष्ट नियंत्रण आदेश, 99 के दायरे को केवल फैक्ट्रियों से बिक्री के लिए आने वाले चाय अपशिष्ट तक सीमित कर दिया जाय। (3.1.63-66)

48. चाय उपक्रमों या चाय एककों के प्रबंधन या नियंत्रण की शक्तियों का अनुपालन नहीं किया जाए। (3.1.67-69)

49. बोर्ड अनेक योजनाओं का संचालन कर रहा है, जिनमें से कुछेक को धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है, कुछेक योजनाओं को पुन: तैयार किया जा सकता है। (3.1.70-72)

50. चाय बोर्ड के पास स्टाक अधिक है, लाइसेसिंग कार्य को समाप्त कर देने और कुछेक योजनाओं को चरणबद्ध रूप से समाप्त किये जाने के साथ लाइसेंसिंग विपणन और संवर्द्धन विभाग में कुल मिलाकर 150 से कुछ ज्यादा स्टाफ अधिक है। तीन कार्यालयों को बंद किया ज सकता है। (3.1.73-74)

51. सेवा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयोजन से, बोर्ड को अनुसंधान, उत्पादकता सुधार, श्रमिकों का प्रशिक्षण सहायता में सुधार, पत्ती फैक्ट्रियों की खरीद व छोटे किसानों के प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। नीलामी प्रणाली में सुधार, स्वतंत्र परीक्षण के लिए गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु सहायता, कीमत तथा बाजार सूचना प्रणाली का क्रियान्वयन, वेब पेजों की सामग्री तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के मामले में भी कार्रवाई की जानी चाहिए। (3.1.75-80)

II. काफी बोर्ड

52. काफी बोर्ड की सदस्यता क्षमता को घटाकर 24 किया जा सकता है (3.2.9)

53. पूल मार्केटिंग प्रणाली बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण कार्यकलाप था जब तक इसे विघटित नहीं किया गया था। अब अनुसंधान को एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में जारी रखना होगा। विस्तार सेवा को भी जारी रखना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। (3.2.12-14)

54. विस्तार कार्मिकों का अधिकांश ध्यान और समय विकास योजनाओं में लग रहा है। (3.2-20)

55. कुछेक कार्यों को जैसेकि रोपण सामग्री आदि की आपूर्ति को क्रमिक रूप से समाप्त किया जा सकता है; कृषक समूहों की भागीदारी से कार्यशालाओं के आयोजन में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए। (3.2.22)

56. बाजार विकास इसके बाद एक जानकारी आधारित कार्यकलाप होगा और बोर्ड को इन कार्यों में से कुछेक को समाप्त करना चाहिए। (3.2.24-25)

57. जैसेकि बोर्ड सीमाशुल्क विभाग से अपेक्षित सूचना प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है, वैसे ही निर्यात परमिट प्रणाली को समाप्त किया जाए। (3.2.26-27)

58. घरेलू प्रोमोशन आउटलेट्स का धीरे धीरे निजीकरण कर दिया जाए ताकि घाटे को कम किया जा सके। (3.2.28-29)

59. प्रसंस्करण व गुणवत्ता उन्नयन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। लोगो योजना का उपयोग गुणवत्ता सुधार के लिए किया जाए। निजी प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। (3.2.30-33)

60. बोर्ड द्वारा कप की गुणवत्ता विकसित करने के लिए एक योजना तैयार की जाए ताकि उस कप में गुणवत्ता वाली काफी की वृद्धि की जा सके जिससे न्यूनतम मात्राओं को निर्यात के लिए समेकित करने में सुविधा होगी। (3.2.34)

61. बोर्ड उत्पादन के क्षेत्र में केवल एक योजना चला रहा है अर्थात जल संवर्द्धन के लिए योजना जोकि अनिवार्य है और इसे चालू रखा जाए। बाजार संवर्द्धन के क्षेत्र में योजनाओं में से कुछ को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया जाए। (3.2.36-40)

62. बोर्ड में प्रशासन एवं विस्तार विभाग में लगभग 200 गैर-तकनीकी स्टाफ अधिक है; कुछ विकास योजनाओं को बंद कर देने से एक तीसरा विस्तार स्टाफ भी बेशी हो जाएगा। (3.2.41-43)

63. अनुसंधान विभाग ने स्पष्टतया बढ़िया कार्य निष्पादन किया है और इसके खाते में बहुत सी उपलब्धियां हैं किन्तु क्षमता में कुछ कमी है। वर्ष 1996 में एक स्वतंत्र तकनीकी समिति ने अनुसंधान कार्यकलापों और कार्यक्रमों के मूल्यांकन में इसकी कमियों और कमजोरियों का उल्लेख किया। बोर्ड को अनुसधान, वैज्ञानिक स्टाफ के सुदृढ़ीकरण, वास्तविक बुनियादी सुविधाओं में सुधार, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बेहतर मार्गदर्शन आदि पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा जहां ध्यान दिये जाने की जरूरत है। निधियों के आबंटन में भी बढ़ोत्तरी की जाए। (3.2.44-57)

64. बोर्ड की सेवा की सबसे अधिक जरूरत अधिक पैदावार देने वाली किस्मों और उन्नत कीट नियंत्रण उपायों के रूप में है। बेहतर विस्तार सेवा, उन्नत और उपयोगी वेब पेज, अधिक सूचना केन्द्र ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जिन पर बोर्ड को ध्यान देने की जरूरत है। (3.2.61-69)

III. रबड़ बोर्ड

65. पिछले दो दशकों में रबड़ के उत्पादन और इसकी उत्पादकता में शानदार वृद्धि हुई है। सरकार ने इस उद्योग को पूरा संरक्षण दिया हुआ है और यह सुनिश्चित किया है कि घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से अधिक उच्च स्तर पर आंकी जाए। (3.3.5-8)

66. बोर्ड का गठन दुबारा किया जाए। बड़े उपजकर्त्ताओं के चयन की निर्वाचन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। (3.3.12)

67. क्रियाकलापों में अनुसंधान और उत्पादन को सबसे अधिक महत्व देने की जरूरत है। (3.3.15-16)

68. उत्पादन विभाग ने व्यापक और बहुस्तरीय क्षेत्रीय तंत्र की स्थापना की है। भागीदारी के दृष्टिकोण की बढ़ती प्रवृत्ति से खासकर रबड़ उत्पादक सोसाइटियों की मदद से, उत्पादकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी। (3.3.17-19)

69. यह विभाग अनेक सहायक कार्यकलाप भी करता है। यद्यपि जैव गैस संयंत्र के कार्य को जारी रखा जा सकता है तथापि शेष कार्यकलापों को इनके लिए आशयित विशेषीकृत संगठनों को सौंपा जा सकता है। पौधशालाओं को लागत वसूली आधार पर चलाये जाने की जरूरत है। (3.3.20-24)

70. बड़े बागानों के पंजीकरण और केवल उन्हीं से उत्पादन संबंधी आंकड़े एकत्र करने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। और इसे बंद किया जा सकता है। (3.3.27)

71. डीलरों, प्रोसेसरों और विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस निर्धारित हैं और रबड़ की खपत का मूल्यांकन करने और उपकर की वसूली के उद्देश्य से प्रतिवर्ष कुल मिलाकर दो लाख से अधिक मासिक और वार्षिक विवरणियों पर कार्रवाई की जाती है। इस कार्य से बचा जा सकता है जिसका बोझ सभी पर पड़ता है। इस सारी प्रणाली को खत्म किया जा सकता है और उपकर की राशि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ वसूल की जाए। अगर यह स्वीकार्य न हो तो केवल विनिर्माताओं के लिए पंजीकरण जारी रखा जा सकता है और केवल अर्द्धवार्षिक विवरणियां ही निर्धारित की जाए। (3.3.28-33)

72. प्रसंस्करण और उत्पाद विकास के कार्यकलाप के एक भाग के रूप में अनेक वाणिज्यिक कार्यकलाप शुरू किए गए है; पर्याप्त पूंजीगत व्यय किया गया है। इनमें से अधिकांश के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा सकता था। अधिकांश इकाइयों का धीरे-धीरे निजीकरण किया जाए। (3.3.35-40)

73. प्रशिक्षण और परामर्शी प्रभाग का कार्य महत्वपूर्ण है किन्तु परामर्शी प्रभाग को धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनना चाहिए। (3.3.42-43)

74. बोर्ड कई योजनाएं चलता है इनमें से कुछेक दशकों से चल रही हैं। कुछ योजनाओं को चरणबद्ध रूप से समाप्त किये जाने की जरूरत है सिवाय गुणवत्ता सुधार योजना, टेपर्स प्रशिक्षण इत्यादि। (3.3.44-51)

75. रबड़ बोर्ड के पास विशाल बेशी स्टॉफ है; अपरिहार्य भर्ती हुई है। स्थापना संबंधी व्यय 25 करोड़ रुपए वार्षिक से अधिक पहुंच गया है; काफी कटौती किए जाने की जरूरत है। (3.3.54-56)

76. अनुसंधान संस्थान का निष्पादन काफी संतोषजनक रहा है। उत्पादकता में सुधार सराहनीय रहा है। अधिकांश अनुसंधान योजनाएं जारी रह सकती हैं। चिंता का मुख्य क्षेत्र एकल किस्म पर अधिक निर्भरता है। (3.3.57-62)

77. कुछ क्षेत्रीय केन्द्रों को प्रदर्शन फार्मों में बदला जा सकता है। (3.3.65)

78. बोर्ड ने अपने निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन करने की एक प्रभावी प्रणाली स्थापित की है। बोर्ड अपने अनुसंधान कार्यक्रमों के तहत भावी अनुसंधान के लिए विनिर्देश तैयार करने और अनुसंधान प्रयासों में हुई प्रगति के मूल्यांकन के लिए 7, 8 वर्षों में एक बार एक स्वतंत्र जांच करा सकता है। (3.3.66-69)

79. रबड़ बोर्ड निजी सेवा प्रदान करने वालों को प्रोत्साहन दे सकता है और इनके विस्तार में भावी दृष्टिकोण अपना सकता है। बोर्ड एक सुविधा प्रदायी और ज्ञान केन्द्र बन सकता है। (3.3.70-75)

IV. मसाला बोर्ड

80. मसालों के निर्यात में अच्छी प्रगति दिखाई दी है लेकिन काली मिर्च की कीमतों में गिरावट आने से इसे एक धक्का लगा है। विश्व निर्यातों में हमारा 40% हिस्सा होने के बावजूद बढ़ती हुई घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने और विश्व बाजार में हमारे हिस्से को कायम रखने के लिए उत्पादन को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। (3.4-3-4)

81. बोर्ड के सदस्यों की संख्या घटाकर 20 की जा सकती है (3.4.10)

82. इलायची अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप की स्थिति का विवादास्पद मुद्दे का हमेशा के लिए समाधान किया जाना है। इलायची के उपजकर्त्ताओं ने आईसीएआर के स्थानान्तरण का विरोध किया है हालांकि यह अधिक तर्कसंगत विकल्प है। अत: संभावित विकल्प यथा स्थिति को बनाए रखना और अनुसंधान क्रियाकलाप को सुदृढ़ बनाना है। (3.4.15-21)

83. विकास क्रियाकलापों के लिए कार्यालयों की संख्या कम की जा सकती है (3.4.23)

84. कटाई पश्चात विकास क्रियाकलापों पर और अधिक ध्यान और संसाधन देने की जरूरत है। प्रशिक्षण और प्रोत्साहन कार्य सहित गुणवत्ता सुधार के लिए निजी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के कार्य को बढ़ावा देने की जरूरत है। (3.4.24-27)

85. इलायची विपणन सुसंगठित है; यद्यपि नीलामी के जरिए बिक्री करने की कोई बाध्यता नहीं है। तथापि, लगभग 2/3 उत्पाद नीलामी में बेचा जाता है। (3.4.29)

86. निर्यात संवर्धन बोर्ड का प्रमुख कार्य है लेकिन बोर्ड को कुछ बाजार क्रियाकलापों से हट जाना चाहिए। निर्यातकों के पंजीकरण की प्रणाली को भी समाप्त किया जाए जैसे ही सीमाशुल्क और डीजीएफटी अपनी क्रियाविधियों का सुदृढ़ीकरण कर लें। (3.4 31-33)

87. बोर्ड की कुछ योजनाओं को जारी रखा जाए, लेकिन अलग-अलग निर्यातक उन्मुखी निर्यात संवर्धन योजनाओं को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन कोई भी प्रभाव डालने के लिए इमदाद लागू करना महत्वपूर्ण नहीं है। (3.4.34-38)

88. गैर-तकनीकी जनशक्ति की संख्या में कुछ कमी करने की गुंजाइश है। (3.4.39-40)

89. अनुसंधान स्टेशनों का कार्यनिष्पादन आशा के अनुकूल नहीं है यद्यपि कुछ महत्वाकांक्षी क्लोनों पर परीक्षण चल रहा है। सिंचाई का अभाव और छोटे उत्पादकों द्वारा कृषि पद्धतियों पर अपर्याप्त ध्यान दिया जाना कम औसत उत्पादकता स्तर का मुख्य कारण है। (3.4 42-45)

90. बोर्ड को फसलोत्तर प्रणालियों को व्यापक रूप से अपनाने और कीटनाशकों के उपयोग पर नियंत्रण रखने के मामले में आईसीएआर/राज्य सरकारों के साथ मिलकर अनुसंधान कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा और यह सुनिश्चित करना है कि निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हों। गुणवत्ता प्रमाणन को लोकप्रिय बनाना होगा और साथ ही वास्तविक मसाला बाजार को भी। (3.4. 49-57)

V. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

91. बोर्ड के सदस्यों की संख्या को 20 तक किया जा सकता है। (3.5.10)

92. मुख्य क्रियाकलापों में से केप्वर फिशरीज के संवर्धन को जारी रखना होगा और साथ ही मत्स्य पालन को भी, यद्यपि कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों को मत्स्यायन विकास का उत्तरदायित्व संभालना चाहिए। प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण अन्य ऐसा प्रमुख क्रियाकलाप है, जिस पर ध्यान देना होगा और जारी रखना होगा। (3.5.13)

93. एम्पीडा दो विदेश व्यापार संवर्धन कार्यालयों का रखरखाव करता है और उन्हें जारी रखना इस आधार पर औचित्य पूर्ण ठहराया जा रहा है कि ये न केवल अलग अलग

निर्यातकों को बल्कि उद्योग को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करते हैं। यह उद्योग यह भी महसूस करता है कि हमारे वाणिज्यिक मिशन अपेक्षित सेवाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। (3.5.14.16)

94. पंजीकरण और लाइसेंसिंग क्रियाकलापों का सुदृढ़ीकरण किया जा सकता है, इस बीच मान्यता प्राप्त निजी एजेंसियों को निरीक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। (3.5.19-19)

95. एम्पीडा की अधिकांश योजनाएं जारी रखी जा सकती हैं यद्यपि कुछ कृषि मंत्रालय/राज्य कृषि विभागों को स्थानान्तरित की जा सकती है। (3.5.21-40)

96. एक अथवा दो विभागों में स्टाफ की संख्या में केवल मामूली अधिक्य है। (3.5.41-42)

97. सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए व्यापार सूचना सेवा में सुधार लाना होगा, वायरल आक्रमण को नियंत्रित करने में श्रिम्प किसानों को सहायता दिए जाने की आवश्यकता है, मत्स्य पालन खेती के संबंध में नियमों और विनियमों सहित विकास कार्यों के विस्तार को सुगठित करना होगा। (3.5.43-46)

VI. कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

98. बोर्ड के सदस्यों की संख्या को घटाकर 23 तक किया जा सकता है। (3.6-7)

99. एपीडा का आदेश पत्र व्यापक है और इसमें स्पष्ट रूप से एम एफ पी आई और कृषि विभाग के आदेश पत्र के अंश भी शामिल हैं लेकिन वास्तव में एपीडा अपने क्रियाकलापों को केवल उन पहलुओं तक सीमित रखता है जो निर्यातों के लिए आवश्यक हों। (3.6.10-11)

100. एपीडा के मुख्य क्रियाकलाप हैं-कटाई पश्चात प्रबंधन, अवस्थापना उन्नयन, गुणवत्ता में सुधार तथा बाजार आसूचना को जारी रखना। (3.6.12)

101. एपीडा की अधिकांश योजनाएं निर्यातों के लिए आवश्यक हैं। कुछ योजनाएं यद्यपि वांछनीय हैं लेकिन उन्हें धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए क्योंकि ये निर्यातों से संबधित नहीं है। जोखिम विश्लेषणों के लिए क्षमता बढ़ाने संबंधी कार्यक्रम आवश्यक हो सकता है। (3.6.13-34)

102. सीमित संभाव्यता वाले उत्पादों के संबंध में हवाई भाड़े संबंधी योजना की सूक्ष्म समीक्षा और इसे समाप्त किये जाने की आवश्यकता है। (3.6.36-38)

103. एपीडा सभी निर्धारित उत्पादों के लिए मानदंड स्थापित करेगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाने की दिशा में कार्य किया जाए। (3.6.39-40)

104. एपीडा को निजी क्षेत्र में गुणवत्ता व टैस्टिंग लैब को प्रोत्साहित करना चाहिए (3.6.41)

105. कार्बनिक उत्पादों, ताजा फलों और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहित करने संबंधी विशेष योजनाएं उचित होंगी। (3.6.42-46)

106. एपीडा में कोई सरप्लस स्टाफ नहीं है। स्थायी आधार पर कार्मिकों की भर्ती करने के बजाय विशेषीकृत कार्य करने और परियोजनाओं को चलाने के लिए विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं को काम में लगाने की अनुमति दी जाए। (3.6.45-46)

107. एपीडा का प्रमुख दायित्व उपयुक्त कटाई पश्चात प्रबंधन तकनीकों का विस्तार करना, गुणवत्ता मानदंड इत्यादि के क्षेत्र में है। एपीडा के वास्तविक व्यापार मेलों को सफल बनाया जाना चाहिए। वेबसाईट को और अधिक व्यापक किये जाने की आवश्यकता है। (3.6.47-54)

अध्याय IV

108. सरकार की उदारीकृत नीतिगत पहलों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के आदेशपत्र व क्रियाकलापों में परिवर्तन की आवश्यकता है और वस्तु क्षेत्र एवं अर्थव्यवस्था में विकास की आवश्यकता है।

नियंत्रणों को पूर्णत: समाप्त करने के लिए बोर्ड को नियंत्रणों से विमुख होना होगा; केवल विकास और उत्पादन पर जोर दिये जाने के बजाए प्रतिस्पर्धात्मकता पर अधिक ध्यान देना होगा। क्षमता निर्माण, सूचना और शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन आधारित दृष्टिकोण अपनाना होगा। बोर्ड को अनेक क्रियाकलापों को छोड़ देने की आवश्यकता होगी और सेवा-प्रदाता होने की बजाय उसे सुविधा प्रदान करने वाला होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बोर्डों को मात्र नौकरशाहीं का संगठन होने के बजाय ज्ञान केन्द्र बनना होगा।

भाग II

109. अनेक विकासशील देशों के लिए बागान मदें या तो जी डी पी में उनके अंशदान अथवा व्यापार अथवा रोजगार के कारण महत्वपूर्ण है। लेकिन मद उत्पादक देश दो दशकों से व्यापार की बुरी दशा से पीड़ित हैं।

110. कुछ मदों, विशेषकर कॉफी इत्यादि की कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आया है। विगत में कीमतों में स्थायित्व और अंतर्राष्ट्रीय वस्तु-करारों के जरिए प्राप्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी करार ने कोटा के जरिए आपूर्ति को सीमित किया और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक रबड़ करार ने बफर स्टाक प्रचालनों के जरिए उपलब्धता को विनियमित किया। तथापि, ऐसे करारों की संभावना इसके बाद बहुत कम है।

111. वस्तु बोर्ड, यदि उन्हें सांविधिक रूप से प्राधिकृत किया जाए तो, उत्पादन और आपूर्ति को विनियमित कर सकते हैं और जब बाजार कीमतें संतोषजनक हों तब अपूर्ण भुगतानों के जरिए और कीमतों के एक भाग को अपने पास रखकर कीमतों और राय को स्थिर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अर्थव्यवस्थाओं के वैश्विक एकीकरण के साथ ऐसे हस्तक्षेप की संभावना सीमित होती है।

112. कीमत अस्थिरता एक गंभीर समस्या है जो केवल विकासशील देशों में उत्पादकों को कष्ट दे रही है क्योंकि विकसित विश्व में किसान इमदादों और प्रत्यक्ष आय भुगतानों के कारण पूरी तरह संरक्षित हैं।

113. कीमत अस्थिरता की समस्या से छूट पाने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए सार्थक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास नहीं किए गए हैं। विश्व बैंक ने विकासशील देशों में वस्तु जोखिम प्रबंधन संबंधी एक अंतर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया था। आई टी एफ ने एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तंत्र के गठन की सिफारिश की है, तो जोखिम प्रबंधन व्यवस्था उपलब्ध कराने वालों और विकासशील देशों में प्रतिष्ठानों के बीच अंतर को कम करेगा।

114. यह प्रस्ताव कीमत बीमा योजना के लिए है जिसके अधीन प्रीमीयम के भुगतान पर भावी विनिमय की दर के आधार पर एक निर्धारित कीमत को सुनिश्चित किया जा सकता है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी व्यवस्था से अनिश्चितता दूर होगी लेकिन यह प्रस्ताव उपजकर्ताओं की आशाओं को पूरी नहीं कर सकेगा।

115. उत्पादकों को कीमत अस्थिरता के जोखिम से या तो उत्पादन के विनियमन अथवा आपूर्ति के जरिए संरक्षित किया जा सकता है। दोनों ही व्यवहारिक नहीं हैं। कम भुगतान के साथ-साथ निर्यात कर लगाना कीमतों में स्थिरता और अप्रत्यक्ष रूप से उपजकर्त्ताओं की आय का एक संभव उपाय है, लेकिन यह एक त्रुटिपूर्ण प्रणाली है और यह केवल एक उत्कृष्ट निर्यात मद जैसे काफी के मामले में संभव है। जब कीमतें एक निम्न स्तर तक गिरें तब उपजकर्ताओं को क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्यक्ष इमदाद भुगतान करना एक विकल्प हो सकता है लेकिन वित्तीय अड़चनों को ध्यान में रखते हुए इनका सहारा केवल अपवाद रूप में लिया जा सकता है।

116. एक कीमत बीमा योजना, जो कीमतों में अवसीमा स्तर तक कमी आने पर उपजकर्ताओं के कम भुगतान की गारंटी प्रदान करेगी, उपजकर्ताओं को स्वीकार्य हो सकती है। कीमत अवसीमा आकर्षक होनी चाहिए और योजना साधारण होनी चाहिए। इस तरह की स्कीम काफी, इलायची यहां तक कि रुई अथवा लाल मिर्च जैसी मदों के लिए ही व्यवहार्य हो सकती है जो कीमतों में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव के अधीन होगी।

117. कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हो सकती हैं और कुछ ब्यौरों का पता लगाना होगा लेकिन कुछ वस्तुओं के लिए एक सतत चलने वाली बीमा योजना बनाई जा सकती है।

118. उपजकर्ताओं की मदद करने के लिए वस्तुओं के लिए एक कीमत स्थिरीकरण निधि की स्थापना की जा सकती है। लेकिन इसे वस्तु विशिष्ट होना चाहिए अन्यथा उपजकर्ताओं द्वारा इसका विरोध किया जा सकता है। इस निधि की स्थापना उपकर राशि के एक भाग का अतंरण करके और किसी निर्यात कर की आय तथा उद्योग से उत्पन्न ऐसी किसी अन्य राशि के जरिए की जा सकती है।

119. उपजकर्ताओं को निधि से प्रत्यक्ष भुगतान करना जब कीमतें न्यूनतम स्तर से कम तक गिरे और जब कीमतें प्रारंभिक रूपों के स्तर से अधिक हों तब उपजकर्ताओं से उपकर राशि का संग्रहण करना निधि के संवर्धन के लिए व्यवहारिक स्थिति नहीं होगी। लेकिन यह निधि तब उपयोगी हो सकती है जब अपवाद मामलों में प्रत्यक्ष भुगतान करने हों। इस प्रकार की निधि प्रस्तावित कीमत बीमा योजना के लिए प्रीमियम का आंशिक भुगतान करने के लिए कई प्रकार से लाभकारी हो सकती है।

120. यह योजना केवल कुछ वस्तुओं के लिए ही कार्यकारी हो सकती है। एक अथवा दो मदों के लिए इस सुझाव पर अमल किया जा सकता है और इससे मिले अनुभव को कई वस्तुओं के उपजकर्ताओं को लाभ दिया जा सकता है।

आयकर विवरणी

2877. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयकर विवरणी जमा करने के लिए प्रयोग में आ रही विवरणी को पुनरावृत्ति करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या प्रस्तावित 10-12 पृष्ठ की नई विवरणी दुरुह नहीं होगी और नई विवरणी भरने में उपयोगकर्ताओं को अन्यथा परेशानी नहीं होगी जिससे बचा जा सकता था एवं वर्तमान विवरणी से इसके सरलीकरण का उद्देश्य ही विफल नहीं हो जायेगा;

(ग) क्या प्रौद्योगिकी प्रगति के मद्देनजर विवरणी दुरुह के बजाय और अधिक सरल नहीं बनाई जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पहलुओं पर क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) जी हां। संशोधित विवरणी फार्म पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं।

(ख) चालू वर्ष में अधिसूचित किये गए नए फार्म भरने में सरल हैं और इनमें शीर्ष-वार आय की संगणना के लिए मानकीकृत और सुव्यवस्थित फार्मेट की व्यवस्था की गई है। विवरणी फार्म के विभिन्न पृष्ठ आय के विभिन्न स्रोतों के अनुरूप हैं और अधिकतर मामलों में करदाता को सभी पृष्ठ भरने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) नए फार्म आय कर विभाग में विकसित प्रौद्योगिकी और पहले से जारी कम्प्यूटरीकरण कार्य को देखते हुए तैयार किए गए हैं। इन फार्मों की कम्प्यूटरों पर तेजी से प्रोसेसिंग की जा सकती है और साथ ही इनसे कम्प्यूटरों पर आवश्यक आंकड़े ग्रहण करने में सहायता मिलेगी जिससे कर नीतियों को तैयार करने में सहायता मिल सकेगी।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए "बी.बी.के. सैलुट्स योजना"

2878. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक आफ बहराइन और कुवैत की "बी.बी.के. सैलुट्स योजना" शुरू करने की सहमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को दिये जाने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उन्होंने बैंकों को अनुमति प्रदान की है कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से किसी भी मात्रा की सामान्य जमाराशियों की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च एवं नियत ब्याज दर को प्रदान करते हुए, खास कर भारत में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सावधि जमा योजना लागू करें। तदनुसार, बैंक आफ बहराइन एवं कुवैत (बीबीके) ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए "बीबीके सैलूट/ योजना" का निरूपण किया है तथा उस योजना को 3 अक्तूबर, 2001 से शुरू किया है, उस संबंध में वरिष्ठ नागरिकों को मियादी जमा राशि पर सामान्य ब्याज दर के अतिरिक्त 0.5% प्रतिवर्ष की अधिक ब्याज एवं कुछ अन्य लाभ प्रदान किये जाते हैं।

कर्नाटक में स्वापक आसूचना प्रकोष्ठ

2879. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने नशे की लत पर नियंत्रण पाने हेतु राज्य में स्वापक आसूचना प्रकोष्ठ के गठन के लिए राज्य को वित्तीय अनुदान जारी करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का क्या वित्तीय प्रभाव है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन): (क) और (ख) कर्नाटक राज्य सरकार से नारकोटिक्स आसूचना सेल के लिए पदों के सृजन हेतु 88.62 लाख रु. की धन राशि के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) और (घ) राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार को राज्य द्वारा विशेष सेल स्थापित करने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि इसे उसके अपने संसाधनों से वित्त-पोषित किया जाए। केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई धनराशि निर्धारित नहीं की है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवानिवृत्ति आयु

2880. श्रीमती डी.एम. विजयाकुमारी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु कम करने पर कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि विरोध के बावजूद सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आकार को छोटा किया जाए?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) जी, नहीं। सरकारी क्षेत्र के संबंधित उपक्रमों के प्रबंधनों द्वारा कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए उद्यम सापेक्ष उपाय किये जाते हैं तथा इनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लागू करना शामिल है। इस संबंध में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों ने सामान्यत: उल्लेखनीय सूझबूझ का प्रदर्शन किया है।

कर संग्रहण

2881. श्री विनय कुमार सोराके: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर दायरे को व्यापक बनाने के साथ-साथ कर संग्रहण में समानुपातिक वृद्धि हुई है;

(ख) क्या कर का दायरा बढ़ने के साथ-साथ कर संग्रहण व्यय में भी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या कर राजस्व बढ़ाने के लिए आयकर दाता के अनुकूल कुछ अन्य उपाय किये जा रहे हैं जिससे कि आय कर की वसूली पर होने वाले व्यय से बचा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। कर वसूली पर किये जाने वाले व्यय में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) और (घ) कर वृद्धि के लिए कुछ मित्रवत उपाय हैं: कर विवरणी दाखिल करने के लिए संरचनात्मक दिशा-निर्देशों सहित सरलीकृत कर विवरणी, संवीक्षा के लिए दाखिल की गई विवरणियों में से केवल 1% का चयन करना, जनसम्पर्क के विभिन्न क्षेत्रों में समयबद्ध कार्रवाई हेतु भावी योजना संबंधी दस्तावेज तथा 'नागरिक अधिकार पत्र' जारी करना, शीघ्र कार्रवाई/निर्णय के लिए कर निर्धारण, वापसी जारी करना, अपील का निपटान करने आदि जैसी विभिन्न कार्रवाइयों हेतु समय-सीमा को घटाना तथा आयकर विभाग का बड़े स्तर पर कम्प्यूटरीकरण करना।

बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी, हावड़ा को पुन: चालू करना

2882. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हावड़ा स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रम बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी को चालू करने हेतु विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे पुन: चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) हावड़ा वर्क्स सहित बर्न स्टैंडर्ड कंपनी के पुनरुद्धार के संबंध में, संसद सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी तथा श्री दीपांकर मुखर्जी द्वारा अग्रेषित कर्मचारी यूनियनों से कुछ प्रतिवेदन तथा माननीय संचार राज्य मंत्री श्री तपन सिकदर से संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

(ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर), एक अर्द्ध न्यायिक निकाय, द्वारा 16 अप्रैल, 1999 को एक पुनरुद्धार स्कीम संस्वीकृत की गई। भारत सरकार ने स्कीम में परिकल्पित राशि से अधिक सहायता दी है। इसमें 184 करोड़ रुपये (बीआईएफआर स्कीम में परिकल्पित की गई 158.30 करोड़ रुपये की राशि की तुलना में) का नकद सहायता तथा 465.36 करोड़ रुपये की वित्तीय पुनर्संरचना शामिल है।

लेकिन, कंपनी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकी तथा भारी हानि उठाती रही। इसलिए बीआईएफआर ने फरवरी, 2011 में स्कीम को विफल घोषित कर दिया तथा 14.9.2001 को प्रबंधन में परिवर्तन के लिए आदेश जारी कर दिया। तत्पश्चात, सरकार ने एक नीतिगत भागीदार का पता लगाने के लिए भी कार्रवाई आरम्भ कर दी है जो अपेक्षित वित्तीय, विपणन तथा प्रौद्योगिकी सहायता मुहैया कराने में सक्षम होगा।

सिंगापुर पूंजी बाजार का प्रस्ताव

2883. डा. डी.वी.जी. शंकर राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगापुर पूंजी बाजार के प्राधिकारियों ने भारतीय कंपनियों को अपने स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने और उसके बाजार का लाभ उठाने हेतु आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सिंगापुर के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार और भारतीय कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

विद्यमान विनियमों के अनुसार भारतीय कंपनियों के रुपया शेयरों की विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता अनुज्ञेय नहीं है। वर्तमान विदेशी निवेश नीति के अनुसार, अगर विदेशी इक्विटी निवेश निर्दिष्ट सीमाओं के अंदर है तो नए अंडर लाइंग शेयरों वाले एडीआर/डीजीआर निर्गमों के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। निर्गमकर्ताओं को निर्गम ब्यूरों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करना होता है। भारतीय एडीआर/जीडीआर निगमकर्त्ता कंपनियों को उन विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों के चयन की स्वतंत्रता है जिनमें उनके निर्गम सूचीबद्ध किए जाएंगे। जीडीआर की विदेशी स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्धता का चयन भारतीय निर्गमकर्ता कंपनियों का विशेषाधिकार है, जो कि उनके स्क्रिपों की विपण्यता पर आधारित है। वर्तमान में कई भारतीय कंपनियों के एडीआर/जीडीआर विदेश स्थित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता से कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

2884. श्री बीर सिंह महतो: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वर्तमान में देश में कुछ कपड़ा मिलों का विदेशी सहायता से आधुनिकीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आधुनिकीकरण के लिए धन उपलब्ध कराने वाले देशों के नाम और वित्तीय संस्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मिल-वार उपलब्ध कराई गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार वस्त्र मिलों के आधुनिकीकरण के लिए कोई विदेशी सहायता नहीं दी जा रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नाबार्ड द्वारा धनराशि उपलब्ध कराना

2885. श्री राजो सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और झारखंड की सरकारों ने नाबार्ड से ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर नाबार्ड ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि बिहार सरकार ने सड़क एवं पुलों के निर्माण के लिए ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) से ऋण मांगा है। तथापि, नए बने झारखण्ड राज्य से अभी तक

किसी ऋण की मांग नहीं की है। नाबार्ड द्वारा बिहार राज्य सरकार को मंजूर की गई राशि का ब्यौरा निम्नांकित है:

उद्देश्य	दी गई मंजूरी से संबंधित वर्ष	मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या	मंजूर की गई ऋण राशि (करोड़ रुपये)
ग्रामीण पुल	1999-2000	2	1.57
	2000-2001	47	28.92
	2001-2002	18	11.53
ग्रामीण सड़क	2001-2002	1	1.37
कुल		68	43.39

(ग) नाबार्ड ने बिहार सरकार सहित राज्य सरकारों को हमेशा अपने राज्य में सड़कों एवं पूलों सहित आधारिक तत्वों के निर्माण हेतु आरआईडीएफ के उपयोग के लिए समझाया है। आरआईडीएफ की उपलब्धता त्वरित करने के लिए नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय एवं नाबार्ड के वरिष्ठ कार्यकारियों ने राज्य सरकारों के साथ मामला उठाया है तथा सभी राज्यों में आरआईडीएफ की उपलब्धता की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है। हाल ही में, मुख्य मंत्रियों की बैठक में, नाबार्ड ने सभी राज्यों के माननीय मुख्य मंत्रियों को उनके राज्य में आरआईडीएफ ऋणों के इष्टतम उपयोगिता के लिए ध्यान आकर्षित किया गया था।

[अनुवाद]

पेंशन और पी.पी.एफ.

2886. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेंशन कोष और लोक भविष्य निधि के संबंध में सरकार की कोई विशेष निवेश नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कोषों के निवेश से सरकार को कितने प्रतिशत लाभ मिल रहा है;

(घ) वर्तमान में सरकार ने विभिन्न प्रतिभूतियों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुमानत: कितनी धनराशि का निवेश किया है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और प्रतिभूतियों में असफल हो जाने की स्थिति में सरकार निवेश की गई धनराशि को किस प्रकार वसूल करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, रेलवे को छोड़कर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई अलग पेंशन निधि/लेखा नहीं है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों को पेंशन भुगतान व्यापक रूप से चालू राजस्वों में से किये जाते हैं।

गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवार्षिता निधियों और ग्रेच्युटी निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा अधिसूचित ''निवेश प्रणाली'' के अनुसार किया जाता है।

लोक भविष्य निधि (पी पी एफ) के अधीन प्राप्तियां, भारत के लोक खाते में राष्ट्रीय लघु बचत निधि को प्राप्त होती है और इस निधि में से संवितरण भी लोक खाते में किये जाते हैं। लोक भविष्य निधि (पी पी एफ) स्कीम के अधीन निवल जमा का केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 20 : 80 के अनुपात में वितरण किया जाता है। राज्यों का हिस्सा उनकी योजना स्कीमों का वित्त पोषण करने के लिए होता है।

(ख) से (ङ) पूंजी लोक भविष्य निधि का सरकारों द्वारा और आगे पुनर्निवेश नहीं किया जाता, इसलिए भाग (ख) से (ङ) के प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बैंकों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग

2887. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 2001 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के कितने बैंकों को धनराशि का दुरुपयोग करने का दोषी पाया;

(ख) क्या सरकार ने उक्त बैंकों के खातों की कोई जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मानदंडों का हो सकता है कुछ उल्लंघन हुआ हो, परन्तु सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निधियों के दुरुपयोग का कोई दृष्टान्त हाल में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के सामने नहीं आया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दौरान जब कभी भी ऐसे उल्लंघनों का पता चलता है तो उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

[अनुवाद]

उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामले

2888. श्री अरुण कुमार: क्या **वित्त मंत्री** उत्पाद शुल्क अपवंचन के मामले के बारे में 3 मार्च, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1295 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्पाद शुल्क के अपवंचन को रोकने के लिए अपनाए गए उपायों का कोई फलदायक परिणाम निकला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क का अपवंचन वरिष्ठ प्राधिकारियों की मिलीभगत से किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने प्राधिकारियों की पहचान की गई और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। उत्पाद शुल्क अपवंचन रोकने की प्रणालियों के फलदायक परिणाम रहे हैं क्योंकि शुल्क अपवंचन का पता लगाने के मामलों में वृद्धि हुई है:

वर्ष	मामलों की संख्या	पता लगाये गये शुल्क अपवंचन की राशि (करोड़ रुपये में)
2000-2001 (अक्तूबर तक)	2874	882.40
2001-2002 (अक्तूबर तक)	3559	3253.31

(ग) और (घ) जहां कहीं मिलीभगत के मामले ध्यान में आते हैं, अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाती है।

उत्पाद शुल्क में दी गई छूट को वापस लेना

2889. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में लघु उद्योग द्वारा निर्मित कुछ मदों पर उत्पाद शुल्क में दी गई छूट को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं। वित्त विधेयक, 2001 के अधिनियम के समय से अब तक, लघु उद्योग इकाईयों द्वारा विनिर्मित माल के लिए उपलब्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट को किसी भी मद के संबंध में वापस नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय रिजर्व बैंक की फर्जी ओसीबी के विरुद्ध जांच

2890. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी जानकारी में आए कथित फर्जी विदेशी निगमित निकायों के विरुद्ध विस्तृत जांच की है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक की इस जांच के दायरे का ब्यौरा क्या है और भारतीय रिजर्व बैंक के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) फर्जी विदेशी निगमित निकायों से अर्थव्यवस्था को बचाने हेतु किन सुरक्षा उपायों का सुझाव दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने कतिपय विदेशी निगमित निकायों के पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) लेन-देनों के संदर्भ में नरीमन प्वाइंट तथा फोर्ट, मुंबई स्थित ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की शाखाओं का निरीक्षण किया था। निरीक्षण रिपोर्ट में ग्लोबल

ट्रस्ट बैंक की प्रणालीगत कमियों तथा मुद्रा विनिमय नियंत्रण विनियमों के उल्लंघन के संभावित मामले की ओर संकेत किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को अग्रेषित कर दी गई है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निगमित निकायों द्वारा नए निवेश को प्रतिबंधित करते हुए 29.11.2001 को फेमा विनियमों में संशोधन किया है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी बैंक

2891. श्री भीम दाहाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य में गैर-सरकारी बैंक खोलने की अनुमति प्रदान करने हेतु सरकार की क्या नीति है;

(ख) सिक्किम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में कितने गैर-सरकारी बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या इन राज्यों में गैर-सरकारी बैंक खोलने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश के लिए जनवरी, 2001 में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ किसी नए बैंक के लिए प्रारम्भिक न्यूनतम चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपए होगी (जिसे तीन वर्षों में बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए किया जाएगा), चुकता पूंजी का 40% न्यूनतम प्रवर्तक अंशदान, प्रवर्तक समूह में कारबारी कंपनियों के साथ संबंधों में दूरी बनाए रखना, कोई बड़ा औद्योगिक घराना किसी नए बैंक का समर्थन नहीं करेगा, 10% के न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखना, पिछले अच्छे कार्यनिष्पादन रिकार्ड वाली एनबीएफसी को बैंकों आदि में बदलने की अनुमति देना आदि का निर्धारण किया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक का मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय सिक्किम तथा पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव उसके पास लम्बित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा न्यून बीजक दर्शाना

2892. श्री दिनशा पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियां, जिन्हें सांद्रित स्कौंच का आयात करने का लाइसेंस दिया गया था, न्यून बीजक दर्शाने और आयातित वस्तुओं का मूल्य घोषित न करके करोड़ों रुपयों का सीमा शुल्क अपवंचन करने में सम्मिलित पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों के नाम क्या हैं और 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार ऐसे प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि का अपवंचन किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु कि भविष्य में ऐसी कंपनियां इस प्रकार कदाचार न कर पाएं क्या कदम उठाए जा रहे है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स सीग्राम मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को प्रत्यक्ष रूप से स्कौंच सांद्रणों के आयातों का कम मूल्यांकन करते हुए पाया गया था। दो कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं जिनमें 50.04 करोड़ रुपये का सीमा शुल्क अंतर्ग्रस्त है।

(ग) कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के दौरान, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा किये गये न्यायनिर्णयन के अनुसार अपराध की संभाविता को ध्यान में रखकर आयातक के खिलाफ उपयुक्त अर्थदण्ड लगाने की कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा, मैसर्स सीग्राम मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड और उसके अधिकारियों के खिलाफ नई दिल्ली की न्यायिक अदालत में एक अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है।

भारत-यूरोपीय संघ के बीच शिखर वार्ता

2893. श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री वाई.वी. राव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-यूरोपीय संघ ने व्यापार और निवेश के संबंध में आंकलन हेतु कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल ने क्या सिफारिशें की;

(ग) क्या 22 और 23 नवम्बर, 2001 को भारत-यूरोपीय संघ के बीच शिखर वार्ता में इन सिफारिशों पर चर्चा की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत ने यूरोपीय संघ से अपने बाजार में भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ाने का भी अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर यूरोपीय संघ की क्या प्रतिक्रिया रही?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) भारत तथा यूरोपीय संघ के व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों के व्यापार/निवेश को बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, दूर-संचार, इंजीनियरिंग और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में ''व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए ई यू-भारत की संयुक्त पहल'' नाम से एक संयुक्त अध्ययन किया है और इसे 22-23 नवम्बर, 2001 को आयोजित भारत-ईयू व्यापार सम्मेलन को प्रस्तुत किया गया था। इस अध्ययन में नीति/विनियामक पहलुओं, कराधान/आर्थिक मुद्दों, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, प्रशिक्षण, सुमेलीकरण इत्यादि के बारे में भारत सरकार, यूरोपीय संघ और दोनों पक्षों के व्यापार और उद्योग जगत द्वारा कार्रवाई हेतु सिफारिशें शामिल हैं।

(ङ) और (च) द्विपक्षीय बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों पर विभिन्न भारत-ईयू मंचों पर और द्विपक्षीय विचार विनियमों में नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। सम्मेलन के दौरान यूरोपीय संघ और भारत ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए आगे की कार्रवाई में तादात्म्य स्थापित करने हेतु अन्य बातों के साथ-साथ बातचीत को तेज करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी।

[हिन्दी]

निर्यात को राष्ट्रीय वरीयता घोषित करना

2894. श्री रामेश्वर डूडी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात को राष्ट्रीय वरीयता घोषित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या मानदण्ड और प्रतिक्रिया अपनाई गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) निर्यातों का संवर्धन करना सरकार का सतत् प्रयास रहा है और यह आर्थिक नीति के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। निर्यात संभावना वाली मदों को समय-समय पर अभिज्ञात किया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में उक्त संभावना को बढ़ाने के प्रयास किये जाते हैं। तदनुसार, इन अभिज्ञात क्षेत्रों में निर्यातों को बढ़ाने के लिए योजनाओं को तैयार किया जाता है और उनका कार्यान्वयन किया जाता है।

वैश्विक बाजार में भारतीय वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में शामिल हैं: विकेन्द्रीकरण के जरिए सौंदों की व्यापार लागत में कमी करना, क्रियाविधियों का सरलीकरण और एग्जिम नीति में यथा उल्लिखित विभिन्न अन्य उपाय। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलों, थ्रस्ट क्षेत्रों और फोकस क्षेत्रों की पहचान, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के जरिए भी निर्यातों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इनके अलावा, नई एग्जिम नीति 2001-2002 में घोषित उपायों में, अन्य बातों के साथ साथ, कृषि निर्यातों का संवर्धन बाजार पहुंच संबंधी पहल और कारोबार-सह व्यापार सुविधा केन्द्रों की स्थापना इत्यादि भी शामिल हैं। निर्यात संवर्धन के लिए हाल ही में किए गए कुछेक उपायों में शामिल हैं-लदान पूर्व और लदान पश्चात दोनों ऋणों के लिए निर्यात ऋण दर में कमी, सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को बढ़ाना और कई उत्पाद समूहों पर शुल्क वापसी की दरों में उर्ध्वगामी संशोधन करना।

[अनुवाद]

सरकारी सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व

2895. श्री भेरूलाल मीणा:
डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री शमशेर सिंह दूलो:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अंतर्गत 1 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59 प्रतिशत है (अनुसूचित जातियां-10.38 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति-3.21 प्रतिशत) है और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41 प्रतिशत है (अनुसूचित

जातियां-11.73 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियां-2.68 प्रतिशत) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5 प्रतिशत (अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत) है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अधीन प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के अधीन दिनांक 1.1.1998 की यथास्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व समूह 'क' की सेवाओं में 14.24 प्रतिशत (अनुसूचित जाति-10.8 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति 3.44 प्रतिशत) तथा समूह 'ख' की सेवाओं में 15.37 प्रतिशत (अनुसूचित जाति 12.35 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति 3.02 प्रतिशत) था। तथापि, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न समूह 'क' और 'ख' सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारियों के प्रतिनिधित्व के मामले में अलग-अलग आंकड़ों का रखरखाव केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 में निहित प्रावधान, संवर्ग में संबंधित श्रेणी में अधिकता/कमी की पहचान और पद-आधारित रोस्टर के शुरुआती संचालन के बारे में है।

सेबी को ऋण

2896. श्री रामजी मांझी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1992 से 97 के बीच सेबी को अपने पूंजीगत व्यय को पूरा करने हेतु 115 करोड़ रुपए का ब्याज-मुक्त ऋण दिया है लेकिन उसे चुकाने की कोई योजना नहीं दी;

(ख) यदि हां, तो क्या सेबी ने ऋण चुका दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सेबी से ऋण वसूलने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) वर्ष 1992-93 से 1996-97 के दौरान भारत सरकार ने सेबी को इसकी पूंजीगत व्यय अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयोजनार्थ कुल 115.00 करोड़ रुपये के विभिन्न ब्याज-मुक्त ऋण दिए थे। ये ऋण 2 वर्षों के आरंभिक ऋण स्थगन के पश्चात् 12 वर्षों की अवधि में 10 समान किस्तों में चुकाए जाने हैं।

(ख) और (ग) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार सेबी द्वारा सरकार को मार्चात 2001 तक देय 53.00 करोड़ रुपये की राशि लौटा दी गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भैंस के मांस का निर्यात

2897. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भैंस के मांस के निर्यात से प्राप्त धन अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्य का लगभग आधा है;

(ख) यदि हां, तो देश को विदेशी मुद्रा से वंचित करने हेतु क्या जांच कराई गई;

(ग) क्या निर्यातकों को दुबई/सीमा पत्तनों पर खेप भेजने और उसे पुन: अधिक मूल्य पर निर्यात करने की अनुमति है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कदाचार के लिए जांच कराई गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) भारत से भैंस के मांस के निर्यात से प्राप्त यूनिट मूल्य कुछ अन्य देशों की तुलना में कम है। एफ ए ओ के 1999 के व्यापार आंकड़ों के अनुसार, भारत और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भैंस के मांस के निर्यात से प्राप्त यूनिट मूल्य निम्नानुसार है:

क्षेत्र	अमरीकी डालर में प्रति एमटी प्राप्त धन
1	2
भारत	1021
अफ्रीका	2298
एशिया	2000

1	2
यूरोप	2370
दक्षिण अमेरिका	2094
उत्तर एवं मध्य अमेरिका	2533
ओसिनिया	1683

(ख) से (घ) निर्यात कीमतें कई कारकों पर निर्भर होती है। यह तथ्य कि भारतीय निर्यात कम मूल्य के पात्र होते हैं स्वत: ही जांच का विषय नहीं है। इसके अलावा, एक बार निर्यात होने पर यह आयातकों पर निर्भर करता है कि वे अन्य गंतव्यों को पुनर्निर्यात करने सहित अपने पसंदीदा ढंग से खेप का निपटान करें।

[हिन्दी]

ग्रामों के विकास में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी

2898. श्री सुन्दरलाल तिवारी:
श्री रामशकल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र से ग्रामों के विकास हेतु अपने मुनाफे का एक भाग निवेश करने के लिए रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) औद्योगिक क्षेत्र की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में स्पष्ट निर्देशों के कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (च) माननीय प्रधानमंत्री ने एसोचैम और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 16.10.2001 को संयुक्त रूप से आयोजित "ग्रामीण समृद्धि के लिए सार्वजनिक-निजी साझेदारी" पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते समय जनहित कार्यों में लगी भारतीय कंपनियों का धन्यवाद किया और निजी क्षेत्र के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में समाज के कल्याण के लिए अपने लाभ के एक बड़े हिस्से का दान करने की अपील की। इस अवधारणा को कार्यरूप में बदलने का काम, कानूनी ढांचे में उपयुक्त परिवर्तन किये जाने और केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर कार्यरत विभिन्न अभिकरणों के कार्यक्रमों व गतिविधियों में सामंजस्यता रखने और निजी क्षेत्र की इच्छाशक्ति व उनके पहल पर निर्भर रहेगा।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न की कमी

2899. श्री रघुनाथ झा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों का भंडारण के बारे में 2.3.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1267 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा गोदामों में बताई गई भंडार में कमी के कारणों की जांच की है और केन्द्र सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चोरी और कमियों पर नियंत्रण पाने के लिए क्या उपाय किये गए हैं; और

(घ) इन कमियों के लिए उत्तरदायी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने भौतिक स्टाफ को मापने के लिए नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अपनाई गई आयतन की पद्धति के संबंध में विवाद उठाया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रस्तुत की गई समाधान रिपोर्ट के अनुसार खाद्यान्नों की निवल कमी 1.57 लाख टन बैठती है न कि 4.74 लाख टन जैसाकि नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा हिसाब लगाया गया है। इस मामले की खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में राय बनाने/निर्णय लेने और मंत्रिमंडल की मूल्य समिति, जो इस मामले की मानीटरिंग कर रही है, द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार इसके संबंध में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति को स्थिति की सूचना देने के लिए जांच की जा रही है।

(ग) खाद्यान्नों की हानियों से बचने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:

(1) चरणबद्ध ढंग से पचास किलोग्राम की पैकिंग अपनाना।

(2) तोल सेतु स्थापित करना।

(3) डिपुओं पर सुरक्षा कड़ी करना, लदान/उतरान केन्द्रों पर अचानक जांचें तेज करना, नियमित स्टाक सत्यापन सुनिश्चित करना आदि जैसे प्रशासनिक उपाय करना।

(4) संवेदनशील केन्द्रों की पहचान करना।

(5) चोरी और उठाईगिरी को रोकने के लिए संवेदनशील डिपुओं पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात करना।

(6) चुनिन्दा रेलशीर्ष ट्रांसशिपमेंट और गन्तव्य केन्द्रों पर विशेष दस्ते से जांच करना।

(7) बट्टे खाते डालने के मामलों में तेजी लाना और जहां आवश्यकता हो जिम्मेदारी निर्धारित करना।

(8) उन अधिकारियों के प्रभार में गोदामों को न देना जिनके पूर्ववृत्त संदेहास्पद हों।

(9) वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक/जिला प्रबंधकों द्वारा डिपुओं और रिकार्ड की जांच किया जाना।

(10) संयुक्त प्रबंधक (यांत्रिक) और जिला प्रबंधक द्वारा तोलसेतुओं का निरीक्षण किया जाना।

(11) बोरियों की मशीन से दोहरी सिलाई करना।

(12) यथासंभव सीमा तक खुले वैगनों में संचलन में कमी लाना।

(13) बोरियों के आकार और गुणवत्ता में सुधार करना।

(14) एन.आई.सी. द्वारा एक परियोजना तैयार की गयी है जिसके अधीन भारतीय खाद्य निगम में प्रबंधन सूचना प्रणाली को उन्नत बनाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना में भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं का कम्प्यूटरीकरण करना और इन्हें जिला कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय के साथ जोड़ना शामिल है। एन.आई.सी. द्वारा भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं में उपयोग हेतु एक साफ्टवेयर विकसित किया गया है जिसका परीक्षण नारायणा और करनाल स्थित भारतीय खाद्य निगम के दो डिपुओं में व्यावहारिक परिस्थितियों के लिए किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने में एक वर्ष से अधिक लग सकता है।

(15) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं और चावल के स्टाक का भौतिक सत्यापन करने के लिए नमूना भरने की सस्ती योजना विकसित करने का कार्य भारतीय सांख्यिकीय संस्थान को सौंपा गया है। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गयी परियोजना की रिपोर्ट की जांच भारतीय खाद्य निगम से परामर्श करते हुए की जा रही है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम ने असामान्य कमियों के लिए चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

2900. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के विदेशी ऋण में वाणिज्यिक और रियायती ऋण का अनुपात कितना है;

(ख) क्या सरकार ने ब्याज दरों को कम करने के लिए रियायती ऋण में वृद्धि करने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ग) भारत के अपने विदेशी खाते में ऋण के प्रकारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारत के विदेशी ऋण को कम करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) विदेशी ऋण पर और संसद में अक्तूबर, 2001 में प्रस्तुत प्रास्थिति रिपोर्ट में दी गई रियायती ऋण की भारत सरकार की परिभाषा के अनुसार भारत के बकाया रियायती ऋण का हिस्सा मार्च 1991 के अंत में कुल विदेशी ऋण के 45.9 प्रतिशत से गिरकर मार्च, 2001 के अंत में 35.9 प्रतिशत हो गया। परन्तु विश्वव्यापी विकास वित्त, 2001 में विश्व बैंक द्वारा दी गई रियायती ऋण की परिभाषा के अनुसार भारत के कुल विदेशी ऋण में रियायती ऋण का हिस्सा 1990 के अंत में 46.2 प्रतिशत से बढ़ कर 1999 के अंत में 47.3 प्रतिशत हो गया।

(ख) भारत के रियायती ऋण के हिस्से में घट-बढ़ मुख्य रूप से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋण दाता संस्थाओं द्वारा ऋण नीतियों में परिवर्तन और भारत में विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के उदारीकरण के कारण है। हालांकि, विश्व बैंक के रियायती ऋण के वर्गीकरण के अनुसार 1999 के अंत में भारत के रियायती ऋण का हिस्सा जो 47.3 प्रतिशत पर है, शीर्षस्थ पंद्रह ऋणी देशों में सब से अधिक है, जिसके बाद 25.7 प्रतिशत पर फिलीपीन्स, 20.8 प्रतिशत पर इंडोनेशिया और 19.2 प्रतिशत पर चीन का स्थान है। विदेशी ऋणों की लागत को न्यूनतम करने के लिए सरकार का प्रयास वचनबद्धताओं तथा रियायती स्रोतों से ऋणों के उपयोग को अधिकतम करने का रहा है।

(ग) मार्च 2001 के अंत की स्थिति के अनुसार, मुख्य ऋणदाता स्रोतों से भारत की विदेशी ऋण की बकाया स्थिति निम्नानुसार है:

31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार
बकाया विदेशी ऋण

	ऋणदाता श्रेणी	मिलियन अमरीकी डालर
1.	बहुपक्षीय	31,104
2.	द्विपक्षीय	16,624
3.	आई.एम.एफ.	0
4.	निर्यात ऋण	5,838
5.	वाणिज्यिक ऋण	24,203
6.	अनिवासी जमाराशियां	15,432
7.	रुपया ऋण	3,693
	(1) कुल दीर्घावधि ऋण	96,894
	(2) अल्पावधि ऋण	3,462
	(3) कुल विदेशी ऋण	100,356

(घ) और (ङ) भारत की विदेशी ऋण प्रबंध नीति परिपक्वता ढांचे तथा कुल वाणिज्यिक ऋण को प्रबंध योग्य सीमाओं के भीतर रखने, अल्पावधि ऋण को सीमित करने, अधिक महंगे ऋणों को समाप्त करने और गैर-ऋण सृजक वित्तीय प्रवाहों को प्रोत्साहित करने तथा निर्यातों की उच्च वृद्धि दर पर केन्द्रित है।

[अनुवाद]

दान पर आय-कर छूट

2901. श्री के. येरननायडू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में विविध सांस्कृतिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन देने के लिए आंध्र प्रदेश सांस्कृतिक परिषद द्वारा स्थापित की जा रही राज्य सांस्कृतिक फाउंडेशन को दिए जाने वाले दानों के लिए आयकर में छूट की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 80छ के उपबंधों के अंतर्गत, आपात प्रबंधन और गरीबों को चिकित्सा सहायता देने के लिए राष्ट्रीय महत्व के कतिपय कोषों अथवा कतिपय राज्य कोषों के लिए दिए गए दान के लिए 100% की कटौती की अनुमति दी गई है। अन्य कोषों के लिए 50% कटौती की रियायत दी जाती है, जिसके लिए आंध्र प्रदेश सांस्कृतिक परिषद द्वारा स्थापित फाउंडेशन भी पात्र है।

कमजोर वर्गों पर अत्याचार

2902. श्री गंता श्रीनिवास राव: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिए गए वक्तव्य की जानकारी है जिसमें उन्होंने कहा है कि दलितों पर अत्याचार की एक घटना हर छह घंटे में हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या आंकलन है;

(ग) क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों की सहायता और सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा

अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष द्वारा ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध गैर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा अत्याचारों को रोकने के लिए दो विशेष केन्द्रीय विधान अर्थात सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 हैं।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत इन अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन, कानूनी सहायता के प्रावधान, अभियोजन का पर्यवेक्षण करने, विशेष प्रकोष्ठों, विशेष न्यायालयों को स्थापित करने, आवधिक सर्वेक्षणों का संचालन करने, अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने तथा अत्याचार के पीड़ितों/अत्याचार पीड़ितों के आश्रितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को 50 : 50 के आधार पर तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 100% के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

ग्रामों में माल गोदामों का निर्माण

2903. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार अनेक ग्रामों में माल गोदाम बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार विशेषकर तमिलनाडु में कितने ग्रामों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों में उनकी सहायता के लिए विशेष रूप से ग्रामीण, दूर-दराज, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के सुचारू प्रवाह के लिए 2000 टन तक की क्षमता के गोदामों का निर्माण करने हेतु "गोदामों का निर्माण" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रही है। भारतीय खाद्य निगम अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानों पर आवश्यकता के अनुसार माइक्रो स्तर पर गोदामों का निर्माण करके अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित करता है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में कृषि और सहकारिता विभाग ने ग्रामीण गोदामों के निर्माण/नवीकरण/विस्तार के लिए पूंजी निवेश राजसहायता की नई योजना तैयार की है। इस योजना के लिए किसी वित्तीय आवंटन को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है।

इसके अलावा, केन्द्रीय भंडारण निगम के विभिन्न राज्यों में 90 ग्रामीण भांडागार हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) केन्द्रीय प्रायोजित योजना में छोटे गोदामों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर उन्हें वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अधीन मार्च, 2001 तक 683 गोदामों का निर्माण किया गया है। ब्योरे विवरण-II में देखे जा सकते हैं।

(घ) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता 50% सहायता अनुदान (राजसहायता) और 50% ऋण के आधार पर दी जाती है। इस योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए 11.50 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

विवरण I

ग्रामीण क्षेत्रों में भांडागारों की संख्या की राज्यवार सूची

1.	तमिलनाडु	3
2.	आंध्र प्रदेश	12
3.	असम	1
4.	बिहार	1
5.	गुजरात	8
6.	हरियाणा	3
7.	कर्नाटक	9
8.	मध्य प्रदेश	8
9.	महाराष्ट्र	15
10.	राजस्थान	9
11.	उत्तर प्रदेश	1
12.	पश्चिम बंगाल	20
	जोड़	90

विवरण II

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

(20.3.2001 की स्थिति के अनुसार)
(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र	जोड़ 1983-84 से 1995-96			1996-97			1997-98		
		राशि	क्षमता	गोदामों की संख्या	राशि	क्षमता	गोदामों की संख्या	राशि	क्षमता	गोदामों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0	0	129.20	5400	18	8.20	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.70	800	5	0.00	0	0	0.00	0	0
3.	असम	20.00	2000	1	95.04	8000	4	168.66	13300	7
4.	बिहार	106.40	9000	9	0.00	0	0	0.00	0	0
5.	गोवा	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
6.	गुजरात	212.42	9500	17	0.00	0	0	183.30	8500	12
7.	हरियाणा	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	26.00	1700	9	0.00	0	0	77.76	1800	3
9.	जम्मू व कश्मीर	528.82	13950	52	0.00	0	0	26.72	250	1
10.	कर्नाटक	132.00	8200	31	0.00	0	0	0.00	0	0
11.	केरल	41.50	2000	1	0.00	0	0	0.00	0	0
12.	मध्य प्रदेश	294.12	18000	18	228.76	14000	14	0.00	0	0
13.	महाराष्ट्र	206.16	10442	21	0.00	0	0	0.00	0	0
14.	मणिपुर	194.80	5000	25	0.00	0	0	0.00	0	0
15.	मेघालय	46.00	2400	3	0.00	0	0	0.00	0	0
16.	मिजोरम	183.81	7200	29	0.00	0	0	112.44	6000	10
17.	नागालैण्ड	32.82	1200	20	60.00	850	17	0.00	0	0
18.	उड़ीसा	208.00	13000	52	0.00	0	0	0.00	0	0
19.	पंजाब	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
20.	राजस्थान	175.66	14400	8	30.00	1800	1	67.40	5400	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	सिक्किम	64.50	2600	7	0.00	0	0	0.00	0	0
22.	तमिलनाडु	0.00	0	0	50.00	2480	18	0.00	0	0
23.	त्रिपुरा	30.00	1250	5	0.00	0	0	83.02	2000	6
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0	162.00	5400	20	460.50	15350	43
25.	पश्चिम बंगाल	96.48	6000	12	0.00	0	0	0.00	0	0
26.	अं. नि. द्वीपसमूह	46.00	1000	2	0.00	0	0	0.00	0	0
27.	चंडीगढ़	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
28.	दा. व ना. हवेली	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
29.	दमन और द्वीव	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
30.	दिल्ली	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
31.	लक्षद्वीप	7.50	500	1	0.00	0	0	0.00	0	0
32.	पांडिचेरी	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
	जोड़	2679.67	130142	328	755.00	37930	92	1188.00	50600	85

1998-99			1999-2000			2000-01			जोड़		
राशि	क्षमता	गोदामों की संख्या	राशि	क्षमता	गोदामों की संख्या	राशि	क्षमता	गोदामों की संख्या	राशि	क्षमता	गोदामों की संख्या
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	137.40	5400	18
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	27.70	800	5
258.88	16000	8	0.00	0	0	0.00	0	0	542.58	39300	20
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	106.40	9000	9
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	395.72	16000	29
165.29	12170	7	0.00	0	0	0.00	0	0	165.29	12170	7
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	102.76	3500	12
0.00	0	0	0.00	0	0	138.29	0	0	693.83	14200	53

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	132.00	8200	31
30.00	1000	2	207.50	10000	5	0.00	0	0	279.00	13000	8
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	522.88	32000	32
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	206.16	10442	21
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	194.80	5000	25
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	46.0	2400	3
0.00	0	0	0.00	0	0	83.48	2504	4	379.73	15704	43
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	92.82	2050	37
0.00	0	0	1247.735	58500	96	292.65*	0	0	1748.38	71500	148
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
430.42	37650	22	105.09	0	0	120.82	11400	7	929.39	70650	41
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	64.50	2600	7
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	50.00	24800	18
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	113.02	3250	11
365.41	14000	7	688.40	24000	12	248.40	15700	8	1904.71	74450	90
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	96.46	6000	12
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	46.00	1000	2
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	7.50	500	1
0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
1250.00	80820	46	2228.725	92500	113	833.64	29604	19	8985.03	421596	683

*1999-2000 के दौरान पहले ही स्वीकृत की गई राशि के शेष के रूप में उड़ीसा को 2000-2001 के दौरान 292.645 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

रुग्ण उद्योग

2904. प्रो. दुर्गा भगत:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय चल रहे बड़े, मझौले और लघु उद्योगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उद्योगों में राज्य-वार कार्य कर रहे कामगारों का ब्यौरा क्या है और इन उद्योगों द्वारा भारतीय मुद्रा में कितनी धनराशि की विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान आज तक ऐसे कितने उद्योग अब तक बंद हो चुके हैं;

(घ) देश में इन उद्योगों की प्रत्येक श्रेणी में कितनी रुग्ण इकाइयां हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इनके पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जहां तक संभव है, मांगी गई सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) देश में बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किये जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के अनुसार मार्च, 2000-2001 के अंत में बंद बताये गये गैर-लघु उद्योग रुग्ण/कमजोर औद्योगिक एककों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

	वर्ष (तक)	गैर-लघु उद्योग रुग्ण/कमजोर
1.	मार्च, 2000	1399
2.	मार्च, 2001 (अनंतिम)	1671

बंद किये गये लघु एककों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, देश में रुग्ण औद्योगिक एककों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

	मार्च, 2000	मार्च, 2001 (अनंतिम)
लघु उद्योग रुग्ण/कमजोर एकक	304235	249630
गैर लघु उद्योग रुग्ण/कमजोर एकक	3164	3317

(ङ) रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश, रुग्ण एककों को स्वस्थ एककों के साथ मिलाना, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशिष्ट उपबंध) अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) राष्ट्रीय इक्विटी निधियों की स्थापना करना इत्यादि सम्मिलित हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ

2905. श्री ए. कृष्णस्वामी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के काम न करने के कारण उनके मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कर्मचारियों की सेवा हितों की रक्षा नहीं की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए किस कार्य योजना का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) इस मंत्रालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कर्मचारियों के सेवा संबंधी हितों को सुनिश्चित करने और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों की भर्ती की मोनिटरिंग के लिए एक सम्पर्क अधिकारी है। संपर्क अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियों की सूचना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को दी जाती है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की विभागीय पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है।

ब्याज दरों में विसंगति

2906. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की ब्याज दरों में विसंगति के संबंध में राज्य सरकारों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार सिडबी के ऋणों की ब्याज दरें कम करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) कुछ राज्य सरकारों/राज्य वित्तीय निगमों ने मौजूदा पुनर्वित्त खातों पर ब्याज दर के पुनर्गठन और साथ ही मौजूदा पुनर्वित्त ब्याज दरों को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियों के अनुसार उसने अपने दीर्घावधि मूल उधार दर (पीएलआर) को फरवरी, 1998 के 14.00% के स्तर से घटाकर मार्च, 1999 में 13.0% कर दिया था, जिसे मार्च, 2001 में पुन: घटाकर 12.5% कर दिया गया था। मध्यावधि पीएलआर और अल्पावधि पीएलआर को भी 12.5% एवं 12.00% के पहले के स्तर से संशोधित करके क्रमश: 12.25% और 11.75% कर दिया गया था।

पुनर्वित्त में, 2 लाख रुपए से अधिक के ऋणों पर ब्याज दर वर्ष 1996 में 16% से घटाकर इस समय 11.5% कर दी गई है। 2 लाख रुपए से कम के ऋणों के लिए सिडबी द्वारा पुनर्वित्त की रियायती दरें उपलब्ध कराई जाती है, जिनमें से 50,000 रु. तक के ऋणों वाले बहुत छोटे ऋणकर्त्ताओं को 9.75% का विशेष स्तर उपलब्ध कराया गया है।

कूरियर एजेन्सियों के माध्यम से स्वापकों की तस्करी

2907. **डा. विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्तरराष्ट्रीय कूरियर एजेन्सियों द्वारा प्रच्छन्न पीतल के बर्तनों के माध्यम से स्वापकों की बड़े पैमाने पर तस्करी की और आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) अंतरराष्ट्रीय कूरियर एजेंसियों द्वारा नशीले पदार्थों के पैकेटों को पीतल के बर्तनों में छुपा कर तस्करी करने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रिक्त पदों को भरने हेतु कदम उठाना

2908. **श्री वी. वेत्रिसेलवन:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों में डी ओ पी टी के नियमों और मार्गदर्शन के अनुसार अभी भी बड़ी संख्या में रिक्तियां भरी जानी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में मुख्य कार्यपालकों के 34 पद तथा कार्यकारी निदेशकों के 66 पद रिक्त थे। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस समय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिशेष कर्मचारियों का यौक्तिकीकरण करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि उनमें क्षमता तथा प्रतिस्पर्धा में सुधार किया जा सके। तथापि, कुछ मामलों में वर्तमान कार्यकलापों का विस्तार/विविधीकरण करके नए अवसरों का सृजन किया गया है।

विवरण

31.10.2001 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यपालकों तथा कार्यकारी निदेशकों की रिक्तियां

(क) मुख्य कार्यपालक

1. प्रबंध निदेशक, मुम्बई रेल विकास कारपो. लि.
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एजूकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लि.
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लि.
4. प्रबंध निदेशक, भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि.

5. प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि.
6. प्रबंध निदेशक, भारत ऑप्थैल्मिक ग्लास लि.
7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नाथपा झाकड़ी पावर कारपो. लि.
8. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.
9. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.
10. प्रबंध निदेशक, प्राभाग टूल्स लि.
11. प्रबंध निदेशक, तुगंभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.
12. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपो लि.
13. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल टेक्सटाईल कारपो. (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि.
14. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि.
15. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एण्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कारपो. लि.
16. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय पर्यटन विकास निगम लि.
17. प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
18. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि.
19. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.
20. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पायराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि.
21. प्रबंध निदेशक, भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि.
22. प्रबंध निदेशक, बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि.
23. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मशीन टूल्स लि. (एचएमटी लि.)
24. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पवन हंस लि.
25. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.
26. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल टेक्सटाईल कारपो. (साउथ महाराष्ट्र) लि.
27. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल टेक्सटाईल कारपो. (महाराष्ट्र नार्थ) लि.
28. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन एयरलाइन्स लि.
29. प्रबंध निदेशक, सदर्न पेस्टीसाइड्स कारपो. लि.
30. प्रबंध निदेशक, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.
31. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियस. लि.
32. प्रबंध निदेशक, ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.
33. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इंडियन पेट्रोकैमिकल्स कारपो. लि.
34. प्रबंध निदेशक, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपो. लि.

(ख) कार्यकारी निदेशक

1. निदेशक (ओएण्डएम), ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि.
2. निदेशक (तकनीकी), फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लि.
3. निदेशक (वित्त), फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लि.
4. निदेशक (विपणन), नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
5. निदेशक (पीएण्डएम), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.
6. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.
7. निदेशक (कार्मिक), हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.
8. निदेशक (उत्पादन), हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.
9. निदेशक (कार्मिक), भारत भारी उद्योग निगम लि.
10. निदेशक (वित्त), एण्ड्रयू यूले एण्ड कंपनी लि.
11. निदेशक (विपणन), हिन्दुस्तान केबल्स लि.
12. निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान पेपर कारपो. लि.
13. निदेशक (टी एण्ड पी), हिन्दुस्तान केबल्स लि.
14. निदेशक (कार्मिक), महानगर टेलीफोन निगम लि.

15. निदेशक (परियोजना), टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लि.

16. निदेशक (वाणिज्य एवं विपणन), भारतीय पर्यटन विकास निगम

17. निदेशक (सीपीएण्डएम), हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.

18. निदेशक (वित्त), मझगांव डॉक लि.

19. निदेशक (एमआईजी कॉम), हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लि.

20. निदेशक (तकनीकी), केन्द्रीय खान आयोजन एवं अभिकल्पन संस्थान लि.

21. निदेशक (तकनीकी), नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.

22. निदेशक (तकनीकी), केन्द्रीय खान आयोजन एवं अभिकल्पन संस्थान लि.

23. निदेशक (तकनीकी), केन्द्रीय खान आयोजन एवं अभिकल्पन संस्थान लि.

24. निदेशक (आईडीएण्डए), विद्युत वित्त निगम लि.

25. निदेशक (कार्मिक), नाथपा झाकड़ी पावर कोरपो. लि.

26. निदेशक (पीएण्डए), नेशनल एल्युमिनियम कं. लि.

27. निदेशक (वित्त), तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लि.

28. निदेशक (आयोजना), इंडियन ऑयल कारपो. लि.

29. निदेशक (एचआर), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो. लि.

30. निदेशक (एमएण्डओ), कंटेनर कारपो. ऑफ इंडिया लि.

31. निदेशक (पीएण्डएस), कंटेनर कारपो. ऑफ इंडिया लि.

32. निदेशक (डीडी), कंटेनर कारपो. ऑफ इंडिया लि.

33. निदेशक (पीएस), रेल इंडिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसिज लि.

34. निदेशक (ऑप), कोचीन शिपयार्ड लि.

35. निदेशक (वित्त), नेशनल टेक्सटाईल कारपोरेशन (उत्तर प्रदेश) लि.

36. निदेशक (वित्त), इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि.

37. निदेशक (उत्पादन), भारत डायनामिक्स लि.

38. निदेशक (तकनीकी), नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपो. लि.

39. निदेशक (तकनीकी), मेटालर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि.

40. निदेशक (वित्त), नेशनल टेक्सटाईल कारपोरेशन (तमिलनाडु एवं पांडिचेरी) लि.

41. निदेशक (वित्त), फर्टिलाइजर कारपो. ऑफ इंडिया लि.

42. निदेशक (विपणन), हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि

43. निदेशक (तकनीकी), ग्रामीण विद्युतीकरण लि.

44. निदेशक (वित्त), नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि.

45. निदेशक (वित्त), पारादीप फास्फेट्स लि.

46. निदेशक (वित्त), हैवी इंजीनियरिंग कारपो. लि.

47. निदेशक (उत्पादन), इंस्ट्रूमेंटेशन लि.

48. निदेशक (वित्त), हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.

49. निदेशक (एसएचएण्डई), मझगांव डॉक लि.

50. निदेशक (विपणन), भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.

51. निदेशक (वाणिज्य), नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि.

52. प्रबंध निदेशक (आरएसपी), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.

53. प्रबंध निदेशक (बीएसपी), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.

54. निदेशक (वाणिज्य), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.

55. निदेशक (वित्त), नेशनल टेक्सटाईल कारपोरेशन (महाराष्ट्र नार्थ) लि.

56. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.

57. निदेशक (तकनीकी), भारत यंत्र निगम लि.

58. निदेशक (वित्त), माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.

59. निदेशक (इंजी. एवं वाणिज्य), जेसप एण्ड कंपनी लि.

60. निदेशक (वित्त), ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लि.

61. निदेशक (वित्त), इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.

62. निदेशक (तकनीकी), हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.

63. निदेशक (सीपीएण्डपी), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.

64. निदेशक (तकनीकी), ब्रिटिश इंडिया कारपो. लि.

65. निदेशक (इंजी.), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.

66. निदेशक (वित्त), ब्रिटिश इंडिया कारपो. लि.

किशोर गृह

2909. श्री एम. चिन्नासामी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि बड़ी संख्या में बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है और ऐसे बच्चों की किशोर गृहों में लाया जाता है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि ऐसे बच्चों को पूर्णरूपेण अस्वास्थ्यकर वातावरण में रहना पड़ता है और जब भी उन्हें अवसर मिलता है, वे ऐसे किशोर गृहों से भाग जाते हैं;

(ग) यदि हां तो, क्या सरकार का विचार किशोर गृहों की दशा में सुधार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किशोर गृहों की स्थापना तथा रखरखाव करने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 50 : 50 के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन गृहों के प्रशासन और रखरखाव का पूरा दायित्व संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। प्रतिकूल वातावरण के कारण किशोर गृहों को छोड़कर बच्चों के भागने संबंधी मामलों, यदि कोई हो, की जानकारी, केवल राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास उपलब्ध है।

[हिन्दी]

खाद्य तेलों के आयात पर प्रतिबंध

2910. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार से तेल उद्योग और तिलहन उत्पादक कृषकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से रिफाइंड खाद्य तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को रिफाइंड खाद्य तेल में मिलावट की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, नहीं। घरेलू तिलहन उत्पादकों, उपभोक्ताओं और संसाधकों के हितों में समन्वय बनाने और यथासंभव सीमा तक खाद्य तेलों के अधिक आयात को नियमित करने के लिए समय-समय पर खाद्य तेलों संबंधी शुल्क ढांचे को संशोधित किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाएं

2911. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए केरल राज्य सरकार से हाल ही में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(घ) अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) वर्ष 2001-02 के दौरान केरल सरकार से प्राप्त प्रस्तावों तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्मुक्त की गई निधियों के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है। निधियों के लिए अपेक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले राज्य से संबंधित योजना के अंतर्गत पूर्ववर्ती वर्षों में स्वीकृत की गई निधि के उपयोग के अधीन दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्मुक्त की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	मांगी गई वित्तीय सहायता (लाख रु. में)	निर्मुक्त वित्तीय सहायता (लाख रु. में)
1.	अनसूचित जातियों के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण	49.50	शून्य
2.	अनुसूचित जातियों के लिए कोचिंग एवं संबद्ध योजना	20.86	20.86
3.	अनुसूचित जातियों के लिए पुस्तक बैंक योजना	42.00	शून्य
4.	अस्वच्छ व्यवसाय में लगे हुए लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	14.00	शून्य
5.	सिविल अधिकार संरक्षण (पी सी आर) अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन	110.00	44.15
6.	अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए छात्रावास	22.05	शून्य
7.	अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए छात्रावास	14.70	शून्य
8.	जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय	277.50	शून्य
9.	अनुसूचित जनजतियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	150.00	शून्य
10.	अनुसूचित जनजातियों की योग्यता का उन्नयन	1.50	0.75

आरक्षित रिक्तियों की पिछली बकाया रिक्तियां

2912. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4)ख के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछली बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों'' को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियानों आदि की समाप्ति पर उनके मंत्रालय में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96 स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में पता लगाई गई बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित रिक्तियों/पदों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पिछली बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है तथा ये किसी सीमा के अधीन नहीं होती हैं। तथापि, यह अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर लागू नहीं है।

(ख) ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण I

इस मंत्रालय में पता लगाई गई अधिक/कम रिक्तियां

क्र.सं.	समूह	अधिक (+) कम (-)		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग
1.	समूह 'क'	*	*	*
2.	समूह 'ख'	+ 5	- 3	- 7
3.	समूह 'ग'	+ 4	- 8	- 12
4.	समूह 'घ'	+ 14	- 3	- 12

*समूह 'क' पदों की भर्ती केन्द्रीय रूप से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा की जा रही है। तथापि समूह 'क' में कुछ पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भरे जाते हैं तथा इन पदों में आरक्षण लागू नहीं होता है।

विवरण II

अग्रेणीत रिक्तियों के संबंध में सूचना

वर्ष		समूह 'क'			समूह 'ख'			समूह 'ग'			समूह 'घ'			टप्पणियां:
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1998	भरे हुए	*	*	*	शून्य	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	*कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय रूप से भर्ती की जा रही है।
	रिक्त	*	*	*	02	01	01	शून्य	शून्य	03	शून्य	शून्य	शून्य	
1999	भरे हुए	*	*	*	02	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	रिक्त	*	*	*	शून्य	01	01	शून्य	शून्य	03	शून्य	शून्य	शून्य	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	भरे हुए	*	*	*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	*कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय रूप से भर्ती की जा रही है।
	रिक्त	*	*	*	शून्य	01	01	शून्य	शून्य	03	शून्य	शून्य	शून्य	
2001	भरे हुए	*	*	*	01	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	रिक्त	*	*	*	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य	

विवरण III

सृजित रिक्तियों के संबंध में सूचना

वर्ष	क			ख			ग			घ			टिप्पणियां
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	
1998	*	*	*	02	01	01	शून्य	शून्य	03	शून्य	शून्य	शून्य	*कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय रूप से भर्ती की जा रही है।
1999	*	*	*	शून्य	01	01	शून्य	शून्य	03	शून्य	शून्य	शून्य	
2000	*	*	*	शून्य	01	01	शून्य	शून्य	03	शून्य	शून्य	शून्य	
2001	*	*	*	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य	01	शून्य	शून्य	शून्य	

फटे-पुराने नोटों का दुर्विनियोजन

2913. श्री राजैया मल्याला:
श्री विनय कुमार सोराके:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के बंगलौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अक्तूबर, 2001 में फटे-पुराने नोटों का दुर्विनियोजन किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी राशि अंतर्निहित है; और

(ग) दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इस प्रकार के दुर्विनियोजन की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) 13 अक्तूबर, 2001 को भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को भारतीय रिजर्व बैंक, बंगलौर की एक वॉल्ट से 50.50 लाख रु. के फटे-पुराने नोटों की चोरी के मामले की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

(ग) घटना के तुरंत बाद प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) दर्ज करा दी गई थी। प्राथमिक जांच पड़ताल के आधार पर, संबंधित अवधि के लिए वाल्ट के संयुक्त अभिरक्षकों में से एक श्री एस. सत्यनारायण को गिरफ्तार किया गया था। निर्धारित कार्यप्रणालियों और कर्त्तव्य की अवहेलना के लिए अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभागीय कार्यवाही भी आरंभ कर दी गई है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, बंगलौर कार्यालय सहित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में सुरक्षा जांच को सुदृढ़ किया गया है।

चाय उगाने वाले किसान

2914. श्री पी.सी. थामस: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चाय उत्पादकों को समस्याएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चाय उत्पादकों ने अपनी शिकायतों के बारे में ज्ञापन दिया है;

(घ) यदि हां, तो की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (घ) जी, हां। चाय उत्पादक गत दो वर्षों से कीमतों में आई भारी गिरावट के कारण कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से अधिकांश चाय बागान घाटा उठा रहे हैं। उत्तर व दक्षिण भारत में अक्तूबर, 2001 के दौरान समग्र औसत नीलामी कीमतें गिरकर क्रमश: 58.34 रु. प्रति किग्रा. और 41.20 रु. प्रति किग्रा. रह गई हैं। प्रस्तुत किए गए अनेक ज्ञापनों में चाय उत्पादकों ने जो मुद्दे उठाए हैं, उनमें शामिल हैं: कम कीमतों की समस्या का समाधान करना, चाय पर आयात शुल्क में वृद्धि करना, चाय के निर्यात का संवर्द्धन करना और विकासपरक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ङ) चाय उत्पादकों के सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और चाय बोर्ड ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं: चाय बोर्ड द्वारा विभिन्न विकासपरक योजनाओं का कार्यान्वयन जिनके तहत चाय बोर्ड द्वारा रोपण के विस्तार, पुनर्रोपण, जीर्णोद्धार, छटाई, भराई, सिंचाई सुविधाओं के सृजन व जल निकासी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विदेशी बाजारों में भारतीय चाय को बढ़ावा देने के लिए चाय बोर्ड ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं: प्रमुख चाय आयातक देशों में चाय बोर्ड के लोगों और विशिष्टीकृत चाय लोगो का पंजीयन, अलग-अलग बाजारों को होने वाले निर्यातों में आ रही कठिनाइयों को दूर करना, विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, विशिष्टीकृत भंडारों और प्रमुख बाजारों में मौके पर जाकर नमूने एकत्र करना; विशिष्टीकृत भारतीय चाय के बारे में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और चाय बोर्ड के विपणन चिह्न को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया प्रचार; चाय प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान इत्यादि। चाय बोर्ड ने चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए मध्यावधि निर्यात कार्य योजना तैयार करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाता को अध्ययन का कार्य भी सौंपा है।

नीलामियों में कम कीमत प्राप्त होने की समस्याओं से उबारने में चाय उद्योग की मदद करने के प्रयोजन से सरकार/चाय बोर्ड ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं:

* चाय बोर्ड के जरिए वर्ष 2000-01 के दौरान कीमत इमदाद योजना का कार्यान्वयन जिसके तहत चाय के लघु उपजकर्त्ताओं (10.12 हैक्टेयर तक चाय बागान रखने वाले) को नीलामी कीमत और 55 रु. प्रति किग्रा. के बीच की कमी के बराबर की राशि की इमदाद प्रदान की गयी थी जो अधिकतम 8 रु. प्रति किग्रा. तक होगी।

* सार्वजनिक चाय नीलामी के द्वारा चाय उत्पादन के 75% की अनिवार्य बिक्री की शर्त को हटाने के लिए चाय विपणन नियंत्रण आदेश, 1984 का संशोधन करना।

* लघु उपजकर्त्ताओं द्वारा विनिर्मित चाय की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम शुरू करना।

* वर्ष 2001-02 के बजट में चाय पर मूल सीमाशुल्क को 35% से बढ़ा कर 70% करना;

* 100% नियातोन्मुख एककों (ईओयू) और निर्यात संसाधन जोनों (ईपीजैड) की एककों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में चाय की बिक्री पर प्रतिबंध।

* वर्ष 2001-02 के बजट में आयकर अधिनियम की धारा 33 एबी के अधीन छूट को 20% से बढ़ाकर 40% करना जिसका उद्देश्य जीर्णोद्धार व पुनर्रोपण के द्वारा उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाना है।

लघु गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से गरीब और बेसहारा व्यक्तियों को दोपहर का भोजन

2915. श्री एन. टी. षणमुगम: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से गरीब और बेसहारा व्यक्तियों को दोपहर का भोजन वितरित करने की कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) जी, हां। सरकार "बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम" तथा "अनसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान" नामक योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत अनेक सेवाएं प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्धन, निराश्रितों तथा उपेक्षित बेसहारा बच्चों और अनुसूचित जातियों के गैर अवासीय स्कूली छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन/पोषाहार के लिए सहायता शामिल हैं। इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य गरीब और निराश्रित व्यक्तियों को आश्रय, पोषाहार, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और सफाई, सुरक्षित पेयजल, मनोरंजनात्मक सुविधाएं, संरक्षण, दुरुपयोग और शोषण के विरुद्ध लक्षित समूह की शैक्षिक तथा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सी.आर.बी. म्यूचुअल फंड घोटाला

2916. **मोहम्मद शहाबुद्दीन:**
श्रीमती कांति सिंह:
श्री राम प्रसाद सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** सी.आर.बी. म्यूचुअल फंड घोटाले के बारे में 24.8.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4929 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के विरुद्ध विभागीय जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उड़ीसा में एम.एम.टी.सी. की गतिविधियां

2917. **श्री अनंत नायक:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में खनिज और धातु व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) की विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन गतिविधियों के लिए कौन-कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या स्थानीय आदिवासियों को भर्ती में वरीयता दी जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) महोदय, एम एम टी सी जो कि वाणिज्य विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, द्वारा उड़ीसा में जो विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- राज्य में उत्पादित खनिजों जैसे कि लौह अयस्क, क्रोम अयस्क और मैंगनीज अयस्क का निर्यात;
- उड़ीसा में वितरण हेतु कोक, कोकिंग कोयला, अलौह धातुओं, स्वर्ण और उर्वरकों का आयात;
- इस्पात संयंत्र और कोक भट्ठी संयंत्र की स्थापना: एम एम टी सी उड़ीसा औद्योगिक संवर्धन एवं निवेश निगम लि. (आई पी आई सी ओ एल) और उड़ीसा खनन निगम (ओ एम सी) दोनों उड़ीसा की सरकार के उपक्रम हैं, के सहयोग से लौह और इस्पात संयंत्र अर्थात् नीलांचल इस्पात निगम लिमि. (एन आई एन एल) और कोक भट्ठी एवं विद्युत संयंत्र अर्थात् कोणार्क मेट कोक लिमि. (के एम सी एल) का प्रबंध प्रवर्तक है।

(ख) उड़ीसा की राज्य सरकार द्वारा अपनी औद्योगिक नीति के अनुसार अतिरिक्त सुविधाएं/रियायतें इत्यादि प्रदान की जाएगी।

(ग) और (घ) एम एम टी सी ने गत कुछ वर्षों में उड़ीसा में किसी कर्मचारी की भर्ती नहीं की है। तथापि, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एन आई एल एल), जिसमें एम.एम.टी.सी. एक प्रमुख प्रवर्तक है, ने स्थानीय क्षेत्र (उड़ीसा से जनजातियों) अनुसूचित जनजातियों के 30 व्यक्तियों और अनुसूचित जातियों के 10 व्यक्तियों की भर्ती की है। इसके अलावा, लौह एवं इस्पात संयंत्र के निर्माण संबंधी गतिविधियां में लगी विभिन्न एजेंसियों द्वारा स्थानीय जनजातियों के 200 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिये जाते हैं।

काफी का निर्यात

2918. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री आर.एस. पाटिल:
श्री ए. ब्रह्मनैया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्ष के दौरान आज की तारीख तक प्रति वर्ष कुल कितनी मात्रा और कितने मूल्य की काफी का निर्यात किया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान काफी के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि/कमी कर्ज की गई;

(ग) आगामी वर्षों में काफी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार/काफी बोर्ड ने कौन-कौन सी विशिष्ट योजनाएं तैयार की हैं;

(घ) क्या 11 सितम्बर, 2001 के बाद काफी के निर्यात में असामान्य कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो 2001-2002 के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन में कितनी कमी आने की आशंका है; और

(च) कॉफी बोर्ड द्वारा इस स्थिति में देश और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित कॉफी की मात्रा एवं उसका मूल्य और दर्ज की गई प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा लाख टन में	मूल्य करोड़ रुपए में	मिलियन अमरीकी डालर	कॉफी के निर्यातों की मात्रा में दर्ज की गई % वृद्धि
1998-99	2.12	1752	431.41	+ 15.57
1999-00	2.45	1901	447.33	+ 13.47
2000-01	2.47	1376	333.39	+ 0.80
2001-02 (अप्रैल.-नव.)	1.22	620	142.80	–

(ग) कॉफी के निर्यातों को बढ़ाने के लिए कॉफी बोर्ड इटली, यूएसए, जर्मनी, जापान, रूस और पश्चिम एशिया इत्यादि जैसे लक्षित आयात बाजारों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। बोर्ड विदेशों में चुनिन्दा खाद्य मेलों/प्रदर्शनियों में भी भागीदारी करता है, चुनिन्दा विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में भारतीय कॉफी की अद्भुत विशेषताओं के बारे में विज्ञापन जारी करता है, व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भेजता है। भारत में सभी लक्षित बाजारों से रोस्टरों का प्रतिनिधिमण्डल बुलाता है, हमारे दूतावासों के माध्यम से विदेशों में भारतीय कॉफी को परोसने की व्यवस्था करता है, विशेष अवसरों और त्यौहारों पर हमारे दूतावासों के माध्यम से विदेशों में भारतीय कॉफी को परोसने की व्यवस्था करता है, विशेष अवसरों और त्यौहारों पर हमारे दूतावासों के माध्यम से भारतीय कॉफी के गिफ्ट पैकेटों का वितरण करवाता है, भारतीय कॉफी पर साहित्य का प्रकाशन करता है एवं उसका वितरण करता है।

कॉफी बोर्ड मुख्य बाजारों में बाजार हिस्से को बनाए रखने और इसमें वृद्धि करने और विश्व बाजारों में अगले कुछ वर्षों में भारतीय कॉफी की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए एक मध्यावधि निर्यात कार्य योजना का भी कार्यान्वयन कर रहा है।

(घ) और (ङ) 11 सितम्बर की घटना के बाद कॉफी के निर्यात की मात्रा में कोई बड़ी कमी आई प्रतीत नहीं होती है। तथापि, विश्व बाजारों में कॉफी की प्रचलित हमेशा से कम कीमतों की वजह से चालू वर्ष के दौरान कॉफी के निर्यातों से 200 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है।

(च) भारत सरकार कॉफी बोर्ड के माध्यम से विभिन्न विकास योजनाओं का कार्यान्वयन पहले से ही कर रहा है जिनके तहत कॉफी उत्पादकों को विभिन्न प्रकार की वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, विशेषत: लघु उपजकर्ता क्षेत्र में कॉफी की उत्पादकता को बढ़ाने और विश्व बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

हाल ही में, भारत सरकार के आदेश पर वाणिज्यिक बैंकों ने कॉफी उत्पादकों को नए कार्यशील पूंजी ऋण देने के अलावा, लघु कॉफी उत्पादकों को फसल ऋणों का पुनर्निर्धारण किया है। कॉफी बोर्ड को ब्याज इमदाद योजना का कार्यान्वयन करने की अनुमति भी दी गई है जिसके तहत लक्षित लघु कॉफी उत्पादकों को उनके

द्वारा वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए फसल ऋणों पर 5% की इमदाद प्रदान की जाएगी।

[हिन्दी]

अनप्रयुक्त विदेशी सहायता

2919. डा. अशोक पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्ष के दौरान सरकार को विदेशी सहायता के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई और प्राप्त कुल राशि में से कितनी राशि अनप्रयुक्त पड़ी रही;

(ख) उक्त राशि कौन-कौन सी विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च की गई; और

(ग) शेष राशि के अनप्रयुक्त रह जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) गत दो वर्षों के दौरान प्राप्त/उपयोग में लाई गई विदेशी सहायता की राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रु.)

वर्ष	प्राप्त/उपयोग में लाई गई कुल सहायता
1999-2000	14296.96
2000-2001	14254.31

(ख) उन परियोजनाओं के नाम जिनके लिए उक्त राशि का उपयोग किया गया, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) विदेशी सहायता प्रतिपूर्ति आधार पर प्राप्त की जाती है। परियोजना का कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों को पहले खर्च करना होता है और उसके बाद वे भुगतान हेतु आवेदन करते हैं। इसलिए, किसी भी समय विशेष में कोई भी अप्रयुक्त राशि नहीं रहती है।

विवरण

एशियाई विकास बैंक

1. द्वितीय मद्रास ताप विद्युत
2. द्वितीय सड़क
3. रेलवे माल ढुलाई क्षमता
4. कोयला पत्तन परियोजना
5. राष्ट्रीय राजमार्ग
6. कर्नाटक शहरी आधारभूत ढांचा विकास
7. राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास
8. कर्नाटक शहरी विकास और तटीय पर्यावरण प्रबंध
9. गुजरात सरकारी क्षेत्र संसाधन
10. मध्य प्रदेश सरकारी संसाधन प्रबंध कार्यक्रम
11. गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम
12. गुजरात विद्युत क्षेत्र विकास
13. पीजीसीएल विद्युत पारेषण क्षेत्र
14. नवीकरणीय उर्जा विकास
15. आईसीआईसीआई निजी क्षेत्र आधारभूत ढांचा सुविधा
16. आईएफसीआई निजी क्षेत्र आधारभूत ढांचा
17. मुम्बई पत्तन न्यास
18. चैन्नई पत्तन न्यास
19. एलपीजी पाईप लाईन परियोजना
20. हुडको शहरी और पर्यावरणीय आधारभूत ढांचा सुविधा
21. शहरी और पर्यावरणीय आधारभूत ढांचा सुविधा
22. आईडीएफसी-शहरी पर्यावरणीय आधारभूत ढांचा सुविधा
23. एनटीपीसी उंचाहार
24. आईडीबीआई-औद्योगिक उर्जा
25. एनएचबी-आवास वित्त
26. हुडको-आवास वित्त
27. एचडीएफसी आवास वित्त

कनाडा

1. कामेरा परियोजना
2. राजस्थान कृषि जल निकास

डेनमार्क

1. कर्नाटक में महिला और युवा प्रशिक्षण विस्तार चरण-2 परियोजना

2. समेकित ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता, कर्नाटक चरण-1
3. राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम चरण-2
4. व्यापक जल संभर विकास परियोजना, कोरापुट, उड़ीसा
5. समेकित पशुधन विकास, कोरापुट जिला, उड़ीसा
6. कृषि में तमिलनाडु की महिलाएं (टीएएनडब्ल्यूए) चरण-2
7. कृषि में मध्य प्रदेश की महिलाएं
8. व्यापक जलसंभर विकास परियोजना, रामानाथपुरम
9. व्यापक जलसंभर विकास, तिरूनेलवेली चरण-2
10. टीईडब्ल्यूए चरण-2 उड़ीसा
11. ग्रामीण जल एवं स्वच्छता चरण-2 कर्नाटक
12. ग्रामीण जल एवं स्वच्छता चरण-2 तमिलनाडु
13. संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम उड़ीसा चरण-1
14. पशुधन विकास बस्तर, मध्य प्रदेश
15. स्वास्थ्य देख-रेख परियोजना चरण-3 तमिलनाडु
16. पोडुकोट्टाई पशुधन विकास परियोजना चरण-2
17. पश्चिम मध्य प्रदेश में पशुधन विकास
18. कर्नाटक जलसंभर विकास चरण-2
19. राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम चरण-3
20. कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम चरण-3
21. महिला एवम् युवा प्रशिक्षण चरण-3
22. मध्य प्रदेश बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं

यूरोपीय आर्थिक समुदाय

1. बिहार में सहकारी ग्रामीण भंडारण केन्द्र
2. फसलों के विकास हेतु जल नियंत्रण प्रणाली, महाराष्ट्र
3. केरल में कृषि बाजार (उर्वरकों की आपूर्ति)
4. तमिलनाडु में टैंक सिंचाई प्रणाली (चरण-2)
5. पशुधन के लिए पशु चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण
6. अरावली पहाड़ियों में साझी भूमि का सुधार
7. उर्वरक की आपूर्ति (क्षारीय भूमि का सुधार)
8. दून घाटी समेकित जलसंभर प्रबंध
9. केरल बागवानी विकास
10. केरल लघु सिंचाई
11. सिद्धमुख एवं नोहर सिंचाई, राजस्थान
12. प्राथमिक शिक्षा की सहायता
13. उड़ीसा में लघु सिंचाई
14. महाराष्ट्र में लवण भूमि सुधार
15. हरियाणा सामुदायिक वानिकी
16. टैंक सुधार पाण्डिचेरी
17. उत्तर प्रदेश में तंग घाटी स्थिरीकरण
18. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र विकास

फोर्ड फाउण्डेशन

1. भारतीय फिल्म समारोह

फ्रांस

1. एफआरजीएल 27 1130 मि.फ्रां. फ्रांक प्रोटोकोल
2. एफआरजीएल 38 223.3 मि.फ्रां. फ्रांक
3. एफआरजीएल 39 151 मि.फ्रां. फ्रांक
4. एफआरजीएल 40 376 मि.फ्रां. फ्रांक
5. एफआरजीएल 41 125 मि.फ्रां. फ्रांक
6. कोलकाता पत्तन न्यास
7. एफआरजीएल 42 105 मि.फ्रां. फ्रांक
8. एफआरजीएल 04 37 मि.फ्रां. फ्रांक-आरएसपी (सेल) के लिए रिहीटिंग फर्नेस
9. एफआरजीजी 36 149.4 मि.फ्रां.फ्रांक
10. एफआरजीजी 38 15.4 मि.फ्रां.फ्रांक
11. एफआरजीजी 39 3.3 मि.फ्रां.फ्रांक
12. एफआरजीजी 40 376 मि.फ्रां.फ्रांक

जर्मनी

1. एमएसईबी उपस्कर

2. एएल 8465924 520 मि. ड्यूश मार्क
3. एएल 9765223 185 मि. ड्यूश मार्क
4. एएल 9765173 45 मि. ड्यूश मार्क
5. एएल 9466509 29.74 मि. ड्यूश मार्क एमएसईबी उपस्कर
6. रामागुंडम खुले गर्त वाली खान-2
7. आरसीएस, सिठौली
8. एएल 8465924 52 मि. ड्यूश मार्क
9. लिफ्ट सिंचाई उड़ीसा
10. राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण
11. पीएफसी ऊर्जा निवेश
12. खान संबंधी उपस्कर का सुधार
13. एनएसआईसी राष्ट्रीय नवीकरण कोष
14. एनएलसी विस्तार। लिग्नाइट खान एवं विद्युत
15. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हुडको आवास
16. भारतीय नवीकरणीय अभिकरण विकास
17. एएल 9566944 23 मि. ड्यूश मार्क केएसएलएचडीपी
18. आवासीय विद्यालय परियोजनाएं, राजस्थान
19. एनएलसी विशेषज्ञ अध्ययन
20. लघु सिंचाई, राजस्थान
21. एएल 8570152 2.5 मि. ड्यूश मार्क विशेषज्ञ और अध्ययन
22. एएल 9370321 अध्ययन विशेषज्ञ निधि-6
23. कर्नाटक जलसंभर विकास
24. आरडब्ल्यूएस-राजस्थान (अनुदान)
25. एएल 9070137 2 मि. ड्यूश मार्क एनडीडीबी-अध्ययन एवं विशेषज्ञ निधि-4
26. एएल 9170226 अध्ययन एवं विशेषज्ञ निधि-5
27. ग्रामीण जलापूर्ति पश्चिम बंगाल
28. एएल 9765496 60 मि. ड्यूश मार्क
29. बुनियादी स्वास्थ्य महाराष्ट्र
30. एएल 8570152 2.5 मि. ड्यूश मार्क विशेषज्ञ एवं अध्ययन
31. पीएसएस एवं पीएसआई द्वारा सामाजिक विपणन
32. जलसंभर महाराष्ट्र-2 (नाबार्ड)
33. हुडको-6
34. एचडीएफसी-3 (कम लागत के आवास)
35. एचडीएफसी-2
36. नाबार्ड-5 आदिवासी कार्यक्रम गुजरात
37. एएल 9570052 एनएसआईसी-12 हुडको-3 निर्माण
38. हुडको-3 निर्माण प्रौद्योगिकी संवर्धन
39. एएल 9765165 आदिवासी विकास कार्यक्रम (नाबार्ड)
40. राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति
41. उर्वरक कार्यक्रम-6
42. कर्नाटक क्षेत्र अस्पताल विकास
43. बहु-उद्देशीय चक्रवात शरण स्थल-उड़ीसा
44. पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम
45. पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम-चरण-2
46. सिडबी-2

आईबीआरडी

1. नाथपा झाकड़ी विद्युत
2. उत्तरी क्षेत्र पारेषण
3. कृषि विकास-तमिलनाडु
4. पूंजी पुनर्संरचना
5. द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग
6. औद्योगिक प्रदूषण
7. द्वितीय मद्रास जलापूर्ति
8. मुम्बई मल-जल निपटान
9. उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना
10. उत्तर प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरण

11. राज्य के सड़क संबंधी आधारभूत ढांचा विकास हेतु तकनीकी सहायता
12. आंध्र प्रदेश आपदा उपशमन
13. आंध्र प्रदेश सिंचाई
14. आंध्र प्रदेश राज्य राजमार्ग
15. हरियाणा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना
16. राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी
17. आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना
18. उत्तर प्रदेश विविधीकृत कृषि सहायता
19. आंध्र प्रदेश विद्युत पुनर्संरचना
20. द्वितीय तमिलनाडु शहरी विकास
21. समेकित जल संभर विकास (पहाड़ी-2)
22. उत्तर प्रदेश विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना
23. दूरसंचार क्षेत्र सुधार तकनीकी सहायता
24. तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
25. गुजरात राज्य राजमार्ग
26. राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना
27. राजस्थान विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना
28. द्वितीय मुम्बई शहरी परिवहन अवसंरचना
29. पी-362-इन कोलकाता जलापूर्ति मल निपटान एवं जल निकास
30. पी-368-0-इन कर्नाटक जलापूर्ति प्रबंध एवं एमएस
31. पीजीसीएल पावरग्रिड प्रणाली विकास
32. कॉनकॉर कंटेनर परिवहन संभारिकी
33. आईडीबीआई औद्योगिक प्रदूषण रोकथाम
34. आईसीआईसीआई औद्योगिक प्रदूषण रोकथाम
35. 38576-इन आईडीबीआई आधुनिकीकरण एवं औद्योगिक विकास
36. आईएल एण्ड एफएस निजी आधारभूत ढांचा वित्त
37. कोयला क्षेत्र सुधार
38. आईआरईडीए द्वितीय नवीकरणीय ऊर्जा
39. शहरी पर्यावरणीय प्रबंध
40. मुम्बई पुनर्वास और सुधार
41. मुम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण
42. समेकित कृषि मांग पक्ष प्रबंध
43. राज्य विद्युत क्षेत्र में डीएसएम योजना
44. टीएफ-022033 सूचना विकास कार्यक्रम
45. टीएफ-25404 राज्य विद्युत क्षेत्र में डीएसएम योजना
46. टीएफ-25573 पश्चिम बंगाल नगरपालिका विकास
47. टीएफ-27056 विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम
48. टीएफ-29474-इन तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना
49. भारत लेखापरीक्षा कौशल
50. अवसंरचनात्मक वित्त हेतु अनुदान
51. शहरी अवसंरचनात्मक वित्त

आईडीए

1. व्यावसायिक प्रशिक्षण
2. समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी)
3. तकनीकी शिक्षा चरण-1
4. समेकित जलसंभर विकास (मैदान)
5. द्वितीय तमिलनाडु पोषण
6. द्वितीय तकनीकी शिक्षा
7. बांध सुरक्षा
8. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण
9. महाराष्ट्र वानिकी
10. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण
11. कर्नाटक आरडब्ल्यूएस एण्ड ईएसपी
12. झींगा एवम् मत्स्य पालन परियोजना
13. द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग
14. परिवार कल्याण (शहरी गंदी बस्ती)

15. रबड़ परियोजना
16. कृषि विकास (राजस्थान)
17. बिहार पठार विकास
18. नवीकरणीय संसाधन विकास
19. द्वितीय समेकित बाल विकास
20. उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा
21. उत्तर प्रदेश लवण युक्त भूमि सुधार
22. राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन
23. वानिकी अनुसंधान शिक्षा एवं विस्तार
24. आंध्र प्रदेश वानिकी
25. हरियाणा जलसंसाधन समेकन
26. मोतिया बिन्द अंधता नियंत्रण
27. परिवार कल्याण
28. औद्योगिक प्रदूषण रोकथाम
29. जिला प्राथमिक शिक्षा
30. आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली
31. कृषि एचआरडी
32. मध्य प्रदेश वानिकी
33. असम ग्रामीण आधारभूत ढांचा
34. तमिलनाडु जलसंसाधन समेकन
35. जलविज्ञान परियोजना
36. उड़ीसा जलसंसाधन समेकन-भाग-ज
37. उड़ीसा जलसंसाधन समेकन
38. द्वितीय राज्य स्वास्थ्य प्रणाली विकास
39. निजी आधारभूत ढांचा (आईएल एण्ड एफएस)
40. कोयला क्षेत्र पर्यावरणीय एवं सामाजिक अनुरक्षण
41. द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा
42. पारिस्थितिकीय विकास परियोजना
43. क्षमता निर्माण तकनीकी सहायता
44. क्षय रोग नियंत्रण
45. ग्रामीण महिलाओं का विकास एवम् अधिकारिता
46. आंध्र प्रदेश आपदा उपशमन एवम् ईसीआर
47. तृतीय आंध्र प्रदेश सिंचाई
48. मलेरिया नियंत्रण
49. कोयला क्षेत्र सुधार
50. तृतीय जिला प्राथमिक शिक्षा
51. उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना-2
52. उत्तर प्रदेश वानिकी
53. राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी
54. केरल वानिकी
55. आंध्र प्रदेश आर्थिक पुनर्संरचना
56. उत्तर प्रदेश विविधीकृत कृषि सहायता
57. महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास
58. उत्तर प्रदेश लवण युक्त भूमि सुधार परियोजना-2
59. द्वितीय राष्ट्रीय एचआईवी/एड्स नियंत्रण
60. समेकित जलसंभर विकास (पहाड़ी-2)
61. उत्तर प्रदेश तृतीय जिला प्राथमिक शिक्षा
62. आंध्र प्रदेश जिला निर्धनता उपक्रम
63. उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास
64. राजस्थान जिला निर्धनता उपक्रम
65. प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण
66. द्वितीय नवीकरणीय ऊर्जा
67. तृतीय तकनीकी शिक्षा
68. मध्य प्रदेश जिला निर्धनता उपक्रम
69. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य
70. उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास
71. महिला एवं बाल विकास
72. राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा

73. आर्थिक सुधार तकनीकी सहायता
74. ग्रामीण महिलाओं का विकास एवं अधिकारिता
75. नवीकरणीय संसाधन
76. नवीकरणीय संसाधन प्रबंध
77. पंजाब जल संसाधन प्रबंधन परियोजना
78. द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा
79. वैकल्पिक ऊर्जा

आईडीएफ (डब्ल्यूबी)

1. कमोडिटी फ्यूचर्स मार्किट का विकास
2. विनिवेश तकनीकी सहायता
3. ऋण प्रबंधन क्षमता का सुदृढ़ीकरण
4. पारिस्थितिकीय विकास परियोजना वैश्विक पर्यावरण सुविधा
5. अधिप्राप्ति क्षमता का सुदृढ़ीकरण

आईएफएडी

1. तमिलनाडु महिला विकास
2. महाराष्ट्र ग्रामीण क्रेडिट
3. आंध्र प्रदेश सहभागी जनजाति विकास
4. मेवात क्षेत्र विकास
5. ग्रामीण महिला विकास एवं अधिकारिता
6. उत्तर पूर्वी क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंध
7. आंध्र प्रदेश जनजाति विकास

जापान

1. आईडीपी-40 तीस्ता नहर हाइड्रो
2. असम गैस टर्बाइन दिनांक 18.3.87
3. घाटघर टीपी
4. मैसूर पेपर मिल्स
5. विद्युत प्रणाली एवं लघु हाइड्रो
6. आईडीपी-72 तीस्ता नहर हाइड्रो
7. वन रोपण विकास परियोजना (आईजी नहर)
8. आईडीपी-078 एनटीपीसी
9. शहरी नगर जलापूर्ति
10. राष्ट्रीय राजमार्ग (मथुरा, आगरा)
11. अजंता एलोरा संरक्षण
12. यमुना कार्य योजना
13. श्रीसेलम विद्युत पारेषण प्रणाली
14. आईडीपी-088 अंपारा बी. ताप विद्युत
15. फरीदाबाद जीबीपीएस एण्ड एटीएसपी
16. नैनी पर यमुना पुल
17. राष्ट्रीय राजमार्ग-5 का सुधार
18. आईडीपी-094 श्रीसेलम लेफ्ट बैंक पीएसपी-2
19. आईडीपी-095 श्रीसेलम लेफ्ट बैंक टीपीएस
20. आईडीपी-096 असम गैस टीपीएस एवं पारेषण
21. बक्रेश्वर टीपीएस विस्तार
22. पुरूलिया पम्प चालित भंडारण
23. कोठागुडम ए टीपीएस
24. राष्ट्रीय राजमार्ग सुधार
25. राष्ट्रीय राजमार्ग-24 का सुधार
26. मद्रास मल-जलव्ययन आर एण्ड एफ सुधार
27. भोपाल झील का संरक्षण एवं प्रबंधन
28. राजस्थान वानिकी विकास
29. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण (डब्ल्यूबी)
30. आईडीपी-108 अंपारा विद्युत पारेषण प्रणाली
31. बंगलौर जलापूर्ति एवं मल-जल व्ययन
32. आट्टापाडी बंजर भूमि व्यापक पर्यावरण
33. गुजरात वन रोपण एवं विकास
34. कुरनूल-कुडप्पा नहर आधुनिकीकरण
35. पिपावव पत्तन शिप ब्रैकिंग

36. पश्चिम बंगाल पारेषण प्रणाली
37. उमियाम जल विद्युत केन्द्र सुधार
38. दिल्ली द्रुतगामी परिवहन प्रणाली
39. कोलकाता परिवहन आधारभूत ढांचा विकास
40. केरल जलापूर्ति
41. पूर्वी कर्नाटक वनरोपण
42. तमिलनाडु वनरोपण
43. राजघाट नहर सिंचाई
44. सिंहाद्रि एवं विजाग पारेषण प्रणाली
45. श्रीसैलम लेफ्ट बैंक विद्युत
46. बक्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र परियोजना-2
47. पंजाब वनरोपण
48. छत्तीसगढ़ रेशम कीट पालन
49. मणिपुर रेशम कीट पालन
50. रेंगली सिंचाई
51. बक्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र परियोजना-3
52. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण
53. धौली गंगा जल विद्युत संयंत्र
54. पीजीसीएल उत्तरी भारत पारेषण
55. एनईईपी टुईरियाल हाइड्रो इलैक्ट्रिक विद्युत
56. एनटीपीसी सिंहाद्री ताप विद्युत केन्द्र
57. आईडीपी-129 (एनएचपीसी धौली गंगा जल विद्युत
58. टीपीडीपी टुटीकोरिन पत्तन ड्रेजिंग
59. ऋण राहत (समेकित)
60. मत्स्य पत्तनों के लिए ड्रेजर का निर्माण
61. 1997 की ऋण राहत (चरण-2)
62. अर्थव्यवस्था का विकास और जनता का कल्याण
63. हुडको शहरी जलापूर्ति और स्वच्छता

कुवैत

1. काली नदी जल विद्युत-2

नीदरलैंड्स

1. ओआरईटी-गुजरात स्वास्थ्य देख-रेख परियोजना के लिए ऋण
2. ग्रांट इंडिया 1994-01
3. ग्रांट इंडिया 1995-03-ड्रेजर की आपूर्ति
4. केरल जलापूर्ति पावरट्टी
5. बुंदेलखंड समेकित जल
6. प्रशिक्षण एवं प्रलेखन केन्द्र
7. गंगाकारी योजना सहायता
8. गोघा क्षेत्रीय जलापूर्ति
9. हाईड्रॉग्राफिक सर्वे उन्नयन
10. गुजरात स्वास्थ्य देखभाल हेतु ओरेट अनुदान
11. कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण-गुजरात चरण-2
12. मैसूर पेपर मिल-चरण-3
13. उत्तर प्रदेश में उसर भूमि सुधार

नार्वे

1. हिमाचल प्रदेश पर्यावरण कार्यक्रम
2. आईसीआईसीआई-निर्यात वित्त एएसए
3. उड़ीसा पर्यावरण
4. राष्ट्रीय डाटावॉयज़
5. पर्यावरण कार्यक्रम
6. महिलाओं का आर्थिक कार्यक्रम
7. ट्राउट फार्मिंग हिमाचल प्रदेश

ओपीईसी

1. रीवा अस्पताल
2. बस्ती जिला अस्पताल
3. रायचूर जिला अस्पताल
4. केरल वर्षापोषित कृषि विकास
5. शिमला मलव्ययन

रूसी संघ

1. कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर

सऊदी अरब

1. कोरपुत रेगाध रेलवे
2. नभ सेवा पत्तन

स्वीडन

1. डुंगरपुर समेकित जलसंभर विकास
2. आईसीडीएस चरण-3
3. उड़ीसा वानिकी/क्षमता निर्माण
4. लोक जुम्बिश चरण-2
5. उरी परियोजना

स्विटजरलैंड

1. इंडो-स्विस सहभागी जलसंभर विकास कर्नाटक
2. पावडी परियोजना राजस्थान
3. रेशम उत्पादन 2000

यूनाइटेड किंगडम

1. ऊर्जा क्षमता
2. कटक स्लम सुधार
3. कृभको वर्षापोषित खेती
4. आंध्र प्रदेश ऊर्जा सुधार
5. हिमाचल प्रदेश वानिकी
6. पूर्वी भारत वर्षापोषित खेती
7. उड़ीसा विद्युत क्षेत्र सुधार
8. आंध्र प्रदेश जिला प्राथमिक शिक्षा
9. पोलियो उन्मूलन
10. झांगरा कोल
11. कोचीन शहरी गरीबी शमन
12. पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा
13. कर्नाटक जलसंभर विकास
14. उड़ीसा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परियोजना चरण-3
15. कटक शहरी सेवा सुधार
16. गरीबों के लिए आंध्र प्रदेश शहरी सेवा सुधार
17. महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता
18. आंध्र प्रदेश ग्रामीण जीवन निर्वाह
19. आंध्र प्रदेश शहरी सेवा—गरीबों के लिए
20. पश्चिमी भारत वर्षापोषित खेती परियोजना-2
21. कलकत्ता स्लम सुधार
22. पश्चिम बंगाल जिला प्राथमिक शिक्षा विस्तार
23. वानिकी प्रशिक्षण
24. संशोधित क्षयरोग नियंत्रण
25. लोक जुबिंश चरण-3 एलसीजी
26. पश्चिमी उड़ीसा ग्रामीण विकास
27. आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा में यौन स्वास्थ्य के लिए भागीदारी
28. पोलियो उन्मूलन
29. शिक्षा कर्मी परियोजना चरण-3
30. पश्चिमी घाट वानिकी

यूएनडीपी

1. पंजाब में कृषि (आईटीएसएपीएसपी)
2. रोजगार सृजन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण
3. गरीबों के हितों पर आधारित सामुदायिक प्रयास
4. भारतीय उद्योगों का ग्रीनरेटिंग
5. पर्यावरण से संबंधित क्षमता निर्माण
6. सेमीकंडेक्टर और मुद्रित सर्किट बोर में पर्यावरण प्रबंध
7. गरीबी निवारण और पर्यावरण बहाली के लिए कृषि वानिकी
8. दिल्ली के पर्यावरण की गुणवत्ता का उन्नयन
9. औषधीय पादपों का संरक्षण और उनको बनाए रखना
10. भारत की अन्तर्देशीय नमभूमि
11. कपड़ों में प्राकृतिक रंगाई का विकास और उपयोग

12. लघु अनुदानों पर छोटे कार्यक्रम
13. संरक्षण शिक्षा केन्द्र-गोआ
14. पश्चिम बंगाल में वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र प्रबंध
15. जैव विविधता संरक्षण और आदिवासी विकास
16. शहरी सेवा पर्यावरण निर्धारण व्यवस्था
17. स्कूलों के लिए सामुदायिक सहयोग लेना और मानीटरिंग कार्यक्रम
18. ओलाइव रिडले टरटलस कंजर्वेशन
19. खाद्यान्न सुरक्षा के लिए महिला कृषिकों का सशक्तिकरण-उत्तर प्रदेश
20. स्थायी शुष्क भूमि खेती
21. महिलाओं के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंध और स्थायी जीविका-उड़ीसा
22. आर्थिक सुधार
23. राज्य एचडीआर की तैयारी के लिए क्षमता निर्माण
24. विकेन्द्रीकृत इंजीनियरिंग व्यवस्था कोमना खंड-उड़ीसा
25. सौर ऊर्जा आधारित प्रदर्शन
26. ग्रामीण औद्योगिक अंगारा बिहार के लिए ऊर्जा सेवा
27. जूट कार्यक्रम
28. नॉन मलबेरि सिल्कटासर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग
29. समेकित अंगोरा ऊन कार्यक्रम
30. हाथ से बुने कालीन
31. बेंत और बांस क्षेत्र विकास
32. मसाला उद्योग का समेकित विकास
33. विकलांग बच्चों को सहायता

नएफपीए

1. मीडिया समर्थन
2. भारत की लिंग सुग्राहिता जनगणना 2001
3. व्यावसायिक प्रशिक्षण में जनसंख्या शिक्षा
4. नॉन स्कैलपल वैलेक्टॉनी का विस्तार
5. राजस्थान में समेकित जनसंख्या एवं विकास
6. आईपीडी गुजरात
7. प्रजनन स्वास्थ्य-वर्धा
8. जिला प्रजनन स्वास्थ्य-सिरमौर
9. जिला प्रजनन स्वास्थ्य-मलप्पुरम
10. केरल में समेकित जनसंख्या एवं विकास
11. स्कूलों में जनसंख्या एवं विकास शिक्षा (एनसीईआरटी)
12. साक्षरता उत्तर एवं विस्तार शिक्षा में जनसंख्या एवं विकास शिक्षा
13. जिला प्रजनन स्वास्थ्य-पटना
14. महिला अधिकारिता हेतु प्रशिक्षण-महाराष्ट्र
15. हरियाणा समेकित महिला अधिकारिता एवं विकास
16. हमारा शरीर हमारा जीवन
17. उड़ीसा में समेकित जनसंख्या एवं विकास
18. जनसंख्या, प्रजनन स्वास्थ्य का समर्थन
19. जिला प्रजनन स्वास्थ्य-बूंदी
20. आपात राहत कोष
21. प्रजनन स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार
22. उच्च शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा

यूनिसेफ

1. आईसीडीएस योजना के अंतर्गत एडब्ल्यूडब्ल्यूएस प्रशिक्षण

संयुक्त राज्य अमरीका

1. वाणिज्यिक प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु कार्यक्रम
2. स्वास्थ्य हेतु निजी स्वैच्छिक संगठन
3. पादप आनुवंशिकी संसाधन
4. तकनीकी सहायता एवं समर्थन
5. एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण
6. परिवार नियोजन सेवाओं में नए प्रयोग
7. ग्रीनहाउस गैस प्रदूषण रोकथाम
8. एवर्ट परियोजना
9. गुणवत्ता नियंत्रण

[अनुवाद]

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग

2920. श्री शमशेर सिंह दूलो: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अन्तर्गत 1, जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59% है (अनुसूचित जातियां-10.38% और अनुसूचित जनजातियां-3.21%) है और द्वितीय क्षेणी (समूह ख) में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% है (अनुसूचित जातियां-11.73% और अनुसूचित जनजातियां- 2.68%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियां के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अधीन प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद है;

(ग) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत है और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना है? .

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) केन्द्र सरकार के अंतर्गत 1.1.1998 की स्थिति के अनुसार समूह 'क' की सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व 14.24 प्रतिशत (अनुसूचित जाति 10.8% और अनुसूचित जनजाति 3.44%) और समूह 'ख' की सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व 15.37 प्रतिशत (अनुसूचित जाति-12.35% और अनुसूचित जनजाति 3.02%) है।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	समूह	पदों की कुल सं.	भरे हुए पद	डीओपीटी के का.ज्ञा.सं. 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अंतर्गत उल्लिखित अनुदेश को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए पद		01.01.1998 की स्थिति के अनुसार भरे हुए पद और प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता
					*	*
1.	क	60	45			
2.	ख	159**	150	अनुसूचित जाति	18	21 (116.67%)
				अनुसूचित जनजाति	09	03 (33.33 %)
				अन्य पिछड़ा वर्ग	12	02 (16.67%)
				सामान्य	110	124 (112.72%)

*समूह "क" के पदों पर भर्ती कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीय रूप से की जा रही है। तथापि, समूह क के कुछ पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भरे जाते हैं और इन पदों में आरक्षण लागू नहीं होता है।

**दर्शाए गए 159 पदों में से 8 पद संवर्ग वाह्य/तकनीकी पद हैं जिन्हें प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाता है और इन पर आरक्षण का मानदंड लागू नहीं होता/ इनमें से एक पद केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा से संबद्ध है और इस पद के लिए नामांकन उनके द्वारा केन्द्रीय रूप से किया जाता है। इसी तरह एक अन्य पद के लिए नामांकन सी.जी.ए. कार्यालय द्वारा केन्द्रीय रूप से किया जाता है।

[हिन्दी]

रोजगार कार्यालयों में दर्ज विकलांग व्यक्ति

2921. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में रोजगार कार्यालयों में दर्ज विकलांग व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितने विकलांग व्यक्तियों को नौकरियां दी गई और रोजगार कार्यालयों में कितने विकलांग व्यक्ति रोजगार हेतु प्रतीक्षा-सूची में दर्ज है; और

(ग) सरकार ने उनको रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1998, 1999 तथा 2000 (जून तक) में विकलांग व्यक्तियों के संबंध में रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए स्थापनों की संख्या क्रमश 3.600. 4,200, 1,800 है। 30 जून, 2000 तक की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के लाईव रजिस्टरों में 4.66 लाख विकलांग व्यक्ति हैं।

(ग) सरकारी प्रतिष्ठानों में पहचान किए गए पदों में 3% रिक्तियां दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि, श्रवण विकलांगता तथा चलन (लोकोमोटर)विकलांगताओं से पीड़ित नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होती हैं। राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एन एच एफ डी सी) स्व-रोजगार उद्यमों के लिए आसान ऋण प्रदान करता है।

आयकर अधिकारियों का हिरासत में लिया जाना

2922. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री रघुनाथ झा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ आयकर अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने आयकर विभाग में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए क्या उपाए किए है;

(घ) क्या यह सच है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों की घृणित गतिविधियों के कारण विभाग द्वारा संग्रहीत राजस्व में भारी कमी आई है; और

(ङ) सरकार ने राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान रिश्वत लेते हुए पकड़े गये अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	मामलों की संख्या
1999	5
2000	2
2001	6 (दिनांक 30.11.2001 तक)

(ग) आयकर विभाग में एक पुन: व्यवस्थित कार्यालय स्थापित किया गया है जिसके अंतर्गत भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पर्यवेक्षी प्राधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जायेगी। विभाग की सतर्कता मशीनरी को मौजूदा आयकर निदेशालय (सतर्कता) से प्रोन्नत करके आयकर महानिदेशालय (सतर्कता) का स्तर प्रदान करके सुदृढ़ बनाया गया है। दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में चार क्षेत्रीय आयकर निदेशालय (सतर्कता) भी स्थापित किये गये है।

(घ) अब तक प्रत्यक्ष करों की वसूली से संबंधित आंकड़े निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ङ) प्रत्यक्ष कर के बारे में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) कर-आधार को व्यापक बनाने और बेहतर कर अनुपालन और कर-प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक आधार पर कानूनी संशोधन किये जाते है।

(2) विभिन्न स्तरों पर 10 लाख रुपये से अधिक की मांग वाले डोजियर मामलों की मानीटरिंग करके बकाया मांग में से वसूली करना।

(3) स्थगन याचिकाओं का तत्काल निपटान।

(4) शीर्ष निगमों द्वारा अग्रिम कर भुगतान, निर्यातकों और विदेशी मुद्रा कमाने वालों द्वारा कर भुगतान, स्रोत पर कर की कटौती करने वालों और कर वसूली अधिकारियों के लिए कार्य-योजना को मानिटर करना।

(5) उन मामलों, जिनमें मांगें स्थगित की जाती हैं, की आयकर अपीलीय अधिकारियों द्वारा शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करना, आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा उच्च वाले मामलों का शीघ्र निपटान और बड़े मामलों में कर-निर्धारण का शीघ्र पूरा करना।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती

2923. श्री भान सिंह भौरा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 02.07.1997 के डी.ओ.पी.टी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) के व्याख्यात्मक टिप्पण के पैरा 11 के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित जिन व्यक्तियो का योग्यता के आधार पर चयन होता है उन्हें उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे के समक्ष दर्शाए जाना अपेक्षित नहीं होता है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय में गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के योग्यता के आधार पर सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में चयनित/भर्ती/पदोन्नत किए गए उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नहीं गिना गया; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें उक्त अवधि के दौरान योग्यता के आधार पर अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के चयनित उम्मीदवारों को उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के समक्ष समायोजित किया गया तथा उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार आरक्षित समुदाय के वे व्यक्ति, जिनके लिए आरक्षण किया गया है लेकिन जिनकी नियुक्ति मेरिट से हुई है और जो आरक्षण नहीं ले रहे हैं, उन्हें आरक्षित पदों पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। उन्हें अनारक्षित श्रेणी में गिना जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्ति, जिन्हें मेरिट पर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों में भर्ती/प्रोन्नत किया गया है, के मामलों का कोई केन्द्रीकृत आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

कृषि कोआपरेटिव अरबन बैंक

2924. **श्री चाडा सुरेश रेड्डी:**
डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री रामजी मांझी:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति :
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री के. येरननायडू
श्री सुनील खां:
श्रीमती मिनाती सेन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि कोआपरेटिव अरबन बैंक, हैदराबाद में निधियों का असंतुलन, महंगा प्रचार अभियान और जमाराशियों पर उच्च ब्याज दर का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों और मापदंडों का उल्लंघन करने वाले बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस बैंक में अपने गाढ़े की कमाई को जमा करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कृषि कोआपरेटिव अरबन बैंक लि., हैदराबाद नकदी समस्याओं का सामना कर रहा था और इसलिए वह जमाकर्त्ताओं को आपसी अदायगी नहीं कर पा रहा था। बैंक ने व्यापक मीडिया विज्ञापन होर्डिंगों, आदि का सहारा लिया था और साथ ही जमाराशि पर अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दरों की पेशकश की थी। जो 15 दिनों से 3 वर्ष तक 11% से 16% तक थी।

(ग) और (घ) बैंक के कार्यसंचालन में गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए बैंक के अध्यक्ष को भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद के क्षेत्रीय निदेशक ने विचार-विमर्श के लिए बुलाया था। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि यदि बैंक के परिचालनों में प्रत्यक्ष सुधार नहीं दिखाई दिया तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। बैंक के परिचालन में अनियमितताओं की पुन: समीक्षा की गई और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35-क (जैसा कि सहकारी समितियों के लिए लागू है) के तहत बैंक को अपने परिचालनों को युक्तियुक्त बनाने के निर्देश जारी किए गए थे। बैंक को यह भी निदेश दिया गया था कि अपने ऋण कारोबार को 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार उसी स्तर पर रोक दे। तथापि, बैंक के समुचित प्रबन्ध के उद्देश्य से रजिस्ट्रार, सहकारी समिति (आर सी एस), आन्ध्र प्रदेश को निदेशक मंडल का अधिक्रमण करके बैंक के कार्यों के प्रबन्ध हेतु प्रशासक नियुक्त करने को कहा गया था। बैंक-बोर्ड का अधिक्रमण किया गया और 16 अगस्त 2001 को एक प्रशासक नियुक्त किया गया था। निदेशक बोर्ड तथा बैंक के मुख्य कार्यपाल अधिकारी के विरुद्ध मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैदराबाद में एक आपराधिक शिकायत दायर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक को आर सी एस ने यह भी कहा था कि बैंक को बन्द करने के लिए आदेश दे और बैंक का कार्यभार ग्रहण करने के लिए परिसमापक नियुक्त करें। आर सी एस, आन्ध्र प्रदेश द्वारा अब बैंक का परिसमापन कर दिया गया है। जमार्कत्ताओं के दावे परिसमापक से प्राप्त होने पर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम के अनुसार निपटाए जाएंगे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण

2925. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.एच.एस. के कार्यायल ज्ञापन संख्या 16/17/67-स्था(ग) दिनांक 10.4.1968 (डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36022/5/76 दिनांक 27.5.1976) के अन्तर्गत जैसा कि अपेक्षित है, वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ कुछ विभाग/अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय/सरकारी क्षेत्र और स्वायत्तशासी संगठन/ निगम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के मामले में सरकार के निर्देशों के उचित पालन को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के संपर्क अधिकारियों को नामित नहीं कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे अधिकारियों/ संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो वित्त मंत्रालय के अधीन 'प्रशासनिक इकाइयों' के रूप में कार्य करने वाले संगठनों/अधिकारियों की कुल संख्या क्या है जो स्थापना और कर्मचारी वर्ग के मामलों को देखते हैं; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार उक्त निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए कितने संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है। और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी

[हिन्दी]

मुद्रा स्फीति की दर

2926. श्री ब्रह्मानन्द मंडल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुद्रा स्फीति की दर लगातार गिर रही है;

(ख) क्या आर्थिक मंदी के मद्देनजर मुद्रा स्फीति की दर में और अधिक गिरावट की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मुद्रा स्फीति की दर को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) चालू राजकोषीय वर्ष के आरम्भ में 5 प्रतिशत के अधिक की वार्षिक बिन्दु-दर बिन्दु मुद्रास्फीति दर(थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित) से शुरू करके मुद्रास्फीति दर में धीरे-धीरे गिरावट आई जो मध्य नवम्बर, 2001 तक 2.4 प्रतिशत के निम्न स्तर पर पहुंच गई।

(ख) गत वर्ष मुद्रास्फीति दर में वृद्धि कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि की प्रतिक्रिया स्वरूप ऊर्जा के मूल्यों में हुई वृद्धि का परिणाम थी। यदि कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम बने रहते हैं तो प्राथमिक उत्पादों के मूल्यों के बावजूद जिनकी मुद्रास्फीति दर 3.8 प्रतिशत दर्ज की गई है, आन्तरिक मुद्रास्फीति पर कम दबाव पड़ने की संभावना है।

(ग) बड़े पैमाने पर उपयोग की जाने वाली अनिवार्य जिंसों की उचित मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कारगर आपूर्ति प्रबंध नीति अपना रही है। इससे मुद्रास्फीति दबावों को नियंत्रित करने के लिए मांग पक्ष में भी उपाय लिए हैं। ये उपाए इस प्रकार है: बेहतर राजकोषीय स्थिति पैदा करना और मौद्रीकृत घाटे तथा स्थूल मुद्रा (एम. 3) वृद्धि की नियमित मानीटरिंग करना।

[अनुवाद]

कतिपय मदों के निर्यात पर प्रतिबंध

2927. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय वस्तुओं/मदों के भारत से निर्यात पर अब भी कतिपय प्रतिबंध/कड़ी पाबंदियां हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुएं/मदें कौन-कौन सी हैं;

(ग) क्या इस पाबंदी की भारतीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारतीय व्यापार की स्थिति के मद्देनजर इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूड़ी): (क) और (ख) वर्तमान निर्यात एवं आयात नीति के अन्तर्गत, अधिकांश वस्तुओं/मदों का प्रतिबंधों के बगैर निर्यात किया जा सकता है। तथापि, कुछेक मदें लाइसेंसिंग अपेक्षाओं अथवा मात्रात्मक उच्चतम सीमाओं के अधीन हैं या फिर उनके निर्यात की अनुमति कुछेक निर्दिष्ट राज्य व्यापार उद्यमों के जरिए

दी जाती है। उपरोक्त के अतिरिक्त, "सभी प्रकार के जंगली जानवर, जिनमें उनके अंग तथा उत्पाद भी शामिल हैं, दुर्लभ पक्षी, गोमांस, नर कंकाल पशुओं की वसा, चर्बी अथवा तेल, संकटापन्न प्रजातियों के कुछ पौधे, चंदन की लकड़ी, काष्ठ तथा काष्ठ उत्पाद" इत्यादि जैसी कुछ मदें निर्यात के लिए निषिद्ध हैं। जिन मदों पर प्रतिबंध लागू होते हैं इनकी सूची समय-समय पर तथा संशोधित शामिल हैं) की अनुसूची-2 में दी गयी है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) निर्यात नीति की समीक्षा करना एक सतत प्रक्रिया है और हमारे निर्यातों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्तरोत्तर व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी बनाने की दृष्टि से जहां आवश्यक समझा जाता है, वहां नीतिगत हस्तक्षेप किए जाते हैं।

रबर के लिए कम सांविधिक मूल्य

2928. श्री. के. फ्रांसिस जार्ज: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर.एस.एस.-4 और आर.एस.एस.-5 के लिए क्रमश: 32.09 रुपए और 30.79 रुपए का न्यूनतम सांविधिक मूल्य घोषित करते समय आज की तिथि के अनुसार रबर की वास्तवित उत्पादन लागत पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि न्यूनतम सांवधिक मूल्य घोषित होने के परिणामस्वरूप रबर का व्यापार देश में ठप्प पड़ गया है जिससे रबर उत्पादकों और संबंध कामगारों को असहनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो रबर उत्पादक समुदाय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूड़ी): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने मात्रात्मक प्रतिबंध मुक्त प्रणाली में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को देखते हुए, आयात समतुल्य कीमत के आधार पर प्राकृतिक रबड़ की आरएसएस-4 और आरएसएस-5 ग्रेडों के लिए न्यूनतम कीमत निर्धारित की है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत को ध्यान में न रखते हुए निर्धारित की गई किसी भी कीमत से आयातों में वृद्धि होगी जिससे कॉफी उत्पादकों को अनावश्यक कठिनाई होगी।

(ग) और (घ) आरंभ में रबड़ के व्यापारियों को न्यूनतम कीमत के बारे में कुछ शंकाएं थीं लेकिन व्यापारी समुदाय से विचार-विमर्श करने के बाद अब बाजार व्यवस्थित हो गए हैं और सामान्य व्यापार होने लगा है। साथ ही साथ यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रबड़ आधारित उत्पादों की समूची मांग में कमी आई है जिससे प्राकृतिक रबड़ का उठाव प्रभावित हुआ है।

भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के दलों का अमेरिका का दौरा

2929. श्री नरेश पुगलिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के दलों ने अमेरिका में भारतीय बैंकों के कार्यप्रचालनों के मुद्दे पर यू एस फेडरल रिजर्व बैंक के साथ बैठक करने के लिए अमेरिका का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों दलों की संरचना क्या थी;

(ग) क्या इसके बाद अमेरिका में भारतीय बैंकों के कार्यप्रचालनों से संबंधित विवाद को हल कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसकी टीम, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर, कार्यपालक निदेशक, मुख्य महाप्रंबध और महाप्रबंधक सम्मिलत थे, ने यू एस ए का दौरा किया था और कतिपय सीमा पार पर्यवेक्षी प्रतिष्ठानों विशेषतया भारतीय स्टेट बैंक के यू एस ए परिचालनों से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा करने के लिए 22 अक्तूबर, 2001 को फेडरल रिजर्व सिस्टम के बोर्ड आफ गवर्नर्स से मिले। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसकी टीम, जिसमें अध्यक्ष, उप प्रबन्ध निदेशक और ग्रुप कार्यपालक (अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग) और मुख्य महाप्रबंध (विदेश कार्यालय) सम्मिलित है ने यू एस ए का दौरा किया और इस संबंध यू एस ए में फेडरल रेगुलेटर्स के साथ बैठक की।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सूचित किया है कि यूएसए के विनियामक प्राधिकरण ने इसकी न्यूयार्क में शाखाओं के समूह का 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार निरीक्षण किया था। विनियामकों ने प्रणालियों एवं पद्धतियों तथा

निगरानी तंत्र के साधनों विशेषकर विप्रेषण, निधियों के अंतरण तथा अन्त: कार्यालय लेखों में "अपने ग्राहक को जानना एवं पर्याप्त क्षमता में विकास, पद्धतियों में कुछ कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। इसके आधार पर यू एस नियामकों ने हाल ही के आदेश के अनुसार एस बी आई को अपने यू एस परिचालनों की समीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र फर्म को नियुक्त करने तथा अपने यूएस कार्यालयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा करने के लिए एक नई आन्तरिक लेखा परीक्षा फर्म नियुक्त करने के लिए कहा था। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसे आदेशानुसार कतिपय पर्याप्त क्षमता में विकास प्रक्रियाओं के अनुरूप होना होगा। भारतीय स्टेट बैंक ने यू एस ए के विनियामकों को आश्वासन दिया है कि उसकी न्यूयार्क शाखा में प्रणालियों एवं प्रौद्योगिकी तथा पद्धतियों में विनियामकों द्वारा दिए गए निर्धारण के अनुसार वांछित सुधार किया जाएगा।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना

2930. डा. वी. सरोजा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना तैयार की है और इसे क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो उन मंत्रालयों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त कार्य नहीं किया है; और

(ग) उन मंत्रालयों/विभागों को अनुसूचित जातियों के लिए विशेप संघटक योजनाओं में कब तक शामिल कर लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा विकसित की गई विशेप संघटक योजना (एस सी पी) की तैयारी के लिए कार्यनीति के अन्तर्गत, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष संघटक योजना (एस सी पी) तैयार करनी एवं कार्यान्वित करनी होती है। विशेष संघटक योजना (एस सी पी) के कार्यान्वयन के बारे में 12 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों (विवरण के रूप में सूची संलग्न) ने सूचना दी है योजना आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इस मामले के संबंध में अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ कार्रवाई की जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जुलाई-अक्टूबर, 2001 के दौरान इस विषय पर सभी संबधित मंत्रालयों/विभागों के साथ एक विस्तृत परिचर्चा की गई थीं जिसमें सभी मंत्रालयों/विभागों से दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष संघटक योजना तैयार करने तथा कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया था। चूंकि इसका संबंध अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से है, इसलिए कोई समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

विवरण

विशेष संघटक योजना को क्रियान्वित करने वाले केन्द्रीय मंत्रालयों की सूची

1. कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग
2. उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग
3. श्रम मंत्रालय
4. कोयला मंत्रालय (सामुदायिक विकास तथा 7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कल्याण कार्यक्रम)
5. वाणिज्य मंत्रालय (रबड़ बोर्ड, मसाला बोर्ड तथा तम्बाकू बोर्ड)
6. वस्त्र मंत्रालय (हथकरघा और हस्तशिल्प)
7. गैर, पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (बेहतर चुल्हा के रूप में राष्ट्रीय कार्यक्रम)
8. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास विभाग
9. विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय (1) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग।
10. इस्पात मंत्रालय
11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
12. ग्रामीण विकास मंत्रालय

योग्यता के आधार पर चुने गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग

2931. सरदार बूटा सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 2.7.1997 के डी.ओ.पी.टी. कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्थापना (आरक्षण) के व्याख्यात्मक टिप्पण के पैरा-11 के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबंधित जो व्यक्ति योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं उन्हें उनके समुदायों के

लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे के अंतर्गत नहीं दर्शाया जाना चाहिए:

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के योग्यता के आधार पर सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में चयनित/भर्ती/पदोन्नत किए गए उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नहीं गिना गया; और

(ग) ऐसे कितने मामले है जिनमें उक्त अवधि के दौरान योग्यता के आधार पर अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के चयनित उम्मीदवारों को उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के अंतर्गत दर्शाया गया/समायोजित किया गया तथा उसके क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूड़ी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों के वितरण में राज्यों की सफलता

2932. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:
श्री चन्द्र विजय सिंह:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकांश राज्य केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें 12,500 करोड़ रुपये की भारी राजसहायता दरों पर दिए गए खाद्यान्नों की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को वितरित्र करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 12,500 करोड़ रुपए की भारी राजसहायता का पूर्ण उपयोग न हो पाने पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, चालू वित्त वर्ष के लिए इस प्रयोजन हेतु अनुमानित राजसहायता कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (ग) अप्रैल, 2001 से अक्तूबर, 2001 तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे की आबादी को वितरित करने के लिए राज्यों को किए गए 59.23 लाख टन चावल और 51.80 लाख टन गेहूं के कुल आवंटन के प्रति केवल 30.51 लाख टन चावल अर 18.64 लाख टन गेहूं का वास्तविक उठान हुआ है, जो चावल के लिए आवंटन का 51% और गेहूं के लिए 36% है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन चलाई जाती है। केन्द्र सरकार खाद्यान्नों की वसूली, भंडारण और भारतीय खाद्य निगम के नामित गोदामों तक उनकी ढुलाई करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि लक्षित लाभभोगियों को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से खाद्यान्नों का वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों द्वारा किए गए खाद्यान्नों के उठान के आधार राजसहायता रिलीज की जाती है।

राज्यों के लिए विकेन्द्रीकृत वसूली योजना के लिए निर्धारित 833 करोड़ रुपये के अलावा, 2001-2002 के बजट अनुमान में खाद्य राजसहायता के लिए 12,787 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसमें से भारतीय खाद्य निगम और राज्यों को पहले ही 10,555.27 करोड़ रुपये रिलीज कर दिए गए हैं। मार्च, 2002 तक उठान के अनुमानों के आधार पर संशोधित अनुमानों में 6600 करोड़ रुपये और मांगे गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मंदी

2933. श्री जे.एस. बराड़: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्व व्यापार संगठन के पदनामित महानिदेशक ने अगले वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय मंदी की आंशका व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा मंद पड़ रही अर्थव्यवस्था को पुनरूजीवित करने के लिए क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन अनुत्पादक निरर्थक और ऐशो-आराम खर्च वाली मदों की पहचान की है जिन्हें तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित अथवा बंद कर दिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल): (क) और (ख) सरकार को विश्व व्यापार संगठन के मनोनीत महानिदेशक द्वारा की गई किसी अभियुक्त/भविष्यवाणी की जानकारी

नहीं है। फिर भी आर्थिक विकास के संवर्धन के लिए वर्ष 2001-2001 के बजट भाषण में एक व्यापक नीति की घोषणा की गई है। बजट में शुरू किए गए कर संबंधी विभिन्न उपायों में अन्यों के साथ साथ आर्थिक विकास के संवर्धन हेतु अपेक्षाकृत अधिक निवेशों और उपभोग की मांग को बढ़ावा दिया है। वर्ष 2001-02 के बजट और बाद में किए गए उपायों में भी केन्द्रीय आयोजना परिव्ययों के कार्यान्वयन में तेजी लाने और प्रमुख आधार ढांचा क्षेत्रों की परियोजनाओं की पूरा करने और गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर, 2001 में घोषित मौद्रिक एवं ऋण नीति की अपनी मध्यावधि संवीक्षा में ऋण में वृद्धि के लिए पर्याप्त नकदी निधि सुनिश्चित करने और निवेश की मांग को पुनः बढ़ाने के लिए समर्थन देने के उद्देश्य से कतिपय उपाय किए हैं। ये उपाय हैं: बैंक दर को 7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत करना, बैंकों के लिए नकद प्रारक्षित अनुपात में कमी करना तथा उनका यौक्तिकरण करना और निर्यात ऋण पर प्रभार्य अधिकतम ब्याज दर में 26 सितम्बर, 2001 से छह माह की अवधि के लिए 1 प्रतिशतांक की कमी करना। ये उपाय बजट नीति की पृष्ठभूमि में मांग में वृद्धि करने के उद्देश्य से किए गए है और विकास पर इनका अच्छा प्रभाव पड़ने की आशा है।

(ग) से (ङ) सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि अनुत्पादनकारी, एवं ऐशो-आराम पर होने वाले खर्चों को रोका जाए। इस दिशा में किए गए सामान्य उपाय ये हैं, पदों के सृजन पर प्रतिबंध, स्वीकृति पदों की संख्या में कमी, रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबंध, कार्यालय खर्चों में कमी, वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा और मनोरंजन/आतिथ्य संबंधी खर्चों पर प्रतिबंध आदि।

[हिन्दी]

शेयर बाजार में अनियमितताएं

2934. श्री पी.आर. खुंटे:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास उन लोगों को दंडित करने की शक्तियां नहीं हैं जो शेयर बाजार में अनियमितताएं बरतते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को और अधिक शक्तियां प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम की समीक्षा सरकार द्वारा की जा रही है। यह समीक्षा सेबी, बाजार मध्यवर्तियों तथा अन्य जानकारी प्राप्त समुदायों से निविष्टियों पर आधारित है। सरकार का सेबी अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे, अन्य बातों के अलावा, प्रतिभूति बाजार का विनियमन/विकास करने तथा निवेशकों के हितों का संरक्षण करने में सेबी की प्रभावात्मकता में वृद्धि होगी।

[अनुवाद]

प्याज के निर्यात की अनुमति

2935. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल यत्नाल:
श्री आर.एस. पाटिल:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री अम्बरीश:
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य की एजेंसियों को कर्नाटक से प्याज के निर्यात की अनुमति देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने राज्य के प्याज उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त अनुरोध पर अनुकूल विचार किया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) बंगलौर रोज प्याज, जो निर्यात हेतु मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त है, के निर्यात का संरणीयन कर्नाटक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग एण्ड एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि. (केएपीपीईसी) बंगलौर के जरिए किया जा रहा था। प्याज की अन्य किस्मों के निर्यात के लिए कर्नाटक स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन लि. (केएससीएमएफ), बंगलौर और स्पाइसेज ट्रेडिंग कारपोरेशन लि. (एसटीसीएल) बंगलौर को सरणीयन एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया गया था। कर्नाटक सरकार ने बंगलौर रोज प्याज के लिए नार्थ कर्नाटक आनियन ग्रोवर्स को आपरेटिव सोसाइटी लि. हुबली को अतिरिक्त सरणीयन एजेंसी के रूप में नियुक्त करने

का अनुरोध किया था। उपरोक्त सिफारिशों पर विचार किया गया था और इन दोनों एजेंसियों को क्रमशः बंगलौर रोज प्याज और प्याज की अन्य किस्मों के निर्यात के लिए अतिरिक्त सरणीयन एजेंसियों के रूप में शामिल किया किया गया है।

[हिन्दी]

अफीम उत्पादक

2936. श्री रामदास आठवले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अफीम उत्पादकों की राज्यवार, विशेष रूप से देश के आदिवासी क्षेत्रों में संख्या कितनी है;

(ख) गत वर्ष के दौरान उत्पादन का राज्य-वार ब्यौरा क्या था; और

(ग) अवैध व्यापारियों द्वारा अफीम उत्पादकों को लूटने और उनकी हत्या करने के मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है तथा इन अफीम उत्पादकों की हत्या को रोकने के लिए क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) तीन राज्यों, अर्थात मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अधिसूचित क्षेत्रों में किसानों की अफीम की खेती के लाइसेंस मंजूर किये जाते हैं। पिछले पांच वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 56,417 लाइसेंस जारी किये गये थे जिनमें से 287 लाइसेंस आदिवासियों क्षेत्रों में जारी किये गये थे। राजस्थान में 50,245 लाइसेंसों में से, 4809 लाइसेंस आदिवासी क्षेत्रों को दिये गये थे। उत्तर प्रदेश में 26,747 लाइसेंस जारी किये गये थे और आदिवासी क्षेत्र को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया था।

(ख) गत फसल वर्ष 2001 में अफीम उत्पादन के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

राज्य	70 संशक्ति वाली उत्पादित अफीम
मध्य प्रदेश	272529 किलो ग्राम
राजस्थान	493562 किलो ग्राम
उत्तर प्रदेश	167831 किलो ग्राम

(ग) अफीम की वसूली के समय, जिले के संबद्ध पुलिस अधीक्षकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अफीम उगाने वाले गांवों में रात की गश्त बढ़ायें। डकैती की आशंका कुछेक अफीम उगाने वाले किसानों को उपनी अफीम नजदीकी पुलिस चौकी में सुरक्षित ताले-चाबी की अभिरक्षा में रखने की अनुमति है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य पुलिस अधिकारियों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, डकैती की आशंका वाले क्षेत्रों में अफीम तौलन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है।

लाभार्जन करने वाले सरकारी उपक्रम

2937. डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या हैं जो लाभार्जन नहीं कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने सरकारी उपक्रम ऐसे हैं जो गत तीन वर्षों से लगातार घाटा उठा रहे हैं और उनके द्वारा उठाए गए घाटे का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटा उठाने वाले उपक्रमों में सरकारी निवेश कितना है;

(घ) क्या इन सरकारी उपक्रमों में घाटे का कारण त्रुटिपूर्ण प्रबंधन प्रणाली, निरर्थक व्यय और अपेक्षाएं हैं और यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या कुछ घाटा उठा रहे सरकारी उपक्रम गत तीन वर्षों के दौरान बन्द हो गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी सरकारी उपक्रमवार ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 106 उपक्रमों ने वर्ष 1999-2000 के दौरान घाटा उठाया, जिनमें से 83 केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों ने गत तीन वर्ष के दौरान निरंतर घाटा उठाया था। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के नाम तथा गत तीन वर्ष में इनके घाटे का ब्यौरा 27-2-2001 को लोक सभा में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1999-2000 नामक एक प्रकाशित दस्तावेज में दिया गया है।

(ग) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1999-2000 में 31-3-2000 तक की जानकारी उपलब्ध है और इसके अनुसार घाटा उठाने वाले 106 सरकारी उपक्रमों में उक्त तिथि तक 38617.93 करोड़ रुपए का पूंजीनिवेश किया गया था।

(घ) घाटे के कारण उद्यम-सापेक्ष हैं और सामान्य तौर पर इन कारणों में गैर-सरकारी क्षेत्र से अधिग्रहीत उद्यमों से उत्तराधिकार में प्राप्त रूग्णता, पुराने संयंत्र एवं मशीनें, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, क्षमता का अधोपयोग, अत्यधिक श्रमशक्ति, वित्तीय संसाधनों की समस्या, निविष्ट की अधिक लागत, ब्याज का भारी बोझ, दोषपूर्ण विपणन रणनीतियां आदि शामिल हैं।

(ङ) और (च) उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बी.जी.एम.एल.), टेनरी एण्ड फुटवियर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (टी.ए.एफ.सी.ओ.), मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड (एम.एन.पी.एम.), भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड (बी.पी.एम.ई.एल.), वेबर्ड (इण्डिया) लिमिटेड) (डब्ल्यू.आई.एल.), रिहेबिलिटेशन इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन (आर.आई.सी.) तथा नेशनल बाईसाइकिल कॉरपोरेशन ऑफ-इण्डिया (एन.बी.सी.आई.एल.) को बन्द कर दिया गया है। एच.एम.टी. के 4 एकक तथा घाटा उठाने वाले सात तापसह एककों (एल.आर.यू.)/बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड (बी.एस.सी.एल.) के फेब्रिकेशन यार्ड को भी बन्द कर दिया गया है।

[अनुवाद]

योग्यता के आधार पर चुने गए अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग

2938. श्री दलित इजिलमलाई: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 2-7-1997 के डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्थापना (आरक्षण) के व्याख्यात्मक टिप्पण के पैरा 11 के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. से संबन्धित जो व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर चयनित होते हैं उन्हें उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे के अन्तर्गत नहीं दर्शाया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के अन्तर्गत (एक) सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों, (दो) सांविधिक संगठनों/निगमों, (तीन) स्वायत्तशासी संगठनों, संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी उद्यमों और मंत्रालय में भी गत पांच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के योग्यता के आधार पर सेवाओं के विभिन्न श्रेणियों में चयनित/ भर्ती/पदोन्नत किए गए उन व्यक्तियों की संख्या कितनी हैं उन्हें उनके समुदाय के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के कोटे में नही गिना गया; और

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें उक्त अवधि के दौरान योग्यता के आधार पर अ.जा., अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. के चयनित उम्मीदवारों को उनके समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों/पदों के अन्तर्गत दर्शाया/समायोजित किया गया तथा उसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय के मामले में उपर्युक्त आदेश जारी होने के बाद सिर्फ चपरासी के 2 पदों पर भर्ती की गई है। इन 2 पदों में से एक पद अनारक्षित श्रेणी के लिए था तथा एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था। गुणताक्रम के आधार पर आने वाले आरक्षित श्रेणी के किसी उम्मीदवार का आरक्षित क्रम पर समायोजन करने का कोई उदाहरण नहीं है।

जहां तक भारी उद्योग एवं लोक मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों, सांविधिक संगठनों/निगमों, संबंध एवं अधीनस्थ कार्यालयों का सवाल है, तो यह उल्लेखनीय है कि निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों पर नियुक्ति संबद्ध संगठन के विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत आती है और ऐसी जानकारी एक स्थान पर नहीं रखी जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोग

2939. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर:
डॉ. बलिराम:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 1 जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68% था और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) की सेवाओं यह प्रतिनिधित्व केवल 13.20% था और सरकारी क्षेत्र के केन्द्रीय उद्यमों के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1998 की तिथि के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समहू ख) की सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व क्रमश: 13.59% और 14.41% था जबकि उनके लिए यह कोटा 22.5% है;

(ख) यदि हां, तो भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों/उद्यमों/सांविधिक संगठनों/ निगमों, स्वायत्त संगठनों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और मंत्रालय

में भी प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और उनके समकक्ष कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) के पैरा-5 के तहत अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत कितना-कितना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) 1-1-1996 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों में श्रेणी-I (समूह ''क'') तथा श्रेणी-II (समूह ''ख'') की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमश: 10.68% तथा 13.20% था। केन्द्रीय सरकार की समूह ''क'' एवं समूह ''ख'' की सेवाओं में 1-1-1998 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमश: 14.24% तथा 15.37% था।

(ख) और (ग) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में समूह ''क'' एव समूह ''ख'' के पदों से सम्बन्धित जानकारी नीचे दी गई है; परन्तु इसमें प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे गए तथा इस मंत्रालय के नियंत्रण से परे संगठित सेवाओं के पदों को शामिल नहीं किया गया है:

श्रेणी	पदों की संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की संख्या तथा उनका प्रतिशत			
		सामान्य	अनु. जाति	अ.ज. जाति	अ.पि. वर्ग
क	10	6	2 (20%)	2 (20%)	-
ख	4	3 (1 रिक्त)	-	-	-

सरकारी उद्यमों/सांविधिक संगठनों आदि से संबंधित जानकारी एक स्थान पर नहीं रखी जाती है, क्योंकि निदेशक स्तर से नीचे के पदों पर नियुक्ति संबद्ध संगठन के विचार क्षेत्र में आती है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति की सूची में धोबी जाति को शामिल करना

2940. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को अनुसूचित जातियों की सूची में पारित (धोबी) जाति को शामिल करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव पर लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) महाराष्ट्र की अनुसूचित जाति की सूची में ''पारितबद्ध (धोबी)'' समुदाय को शामिल करने संबंधी एक प्रस्ताव को अनुमोदित प्रक्रियाओ के अनुसार प्रक्रियाबद्ध किया गया था और महाराष्ट्र सरकार को टिप्पणियों के लिए भेजा गया। महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की है क्योकि यह समुदाय किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित करने संबंधी मानदंड़ो को पूरा नहीं करता है। इस प्रकार, इस प्रस्ताव पर आगे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

जूट का लक्ष्य और उत्पादन

2941. श्री प्रभात सामन्तराय:
श्री राजो सिंह:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार सहित जूट उत्पादन करने वाले उन राज्यों की संख्या कितनी है जो भारतीय जूट निगम के अंतर्गत पंजीकृत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक बिहार सहित जूट उत्पादन करने वाले राज्यों द्वारा राज्यवार अनुमानित कितना जूट उत्पादन किया गया;

(ग) क्या सरकार ने जूट उत्पादकों से जूट की खरीद के लिए कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने पिछले वर्ष के मुकाबले चालू वर्ष के लिए जूट उत्पादन का लक्ष्य अधिक रखा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं; और

(छ) सरकार द्वारा जूट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) बिहार सहित पटसन उत्पादक राज्यों द्वारा अनुमानित पटसन (मेस्टा सहित) उत्पादन निम्नानुसार है।

उत्पादन लाख गांठ में
(1 गांठ=180 किग्रा.)

राज्य	1998-99	1999-2000	2000-01 (अनुमानित)	2001-02 (प्रक्षेपित)
असम	10.00	8.00	10.00	10.00
मेघालय	0.30	0.20	0.30	0.50
प. बंगाल	56.00	53.00	64.40	72.00
बिहार	8.00	8.00	9.50	11.00
उड़ीसा	3.00	2.63	2.10	2.50
आंध्र प्रदेश	4.00	4.66	5.60	6.50
त्रिपुरा	0.32	0.21	0.20	0.30
अन्य	1.25	1.30	1.90	2.20
कुल	82.87	78.00	94.00	105.00

पटसन उत्पादक राज्यों को भारतीय पटसन (जे सी आई) के साथ पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। 2001-02 मौसम के लिए विभिन्न पटसन और मेस्टा उत्पादक राज्यों में देहाती बाजारों में कच्चे पटसन की विभिन्न किस्मों एवं श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमश: विवरण-I और II में देखे जा सकते हैं।

(ङ) और (च) जी हां। चालू वर्ष और पिछले वर्ष में किये गये उत्पादन और उपलब्धियों के लक्ष्य के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े लाख गांठ में)
(1 गांठ =180 किग्रा.)

	पटसन वर्ष 2001-02 पटसन (मेस्टा सहित)	पटसन वर्ष 2000-01 पटसन (मेस्टा सहित)
लक्ष्य	110.00	100.00
उपलब्धियां (प्रक्षेपित/अनुमानित)	105.00	94.00

(छ) पटसन उत्पादन का संवर्द्धन करने के उद्देश्य से, सरकार प्रत्येक वर्ष कच्चा पटसन/मेस्टा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैंकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 पटसन पैकेटिंग सामग्री में कुछ वस्तुओं की अनिवार्य पैकेजिंग का प्रावधान है जिससे पटसन उपजकर्त्ताओं को अपने उत्पादन के विपणन में सहायता मिलती है। केन्द्रीय रूप से प्रयोजित विशिष्ट पटसन विकास कार्यक्रम 1992-93 से चालू है। इस योजना को अक्तूबर, 2000 से बृहत प्रबंधन कृषि विधि में शामिल कर लिया गया है जो राज्य सरकारों को आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए लचीलापन प्रदान करेगा।

विवरण-I

वर्ष 2001-2002 मौसम के लिए विभिन्न पटसन और मेस्टा उत्पादक राज्यों में देहाती बाजारों में कच्ची पटसन की विभिन्न किस्मों तथा ग्रेड़ों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य

टोस्सा/व्हाईट

क्र.सं.	राज्य	जिला	किस्म	ग्रेडस							
				टीडी-1 डब्ल्यू-1	टीडी-2 डब्ल्यू-2	टीडी-3 डब्ल्यू-3	टीडी-4 डब्ल्यू-4	टीडी-5 डब्ल्यू-5	टीडी-6 डब्ल्यू-6	टीडी-7 डब्ल्यू-7	टीडी-8 डब्ल्यू-8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	असम और	सभी जिले	टोस्सा/	1110.00	1040.00	970.00	870.00	810.00	750.00	690.00	630.00
	मेघालय		व्हाईट	1060.00	990.00	920.00	820.00	760.00	700.00	640.00	580.00
2.	त्रिपुरा	सभी जिले	टोस्सा/	1081.00	1011.00	941.00	841.00	781.00	721.00	661.00	601.00
			व्हाईट	1031.00	961.00	891.00	791.00	731.00	671.00	611.00	551.00
3.	बिहार	(1) पूर्णिया	टोस्सा/	1141.00	1071.00	1001.00	901.00	841.00	781.00	721.00	661.00
		किशनगंज कटिहार अररिया	व्हाईट	1091.00	1021.00	951.00	851.00	791.00	731.00	671.00	611.00
		(2) सहरसा	टोस्सा/	1125.00	1055.00	985.00	885.00	825.00	765.00	705.00	645.00
		चम्पारण अन्य जिले	व्हाईट	1075.00	1005.00	935.00	835.00	775.0	715.00	655.00	595.00
4.	उत्तर प्रदेश	सभी जिले	टोस्सा/	1088.00	1018.00	948.00	848.00	788.00	728.00	668.00	608.00
			व्हाईट	1038.00	968.00	898.00	798.00	738.00	678.00	618.00	558.00
5.	उड़ीसा	सभी जिले	टोस्सा/	1147.00	1077.00	1007.00	907.00	847.00	787.00	727.00	667.00
			व्हाईट	1097.00	1027.00	957.00	857.00	797.00	737.00	677.00	617.00
6.	पश्चिमी बंगाल	(1) कूचबिहार	टोस्सा/	1135.00	1065.00	995.00	895.00	835.00	775.00	715.00	655.00
		जलपाईगुडी व दार्जीलिंग	व्हाईट	1085.00	1015.00	945.00	845.00	785.00	725.00	665.00	605.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(2)	उत्तर व दक्षिण दिनाजपुर मल्दा	टोस्सा/	1148.00	1078.00	1008.00	908.00	848.00	788.00	728.00	668.00
			व्हाईट	1098.00	1028.00	958.00	858.00	798.00	738.00	678.00	618.00
	(3)	मुर्शिदाबाद बांकुरा तथा बिरभूम	टोस्सा/	1160.00	1090.00	1020.00	920.00	860.00	800.00	740.00	680.00
			व्हाईट	1110.00	1040.00	970.00	870.00	810.00	750.00	690.00	630.00
	(4)	हावड़ा नादिया हुगली, वर्द्धमान मिदनापुर और एस.एन. 24-परगना	टोस्सा/	1173.00	1103.00	1033.00	933.00	873.00	813.00	753.00	693.00
			व्हाईट	1123.00	1053.00	983.00	883.00	823.00	763.00	783.00	643.00

विवरण-II

वर्ष 2001-2002 मौसम के लिए विभिन्न पटसन और मेस्टा उत्पादक राज्यों में देहाती बाजारों में कच्ची पटसन की विभिन्न किस्मों तथा ग्रेडों के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य

मेस्टा/बिमली रु./क्विंटल

क्र. सं.	राज्य	जिला	किस्म	ग्रेडस					
				एम-1	एम-2	एम-3	एम-4	एम-5	एम-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	असम और मेघालय	सभी जिलें	मेस्टा	860	820	780	720	680	640
2.	त्रिपुरा	सभी जिलें	मेस्टा	831	791	751	691	651	611
3.	बिहार	(1) पूर्निया, किशनगंज कटिहार और अररिया जिला	मेस्टा	891	851	811	751	711	671
		(2) सहरसा, चम्पारण व अन्य जिलें	मेस्टा	875	835	795	735	695	655
4.	उत्तर प्रदेश	सभी जिलें	मेस्टा	842	802	762	702	662	622
5.	मध्य प्रदेश	सभी जिलें	मेस्टा	842	802	762	702	662	622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	उड़ीसा	सभी जिले	मेस्टा	897	857	817	757	717	677
7.	प. बंगाल	(1) कूचाबिहार जलपाईगुड़ी एवं-दार्जिलिंग जिला	मेस्टा	885	845	805	745	705	665
		(2) उत्तर व दक्षिण दिनापुर, माल्दा जिला	मेस्टा	898	858	818	758	718	678
		(3) मुर्शिदाबाद, बांकुरा तथा बिरभूम, बांकुरा	मेस्टा	910	870	830	770	730	690
		(4) नादिया, हावड़ा, हुगली, वर्द्धमान मिदनापुर और एस.एन. 24- परगना	मेस्टा	923	883	843	783	743	703
8.		सभी जिले	बिमली	ओ.टी.ओ.पी	एसएमआईडी	एमआईडी	बीओटी	बी-बीओटी	एक्स.बी.ओटी.
				872	832	792	752	712	662

गोदाम में खाद्यान्नों का सड़ना

2942. श्री रामनायडू दग्गुबाटि:
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध प्रदेश में अनंतपुर जैसे कतिपय स्थानों पर स्थित एफसीआई गोदामों से सड़े हुए गेहूं की दुर्गंध आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सड़े हुए खाद्यान्नों की मात्रा और मूल्य कितना है;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि सड़े हुए खाद्यान्नों की आपूर्त्ति सार्वजनिक वितरण के लिए न हो;

(घ) क्या उक्त नुकसान के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) जी, हां। जांगलापल्ली, अंनतपुर (आंध्र प्रदेश) स्थिति भारतीय खाद्य निगम के कवर और प्लिंथ परिसरों में भंडारित गेहूं का स्टाक अभूतपूर्व भारी वर्षा के कारण प्रभावित हुआ था। प्रभावित गेहूं के स्टाक को बचाया गया था और 32.2 टन मात्रा को क्षतिग्रस्त के रूप में अलग किया गया था। इसके अलावा, पूर्वी और पश्चिम गोदावरी, कृष्णा, लालगोंडा, करीमनगर, नैल्लोरस, वारंगल और महबूबनगर जिलों में कैप परिसरों में भंडारित गेहूं का स्टाक भी प्रभावित हुआ था और 30.55 लाख रुपये की कीमत का 414 टन गेहूं क्षतिग्रस्त के रूप में अलग किया गया था।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन मानव उपभोग के लिए उपयुक्त केवल निर्दोष स्टाक ही जारी किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी करने के लिए भारतीय खाद्य निगम

के डिपुओं से उठान करने से पूर्व स्टाक का निरीक्षण भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा सयुक्त रूप से किया जाता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। 24 कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है, जिसमें दो सहायक प्रबंधकों और दो तकनीकी सहायकों को उनकी लापरवाही के लिए निलंबित करना शामिल है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प क्षेत्र को वित्तीय सहायता

2943. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को हस्तशिल्प के विकास और उत्थान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष-वार और योजना-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा अब तक उपयोग की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने धनराशि का पूरी तरह से उपयोग न करने वाले राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक राज्य को हस्तशिल्प के विकास एवं उत्थान के लिए सरकार द्वारा मुहैया करायी गई वित्तीय सहायता के वर्षानुसार और स्कीमनुसार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है। उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे प्रत्येक राज्य के सामने दर्शाये गए हैं।

(ग) सम्बन्धित संगठनों से लेखों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए कहा गया है। वित्तीय सहायता के नये प्रस्तावों पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें पहले से रिलीज किए गए अनुदानों के लेखों का निपटान नहीं हो जाता। बकायादार संगठन को भी दण्ड-ब्याज सहित सम्पूर्ण धनराशि लौटाने के लिए कहा गया है।

विवरण

हस्तशिल्प क्षेत्र
वर्ष 1998-99 के दौरान रिलीज की गई/उपयोगिता निधियां
प्लान स्कीमों के नाम

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य	निर्यात	प्रदर्शनी	प्रचार	डिजाईन	प्रशिक्षण	विपणन	विपणन वि. सहयोग	सर्वेक्षण एवं अध्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश		15.56	3.00	2.44	7.72	48.09	24.84	4.58
2.	अण्ड. एवं नि. द्वीप समूह								
3.	अरुणाचल प्रदेश								
4.	असम		24.09	22.02		10.69	12.26	22.50	5.70
5.	बिहार		4.80	0.41	1.54	2.66			
6.	दिल्ली	14.00	26.21	39.11	138.2	12.40	15.20	20.00	25.82
7.	गोआ		1.54	0.73	0.70			10.25	
8.	गुजरात		18.34	4.05	14.27	1.93	33.16	30.00	
9.	हरियाणा		1.15			1.84	43.15	7.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	हिमाचल प्रदेश		29.47	4.88	0.77			25.00	
11.	जम्मू एवं कश्मीर		12.68	2.18		4.65	4.00	43.94	
12.	कर्नाटक		6.21	4.83	0.79	0.49	5.00	18.75	4.00
13.	केरल		3.21	1.83		1.06	2.00	8.00	2.00
14.	महाराष्ट्र		6.00	5.90	4.90	13.84	25.84	17.48	3.68
15.	महाराष्ट्र		8.07		5.18	3.64	33.96	5.00	6.00
16.	मणिपुर		1.15	3.30			13.99	24.95	27.73
17.	मेघालय				2.04		1.00	8.60	
18.	मिजोरम		4.30	3.53			2.00	9.31	
19.	नागालैंड		8.00	2.93	0.80			1.00	25.00
20.	उड़ीसा		30.29	5.11	2.40	19.01	40.54	33.50	7.00
21.	पंजाब		0.85	2.03	2.50	2.00	3.50		
22.	पाण्डिचेरी		3.53	0.16					
23.	राजस्थान		4.76	2.00	2.00	1.72	6.08	5.00	1.00
24.	सिक्किम		2.40	3.18		7.60	2.46	3.40	
25.	तमिलनाडु		15.40	4.25	2.24	1.83	9.25	25.00	3.47
26.	त्रिपुरा		9.13	0.80	2.00		4.00	26.00	
27.	उत्तर प्रदेश	15.00	39.31	6.16	11.90	80.28	68.31	46.24	8.89
28.	पश्चिम बगांल		17.91	3	1.12	4.24	6.63	21.09	2.28
	कुल	29.00	294.36	127.43	191.3	192.09	390.88	464.23	77.82

क्र.सं.	राज्य	सीडीसी	वर्क शेड आवास	बीमा	लुप्तप्राय शिल्पों का पुनरुत्थान	यूएनडीपी	सभी स्कीमों का योग	उपयोगिता धनराशि
1	2	11	12	13	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	3.03	1.75	–	–	0.68	111.69	107.66
2.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह						0.00	0.00
3.	अरुणाचल प्रदेश						0.00	0.00

1	2	11	12	13	14	15	16	17
4.	असम	3.89	12.07	0.06		1.75	115.03	115.03
5.	बिहार		2.13		0.63	0.70	12.87	12.00
6.	दिल्ली				4.70	251	298.19	298.19
7.	गोवा	3.00					16.22	16.22
8.	गुजरात	2.00					103.75	103.75
9.	हरियाणा	3.19				0.35	57.18	57.18
10.	हिमाचल प्रदेश	5.77					65.89	65.89
11.	जम्मू एवं कश्मीर	3.94	4.50				75.89	75.89
12.	कर्नाटक	3.00					43.07	43.07
13.	केरल	0.54		0.08		5.82	24.54	24.54
14.	मध्य प्रदेश	7.46				7.02	92.12	92.12
15.	महाराष्ट्र				0.30	1.08	63.23	63.23
16.	मणिपुर	6.50	1.75				79.37	79.37
17.	मेघालय						11.64	11.64
18.	मिजोरम	5.56		0.06			24.76	24.76
19.	नागालैंड	4.56	18.25				60.54	56.94
20.	उड़ीसा	3.68	17.71	0.36	0.30	3.80	163.70	157.32
21.	पंजाब	5.56					16.44	16.44
22.	पांडिचेरी						3.69	3.69
23.	राजस्थान	9.01	4.25	9.00			44.82	43.68
24.	सिक्किम				1.78		20.82	20.82
25.	तमिलनाडु	9.43	5.65		0.30	0.87	77.69	77.69
26.	त्रिपुरा					0.13	42.06	42.06
27.	उत्तर प्रदेश	10.98	20.00			38.60	345.67	334.29
28.	पश्चिम बंगाल	2.91	0.88			3.50	63.56	58.56
	कुल	94.01	88.94	9.56	8.01	66.81	2034.43	2002.03

नोट-ये आकड़े केवल गैर-सरकारी संगठनों/निगमों को विकासात्मक स्कीमों के लिए दी गई राशि के हैं।

हस्तशिल्प क्षेत्र

वर्ष 1999-2000 के दौरान रिलीज की गई निधियां
प्लान स्कीमों के नाम

(लाख रुपये में)

कमांक	राज्य	निर्यात	प्रर्दशनी	प्रचार	डिजाइन	प्रशिक्षण	विपणन विकास सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश		9.70			18.62	53.41
2.	अण्ड एवं नि. द्वीप समूह						5.75
3.	अरुणाचल प्रदेश					0.06	6.64
4.	असम		13.70	6.87	14.91	4.59	38.24
5.	बिहार		6.57		0.50	4.40	53.20
6.	दिल्ली	47.00	22.29	28.09	138.99	15.30	57.09
7.	गोआ					1.30	6.00
8.	गुजरात		16.05	1.71	4.50	28.91	10.38
9.	हरियाणा		4.47			7.34	60.03
10.	हिमाचल प्रदेश		14.26			0.04	8.59
11.	जम्मू एवं कश्मीर		10.56	1.97	1.90	5.49	56.22
12.	कर्नाटक		1.09		3.36	2.71	23.31
13.	केरल		3.24			8.13	9.74
14.	मध्य प्रदेश		11.73	10.98	7.58	16.87	32.18
15.	महाराष्ट्र		7.36		10.00	6.79	42.79
16.	मणिपुर			1.58	0.50	16.79	21.85
17.	मेघालय						9.58
18.	मिजोरम						1.30
19.	नागालैंण्ड		8.40	0.93	0.50	5.01	8.09
20.	उड़ीसा		22.95		4.68	32.09	20.99
21.	पंजाब				0.34	3.54	18.34
22.	पाण्डिचेरी		4.69	1		4.07	8.57

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	राजस्थान		8.75	8.95		2.66	17.56
24.	सिक्किम					16.16	5.59
25.	तमिलनाडु		15.08		1.20	7.54	25.07
26.	त्रिपुरा		5.16	2.55	1.57	2.64	10.80
27.	उत्तर प्रदेश	75.00	21.63		4.18	131.48	73.10
28.	पश्चिम बंगाल		14.80	0.80	6.41	4.65	49.87
	कुल	122.00	222.48	64.43	201.12	347.18	735.28
	प्रतिशत	5.38	9.81	2.84	8.87	15.31	32.43

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	विपणन	सर्वेक्षण एवं अध्ययन	सी डी सी	कल्याण	यू एन डी पी	स्कीम का योग	उपयोगिता धनराशि
1	2	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	–	5.49	–	2.03	–	89.25	89.25
2.	अंड. एवं नि. द्वीप समूह	–	–	–	–	–	5.75	5.75
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	6.70	6.70
4.	असम	10.97		8.81	18.61		116.7	99.00
5.	बिहार		1.88				66.55	66.55
6.	दिल्ली		22.62		1.90	66.90	400.18	400.18
7.	गोवा	7.50					14.80	14.80
8.	गुजरात	10.50		1.98			74.03	74.03
9.	हरियाणा	5.00				2.25	79.09	72.34
10.	हिमाचल प्रदेश	2.50		1.69			27.08	27.08
11.	जम्मू एवं कश्मीर	20.45		188			98.47	98.47
12.	कर्नाटक	6.73	3.55	0.31	24.35	43.00	108.41	88.41
13.	केरल	2.53		0.05	2.11	25.98	51.78	51.78
14.	मध्य प्रदेश	10.50	0.24	6.92			97.00	97.00
15.	महाराष्ट्र	0.85				23.37	91.16	91.16

1	2	9	10	11	12	13	14	15
16.	मणिपुर	9.73		4.12	3.78		58.35	52.85
17.	मेघालय						9.58	9.58
18.	मिजोरम	10.01					11.31	11.31
19.	नागालैंड	12.50			5.25		40.68	37.29
20.	उड़ीसा	10.32	1.60	3.61	24.20		120.44	108.51
21.	पंजाब			2.99			25.21	25.21
22.	पांडिचेरी						17.33	17.33
23.	राजस्थान		8.92			10.76	57.6	57.6
24.	सिक्किम		1.75	0.66			24.16	24.16
25.	तमिलनाडू	10.38	1.44	1.03	0.65		63.39	45.89
26.	त्रिपुरा	7.00					29.72	29.72
27.	उत्तर प्रदेश	20.60	2.06	2.48	15.23	45.02	390.78	380.78
28.	पश्चिम बंगाल	10.86	1.11		3.10		91.60	91.6
	कुल	168.93	48.78	38.41	103.46	215.03	2267.10	2174.33
	प्रतिशत	7.45	2.15	1.69	4.56	9.48		

नोट -ये आकड़े केवल गैर-सकारी संगठनों/निगमों को विकासात्मक स्कीमों के लिए दी गई धनराशि के है।

हस्तशिल्प क्षेत्र

वर्ष 2000-2001 के दौरान रिलीज की गई निधियां
प्लान स्कीमों के नाम

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य	निर्यात	प्रदर्शनी	प्रचार	डिजाइन	प्रशिक्षण	विपणन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	10.00	13.65	6.89	–	7.92	32.26
2.	अंड. एवं. निको. द्वीप समूह	–	–	–	–	2.02	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	1.45	–	–	6.00	–
4.	असम	–	16.45	3.12	29.40	5.53	11.14
5.	बिहार	–	1.12	0.21	–	13.40	–

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	दिल्ली	651.66	29.33	72.75	125.19	12.89	47.12
7.	गोवा	–	–	–	–	0.85	–
8.	गुजरात	–	15.17	–	2.40	13.25	43.54
9.	हरियाणा	–	5.47	–	–	1.71	–
10.	हिमाचल प्रदेश	–	21.08	3.41	–	10.68	–
11.	जम्मू एवं कश्मीर	3.00	7.87	0.58	0.50	14.19	–
12.	कर्नाटक	–	6.34	–	7.08	3.39	16.23
13.	केरल	–	4.75	0.14	–	3.51	–
14.	मध्य प्रदेश	2.52	19.52	6.41	3.40	10.79	19.24
15.	महाराष्ट्र	–	7.58	–	3.88	7.80	33.14
16.	मणिपुर	–	3.20	–	15.00	10.61	14.41
17.	मेघालय	6.75	–	2.41	5.00	3.33	4.44
18.	मिजोरम	–	5.71	1.99	–	–	–
19.	नागालैंड	–	4.05	0.58	25.00	5.02	9.91
20.	उड़ीसा	–	5.26	1.38	0.50	26.46	–
21.	पंजाब	–	–	–	–	10.38	–
22.	पांडिचेरी	–	–	–	–	0.45	–
23.	राजस्थान	–	7.00	–	2.40	6.34	–
24.	सिक्किम	–	–	–	15.00	0.45	–
25.	तमिलनाडु	0.37	8.53	1.54	–	4.30	22.75
26.	त्रिपुरा	–	11.37	–	5.50	8.07	–
27.	उत्तर प्रदेश	48.80	22.93	5.25	0.74	67.25	45.05
28.	पश्चिम बंगाल	–	2.06	6.58	9.16	7.86	14.63
29.	उत्तरांचल	–	–	–	–	15.25	–
30.	झारखण्ड	–	–	–	–	6.73	–
	योग	723.10	219.89	113.24	250.15	286.43	313.86

क्रमांक	राज्य	विपणन विकास सहायता	सर्वेक्षण एवं अध्ययन	कल्याण	यूएनडीपी	सीडीसी/ सीएफ	सभी स्कीमों का योग	उपयोगिता धनराशि
1	2	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	–	0.06	30.13	–	–	100.91	100.91
2.	अंड. एवं. निको. द्वीप समूह	–	–	–	–	–	2.02	2.02
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	17.00	–	–	24.45	24.45
4.	असम	21.25	22.94	12.27	–	7.85	129.95	126.95
5.	बिहार	–	–	1.00	–	–	15.73	15.73
6.	दिल्ली	–	26.73	1.22	315.85	–	1282.74	1282.74
7.	गोवा	–	–	–	–	–	0.85	0.85
8.	गुजरात	–	8.00	–	4.00	11.25	97.61	86.36
9.	हरियाणा	2.50	2.12	–	–	–	11.80	11.80
10.	हिमाचल प्रदेश	12.73	–	–	–	–	47.90	42.67
11.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	–	–	3.75	29.89	29.89
12.	कर्नाटक	7.20	–	9.63	24.00	–	73.87	71.67
13.	केरल	5.02	–	1.08	51.15	–	65.65	65.65
14.	मध्य प्रदेश	27.25	–	–	–	1.31	90.44	90.44
15.	महाराष्ट्र	–	–	–	15.00	–	67.40	67.40
16.	मणिपुर	–	–	29.33	–	1.07	73.62	73.62
17.	मेघालय	6.25	–	0.04	16.70	–	44.92	44.92
18.	मिजोरम	7.95	–	0.03	–	3.94	19.62	19.62
19.	नागालैंड	13.70	–	27.63	–	13.22	99.11	92.05
20.	उड़ीसा	–	–	31.73	–	2.76	68.09	68.09
21.	पंजाब	–	–	–	–	1.16	11.54	11.54
22.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	0.45	0.45
23.	राजस्थान	–	–	1.50	16.38	–	33.62	33.62
24.	सिक्किम	–	–	–	–	–	15.45	15.45
25.	तमिलनाडु	6.33	–	4.40	–	–	48.22	48.22
26.	त्रिपुरा	5.72	–	1.35	–	9.02	41.03	41.03

1	2	9	10	11	12	13	14	15
27.	उत्तर प्रदेश	29.22	12.00	24.50	25.75	46.42	327.91	327.91
28.	पश्चिम बंगाल	2.73	0.17	7.20	–	14.45	64.84	64.84
29.	उत्तरांचल	–	–	3.60	–	–	18.85	18.85
30.	झारखण्ड	–	–	–	–	–	6.73	6.73
	योग	147.85	72.02	203.64	468.83	116.20	2915.21	2886.47

नोट-ये आंकड़े केवल गैर-सरकारी संगठनों/निगमों को विकासात्मक स्कीमों के लिए दी गई धनराशि के हैं।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का विलय

2944. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री किरीट सोमैया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई.डी.बी.आई. जैसी वित्तीय संस्था ने सरकारी क्षेत्र/गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ विलय करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्तीय संस्था द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आई.डी.बी.आई. ने अपने नये भागीदारों के बारे में अंतिम निर्णय कर लिया है।

(ङ) यदि नहीं, तो नये भागीदारों के बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा;

(च) क्या इसमें आई.डी.बी.आई. के कर्मचारियों को समायोजित किया जायेगा; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (छ) सर्वभौम बैंक में परिवर्तित होने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा विचारणीय मुख्य परिचालन तथा विनियामक संबंधी मामलों को भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा 28 अप्रैल, 2001 को परिचालित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में दिए गए विचारों के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करना चाहता है। आई सी आई सी आई बैंक ने दिनांक 25 अक्तूबर, 2001 को आर बी आई को आई सी आई सी आई का अपने साथ विलय करने का प्रस्ताव भेजा है। आई डी बी आई ने भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया है कि सर्वभौम बैंक में परिवर्तित होने के ब्यौरों की जांच की जा रही है और जैसे ही विश्लेषण पूरा होता है, वे भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क करेंगे।

[अनुवाद]

क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों द्वारा भारत की साख का निर्धारण

2945. श्री चन्द्र विजय सिंह:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''स्टैन्डर्ड एंड पुअर्स एंड मूडीज'' नामक अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी ने भारत की साख को कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो भारत की साख किस सीमा तक कम हुई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा साख की और गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) ''स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एस एंड पी) ने 7 अगस्त, 2001 को भारत में अपने ''बी बी दीर्घावधि और बी अल्पावधि

विदेशी करेंसी सरकारी क्रेडिट रेटिंग और "ए-3" अल्पावधि स्थानीय करेंसी सरकारी क्रेडिट की पुष्टि की है। रेटिंग एजेंसी ने "बी बी बी" से "बी बी बी (माइनस) में भारत की दीर्घावधि स्थानीय करेंसी रेटिंग का संशोधन किया है। दोनों दीर्घावधि रेटिंगों पर दृष्टिकोण स्थायी से ऋणात्मक करके संशोधित किया गया था। "स्टैंडर्ड एंड पुअर्स" ने दिनांक 20 नवम्बर, 2001 की अपनी प्रैस विज्ञप्ति के द्वारा उपर्युक्त रेटिंगों की पुष्टि की है। यह दृष्टिकोण ऋणात्मक बना हुआ है।

मूडी निवेशक सेवा ने 8 अगस्त, 2001 को भारत की क्रेडिट रेटिंग के लिए अपने दृष्टिकोण को बी ए-2 विदेशी करेंसी देश उच्चतम सीमा के लिए धनात्मक से स्थायी करके संशोधित किया है। दृष्टिकोण, घरेलू मुद्रा ऋण के लिए निर्दिष्ट बी ए 2 रेटिंगों के लिए धनात्मक से ऋणात्मक करके भी संशोधित किया गया है।

अन्य बातों के साथ-साथ, उपर्युक्त संशोधन, लोक वित्त और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में कमी के बारे में "स्टैंडर्ड और पुअर्स" और "मूडी" की प्रकल्पना पर आधारित हैं।

(ग) सरकार ने, केन्द्र और राज्यों की राजकोषीय स्थिति में सुधार करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं।

[हिन्दी]

चीन के साथ चाय व्यापार

2946. **श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:**
श्री अनंत गुढ़े:
श्री अनंत गंगाराम गीते:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीन के साथ चाय व्यापार के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में इस समझौते से भारत के किस सीमा तक लाभान्वित होने की संभावना है;

(ग) उक्त समझौते से किस सीमा तक सफलता मिली है;

(घ) क्या अन्य देशों के साथ भी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) सरकार/चाय बोर्ड ने चाय के व्यापार के संबंध में क्रमश: श्रीलंका और रूस के साथ करार किए हैं। भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत श्रीलंका को 7.5% की रियायती सीमाशुल्क की दर पर प्रति वर्ष 15 मिलियन किग्रा. तक चाय का निर्यात करने की अनुमति दी गई है। यह करार अप्रैल, 2000 से प्रचालन में है।

चाय बोर्ड ने जनवरी, 1999 से दिसम्बर, 2005 तक की अवधि के दौरान भारत से प्रति वर्ष 100 मिलियन किग्रा. चाय उठाने हेतु रूसी चाय और कॉफी एसोसिएशन तथा रूसी चाय उत्पादक संगठन के साथ दिसम्बर, 1998 में एक करार किया है।

[अनुवाद]

राज्य की परियोजनाओं के लिए वित्त

2947. **श्री समीक लाहिड़ी:**
श्री अबुल हसनत खां:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में यह अनुरोध किया है कि योजना का वित्त पोषण करने वाले एलआईसी इत्यादि संस्थाओं से राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋण की ब्याज दर कम होनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इस बैठक में संक्षेप में अन्य क्या वित्तीय मांगें की गई; और

(घ) प्रत्येक विषय पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश के बढ़ई समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना

2948. श्री सुरेश चन्देल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत भारत में बढ़ई समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है लेकिन वर्ष 1966 में हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात् राज्य के नये क्षेत्रों में रह रहे बढ़ई समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा न दिये जाने के कारण एक विसंगति उत्पन्न हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 341 के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति की सूची अधिसूचित की गई है। ''बढ़ई'' को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

हिमाचल प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति की सूची में ''तरखान समुदाय'' जिसका मुख्य व्यवसाय लकड़ी/लोहे का काम करना है, को शामिल करने संबंधी प्रस्ताव, जिसकी राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई थी, पर अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात

2949. श्री अनिल बसु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में औसत गिरावट धीमी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) वर्ष 1999-2000, 2000-2001 (संशोधित अनुमान) तथा 2001-02 (बजट अनुमान) के दौरान केन्द्र सरकार के सकल घरेलू उत्पाद (वर्तमान बाजार मूल्यों पर) के प्रतिशत के रूप में कुल बकाया दायित्वों के तौर पर मापा गया ऋण-जी.डी.पी. अनुपात क्रमश: 52.2 प्रतिशत, 53.4 प्रतिशत तथा 53.7 प्रतिशत है। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय को नियंत्रित करने और राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने के लिए, सरकार बेहतर राजकोषीय प्रबंध की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। राजकोषीय समेकन प्राप्त करने की दृष्टि से वर्ष 2001-02 के बजट में केन्द्र सरकार के व्यय संघटन में संरचनात्मक परिवर्तन लाने, व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाते समय आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय में मितव्ययता लाने की प्रक्रिया के माध्यम से व्यय प्रबंध करने पर जोर दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बजट में कई तरह की पहल की गई हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ नई भर्ती को कुल सिविलियन स्टाफ संख्या के एक प्रतिशत तक सीमित रखना, सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की बढ़ी हुई लागत को देखते हुए इनके उपभोक्ता प्रभारों में संशोधन करना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, ब्याज के भार को कम करने की दृष्टि से, अधिकांश नियंत्रित ब्याज दरों में 1 मार्च, 2001 से 1.5 प्रतिशत की कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, 2000 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक, 2000 संसद में पेश किया गया था। इस विधेयक में ऋण घाटे और उधार की उच्चतम सीमा से संबंधित प्रावधान शामिल है।

आयकर दाता

2950. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयकर दाताओं की संख्या क्या है और इनमें से वेतनभोगियों को संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विश्व के विकसित देशों की तुलना में आयकर विभाग को घटिया बुनियादी ढांचा और अपर्याप्त सुविधाएं प्रदान की हैं जिसके परिणामस्वरूप अन्य देशों की तुलना में देश में आयकरदाताओं की संख्या कम है; और

(ग) सरकार ने बेहिसाब धन के विस्तार से संबंधित तुरन्त सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न बैंकों, होटलों, डिपार्टमेन्टल स्टोरों, आभूषणों की दुकानों के साथ ऑन लाइन कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से उचित जांच हेतु उच्च तकनीकी सुविधाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) दिनांक 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 24737341 कर-निर्धारिती थे जिनमें से 20662926 कर-निर्धारितियों ने ''व्यष्टि'' की हैसियत से विवरणी दाखिल की थी। तथापि, विशेषकर वेतनभोगी वर्ग के संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) सरकार द्वारा आयकर विभाग को प्रदान की गई मूलभूत सुविधाएं देश में उपलब्ध संसाधनों के अनुरुप है। आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकीय प्रोन्नति प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है।

(ग) सरकार ने आयकर विभाग ने आन-लाइन कम्प्यूटरीकरण के लिए उच्च प्रौद्योगिकी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं। इस प्रयोजनार्थ 60 शहरों में स्थित आयकर विभाग के सभी कम्प्यूटरों को क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों और राष्ट्रीय कम्प्यूटर केन्द्र से जोड़ने के लिए एक अखिल भारतीय नेटवर्क पहले से ही स्थापित है। कर आधार को व्यापक बनाने और लेखा-बाह्य धन का पता लगाने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में विभाग के उपयोग के लिए एक केन्द्रीय सूचना शाखा प्रणाली का सृजन किया गया है।

सीमेंट उत्पादन

2951. श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री वैको:
डा. सी. कृष्णन:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आई.) के प्रत्येक संयंत्र की संस्थापित क्षमता क्या है;

(ख) इसमें सीमेंट का कितना उत्पादन हुआ और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सी.सी.आई. के प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन लागत क्या है; और

(ग) क्या इसकी तुलना ए.सी.सी., एल.टी., गुजरात अंबुजा इत्यादि जैसे गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से की जा सकती है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (ग) विगत 3 वर्षों के दौरान सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रत्येक संयंत्रों की स्थापित क्षमता तथा उनका उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सीमेंट संयंत्रों के उत्पादन लागत का रखरखाव केन्द्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान सीसीआई के प्रत्येक संयंत्रों की इकाईवार क्षमता तथा उत्पादन

यूनिट	स्थापित क्षमता (मी.ट. प्रति वर्ष)	1998-99 (मी.ट. में)	1999-2000 (मी. ट. में)	2000-2001 (मी. ट. में)
1	2	3	4	5
बोकाजन	198000	127020	118320	134335
राजबन	198000	159150	162155	106231
तंदूर	1000000	489200	364100	36460
अदिलाबाद	400000	106999	9287	1806
नयागांव	400000	9920	1855	0
कुरकुंटा	198000	44150	0	0
दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट/नया गांव विस्तार	500000	10740	0	0
उप-योग	2894000	947179	655717	278832

1	2	3	4	5
मंढार	380000	30	–	–
अकलतारा	400000	–	–	–
चर्खी दादरी	174000	15	–	–
योग	3848000	947224	655717	278832

हवाला व्यापार

2952. **श्री रामजीवन सिंह:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाइडे:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हवाला गतिविधियों के बेरोकटोक फल-फूल कर वाणिज्यिक केन्द्रों तक पहुंचने तथा शहरों सहित देश के विभिन्न भागों में अवैध बैंकिंग प्रणाली और आतंकवादी संगठनों का वित्तपोषण करने में उनके शामिल होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस फलते-फूलते हवाला व्यापार में लिप्त आपरेटरों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय को हवाला के माध्यम से धन के लेन-देन के कुछेक घटनाओं की जानकारी है। संदेहास्पद हवाला प्रचालकों पर लगातार निगरानी रखी जाती है और ऐसी गतिविधियों में संलिप्त गैंगस्टर्स, निर्यातकों और प्रवासियों के विरुद्ध विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

खाद्य क्षति हेतु केरल को केन्द्रीय सहायता

2953. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस वर्ष खाद्य क्षति के लिए केन्द्रीय सहायता के संबंध में केरल सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी केन्द्रीय दल ने इस वर्ष खाद्य क्षति के संबंध में केरल राज्य का दौरा किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी सिफारिशें क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

यू.टी.आई. की परिसम्पत्तियों में गिरावट

2954. **श्री विकास चौधरी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई, 2001 के दौरान यू.टी.आई. के प्रबंधन वाली परिसम्पत्तियों में 1691 करोड़ रुपये की और कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रतिष्ठित सरकारी वित्तीय संस्था में लघु निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) के अनुसार यू.टी.आई. के प्रबंधाधीन परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य दिनांक 30.6.2001 को 58,220.66 करोड़ रुपए से घटकर दिनांक 31.7.2001 को 55,450.67 करोड़ रुपए हो गया है, जो जुलाई, 2001 के दौरान 2769.99 करोड़ रुपए की गिरावट है।

(ख) यू.टी.आई. के अनुसार प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य में गिरावट का कारण अंशत: जुलाई, 2001 में यूनिटों की पुन: खरीद/शोधन के कारण निवल व्यय और अंशत: शेयर मूल्यों में गिरावट हो सकता है। बी.एस.ई. का सेनसेक्स दिनांक 29.6.2001 को 3456.78 बिन्दु से गिरकर दिनांक 31.7.2001 को 3329.28 बिंदु हो गया है।

(ग) सरकार ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यू.एस.-64 योजना में छोटे निवेशकों के हित की रक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद, यू.टी.आई. ने 15 जुलाई, 2001 को निर्णय लिया कि वह 1 अगस्त, 2001 से यू.एस.-64 योजना के निवेशकों को पुन: क्रय की सीमित सुविधा प्रदान करेगा। इस सुविधा के अंतर्गत, 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार वे सभी यूनिट धारक जिनके पास यूनिट हैं। 1 अगस्त, 2001 से 31 मई, 2003 की अवधि के दौरान किसी भी समय 1 अगस्त, 2001 से प्रभावी 10 रुपये प्रति यूनिट मूल्य के हिसाब से 3000 यूनिट प्रति यूनिट धारक की सीमा तक पुन: क्रय करने की पेशकश कर सकते हैं और यह वृद्धि प्रतिमाह 10 पैसे होगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2955. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्री सुबोध मोहिते:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण के बारे में जानने के लिए गठित की गयी कार्य समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए क्या सिफारिशें की हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण ऋण प्रणाली को अपेक्षित सीमा तक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस विफलता के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण में सुधार के लिए कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(च) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार द्वारा इन बैंकों के कार्यकरण में सुधार के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं/किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रबंध निदेशक श्री एम.वी.एस. चालापति राव की अध्यक्षता में 12 जुलाई, 2001 को एक कार्य दल गठित किया था, जिसके विशिष्ट विचारार्थ विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शुरुआत से उसके जरिए ग्रामीण ऋण संवितरण में प्रगति की पुनरीक्षा करना शामिल है। इस कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए फरवरी, 2002 के अंत तक का समय मांगा है।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार 478.86 लाख जमा खातों एवं 117.54 लाख बकाया ऋण खातों का ग्राहक-आधार है। उपर्युक्त कार्य दल ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएं देने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका की जांच कर रहा है।

(ङ) से (छ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ कई ज्ञापन प्रस्तुत करता रहा है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (एन आर बी आई) के सृजन सहित कई मांगें की गई है। एन आर बी आई के सृजन सहित कई वैकल्पिक माडलों पर विचार करने के बाद, चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के तुलन पत्रों के मिलान के लिए अतिरिक्त पूंजी देकर 'एकल' आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया गया था। सरकार ने अब तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 1094.21 करोड़ रु. की राशि जारी कर दी है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाने एवं उनके पुनरुद्धार को सुकर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ नीतिगत परिवर्तन शुरू किए गए हैं। इन परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन में नियोजित तरीके से सुधार लाने के लिए वार्षिक आधार पर विकास कार्य योजना एवं समझौता ज्ञापन (डीएपी/

एमओयू) शुरू करना और आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान संबंधी मानदंडों सहित विवेकपूर्ण मानदंड शुरू करना;

(2) व्यवसाय, पोर्टफोलियो एवं कार्यकलापों का विविधीकरण;

(3) अधिशेष गैर-चल निधि अनुपात (एस एल आर) निधियों के निवेश के लिए अवसर बढ़ाना;

(4) घाटेवाली शाखाओं के पुन: स्थापना एवं विलय के लिए शाखा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाना;

(5) ब्याज दर ढांचे का अविनियमन;

(6) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों के प्रबंधन में प्रायोजक बैंकों की भूमिका बढ़ाना।

आर्थिक मंदी

2956. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आर्थिक मंदी को देखते हुए वित्तीय क्षेत्र में सुधारों पर सुझाव देने हेतु एक सलाहकार दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सलाहकार दल के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में आर्थिक मंदी पर काबू पाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) वित्त मंत्री ने वित्तीय क्षेत्रक में लघु और मध्यावधिक सुधारों के लिए सुझाव प्राप्त करने की दृष्टि से, वित्तीय क्षेत्रक में सुधारों के संबंध में एक अनौपचारिक सलाहकार दल का गठन किया है। इस दल का गठन विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2001-02 के बजट में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यनीति शामिल की गई थी। बजट में विभिन्न कर सुधारों के लिए किए गए उपायों को अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अधिक निवेश और खपत की मांग हेतु तैयार किया गया था। वर्ष 2001-02 के बजट और परवर्ती उपायों ने भी महत्वपूर्ण आधार संरचना क्षेत्रकों के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय के तीव्र कार्यान्वयन और परियोजनाओं को पूरा करने तथा निजी क्षेत्रक में भी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। बृहत आर्थिक और मौद्रिक नीति की अपनी मध्यावधिक पुनरीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक ने कतिपय उपाय किए हैं जिनका उद्देश्य ऋण-वृद्धि को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करना और निवेश मांग को बढ़ाने में मदद देना है। इसके अलावा, बैंक दर को 7 प्रतिशत से कम करके 6.5 प्रतिशत करना, बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात में कटौती और उसे युक्तिसंगत बनाना और 26 सितम्बर, 2001 से 6 महीने की अवधि के लिए निर्यात ऋण पर प्रभार्य अधिकतम ब्याज दर में 1.0 प्रतिशतांक की कटौती करना भी इनमें शामिल है। इन उपायों को बजट कार्यनीति की पृष्ठभूमि में मांग को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है और आर्थिक वृद्धि पर इनका अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है।

विवरण

वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर औपचारिक सलाहकार दल के सदस्यों की सूची

1. श्री एम.एस. वर्मा, अध्यक्ष, टी.आर.ए.आई.
2. श्री दीपक पारेख, अध्यक्ष, एच.डी.एफ.सी.
3. श्री के.वी. कामथ, प्रबंध निदेशक, आई.सी.आई.सी.आई.
4. श्री रवि नारायण, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज
5. श्री रवि मोहन, प्रबंध निदेशक, क्रिसिल (सी आर आई एस आई एल)
6. मि. सी. भावे, प्रबंध निदेशक, एन.एस.डी.एल.
7. डा. ओंकार गोस्वामी, प्रमुख अर्थशास्त्री, सी.आई.आई.
8. डा. राकेश मोहन, वित्त मंत्री के सलाहकार

बासमती और अन्य वस्तुओं का पेटेन्ट

2957. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अमरीका की राइस टेक. इंक. द्वारा बासमती का पेटेन्ट कराये जाने की तर्ज पर ही करेला, जामुन और बैंगन को भी एक अन्य अमरीकी कंपनी क्रॉमेक रिसर्च इंक. द्वारा पेटेन्ट करा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इन वस्तुओं के पेटेन्ट कराए जाने पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा 4 मई, 1999 को मै. क्रोमैक रिसर्च इंक. यू एस ए को "हर्बल कंपोजिसन्स एंड देयर यूज एज हाइपोग्लिस्मिक एजेन्ट्स" शीर्षक से एक पेटेंट नं. 5900240 प्रदान किया गया था।

(ख) विभिन्न देशों के प्रभुतासंपन्न विशेषाधिकारों के तहत उनके पेटेंट कानूनों के अनुसार पेटेंट प्रदान किये जाते हैं और इनका क्षेत्रीय प्रभाव होता है, अर्थात ये उसी देश में प्रभावी होते हैं जो उन्हें प्रदान करता है।

जब कभी भी ऐसी मदों पर पेटेंट प्राप्त करने की सूचना मिलती है, जो पेटेंटनीय नहीं समझी जाती और जो भारतीय हितों को प्रभावित करते हों, तो इस बात का निर्धारण करने के लिए कदम उठाये जाते हैं कि क्या ऐसे पेटेंट को संबंधित देश के पेटेंट कानूनों के तहत चुनौती दी जा सकती है। सामान्यत: पेटेंट को ऐसे व्यक्ति(यों) द्वारा चुनौती दी जाती है जिसके हित प्रभावित होते हों/खतरे में हों।

पूर्व में घाव भरने में हल्दी के उपयोग पर संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान किये गये एक पेटेंट को चुनौती दी गयी थी और उक्त पेटेंट को रद्द कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में बासमती चावल पर प्रदान किये गये पेटेंट के कुछ भावों को भी चुनौती दी गयी थी, जिनसे भारत के वाणिज्यिक हितों के प्रभावित होने की संभावना थी। इन्हें बाद में निरस्त कर दिया गया।

जैव-संसाधनों को बचाने की दृष्टि से, पेटेंट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 में यह उपबंध है कि भारत में पेटेंट के लिए आवेदन करते समय, आविष्कार में उपयोग किये गये जैव पदार्थ की भौगोलिक उत्पत्ति तथा स्रोत को प्रकट करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार के उपबंध में इसमें शामिल किये गये हैं कि यदि उक्त तथ्यों को प्रकट न किया जाए अथवा गलत रूप से प्रकट किया जाए तो इन बातों को पेटेंट का विरोध करने और यदि प्रदान किया गया है, तो उसे निरस्त करवाने के आधार के रूप में लिया जा सकता है। इस संबंध में उपबंध उक्त विधेयक के खंड 8, 17 और 28 में दिये गये हैं।

परंपरागत ज्ञान को पेटेंट होने से बचाने के लिए पेटेंट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 में यह भी उपबंध शामिल किया गया है कि मौखिक ज्ञान सहित, उपलब्ध स्थानीय ज्ञान द्वारा आविष्कार के अनुमान को पेटेंट का विरोध करने और उसे निरस्त करवाने के आधारों में से एक आधार माना जायेगा। इससे संबंधित उपबंध उक्त विधेयक के खंड 17 और 28 में दिये गये हैं।

इसके अलावा सरकार ने औषधीय पौधों के क्षेत्र में परंपरागत ज्ञान का एक डिजिटल डाटाबेस तैयार करने का कार्य भी हाथ में लिया है ताकि इस प्रकार के ज्ञान के आधार पर उत्पादों को पेटेंट करने पर रोक लगायी जा सके।

[हिन्दी]

कपास की कीमतें

2958. श्री निहालचन्द चौहान:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:
श्री वीरेन्द्र कुमार:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "न्यूयार्क कॉटन एक्सचेंज" में सितंबर, 2001 की समाप्ति तक कपास की कीमतों के पिछले 15 वर्षों के दौरान अपने निम्नतम स्तर तक पहुंच जाने के कारण कपास का संकट और गहरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रघटन से देश के कपास बाजार की स्थिति खराब हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास के संकट को देखते हुए इसके व्यवस्थापन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) कपास के इस संकट से भारत पर कितना असर पड़ा है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय कपास मूल्य में गिरावट के कारण घरेलू कपास के मूल्य भी प्रभावित हुए हैं। चालू कपास मौसम 2001-02 के दौरान कपास की कुछ किस्मों के बाजार मूल्यों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम एस पी) को छू लिया है। फलस्वरूप भारतीय कपास निगम ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में समर्थन मूल्य अभियान चलाया है। तथापि, कपास के घरेलू मूल्य अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक हैं।

(घ) से (ङ) सरकार प्रति वर्ष कपास उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कपास (बीज कपास) की विभिन्न किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करती है। सरकार ने

कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करने और उद्योग को स्वदेशी कपास की अच्छी गुणवत्ता की सुनिश्चितता तथा कपास उपजकर्ताओं को अच्छे लाभ की प्राप्ति के संबंध में खेती की लागत को कम करने के उद्देश्य से कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) शुरू किया है।

[अनुवाद]

ऋणों पर एक समान ब्याज दर

2959. **श्रीमती कुमुदिनी पटनायक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय बैंक ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित ब्याज की चालू दर कितनी है;

(ख) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने का विचार कर रही है कि देश के सभी बैंक और वित्तीय संस्थाएं ऋणों पर एक समान दर से ही ब्याज लें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अर्थात् ब्याज दरों को कम किये जाने के बाद के परिदृश्य में, विभिन्न बैंकों की जमा राशि में कमी आई है और नरसिंहम (वित्तीय) समिति की सिफारिशों के अनुसार ऋण की मध्यवर्ती लागत को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के उधार-दर-ढांचे को अधिनियमित कर दिया है। बैंकों को इस बात की स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी निधियों की लागत, लेन-देन लागत आदि पर विधिवत विचार करने के पश्चात् अपनी प्राथमिक उधार दर (पी एल आर) सहित अपनी उधार दरें निर्धारित कर सकें। तथापि, 2 लाख रु. तक के ऋणों पर ब्याज की दरें बैंक के पी एल आर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पिछले दो वर्ष में समग्र उधार पर ढांचे में काफी गिरावट आई है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्राथमिक उधार दरें जो मार्च 1999 में 12.0-14.0 प्रतिशत के बीच तथा मार्च 2000 में 12.0-13.5 प्रतिशत के बीच थी, मार्च 2001 में घटकर 10.0-13.0 प्रतिशत और नवम्बर, 2001 में घटकर 10.0-12.5 प्रतिशत रह गई। इसके अतिरिक्त, बैंकों को उप-पीएलआर पर निर्यातकों सहित अपने प्राथमिक ग्राहकों को उधार देने की अनुमति दी गई है जो 19 अप्रैल, 2001 से प्रभावी है।

(घ) पिछले तीन वर्ष के लिए और साथ ही 16 नवम्बर, 2001 तक चालू वर्ष के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियां नीचे दी गई है:

समाप्त वर्ष	कुल जमाराशियां (करोड़ रु.)
मार्च 26, 1999	7,14,025
मार्च 24, 2000	8,13,344
मार्च 23, 2001	9,62,618
16 नवम्बर, 2001 तक चालू वर्ष	10,56,897

हमारी वित्तीय प्रणाली की कतिपय ढांचागत विशेषताओं को देखते हुए बैंकों तथा अन्य वित्तीय मध्यवर्तियों की मध्यस्थता लागत को कम करने की संभावना सीमित हैं।

उठाए गए कुछ कदम ये हैं:

* बैंकों को दीर्घावधि जमाराशियों पर "परिवर्ती" ब्याज दरें प्रदान करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

* निधियों की औसत लागत अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में फसी अनुप्रयोज्य आस्तियों के रूप में गैर-ब्याज परिचालन व्यय के कारण अधिक है। बैंकों की अनुप्रयोज्य आस्तियों में कमी लाने के लिए अनुप्रयोज्य आस्तियों के एक बारगी निपटान जैसे कई उपाय किए गये थे।

करावकाश

2960. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात के कच्छ जिले के भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में लगने वाली सभी नयी औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद-शुल्क का अवकाश देने के संबध में एक अधिसूचना जारी की है; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात के कच्छ जिले में उद्योग लगाने के लिए अब तक कितने औद्योगिक संस्थानों ने रुचि दिखाई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) अभी तक, गुजरात के कच्छ जिले में दो इकाइयों ने उद्योग स्थापित करने पर दिलचस्पी दिखाई है।

शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों का पुनर्वास

2961. श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चीखलीया: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ख) इसके प्रवर्तन की तिथि क्या है;

(ग) इससे, आज तिथि तक, राज्यवार कितने अशक्त व्यक्ति लाभान्वित हुए है; और

(घ) शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के विशेष कार्यक्रम की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जो 7.2.1996 से लागू हुआ, में अन्य बातों के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के निवारक तथा संवर्द्धनात्मक दोनों पहलुओं जैसे शिक्षा, रोजगार तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, नौकरी के लिए आरक्षण, अनुसंधान तथा जनशक्ति विकास, बाधामुक्त वातावरण के विकास, बेरोजगारी भत्ता तथा गम्भीर रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए गृहों की स्थापना आदि का प्रावधान है। इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए नीतिगत ढांचा, संस्थागत तंत्र तथा उपयुक्त योजनाओं का दायित्व उपयुक्त सरकारों का होता है। इस अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से वंचना और संबंधित कानूनों, नियमों, विनियमों, कार्यकारी आदेशों, दिशा-निर्देशों आदि का कार्यान्वयन न करने के संबंध में शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान है।

इस अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों सहित उपयुक्त सरकारों ने इस संबंध में विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। विकलांगता के प्रत्येक मुख्य क्षेत्र में 6 राष्ट्रीय संस्थानों/शीर्ष स्तरीय संस्थानों की स्थापना की गई है जो दीर्घावधि तथा अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जनशक्ति का विकास करते हैं, पुनर्वास सेवाएं, अनुसंधान तथा विकास आदि का प्रावधान करते हैं। इस मंत्रालय के तत्वावधान में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए गुणवत्ता वाले सहायक यंत्रों और उपकरणों का निर्माण करता है तथा उनकी उपलब्धता, आपूर्ति तथा वितरण को बढ़ावा देता है। वर्ष 1997 में स्थापित राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम विकलांग व्यक्तियों को स्व-रोजगार तथा आय सृजक कार्यकलापों के लिए आसान ऋण शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विभिन्न कार्यक्रम हेतु कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से व्यापक कवरेज तथा समग्र पुनर्वास के लिए विभिन्न कदम भी उठाये हैं। विकलांग व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जिला केन्द्र स्थापित करने के लिए एक सौ से अधिक जिलों की पहचान की गई है। मेरूदंड क्षतिग्रस्त तथा अन्य अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र (आर आर सी) संयुक्त पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना हेतु योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य/जिला/ब्लाक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर अवसंरचना के सृजन के लिए राज्य क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन पी आर पी डी) की योजना का अनुमोदन कर दिया गया है। उत्पादन क्षमता का विस्तार करने तथा गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों की उपलब्धता के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के चार सहायक उत्पादन केन्द्र स्थापित करने के लिए एक योजना का भी अनुमोदन कर दिया गया है। लक्षित समूह के कल्याण के लिए वर्ष 1999 के एक अधिनियम के द्वारा आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास स्थापित किया गया है।

चूंकि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए अनेक लाभ उन तक स्वैच्छिक संगठनों, निजी प्रबंध वाली संस्थाओं, राज्य द्वारा संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से तथा परोक्षरूप से भी पहुंचते हैं, इसलिए लाभान्वित व्यक्तियों से संबंधित वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

चंदन की लकड़ी की तस्करी

2962. श्री मणिभाई रामजी भाई चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चंदन की लकड़ी की अवैध तस्करी तेजी से बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे रोकने के लिए सरकार का कोई ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो चंदन की लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऊपर (क) और (ख) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता, तथापि, राजस्व आसूचना निदेशालय सहित सीमा शुल्क विभाग के अंतर्गत सभी क्षेत्रीय कार्यालय देश के बाहर चंदन की लकड़ी सहित सभी प्रकार के निषिद्ध माल की तस्करी को रोकने के लिए सतर्क एवं चौकस हैं।

[अनुवाद]

''इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड'' का पुनरुद्धार

2963. डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोटा स्थित ''इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड'' के पुनरुद्धार पैकेज को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने ''इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड'' की दशा सुधारने के उद्देश्य से उसे क्रयादेश देने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कंपनी के पुनरुद्धार के लिए सरकार ने अन्य कौन से उपाय किये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को वर्ष 1993 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित किया गया था। बीआईएफआर ने मार्च, 1993 में इसका पुनरुद्धार पैकेज संस्वीकृत किया जिसमें कंपनी की कारपोरेट और वित्तीय पुनर्संरचना की परिकल्पना की गई। स्कीम के तहत, सरकार ने कंपनी को निम्नलिखित सहायता दी है:

(1) 36 करोड़ रुपये का नया नगद निवेश;

(2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से 30 करोड़ रुपये;

(3) कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स के पक्ष में 25 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी।

(ग) और (घ) सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत संचार निगम लि. क्रयादेश मूल्य के 50 प्रतिशत की अग्रिम के साथ-साथ तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष मैक्स-एक्सएल की उनकी आवश्यकता का 10% क्रयादेश मुहैया करेगा।

(ङ) उपरोक्त के अलावा, सरकार ने मार्च, 2000 तक अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए बाजार से 28 करोड़ रुपये के लिए तथा कंपनी के प्रचालन में लागत कटौती प्राप्त करने के लिए जनशक्ति के युक्तिकरण हेतु 500 कर्मचारियों को वीआरएस देने के लिए 35 करोड़ रुपये की अन्य राशि के लिए अतिरिक्त सरकारी गारंटी देने का निर्णय लिया है।

पाकिस्तान द्वारा वस्त्रों के आयात से प्रतिबंध हटाना

2964. श्री सुरेश कुरूप: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत वर्ष के दौरान पाकिस्तान ने भारत से वस्त्रों के आयात पर से प्रतिबंध हटा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान पाकिस्तान को कितना वास्तविक वस्त्र निर्यात किया गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) दिनांक 1 जुलाई, 2000 से जहां तक वस्त्र मदों का संबंध है इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। (पाकिस्तान का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से शुरू होता है)।

(ख) पाकिस्तान को वर्ष 1999-2000 के दौरान 1.3 मिलियन अमरीकी डॉलर के वस्त्र निर्यात की तुलना में, वर्ष 2000-01 के दौरान 0.8 मिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात किया गया।

[हिन्दी]

बंद पड़ी चीनी मिलें

2965. योगी आदित्यनाथ: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र मंत्रालय की उत्तर प्रदेश स्थित कुछ चीनी मिलें बंद पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त चीनी मिलों का पुनरुद्धार करने अथवा इन्हें निजी क्षेत्र को विक्रीत कर देने के उद्देश्य से मंत्रालय ने कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) गणेश शुगर मिल, स्वदेशी माइनिंग एंड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी की एक एकक है जो राष्ट्रीय वस्त्र निगम (उ.प्र.) लि. की एक सहायक कंपनी है तथा परिसमपान आदेशों के अधीन है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सुपर बाजार का पुनरुद्धार

2966. श्री वाई.जी. महाजन:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री रामदास रूपला गावीत:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर-बाजार के निदेशक-मंडल ने अपने एक प्रतिवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ, संस्था को पुनरुद्धारित करने के लिए केन्द्र सरकार से 40 करोड़ रुपये के कार्य पूंजीगत-ऋण की मांग की है;

(ख) क्या प्रबंधन ने सरकार से इस बात का भी आग्रह किया है कि सुपर-बाजार के कर्मचारियों को 18 महीने की अवधि तक का वेतन, ऋण-आधार पर दिया जाए;

(ग) क्या सरकार ने सुपर बाजार की पुनरुद्धार-योजना का परीक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सुपर-बाजार की परिसंपत्तियों के बारे में ब्यौरा क्या है और इसके बंद हो जाने की दशा में अनुमानत: इसके कितने कर्मचारी/अधिकारी प्रभावित होंगे?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। कारोबार और प्रशासन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए सुपर बाजार का अपना निदेशक मंडल है। इसकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 के दौरान 11.00 करोड़ रुपये और चालू वित्तीय वर्ष में 10.50 करोड़ रुपए की धनराशि सुपर बाजार को ऋण के रूप में बंटित की गई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने सुपर बाजार के पुनरुद्धार सहित विभिन्न विकल्पों की जांच की थी। सुपर बाजार के निदेशक मंडल ने भी इसके पुनरुद्धार की सम्भावना की जांच की थी और यह निष्कर्ष निकाला था कि बिना पर्याप्त वित्तीय सहायता के उसका पुनरुद्धार करना/उसको पुन: लाभकारी बनाना सम्भव नहीं है।

(ङ) 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार सुपर बाजार में कुल 2016 कर्मचारी थे। सुपर बाजार की परिसम्पत्तियां नीचे दी गई हैं:

(लाख रुपए में)

		31.3.2001 के अनुसार (गैर-लेखा परीक्षित)
चालू परिसम्पत्तियां:		
(क)	विविध देनदार	783
	माल सूची (लागत पर)	425
(ख)	नगद और बैंक शेष	79
(ग)	अन्य विविध देनदार	83

[अनुवाद]

'प्लांटेशन कंपनियां'

2967. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन प्लांटेशन कंपनियों के संबंध में ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने आपराधिक मुकदमा दायर करने की कार्रवाई की और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने यह सूचित किया है कि सेबी (सामूहिक निवेश योजना) विनियम, 1999 की शर्तों के अनुरूप पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना, प्लांटेशन परियोजनाओं सहित सामूहिक निवेश योजनाएं संचालित करने वाली कंपनियों को निदेश दिया गया था कि निदेश की तिथि से एक महीने की अवधि के अंदर वे निवेशकों से जुटाई गई राशि वापस कर दें, जिसमें असफल रहने पर सेबी अन्य उपायों के अतिरिक्त सेबी अधिनियम के अंतर्गत आपराधिक अभियोजन प्रारंभ करेगा।

चूंकि अधिकांश कंपनियां निवेशकों को धनराशि लौटाने में असफल रहीं; अत: सेबी ने आपराधिक अभियोजन प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जो कि आरंभ में उन कंपनियों के विरुद्ध किया जाएगा जिन्होंने निवेशकों से 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि एकत्रित की थी। कंपनियों, जिनके विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, की सूची विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1	2
1.	एरो बायोटैक इंटरनेशनल लिमिटेड
2.	ग्रीन गोल्ड फारेस्ट्री लिमिटेड
3.	महाराष्ट्र एग्रोटेक लिमिटेड
4.	श्री श्रीमाल प्लांटेशन्स लिमिटेड
5.	वैल्थ एग्रो प्लांटेशन्स लिमिटेड
6.	पैन इंडिया फारेस्ट एंड लैंड डेवलपमेंट लिमिटेड
7.	इटर्नल एग्रो लिमिटेड
8.	वर्ल्ड व्यू टीक रिच लिमिटेड
9.	रेन्बो पेरेनियल कृषि लिमिटेड
10.	साउदर्न हार्टीकल्चर एंड रबर प्लांटेशन लिमिटेड
11.	एस. एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
12.	ग्रीन गोल्ड एग्रो डेवलेपमेंट लिमिटेड
13.	ग्रीन गोल्ड हार्टीकल्चर लिमिटेड
14.	ग्रीन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
15.	महाकौशल प्लांटेशन लिमिटेड
16.	फेनोमेनल प्लांटेशन्स लिमिटेड
17.	सिफनी फार्म एंड फारेस्ट लिमिटेड
18.	एडवंचर ओरचार्डस लिमिटेड
19.	आर्या प्लांटेशन्स एंड फार्म डेवलेपर्स लिमिटेड
20.	एग्रिओटेक इंडिया लिमिटेड
21.	एग्रो गोल्ड प्लांटेशन्स एंड रिसार्टस लिमिटेड
22.	क्रिस्टल बायोटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड
23.	वसुंधरा मैरीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड
24.	यंग फार्मर्स फारेस्ट्स इंडिया लिमिटेड
25.	ग्रो ग्रीन फारेस्ट (इंडिया) लिमिटेड
26.	सुरभि फारेस्ट्स इंडिया लिमिटेड
27.	एडोमेंट प्लांटेशन्स इंडिया लिमिटेड
28.	ओकारा एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
29.	एडवांटेज एग्रो इंडिया लिमिटेड
30.	ओकारा लीजिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
31.	टिंबरवर्ल्ड रिसार्ट्स एंड प्लांटेशन्स लिमिटेड
32.	स्वर्ण भूमि फारेस्ट (इंडिया) लिमिटेड
33.	मूलचन्द एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
34.	मैक्सवर्थ ऑरचार्ड्स लिमिटेड
35.	मेहना प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड
36.	परफेक्ट ग्रीनलैंड एग्रो डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड
37.	पेरुटेक सर्विसेज लिमिटेड
38.	राप्ती एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
39.	रोसल फारेस्ट (इंडिया) लिमिटेड
40.	सर्वोत्तम फारेस्ट्स लिमिटेड
41.	सेठ धनराज एग्रो (इंडिया) लिमिटेड

1	2
42.	सेठ धनराज एग्रो (इंडिया) लिमिटेड
43.	सनबीम फारेस्ट लिमिटेड
44.	यू.पी. फारेस्ट प्लांटेशन्स लिमिटेड
45.	वसुंधरा प्लांटेशन्स इंडिया लिमिटेड
46.	वीरभारित फारेस्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

बकाया आरक्षित रिक्तियां

2968. श्रीमती रीना चौधरी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) "ख" के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियों को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में पता लगाई गयी बकाया रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने बकाया रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान "पद आधारित रोस्टर" के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियों/पदों का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) संविधान के अनुच्छेद 16(4) (ख) के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसरण में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.7.2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/5/97-स्था. खंड-2 के तहत् सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों को भरने की 50% की अधिकतम सीमा केवल हाल के रिक्त पदों के लिए लागू होंगी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियां पृथक और निश्चित समूह के रूप में मानी जाएंगी तथा कोई अधिकतम सीमा के अध्यधीन नहीं होगी। तथापि, दिनांक 20.7.2000 के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर लागू नहीं होते।

(ख) से (घ) इस मंत्रालय के दो विभागों अर्थात् भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग के अंतर्गत समूह "क" के सभी पदों के संबंध में संवर्ग नियंत्रण (कॉडर कंट्रोल) कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के पास है। सभी समूह "ख" और "ग" के पदो के संबंध में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संवर्ग है सिवाए इसके कि समूह "क", "ख", "ग" और "घ" के विभिन्न श्रेणियों के पद का संवर्ग लोक उद्यम विभाग है। भारी उद्योग विभाग मात्र ग्रुप-डी के कर्मचारियों का संवर्ग कार्यालय है। भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग जिसके लिए ये संवर्ग कार्यालय हैं, में पिछले 4 वर्षों के दौरान न तो कोई पद रिक्त हुआ है और न ही कोई बैक लॉग रहा है।

दमन और दीव में उद्योगों के लिए करावकाश

2969. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया था और स्थानीय औद्योगिक-इकाइयों को करावकाश प्रदान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस निर्णय के बाद दमन में औद्योगिकीकरण के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो करावकाश प्रदान करने के लिए परिणामस्वरूप रोजगार के कितने अवसर सृजित हुए;

(घ) इससे कितने स्थानीय कुशल और अकुशल कामगारों को काम मिला; और

(ङ) स्थानीय उद्योगों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के लिए स्थानीय लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आई बी के अंतर्गत करावकाश योजना रोजगार पैटर्न पर ध्यान दिए बगैर पिछड़े क्षेत्र में किसी उद्योग की स्थापना के संबंध में लागू है और इसका उद्देश्य औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है। यद्यपि, रोजगार अवसरों में स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी यह कुदरती बात है कि औद्योगिकीकरण की वजह से स्थानीय लोगों को और अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उपक्रम ही कर प्रोत्साहनों से आकर्षित होते हैं, बल्कि औद्योगिकीकरण के कारण बहुत से सहायक एवं सेवा प्रदायी क्षेत्र भी स्थापित हो जाते हैं।

प्राकृतिक रबड़ की खरीद

2970. **श्री रमेश चेन्नितला:**
श्री कोडीकुनील सुरेश:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाजार में प्राकृतिक रबर की कुल कितनी अधिशेष मात्रा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार ने रबर बोर्ड अथवा अन्य एजेंसियों के माध्यम से बाजार से प्राकृतिक रबर की खरीद करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन एजेंसियों का प्राकृतिक रबर खरीदने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या प्राकृतिक रबर की कीमतें लगातार गिर रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) रबड़ बोर्ड के अनुमानों के अनुसार 1 सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार बाजार में प्राकृतिक रबड़ की 41,000 मी. टन की मात्रा बेशी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) प्राकृतिक रबड़ की कीमत में गिरावट 1997 में आनी शुरू हो गयी थी और इस गिरावट को रोकने और उत्पादकों को अपने उत्पाद की उचित कीमत दिलाने के लिए भारत सरकार ने एस टी सी के जरिए 1997-2001 के दौरान बाजार हस्तक्षेप किया था और प्रचलित बाजार कीमत पर लगभग 53687 मी. टन प्राकृतिक रबड़ की खरीद की थी। स्वदेशी रबड़ की खपत बढ़ाने के लिए सरकार ने अग्रिम लाइसेंसों पर प्राकृतिक रबड़ के आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। रबड़ उत्पादक अपने उत्पाद की उचित कीमत प्राप्त कर सकें इसके लिए सरकार ने अब 12.9.2001 को मात्रात्मक प्रतिबंध मुक्त प्रणाली में आयातों में वृद्धि को रोकने हेतु रबड़ की आम तौर पर सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली दोनों किस्मों अर्थात् रिब्ड स्मोक्ड शीट 4 (आर एस एस-4) और रिब्ड स्मोक्ड शीट-5 (आर एस एस-5) की न्यूनतम कीमत आयात कीमत के बराबर निर्धारित कर अधिसूचित की है। सरकार प्राकृतिक रबड़ के निर्यातकों को वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान कर रही है।

अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित रिक्तियां

2971. **श्री बृजलाल खाबरी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों की 50% की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित ''पिछली बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों'' को एक पृथक् और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों को भरे जाने वाले विशेष अभियान, आदि की समाप्ति पर उनके मंत्रालय में डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में बकाया पता लगाई गई अग्रेनीत रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनीत कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान ''पद आधारित रोस्टर'' के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियों/पदों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

'क्रेडिट सूचना ब्यूरो'

2972. डा. सी. कृष्णन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक/केन्द्र सरकार का एक 'क्रेडिट सूचना ब्यूरो' खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक खोले जाने की उम्मीद है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को कम करने की क्या वैकल्पिक प्रणाली उपलब्ध है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक और आवास विकास वित्त निगम लि. ने डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इनफार्मेशन सर्विसेज (इंडिया) प्रा.लि. और ट्रांस यूनियन इन्टरनेशनल इंक. के सहयोग से क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लि. की स्थापना की है। क्रेडिट इनफार्मेशन ब्यूरो साफ्टवेयर के कस्टमाइजेशन सहित अपनी प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना करने की प्रक्रिया में है, ताकि वह अपने परिचालन शुरू करने में समर्थ हो सकें।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

'नाबार्ड' द्वारा स्वीकृत ऋणों पर ब्याज दर

2973. श्री अम्बरीश:
श्री आर.एस. पाटिल:
श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा:
श्री विनय कुमार सोराके:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'नाबार्ड' किसानों को स्वीकृत किये गये ऋणों पर ब्याज दर बढ़ाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार किसानों को स्वीकृत किये गये ऋणों पर 'नाबार्ड' द्वारा क्या ब्याज दर वसूली गयी;

(ग) क्या बहुत-सी राज्य सरकारों ने किसानों को स्वीकृत किये गये ऋण पर ब्याज दर कम कराने के लिए केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार किसानों को स्वीकृत किये गये ऋण पर ब्याज दर कम करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बैंकों को उनके द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए ऋण देने हेतु पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक शीर्ष अभिकरण है। यह किसानों को सीधे ऋण नहीं देता है। किसानों/हिताधिकारियों के स्तर पर ब्याज की दर निर्धारित करने का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा 1994 में लागू ब्याज दर के अविनियमन की योजना के अनुसार वित्त पोषक बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। नाबार्ड ने सूचित किया है कि कृषि, सम्बद्ध एवं गैर-कृषि क्षेत्र के कार्यकलापों के लिए मीयादी ऋण के संबंध में पुनर्वित्त के लिए ब्याज की दर बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके विपरीत, नाबार्ड ने पुनर्वित्त पर सभी अभिकरणों द्वारा ग्रामीण आवास, लघु सिंचाई, भूमि विकास एवं अन्य के अधीन ऋण देने के लिए 0.5% की दर से ब्याज दर को 1 नवम्बर, 2001 से घटा दिया है। इसके अतिरिक्त, सहकारी बैंकों द्वारा नाबार्ड के पुनर्वित्त पर दिए गए 25,000 तक के ऋण 7% वार्षिक की कम ब्याज दर पर पास किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, पुनर्वित्त के लिए 2 लाख रुपए से अधिक के ऋण पर ब्याज की दरें भी सभी अभिकरणों के लिए 10.5% से घटाकर 10% कर दी गई है।

(ग) और (घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि पहले भी वर्ष 1999 में उस समय प्रभावी ब्याज दरों के पुनरीक्षण के अनुसरण में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था जिसमें इस पुनरीक्षण को वापस लेने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड को निदेश देने का अनुरोध किया गया था। नाबार्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक से जी एल सी सीमाओं पर ब्याज की दरों में उपयुक्त कमी करने का अनुरोध किया था ताकि वह अपने ग्राहकों को इसका लाभ देने में सक्षम हो सकें। भारतीय रिजर्व बैंक ने जीएलसी सीमाओं पर कमी संबंधी इन अनुरोधों को स्वीकार कर पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की थी। तथापि, जैसा कि ऊपर बताया गया है। अब ब्याज की दरों को 1 नवम्बर, 2001 से कम कर दिया गया है।

(ङ) और (च) ऊपर वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सिले-सिलाए कपड़ों/वस्त्रों का निर्यात

2974. **श्रीमती रेणूका चौधरी:**
श्री वीरेन्द्र कुमार:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री वाई.वी. राव:
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में वस्त्र निर्यातों विशेषकर सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात के लिए शुल्क वापसी की दरों की समीक्षा की है और हाल ही में उन्हें संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दरों के संशोधन से वस्त्रों/सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात पर माहवार और मात्रा-वार इसके क्या प्रभाव पड़े;

(घ) इस संबंध में वस्त्र/सिले-सिलाए वस्त्र उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या न्यूयार्क और वाशिंगटन पर 11 सितम्बर, 2001 को किए आतंकवादी हमलों से वस्त्रों/सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात प्रभावित हुआ है; और

(च) यदि हां, तो माहवार आंकड़ों सहित यह किस सीमा तक प्रभावित हुआ है और निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) सरकार द्वारा वर्ष 2001-02 के दौरान परिधान सहित वस्त्र मदों के लिए अधिसूचना सं. 29/2000-कस्टम (एन टी) दिनांक 1 जून, 2001, अधिसूचना सं. 30/2001-कस्टम (एन टी) दिनांक 22 जून, 2001, परिपत्र सं. 52/2001-कस्टम दिनांक 4 अक्तूबर, 01 तथा अधिसूचना सं. 60/2001-कस्टम (एन टी) दिनांक 26 नवंबर, 01 के माध्यम से वस्त्र मदों की सभी औद्योगिक शुल्क वापसी दरें/मूल्य सीमाएं संशोधित की गई हैं।

(ख) वस्त्र मदों विशेषतौर पर परिधान मदें, सूती/मानव-निर्मित/ऊनी फैब्रिक, हथकरघा तथा हस्तशिल्प मदों की सभी औद्योगिक शुल्क वापसी दरें, दिनांक 1 जून, 2001 की अधिसूचना द्वारा घटा दी गयी हैं। तथापि, परिधान क्षेत्र तथा मद्रास रूमाल के मामले में उत्तरोत्तर संशोधन किये गये थे और दिनांक 22.6.2001 से प्रभावी परिवर्तनों द्वारा अप्रैल की कुछ अन्य मदें वापसी की व्यवहार्यता हेतु शामिल की गई थीं। दिनांक 4 अक्तूबर के परिपत्र द्वारा ऊनी वस्त्रों, सूती हथकरघों, मानव निर्मित फाइबर की औद्योगिक यार्न, सूती फर्श आवरण आदि की वापसी दरें उत्तरोत्तर संशोधित की गईं। रेशम, सूती ग्रे-फैब्रिक, आदि की कुछ वस्त्र संबंधी मदों के संबंध में सभी औद्योगिक शुल्क वापसी दरों को दिनांक 26.11.2001 से बढ़ा दिया गया है।

(ग) से (च) वर्ष की शुरुआत से ही वस्त्र/परिधान निर्यात ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई है। जनवरी-अगस्त, 2001 के दौरान, 7980 मिलियन अमरीकी डॉलर के वस्त्र निर्यात ने वर्ष 2000 की इसी अवधि के 7665.5 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात की तुलना में 3.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है। गिरावट की इस प्रवृत्ति के लिए विभिन्न कारण रहे जिनमें वापसी दरों को घटाया जाना शामिल है परन्तु इसका मुख्य कारण अमरीका जैसे कुछ प्रमुख आयातक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी का होना था। वस्त्र उद्योग में दिनांक 1 जून, 2001 द्वारा प्रारंभिक संशोधन संबंधी अधिसूचना से ही तेजी आई थी।

मौजूदा स्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने कुछ उपाय किये हैं, जिनमें शामिल हैं:

(1) परिधान और वस्त्र निर्यातों को निरंतरता के आधार पर कोटा प्रदान करने की दृष्टि से कोटा नीतियों की पहले आओ पहले पाओ/सिले-सिलाये परिधान हकदारी प्रणालियों के अंतर्गत अधिकांश श्रेणियों के लिए व्यापक अतिरिक्त मात्राएं खोली गई हैं।

(2) पारागमन की लागत और निर्यातकों के समय को कम करने के लिए कुछ श्रेणियों के लिए ईएमडी/बीजी की राशि को कम किया गया है और कोटे को प्रयुक्त करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अंतर्गत ऐसी सभी श्रेणियों के लिए लाईसेंस की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। जिनके पास शेष वर्ष के लिए अधिशेष मात्राएं विद्यमान हैं।

(3) कुछ वस्त्र उत्पादों के लिए डीईपीबी की दरों को सुव्यवस्थित बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त, विश्व में बढ़ रही प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए घरेलू वस्त्र उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष

2001-02 के बजट में वस्त्र पैकेज की घोषणा की है। वस्त्र पैकेज के कुछ महत्वपूर्ण उपबंध है:

1. वस्त्र मदों पर उत्पाद शुल्क के ढांचे को सामान्यत: सुव्यवस्थित बनाया गया है ताकि विकास और अधिकतम मूल्य संवर्द्धन प्राप्त किया जा सके।

2. 159 विशिष्ट वस्त्र और परिधान मशीनों पर सीमा शुल्क 15% से घटा कर 5% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शटल रहित करघों सहित मशीनों की 12 मुख्य मदों पर भी प्रतिकारी शुल्क से छूट दी गई है। वर्ष 2004 तक विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में 50 हजार शटल रहित करघों को शामिल करने और 2.5 लाख विद्युतकरघों को आधुनिक बनाने के एक कार्यक्रम की घोषणा की गई है।

3. प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के अंतर्गत आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए वस्त्र उद्योग को ब्याज में से 5% की प्रतिपूर्ति की सहायता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त टीयूएफएस के अंतर्गत मशीनों के लिए मूल्यह्रास भत्ते की दर को बढ़ा कर 50% कर दिया गया है।

4. परिधानों के निर्यात के लिए अप्रैल पार्कों की स्थापना करने के प्रयोजन से वर्ष 2001-02 के बजट में 10 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त प्रमुख वस्त्र उत्पादन केन्द्रों में जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाने की योजना के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि की भी व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

भारतीय जीवन बीमा निगम के पालिसी धारक

2975. श्री उत्तमराव पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में भारतीय जीवन बीमा निगम के पॉलिसी धारकों की वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) क्या पॉलिसी धारकों के कई दावों के निपटान में बड़ा विलम्ब किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राज्य-वार ऐसे कितने दावे लंबित हैं;

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम के पॉलिसी धारकों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि वे परिपक्वता दावों का निपटान निर्धारित तिथि को अथवा उससे पूर्व करने के लिए सभी संभव प्रयास करते हैं। पॉलिसी धारकों को सूचना भेजी जाती है जिसमें उनसे डिस्चार्ज फार्म और पालिसी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है और यदि अपेक्षित सूचना निर्धारित तिथि से पूर्व प्राप्त नहीं होती तो पालिसी धारकों को बाद में पुन: स्मरण कराया जाता है। सभी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले दावों का निपटान तत्काल किया जाता है। अन्य दावों को कतिपय दस्तावेजों अर्थात् पॉलिसी दस्तावेज, वैध डिस्चार्ज फार्म, क्षतिपूर्ति (इन्डेम्निटी) फार्म, नवीनतम पता, मृत्यु प्रमाणपत्र और अस्पताल, नियोक्ता और पुलिस प्राधिकारियों इत्यादि से लिए जाने वाले अन्य संगत रिकार्डों के अभाव में बाद में निपटाया जाता है। दिनांक 30.9.2001 की स्थिति के अनुसार बकाया दावों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(घ) दावों का तत्काल निपटान करने के लिए, जीवन बीमा निगम ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें नवीनतम पता तथा अन्य संगत दस्तावेज प्राप्त करने के लिए दावेदारों से संपर्क करने हेतु क्षेत्रीय कार्मिकों को सम्मिलित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, जहां मृत व्यक्ति ने नामांकन अथवा समनुदेशन न किया हो, वहां श्रेणी-1 वैध उत्तराधिकारियों के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र पर जोर दिए बिना, मृत्यु दावों का निपटान करने की एक योजना बनाई गई है।

विवरण I

राज्य	दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार पॉलिसीधारकों की संख्या (लाख में)
1	2
हरियाणा	11.14
हिमाचल प्रदेश	4.41
जम्मू व कश्मीर	4.15
पंजाब	12.88

1	2
चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	5.30
राजस्थान	34.50
दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	25.49
उत्तर प्रदेश	75.77
मध्य प्रदेश	35.78
आंध्र प्रदेश	69.71
कर्नाटक	56.25
केरल तथा लक्षद्वीप	36.88
तमिलनाडु और पांडिचेरी	68.45
महाराष्ट्र	104.24
गोआ	3.23
गुजरात तथा दादरा नगर हवेली तथा दमन और द्वीव	57.17
पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम और अंडमान निकोबार	76.81
उड़ीसा	19.47
बिहार	38.58
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा)	21.50

विवरण II

राज्य	दिनांक 30.9.2001 की स्थिति के अनुसार बकाया परिपक्वता दावे	दिनांक 30.9.2001 की स्थिति के अनुसार मृत्यु संबंधी बकाया दावे
1	2	3
आंध्र प्रदेश	2978	4857
अरुणाचल प्रदेश	33	11
असम	3291	2890
बिहार	11805	5915
चंडीगढ़	742	327
छत्तीसगढ़	377	218
दिल्ली	9545	1687
गोआ	186	127
गुजरात	3378	2887
हरियाणा	1806	1140
हिमाचल प्रदेश	359	315
जम्मू व कश्मीर	1952	350
कर्नाटक	2357	4401
केरल	2816	1129
मध्य प्रदेश	1361	1728
महाराष्ट्र	20226	7164
मणिपुर	12	177
मेघालय	76	93
मिजोरम	206	1
नागालैंड	114	69
उड़ीसा	4669	1972
पंजाब	1888	991
राजस्थान	5229	3106
सिक्किम	314	54
तमिलनाडु	5228	5967
त्रिपुरा	54	171
उत्तर प्रदेश	12777	6093
उत्तरांचल	821	884
वनांचल	4206	905
पश्चिम बंगाल	11049	5353

[अनुवाद]

पॉम ऑयल पर आयात शुल्क

2976. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 1999 की तिथि के अनुसार पॉम ऑयल पर आयात शुल्क कितना था;

(ख) 31 अक्तूबर, 2001 के बाद पॉम ऑयल पर आयात शुल्क कितना हो गया;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने पॉम ऑयल पर आयात शुल्क कम करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो पॉम आयल पर आयात शुल्क कम करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) 31 अक्तूबर, 1999 को खाद्य श्रेणी का पॉम तेल, यदि उसे खुले अथवा थोक रूप में (आर.बी.डी. पॉम तेल, आरबी.डी. पॉम केरबेल तेल और पॉम स्टीरिन को छोड़कर) आयात किया जाता था तो उस पर कुल मिलाकर लगभग 21% आयात शुल्क लगता था। तथापि, यदि ऐसे तेल को वनस्पति के निर्माण के लिए आयात किया जाता था तो उस पर 16.5% शुल्क लगाया जाता था।

(ख) 31 अक्तूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार, खाद्य श्रेणी के अशोध्य पॉम तेल पर आयात शुल्क 65% था। खाद्य श्रेणी के शोध्य पॉम तेल पर कुल मिलाकर आयात शुल्क 92.4% था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अशोध्य पॉम तेल पर 30.10.2001 से मूल सीमा शुल्क को 75% से घटाकर 65% कर दिया गया था।

[हिन्दी]

धान का अतिरिक्त उत्पादन

2977. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में हुए अतिरिक्त धान उत्पादन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के मुकाबले कितने धान का उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या अतिरिक्त उत्पादन से भंडारण की समस्या उत्पन्न हो गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) धान के अनुमानों को समेकित नहीं किया जाता है। तथापि, सामान्यतया धान के उत्पादन के दो तिहाई को चावल का उत्पादन समझा जाता है। 2001-02 के लिए चावल का अनुमानित उत्पादन (अग्रिम) 76.42 मिलियन टन है जबकि 2000-01 के लिए अग्रिम अनुमान 86.30 मिलियन टन था।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम के पास स्थान की उपलब्धता वसूली/उपभोक्ता राज्यों में खाद्यान्नों की वसूली और उठान/बिक्री की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम एजेंसियों के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता किराये पर लेने के अलावा स्वयं अपने गोदामों और प्लिंथों का निर्माण करके भी अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित करता है। भारतीय खाद्य निगम के फील्ड अधिकारियों को भी जब कभी आवश्यक समझा जो तब अतिरिक्त भण्डारण क्षमता किराये पर लेने के लिए पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है। चावल के भण्डारण के लिए आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में राज्य भाण्डागार निगमों, राज्य सरकारों और केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा लगभग 77.79 लाख टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित करने के लिए 7 वर्ष की गारंटी दी है। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम ने 14 राज्यों में 5.88 लाख टन भण्डारण क्षमता के लिए 78 स्थानों पर प्राइवेट क्षेत्र की प्रतिभागिता के माध्यम से बनाओ और चलाओ आधार पर परम्परागत गोदामों का सृजन करने के लिए भी विज्ञापन दिया है।

जिन राज्यों ने विकेन्द्रीकृत वसूली की योजना अपनाई है वे खाद्यान्नों के भंडारण की व्यवस्था खुद करते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य एजेंसियों द्वारा अपने गोदामों में स्टाक रखा जाता है।

आयकर का भरा जाना

2978. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर देने और आयकर विवरणियां भरने के लिए जनता को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आयकर विवरणी प्रपत्र का सरलीकृत संस्करण तैयार किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आयकर एकत्रित करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक के अलावा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को अधिकृत किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष के लिए संशोधित आयकर विवरणी फार्म पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं।

(ग) अधिसूचित किए गए नए फार्म भरने में सरल हैं और इनमें शीर्षवार आय की संगणना के लिए मानकीकृत और व्यवस्थित प्रारूप की व्यवस्था है। इन्हें आयकर विभाग में जारी कम्प्यूटरीकरण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

(घ) जी, हां। भारतीय स्टेट बैंक के अलावा कई राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, जिन्हें आयकर और अन्य प्रत्यक्ष करों को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ङ) ये राष्ट्रीयकृत बैंक निम्नानुसार हैं:

(1) आंध्रा बैंक

(2) इलाहाबाद बैंक

(3) इंडियन ओवरसीज बैंक

(4) स्टेट बैंक आफ पटियाला

(5) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर

(6) स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर

(7) इंडियन बैंक

(8) कार्पोरेशन बैंक

(9) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

(10) यूको बैंक

(11) विजय बैंक

(12) पंजाब नेशनल बैंक

(13) बैंक आफ महाराष्ट्र

(14) केनरा बैंक

(15) स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

(16) स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद

(17) स्टेट बैंक ऑफ मैसूर

(18) स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र

(19) पंजाब एंड सिंध बैंक

(20) देना बैंक

(21) ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

(22) बैंक ऑफ इंडिया

(23) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(24) बैंक ऑफ बड़ौदा

(25) सिन्डीकेट बैंक

(26) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

इस समय बैंकों की ऐसी 10,000 से अधिक शाखाएं हैं जो पूरे देश में प्रत्यक्ष कर भुगतानों की जमा की जाने वाली राशियों को प्राप्त कर रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों में कमी करना

2979. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारी उद्योगों में कुछ सुधार लाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए चयनित उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारी उद्योगों में निवेश किये गये अपने शेयर घटाने के संबंध में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) सरकार का सतत् प्रयास रहा है कि जहां कहीं उपयुक्त हो, साधन जुटाकर जैसे कि बीआईएफआर के जरिए पुनरुद्धार करके और प्रौद्योगिकी, वित्त और विपणन तथा कामगारों का युक्तिकरण करके संयुक्त उद्यम के गठन की ओर निरन्तर प्रयास बनाया रखा जाए। जहां तक भारी उद्योग विभाग के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, बीआईएफआर ने सरकारी क्षेत्र के 12 उपक्रमों के मामले में पुनरुद्धार योजनाओं को स्वीकृति दी है जिसमें 637 करोड़ रुपये का नकद निवेश और 2063 करोड़ रुपये का वित्तीय पुनर्गठन शामिल है और कार्यान्वयनाधीन है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भी अपने स्तर पर 7 अन्य रुग्ण/घाटा उठा रही कंपनियों के वित्तीय पुनर्गठन को अनुमोदित किया है जिसमें नकद निवेश की राशि 531 करोड़ रुपये और वित्तीय पुनर्गठन की राशि 1443 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में विनिवेश के संबंध में सरकार की नीति, सरकारी क्षेत्र के गैर नीतिगत सभी उपक्रमों में सरकार की इक्विटी को घटाकर 26% करना और यदि आवश्यक हो तो इसे भी कम किया जा सकता है।

[अनुवाद]

यू.टी.आई. और आई.डी.बी.आई. की अनुप्रयोज्य आस्तियां

2980. श्री अनन्त गुढ़े: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अद्यतन आकलन के अनुसार यू.टी.आई. और आई.डी.बी.आई. की अनुप्रयोज्य आस्तियां कितनी हैं; और

(ख) यू.टी.आई. और आई.डी.बी.आई. को पुन: सामान्य स्थिति में लाने हेतु उनके पुनर्गठन के लिए उठाये गये/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) यू.टी.आई. और आई.डी.बी.आई. के अनुसार यू.टी.आई. की गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियां क्रमश: 30.9.2001 की स्थिति के अनुसार 1784.98 करोड़ रु. (अनंतिम) और 31.3.2001 को स्थिति के अनुसार 8370.57 करोड़ रु. है।

(ख) जुलाई, 2001 में श्री वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यू.टी.आई.) द्वारा गठित "कारपोरेट पोजिशनिंग कमेटी" ने अक्तूबर, 2001 में अपनी रिपोर्ट यू.टी.आई. को प्रस्तुत कर दी है। अन्य बातों के साथ-साथ समिति ने सिफारिश की है कि यू.टी.आई. की रूपरेखा सेबी (म्युचुअल फंड) विनियमों के अनुरूप होनी चाहिए। तदनुसार, इसमें (1) एक प्रायोजक (2) एक न्यासी कंपनी, और (3) एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (ए एम सी) होगी।

यू.टी.आई. के न्यासी बोर्ड ने 30 अक्तूबर, 2001 को हुई अपनी बैठक में रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है ताकि सभी पणधारियों के विचार प्राप्त किए जा सकें। "कारपोरेट पोजिशनिंग कमेटी" संबंधी यू.टी.आई. के न्यासी बोर्ड का सरकार को एक बार जवाब मिल जाने पर उचित कार्रवाई करने पर विचार किया जायेगा।

आई.डी.बी.आई. ने सूचित किया है कि पुनर्संरचना के लिए किए गए प्रस्तावित उपायों में वैश्विक बैंकिंग की ओर बढ़ाना शामिल है। एक चल सकने योग्य कारोबार मॉडल का विकास करने, निधियों की लागत को कम करने और अपने कारोबार के विविधीकरण के लिए आई.डी.बी.आई. स्वयं को "यूनिवर्सल बैंक" में बदलने के लिए कदम उठाएगा।

कर्जदारों पर ब्याज

2981. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य के कुल राजस्व में से आधे अंश का भुगतान कर्जदारों को ब्याज के रूप में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा किया गया ब्याज भुगतान निम्नानुसार है:

वर्ष	राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान
1997-98	49.02 प्रतिशत
1998-99	52.10 प्रतिशत
1999-2000	49.72 प्रतिशत
2000-2001 (सं.अ.)	48.43 प्रतिशत
2001-2002 (ब.अ.)	48.46 प्रतिशत

(ग) सरकार ने कई व्यय प्रबंध उपाय किए हैं जैसे शून्य-आधारित बजट बनाना, आर्थिक सहायताओं की समीक्षा और उनका यौक्तिकीकरण, कर्मचारियों के नियुक्ति मानदंडों की समीक्षा करना और सरकार का आकार छोटा करना, प्रशासित ब्याज दरों में कमी आदि और वह राजस्व और राजकोषीय घाटे को रोकने के लिए कर संग्रहण बढ़ाने हेतु सभी प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने ''राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध विधेयक'' नामक विधेयक दिनांक 21 दिसम्बर, 2000 को लोक सभा में प्रस्तुत किया है। विधेयक अन्य बातों के साथ-साथ एक समय-सीमा में राजस्व घाटा दूर करने, राजकोषीय घाटा कम करने और सकल घरेलू उत्पाद के समानुपात में लोक ऋण की वृद्धि रोकने के लिए कानूनी और संस्थात्मक ढांचा प्रदान करता है।

ग्यारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट

2982. श्री पी.आर. किंडिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवें वित्त आयोग ने केन्द्र से हस्तांतरित किये जाने वाले कुल संसाधनों में से पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा घटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) राज्यों की अपेक्षाओं के अपने आकलन और क्षैतिज साम्यता की जरूरत को ध्यान में रखते हुए वित्त आयोग राज्यों के बीच अंतरणों के हिस्से को निर्धारित करने के लिए समय-समय पर मानदण्ड विनिर्धारित करता रहता है। 1995-2000 में दसवें वित्त आयोग द्वारा 22289.03 करोड़ रुपये की संस्तुति की तुलना में ग्यारहवें वित्त आयोग ने 2000-05 की निर्णयावधि में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 34753.35 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित अंतरण की सिफारिश की है। यह दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों की तुलना में ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि में 55.9 प्रतिशत की बढ़त को दर्शाता है।

केन्द्रीय करों और शुल्कों के अंतरण और राज्यों के लिए सहायता अनुदान की प्रमात्रा के संबंध में ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं।

[हिन्दी]

नि:शक्तों के लिए कल्याण केन्द्र

2983. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में नि:शक्तों के लिए उत्तर प्रदेश में कितने कल्याण केन्द्र चल रहे हैं; और

(ख) इन केन्द्रों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य में नि:शक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्रदत्त 17 सरकारी संगठन तथा 87 गैर-सरकारी संगठन हैं। ये संगठन सहायक यंत्रों/उपकरणों को खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप) के अंतर्गत कम लागत तथा गुणवत्ता वाले सहायक यंत्र तथा उपकरण प्रदान करते हैं और विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उपचार एवं पुनर्वास के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करते हैं।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पादों के लिए निर्यात प्रोत्साहन पैकेज

2984. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगस्त, 2001 के बाद निर्यातकों हेतु विशेष निर्यात प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गयी है;

(ख) क्या उक्त पैकेज में समुद्री उत्पादों, मसालों और रबर के निर्यात को प्रोत्साहन देने वाले उपाय समाविष्ट हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अफगानिस्तान में युद्ध के कारण समुद्री उत्पादों का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है जिसके परिणामस्वरूप भारी धनराशि की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) जी, हां। निर्यात बढ़ाने के लिए

अनेक उपाय किये गये हैं उनमें शामिल हैं-लदान पूर्व और लदान पश्चात् दोनों ऋणों के लिए निर्यात ऋण दर में कमी, 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की निर्यात संविदा वाले विनिर्माता निर्यातकों को अक्तूबर, 2001 से एक वर्ष की अवधि के लिए विशेष ब्याज दर पैकेज, लैटिन अमरीकी देशों को किए गए निर्यातों के मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए 180 दिन की सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को बढ़ाकर 360 दिन करना, शुल्क वापसी की दरों का उर्ध्वगामी संशोधन करना, डी ई पी बी योजना के तहत मूल्य सीमा का हटाना और निर्यात दायित्व की अवधि को 6 महीनों के लिए बढ़ाना।

(घ) हमारे समुद्री निर्यातों पर अफगानिस्तान में युद्ध के प्रभाव का सही-सही मूल्यांकन अक्तूबर और नवम्बर, 2001 के लिए निर्यात संबंधी आंकड़े प्राप्त होने के बाद ही किया जा सकता है। तथापि, यूएसए में 11 सितम्बर, 2001 को हुए घटना से हमारे समुद्री उत्पाद के निर्यात प्रभावित हुए हैं जैसा कि नीचे दिए गए निर्यात संबंधी आंकड़ों से स्पष्ट होता है:

मापदण्ड	सितम्बर, 2001	सितम्बर, 2000	% परिवर्तन
मात्रा (टन में)	28548	33003	-13.5
मूल्य (करोड़ रुपये में)	397.12	585.92	-32.2
मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)	82.73	128.92	-35.8

स्रोत: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा)

(ङ) एम्पीडा द्वारा वर्तमान संकट की अवधि के दौरान भी समुद्री उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने की गुंजाइश के बारे में निर्यातकों को जागरूक करने के लिए भारत में विभिन्न केन्द्रों पर सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा, न्यूयार्क स्थित उनके व्यापार संवर्धन कार्यालय के माध्यम से बाजार आसूचना एकत्रित की जाती है और समय-समय पर इसका प्रसार व्यापार जगत में किया जाता है।

विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल

2985. श्रीमती प्रभा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 9 से 13 नवम्बर, 2001 के बीच दोहा, कतर में हुए विश्व व्यापार संगठन के चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत के सरकारी प्रतिनिधिमंडल में गैर-सरकारी प्रतिनिधि भी शामिल थे;

(ख) यदि हां, तो सरकारी प्रतिनिधिमंडल में गैर-सरकारी लोगों को शामिल करने के क्या मानदंड थे; और

(ग) गैर-सरकारी लोगों के नाम क्या हैं और जिन्होंने किन संगठनों का प्रतिनिधित्व किया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) डब्ल्यूटीओ सम्मेलन में पारित किये गये निर्णयों से किसी सदस्य देश के व्यापार और उद्योग पर प्रभाव पड़ता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी चिंताएं समुचित रूप से प्रस्तुत की जाती हैं और अन्य सदस्यों द्वारा उन पर सहमति व्यक्त की जाती है, सरकार ने शीर्षस्थ उद्योग एसोसिएशनों अर्थात भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की), भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (फिओ), भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई), और दि एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसोचैम) से दो-दो प्रतिनिधियों को डब्ल्यू टी ओ के चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मलेन के लए सरकारी भारतीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने का निर्णय लिया था। सिएटल में 1999 में आयोजित डब्ल्यू टी ओ के तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सरकारी शिष्टमंडल में भी उद्योग के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। तथापि, सम्मेलन में भाग लेने के लिए उद्योग के प्रतिनिधियों के संबंध में आई पूर्ण लागत उनके द्वारा ही वहन की गई थी। उद्योग के प्रतिनिधियों के बारे में निर्णय उनके परामर्श से किया गया था। सरकारी भारतीय शिष्टमंडल के एक भाग के रूप में दोहा में आयोजित डब्ल्यू.टी.ओ. के चौथे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारतीय उद्योग के निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने भाग लिया:

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों का परिसंघ (फिक्की)

1. डा. अमित मित्रा, महा-सचिव, फिक्की
2. श्री ए.एस. कास्लीवाल, फिक्की

भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई)

श्री आर. सेशासयी, अध्यक्ष, सी आई आई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति

दि एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसोचैम)

1. श्री जयंत भुर्या, महासचिव, एसोचैम
2. श्री अरविन्द जौली, एसोचैम (इंडियन मर्चेंट्स एसोसिएशन)

परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

2986. **श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की कार्यविधियों को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) यह मामला सरकार की जांच के अधीन है। सरकार ऐसी कम्पनियां स्थापित करने में अंतर्ग्रस्त कानूनी और अन्य मुद्दों का अध्ययन कर रही है।

अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण

2987. **श्री मोहन एस. देलकर:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों और विषयों में अधिकारियों की अकादमिक, प्रबंधकीय, तकनीकी और प्रशासकीय क्षमताओं को बेहतर बनाने हेतु उन्हें प्रतिष्ठित विदेशी संस्थाओं में प्रशिक्षण के लिए चयनित/प्रायोजित/नामित/प्रतिनियुक्त करती है जबकि कुछ मामलों में द्विपक्षीय/अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत प्रशिक्षण का खर्च प्रायोजित देश/एजेंसियों द्वारा उठाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय से कितने लोगों को लघु/दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भेजा गया;

(ग) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों की संख्या और प्रतिशतता कितनी थी;

(घ) क्या ऐसे अवसरों का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों से संबधित लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रावधान किये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या
1999	02
2000	06
2001	शून्य

(ग) ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1999	शून्य	शून्य	शून्य
2000	01 (16.67%)	शून्य	शून्य
2001	शून्य	शून्य	शून्य

(घ) और (ङ) विदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों का नामांकन करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाता है जो ऐसी श्रेणियों से आवेदनों/नामांकनों की उपलब्धता और ऐसे आवेदनों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड की पूर्ति के अध्यधीन होता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र का विकास

2988. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वदेशी जनजातीय लोगों को प्रोत्साहित करने तथा निर्यात गुणवत्ता वाले वस्त्रों और उत्पादों का उत्पादन

करने में उनको वित्तीय रूप से उबारने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र क्षेत्र का विकास करने हेतु कोई प्रभावी तथा सकारात्मक नीति संबंधी निर्णय लेने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जी, हां। वस्त्र क्षेत्र में हथकरघा, रेशम उत्पादन और हस्तशिल्प, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के तीन अति महत्वपूर्ण संभावित क्षेत्र हैं। 42 करोड़ रु. की बजटीय सहायता इस क्षेत्र में इन क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजना स्कीमों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मंत्रालय के चालू वर्ष के बजट में अलग से रखी गई है। लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का केन्द्रीय हिस्सा 75 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से बढ़कर 90 प्रतिशत तक करना;

(2) दो प्रमुख योजनाओं अर्थात दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना और बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के क्रियान्वयन में लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी के साथ सामूहिक दृष्टिकोण;

(3) बहु-फसलीय आधारित संकर ब्रीड शहतूत रेशम के संवर्द्धन के अतिरिक्त एरी और मूगा के लिए एक समन्वित कृषि प्रणाली;

(4) हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादन के विकास में व्यापक भूमिका निभाने के लिए पूर्वोत्तर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम (एन इ एच एच डी सी) का पुनर्गठन और वस्त्र तथा वस्त्र आधारित क्रियाकलापों को बाजार सहायता का प्रावधान; और

(5) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन एच डी सी) की गुवाहाटी शाखा का राज्य द्वारा संचालित अभिकरणों/ डिपो के माध्यम से बुनकरों को यार्न की आपूर्ति हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर तक उन्नयन करना।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्टॉक एक्सचेंजों का निगमीकरण किया जाना

2989. श्री बहादुर सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने स्टॉक एक्सचेंजों को निगमित करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए खुले प्रस्ताव हेतु मूल्य निर्धारण संबंधी मानदंडों में सुधार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) स्टॉक बाजारों में संस्थागत तंत्रों और व्यापक व्यवहारों में सुधारों के दृष्टिगत सरकार का सभी स्टॉक एक्सचेंजों को परस्परीकरण रहित करने का प्रस्ताव है जिसके द्वारा स्वामित्व, प्रबंधन और व्यापार सदस्यता एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इससे निम्न में सहायता मिलेगी:

* एक्सचेंजों के प्रबंधन का और व्यवसायीकरण और हितों के टकराव की समाप्ति;
* कंपनी संचालन के सर्वोत्तम व्यवहारों का बेहतर अनुपालन;

एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण करने और बेहतर निवेशक सेवा प्रदान करने के लिए बाजार से निधियां जुटाने की स्टॉक एक्सचेंजों की क्षमता को बढ़ाना।

सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने इस बारे में कार्रवाई आरंभ कर दी है।

(ग) और (घ) सेबी ने सूचित किया है कि विनिवेश विभाग ने सेबी से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए खुली पेशकशों हेतु विद्यमान मूल्य निर्धारित मानदंडों को आशोधित करने का अनुरोध किया है, जो कि सेबी के जांचाधीन है।

अहमदाबाद से केन्द्रीय राजस्व संग्रहण करना

2990. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय राजस्व में अहमदाबाद की तुलना में हैदराबाद, बंगलौर और चेन्नई शहरों का वर्ष-वार योगदान कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): महोदय, शहर-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि क्षेत्र/मंडल के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की वर्ष-वार कुल वसूली

जिनमें ये शहर और इनके आस-पास के क्षेत्र शामिल हैं, निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ों में)

	1998-99	1999-2000	2000-2001
हैदराबाद क्षेत्र/मंडल	4070.52	4850.03	5526.92
बंगलौर क्षेत्र/मंडल	7599.93	9418.40	10950.80
चेन्नई क्षेत्र/मंडल	10640.40	13262.38	15320.64
अहमदाबाद क्षेत्र/मंडल	3946.38	4811.78	5118.54

बधिर लोगों के लिए मानक चिह्नों वाली भाषा का विकास

2991. श्री सुरेश रामराव जाधव:
डा. जसवंतसिंह यादव:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बधिर लोगों के लिए एक मानक चिह्न वाली भाषा विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बधिर लोगों के भाषा संबंधी कौशल का मानकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) बधिर व्यक्तियों के लिए मानक संकेत भाषा विकसित करने की आवश्यकता पर राय में विविधता है। तथापि, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान ने इस संबंध में अनुसंधान प्रस्ताव शुरू किये हैं। अन्य संस्थाओं ने भी इस क्षेत्र में सामग्री तैयार की है।

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति

2992. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी अब तक की सबसे सरल मौद्रिक नीति की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मौद्रिक नीति में प्रमुख बातों/परिवर्तनों से संबंधित ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सामान्य मुद्रास्फीति दर, उच्च विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डार, खाद्यान्नों के विस्तृत भण्डार और कृषि विकास की अच्छी संभावनाओं में यथा परिलक्षित अर्थव्यवस्था के संतोषजनक मूल तत्वों को ध्यान में रखते हुए 22 अक्तूबर, 2001 को जारी की गई वर्ष 2001-02 की मौद्रिक एवं ऋण नीति की मध्यावधिक पुनरीक्षा में जैसा कि कहा गया है कि मौद्रिक नीति निम्नलिखित पर जोर देती रहेगी:

(1) मूल्य स्तरों की घट-बढ़ पर निगरानी बनाये रखते हुए निवेश मांग की समर्थन बहाली एवं ऋण (क्रेडिट) वृद्धि को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी का प्रावधान, और (2) उभरी हुई परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार नरमी को प्राथमिकता देते हुए वर्तमान स्थिर ब्याज दर संरचना को जारी रखने के लिए मध्यावधि में ब्याज दर प्रणाली को अधिक लचीलापन प्रदान करने के संपूर्ण ढांचे के अंतर्गत प्रावधान। मध्यावधिक पुनरीक्षा की विशेषतायें/परिवर्तन इस प्रकार हैं:

* बैंक दर को 7.0 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत करके 0.50 प्रतिशत प्वाइंट की कटौती जो मई, 1973 से सबसे कम बैंक दर है।
* नगदी प्रारक्षित अनुपात (सी.आर.आर.) 7.5 प्रतिशत से 5.5 प्रतिशत करके 200 आधार प्वाइंट की कटौती।
* सभी छूटों को (अंतर बैंक देनदारियों को छोड़कर) वापस लेने के साथ-साथ सी.आर.आर. में कटौती के सम्मिलित प्रभाव से बैंकिंग प्रणाली के उधार देने योग्य संसाधनों में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी।
* भारतीय रिजर्व बैंक में रखे गए पात्र नगद-बकाया राशियों पर ब्याज 3 नवम्बर, 2001 से शुरू होने वाले पखवाड़े से बैंक दर (अर्थात् 6.5 प्रतिशत) पर होगा।

किसानों को अल्पावधि ऋण

2993. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बैंकों द्वारा छोटे किसानों को दिया जाने वाला लाभकारी अल्पावधि ऋण बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किसानों को दिए जाने वाले अल्पावधि ऋण को बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी उद्योग की रुग्णता को नियंत्रित करने के लिए उन्नत किस्म का और गन्ना उत्पादित करने हेतु किसानों की मदद करने के लिए नियमित गन्ना विकास ऋण योजना के साथ-साथ आसान शर्तों पर अल्पावधि ऋण योजना पुन: प्रारम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि छोटे किसानों को अल्पावधिक ऋण संवितरण बैंकों द्वारा बंद नहीं किए गए हैं। इसके बजाए, छोटे और सीमांतक किसानों के लिए ऋण के प्रवाह को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे उधारकर्ताओं को मार्जिन राशि अपेक्षाओं, प्रतिभूति मानदण्डों आदि के संबंध में कतिपय छूटें प्रदान की गई हैं। इन छूटों में ये शामिल हैं: 10,000 रुपए तक मंजूर किए गए फसल ऋणों/सावधि ऋणों पर मार्जिन राशि बैंकों द्वारा जोर न दिया जाना, 10,000 रुपए तक के फसल ऋणों के लिए सम्पार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पक्ष गारंटी पर जोर न देना, 10,000 रुपए से अधिक के ऋणों पर मार्जिन/प्रतिभूति से संबंधित मामलों में बैंकों को विवेकाधिकार, नियत ऋण/किस्तों की वापसी अदायगी के समय ब्याज के भुगतान पर जोर, दीर्घावधि फसल ऋण और दीर्घावधि ऋणों के संबंध में अदेय किस्तों से संबंधित चालू देयराशियों पर चक्रवृद्धि ब्याज न लगाना तथा छोटे और सीमांतक किसानों के खाते नामे डाला गया कुल ब्याज के मूलधन की राशि से अधिक न होना आदि।

[हिन्दी]

देश में उद्योग

2994. राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991 से आज तक प्रत्येक राज्य में लघु उद्योग, गैर-लघु उद्योग क्षेत्र में कितने उद्योग स्थापित किए गए;

(ख) प्रत्येक राज्य में उक्त अवधि के दौरान कितने उद्योग बंद किए गए; और

(ग) सरकार द्वारा राज्यों में और उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) लघु औद्योगिक इकाइयों और गैर-लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) लेबर ब्यूरो, श्रम मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तैयार एक विवरण-पत्र जिसमें बंद इकाइयों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) उदार औद्योगिक नीति के तहत, उद्योगों की स्थापना करना उद्यमियों के व्यावसायिक निर्णयों पर निर्भर रहता है जो कि राज्य सरकारों द्वारा बुनियादी अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने और अन्य प्रोत्साहन दिये जाने के रूप में उनके द्वारा की गई पहलों पर निर्भर करता है। केन्द्र सरकार अनेक योजनाओं जैसे कि विकास केन्द्र योजना, एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्र योजना और अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है।

विवरण I

पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों एवं गैर-लघु औद्योगिक इकाइयों के राज्यवार विवरण

राज्य का नाम	दिसंबर, 2000 तक की अवधि में स्थाई पंजीकरण मंजूरशुदा लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या	अगस्त, 1991 से अक्तूबर, 2001 तक की अवधि में पंजीकृत गैर-लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या
1	2	3
अंडमान एवं निकोबार	1235	0
आंध्र प्रदेश	129939	402
अरुणाचल प्रदेश	640	2
असम	24638	29
बिहार	125955	17
छत्तीसगढ़	*	42

1	2	3
चंडीगढ़	3062	5
दादर एवं नगर हवेली	1185	51
दमन एवं द्वीव	1727	59
दिल्ली	25409	52
गोवा	6038	72
गुजरात	182233	962
हरियाणा	54895	368
हिमाचल प्रदेश	16969	31
जम्मू और कश्मीर	30817	9
झारखंड	*	33
कर्नाटक	166154	197
केरल	216184	90
लक्षद्वीप	77	0
मध्य प्रदेश	282207	284
महाराष्ट्र	148101	924
मणिपुर	5728	0
मेघालय	2802	4
मिजोरम	4508	0
नागालैंड	1276	0
उड़ीसा	20056	27
पांडिचेरी	5033	33
पंजाब	153941	286
राजस्थान	86071	298
सिक्किम	334	0
त्रिपुरा	2103	0
तमिलनाडु	338836	587
उत्तर प्रदेश	394284	485
उत्तरांचल	*	25
पश्चिम बंगाल	152308	239
एक से अधिक राज्यों में अवस्थित		17
योग	2584745	5630

*तीन नये राज्य अर्थात छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल राज्यों के आंकड़े क्रमश: मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के आंकड़ों में समाविष्ट हैं।

विवरण II

1991 से सितम्बर, 2001 की अवधि में बंद इकाइयों के राज्यवार विवरण (अनंतिम)

राज्य का नाम	इकाइयों की संख्या
1	2
अंडमान एवं निकोबार	1
आंध्र प्रदेश	30
अरुणाचल प्रदेश	0
असम	3
बिहार	22
छत्तीसगढ़	0
चंडीगढ़	55
दादर एवं नगर हवेली	4
दमन एवं द्वीव	2
दिल्ली	6
गोवा	32
गुजरात	322
हरियाणा	51
हिमाचल प्रदेश	19
जम्मू और कश्मीर	0
झारखंड	0

1	2
कर्नाटक	25
केरल	35
लक्षद्वीप	0
मध्य प्रदेश	25
महाराष्ट्र	237
मणिपुर	0
मेघालय	1
मिजोरम	0
नागालैंड	0
उड़ीसा	61
पांडिचेरी	166
पंजाब	68
राजस्थान	63
सिक्किम	0
त्रिपुरा	383
तमिलनाडु	114
उत्तर प्रदेश	465
उत्तरांचल	0
पश्चिम बंगाल	41
योग	2231

[अनुवाद]

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्त पद

2995. श्री अमर राय प्रधान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार उनके मंत्रालय में और उनके मंत्रालय के अधीन विभागों में नि:शक्त शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की पद-वार, श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) 31 अक्टूबर, 2001 की स्थिति के अनुसार नि:शक्त शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के पद-वार, श्रेणी-वार कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ग) आज तक ऐसे पदों पर पद-वार, श्रेणी-वार कितने नि:शक्त/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया; और

(घ) इनके कब तक भरे जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

पंचायत के विकास हेतु निधियां

2996. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंचायतों के विकास हेतु कर्नाटक राज्य को दसवें वित्त आयोग की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि जारी की गई;

(ख) उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस राज्य को शेष किस्त की राशि किस तारीख तक जारी कर दी जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के विकास के लिए दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत आबंटित 221.77 करोड़ रुपये की समग्र राशि केन्द्र सरकार द्वारा कर्नाटक को जारी कर दी गई है।

(ख) निर्गमों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नवत है:

वर्ष	पी.आर.आई. के लिए दसवें वित्त आयोग द्वारा आबंटित अनुदान	जारी किए गए अनुदान
1996-97	55.44	55.44
1997-98	55.44	13.86
1998-99	55.44	41.58
1999-2000	55.45	110.89
कुल	221.77	221.77

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आजम जाही मिल, वारंगल में प्रोसेस हाउस को पुनः खोलना

2997. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के माध्यम से आजम जाही मिल, वारंगल में प्रक्रम गृह प्रारंभ करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे चरणबद्ध रूप में अंततः आजम जाही मिल पुनः चालू हो सकती है;

(ग) क्या सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं; और

(ङ) आजम जाही मिल, वारंगल में प्रोसेस हाउस के कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। हालांकि, आजम जाही मिल्स, वारंगल के प्रसंस्करण गृह के पुनरुद्धार हेतु राज्य सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ख) से (ङ) व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के बाद, परिचालन अधिकरण ने मिल को बंद करने की सिफारिश की है। बी आई एफ आर ने राज्य सरकार सहित सभी अधिकरणों की आपत्तियों और सुझावों के लिए प्रारूप पुनर्वासन योजना परिचालित की है। एकक के पुनरुद्धार अथवा इसे बंद करने के संबंध में अंतिम निर्णय बी आई एफ आर द्वारा लिया जाना है।

[हिन्दी]

देश में सीमेंट संयंत्र

2998. श्री राजो सिंह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने सीमेंट संयंत्र कार्य कर रहे थे;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में उनमें से कितने सीमेंट संयंत्र बंद किए गए;

(ग) इस समय प्रत्येक राज्य में वास्तव में कितने सीमेंट संयंत्र कार्य कर रहे हैं; और

(घ) बंद सीमेंट संयंत्रों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सरकार ने रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए अनेक उपाय किये हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समामेलन तथा रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) की स्थापना करना सम्मिलित हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रत्येक राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यशील सीमेंट संयंत्रों की संख्या	उक्त अवधि के दौरान उनमें से बन्द किये गये सीमेंट संयंत्रों की संख्या	इस समय प्रत्येक राज्य में वास्तव में कार्य कर रहे सीमेंट संयंत्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	1	1	–
2.	पंजाब	2	–	2
3.	राजस्थान	14	–	14

1	2	3	4	5
4.	हिमाचल प्रदेश	3	–	3
5.	दिल्ली	1	1	–
6.	जम्मू तथा कश्मीर	1	–	1
7.	असम	1	–	1
8.	मेघालय	1	–	1
9.	बिहार	1	–	1
10.	झारखण्ड	5	2	3
11.	उड़ीसा	3	–	3
12.	प. बंगाल	3	–	3
13.	छत्तीसगढ़	9	2	7
14.	आन्ध्र प्रदेश	21	2	19
15.	तमिलनाडु	12	–	12
16.	कर्नाटक	8	2	6
17.	केरल	1	–	1
18.	गुजरात	10	1	9
19.	महाराष्ट्र	7	–	7
20.	उत्तर प्रदेश	6	3	3
21.	मध्य प्रदेश	10	1	9
	कुल	120	15	105

[अनुवाद]

सीमा/उत्पाद शुल्क से मुक्त उपस्कर

2999. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर उद्योगों/प्रयोक्ताओं को सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क पर दरों में छूट मिलती है;

(ख) यदि हां, तो मुक्त किए गए उपस्करों के नाम क्या हैं;

(ग) 1999, 2000, 2001 के दौरान आज तक लाभान्वित हुई कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक कम्पनी को कितना लाभ प्राप्त हुआ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) फिलहाल, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण पर सीमा शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क में कोई रियायत लागू नहीं है।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते।

धान और गेहूं की खरीद नीति

3000. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू मौसम में विशेषकर धान तथा गेहूं के लिए सरकार की वास्तविक खरीद नीति क्या है;

(ख) क्या सम्पूर्ण देश में विशेष सरकारी खरीद सुनिश्चित की जा सकती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) वर्तमान नीति के तहत सरकार मूल्य समर्थन प्रचालनों के अधीन भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से उन समस्त खाद्यान्नों की वसूली करती है जो उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होते हैं। तथापि, उत्पादकों के पास यह विकल्प होता है कि वे अपना उत्पाद समर्थन मूल्यों पर भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकार को अथवा खुले बाजार जैसा भी उन्हें लाभकारी हो, में बेच सकते हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठते।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

3001. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जमा पर ब्याज दर में 1.5% तक कटौती करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक के इस निदेश के विशिष्ट कारण क्या हैं;

(ग) क्या इससे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमा संग्रहण पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनकी अर्थक्षमता बनाए रखने के लिए किस प्रकार मदद करेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंककारी कंपनियों के अलावा) और निधि और चिट फण्ड कंपनियों द्वारा देय जमाराशियों पर ब्याज की अधिकतम दर 31 अक्तूबर, 2001 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14% वार्षिक से घटाकर 12.5% वार्षिक की गई है जो 1 नवम्बर, 2001 से प्रभावी है। नई दर केवल नई जमाराशियों और विद्यमान जमाराशियों के नवीकरण पर 1 नवम्बर, 2001 को और उक्त तारीख से लागू होगी।

(ख) अपनी जमाराशियों पर एनबीएफसी द्वारा ब्याज की दर में कमी, वित्तीय प्रणाली में जमाराशियों पर सामान्य रूप से विद्यमान ब्याज दर के साथ सम्मिलित करने के लिए की गई है।

(ग) और (घ) ब्याज दर में कटौती से उगाही हुई निधियों की लागत में कमी आएगी और जमाराशियों की क्रय-विक्रय दरों में वृद्धि होगी। उधारों की घटी हुई लागत से एनबीएफसी को अपने उधार की ब्याज दर में प्रतियोगिता बनाए रखने में सहायता मिलेगी, इस प्रकार से वे अपने कारोबार की मात्रा को बनाए रखेंगी और अपने मार्जिन और लाभप्रदता को बनाए रखेंगी।

शुल्क प्रति अदायगी की वापसी

3002. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ''मर्चेंट एक्सपोर्ट्स'' को भी निर्यातों पर शुल्क प्रति अदायगी की उच्च दरों की वापसी का पात्र बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस नयी नीति से किन निर्यात वस्तुओं को लाभ होगा; और

(ग) सरकार भारत से निर्यातों में गिरावट की प्रवृत्ति को किस सीमा तक उलट पाएगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) सभी उद्योगों के लिए शुल्क वापसी की दरें निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों पर दिए गए शुल्कों के बारे में निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की औसत निकालते हुए तैयार की जाती हैं। इन दरों को स्वीकार करते समय निर्यातकों की किसी भी श्रेणी में विभेद नहीं किया जाता है। व्यापारी निर्यातकों को उच्च शुल्क वापसी का पात्र बनाने हेतु सरकार द्वारा निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

पूंजीगत वस्तुओं का आयात

3003. **श्री वाई.वी राव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के आयात में 15.1 प्रतिशत की गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो किए गए आयात का ब्यौरा क्या है और आयात में आई गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) व्यापार की विकास दर पर इसके क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, नहीं। वास्तव में अप्रैल-अगस्त, 2001 के दौरान पूंजीगत सामान के आयात में पूर्ववर्ती वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 15.3% की वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3004. श्री किरीट सोमैया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति न देने के अपने पहले के निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निर्णय मैकेंजी रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारत पर खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की अनुमति दिए जाने का विश्व व्यापार संगठन का कोई बंधन नहीं है;

(च) क्या सरकार को इस संबंध में संसद सदस्यों और विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन, आपत्तियां प्राप्त हुई हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (घ), (च) और (छ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित सेक्टरों और क्षेत्रीय प्रतिबंधों की समीक्षा करने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है और संबंधित मंत्रालयों और विभागों से परामर्श करके उनसे प्राप्त निविष्टियों के आधार पर यह समीक्षा की जाती है। खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु अनुमति देने के बारे में सांसदों तथा विभिन्न संघों सहित अनेक क्षेत्रों से अभ्यावेदन एवं टिप्पणियां प्राप्त की जा रही हैं। वर्तमान नीति के तहत खुदरा व्यापार में एफ डी आई की अनुमति नहीं है।

''इंडिया-दि ग्रोथ इम्पेरिटिव'' नामक मैकेंजी रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के अनेकानेक क्षेत्रों की जांच की जाती है और नीतियों में परिवर्तन हेतु सुझाव दिये जाते हैं जिनसे त्वरित विकास में मदद मिलती है। अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि भारत वर्ष में 10 प्रतिशत की जी.डी.पी. विकास लक्ष्य हासिल कर सकने की स्थिति में है।

(ङ) जहां तक व्यापार सेवाओं से संबंधित सामान्य करार (गेट्स) का संबंध है, भारत ने वितरण सेवाओं के तहत अपनी कोई प्रतिबद्धता व्यक्त नहीं की है।

[हिन्दी]

गन्ने का न्यूनतम सरकारी मूल्य

3005. श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ने के वैधानिक न्यूनतम मूल्य का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) सरकार ने चीनी मौसम 2001-2002 के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 62.05 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया है जो 8.5% चीनी की रिकवरी से संबद्ध है और इस स्तर से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1% प्वाइंट की वृद्धि के लिए 0.73 रुपये के प्रीमियम की शर्त के अध्यधीन है।

[अनुवाद]

गोदामों का निर्माण

3006. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री बी.वी.एन. रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार बाजार क्षेत्रों, गोदामों, पैकेजिंग एवं ग्रेडिंग केन्द्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विपणन संरचना में सुधार लाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्मित किये जाने वाले गोदामों की संख्या कितनी है और इसमें कितनी लागत अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम को चलाए जाने के क्या कारण हैं, विशेषकर तब जब खाद्यान्नों की खरीद, खाद्य प्रबंधन एवं विपणन के विकेन्द्रीकरण पर विचार का कार्य राज्य सरकार पहले से कर रही है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) कृषि विपणन को मजबूत करने और उसका विकास करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक विशेष समिति ने विनियमित बाजारों के संस्थान को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनी ढांचे की जांच करने और ऐसे प्रतिबंधित प्रावधानों को हटाने की सिफारिश की है जो देश में सहकारी बाजार ढांचे की प्रगति में अवरोधक हैं। कृषि और सहकारिता विभाग में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच करने और उनके कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने हेतु एक अन्तर्मंत्रालयीय कार्य बल का गठन किया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से भी सिफारिशों की जांच करने का अनुरोध किया गया है।

सरकार ने खाद्यान्नों की हैण्डलिंग, भण्डारण और ढुलाई पर एक राष्ट्रीय नीति की भी घोषणा की है ताकि भण्डारण और ढुलाई संबंधी हानियों को कम किया जा सके और भारत में खाद्यान्नों की हैण्डलिंग, भण्डारण और ढुलाई की व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जा सके। इस नीति में निजी क्षेत्र को परम्परागत गोदामों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें वे सरकारी एजेंसियों द्वारा वसूले गए खाद्यान्नों का भंडारण और रखरखाव करेंगे और उसके लिए वे भण्डारण प्रभारों के हकदार होंगे।

(ग) परम्परागत भण्डारण गोदामों के निर्माण हेतु 14 राज्यों में 5.88 लाख टन के 78 स्थानों की पहचान की गई है। गेहूं के लिए समन्वित बल्क हैण्डलिंग सुविधा सृजित करने के लिए ग्यारह (11) स्थानों की पहचान की गई है और मंजूर किया गया है।

(घ) केन्द्रीकृत वसूली में करों को लगाने, भण्डारण, ढुलाई लागत पर अत्यधिक व्यय और मार्गस्थ भण्डारण इत्यादि के कारण होने वाली हानियों के सिलसिले में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए विकेन्द्रीकृत वसूली को लागू करने का निर्णय लिया गया था। इन समस्याओं से निपटने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि वसूली केन्द्रों को देश के विभिन्न भागों में स्थापित करके वसूली कार्य को विकेन्द्रीकृत कर दिया जाए और इस प्रकार स्थानीय वसूली को इष्टतम रूप से प्रोत्साहित किया जाए। पिछले वर्षों में, राज्यों ने भी विनियमित बाजार यार्डों, शीर्षस्थ विपणन सहकारी समितियों और नागरिक आपूर्ति निगमों के रूप में आधार ढांचे का निर्माण कर लिया है जिससे वे विपणन योग्य अधिशेष वाले क्षेत्रों में वसूली के लिए खाद्यान्नों का भण्डारण कर सकें और उन्हें उपभोक्ता केन्द्रों तक पहुंचा सकें। इस समय विकेन्द्रीकृत वसूली व्यवस्था उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में चल रही है। इसे किसी राज्य सरकार पर थोपा नहीं जा रहा है।

अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कोटा

3007. श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के कोटे में से अति पिछड़ों के लिए अवसरों का एक निश्चित प्रतिशत नियत करते हुए पदों और रोजगार अवसरों में आरक्षण हेतु केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कुछ अन्य राज्य सरकारों से भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) जी, नहीं। राज्य सरकारों को इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की समग्र सीमा के भीतर पिछड़े वर्गों की विभिन्न श्रेणियों के पक्ष में आरक्षण का कोटा निर्धारित करने का अधिकार दिया जाता है।

[हिन्दी]

भूकंप पीड़ितों के नाम पर आयात की गई वस्तुओं को बाजार में बेचा जाना

3008. **श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में कल्याणकारी संस्थाओं और आयातकों के गिरोह का पर्दाफाश किया गया था जो भूकंप पीड़ितों के नाम पर वस्तुओं को आयात करने के पश्चात् उन्हें बाजार में बेच रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा एक गिरोह का पता लगाया गया है और इस संबंध में अब तक की गई जांच पड़ताल से यह पता चला है कि चार धर्मार्थ न्यासों अर्थात (1) मैसर्स श्री बोपाजी, लखमाजी धर्मार्थ न्यास, मुम्बई, (2) मैसर्स शिवम डेवलपमेंट ट्रस्ट, भुज, (3) मैसर्स श्री दीनदयाल ग्रामीण विकास ट्रस्ट, कच्छ, और (4) आयुर्वेदिक सेवाश्रम, राजकोट के नाम में कांडला पत्तन के जरिये भूकम्प पीड़ितों के लिए राहत सामग्री के रूप में दिनांक 27.1.2001 की अधिसूचना संख्या 7/2001-सीमा शुल्क के अंतर्गत पुराने और इस्तेमाल किये गये शुल्क मुक्त आयातित वस्त्रों को दिल्ली/मुम्बई के बाजारों में बिक्री हेतु पथान्तरित कर दिया गया था। इस माल का कुल मूल्य 1.8 करोड़ रुपये (लगभग) आंका गया है और 70 लाख रुपये (लगभग) के सीमा शुल्क अपवंचन का अनुमान लगाया गया है। 49.25 लाख रुपये (लगभग) के अनुमानित मूल्य का माल, जिसे दो धर्मार्थ संस्थाओं, अर्थात् मैसर्स श्री बोपाजी लखमाजी चैरिटेबल ट्रस्ट, मुम्बई और मैसर्स शिवम डेवलपमेंट ट्रस्ट, भुज, गुजरात के नाम में आयात किया गया था और जिसे दिल्ली के बाजारों में पथान्तरित कर दिया गया था, उसको राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा अक्तूबर, 2001 में अभिगृहीत कर लिया गया है। इस मामले में आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

आर्थिक वृद्धि

3009. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति ने व्यय को विवेकपूर्ण सीमाओं के अंदर नियंत्रित किये जाने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने बजट प्रावधानों की सीमाओं से ज्यादा व्यय करने के लिए सरकार की आलोचना की है;

(ग) यदि हां, तो अर्थव्यवस्था को वापस उच्च वृद्धि के पथ पर लाने हेतु सरकार द्वारा बनाई गई रणनीति को अर्थशास्त्रियों की चेतावनियों ने किस सीमा तक प्रभावित किया है; और

(घ) अर्थव्यवस्था में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) 10 सितम्बर, 2001 को आयोजित, आर्थिक सलाहकार परिषद् में जोरदार व्यक्त राय में यह विचार प्रकट किया गया कि अधिक व्यय का सहारा न लिया जाए। आर्थिक सलाहकार परिषद् सहित विभिन्न संगठनों से प्राप्त विचार और सुझाव, सरकार की विस्तृत नीति उद्देश्यों और समग्र वृहत आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर, नीतियां तैयार करते समय जानकारी प्रदान करते हैं। विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से, वर्ष 2001-02 के बजट भाषण में व्यापक नीति घोषित की गई है। इसके साथ ही वर्ष 2001-02 के बजट में प्रमुख आधार ढांचा क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय आयोजना परिव्यय में वृद्धि करने की भी व्यवस्था की गई है और पूंजी निवेश व्यय में वृद्धि करने पर और जोर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वृहत आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियों की संवीक्षा के आधार पर, ऋण में वृद्धि की पूर्ति करने और मूल्य की स्थिरता के अनुरूप निवेशों की मांग को बढ़ाने में सहायता करने के लिए पर्याप्त नकदी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कतिपय मौद्रिक उपाय किये हैं। ये उपाय हैं: बैंक दर को और घटाकर 7 प्रतिशत से 6.5 प्रतिशत करना, बैंकिंग प्रणाली के लिए नकद प्रारक्षित अनुपात का यौक्तिकरण व उसमें कमी करना और निर्यात ऋण पर प्रभार्य अधिकतम ब्याज दर में 26 सितम्बर, 2001 से छह माह की अवधि के लिए 1.0 प्रतिशतांक की कमी करना। बजट नीति की पृष्ठभूमि में मांग में वृद्धि करने के इन विशिष्ट उपायों का विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है।

सरकारी एवं निजी निवेश संबंधी उच्च स्तरीय समिति

3010. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की प्रधानमंत्री की पहल के एक भाग के रूप में सरकार ने सरकारी एवं निजी निवेश की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो नई समिति में कौन-कौन लोग शामिल हैं;

(ग) इस समिति के मुख्य कार्य क्या हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि यह समिति प्रमुख सरकारी निवेश परियोजनाओं को मंजूरी देने संबंधी क्रियाविधि के सरलीकरण हेतु उपाय सुझाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस समिति के गठन से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता मिली है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकारी और निजी निवेश की प्रक्रिया को तेज करने हेतु उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, पर्यावरण और वन, विद्युत, व्यय, दूर-संचार, श्रम, विनिवेश, औद्योगिक नीति और संवर्धन मंत्रालयों/विभागों के सचिव, वित्त मंत्री के सलाहकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा अपर सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय और अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, शामिल हैं। सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इस समिति के संयोजक हैं।

(ग) और (घ) यह समिति परियोजनाओं के निवेश अनुमोदन तथा कार्यान्वयन से संबंधित वर्तमान प्रणालियों की जांच करेगी तथा सरकारी और निजी दोनों प्रकार के निवेशों से संबंधित प्रक्रिया को सरल और तीव्र बनाने के लिए उपायों का सुझाव देगी।

(ङ) उपयुक्त नीतियां तैयार करते समय, सरकार द्वारा विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों और सुझावों पर विचार किया जाता है।

बधिर व्यक्तियों के लिए रोजगार

3011. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में बधिर व्यक्तियों के लिए कोटे का कुछ प्रतिशत निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बधिर व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए रोजगार का मंत्रालयवार/विभागवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बधिर व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से रोजगार संबंधी आरक्षण कोटा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष लंबित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) सरकारी विभागों में पहचान किये गये पदों में 1% रिक्तियां श्रवण विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं।

(ग) सूचना का रख-रखाव केन्द्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कटिहार जूट मिल

3012. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के कटिहार जिले में स्थित जूट मिल पिछले कई सालों से बंद पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बंद पड़ी इस मिल को पुनर्जीवित करने का है;

(घ) यदि हां, तो पुनर्जीवन योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हां। कटिहार जूट मिल्स लि. (के.जे.एम.एल.) बिहार के कटिहार जिले में स्थित है, यह बिहार सरकार का एक उपक्रम

है और दिसम्बर, 1987 से यह बंद पड़ी है। कटिहार जिले में राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम लि. (एन.जे.एम.सी.) की एक अन्य जूट मिल नामत: आर.बी.एच.एम. स्थित है जो भारत सरकार का एक उपक्रम है और यह बन्द नहीं है।

(ख) कटिहार जूट मिल को दिसंबर, 1984 में बिहार राज्य वित्त निगम (बी.एस.एफ.सी.) द्वारा अभिग्रहित कर लिया गया था। असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के कारण, कटिहार जूट मिल्स का प्रचालन दिसंबर, 1987 में बंद कर दिया गया था।

(ग) से (ङ) कटिहार जूट मिल राज्य सरकार का एक उपक्रम है, इससे संबंधित किसी प्रकार की पुनरुद्धार योजना राज्य सरकार द्वारा ही चलाई जानी है।

न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्नों को न खरीदा जाना

3013. **प्रो. रासासिंह रावत:**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री शीशराम सिंह रवि:
श्री रामजी मांझी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 नवंबर, 2000 के ''दि टाइम्स ऑफ इंडिया'' में ''उत्तर प्रदेश ट्रेडस रीप फ्लोर प्राइस'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम/राज्यों के खरीद-अभिकरणों द्वारा खरीद न करने के कारण उत्तर प्रदेश के किसान अपने गेहूं और धान को नकद सस्ती दरों पर व्यापारियों को बेच रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या निर्धन किसानों को सहायता पहुंचाने हेतु उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली आरंभ करने और भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों को शीघ्र भुगतान करने हेतु कदम उठाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) क्या यही स्थिति कुछ अन्य राज्यों में भी विद्यमान है; और

(च) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गेहूं की मजबूरन बिक्री होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्नों के मामले में अधिशेष वाला राज्य है और अन्य राज्यों को खाद्यान्नों का संचलन होना एक सामान्य गतिविधि है क्योंकि सम्पूर्ण देश को एकल खाद्य जोन समझा जाता है। अप्रैल से जून, 2001 तक की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में 24.46 लाख टन गेहूं की रिकार्ड वसूली हुई थी।

पंजाब सरकार ने कहा है कि रबी विपणन मौसम 2001-2002 के दौरान अथवा इसके बाद पंजाब में राज्य वसूली एजेंसियों द्वारा उत्तर प्रदेश से लाए गए गेहूं की कोई वसूली नहीं की है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य ने गेहूं और धान/चावल की वसूली के लिए विकेन्द्रीकृत योजना अपनाई है। मूल्य समर्थन योजना के अधीन किसान अपना उत्पाद राज्य एजेंसियों अथवा खुले बाजार में, जहां भी उन्हें लाभकारी हो, बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। राज्य एजेंसियों द्वारा उचित औसत किस्म की विनिर्दिष्टियों के अनुरूप गेहूं और चावल के स्टाक की वसूली की जाती है। 3.12.2001 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने धान के लिए 1570 वसूली केन्द्र खोले हैं और 1,65,726 टन मात्रा की वसूली की है, जबकि पिछले वर्ष की तद्नुरूपी अवधि के दौरान, 1,26,629 टन की वसूली की गई थी। पहली अप्रैल, 2001 से 30 जून, 2001 तक की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं के लिए 4390 क्रय केन्द्र खोले थे और 24.46 लाख टन की रिकार्ड मात्रा वसूल की थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गेहूं और धान की मजबूरन बिक्री की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जब कभी मजबूरन बिक्री की कोई रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो इसे तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के लिए भारतीय खाद्य निगम/संबधित राज्य सरकार को भेजा जाता है।

थोक मूल्य सूचकांक

3014. **श्री दिनेश चन्द्र यादव:**
श्री नवल किशोर राय:
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में लगातार गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो गत छह माह में से प्रत्येक के दौरान और माह अक्तूबर, 2001 तक कितनी गिरावट दर्ज हुई है;

(ग) क्या थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक मजदूर) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (कृषि मजदूर) की गणना करते समय एक समान वस्तुओं पर समान रूप से गौर नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना की पद्धति में परिवर्तन लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) तथा तीन अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों अर्थात औद्योगिक कर्मचारियों के लिए (सीपीआईआईडब्ल्यू), कृषि मजदूरों के लिए (सीपीआईएएल) तथा शारीरिक श्रम न करने वाले शहरी कर्मचारियों के लिए (सीपीआईयूएनएमई), में पिछले छह महीनों में मामूली सी वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे सारणी में दर्शाया गया है। तथापि, सीपीआईएएल तथा सीपीआईयूएनएमई में अगस्त, 2001 की तुलना में सितम्बर, 2001 में थोड़ी सी गिरावट आई है।

सारणी

थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

	डब्ल्यूपीआई*	सीपीआईआईडब्ल्यू	सीपीआईएएल	सीपीआईयूएनएमई
2001				
अप्रैल	160.0	448	301	379
मई	160.3	451	303	382
जून	160.8	457	306	386
जुलाई	161.2	463	309	391
अगस्त	161.7	466	312	393
सितम्बर	161.9	465	311	392
अक्तूबर	162.5	468	उ.न.	उ.न.

*सप्ताहों का औसत
उ.न. = उपलब्ध नहीं

(ग) डब्ल्यूपीआई तथा सीपीआई सूचकांकों में उनके कार्यक्षेत्र और विस्तार में भिन्नता है। जहां, डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत, 1993-94 को आधार मानकर बुनियादी, विनिर्मित तथा ईंधन उत्पाद समूह की 435 वस्तुओं के थोक मूल्यों की मानीटरिंग की जाती है, वहीं सीपीआई के अंतर्गत ऐसी चुनिन्दा वस्तुओं, जिन पर उपभोक्ताओं का परिभाषित समूह अपनी आय खर्च करता है, के खुदरा मूल्यों के स्तर में होने वाले परिवर्तनों की तुलना की जाती है। डब्ल्यूपीआई तथा सीपीआई में शामिल वस्तु समूहों में काफी ज्यादा अंतर है। उदाहरण के लिए, डब्ल्यूपीआई सूचकांक में शामिल बुनियादी वस्तुओं, जिनमें विभिन्न खाद्य मदें भी शामिल हैं, का भार केवल 22.03 प्रतिशत है जब कि सीपीआई (आईडब्ल्यू) सूचकांक के कुल भार में केवल खाद्य वस्तुओं का भार ही 57 प्रतिशत है। इस प्रकार, डब्ल्यूपीआई की तुलना में, अनिवार्य वस्तुओं, जिनमें खाद्य वस्तुएं भी शामिल हैं, के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सीपीआई सूचकांक अधिक संवेदनशील है।

(घ) 1981-82 से अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तनों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित करने की दृष्टि से, वर्ष 1993-94 आधार पर 1 अप्रैल, 2000 से एक नई डब्ल्यूपीआई श्रृंखला आरंभ की गई थी। इस श्रंखला में, पुरानी श्रृंखला में व्याप्त निरंतर चली आ रही पद्धति संबंधी कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। चूंकि, मौजूदा डब्ल्यूपीआई श्रृंखला को हाल ही में शुरू किया गया

है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।

सीपीआईएएल में भी 1995 में संशोधन किया गया है तथा औद्योगिक कामगारों और शहरी शारीरिक श्रम न करने वाले शहरी कर्मचारियों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में भी संशोधन करने के प्रयास जारी हैं।

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्य-निष्पादन

3015. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री टी.एम. सेल्वागनपति:
डा. रमेश चंद तोमर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में जीवन बीमा निगम के समग्र निष्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक निजी बीमा कंपनियों का समग्र निष्पादन कैसा है; और

(घ) जीवन बीमा निगम के निष्पादन और वित्तीय सुदृढ़ता में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का समग्र कार्य निष्पादन पिछले कुछ वर्षों में अच्छा रहा है। वर्ष 1998 से 2001 तक एलआईसी के नए कारोबार (पहली प्रीमियम आय) में हुई वृद्धि से संबंधित ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) चूंकि बीमा क्षेत्र को अभी हाल ही में निजी कम्पनियों के लिए खोला गया है, इसलिए उनके समग्र कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन इतनी जल्दी करना संभव नहीं होगा।

(घ) जैसाकि ऊपर (क) और (ख) में कहा गया है, विगत वर्षों में एलआईसी का समग्र कार्य-निष्पादन अच्छा रहा है। सरकार ने एलआईसी को और भी अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की है, और निगम के बोर्ड में अनेक क्षेत्रों से लिए गए विशेषज्ञों को भी शामिल किया है।

विवरण

वर्ष 1997 से 2001 तक की अवधि में व्यक्तिगत बीमा, पेंशन योजनाओं एवं बीमा निवेश के संदर्भ में एलआईसी के कार्य-निष्पादन के ब्यौरे

वर्ष	कार्य-निष्पादन		कुल प्रीमियम आय (करोड़ रु.)	प्रतिशत वृद्धि
	पहली प्रीमियम आय (करोड़ रु.)	वृद्धि दर (%)		
2000-2001	6262.39	64.98	34877.32	27.00
1999-2000	3795.85	35.48	27461.72	20.42
1998-99	2801.73	30.45	22805.80	18.46
1997-98	2099.45	15.63	19252.07	18.55

टिप्पणी: पहली प्रीमियम आय के वर्ष 1997-98 के आंकड़े केवल व्यक्तिगत बीमा के संबंध में है।

जारी हस्तशिल्प योजनाओं की समीक्षा

3016. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के चुने हुए क्षेत्रों में हस्तशिल्प के प्रसार और विकास हेतु बनाए गए चालू कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान और अब तक पारंपरिक कारीगरों और शिल्पियों की

निपुणता में वृद्धि करने हेतु आबंटित और उपलब्ध कराया गया राज्यवार धन कितना है;

(घ) संस्थानिक सहयोग के माध्यम से कारीगरों और शिल्पियों की निपुणता में वृद्धि करने हेतु क्या नए कदम उठाए गए/प्रस्तावित नवीन कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जी हां, सरकार ने हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए चालू योजनाओं की समीक्षा की है। समीक्षा के आधार पर, कुछ योजनाएं समाप्त/विलय कर दी गई हैं तथा इसके परिणामस्वरूप योजनाओं की संख्या 48 से घटाकर 34 कर दी गई है। चयनित शिल्प समूहों के सतत् विकास के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना नामक एक नई योजना प्रारम्भ की गई है।

(ग) हस्तशिल्प क्षेत्र में धनराशि राज्य-वार आबंटित नहीं की जाती। तथापि देश के पारंपरिक कारीगरों एवं शिल्पियों के कौशल उन्नयन के लिए वर्ष 1999-2000, 2000-2001 एवं 2001-2002 में क्रमश: 3273.10 लाख रुपये, 3025.10 लाख रुपये तथा 2921.50 लाख रुपये आबंटित किए गए।

(घ) सरकार ने हाल ही में बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना नामक एक योजना प्रारम्भ की है। इस योजना के सामाजिक, प्रौद्योगिकीय, विपणन, कल्याण एवं वित्तीय मध्यस्थता नामक पांच घटक हैं।

(ङ) देश के पारंपरिक हस्तशिल्प के संवर्धन के लिए उठाए गए अन्य कदमों में, विपणन विकास सहायता, लुप्तप्राय: शिल्पों का पुनरुत्थान, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना, सामान्य सुविधा केन्द्र, प्रदर्शनी एवं प्रचार आदि शामिल हैं।

सहकारी बैंकों के पास अतिरेक धन

3017. **श्री टी.एम. सेल्वागनपति:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न सहकारी बैंकों के पास भारी धनराशि पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के सहकारी बैंकों उनके पास पड़े अतिरेक धन का उपयोग करने हेतु सहायता पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार जमाराशियां क्रमश: 32703.62 करोड़ रुपए एवं 57573.54 करोड़ रुपये थीं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन बैंकों की जमाराशियों का इनकी पूंजीगत निधियों सहित उपयोग ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है। बैंकों से आशा की जाती है कि वे अपनी निधियों के अभिनियोजन के संबंध में निर्णय लें तथा बाजार को दी गई जमाराशियों पर प्रस्तावित ब्याज दर को वाणिज्यिक/गैर-सरकारी बैंकों द्वारा प्रस्तावित ब्याज दर से सिर्फ आंशिक रूप से अधिक रखते हुए समायोजित करके अपनी निधियों की लागत में कटौती करने का प्रयास करें। सहकारी बैंकों को ऋण संविभाग के अतिरिक्त अपनी अल्पावधि एवं दीर्घावधि अधिशेष निधियों को विभिन्न क्षेत्रों यथा मांग मुद्रा, अल्पावधि जमाराशियों, वाणिज्यिक बैंकों के साथ मीयादी जमाराशियों, अपनी जमाराशियों के 10% तक सार्वजनिक उपक्रम बाण्डों आदि में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अनुमति से निवेश करने की अनुमति दी गई है। इन बैंकों को अपनी निवल गैर-एसएलआर अधिशेष निधियों का 5% तक का निवेश विभिन्न अनुमत्य क्षेत्रों में संबंधित बैंकों के प्रबंधन के विवेक पर, भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के अध्यधीन करने की अनुमति भी दी गई है। अधिशेष संसाधनों के लाभप्रद अभिनियोजन के लिए अधिक क्षेत्र ढूंढने के मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड का ध्यान लगा हुआ है। नाबार्ड ने सहकारी बैंकों के निधि प्रबंधन संबंधी एक घरेलू अध्ययन दल गठित किया है जिसने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक सहकारी बैंक को निधियों की स्थिति का अधिमत, निवेशों का प्रकार, ऐसे निवेश में चलनिधि एवं सुरक्षा में संतुलन करना, ब्रोकरों की अंतर्ग्रस्तता, निवेश सीमा, आदि को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वयं की निवेश नीति तैयार करनी चाहिए। अध्ययन दल ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली लागू करने की आवश्यकता पर भी बल दिया है कि उचित निधियों के प्रवाह संबधी विवरणों को तैयार करते हुए आस्तियों की परिपक्वता तथा देयताओं में कोई असंतुलन न हो।

विवरण

31 मार्च, 2001 तक की स्थिति के अनुसार राज्य सहकारी बैंकों एवं जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की जमाराशियों का राज्य-वार ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य सहकारी बैंक	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
1	2	3	4
1.	अंड. एवं निको. द्वीप समूह	11947	–
2.	आंध्र प्रदेश	161905	270213
3.	अरुणाचल प्रदेश	9415	–
4.	असम	38674	1749
5.	बिहार	57089	74021
6.	चंडीगढ़	6494	–
7.	गोवा	44134	–
8.	गुजरात	274153	601842
9.	हरियाणा	67584	146153
10.	हिमाचल प्रदेश	117418	115208
11.	जम्मू एवं कश्मीर	18902	53558
12.	कर्नाटक	145181	310779
13.	केरल	185015	477184
14.	मध्य प्रदेश	170158	261756
15.	महाराष्ट्र	913600	1599467
16.	मणिपुर	1264	–
17.	मेघालय	29101	–
18.	मिजोरम	6565	–
19.	नागालैंड	9057	–
20.	रा. रा. क्षेत्र दिल्ली	33969	–
21.	उड़ीसा	73127	118178
22.	पांडिचेरी	10760	–
23.	पंजाब	87841	294719
24.	राजस्थान	84756	152573
25.	सिक्किम	394	–
26.	तमिलनाडु	274458	628487
27.	त्रिपुरा	12931	–
28.	उत्तर प्रदेश	253491	449878
29.	पश्चिम बंगाल	170981	201589
	कुल	3270362	5757354

फिल्मी/टी.वी. हस्तियों पर आयकर का बकाया

3018. श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री पी.डी. एलानगोवन:
डा. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन फिल्मी/टी.वी. हस्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने आयकर की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है तथा प्रत्येक चूककर्ता से कितनी राशि वसूल की जानी है;

(ख) क्या उक्त चूककर्ताओं से आयकर की बकाया राशि की वसूली हेतु सरकार ने कोई विशेष अभियान चलाया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) उन फिल्मी हस्तियों, जिन्होंने देय आयकर की अदायगी नहीं की है का ब्यौरा और दिनांक 30.6.2001 को प्रत्येक व्यष्टि चूककर्ताओं से वसूल किए जाने वाले बकाया का ब्यौरा, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) फिल्म हस्तियों/टीवी हस्तियों से आयकर बकाया वसूली के लिए कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया है। तथापि, करों की वसूली एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न सांविधिक प्रक्रियाएं अंतर्ग्रस्त हैं। इनमें चल और अचल संपत्तियों की कुर्की और बिक्री, देरी से भुगतान के लिए ब्याज लेना, अर्थदंड लगाना आदि शामिल हैं। बकाया मामलों में करों की शीघ्र वसूली

के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने हेतु उच्च प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर सांविधिक समीक्षा एवं निगरानी की जाती है।

विवरण

दिनांक 30.6.2001 की स्थिति के अनुसार 10 लाख रु. और उससे अधिक की बकाया मांग वाली फिल्मी हस्तियों का ब्यौरा

क्र.सं.	नाम	30.6.2001 की स्थिति के अनुसार मांग (लाखों में)
1	2	3
1.	कैलाशनाथ मल्होत्रा	10.00
2.	टी.एन. वेंकटेश	10.27
3.	एस.टी. सेलवाम	10.43
4.	ए. रामकी	10.56
5.	होटल ट्रांजिट प्रा.लि.	10.68
6.	विनायगा डिस्ट्रिब्यूटर्स	10.70
7.	महामाया कं. प्रा.लि.	10.97
8.	तुलसी रामसे	11.05
9.	नागूर बाबू	11.08
10.	मेघा प्रोपर्टी प्रा.लि.	11.11
11.	श्रीमती देव वर्मा उर्फ श्रीमती मुनमुन सेन	11.11
12.	कुनिका सदानन्द	11.16
13.	वी. वर्गिस गुलकार्गा	11.24
14.	कार्तिक चन्द्र सामन्ता	11.66
15.	पी.एम. प्रोडक्शन	11.88
16.	जी.वी. फिल्मस लि.	12.00
17.	एस. प्रभुदेवा	12.26
18.	अमित कुमार गांगुली	12.51
19.	स्क्रीन फाईनेन्स (प्रा.) लि.	12.60
20.	चित्रा समूह	12.62
21.	जनता सिनेमा प्रोपर्टीज एण्ड फाईनेन्स लि.	12.76
22.	एन.सी. सिने सर्विसिज	12.97
23.	जाफो फिल्म्स प्रा.लि.	12.98
24.	लता मंगेशकर	13.25
25.	ए.एस. इब्राहिम राऊथर	13.28
26.	बप्पी लाहिड़ी	13.35
27.	आर. राज बाबू	13.84
28.	फारूक अहमद ए. फारूकी	13.88
29.	ढाकेन डाइज एण्ड कैमिकल्स प्रा.लि.	13.99
30.	सुजाता प्रोडक्शन्स प्रा.लि.	14.00
31.	बी.एन. सुरेश रेड्डी	14.80
32.	पी. सौन्दी (एम.एस.)	14.93
33.	पी. गुरू विट्टल डब्ल्यू टी	15.53
34.	ईगल फिल्म्स	15.68
35.	के. गौंडामनी	16.29
36.	वी. अदिनारायणा रेड्डी	16.86
37.	सपना आर्ट्स	17.01
38.	जौनी बक्शी	17.39
39.	श्री ज्योति प्रकाश गुप्ता	17.62
40.	आर.बी.चौधरी	17.76
41.	फैसिनेशन नेटवर्क	18.61
42.	के.जे. येसूदोसआडियो एण्ड विज्वल्स कार्पोरेशन लि.	18.77
43.	मूरली विट्टल डब्ल्यू टी	19.13
44.	पी. मोहन विट्टल	19.28

1	2	3
45.	पी. लोगानाथन् विट्टल डब्ल्यू.टी.	19.28
46.	अशोक घई	19.34
47.	मिश्रीलाल पिक्चर्स (प्रा.) लि.	19.73
48.	वीरू देवगन	19.97
49.	ए.एम. रत्नम	20.42
50.	मुकेश दुग्गल	20.92
51.	अर्जुन	20.93
52.	मुरलीकान्तन	21.32
53.	ए. कोघांडरामैया	21.36
54.	अकबर अली खान	21.76
55.	भगवान एस.सी.	22.15
56.	बी.आर.टी.वी.	22.15
57.	के. बालाजी	22.77
58.	ब्रिंक्स आर्या इंडिया प्रा.लि.	23.94
59.	नरेश चन्द्र वर्मा डब्ल्यू टी	24.27
60.	पी.पी. कन्हैया डब्ल्यू टी	24.92
61.	करिश्मा कपूर	25.15
62.	ए. विजयकांत	25.42
63.	ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन	25.80
64.	कृष्ण कुमार	26.00
65.	मेट प्रोडक्शन इंटरनेशनल	26.26
66.	धर्मानन्द जे. जोशी	26.62
67.	के. सुब्रामण्यन	26.80
68.	श्री अफजल खान	27.13
69.	श्री हनुमंता राव	27.80
70.	अलयाम सिनेमा प्रा.लि.	28.24
71.	इटेल्ली टाकीज (प्रा.) लि.	28.32
72.	इन हाउस प्रोडक्शन प्रा.लि.	29.12
73.	गौतम बेरी	29.91
74.	श्री यशराज चोपड़ा	30.00
75.	सावित्री एण्ड कं.	30.23
76.	अशोक कुमार गांगुली	31.68
77.	कुमार शानू भट्टाचार्जी	31.83
78.	आर. विजयाचन्द्रन	33.29
79.	जैन्नी पिन्टो प्रोडक्शन	37.00
80.	सतराम रोहरा	40.09
81.	सी. सुब्रामनीम उर्फ मणिरथम	42.23
82.	जी. वेंकटेश्वरन	42.63
83.	राजेश खन्ना	42.69
84.	गुलाब एम. गुलबानी	43.07
85.	डी.एस. मित्तल एण्ड संस	44.72
86.	जी. गोपाल राव	46.06
87.	अलब्राईट एंड विल्सन कैमिकल लि.	46.22
88.	एस. कमल हसन	48.99
89.	ए. श्रीदेवी (श्रीमती)	49.97
90.	राजन आर. सिप्पी	51.14
91.	गौरव गुप्ता	53.22
92.	फ्रांसिस जोसेफ	53.59
93.	एम.जी. पिक्चर्स (मद्रास) लि.	54.29
94.	पी.डी. अब्राहम अलियस	55.57
95.	गोपाल रेड्डी	55.78
96.	मोशन पिक्चर्स डिस्ट्रिब्यूटर्स	57.64
97.	टिप्स फिल्म प्रा.लि.	57.62

1	2	3
98.	के.एल.एन. फाइनेन्स लि.	58.02
99.	पी. सुन्दरराजन	58.09
100.	बी.एस. रंगा	58.68
101.	अजय सिंह देओल	59.63
102.	सी.एम.एस. कम्प्यूटर्स (प्रा.) लि.	62.79
103.	एशियन फूड प्रोडक्शन्स लि.	66.70
104.	गुलशन कुमार	69.00
105.	आर. सरत कुमार	42.74
106.	ब्राडमा इंडिया लि.	74.45
107.	वी.सी. गणेशन	77.54
108.	एम.सी. बोकाडिया	81.13
109.	सुभाष घई	86.83
110.	यश राज फिल्म्स	95.04
111.	शान्ती थियेटर्स प्रा.लि.	96.13
112.	एम.वी. श्रीनिवास प्रसाद	98.90
113.	नन्द कुमार तौलानी	106.32
114.	ओ.पी. रल्हन	138.82
115.	पिरामिड फिल्म्स इंटरनेशनल	155.49
116.	श्री सुशील गुप्ता	155.73
117.	यश जौहर	160.61
118.	महाराष्ट्र फिल्म स्टेज एंड कल्चरल डेवलपमेंट कार्पो.	166.96
119.	मुक्ता आर्टस प्रा.लि.	175.57
120.	श्री एस. मणिवनन	185.52
121.	जया बच्चन (श्रीमती)	199.52
122.	मुरली मोहन एम	212.00
123.	अदलाबास फिल्म्स प्रा. लि.	216.19
124.	सिप्पी फिल्म्स	246.37
125.	बसन्त कुमार पाटिल	258.03
126.	शाहरूख खान	275.26
127.	पी. राम गोपाल वर्मा	300.79
128.	रामनोर्द रिसर्च लेबोरेट्रीज प्रा.लि.	321.74
129.	जयाप्रदा (एम.एस.)	331.20
130.	सुजाता फिल्म्स प्रा.लि.	624.92
131.	अमिताभ बच्चन	1067.16
132.	अमिताभ बच्चन कार्पो. लि.	1776.93

आयातित खाद्य तेल का राज्यों को आबंटन

3019. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यवार/संघ राज्यवार आवंटित आयातित खाद्य तेलों की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी राज्य ने अपर्याप्त आपूर्ति के कारण खाद्य तेल की अतिरिक्त मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (घ) खुले बाजार में उचित मूल्यों पर खाद्य तेलों की सुगम उपलब्धता के कारण भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि फिलहाल खाद्य तेलों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए आयात न किया जाए। अत: चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्य तेलों की कोई मात्रा आवंटित नहीं की गई है। तथापि, जिन राज्यों ने अपनी मांगें रखी हैं, उन्हें परामर्श दिया गया है कि वे किसी भी प्रकार की राजसहायता के बिना राज्य व्यापार निगम के साथ परस्पर तय की गई शर्तों पर खाद्य तेलों का आयात करने के लिए सम्पर्क करें।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्तियों में आरक्षण

3020. **श्री रामजी लाल सुमन:**
श्री कान्तिलाल भूरिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 16(4) ख के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार किसी वर्ष में आरक्षित रिक्त पदों को 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बचने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पिछले बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो 29 अगस्त, 1997 की स्थिति के अनुसार अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पदों के भरे जाने वाले विशेष अभियान आदि की समाप्ति पर वित्त मंत्रालय में डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 के अनुसार समूह क, ख, ग और घ श्रेणियों में पता लगाई गई बकाया/अग्रेनित रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे अग्रेनित कितने रिक्त पद भरे गए और कितने पद रिक्त पड़े रहे; और

(घ) गत चार वर्षों के दौरान पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों की सभी श्रेणियों में आरक्षित वर्गों के लिए सृजित नई रिक्तियों/पदों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.7.2000 के अनुदेशों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों को 50 प्रतिशत तक भरे जाने की सीमा केवल उन आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी जो वर्तमान साल में हैं और पिछले सालों की अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित पिछली बकाया/अग्रेनीत रिक्तियों को एक पृथक और विशेष समूह के रूप में मान्यता दी जाएगी और इनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी। हालांकि पिछली बकाया और/अथवा अग्रेनीत रिक्तियां, संबद्ध पद-आधारित रोस्टर में आरक्षित पदों की निर्धारित संख्या के बराबर या उससे अधिक सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति में आरक्षित रिक्तियों का संयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करते ही स्वत: व्यपगत हो जाएंगी। ये अनुदेश अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों पर लागू नहीं होते। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2.7.1997 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 में निहित प्रावधान संवर्ग में संबंधित श्रेणियों में आधिक्य/कमी की पहचान और पद-आधारित रोस्टर के शुरुआती संचालन के बारे में है। वित्त मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों के मामले में आरक्षित श्रेणी की विभिन्न रिक्तियों/पदों और अग्रेनीत रिक्तियों का कोई केन्द्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

निर्यात हेतु चुनी गई वस्तुएं

3021. **श्री जोरा सिंह मान:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस समय विदेशी व्यापार को बढ़ाने हेतु अधिकतम निर्यात की जाने वाली चौदह वस्तुओं की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के नाम क्या हैं;

(ग) इन वस्तुओं का वर्तमान में औसतन सालाना निर्यात कितने रुपए मूल्य का है;

(घ) इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने का सरकार का आकलन क्या है; और

(ङ) उक्त आकलन के आधार पर इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने हेतु कौन सी योजना बनायी गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ङ) चूंकि विश्व व्यापार के वातावरण में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है इसलिए समीक्षाओं के आधार पर निर्यात संभावना वाली वस्तुओं की समय-समय पर पहचान की जाती है और विभिन्न क्षेत्रों में उक्त संभावना के दोहन के लिए प्रयास किये जाते हैं। तदनुसार, इन पहचान किए गए क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ाने के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं और उन्हें कार्यान्वित किया जाता है।

विश्व बाजार में भारतीय वस्तुओं को प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। इन उपायों में शामिल हैं: विकेन्द्रीकरण के जरिए सौदों की लागत में कमी करना, क्रियाविधियों का सरलीकरण और एग्जिम नीति में यथा उल्लिखित विभिन्न अन्य उपाय। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलों, थ्रस्ट क्षेत्रों और फोकस क्षेत्रों की पहचान, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के जरिए भी निर्यातों को बढ़ाने

के लिए कदम उठाए गए हैं इनके अलावा, नई एग्जिम नीति 2001-2002 में घोषित उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि निर्यातों का संवर्धन, बाजार पहुंच संबंधी पहल और कारोबार-सह व्यापार सुविधा केन्द्रों की स्थापना इत्यादि भी शामिल हैं। निर्यात सवर्धन के लिए हाल ही में किए गए कुछेक उपायों में शामिल हैं-लदान पूर्व और लदान पश्चात दोनों ऋणों के लिए निर्यात ऋण दर में कमी, विनिर्माता निर्यातकों के लिए विशेष वित्तीय पैकेज, सामान्य प्रत्यावर्त्तन अवधि को बढ़ाना और कई उत्पाद समूहों पर शुल्क वापसी की दरों में उर्ध्वगामी संशोधन करना। निर्यात निष्पादन की लगातार निगरानी की जा रही है और समुचित उपाय किये जा रहे हैं।

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एण्ड एस), कोलकाता से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-अगस्त, 2001-02 की अवधि के लिए प्रमुख क्षेत्रों का निर्यात निष्पादन निम्नानुसार है:

(मिलियन अमरीकी डालर में)

प्रमुख क्षेत्र	अप्रैल-अगस्त 2000-01	अप्रैल-अगस्त 2001-02
बागान	281.55	268.01
कृषि एवं सम्बद्ध उत्पाद	1440.44	1501.01
समुद्री उत्पाद	509.88	468.42
लौह एवं खनिज	505.23	452.42
चर्म एवं विनिर्माण	799.02	835.69
रत्न एवं आभूषण	2946.84	2686.14
रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	2460.08	2530.81
इंजीनियरिंग वस्तुएं	2314.71	2197.49
इलैक्ट्रॉनिक वस्तुएं	341.98	503.83
वस्त्र	4654.92	3920.88
हस्तशिल्प	323.67	236.54
कालीन	272.11	203.20
पेट्रोलियम उत्पाद	355.93	769.26

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में भंडारण क्षमता

3022. श्री राजैया मल्याला:
डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में खरीदे गए चावल के समुचित भंडारण के लिए आंध्र प्रदेश में भंडारण क्षमता बढ़ाने जाने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य में 15 लाख टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता की व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक इसकी व्यवस्था किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार भारतीय खाद्य निगम को अनुमति दी गई थी कि वह आंध्र प्रदेश में 7 वर्ष की गारंटी आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के माध्यम से कुल 15 लाख टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता (ढकी हुई) सृजित करे। 15 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता निर्माण पूरा होने की विभिन्न अवस्थाओं में है और इसके फरवरी, 2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने इसी योजना के अधीन और 15 लाख टन के लिए भारतीय खाद्य निगम से गारंटी मांगी है और यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा पहले गारंटी दी गई 15 लाख टन क्षमता के अलावा 5 लाख टन अतिरिक्त ढकी हुई भण्डारण क्षमता का निर्माण करने के लिए राज्य सरकार/आंध्र प्रदेश राज्य भण्डारण निगम को भारतीय खाद्य निगम 7 वर्ष की गारंटी दे। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश राज्य में इसी योजना के अधीन केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा 1.61 लाख टन क्षमता का निर्माण भी किया जाएगा जिसमें से 1.47 लाख टन क्षमता के 2002 तक पूरा हो जाने की आशा है।

बी.आई.एफ.आर. के तहत पंजीकृत उद्योग

3023. **श्री एन.टी. षणमुगम:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री अम्बरीश:
श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री राजो सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रुग्ण घोषित की गई तथा औद्योगिक वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के साथ पंजीकृत निजी क्षेत्र की कंपनियों के राज्यवार क्या नाम हैं;

(ख) उपरोक्त में से उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनकी वार्षिक हानि 200 करोड़ रुपए और इससे अधिक रही है;

(ग) ऐसी उपरोक्त कंपनियों को पुनर्जीवित करने के लिए संबंधित कंपनियों के प्रबंधन ने क्या कदम उठाया है;

(घ) क्या इन कंपनियों के प्रबंधन ने इस संबंध में बी.आई.एफ.आर. को कोई रिपोर्ट भेजी/अग्रेषित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इन कंपनियों के प्रबंधन द्वारा इस स्थिति के क्या कारण बनाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार का प्रस्ताव उन कंपनियों को बंद करने का है जो रुग्ण घोषित कर दी गई है तथा जिन्हें पुनर्जीवित करना संभव नहीं है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ज) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

छोटी बचत के संबंध में वाई.वी. रेड्डी समिति की सिफारिशें

3024. **श्री टी.वी. दिनाकरन:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री अम्बरीश:
श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री अनन्त गुढ़े:
श्री सुबोध मोहिते:
श्री रामजीवन सिंह:
श्री ताराचन्द भगोरा:
डा. चरण दास महंत:
श्री भेरूलाल मीणा:
श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी:
श्री किरीट सोमैया:
श्री रामेश्वर डूडी:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री हरिभाई चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाई.वी. रेड्डी समिति ने लघु बचतों के संबंध में कुछ निश्चित सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार लघु बचतों पर ब्याज दर और कम करने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(च) लघु निवेशकों तथा राज्य सरकारों जो अपने विकास कार्यों के लिए इन साधनों से कोष अर्जित करती है के हितों की संरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी हां।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार है:

(1) सरकारी क्षेत्र द्वारा दीर्घावधिक निधियों के प्रत्यक्ष प्रबंधन और कर रियायतों के साथ ब्याज की प्रशासित दरें निर्धारित करने की वर्तमान प्रणाली को मध्यावधि में चल सकने योग्य नहीं होने के कारण विकास का संवर्धन करने और अर्थव्यवस्था में निवेश की सही मांग को पूरा करने के लक्ष्य वाली स्वतंत्र और व्यावसायिक रूप से प्रबंधित पूर्णत: निधिपोषित दीर्घावधिक बचत स्कीमों की प्रणाली में रूपान्तरित किया जाना चाहिए।

(2) संक्रमण अवधि में अंतरिम उपाय के रूप में लघु बचत स्कीमों पर ब्याज दरों का निर्धारण मुख्यत: सरकारी

प्रतिभूतियों पर औसत द्वितीयक बाजार प्राप्तियों की दरों पर किया जाए।

(3) इस समय राज्यों को 80 प्रतिशत और केन्द्र को 20 प्रतिशत की बजाय दिनांक 1.4.2002 से राज्यों को संपूर्ण निवल संग्रहणों का अंतरण। केन्द्र और राज्य सरकारों को संयुक्त रूप से अपने संबंधित हिस्से के अनुसार विभाजित मार्च, 2002 को बकाया लघु बचत देयताओं की अदायगी करनी चाहिए।

(4) अल्पावधिक और मध्यावधिक वित्तीय बचतों (जिनकी 6 वर्ष से अधिक की परिपक्वता न हो) पर सभी कर रियायतों की वापसी दीर्घावधिक बचतों के संबंध में रकम प्राप्ति के समय कर रियायतें 60,000 रुपये के निवेश पर 20 प्रतिशत के दर पर प्रदान की जाएं।

(ग) समिति ने ''लघुबचतों से संबंधित समिति की सिफारिशों के संबंध में सभी पणधारियों को शामिल करते हुए विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा और विचार-विमर्श (विशेषकर राज्यों के साथ)'' करने का सुझाव दिया है। तदनुसार समिति की रिपोर्ट राज्य सरकारों, आम जनता और अन्य सभी दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों के लिए समिति की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय को उनकी टिप्पणियां/विचार, अगर कोई हो, देने के लिए वित्त मंत्रालय के सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है।

(घ) और (ङ) इस समय विभिन्न लघु बचत स्कीमों पर ब्याज दरें संशोधित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। समिति की रिपोर्ट इस मुद्दे पर सरकार के दृष्टिकोण के लिए जानकारी उपलब्ध कराएगी।

(च) लघु बचत स्कीमों के माध्यम से निरंतर और वर्धित संसाधन जुटाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर उपाय किये जाते हैं। इस निवल संग्रहण का 80 प्रतिशत राज्य सरकारों को अंतरित किया जाता है और लघु बचत स्कीमों पर घटी हुई ब्याज दरों का लाभ समय-समय पर राज्य सरकारों को दिया जाता है। लघु बचत स्कीमों के संबंध में अन्तर्निहित गारंटी, आकर्षक अभिलाभ, कर लाभ, नकदी और सुलभता के द्वारा छोटे निवेशकों के हितों की भी सुरक्षा की जाती है।

यूरोपीय संघ द्वारा पाकिस्तान को व्यापार संबंधी छूट

3025. श्री विनय कुमार सोराकेः
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपनः

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यूरोपीय संघ द्वारा पाकिस्तान को दिये गये अधियमान व्यापक छूट से वस्त्र निर्यातकों को बचाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए है;

(ख) क्या सरकार ने अन्य देशों की बेहतर लाबिंग तथा अपना निर्णय मनवाने की क्षमता पर ध्यान दिया है जो उन्हें महत्वपूर्ण घरेलू क्षेत्रों में अपनी बात मनवा लेने में सक्षम बनाता है; और

(ग) यदि हां, तो घरेलू वस्त्र उद्योग क्षेत्र के अनुकूल करार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) यूरोपीय संघ, पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वस्त्र सौदे में प्रवेश किया है और वस्त्र क्लोदिंग में अपने शुल्क को 5 प्रतिशत तक कम करने की पाकिस्तान की वचनबद्धता के बदले अपने कोटा स्तर को 15 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गया है तथा 5 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत स्तर की नई दर निर्धारित की है।

भारत ने विकास की ओर ध्यान दिया है तथा इंडो-यूरोपीय संघ संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान यूरोपीय संघ व्यापार आयुक्त के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है।

आई.जी.वाई. विमानपत्तन पर धोखाधड़ी का पकड़ा जाना

3026. मोहम्मद शहाबुद्दीनः क्या **वित्त मंत्री** आई.जी.वाई. विमानपत्तन पर धोखाधड़ी का पकड़ा जाना के बारे में 27 जुलाई, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 970 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस मामले से संबंधित जांच पूरी कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या इस गिरोह में किसी सरकारी अधिकारी को संलिप्त पाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) इस मामले के मुख्य आरोपी, श्री पवन कुमार को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निरुद्ध कर दिया गया है। एक अन्य संदिग्ध व्यक्ति, श्री तेजवंत सिंह को राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया है और वह न्यायिक हिरासत में है।

(घ) और (ङ) इस मामले में संलिप्त होने के संदेह में एक अधीक्षक और एक निवारक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है तथा सतर्कता निदेशालय से परामर्श करके उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

मुख्य उत्पाद-शुल्क आयुक्त की गिरफ्तारी

3027. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी:
श्री रामजी मांझी:
श्री शिवाजी माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 नवम्बर, 2001 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "फ्लेक्स ऑफ ससपिशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित मामले में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मुख्य उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली को उत्तर प्रदेश स्थित फ्लेक्स इंडस्ट्रीज जिसमें दो सेवानिवृत्त नौकरशाहों की राशि लगी है, के मुख्य प्रबंध निदेशक से दस लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन दो सेवानिवृत्त नौकरशाहों की भूमिका की व्यापक जांच करने के आदेश दे दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा आगे क्या कार्रवाई किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने तत्कालीन मुख्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली और अन्य के विरुद्ध एक मामला, नामत: आर.सी. 74 (ए)/2001-डी.एल.आई. दर्ज किया है तथा इस संबंध में तत्कालीन मुख्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली सहित चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

एमएमटीसी द्वारा निर्यात/आयात

3028. **श्री अनंत नायक:**
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी) द्वारा किए गए धातुओं, खनिजों और अन्य वस्तुओं के निर्यात/आयात का ब्यौरा क्या है तथा यह निर्यात/आयात कितने रुपए मूल्य का हुआ है; और

(ख) इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया अथवा खर्च किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) और (ख) महोदय, पिछले तीन वर्षों के एम एम टी सी के निर्यातों और आयातों के मद-वार ब्यौरे और व्यापार लाभ का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(मूल्य करोड़ रु. में)

	1999-2000		2000-2001		2001-2002 अप्रैल-सितंबर 2001 (अनंतिम)	
	कारोबार	व्यापार लाभ	कारोबार	व्यापार लाभ	कारोबार	व्यापार लाभ
1	2	3	4	5	6	7
निर्यात						
खनिज एवं अयस्क	1039	62	1368	98	701	33
धातु	7	0	11	0	30	–
रत्न एवं आभूषण	8	1	19	1	2	–

1	2	3	4	5	6	7
एग्रो	4	-1	174	7	142	6
अन्य	96	0	31	0	10	1
आयात						
धातु	296	9	262	4	41	1
रत्न एवं आभूषण	2556	10	2942	7	2759	5
उर्वरक	272	3	19	0	29	–
एग्रो	254	5	173	4	121	2
हाइड्रो-कार्बन	138	11	233	15	62	2
अन्य	11	1	13	0	3	–
घरेलू	17	0	57	3	13	1
कुल	4698	101	5302	139	3913	51

[हिन्दी]

पुस्तक बैंक योजना

3029. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए चलाई गई पुस्तक बैंक योजना असफल हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस योजना को सफल बनाने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना के अंतर्गत यथा स्वीकार्य सहायता राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत की जा रही है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत कुल राशि 1998-99 में 120.40 लाख रुपए से बढ़कर 1999-2000 में 243.32 लाख रु. और 2000-2001 में 248.29 लाख रु. हो गई है।

[अनुवाद]

कालीन/वस्त्र निर्यात

3030. श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा:
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर आक्रमण के बाद से कालीन उद्योग पर प्रतिकूल असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों द्वारा कालीन को रद्द किए गए कुल निर्यात आदेशों का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आदेशों के रद्द किये जाने से कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या अफगानिस्तान युद्ध के पश्चात् अमेरिका अपना बाजार पाकिस्तान के लिए खोल रहा है जिसके कारण भारतीय वस्त्र उद्योग तथा उससे संबंधित उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस उद्योग के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) वास्तविक ब्यौरों की अनुपस्थिति में रद्द किए गए निर्यात आदेशों का परिमाण नहीं बताया जा सकता। ऐसे ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) वास्तविक ब्यौरों की अनुपस्थिति में वास्तविक आंकड़े नहीं दिये जा सकते। तथापि, अनुमान है कि 300 करोड़ रुपये से अधिक घाटा हुआ।

(घ) अब तक अमरीका द्वारा पाकिस्तान को कोई विशेष रियायतें नहीं दी गई हैं।

वर्ष 2001 के प्रारम्भ से वस्त्रों के निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति नोट की गई है जिसका मुख्य कारण अमरीका जैसे हमारे कुछ प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की अर्थव्यवस्था में आई सामान्य मन्दी है। यह प्रवृत्ति 11 सितम्बर को हुए हमलों और अफगानिस्तान के युद्ध के कारण और प्रबल हो गई।

(ङ) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पादों की लागत-प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और उद्योग के हितों की रक्षा के लिए समय-समय पर उपाय करती रहती है। कुछ महत्वपूर्ण उपक्रमण नीचे दिए गए हैं:

1. वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) कार्यान्वित की जा रही है ताकि यह क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में और अधिक प्रतियोगी बन सके। टफ्स के अंतर्गत सहायता से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए अन्त: मंत्रालय समिति गठित की गई है।
2. टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत आने वाली बुनाई, संसाधन एवं परिधान मशीनरी को 50 प्रतिशत की दर से त्वरित मूल्यह्रास की सहायता प्रदान की गई है।
3. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) और इसकी छ: शाखाएं, परिधान प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्र (ए.टी.डी.सी.) एवं भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, वस्त्र, कालीन एवं परिधान उद्योग के लिए कुशल मानवशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विभिन्न पाठ्यक्रम/कार्यक्रम चला रहा है।
4. बैकवर्ड इन्टिग्रेशन को प्रोत्साहन देने के लिए शटल रहित करघों पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
5. वस्त्र क्षेत्र में कुछ अपवादों सहित, आटोमेटिक रूट के जरिए 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी भागेदारी की अनुमति देना।
6. इको टैस्टिंग प्रयोगशालाओं के द्वारा हमारे वस्त्र और परिधान उद्योग को सुविधाएं प्रदान करके आयातक देशों की परिस्थितिजन्य आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करना एवं सुग्राही बनाना।
7. वस्त्र उद्योग के सुव्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध एवं सतत् विकास एवं वृद्धि तथा वस्त्र निर्यात पर बल देने के लिए नीति निर्देश मुहैया करवाने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र नीति-2000 (एन.टी.पी.-2000) कार्यान्वित की जा रही है।
8. कुछेक वस्त्र उत्पादों के लिए डी.ई.पी.बी. दरें युक्तिसंगत की गई हैं।

[हिन्दी]

एयरलाइन्स के लिए बीमा पैकेज

3031. डा. अशोक पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्तर पर बीमा दरों में हुई वृद्धि के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ बीमा कंपनियों द्वारा शीघ्र ही एयरलाइन्स की मदद हेतु एक पैकेज की घोषणा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग में पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकी लाया जाना

3032. श्रीमती शीला गौतम:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वस्त्र उद्योग तथा हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योग में पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकी लाये जाने पर होने वाले व्यय का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें विदेशी मुद्रा का अंश कितना है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में ऐसी प्रौद्योगिकी को अंगीकार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) वस्त्र उद्योग, जो अधिकांशत: निजी क्षेत्र में है, पारि-अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाने की प्रक्रिया में है। हालांकि वस्त्र मंत्रालय ने संपूर्ण वस्त्र उद्योग द्वारा पारि-अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाने पर खर्च की जाने वाली राशि का मूल्यांकन नहीं किया है।

वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय, वस्त्र समिति ने 1996-97 से 1998-99 की अवधि के दौरान, पारि-परीक्षण सुविधाओं के साथ आठ प्रयोगशालाओं की स्थापना/आधुनिकीकरण किया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं जिसमें वस्त्र के क्षेत्र में पारि-अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाना भी शामिल है, के लिए वस्त्र अनुसंधान संघों को अनुदान सहायता रिलीज करती है।

वित्तीय घाटे पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

3033. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 2001 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गयी है कि बढ़ता हुआ वित्तीय घाटा तथा मुद्रा विस्तार भारत में उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति ला सकता है;

(ख) यदि हां, तो इसमें उजागर की गयी वित्तीय अड़चनों से उभरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) विश्व बैंक द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार "ट्रिप्स" को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित "विश्व व्यापी आर्थिक परिदृश्य तथा विकासशील देश, 2002" में यह उल्लेख किया गया है कि भारत में राजकोषीय स्थिति का अत्यधिक विस्तार हो रहा है। इसके अतिरिक्त, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत में मौद्रिक अवस्थिति का भी इस समय विस्तार हो रहा है जो निकट भविष्य में संभावित उच्च मुद्रास्फीति की ओर संकेत करता है। आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय को नियंत्रित करने और राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने के लिए, सरकार बेहतर राजकोषीय प्रबंध की आवश्यकता के प्रति जागरूक है। राजकोषीय समेकन प्राप्त करने की दृष्टि से, वर्ष 2001-02 के बजट में केन्द्र सरकार के व्यय संघटन में संरचनात्मक परिवर्तन लाने, व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाते समय आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय में मितव्ययता लाने की प्रक्रिया के माध्यम से व्यय प्रबंध करने पर जोर दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बजट में कई तरह की पहल की गई है जिनमें अन्य के साथ-साथ नई भर्ती की कुल सिविलियन स्टाफ संख्या के एक प्रतिशत तक सीमित रखना, सरकार और इसकी एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की बढ़ी हुई लागत को देखते हुए इनके उपभोक्ता प्रभारों में संशोधन करना आदि शामिल है। इसके अलावा, ब्याज के भार को कम करने की दृष्टि से, अधिकांश नियंत्रित ब्याज दरों में 1 मार्च, 2001 से 1.5 प्रतिशत की कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, 2000 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन विधेयक, 2000 संसद में पेश किया गया था इस विधेयक में ऋण, घाटे और उधार की उच्चतम सीमा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने वृहत आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियों की संवीक्षा के आधार पर ऋण में वृद्धि की पूर्ति करने और मूल्य की स्थिरता के अनुरूप निवेश की मांग को बढ़ाने में सहायता करने के लिए अक्तूबर, 2001 में कुछ मौद्रिक उपाय किए है।

(ग) "विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य और विकासशील देश" से संबंधित विश्व बैंक के प्रकाशन में कम आय वाले देशों की समस्याओं से निपटने के लिए व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों (टी आर आई पी एस) को पुन: संतुलित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और टी आर आई पी एस के चरणबद्ध कार्यान्वयन की सिफारिश की गई है। टी आर आई पी एस कापी राइट्स, ट्रेड मार्क, भौगोलिक संकेतकों, औद्योगिक अभिकल्पों, एकीकृत सर्किटों के ले आउट डिजाइनों और गुप्त सूचनाओं (व्यापारिक रहस्यों) से संबंधित समझौतों से जुड़े कार्यों को देखता है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) करार के तहत हमारे अनुबंधों के अनुसार, विशिष्ट विपणन अधिकार प्रदान करने के लिए मार्च, 1999 में पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 1999, को पारित किया गया था। एक स्वाधीन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पौधों की विविधता के संबंध में कृषि मंत्रालय द्वारा सदन

में प्रस्तुत एक विधेयक को लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। ले-आउट डिजाइनों को संरक्षण देने वाला सेमीकंडक्टर इंटेग्रेटिड सर्किट ले-आउट डिजाइन अधिनियम, 2000 नामक एक कानून संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। जहां तक कापी राइट और उससे संबंधित कानूनों का संबंध है, भारत बर्न सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता है। कापीराइट अधिनियम, 1957 जो 1994 में संशोधित किया गया था, हमारी अपनी चिंताओं का ध्यान रखता है और निष्पादनकर्ता के अधिकारों में संरक्षण की शर्तों के मामले को छोड़कर, टी आर आई पी एस करार की अपेक्षाओं को पूरा करता है। इसकी अवधि को 50 वर्षों तक बढ़ाने वाला एक विधेयक संसद द्वारा दिसम्बर, 1999 में पारित किया गया था। ट्रेडमार्क विधेयक संसद द्वारा दिसम्बर, 1999 में पारित किया गया था जिसके अंतर्गत, अन्य के साथ-साथ, सेवा चिह्नों (सर्विस मार्कर्स) के संरक्षण की व्यवस्था है। पण्यों का भूगोलीय संकेतन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 संसद द्वारा दिसम्बर, 1999 में पारित किया गया था। डिजाइन अधिनियम, 2000 संसद द्वारा मई, 2000 में पारित किया गया था।

खाद्य तेलों को डम्प करना

3034. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य तेलों का मलेशिया और इंडोनेशिया से आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा किस मूल्य पर यह आयात किया गया है;

(ग) क्या अन्य देशों द्वारा घटिया खाद्य तेलों को भारत में डम्प किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा विदेशी कम्पनियों/देशों द्वारा भारत भेजी जा रही तेल की प्रत्येक खेप की गुणवत्ता पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) निर्यात आयात नीति के अनुसार नारियल तेल को छोड़कर खाद्य तेलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। इस प्रकार खाद्य तेलों का आयात आयातकों के वाणिज्यिक निर्णय पर निर्भर करेगा। इन देशों से आयातित खाद्य तेलों की प्रशुल्क कीमत निम्नानुसार है:

तेल	प्रशुल्क कीमत (अमरीकी डालर प्रति टन)
क्रूड पॉम तेल	286
आर.बी.डी. पॉम तेल	295
आर.बी.डी. पॉमोलीन	307
क्रूड पॉमोलीन	298

(ग) और (घ) जी, नहीं। केवल वे उत्पाद ही भारत में रिलीज किये जाते हैं, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप होते हैं।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग

3035. **प्रो. दुखा भगत:**
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों का प्रतिशत 35 से घट कर 26 प्रतिशत रह गया है;

(ख) क्या गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों में 26 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं तो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिशत क्या है; और

(ङ) उन्हें अन्य समुदाय के लोगों के बराबर लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) योजना आयोग के अनुसार, देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता 1993-94 में 35.97% से घटकर 1999-2000 में 26.1% हो गई है।

(ख) जी नहीं। गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुमानित 26.1% लोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित देश की सम्पूर्ण जनसंख्या से संबंधित हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गरीबी की रेखा से नीचे रह रही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की प्रतिशतता का अद्यतन अनुमान वर्ष 1993-1994 के लिए उपलब्ध है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनसंख्या का 48.11% तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 51.94% तथा शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनसंख्या का 49.48% तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का 41.14% वर्ष 1993-94 में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा था।

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय रहा है। सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय करती रही है जिनमें निम्नलिखित शामिल है:

1. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास पर अधिक बल देने के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से विशेष योजनाओं अर्थात् अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उपयोजना (टी एस पी) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है। इस कार्यनीति के अंतर्गत राज्यों/केन्द्रीय मंत्रालयों की योजना निधि की कतिपय प्रतिशतता को अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर अनन्य रूप से निर्धारित किया जा रहा है।

2. विशेष केन्द्रीय सहायता को राज्यों की जनजातीय उपयोजना और विशेष संघटक योजना के एक योजना के रूप में उपलब्ध किया जा रहा है।

3. संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुदान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध किया जा रहा है।

4. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय जनजातीय वित्त एवं विकास निगम क्रमश: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कर रहे हैं।

5. केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगमों (एस सी डी सी) को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्मुक्त 51% अंश पूंजी के प्रति 49% अंश पूंजी नियुक्त की जा रही है एस सी डी सी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को विभिन्न आर्थिक कार्यकलाप आरंभ करने के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण तथा सीमान्त राशि प्रदान कर रहे हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड

3036. श्री पी.डी. एलानगोवन:
श्रीमती शीला गौतम:
श्री मंजय लाल:
श्री अरुण कुमार:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री रतन लाल कटारिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में बैंक-वार तथा राज्य-वार किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या कितनी है,

(ख) आज तक इन किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को राज्य-वार कितनी राशि का ऋण उपलब्ध कराया गया है;

(ग) क्या सरकार व्यक्तिगत तथा फसल बीमा को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने का प्रस्ताव रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक किसानों को ऋण देने से बच रहे हैं तथा केवल प्रभावशाली किसान ही इन कार्डों को प्राप्त करने में सफल हुये हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में बचाव के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा यथा सूचित, आरंभ से 30 सितम्बर, 2001 तक देश में किसान

क्रेडिट कार्ड धारकों की एजेंसी-वार संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

संख्या	एजेंसी	आरंभ से जारी किए गए कार्डों की संख्या
1.	वाणिज्यिक बैंक	5147890
2.	सहकारी बैंक	12563813
3.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1220288
	कुल	18931991

आरंभ से 30 सितम्बर, 2001 तक किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या तथा उन्हें प्रदान की गई ऋण की राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) किसान क्रेडिट कार्ड धारक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के साथ-साथ फसल बीमा के भी पात्र हैं। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, दुर्घटनावश मृत्यु या स्थायी/आंशिक विकलांगता के बदले किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के जोखिम को कवर करता है जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपए तक है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अधिसूचित फसलों के लिए किसानों को फसल बीमा प्रदान करता है। ये योजना उन किसानों के लिए अनिवार्य है जो बैंकों से फसल ऋण लेते हैं। बीमित राशि को अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर फसल की औसत उपज के 150 प्रतिशत तक शामिल किए जाने के विकल्प के साथ फसल की नई उपज के मूल्य के बराबर बढ़ाया जा सकता है। उधारकर्ता किसानों के मामले में, न्यूनतम बीमित राशि ली गई ऋण राशि के बराबर होती हैं।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उनके द्वारा किए गए अध्ययनों से प्रभावशाली किसानों को किसी प्रकार की सहूलियत दिए जाने का पता नहीं चलता है।

(च) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

शुरुआत से 30 सितम्बर, 2001 तक एजेन्सियों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने संबंधी राज्य-वार प्रगति

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी किए गए कार्डों की संख्या	मंजूर की गई राशि
1	2	3	4
1.	अंड. एवं निको. द्वीप समूह	1271	79.55
2.	आंध्र प्रदेश	4402494	573368.49
3.	अरुणाचल प्रदेश	351	69.49
4.	असम	5871	1212.49
5.	बिहार	408253	55845.72
6.	चंडीगढ़	0	0.00
7.	छत्तीसगढ़	12054	2045.23
8.	दादरा एवं नगर हवेली	1	1.00
9.	दमन एवं द्वीव	0	0.00
10.	गोवा	1934	4774.82

1	2	3	4
11.	गुजरात	802792	241778.76
12.	हरियाणा	707669	295496.73
13.	हिमाचल प्रदेश	42770	9317.25
14.	जम्मू एवं कश्मीर	13919	1267.91
15.	झारखंड	74577	2550.62
16.	कर्नाटक	1248235	380172.10
17.	केरल	628207	108317.18
18.	लक्षद्वीप	64	16.85
19.	मध्य प्रदेश	611148	206315.96
20.	महाराष्ट्र	2000919	536083.77
21.	मणिपुर	420	32.36
22.	मेघालय	2107	172.83
23.	मिजोरम	703	35.30
24.	नागालैंड	10	0.50
25.	रा. रा. क्षेत्र दिल्ली	1526	586.87
26.	उड़ीसा	1085231	197983.73
27.	पांडिचेरी	9885	2771.97
28.	पंजाब	958647	391282.33
29.	राजस्थान	1652900	597167.25
30.	सिक्किम	361	42.05
31.	तमिलनाडु	1272143	245790.72
32.	त्रिपुरा	2072	256.16
33.	उत्तर प्रदेश	2714386	461016.85
34.	उत्तरांचल	49243	12336.46
35.	पश्चिम बंगाल	219828	36080.86
	कुल	18931991	4364269.58

केरल के गैर-सरकारी बैंक

3037. श्री के. फ्रांसिस जार्ज:
श्री एन. एन. कृष्णदास:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल स्थित लोर्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठनों से बैंक के प्रबंधन द्वारा बैंक संबंधी नियमों और विनियमों के गंभीर उल्लंघन के संबंध में अभ्यावेदन मिले थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी;

(ग) क्या सरकार प्रबंधन के विरुद्ध लगाए गए गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की लार्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड बैंक के संबंध में वार्षिक/त्रैमासिक निरीक्षण रिपोर्ट की जांच की थी;

(घ) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा केरल के लार्ड कृष्णा बैंक नेदुनगाड़ी बैंक और सीरियन बैंक, जो कि दिवालिया होने के कगार पर है, जैसे प्रतिष्ठित गैर-सरकारी बैंकों/वित्तीय संस्थानों के कार्यकरण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक नयी विस्तृत जांच करने का आदेश देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) सरकार को लार्ड कृष्णा बैंक कर्मचारी यूनियन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसके साथ एक ऐसे संकल्प की प्रति भेजी गई है जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया प्रतीत होता है, जिसमें सक्षम प्राधिकारियों से बैंक से संबंधित कुछ क्रियाकलापों की समुचित जांच करने का आग्रह किया गया है।

(ग) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने लार्ड कृष्णा बैंक लि. का 31 मार्च, 2001 को उसकी स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण किया था और निरीक्षण निष्कर्षों की व्यापक छानबीन की जा रही है। उसके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को, जहां कहीं आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय करने के लिए कहा जाएगा।

बी.ओ.आई. के साथ साइबरस्पेस द्वारा धोखाधड़ी

3038. श्री नरेश पुगलिया:
श्री अधीर चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अगस्त, 2001 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' समाचार पत्र में 'साइबरस्पेस इम्पलिकेटेड इन डिफ्राडिंग बी.ओ.आई.' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एक निजी कंपनी ने बैंक अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों से मिलकर बी.ओ.आई. से करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी की है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों सहित ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस तरह की बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) मैसर्स साइबरस्पेस लिमिटेड ने मैसर्स इन्मेक कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से बैंक आफ इंडिया को धोखा दिया। बैंक ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास एक शिकायत दर्ज की है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कंपनियों तथा अन्तर्ग्रस्त निदेशकों के विरुद्ध 26.11.2001 को आरोप पत्र दाखिल किया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बैंक आफ इंडिया के किसी कर्मचारी को आरोप-पत्र नहीं दिया गया है।

(ग) मैसर्स साइबरस्पेस लिमिटेड को कंप्यूटर सर्वर एवं अन्य उपकरण लेने के लिए बैंक आफ इंडिया, लीज फाइनेंस शाखा, मुम्बई द्वारा 27 फरवरी, 2001 को 2.80 करोड़ रुपए का लीज वित्त मंजूर किया गया था। पट्टेदार कंपनी के अनुरोध पर शाखा द्वारा उपकरण के पूर्तिकर्ता मैसर्स इन्मेक कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिनांक 14 मार्च, 2001 को बैंक आफ इंडिया खाता साइबरस्पेस लिमिटेड के नाम में 5 मार्च, 2001 के उनके इनवाइस के बदले 2.80 करोड़ रुपए का उपकरण लीज फाइनेंस संवितरित किया गया था और बैंक ने आवश्यक रसीद प्राप्त कर ली थी। बैंक द्वारा 20 मार्च, 2001 को किए संवितरण पश्चात मुआयना/निरीक्षण से पता चला थी पट्टेदार कंपनी के परिसर में उपकरण लीज संस्थापित नहीं किए गए थे। पूर्तिकर्ता के साथ लिखित पूछताछ करने पर यह पता चला कि मैसर्स साइबरस्पेस लिमिटेड ने पूर्तिकर्ता को पहले दिए गए आर्डर को रद्द कर दिया था और पूर्तिकर्ता ने मैसर्स कमल इन्फोसिस लिमिटेड (मैसर्स साइबरस्पेस लिमिटेड का एक

सहायक प्रतिष्ठान) को राशि वापिस कर दी थी। बैंक आफ इंडिया ने कंपनी को प्रवर्तकों तथा माल पूर्तिकर्ता के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरों के साथ शिकायत दर्ज की है।

(घ) बैंकों को धोखाधड़ी से बचने के लिए निर्धारित पद्धतियों का अनुसरण करने तथा उपचारात्मक उपाय करने की सलाह दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को मैसर्स साइबरस्पेस लिमिटेड तथा उसके निदेशकों के साथ-साथ मैसर्स इन्मेक कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध सतर्क रहने संबंधी सलाह भी दी है।

गरीबी रेखा के नीचे रह रहे पिछड़ा वर्ग के लोग

3039. डा. वी. सरोजा: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का प्रामाणिक आंकड़ा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आंकड़े एकत्र करने के कोई प्रयास किए गए हं;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा दें; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) सरकार के पास गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्ति के बारे में कोई अधिप्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में जनसंख्या के आकंड़े के संग्रह संबंधी मामले को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) तथा गृह मंत्रालय के साथ उठाया गया है। उन्होंने सर्वेक्षण शुरू करने के प्रति अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व

3040. सरदार बूटा सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत 1, जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम क्षेणी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68% (अनुसूचित जातियां-08.41% और अनुसूचित जनजातियां-2.27%) है और द्वितीय श्रेणी सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व केवल 13.20% (अनुसूचित जातियां-9.68% और अनुसूचित जनजातियां-3.52%) जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%) है;

(ख) यदि हां, तो इस मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों/उद्यमों/सांविधिक संगठनों/निगमों, स्वायत्त संगठनों संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के तहत प्रथम श्रेणी और उनके समकक्ष के कुल कितने पद है; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्थापना (आरक्षण) के पैरा 5 के तहत अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत है और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाजरे और मोटे अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

3041. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राजस्थान में बाजरा और मोटे अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है;

(ख) क्या इससे राजस्थान में बाजरा और मोटे अनाज की खरीद में बिचौलियों को लाभ होगा और गरीब किसानों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा कृषक समुदाय के हितों की रक्षा हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) केन्द्र सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2001-02 के लिए बाजरे और मोटे अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही 485/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठते।

लीबिया को घटिया चाय का निर्यात

3042. डा. गंता श्रीनिवास राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने लीबिया में अपना चाय निर्यात बाजार तथा कथित रूप में ऐसी घटिया चाय की आपूर्ति के कारण खो दिया है जो कि मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गयी है;

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) ऐसे मामलों की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताव रुड़ी): (क) से (घ) लीबिया भारतीय चाय का कोई स्थाई बाजार नहीं है। पिछले पांच वर्षों के दौरान लीबिया को किए गए चाय के निर्यातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा (मि.किग्रा में)
1996	0.05
1997	1.65
1998	6.98
1999	शून्य
2000	3.63

त्रिपोली स्थित भारतीय दूतावास ने अगस्त, 2000 के महीने में यह सूचित किया था कि एक भारतीय निर्यातक द्वारा लीबियन नेशनल सप्लाई कारपोरेशन (नास्को) को असंतोषजनक गुणवत्ता वाली चाय की आपूर्ति की है।

चाय बोर्ड ने शुरू में घटिया चाय की आपूर्ति के आरोप के संबंध में उक्त भारतीय निर्यातक के विचार प्राप्त किए और तत्पश्चात उक्त निर्यातक को चाय (वितरण और निर्यात) नियंत्रण आदेश, 1957 के अंतर्गत प्रदत्त चाय निर्यातक लाइसेंस को स्थगित करने/रद्द करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया था। चाय बोर्ड ने उक्त भारतीय निर्यातक से कहा है कि वह सीधे नास्को के साथ इस समस्या का हल निकाले। इस बारे में अनुवर्ती कार्रवाई पर विभाग, चाय बोर्ड और त्रिपोली स्थित हमारे दूतावास द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस प्रकार के विवादों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार और चाय बोर्ड ने चाय बोर्ड द्वारा नियुक्त अभिकरणों के जरिए गुणवत्ता की जांच करवाने के इच्छुक आयातक देशों की फर्मों के लिए एक स्वैच्छिक योजना शुरू की है।

[हिन्दी]

सुपर बाजार को जमीन पट्टे पर देना

3043. श्री रामदास अठावले: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर-बाजार को दिल्ली में 169.25 एकड़ भूमि पट्टे पर दी गई थी तथा सुपर बाजार के प्रबंधन ने इस भूमि का उपयोग सब्जी उगाने में किया;

(ख) यदि हां, तो कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त भूमि के अनुमानित बाजार मूल्य सहित इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

फिल्मी हस्तियों पर आयकर विभाग के छापे

3044. श्रीमती कान्ति सिंह:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** फिल्मी हस्तियों पर आयकर विभाग के छापों के बारे में 27 जुलाई, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1055 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्म स्टारों/फिल्मी हस्तियों के फेरा/फेमा में संलिप्त होने संबंधी जांच पूरी कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जांच करना समय लेने वाली प्रक्रिया है तथा कुछ पूछताछ विदेशों में भी करनी पड़ती है और इन जांचों में शामिल कार्य की मात्रा काफी अधिक है।

औद्योगिक उत्पादन

3045. **श्री रामजी मांझी:**
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री शीशराम सिंह रवि:
श्री वरकला राधाकृष्णन:
डा. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री के. येरननायडू:
डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री मोइनुल हसन:
श्री सुरेश रामराव जाधव:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री अधीर चौधरी:
श्रीमती श्यामा सिंह
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री अजय सिंह चौटाला:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष की पहली छमाही के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ग) औद्योगिक उत्पादन विकास दर में इस तीव्र गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) यह विकास दर निर्धारित लक्ष्यों से किस सीमा तक कम है;

(ङ) क्या सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष की बाकी अवधि के दौरान औद्योगिक विकास की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जी, हां। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा मापी गयी औद्योगिक उत्पादन की विकास दर ने अप्रैल-सितंबर, 2001-2002 के दौरान 2.3 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है, जबकि 2000-01 के दौरान 5.7 प्रतिशत दर दर्ज हुई थी।

(ग) औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

* पिछले दो वर्षों में अपेक्षाकृत कम कृषि उत्पादन, जिसके फलस्वरूप कुल मांग में कमी आयी और खपत कम हुई है।
* अमेरिका तथा अन्य कई देशों में आर्थिक मंदी से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारत के कुल निर्यात में अमेरिका को किए गए निर्यात का अंश 19.19 प्रतिशत है। चूंकि भारत से औद्योगिक उत्पादन का बड़ा हिस्सा निर्यात किया जाता है, इसलिए निर्यात में कमी की वजह से औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ता है।
* अवसंरचना संबंधी बाधाओं का कायम रहना तथा अवसंरचना परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेश को आकृष्ट करने में असफल रहना।
* शेयर बाजार के पूंजीकरण में गिरावट।
* उच्च स्थावर ब्याज दरें।
* व्यावसायिक भावना की कमी।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित किए गए 8.2 प्रतिशत के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में चालू राजकोषीय वर्ष (अप्रैल-सितंबर, 2001-2002) के प्रथम छः महीनों के दौरान अब तक संचयी विकास 2.3 प्रतिशत प्राप्त किया गया है।

(ङ) और (च) सरकार ने देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए कई नीतिगत उपाए किए हैं। इन उपायों का उद्देश्य सामान्यः भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार करना तथा विशेषतः कुल मांग में वृद्धि करना, और संरचना आधार को सुधारना, प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना, शेयर बाजार के रुझान में

सुधार लाना तथा एफ.डी.आई. अंतर्वाह प्रोत्साहित करना है। हाल में दिए गए कुछ उपायों का उल्लेख नीचे संक्षेप में किया गया है:

* वर्तमान बजट आबंटन से सार्वजनिक व्यय बढ़ा दिया गया है। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के अधीन अनेक 'अंतिम चरण परियोजनाओं' को तीव्रता से पूरा करने के लिए पहले ही पहचान कर ली है।

* अदायगी तेज करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर में आधा प्रतिशत कटौती करके इसे 7.00 प्रतिशत से कम करके 6.50 प्रतिशत कर दिया है, जो मई, 1973 के बाद अपने न्यूनतम स्तर पर आ गयी है। सी आर आर भी 7.50 प्रतिशत से 5.50 प्रतिशत करके 2.0 प्रतिशत कम कर दी गयी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सी आर आर पर मिलने वाली ज्यादातर छूट को भी समाप्त कर दिया गया है।

* आर बी आई ने निर्यात ऋण पर ब्याज दर पूर्व में पी एल आर के नीचे 1.5 प्रतिशत से घटाकर पी एल आर के नीचे 2.5 प्रतिशत कर दी है। चूंकि कुल विनिर्माण के लगभग 35 प्रतिशत भाग का निर्यात किया जाता है, इसलिए इस नीति के कारण निर्यात में तेजी आने की संभावना है।

* संसद ने कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित कर दिया है जिस पर अब राष्ट्रपति की सहमति की प्रतीक्षा की जा रही है। विधेयक के कारण कंपनियों द्वारा शेयर पुन: खरीदने की अनुमति मिलेगी, शेयर बाजारों में बाजार के रूझान में सुधार आने के अतिरिक्त अदायगी में वृद्धि होगी।

* विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ आई आई) के लिए निवेश की सीमाएं सभी क्षेत्रों में एफ डी आई की सीमाओं के स्तर तक बढ़ा दी गयी हैं।

* उद्योग के लिए प्रचालन संबंधी माहौल में सुधार लाने के लिए उपयुक्त वैधानिक परिवर्तन करने के प्रस्ताव भी किए गए हैं।

* अवसंरचना संबंधी बाधाएं दूर करने के लिए कई प्रोत्साहन घोषित किए गए हैं, ताकि विद्युत, सड़क, दूरसंचार और पत्तन क्षेत्र में सुधार लाया जा सके। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आरंभ की गयी है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश

3046. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के काम में लगे सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ वित्तीय संस्थान अपनी जमा पूंजी का विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पूंजी निवेश के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन संस्थानों ने इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का चयन समितियों में प्रतिनिधित्व

3047. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संसद सदस्यों के दिसम्बर, 1999 में हुए सम्मेलन में प्रशासन/प्रशासनिक ढांचे के उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की निराशाजनक स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए और इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए यह सिफारिश की गई थी कि विभिन्न सरकारी उपक्रमों, वैधानिक/स्वायत्तशासी संगठनों के निदेशक मण्डल, अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक और भारत सरकार में संयुक्त सचिव और इससे उच्च स्तर के पदों हेतु प्रत्याशियों की खोज, लघु-सूचीयन, संस्तुति, पैनल तैयार करने, चयन और भर्ती करने वाली सभी चयन समितियों/बोर्डों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का एक सदस्य शामिल किया जाए;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा समाज के अन्य वर्गों के कल्याण हेतु इस मांग पर विचार करने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) उक्त चयन बोर्डों/समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को शामिल करने हेतु इनके गठन में समुचित संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए वर्तमान अनुदेशों में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) दिसम्बर, 1999 के दौरान आयोजित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों संसद सदस्यों के सम्मेलन में संसद सदस्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की थी कि ''भर्ती बोर्डों/चयन समितियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने चाहिए''।

(ख) और (ग) यह सिफारिश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजी गई, जिन्होंने सूचित किया कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 जुलाई, 1995 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार जहां कहीं समूह ''ग'' या समूह ''घ'' पदों/सेवाओं में 10 या अधिक रिक्तियों को भरने के लिए कोई चयन समिति/बोर्ड विद्यमान हो अथवा इसका गठन किया जाना हो तो ऐसी समितियों/बोर्डों में एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग से तथा एक सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से रखना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि उन्हें अपने अधीन विभिन्न पदों/सेवाओं के लिए गठित चयन बोर्डों/विभागीय पदोन्नति समितियों में अधिकतम सम्भव सीमा तक किसी अनुसूचित जाति/जनजाति अधिकारी को मनोनीत करने का प्रयास करना चाहिए।

[हिन्दी]

गेहूं का निर्यात मूल्य

3048. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गेहूं का निर्धारित लदान पर्यन्त नि:शुल्क (एफओबी) निर्यात मूल्य क्या है;

(ख) निर्यात के लिए गेहूं का प्रति मीट्रिक टन वाहन-शुल्क और संचालन प्रभार क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को पाव और ब्रेड विनिर्माताओं को निर्यात मूल्य पर गेहूं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ताकि यह आम आदमी को सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) और (ख) निर्यातकों को 31.12.2001 तक भारतीय खाद्य निगम के पत्तन गोदामों से 4250/ रुपये प्रति टन की दर पर गेहूं की पेशकश की जा रही है। ढुलाई, हैण्डलिंग और अन्य प्रभारों को इसमें जोड़ने के बाद पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य खेप-दर-खेप भिन्न-भिन्न होते हैं।

(ग) और (ङ) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार से सस्ती दरों पर बेकरी की वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए 4150/ रुपये प्रति टन पर गेहूं जारी करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। चूंकि, बेकरियों के मालिक भारतीय खाद्य निगम की गेहूं की खुली बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन समय-समय पर लागू दरों पर गेहूं खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं, जो फिलहाल पश्चिमी जोन के लिए 6950/ रुपये प्रति टन है इसलिए इन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश (कुछ जिले) की 2001-2002 की गेहूं फसल के लिए 40 रुपये प्रति क्विंटल की छूट भी उपलब्ध है। भारतीय खाद्य निगम की खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं जारी करने की दरें पहले ही बहुत कम हैं और इसमें राजसहायता शामिल है इसलिए इन मूल्यों को और कम करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) शिष्टमंडल का पाकिस्तान दौरा

3049. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई आर्थिक और व्यापारिक संभावनाओं की तलाश करने के लिए सी आई आई के उच्चस्तरीय शिष्टमंडल ने पाकिस्तान का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सी आई आई शिष्टमंडल के दौरे का क्या परिणाम निकला है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) के एक अठारह-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात करने

और सूचना के आदान-प्रदान के जरिए विश्वास निर्माण संबंधी उपायों की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 31 अगस्त-5 सितम्बर, 2001 के दौरान पाकिस्तान का दौरा किया था। प्रतिनिधिमंडल ने कराची में तीसरे सार्क व्यापार मेले के उदघाटन समारोह में भाग लिया और कराची चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन आफ पाकिस्तान चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री, सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एस्टेट और लाहौर चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के व्यापारी समुदाय के साथ पारस्परिक लाभ के व्यापार संवर्धन उपायों पर विचार-विमर्श किया।

उड़ीसा को विश्व बैंक ऋण

3050. श्री प्रभात सामंतराय:
श्री त्रिलोचन कानूनगो:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार और केन्द्र सरकार के बीच राज्य को विश्व बैंक ऋण प्रदान करने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रयोजनों और परियोजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार को कितना विश्व बैंक ऋण प्राप्त हुआ है;

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान विश्व बैंक से कितना ऋण प्राप्त होने की संभावना है; और

(ङ) उन शर्तों और निबंधनों का ब्यौरा क्या है जिन पर उड़ीसा को विश्व बैंक का ऋण मंजूर किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राज्य सरकारों को विश्व बैंक ऋण, विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में अन्तरित किए जाते हैं। राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक ऋण के लिए केन्द्रीय सरकार के साथ कोई विशिष्ट करार निष्पादित नहीं किया जाता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कार्यान्वित की जा रही राज्य परियोजनाओं के संदर्भ में मुहैया कराई गई विश्व बैंक की सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	करोड़ रुपए
1998-99	444.40
1999-2000	363.74
2000-2001	375.25

(घ) वर्ष 2001-2002 के दौरान विश्व बैंक ऋणों में उड़ीसा को संभवत: संवितरित की जाने वाली ऋण-राशि लगभग 475 करोड़ रु है।

(ङ) विश्व बैंक ऋण की प्राप्तियां उड़ीसा को 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में अन्तरित की जाती हैं। ये ऋण 20 वर्ष की अवधि (पांच वर्ष की स्थगन अवधि सहित) के लिए हैं और इस समय इनकी ब्याज दर 12 प्रतिशत है।

ऋणों का एकमुश्त निपटारा

3051. श्री अरूण कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना एकमुश्त निपटारा योजना (ओ.टी.एस.) को 31 मार्च, 2002 तक बढ़ाने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के जरिए अब तक प्रत्येक बैंक द्वारा कितनी राशि वसूली गई है; और

(घ) इस योजना के बारे में लेनदारों को भिज्ञ बनाने के लिए बैंकों द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 30 सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इस योजना के जरिए जो धनराशि वसूल की है, उसके बैंक-वार ब्यौरे संलग्न विवरण दिए गए हैं।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने मीडिया के जरिए इस योजना का काफी प्रचार किया है और जब यह योजना लागू थी तब बैंकों ने अर्ह ऋणकर्ताओं से सम्पर्क करके उनसे इस अवसर का लाभ उठाने का भी अनुरोध किया था।

विवरण

30 सितम्बर, 2001 के अनुसार आरबीआई की संशोधित मार्गनिर्देशों के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली

बैंक का नाम	(रुपये करोड़ में) की गई वसूली (राशि)
1	2
भारतीय स्टेट बैंक	633
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एडं जयपुर	41
स्टेट बैंक आफ हैदाबाद	44
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	18
स्टेट बैंक आफ मैसूर	25
स्टेट बैंक आफ पटियाला	51
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	16
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	14
इलाहाबाद बैंक	68
आन्ध्र बैंक	42
बैंक आफ बड़ौदा	236
बैंक आफ इंडिया	210
बैंक आफ महाराष्ट्र	51
केनरा बैंक	45
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	191
कारपोरेशन बैंक	10
देना बैंक	21
इंडियन बैंक	235
इंडियन ओवरसीज बैंक	56
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	82
पंजाब नेशनल बैंक	170
पंजाब एंड सिंध बैंक	55
सिंडिकेट बैंक	46
यूको बैंक	49
यूनियन बैंक आफ इंडिया	102
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	59
विजया बैंक	29

[हिन्दी]

नीमच में अल्केलायड फैक्ट्री का विस्तार

3052. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की अल्केलायड का उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के नीमच में अल्केलायड फैक्ट्री के विस्तार के प्रयोजन से मध्य प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नई निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना

3053. श्री ए. कृष्णास्वामी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या परिधान और हस्तकरघा संघ ने वर्ष 2005 में कोटा प्रणाली की आसन्न समाप्ति के मद्देनजर विदेशी विपणन सुविज्ञता अर्जित करने के लिए नई निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना की मांग की है;

(ख) क्या परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् मुख्य रूप से कोटा प्रशासन पर ध्यान केन्द्रित कर रही है जिससे निर्यात संवर्धन के कार्यों की अपेक्षा हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा परिषद् को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं अथवा प्रस्तावित हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) सिलेसिलाए परिधान की मदों, जो यूएसए, यूरोपीयन यूनियन और कनाडा में प्रतिबंधों के अध्ययीन हैं, के संबंध में निर्यात हकदारी के संचालन के अतिरिक्त अप्रैल निर्यात संवर्द्धन परिषद मौजूदा बाजारों को सुदृढ बनाने और नए बाजारों का पता लगाने के प्रयोजन से विदेशी प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेने, विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करने और व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों को प्रयोजित करने जैसे निर्यात संवर्धन के कार्य कर रही है।

इस समय क्लोदिंग क्षेत्र में कोई नई निर्यात संवर्द्धन परिषद स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं?

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में "नाबार्ड" का निष्पादन

3054. श्री सुरेश चन्देल:
श्री मंजय लाल:
श्री अरुण कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार परिणाम क्या रहे हैं;

(ग) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पाई गई खामियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)के कार्यकलापों की सरकार निरंतर आधार पर समीक्षा करती है। उसके परिचालनों की गहराई से समीक्षा नाबार्ड के निदेशक मण्डल द्वारा की जाती है जिसमें, अन्यों के साथ-साथ, वित्त, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। नाबार्ड के कार्यकलापों की समीक्षा प्रति वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल द्वारा भी की जाती है। वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ नाबार्ड के कार्यकलापों की वार्षिक समीक्षा संसद के सभा पटल पर भी रखी जाती है। नाबार्ड के ऋण से जुड़े कार्यों के मामले में निवेश ऋण तथा उत्पादन ऋण के अंतर्गत कार्यों को परिमाणित लक्ष्यों के संबंध में विश्लेषण किया जाता है। गत तीन वर्षों में उपलब्ध कराया गया राज्य-वार पुनर्वित्त और हिमाचल प्रदेश सहित राज्य सरकारों को दिए गए ऋण के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत राज्य की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हिमाचल प्रदेश में कोई कमी/समस्या का पता नहीं चला है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित आरआईडीएफ परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

वर्ष 1998-99 से 2000-2001 के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रदत्त पुनर्वित सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		मंजूर की गई	आहरित	मंजूर की गई	आहरित	मंजूर की गई	आहरित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंड एवं नि. द्वीप समूह	209	265	287	276	329	324
2.	आन्ध्र प्रदेश	247962	230546	231538	215112	253741	235768
3.	अरुणाचल प्रदेश	460	460	1064	1117	3502	3502
4.	असम	14098	14113	14546	14568	12976	13049
5.	बिहार	28493	26065	28225	26767	27151	26436

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	चंडीगढ़	3	3	10	10	6555	6555
7.	दादरा एवं नगर हवेली	3	3	24	24	67	67
8.	गोवा	1402	1402	1910	1910	2005	2005
9.	गुजरात	75917	49835	80033	63084	106273	79129
10.	हरियाणा	112584	99949	118369	118290	149328	140728
11.	हिमाचल प्रदेश	10978	10797	13602	13571	20035	19863
12.	जम्मू एवं कश्मीर	3449	3478	8889	8749	10739	10822
13.	कर्नाटक	121106	117734	125594	123913	144063	135441
14.	केरल	55242	42887	64751	52052	71960	51870
15.	लक्षद्वीप	20	20	21	21	9	9
16.	मध्य प्रदेश	110093	83265	120958	96519	124863	110715
17.	महाराष्ट्र	78933	61279	109681	86838	139197	125885
18.	मणिपुर	325	939	203	817	187	187
19.	मेघालय	1313	1168	2133	2074	2615	2655
20.	मिजोरम	351	351	1386	1386	1814	1814
21.	नागालैंड	319	319	1032	1032	1342	1294
22.	रा. रा. क्षेत्र दिल्ली	105	105	100	100	669	669
23.	उड़ीसा	56721	53877	85492	77624	80754	79831
24.	पांडिचेरी	247	247	844	809	912	878
25.	पंजाब	94387	92184	101244	98650	106839	99737
26.	राजस्थान	90958	80426	98413	91321	113963	106933
27.	सिक्किम	167	167	1500	1400	977	1077
28.	तमिलनाडू	129394	104969	145149	120659	160830	135526
29.	त्रिपुरा	2013	2299	2710	2946	3561	3567
30.	उत्तर प्रदेश	163374	142126	180482	164877	191879	184373
31.	पश्चिम बंगाल	45349	39519	55282	48065	67554	65432
	कुल	1446035	1260797	1595472	1434581	1816689	1646141

विवरण-II

वर्ष 1998-99 से 2000-01 के दौरान ग्रामीण आधारिक विकास निधि के तहत नाबार्ड द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	आरआईडीएफ-IV	आरआईडीएफ-V	आरआईडीएफ-V
1.	आन्ध्र प्रदेश	386	1174	2294
2.	अरुणाचल प्रदेश		7	13
3.	असम	39	100090	7
4.	बिहार	3	145	58
5.	गोवा	22		60
6.	गुजरात	154	9798	7727
7.	हरियाणा	44	6	72
8.	हिमाचल प्रदेश	67	733	1303
9.	जम्मू एवं कश्मीर	88	132	176
10.	कर्नाटक	536	371	587
11.	केरल	162	237	256
12.	मध्य प्रदेश	227	153	160
13.	महाराष्ट्र	912	1549	1159
14.	मणिपुर			157
15.	मेघालय	16	61	52
16.	मिजोरम		36	70
17.	नागालैंड	1	54	73
18.	उड़ीसा	41	93	16122
19.	पंजाब	161	104	181
20.	राजस्थान	47	513	5640
21.	सिक्किम	112	27	5
22.	तमिलनाडू	470	651	749
23.	त्रिपुरा	24	89	9
24.	उत्तर प्रदेश	2656	1216	1728
25.	पश्चिम बंगाल	106	958	374
	कुल	6274	118197	39032

[अनुवाद]

सरकार की निवल प्राप्तियां

3055 श्री अबुल हसनत खां: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सकल प्राप्तियों की तुलना में निवल प्राप्तियों का अनुपात वर्ष 1990-91 के 54.41 से घटकर वर्ष 1999-2000 में 38.17 हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) सकल प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय सरकार की निवल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 1990-91 में 62.09 प्रतिशत और वर्ष 1999-2000 में 63.44 प्रतिशत थीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चूककर्ता दलाल

3056. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष चूककर्ता घोषित दलालों की संख्या एक्सचेंजवार कितनी है तथा उसके कारण हैं;

(ख) उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार काली सूची में डाले गए विदेशी निगम निकायों की संख्या कितनी है; और

(घ) उसके क्या कारण हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी

गुजरात को एशियाई विकास बैंक का ऋण

3057. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक द्वारा 23 जनवरी, 1996 को मंजूर किए जाने के बाद से अभी तक गुजरात सरकार ने 3500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय सहायता प्राप्त न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक क्या प्रयास किए गए हैं तथा उसका क्या परिणाम निकला है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी नहीं। एशियाई विकास बैंक द्वारा 23 जनवरी, 1996 को गुजरात सरकार के लिए कोई सहायता मंजूर नहीं की गई थी। परन्तु एशियाई विकास बैंक द्वारा दि. 18.12.1996 को गुजरात सरकारी क्षेत्र संसाधन प्रबंध कार्यक्रम ऋण हेतु 250 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता मंजूर की गयी थी। 100 मिलियन अमरीकी डालर की पहली किश्त दि. 20.12.1996 को एडीबी द्वारा संवितरित की गई थी। 50 मिलियन अमरीकी डालर की प्रोत्साहन किश्त और 100 मिलियन अमरीकी डालर की दूसरी किश्त एडीबी द्वारा क्रमश: जुलाई, 1999 और दिसंबर, 2000 में संवितरित की गई थी। इन्हीं संवितरणों के आधार पर भारत सरकार ने समय-समय पर गुजरात सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की थी।

आयातित वस्तुओं पर कर

3058. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थानीय उत्पादों के आपातकालीन विक्रय को रोकने के लिए आयातित वस्तुओं पर कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव है तथा आयातित वस्तुओं की डम्पिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन वस्तुओं की पहचान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) देश में होने वाले आयातों पर सीमाशुल्क लगाया जाता है। ये आयात मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, जो कि घरेलू रूप से उत्पादित समान वस्तुओं पर संदेह उत्पादन शुल्क के बराबर होता हैं। तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क के अधीन होते हैं। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी की जांच तथा जांच परिणामों के आधार पर विशिष्ट वस्तुओं पर पाटनरोधी

शुल्क तथा रक्षोपाय शुल्क के रूप में भी शुल्क लगाए जा सकते है।

आयातों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सरकार टैरिफ और अन्य तंत्रों के समुचित उपयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है कि आयातों के घरेलू उत्पादकों को कोई गंभीर हानि या क्षति नहीं पहुंचे। इस दिशा में ऐसी अनेक मदों पर, जिनके आयातों में वृद्धि देखी गई थी, आयात शुल्क पहले ही बढ़ा दिया गया है, उदाहरण के लिए, चावल पर शुल्क 0% से बढ़ाकर 80% मक्का पर 0% से बढ़ाकर 50% सेब पर 35% से बढ़ाकर 50% गेंहूं पर उक्त शुल्क बढ़ाकर 50% नारियल, कोपरा, चाय और कॉफी पर सीमाशुल्क 35% से बढ़ाकर 70% तक कर दिया है। सोयाबीन तेल को छोड़कर विभिन्न परिष्कृत खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में 85% तक की वृद्धि की गई है। इसी प्रकार, अपरिष्कृत पामोलीन तेल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 65% कर दिया गया है तथा सोयाबीन तेल को छोड़कर अन्य अपरिष्कृत खाद्य तेलों पर शुल्क में 75% तक की वृद्धि की गई है।

जूट उत्पादों के निर्यात के लिए बाजार सहायता (ई.एम.ए.एस.)

3059. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विविध जूट उत्पादों के निर्यात के लिए बाह्य सहायता (ई.एम.ए.एस.) की पुनर्संरचना का निर्णय लिया गया था;

(ख) क्या ई.एम.ए.एस. के प्रचालन संबंधी कोई अध्ययन किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या परिणाम रहा तथा नई नीति कब से लागू हुई; और

(घ) जूट उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जी, हां। पटसन विनिर्माण विकास परिषद (जे.एम.डी.सी.) द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि विविधीकृत पटसन उत्पादों के निर्यात के लिए बाह्य बाजार सहायता (ई.एम.ए.) योजना को पुन: बनाया जाये। इस उद्देश्य के लिए पटसन सामान के निर्यात में ई.एम.ए. योजना के योगदान का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन किया गया था।

(ग) इस अध्ययन द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि बढ़े हुए निर्यात पर थ्रस्ट के साथ ई.ए.ए. योजना को जारी रखा जाए। इस योजना को 1 अप्रैल, 2000 से संशोधित किया गया था। जे.एम.डी.सी. द्वारा इस योजना की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है और इसमें आवश्यक संशोधन किये जाते है।

(घ) पटसन उपजकर्त्ताओं को सहायता देने के लिए सरकार प्रत्येक वर्ष कच्चे पटसन/मेस्टा के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इसके अतिरिक्त पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 में पटसन पैकेजिंग सामग्री में कुछ मदों की अनिवार्य पैकेजिंग करने की व्यवस्था है जिससे पटसन उपजकर्त्ताओं को अपने उत्पादन के विपणन में सहायता मिलती है। वर्ष 1992-93 से केन्द्रीय रूप से प्रायोजित विशेष पटसन विकास कार्यक्रम प्रचालन में था। यह योजना अक्तूबर, 2000 से कृषि की बृहत प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत बनाई गई है जिसमें राज्य सरकारों को आवश्यकता आधारित कार्यक्रम शुरू करने में छूट दी जाती है।

इलेक्ट्रानिक वाणिज्य और कराधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

3060. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलेक्ट्रानिक वाणिज्य और कराधान संबंधी समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रदान करने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ङ) जी हां, इलेक्ट्रानिक, वाणिज्य और कराधान संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अपनी रिपोर्ट 6 अगस्त, 2001 को सरकार को प्रस्तुत कर दी है। समिति की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है। सरकार जनता से मांगे गए अभिमत/टिप्पणियों को ध्यान में रखने के पश्चात ही उक्त समिति की सिफारिशों की जांच करेंगी।

विवरण

ई-कॉमर्स कराधान संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशें/टिप्पणियां

1. समिति ने पारंपरिक कॉमर्स के सापेक्ष ई-कॉमर्स के कराधान की तटस्थता पर विचार करने की इच्छा प्रकट की है जिसमें प्रत्यक्ष कर आधारों की अखण्डता तथा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सहमति के लिए कार्य-प्रणाली को सुनिश्चित किया गया है।

2. समिति ने स्थायी संस्थापन की संकल्पना तथा सीमा पार लेनदेनों में भुगतानों के संबंध में आय की विशेषता पर ई-कॉसर्स के प्रभाव की जांच की है। समिति का विचार है कि स्थायी संस्थापना की संकल्पना को त्याग दिये जाने की जरूरत है। अन्तर्राष्ट्रीय कराधान के मौजूदा सिद्धान्तों के अन्तर्गत अपने वैबसाइट को रखने वाले अनिवासी उद्यम के सर्वर एक स्थायी संस्थापना का निर्माण करेगा, यदि संवर्र उद्यम के लिए कार्य कर रहा है और यह एक निश्चित अवधि तक एक निर्धारित स्थान पर रहता है तथा उद्यम का प्रमुख कारोबार संबंधी कार्य करता है। तथापि, इससे छोटे सर्वरों के इस्तेमाल की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, कराधान की निश्चितता नहीं होती है। इसके फलस्वरूप, स्रोत देशों के विपरीत निवास देशों के पक्ष में राजस्व सहभागिता के संतुलन में परिवर्तन होता है क्योंकि ऐसे एक मात्र सर्वर को बहुत ही कम आय प्राप्त होगी।

3. आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के कर परामर्शदायी समूह द्वारा सुविचारित लेन-देनों की 28 श्रेणियों के संदर्भ में सीमापार भुगतानों के माध्यम से आय की विशेषता से संबंधित मुद्दों की जांच की गई है इन श्रेणियों की संख्या के संबंध में समिति का दृष्टिकोण आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के दृष्टिकोण से भिन्न है। समिति ने सिफारिश की है कि इन 28 श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में एक दृष्टिकोण अपनाया जाए ताकि विभिन्न निर्धारण अधिकारियों द्वारा दृष्टिकोण की एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। इसने एक सतत प्रक्रिया के रूप में कारोबार की नई उभरती हुई श्रेणियों की नियमित निगरानी करने की सिफारिश की है।

4. प्रवर्तन के संबंध में समिति का मत है कि ई-कॉमर्स विशेषकर आन-लाइन ई-कॉमर्स की सीमा इस समय नाममात्र ही है और निकट-भविष्य में इसके बढ़ने की संभावना नहीं है। तथापि, सुपुर्दगी तथा भुगतान, उपाय संबंधी समस्याओं की दूर कर दिये जाने के उपरान्त प्रवर्तन संबंधी चुनौतियां उत्पन्न होंगी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए आयकर प्रशासन तैयार करने हेतु अनेक सिफारिशें की गई हैं।

5. अन्त में, समिति ने उन क्षेत्रों का उल्लेख किया है जिनमें इन्टरनेट के प्रयोग के जरिए कर-दाता सेवाओं में सुधार किया जा सकता है।

यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की वैबसाइट-एच टी पी पी/डब्ल्यू डब्ल्यू.डब्ल्यू. फिनिमिन.निक.इन. में जनता से टिप्पणियों/विचारों के लिए उपलब्ध हैं।

आईसीआईसीआई लि. और आईसीआईसीआई बैंक का विलय

3061. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव आईसीआईसीआई लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक का विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विलय के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) कब तक इसके विलय की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (घ) सार्वभौम बैंक में परिवर्तन के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा ध्यान दिए जाने वाले महत्वपूर्ण परिचालनात्मक एवं विनियामक मामले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 28 अप्रैल, 2001 को परिचालित किए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक अपने परिपत्र में निर्धारित तथ्यों के आलोक में वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों को संसाधित करना चाहता है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने साथ आईसीआईसीआई के विलय हेतु 25 अक्तूबर, 2001 को भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है। विलय का मुख्य उद्देश्य बाजार की स्पर्द्धा में बना रहना है। भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम निर्णय लेने हेतु विलय के प्रस्ताव पर गुणावगुण के आधार पर विचार करेगा।

संगठित मिल क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन

3062. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संगठित मिल क्षेत्र की बुनाई क्षमता कई वर्षों से स्थिर हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं:

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान यह किस सीमा तक कम हुई है;

(घ) संगठित मिल क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष के लिए कपड़ा उत्पादन की क्या संभावना व्यक्त की गई है; और

(ङ) अभी तक किस सीमा तक इसे हासिल किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों से संगठित मिल क्षेत्र में लगभग 1.23 लाख करघे स्थिर पड़े हुए हैं। इनके स्थिर रहने के कुछ कारण प्रौद्योगिकी से प्रचालित की जाने वाली प्रणालियों पर उत्पादन प्रयासों की कमी, विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र की तुलना में मिल क्षेत्र में फैब्रिकों के उत्पादन की अपेक्षाकृत अधिक लागत होना, कार्यशील पूंजी की कमी आदि हैं।

(घ) और (ङ) चालू वर्ष के दौरान मिल क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन 1710 मिलियन वर्गमीटर होना प्रक्षेपित है। सितम्बर, 2001 तक 744 वर्गमीटर उत्पादन हुआ है।

असहाय बच्चों के कल्याण हेतु योजनाएं

3063. श्री भीम दाहाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में असहाय बच्चों के कल्याण हेतु योजनाएं चला रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजनाओं के लागू करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन राज्यों में से प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय "किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तथा दो केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं, अर्थात (1) बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, तथा (2) अंत:देशीय दत्तक ग्रहण के संवर्धन के लिए गृहों (शिशु गृह) को सहायता की योजना कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम सहित समस्त देशों में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार आबंटन नहीं किए जाते हैं बल्कि संगत योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा गैर-सरकारी संगठनों को उनके प्रस्तावों की जांच के बाद सहायता अनुदान स्वीकृत और निर्मुक्त किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को निर्मुक्त निधियों के संबंध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्षों के दौरान निर्मुक्त अनुदान		
		1998-99	1999-2000	2000-01
	किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम			
1.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
2.	असम	15.83	0	0
3.	मणिपुर	0	0	5.35
4.	मेघालय	2.93	4.62	5.62
5.	मिजोरम	6.70	9.71	4.26
6.	नागालैंड	3.45	0	6.67
7.	सिक्किम	5.15	1.70	1.70
8.	त्रिपुरा	0	1.00	0

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्षों के दौरान निर्मुक्त अनुदान		
		1998-99	1999-2000	2000-01
	बेसहारा बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम			
1.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
2.	असम	5.58	5.71	15.87
3.	मणिपुर	3.53	8.06	11.6
4.	मेघालय	0	0	0
5.	मिजोरम	0	1.79	1.06
6.	नागालैंड	0	0	0
7.	सिक्किम	0	0	0
8.	त्रिपुरा	0	0.50	0
	अंत:देशीय दत्तक ग्रहण के संवर्धन हेतु बच्चों के लिए			
	गृहों (शिशु गृह) को सहायता की योजना			
1.	अरुणाचल प्रदेश	3.75	6.00	5.83
2.	असम	0	0	0
3.	मणिपुर	1.00	4.56	10.63
4.	मेघालय	0	0	0
5.	मिजोरम	0	0.49	4.97
6.	नागालैंड	0	0	0
7.	सिक्किम	0	0	0
8.	त्रिपुरा	3.76	5.99	5.83

भौगोलिक सूचना संबंधी पंजीकरण

3064. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा उत्पादों के भौगोलिक सूचना संबंधी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए किन-किन संघों की पहचान की गई है;

(ख) क्या सरकार ने भारत सरकार के पास पंजीकृत होने वाली अन्य मदों की पहचान के लिए राज्य सरकारों तथा कारीगरों के साथ काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्श किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) वर्तमान में प्रवृत्त किसी कानून के द्वारा या उसके अधीन स्थापित व्यक्तियों या उत्पादों की कोई एसोसिएशन अथवा कोई संगठन या प्राधिकरण जो संबधित वस्तुओं के उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों तथा जो इस प्रकार की वस्तुओं से संबंधित किसी भौगोलिक संकेत का पंजीकरण कराने के इच्छुक हों, वे वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, 1999 के अधीन पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। जहां ऐसे पंजीकरण प्राप्त करने उपयोगी समझे जाये तत्संबंधी उपयुक्त कार्यनीतियां विकसित कराने का दायित्व इन्हीं एसोसिएशनों

या संगठनों या प्राधिकरणों और संबंधित प्रशासनिक विभागों, यदि कोई हों, का होता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की बंद मिलों की भूमि की बिक्री

3065. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अपनी बंद मिलों को बेच दिया है और उसने कुछ मिलों की बेकार व खाली पड़ी भूमि को भी बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मिलों को बेचा गया एवं उनके खरीददार कौन हैं और वे मिलें कौन-सी हैं जिनकी खाली व बेकार पड़ी भूमि को बेचा गया है एवं उनके खरीददार कौन हैं; और

(ग) इससे सरकार को प्राप्त निधियों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मेरुदण्ड चिकित्सा केन्द्र

3066. श्री के. येरननायडू: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में एक भारतीय मेरुदण्ड चिकित्सा केन्द्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान इस केन्द्र द्वारा मुख्यत: कौन सी सेवाएं प्रदान की गई और इस केन्द्र की भावी योजनाएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के सभी राज्यों की राजधानियों में ऐसे शीर्ष मेरुदण्ड चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा संचालित भारतीय मेरुदण्ड क्षति केन्द्र, नई दिल्ली की स्थापना इटली सरकार द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अन्तर्गत मेरुदण्ड क्षति वाले व्यक्तियों के व्यापक प्रबंधन और चलन संबंधी विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए 1991 में की गई है। भारत-इटली सहयोग के अंतर्गत उपस्कर एवं तकनीकी विशेषज्ञता के रूप में सहायता उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार ने दीन और गरीब रोगियों के लिए तीस नि:शुल्क बिस्तरे प्रायोजित करने हेतु सतत सहायता के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए सहायता के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए सहायता प्रदान की है। भारतीय मेरूदण्ड क्षति केन्द्र द्वारा उपलब्ध की गई सेवाओं में, चिकित्सा तथा शल्य-चिकित्सा संबंधी हस्तक्षेप और शारीरिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक एवं व्यावसायिक पुनर्वास सेवाओं, भविष्य में ऐसी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु योजनाओं के साथ शामिल हैं। भारतीय मेरुदण्ड क्षति केन्द्र से मेरुदण्ड क्षतिग्रस्त व्यक्तियों तथा अन्य अस्थि विकलांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अन्तर्गत स्थापित किए जा रहे, क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों (आर आर सी) की स्थापना करने के लिए अपेक्षित तकनीकी सहायता प्रदान करने की भी आशा की जाती है। वर्तमान में चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र बरेली (उत्तर प्रदेश), जबलपुर (मध्य प्रदेश), कटक (उड़ीसा) तथा मोहाली (पंजाब) में स्थापित किए जा रहे हैं।

पाकिस्तान द्वारा वस्त्र संबंधी मशीनों के आयात पर से प्रतिबंध हटाना

3067. श्री सुरेश कुरूप: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री ने अगस्त, 2001 में अपने नई दिल्ली के दौरे में कहा था कि वस्त्र संबंधी मशीनों के आयात पर से प्रतिबंध शीघ्र हटा लिया जाएगा;

(ख) क्या पाकिस्तान ने यह प्रतिबंध हटा लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप निर्यातों में किस सीमा तक वृद्धि होने की संभावना है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) पाकिस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने सार्क मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 23-25 अगस्त, 2001 को भारत का दौरा किया था। उनके दौरे के बाद पाकिस्तान के अखबारों में यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि मंत्री ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान भारत से होने वाले वस्त्र मशीनरी

के आयात पर से शीघ्र ही प्रतिबंध हटा सकता है। तथापि, पाकिस्तान द्वारा भारत से आयात किए जाने की अनुमति प्राप्त मदों की सूची में वस्त्र मशीनरी को शामिल करने के लिए कोई सरकारी अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

सहकारी बैंक

3068. श्री अम्बरीश: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शेयर बाजार घोटाले के बाद सहकारी क्षेत्र के कई बैंक बंद होने की कगार पर हैं या बंद कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सहकारी बैंको का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के सभी सहकारी बैंकों के लेखों की भारतीय रिजर्व बैंक ने लेखापरीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन सरकारी बैंकों के लेखे अधूरे पाए गए या जिन्होंने निर्धारित मानकों/दिशानिर्देशों का पालन किए बिना ऋण/अग्रिम स्वीकृत किए;

(ङ) ऐसे बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) मंदी का सामना कर रहे सहकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यह कहना सही नहीं है कि देश में काफी शहरी सहकारी बैंक बन्द होने के कगार पर हैं अथवा शेयर घोटाले के बाद बन्द हो गए हैं। तथापि, 8 शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस शेयर घोटाले के बाद रद्द/अस्वीकार कर दिए गए हैं। इन बैंकों के विवरण नीचे दिए गए हैं

सं.	बैंक का नाम
1	2
1.	दि फ्रेन्डस कोआपरेटिव बैंक लि., मुम्बई महाराष्ट्र
2.	वेस्टर्न को आपरेटिव बैंक लि., मुम्बई (महाराष्ट्र)
3.	बेलारी शहरी सहकारी बैंक लि., बेलारी (महाराष्ट्र)
4.	दि सितारा सहकारी बैंक लि., हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
5.	कृषि सहकारी बैंक लि. हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
6.	क्लासिक को आपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात)
7.	विकास को आपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद (गुजरात)
8.	सिटी कोआपरेटिव बैंक लि., लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सहकारी बैंकों की लेखा-परीक्षा प्रत्येक राज्य के सहकारी सोसाइटी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सहकारी संस्थानों के रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा-परीक्षाओं द्वारा की जाती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित आवर्तन के अनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसाकि सहकारी संस्थाओं पर लागू हैं) की धारा 35 के अंतर्गत शहरी सहकारी बैंकों का निरीक्षण करता है। निरीक्षण की अवधि के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक के मानंदडों/मार्ग-निर्देशों के सामान्य उल्लंघन की जानकारी मिली हैं। इनमें सीआरआर और एसएलआर के रख-रखाव में चूक, आय की पहचान के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंडों की गैर-अनुपालना, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना, बैंक निदेशकों को गैर-जमानती अग्रिमों की मंजूरी करना, प्राथमिक क्षेत्र/गरीब वर्गों के लिए निर्धारित अग्रिमों के लिए लक्ष्यों को प्राप्त न किया जाना, रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना अन्य सहकारी बैंकों के पास जमाराशि रखना, भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना शाखाओं/विस्तार काउंटरों का खोला जाना, आदि।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण की अवधि के दौरान जहां कहीं कमियों/अनियमितताओं की जानकारी मिलती है, तो उसे सुधार के लिए संबंधित बैंकों की जानकारी के लिए भेजा जाता है और उनसे अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। सीआरआर/एसएलआर के रख-रखाव, सांविधिक विवरणी, आदि जैसी सांविधिक अपेक्षाओं की गैर-अनुपालना के लिए दाण्डिक कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, इन बैंकों के प्रबंधकीय कार्यों में जानकारी में आई कमियों को उपचारी कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य के सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार की जानकारी में साथ-साथ लाया जाता है। गंभीर स्थिति में रजिस्ट्रार से अपेक्षा की जाती है की वह निदेशक मंडल का अधिक्रमण करे और सहकारी सोसाइटी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासक नियुक्त करें। उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि वह जांच कराए और उपयुक्त कार्रवाई करे।

(च) ''कमजोर'' के रूप में वर्गीकृत बैंकों से कहा जाता है कि वे समयबद्ध ढंग से सफल आमूल परिवर्तन के लिए कार्य

योजना तैयार करें। योजना में संसाधनों का जुटाना, धन का अधिनियोजन प्रभावी वसूली और व्यय में कमी कवर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इन बैंकों के पुनरुज्जीवन में हुई प्रगति की निगरानी करता है।

अमरीका में हुए आतंकवादी हमलों का भारतीय शेयर बाजार पर प्रभाव

3069. **श्रीमती रेणुका चौधरी:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:
श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यूयार्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए हाल ही के आतंकवादी हमलों के बाद सूचकांक और शेयर बाजार सूचकों में भारी गिरावट आई है और यह आठ वर्षों में सबसे अधिक धराशायी हुए;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी प्रतिशत औसत हानि हुई और इससे निवेशकों को कुल कितना अनुमानित घाटा हुआ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) दिनांक 11 सितम्बर, 2001 को संवेदी सूचकांक 3150 पर बंद हुआ। न्यूयार्क में विश्व व्यापार केन्द्र पर आतंकवादी हमले के बाद के दिनों में संवेदी सूचकांक गिरा है और यह दिनांक 21 सितम्बर, 2001 को 2600 के निम्न स्तर पर बंद हुआ। यह आठ वर्ष का न्यून था। दिनांक 7 सितम्बर, 1993 को संवेदी सूचकांक 2533 पर बंद हुआ।

(ख) 11 सितम्बर, 2001 से 25 सितम्बर, 2001 के बीच 10 व्यापार दिवसों में संवेदी सूचकांक लगभग 17 प्रतिशत गिरा है। तत्पश्चात, संवेदी सूचकांक में सुधार आया और यह 3 दिसम्बर, 2001 को 3275 पर बंद हुआ। शेयर मूल्यों में तेजी और गिरावट एक बाजार प्रक्रिया है और इसकी परिणामी हानि या लाभ काल्पनिक है और सब स्टॉक बाजारों में अतंर्हित है।

(ग) संयुक्त राज्य में हुई घटना के परिणामस्वरूप और सेबी तथा दो एक्सचेंजों, बीएसई व एनएसई के बीच विचार-विमर्श के बाद निमांकित निर्णय लिया गया;

1. बाजार खुला रहेगा।
2. बाजार व्यापी सूचकांक आधारित सर्किट ब्रेकर पूर्व घोषित सूचकांक स्तरों के बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एस एंड पीसीएनएक्स निफ्टी में गिरावट के 10 प्रतिशत के स्तर पर रखा जाएगा तथा आगे और छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. व्युत्पाद संगठक में 53 निजी प्रतिभूतियों पर वर्तमान में एक्सचेंज आदेश सत्यापन के प्रयोजनार्थ 20 प्रतिशत के स्तर पर लागू मूल्य फिल्टर को घटाकर अब 10 प्रतिशत के स्तर पर कर दिया जाएगा और इस स्तर से अधिक के आदेश एक्सचेंजों की व्यापार प्रणाली द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित नहीं किए जाएंगे।
4. अन्य स्क्रिपों पर मूल्यवर्ग अपरिवर्तित रहेंगे।
5. सभी उपर्युक्त निर्णय अगले आदेशों तक लागू रहेंगे।

जैसाकि बीएसई संवेदी सूचकांक की घट बढ़ से देखा जा सकता है, स्टॉक बाजार अब स्थिर हो चुका है, संवेदी सूचकांक दिनांक 11 सितम्बर, 2001 के स्तर की तुलना में बढ़कर दिनांक 3 दिसम्बर, 2001 को 3275 पर बंद हुआ।

[हिन्दी]

निर्यात उपलब्धियां

3070. **श्री नवल किशोर राय:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवें दशक के दौरान देश का निर्यात बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस दशक की आरंभिक अवधि के दौरान देश से रुपये/डालरों में कितना निर्यात किया गया है;

(ग) इस दशक के अन्त में रुपए/डालरों में कितना निर्यात किया गया;

(घ) इस दशक के अन्त में विश्व व्यापार के मूल्य की तुलना में भारतीय निर्यात मूल्य का प्रतिशत क्या है; और

(ङ) चालू दशक के दौरान इस संबंध में प्राप्त की गई वृद्धि का प्रतिशत कितना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) से (ग) जी, हां। वाणिज्यक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता से प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निर्यात जो वर्ष 1990-91 के दौरान 18.14 बिलियन अमरीकी डालर के थे, वर्ष 2000-01 में बढ़कर 44.56 बिलियन अमरीकी डालर के हो गए। भारत के निर्यातों में डालर के रूप में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2000-01 के दौरान 21% की वृद्धि दर्ज की गई। रुपए की दृष्टि से निर्यात वर्ष 1990-91 के दौरान हुए 32553 करोड़ रु. से बढ़कर 2000-01 के दौरान 203571 करोड़ रु. के हो गए ।

(घ) और (ङ) विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 के दौरान भारत के पण्य निर्यातों का हिस्सा विश्व के निर्यातों का 0.67% है। विश्व के पण्य निर्यात में 1990 में भारत का हिस्सा 0.5% था जो 2000 में बढ़कर 0.67% हो गया।

भारतीय स्टेट बैंक में भारी भीड़

3071. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केवल भारतीय स्टेट बैंक ही सरकारी शीर्ष के अंतर्गत राशि एकत्र करने हेतु प्राधिकृत है;

(ख) क्या सरकारी शीर्ष में राशि जमा कराने वाले लोगों द्वारा भारी भीड़ और अन्य समस्याओं का सामना करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त दूसरे बैंकों को भी ऐसी राशियों को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क), (ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विभिन्न केन्द्रों पर सरकारी लेखे के अंतर्गत राशि एकत्र कर रहा है इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टेट बैंक एवं सरकारी क्षेत्र के अन्य सभी बैंक भी सरकारी शीर्ष में राशि एकत्र करने के लिए प्राधिकृत हैं।

(ख) हाल ही के वर्षों में इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, जब भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनके निपटान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक/बैंकों द्वारा तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

(ङ) निर्धारितियों को कर जमा करवाने हेतु जहां तक संभव हो, उनके आवास के समीप विस्तृत बैंकिंग सुविधा देने के लिए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अतिरिक्त शाखाओं को सरकारी राजस्व एकत्र करने की अनुमति दी जाती है। कर एकत्र करने के लिए बैंक शाखाओं के नेटवर्क की पर्याप्तता तथा इसे बढ़ाने की आवश्यकता की समीक्षा सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सतत आधार पर की जाती है और आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

दिल्ली में डा. बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक

3072. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली में डा. बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक के निर्माण पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस निर्माण के कब तक पूरा होने की संभावना है?

सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (घ) डा. बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर के सम्मान में 26 अलीपुर रोड़ दिल्ली, जहां बाबा साहेब अपने जीवन में अंतिम भाग में ठहरे थे, में एक राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से इस स्मारक की स्थापना के लिए उक्त भूमि और सम्पत्ति का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया गया है और इसके उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण समाहर्ता के पास 7.12 करोड़ रुपए की राशि रख दी गई है तथापि, सम्पत्ति के मालिकों द्वारा दायर की गई दो रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इस स्थगन को हटाने तथा सम्पत्ति का अधिग्रहण करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ताकि स्मारक की स्थापना की जा सकें। चूंकि यह मामला इस समय न्यायिक विचाराधीन है इसलिए कार्य पूर्ण होने के लिए कोई समय सीमा देना संभव नही है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

3073. श्री रघुनाथ झा:
डा. एन. वेंकटस्वामी:
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री एस. अजय कुमार:
श्री के. पी. सिंह देव:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने मामलों की सूचना प्राप्त हुई और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत कथित रूप से दर्ज मामलों की कुल संख्या कैलेण्डर वर्ष 1997 के दौरान 28441 से घटकर 1998 के दौरान 27561 हो गई है। वर्ष 1996, 1997 तथा 1998 के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (समाचार-निवारण) अधिनियम, 1989 का अधिनियम किसी भी रूप में अस्पृश्यता की प्रथा का उन्मूलन करने और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छोड़कर अन्य व्यक्तियों द्वारा अत्याचारों को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया है। इन अधिनियमों के कार्यान्वयन कानूनी सहायता के प्रावधान अभियोजन शुरू करने या उसका पर्यवेक्षण करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने विशेष प्रकोष्ठों विशेष न्यायालयों की स्थापना करने, आवधिक सर्वेक्षण संचालित करने अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने तथा पीड़ितों/अत्याचार पीडितों के आश्रितों को राहत तथा पुनर्वास उपलब्ध कराने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्रमश: 50:50 तथा 100% आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

इन अधिनियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई करने का आग्रह किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996	1997	1998
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	547	698	540
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	1	2	शून्य
4.	बिहार	एन.ए.	एन.ए.	1407
5.	गोवा	1	1	2
6.	गुजरात	2030	2122	2138
7.	हरियाणा	16	32	32
8.	हि. प्रदेश	19	17	15

1	2	3	4	5
9.	कर्नाटक	1253	1192	1279
10.	केरल	558	756	716
11.	मध्य प्रदेश	5066	4292	4138
12.	महाराष्ट्र	1919	1114	1069
13.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
14.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
16.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
17.	उड़ीसा	1138	1180	1332
18.	पंजाब	3	5	17
19.	राजस्थान	1127	6994	6858
20.	सिक्किम	1	1	शून्य
21.	तमिलनाडु	721	757	897
22.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
23.	उत्तर प्रदेश	11570	9236	7095
24.	पश्चिम बंगाल	26	25	15
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	2	शून्य
26.	चंडीगढ़	1	शून्य	शून्य
27.	दमन और द्वीप	5	1	शून्य
28.	दादर और नगर हवेली	1	1	1
29.	दिल्ली	1	13	7
30.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
31.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	1
	कुल	26,002	24,441	27,561

नोट: 1. एन. ए.: उपलब्ध नहीं

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं है।

बैंकों के ओवरसीज कार्पोरेट निकाय खाते

3074. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र के बैंकों में विशिष्ट ओवरसीज कार्पोरेट निकायों (ओसीबी) द्वारा किए जाने वाले निवेश पर 5% की सीमा की निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है और क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों जैसी जीटीबी इत्यादि पर नए ओसीबी खातों को खोलने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो अब तक इस मामले में उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओसीबी लेन-देन के लेखे-जोखे का क्या ब्यौरा है और इसके क्या परिणाम रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क), (ख) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि व्यक्तिगत एनआरआई/ओसीबी/पीआईओ के लिए 5% की उच्चतम सीमा की निगरानी बैंकों द्वारा स्वयं की जाती है और उनके लिए इस अपेक्षा का पालन करना अनिवार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि इसने संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत कुछ ओसीबी द्वारा किए गए लेनदेन की जांच के लिए निरीक्षण किया था। इस संबंध में उसने मुम्बई स्थित ग्लोबल ट्रस्ट बैंक की दो शाखाओं का भी निरीक्षण किया था जिसमें प्रणाली संबंधी कमियों तथा विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियमावली के अतिक्रमण की संभावित घटना का पता चला था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय को भेजी थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को सलाह दी गई थी कि एनआरआई/ओसीबी द्वारा अपने बोर्ड के पूरी तरह संतुष्ट होने तक पीआईएस के कार्यान्वयन/निगरानी के लिए एक प्रर्याप्त प्रणाली स्थापित होने तक उन्हें पीआईएस के अंतर्गत ओसीबी के लिए कोई नया खाता नहीं खोलना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि जहां तक विद्यमान ओसीबी ग्राहकों का संबंध है, उनके लेनदेन बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नामित अधिकारी के अनुमोदन के बाद किए जाने चाहिए जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि लेनदेन एफईएमए के तहत नियमों/विनियमों के पूर्ण अनुरूप है।

(ग) और (घ) प्रवर्तन निदेशालय ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्हें भारतीय शेयर बाजार में ओसीबी लेनदेन से संबंधित अनियमितताओं की सूचना दी है जिन्हें उन्होंने ग्लोबल बैंक की मुम्बई स्थित दो शाखाओं के निरीक्षण के दौरान पता लगाया है और उनकी जांच की जा रही है।

अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण कार्यक्रम

3075. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:
डा. एन. वेंकटस्वामी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों व जनजातियों के कल्याण कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में श्री पी.सी. एलेक्जेंडर की अध्यक्षता में गठित राज्यपालों की समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न कल्याण योजनाओं के संबंध में समिति ने क्या सिफारिशें की है; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी, हां।

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) रिपोर्ट का संगत सार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। योजना आयोग से भी आवश्यक कार्रवाई करने के अनुरोध किया गया है।

विवरण

राज्यपालों की समिति द्वारा की गई सिफारिशों का सारांश

1.सामान्य सिफारिशें

1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सभी कार्यक्रमों और योजनाओं में, इन श्रेणियों में अत्यन्त निर्धन व्यक्तियों के लाभ पर अधिक बल दिया जाना चाहिए जिससे कि इन्हें गरीबी रेखा के ऊपर लाया जा सके।

2. विभिन्न श्रेणों के अन्तर्गत उन योजनाओं को वरीयता के आधार पर शुरू किया जाना चाहिए जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास से प्रत्यक्ष रूप से संबंध हैं।

3. अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजनाएं बताने समय परिवारोन्मुखी योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं के मामले समुदाय उन्मुखी योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

4. सरकार द्वारा गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी से व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए जिससे कि लाभग्राहियों को उनके कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं से अवगत कराया जा सके।

5. कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों और पदाधिकारियों को आवधिक अभिमुखीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से इन श्रेणियों की विशेष समस्याओं के प्रति सुग्राही बनाया जाना चाहिए

6. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटित और व्यय की जा रही निधियों की बड़ी राशि को देखते हुए, राज्यों में पर्याप्त वरिष्ठता, अनुभव और अभिरूचि रखने वाले अधिकारियों को समाज/जनजातीय कल्याण विभागों के सचिवों के रूप में तैनात करना चाहिए।

2. भूमि वितरण

ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन और सीमांत किसानों को भूमि देने की एक योजना तैयार की जानी चाहिए जिससे न केवल इन श्रेणियों की आर्थिक अधिकारिता में सहायता मिलेगी बल्कि ग्राम स्तर पर सामाजिक परम्परा में उन्हें प्रतिष्ठा भी मिलेगी। यह योजना अगली पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष से आरंभ की जा रही है और तीन अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में इसका कार्यान्वयन किया जा सकता है जिसमें बड़ी संख्या में लाभग्रहियों को शामिल किया जाएगा। इन श्रेणियों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है:

(क) अतिरिक्त भूमि और भूदान भूमि का वितरण

हदबंदी अतिरिक्त भूमि और भूदान भूमि के आवंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को सर्वोच्च वरीयता दी जानी जाहिए सभी तरह से भारमुक्त अतिरिक्त और भूदान भूमि का पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को समयबद्ध कार्यक्रम में वितरण करने के लिए राज्यों को एक कार्रवाई योजना तैयार करनी चाहिए और एक विशेष अभियान चलाना चाहिए।

(ख) निम्न कोटि वाली बंजर भूमि

इस उपलब्ध संसाधन का उपयोग करने के लिए सुव्यवस्थित प्रयास करना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को वरीयता के आधार पर भूमि आवंटित करनी चाहिए। तब इन जमीनों को सिंचाई का पैकेज और कृषि आदान उपलब्ध कराकर उत्पादन बनाया जा सकता है।

(ग) निम्नकोटी की बंजर भूमि का वितरण

वनों के भीतर तथा परिरेखा पर स्थिर गांवों तथा रहने वाली जनजातियों को वन विभाग द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार इन भूभागों पर वन संबंधी कार्यकलाप शुरू करने के लिए अहरणीय अधिकारी प्रदान किए जाने चाहिए।

(घ) भूमि की खरीद

सरकार को पात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को भूमि आवंटित करने के लिए भूमि की खरीद का कार्य शुरू करना चाहिए। भूमि खरीद योजना में शेयर का वहन केन्द्र सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत अपने द्वारा किए गए आवंटनों के अतिरिक्त करना होगा।

यह योजना अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए राज्य वित्तीय निगमों के माध्यम से कार्यान्वित की जा सकती है तथा एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

इस पैकेज के अन्तर्गत-विशेषकर शुष्क भूमि के मामले में बेहतर परिणामों के लिए खुले कूपों अथवा बोरकूपों जिसमें पम्प सैटों के लिए विद्युत/डीजल का प्रावधान हो, वे माध्यम से सिंचाई जैसे आदानों का एक पर्याप्त पैकेज भी तैयार किया जाना चाहिए।

(ङ) अन्य भूमि सम्बन्धी सिफारिशें

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय जाति जो सिंचाई और अन्य परियोजनाओं के कारण विस्थापित हो गये हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जानी चाहिए उन्हें तत्काल प्रतिपूरक भूमि उपलब्ध कराई जा सके।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित भूमियों के अपवर्तन के निवारण सम्बन्धी अधिनियमों को सख्ती से

लागू किया जाना चाहिए जिससे इन श्रेणियों को इनकी अपवर्तित भूमियों का दुबारा कब्जा दिया जा सके।

पूर्वोतर के जनजातिय क्षेत्रों में भूमि के सर्वेक्षण और निपटान के लिए केन्द्रीय वित्तपोषित समयबद्ध कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाना चाहिए।

लघु बन उत्पाद (एम एफ डी) और गैर-लकड़ी वन उत्पाद (एन टी एफ सी) के दोहन की एक समान नीति होनी चाहिए।

3. शिक्षा

(1) राज्य के शिक्षा बजट का उपयोग सामान्य जनसंख्या के बच्चों के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत निर्धारित की गई नीति है जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य सभी बच्चों, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी करते है, के लिए नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा।

(2) एस सी पी/टी एस पी निधियों का उपयोग अन्नय रूप से उन योजनाओं के लिए किया जाना चाहिए जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों के बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित करती है।

(3) छात्रवृत्तियों की दरों में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए।

(4) शिक्षा विभाग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों से मेधावी और प्रतिभाशालीन बच्चों की पहचान करनी चाहिए शिक्षा, भोजन और आवास सम्बंधी समस्त व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

(5) उनके लिए बड़ी संख्या में और आश्रम शालों को खोलना चाहिए जिसमें पर्याप्त अध्यापक और कर्मचारी हों तथा उनकी शिक्षा, भोजन और आवास सम्बंधी समस्त व्यय सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

(6) छात्राओं अथवा उनके माता पिताओं को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

(7) सभी राज्यों में मध्य प्रदेश की शिक्षा गारंटी योजना की पद्धति पर योजना शुरू करना जिससे जहां शिक्षा नहीं है वहां कुछ शिक्षा सुनिश्चित होगी।

(8) जिला/राज्य स्तर पर छात्रवृत्ति के लिए आवर्ती निधि की स्थापना की जानी चाहिए।

(9) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए विशेष कोचिंग योजनाओं को जारी रखना।

(10) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को उद्योग तथा सेवाओं में मध्यम स्तर की तकनीकी नौकरियों के लिए उन्हें सुसज्जित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तकनीकी संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए।

(11) व्यावसायिक तथा तकनीकी संस्थानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए सीटों की आरक्षण प्रतिशतता का सख्ती से पालन किया जाता है।

4. आवास

(1) शेष रह गए सभी गृह विहीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को एक समयबद्ध कार्यक्रम में प्राथमिकता के आधार पर मकानों के आबंटन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(2) इस योजना के अंतर्गत गृह विहीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को निधियों के आबंटन में और अधिक प्राथमिकता दी जानी जाहिए।

(3) राज्य सरकारों को भी इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत गृहों के अतिरिक्त गृह प्रदान करने के लिए विशेष संघटक योजना में से आबंटन करना चाहिए।

(4) आवास स्थल आबंटन की योजना को और सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

5. सार्वजनिक स्वास्थ्य

मध्य प्रदेश की जन स्वास्थ्य रक्षक योजना की पद्धति पर एक योजना शुरू करना जो बेयर फ्रट डाक्टर योजना की पद्धति पर तैयार की गई है।

6. उद्यमीय विकास कार्यक्रम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों से शिक्षित युवाओं को व्यापार और सेवाओं की आधुनिक पद्धतियों में पर्याप्त कौशल और जानकारी से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए तथा नए उद्योगों को शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

7. अन्य कार्यक्रम

1. विशेष रूप से महिलाओं को अधिकारिता प्रदान करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्व सहायतासमूह स्थापना करना।

2. आदिवासी क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न बैंक योजना शुरू करना।

3. वे लोग, जो पारंपरिक व्यवसायों में लगे हैं, को आधुनिक व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4. बेरोजगार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति युवाओं के लिए योजनाएं शुरू करना।

8. विशेष संघटक योजना/आदिवासी उप योजना पर सिफारिशें

1. राज्यों में समाज कल्याण विभाग तथा जनजातीय कल्याण विभाग को नोडल विभागों के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

2. राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर समाज कल्याण विभागों तथा जनजातीय कल्याण विभागों को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए और सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

3. राज्य स्तर पर समाज कल्याण विभाग तथा जनजातीय कल्याण विभाग को सभी नीतिगत निर्णय लेने का दायित्व सौंपा जाना चाहिए।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों की विशेष संघटक योजना/जनजाति उप योजना के घटक को इकट्ठा किया जाना चाहिए और आगे उपयोग के लिए समाज कल्याण विभाग/ जनजातीय कल्याण विभाग को सौंप देना चाहिए।

5. किसी भी केन्द्रीय मंत्रालय अथवा राज्य सरकार को अपेक्षित प्रतिशत के आधार पर अनिवार्य निधियों से कम आबंटन और निर्मुक्ति करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

6. योजनाओं और परियोजनाओं का अनुमोदन राज्य स्तर पर किया जाना चाहिए। केन्द्रीय मंत्रालयों को सामान्य दिशा निर्देश देने चाहिए और पात्र योजनाओं की सूची तैयार करनी चाहिए। ब्लॉक अनुदानों और संयुक्त निधियों के विचारों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा राज्यों को निधि संबंधित राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर राज्य सरकारों को इन श्रेणियों के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू करने के लिए पूर्ण स्वायत्तता के साथ आवंटित की जानी चाहिए।

9. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के संबंध में सिफारिशें

अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन प्रभारी अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, चार्ज शीट न्यायालय में चार महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। इन जिलों में अत्याचार की घटनाओं और लम्बित मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले में विशेष न्यायालय अन्यथा 3 से 4 जिलों में एक विशेष न्यायालय स्थापित किया जा सकता है और अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 4 के अंतर्गत कर्त्तव्य की अवहेलना समाप्त की जानी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आवश्यक संशोधन किये जाने चाहिए।

10. जाति प्रमाणपत्रों के संबंध में सिफारिशें

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण करने के लिए प्रभावी साधनों द्वारा जाली लोगों को रोका जाये।

11. पूर्वोत्तर में राज्यों के लिए सिफारिशें

पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषित किया जाना चाहिए बड़ी संख्या में प्रमाणिक गैर-सरकारी संगठनों के बीच जागरूकता का सृजन करने और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण परियोजाएं शुरू करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की समीक्षा की जानी चाहिए जिससे पुश्तों से वनों और उसकी परिधि में रह रही जनजातियां वन संबंधी कार्यकलाप कर सके। पूर्वोत्तर में गांवों का पूर्ण संयोजन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय रूप से वित्त पोषित विशेष कार्यक्रम शुरू करना। जनजातीय क्षेत्रों में भूमि का पूर्ण सर्वेक्षण और निपटान निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था को कड़ाई से शुरू और लागू किया जाना चाहिए। पूर्वोत्तर जनजातीय राज्यों/ क्षेत्रों में स्थानीय सरकार की परम्परागत प्रणाली का अनुचित अध्ययन करने और उन्हें संवैधानिक-कानूनी ढांचे में शामिल करने की जरूरत हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में वस्त्र उत्पादन

3076. श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में हथकरघा द्वारा वस्त्र उत्पादन की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) क्या आर्थिक मंदी के वर्तमान दौर में बुनकरों की दशा शोचनीय हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उनके उत्थान के लिए कोई नीति बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने विशेष रूप से जनजातीय व पिछड़े क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले हथकरघा वस्त्रों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है और क्या उसके विपणन की व्यवस्था भी की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) भारत सरकार के पास उपलब्ध अद्यतन रिकार्ड के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में 14425 हथकरघों तथा 12,882 बुनकरों के साथ 10859 हथकरघा इकाईयां हैं। चूंकि हथकरघा क्षेत्र विकेन्द्रीकृत क्षेत्र होने के कारण सारे देश के लिए फेब्रिक उत्पादन के आंकड़े बाजार में हैंक यार्न वितरण के आधार पर तैयार किये जाते है। राज्य-वार आकंड़े तैयार करना संभव नहीं हैं अत: वे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (ग) भारत सरकार के पास हथकरघा बुनकरों की बिगड़ी स्थिति की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(घ) से (छ) भारत सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रों सहित सारे देश में हथकरघा उद्योग के समग्र विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए कई केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें कार्यान्वित की गई है जिसमें शामिल है:

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना।
2. मिल गेट कीमत स्कीम।
3. विपणन कम्प्लेक्सों की स्थापना।
4. प्रचार एवं प्रदर्शनी स्कीम।
5. निर्यात योग्य उत्पादों के विकास तथा उनका विपणन।
6. कार्यशाला सह आवास स्कीम।
7. स्वास्थ्य पैकेज स्कीम।
8. समूह बीमा स्कीम।
9. थ्रिफट फंड स्कीम।
10. प्रवर्तन तंत्र की स्थापना।
11. राष्ट्रीय वस्त्र डिजाईन केन्द्र।

[अनुवाद]

विश्व बैंक ऋण

3077. श्री दिनशा पटेल:
श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर नए कार्यक्रमों को लागू करने के लिए भारत सरकार को 913.8 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विश्व बैंक के इस ऋण से राज्यवार कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक ने 21 जून, 2001 को कुल 913.8 मिलियन अमरीकी डालर के ऋणों और क्रेडिटों को मंजूरी दी है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) कर्नाटक जलसंभर विकास परियोजना (100.4 मिलियन अमरीकी डालर)

(2) कर्नाटक आर्थिक पुनर्संरचना परियोजना (150 मिलियन अमरीकी डालर)

(3) ग्रांड ट्रंक रोड सुधार परियोजना (589 मिलियन अमरीकी डालर)-केन्द्रीय क्षेत्र (उत्तर प्रदेश और बिहार)

(4) दूसरी राजस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (74.4 मिलियन अमरीकी डालर)

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण

3078. श्री रमेश सी. जीगाजीनागी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत 1, जनवरी, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व केवल 10.68% है, और द्वितीय (समूह ख) श्रेणी सेवाओं में यह प्रतिनिधित्व केवल 13.20% है, जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% है;

(ख) यदि हां, तो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों/उद्यमों/सांविधिक संगठनों/निगमों, स्वायत्त संगठनों, सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के तहत प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के दिनांक 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था. (आरक्षण) के पैरा 5 के तहत अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत है और ऐसे कुल पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन

3079. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 20 अप्रैल, 2000 को भारतीय खाद्य निगम को संगठन संबंधी पुनर्गठन हेतु व्यापक दिशानिर्देश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दिशानिर्देशों के आधार पर भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन ने 29 अप्रैल, 2000 को एफ.सी.आई.ई.एस.यू. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे; और

(घ) इस समझौता ज्ञापन को कहां तक क्रियान्वित किया गया?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) जी, हां।

(ख) संगठन संबंधी पुनर्गठन पर 20 अप्रैल, 2000 को जारी किए गए व्यापक दिशा-निर्देश संलग्न विवरण-I दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

विवरण-I

निगम के कमचारियों में अत्यधिक स्टेगनेशन की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने जनशक्ति प्रबंधन, संवर्ग प्रबंधन और कैरियर प्रोग्रेशन के विशिष्ट संदर्भ में संगठनात्मक पुनर्गठन के संबंध में भारतीय खाद्य निगम के लिए दिनांक 20.4.2000 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों की प्रमुख बातें निम्नानुसार हैं:

(1) डिपुओं को युक्तियुक्त बनाना और डिपुओं का प्रभार सहायक प्रबंधकों (डिपु) तथा उसके ऊपर के अधिकारियों को देना।

(2) बाह्य स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से मानदंडों में संशोधन करना।

(3) मुकदमा सैल और कंप्यूटर सैल सृजित करना।

(4) गुण नियंत्रण मशीनरी को संपुष्ट बनाना।

(5) निगरानी कर्मचारी को तैनात करना।

(6) मौजूदा पदों का उच्च-श्रेणीकरण करना।

(7) प्रत्येक वर्ष 100 प्रबंधन प्रशिक्षुओं को शामिल करना।

(8) अधिशेष स्टाफ के स्वीकृत पदों को जोन के अन्दर और जोन के बाहर जरूरतमंद स्थानों पर अंतिरत करना।

(9) मौजूदा जनशक्ति को बनाए रखना।

(10) पत्तन प्रचालनों को समाप्त करना और पत्तन कर्मकारों की समस्याओं को हल करना।

(11) श्रम समस्याओं को हल करना।

विवरण-II

भारतीय खाद्य निगम में स्टाफ ढांचे के संदर्भ में संगठनात्मक पुनर्गठन की आवश्यकता पर प्रबंधन विचार करता आ रहा था। दूसरे, लम्बे अर्से से उसी पद पर कर्मचारियों का भारी स्टेगनेशन समाप्त करने तथा विभिन्न ग्रेडो/कॉडरों/अंचलों से संबंधित कर्मचारियों के बीच कैरियर प्रोसपैक्ट्स में असमानता दूर करने हेतु यूनियनें मांग करती आ रही थी। कठिनाई कम करने एवं यह सुनिश्चित करने कि स्टेगनेट पर रह रहे कर्मचारियों को एक कैरियर प्रोग्रेशन दिया जाए संगठनात्मक पुनर्गठन/कॉडर पुनर्गठन हेतु एक योजना बनाई गई तथा उसके बारे में मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ विचार-विमर्श किया गया। स्टेशनों के उक्त मामले में मांगों के अंतिम समझौते पर पूर्ण रूप से एक सहमति बनी तथा एफ.सी.आई. एक्जीक्यूटिव स्टाफ यूनियन के साथ 29.4.2000 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

स्टाफ नामर्स, संवर्ग समीक्षा और जनशक्ति आवश्यकता

भारतीय खाद्य निगम में जनशक्ति आवश्यकता के लिए नार्मस सुझाने हेतु एक स्टाफ नार्मस समिति गठित की गई है।

कैरियर प्रोग्रेशन

कुछ मामलों को छोड़कर पदोन्नति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। श्रेणी II, III और IV के कर्मचारियों के लिए सैलक्शन ग्रेड मंजूर कर लिए गए हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, ईसाईयों और मुस्लिमों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना

3080. **श्री पी.सी. थामस:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, ईसाईयों और मुस्लिमों द्वारा उन्हें भारत के संविधान की अनुसूची में सूचीबद्ध करने हेतु की गई मांग की जानकारी है ताकि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकार प्राप्त कर सकें, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) अनुसूचित जातियों को मिलने वाले लाभ ईसाई अथवा इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराने से संबंधित अनुरोध पर अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। चूंकि इसके लिए अनेक एजेंसियों से विचार-विमर्श करने की जरूरत हैं, अत: इस संबंध में कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

जहां तक अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, धर्म का अनुयायी होना ही लाभ प्राप्त करने का मानदंड नहीं है और अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध सभी समुदाय स्वीकार्य लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

[हिन्दी]

स्थाई खाता संख्या का आवंटन

3081. **श्री पी.आर. खुंटे:**
श्री पुन्नू लाल मोहले:
श्रीमती जयश्री बैनर्जी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी आयकर दाताओं को स्थाई खाता संख्या देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आयकर दाताओं से स्थाई खाता संख्या के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) कम्प्यूट्रीकृत स्थाई खाता संख्या (पैन) के कब तक दिये जाने की संभावना है;

(घ) अभी तक कितने आवेदनों पर कार्यवाही की गई है; और

(ङ) देश में आयकर दाताओं को स्थाई खाता संख्या देने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 31.10.2001 तक स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रदान करने के लिए कुल 21932359 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) बिना त्रुटि वाले सभी आवदेनों की प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर पैन के आबंटन के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

(घ) दिनांक 31.10.2001 की स्थिति के अनुसार, 20156196 आवेदनों के मामले में पैन आवंटन कर दिया गया है।

(ङ) पैन प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

हिंदी सलाहकार समिति

3082. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी सलाहकार समिति के गठन का ब्यौरा क्या है और इसके नियमित और नामनिर्दिष्ट सदस्यों की योग्यताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) समिति की पिछली बैठक किस तारीख को हुई थी और इसकी अगली बैठक किस तारीख को होगी;

(ग) बैठक में लिए गए निर्णय की अनदेखी करते हुए समय पर समिति की बैठकें न आयोजित करने/बुलाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस सबंध में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान): (क) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया गया था और समिति के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव पर राजभाषा विभाग की सहमति भी प्राप्त की गई थी। राजभाषा विभाग के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार मंत्रालय द्वारा 4 गैर-सरकारी सदस्य नामित किए गए हैं। समिति में उन गैर-सरकारी सदस्यों को नामित किया जाता है जो हिन्दी के विद्वान हों और जिनकी रूचि राजभाषा हिंदी को प्रगति के पथ पर ले जाने की हो। मंत्रालय द्वारा नामित किए गए चारों गैर-सरकारी सदस्य हिंदी के प्रोफेसर, विद्वान, लेखक अथवा हिंदी संस्थाओं से जुड़े हुए विद्वान हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी सदस्यों के रूप में मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी और मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दिल्ली स्थित सभी संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा उपक्रमों के प्रधान इस समिति के सदस्य हैं।

(ख) से (घ) मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की पिछली बैठक 14 मार्च, 2001 को हुई थी। इसके बाद समिति की बैठक 24.10.2001 को होनी निश्चित हुई थी लेकिन अपरिहार्य कारणों से यह बैठक नहीं हो सकी। समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों पर गंभीरतापूर्वक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित किया जाता है।

[अनुवाद]

सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

3083. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह क) सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व केवल 13.59% था और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) में यह प्रतिनिधित्व केवल 14.41% था जबकि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटा 22.5% है;

(ख) यदि हां, तो वस्त्र मंत्रालय के अधीन प्रथम श्रेणी (समूह क) और द्वितीय श्रेणी (समूह ख) और उनके समकक्ष के कुल कितने पद हैं; और

(ग) डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था (आरक्षण) दिनांक 2 जुलाई, 1997 के पैरा 5 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार इन पदों पर सामान्य, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और ऐसे पदों की तुलना में इनका प्रतिशत क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) केन्द्र सरकार के अंतगत दिनांक 1.1.1998 की स्थिति के अनुसार प्रथम श्रेणी (समूह-क) सेवाओं में 14.24 प्रतिशत तथा समूह-ख की सेवाओं में 15.37 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी खर्च में कटौती

3084. श्री अमर राय प्रधान: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी विभागों में निरर्थक व्यय को न्यूनतम करने हेतु कदम उठाये हैं और उन कतिपय क्षेत्रों की पहचान पहले ही कर ली है जहां विभिन्न सरकारी विभागों में अपव्यय अधिकतम है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय/विभागों के अंतर्गत उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनकी इस उद्देश्य से पहचान की गई है और उनमें गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना निरर्थक व्यय हुआ; और

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे निरर्थक व्यय को कम करने/रोकने हेतु अब तक क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात किए गए क्षेत्र-गैर-योजना, गैर-विकासात्मक व्यय हैं, जैसेकि पदों का सृजन, पदों की संख्या में कमी, रिक्त पदों को भरने, वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध, विदेश यात्रा और मनोरंजन/आतिथ्य सत्कार पर प्रतिबंध। यह मंत्रालय इस संबंध में वित्त मंत्रालय से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों का अनुपालन कर रहा है।

रेशम निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उपाय

3085. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:
श्री ए.के. मूर्ति:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रेशम उत्पादन में वृद्धि करने की व्यापक संभावना है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) सरकार द्वारा रेशम उत्पादन में वृद्धि, विपणन और निर्यात के लिए देश के रेशम उत्पादकों के हितों के संवर्धन हेतु कौन-कौन से विभिन्न कदम उठाये गये हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) जी हां, देश में रेशम उत्पादन बढ़ाने की काफी संभावनाएं है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए बढ़ाई गई मात्रा संलग्न विवरण पर राज्यवार, वर्ष-वार दी गई है

देश में रेशम उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के लिए प्रारंभ किये गये कार्यक्रमों में मुख्यत: निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) नौवीं योजना के दौरान 36 उत्प्रेरक विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इन योजनाओं के अतंर्गत शहतूती तसर, ऐरी तथा मूगा के उत्पादों की भोज्य पौध उपजाने के विपणन तक के कार्यक्रम शामिल हैं।

(2) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहायक एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) की सहायता से चलने वाली व्यावहारिक द्विफसलीय रेशम उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार (पी.पी.पी.बी.एस.टी) संबंधी संवर्द्धन परियोजना।

(3) यू.एन.डी.पी.-एफ.एच.ए.पी. कार्यक्रम के तहत गैर-शहतूती तसर, मूंगा व ऐरी के विकास संबंधी एक उप-कार्यक्रम।

(4) सेरी-2000-यह भारत सरकार और स्विट्जरलैंड सरकार के बीच तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग के एक भाग के रूप में है।

(5) राज्यों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा अपने अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के माध्यम से केन्द्रीय रेशम बोर्ड देश में रेशम का उत्पादन तथा इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग प्रदान कर रहा है। के.रे.बो. द्विफसलीय अपरिष्कृत रेशम के उत्पादन हेतु संभावित राज्यों को सहायता प्रदान कर रहा है।

रेशम कोयों के विपणन के संवर्द्धन के उद्देश्य से, केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कच्चे माल के बैंक स्थापित किए गये है। के.रे.बो. क्रेता जागरूकता कार्यक्रमों को भी आयोजित कर रहा है। प्रौद्योगिकीयों के उन्नयन द्वारा बुनकरों की बुनाई क्षमताओं को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाये गये हैं।

सरकार रेशम उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है।

(1) सरकार भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद को विभिन्न निर्यात संवर्द्धन क्रियाकलापों जैसे कि टैक्सटाइल्स इंडिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में प्रचार करना, सिल्क इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन करना और घरेलू रेशम विनिर्माताओं के लिए रंग संबंधी पूर्वानुमान कार्य जारी करना, निर्यातकों को विदेशी व्यापार संबंधी सूचना देना आदि के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

(2) सरकार ने एक्जीम नीति के अंतर्गत निर्यातकों को दिए गए विशिष्ट मूल्य संवर्द्धन/इनपुट-आउटपुट संबंधी मानदण्डों, अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत कच्चे

माल के शुल्क मुक्त आयात की सुविधा, निर्यात उत्पादों के लिए शुल्क की रियायती दर पर पूंजीगत सामान के आयात की सुविधा को सुव्यवस्थित बना दिया है।

(3) प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकीय उन्नयन, उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ रेशम क्षेत्र की भी लागू दर से 5% कम पर ऋण की सुविधा प्राप्त है।

(4) सरकार ने भारतीय रेशम की गुणवत्ता में सुधार लाने और उत्पादकता और लागत संबंधी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली द्विफसलीय रेशम का एक उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया है।

(5) अपरिष्कृत रेशम के आयात का खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत शामिल कर उसे उदार बना दिया गया है जिससे अच्छी गुणवत्ता वाली रेशम की उपलब्धता बढ़ गई है।

विवरण

वर्ष 1998-99 से 2000-01 तक की अवधि के लिए राज्यवार तथा वर्षवार व्यय का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	1998-99			1999-2000				2000-01			
		सामान्य व्यय	सीडीवी व्यय	कुल	सामान्य व्यय	सीडीपी व्यय	यूएनडीपी बढ़ाई गई सहायता	कुल	सामान्य व्यय	सीडीपी व्यय	यूएनडीपी बढ़ाई गई सहायता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	372.34	91.22	463.56	431.02	88.66	4.24	523.92	422.93	170.23	28.69	621.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	13.53	14.74	28.27	13.64	2.14		15.78	12.21	11.25		23.46
3.	असम	414.73	90.58	505.31	453.44	104.68	45.21	603.33	498.06	206.95	150.45	855.46
4.	बिहार	644.32	7.49	651.81	685.37	3.42	19.73	708.52	81.49	20.49	54.51	156.49
5.	गुजरात	20.48	2.67	23.15	23.18	0.12		23.30	22.96	0.00		22.96
6.	हरियाणा	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00		0.00				0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	31.11	1.05	32.16	36.15	0.00		36.15	36.14	27.44		63.58
8.	जम्मू और कश्मीर	338.59	67.36	405.95	376.82	31.55		408.37	386.53	37.94		424.47
9.	कर्नाटक	2529.95	119.27	2649.22	2661.15	142.71		2803.86	2728.76	291.37		3020.13
10.	केरल	56.97	8.18	65.15	63.49	8.83		72.32	68.63	25.83		94.46
11.	मध्य प्रदेश	245.80	77.03	322.83	276.52	58.23		334.75	45.34	29.22		74.56
12.	महाराष्ट्र	124.17	32.08	156.25	136.97	90.36		227.33	136.75	72.34		209.09
13.	मणिपुर	124.82	0.17	124.99	133.83	1.20		135.03	135.48	1.49		136.97
14.	मेघालय	94.34	3.62	97.96	91.65	6.83		98.48	92.56	12.84	31.67	137.07
15.	मिजोरम	12.31	75.02	87.33	12.41	29.74		42.15	10.26	12.90		23.16
16.	नागालैंड	15.36	25.39	40.75	15.84	12.59	4.42	32.85	15.22	10.32	12.43	37.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	नई दिल्ली	83.27	0.00	83.27	85.13	0.00		85.13	81.78	0.00		81.78
18.	उड़ीसा	231.26	75.54	306.80	249.93	49.96	19.45	319.34	266.21	7.57	67.10	340.88
19.	पंजाब	14.65	0.58	15.23	17.11	0.00		17.11	17.68	1.26		18.94
20.	राजस्थान	25.99	3.24	29.23	28.24	0.00		28.24	29.33	0.00		29.33
21.	सिक्किम	8.27	2.72	10.99	11.66	0.06		11.72	11.21	5.65		16.86
22.	तमिलनाडु	358.51	137.92	496.43	414.09	145.86		559.95	469.87	85.13		555.00
23.	त्रिपुरा	11.39	35.54	46.93	11.95	10.71		22.66	10.61	31.22		41.83
24.	उत्तर प्रदेश	294.49	24.68	319.11	333.91	13.96		347.87	136.79	53.59		190.38
25.	पश्चिमी बंगाल	820.75	64.74	885.49	918.88	15.98	6.95	941.81	922.61	54.23	58.08	1034.92
26.	छत्तीसगढ़		0.00	0.00		0.00		0.00	246.45	0.00	17.07	263.52
27.	उत्तरांचल		0.00	0.00		0.00		0.00	206.55	0.00		206.55
28.	झारखण्ड			0.00				0.00	666.33	0.00		666.33
	कुल	6887.34	961.58	7848.92	7482.38	817.59	100.00	8399.97	7758.74	1169.26	420.00	9348.00

दाभोल विद्युत कंपनी को सीमा शुल्क में छूट

3086. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दाभोल विद्युत कंपनी ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस के निर्माण के लिए सामग्री और उपकरणों का आयात किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दाभोल विद्युत कंपनी ने ऐसे उपकरणों के लिए सीमा शुल्क में छूट का लाभ उठाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केवल विद्युत संयंत्र को सीमा शुल्क में छूट दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो दाभोल विद्युत कंपनी को सीमा शुल्क में छूट देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) गलत घोषणा करने के लिए दाभोल विद्युत कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) (ख) (घ) और (ङ) दाभोल में एल.एन.जी. सुविधा की स्थापना के लिए विभिन्न मशीनों/उपकरणों/सामग्रियों के आयात के लिए, मैसर्स दाभोल विद्युत कंपनी ने विद्युत परियोजनाओं के लिए लाभ दर पर रियायती सीमा शुल्क का दावा किया था। उन्होंने आयातित माल के सीमा शुल्क मूल्य से विदेशी संविदाकारों को उनके द्वारा अदा किये गये सेवा प्रभारों के एक बड़े भाग को भी शामिल नहीं किया था। उर्जा विभाग, महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश के आधार पर विद्युत परियोजना के लिए शुल्क की रियायती दर प्रदान करने के बाद, माल की अनंतिम रूप से निकासी करने की अनुमति दी गई थी।

मैसर्स दाभोल विद्युत कम्पनी के तर्क की विस्तारपूर्वक जांच की गई थी और उनसे 283.39 करोड़ रुपये के शुल्क की मांग करते हुए, 31-7-2001 को उन्हें एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। अब इस मामले का न्यायनिर्णयन कर लिया गया है। दिनांक 12-11-2001 के अपने आदेश में, आयुक्त ने यह निर्णय दिया था कि विषयगत आयातित माल उस रियायती शुल्क को प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा जो विद्युत परियोजना को

उपलब्ध होता है। इसके परिणामत: उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ 245.59 करोड़ रुपये के अतिरिक्त शुल्क की मांग की है और साथ ही माल के मूल्य की जानबूझ कर गलत घोषणा करने के लिए मैसर्स दाभोल विद्युत कम्पनी पर 45 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।

(ग) सीमा शुल्क टैरिफ में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार बहुत-सी वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क रियायत उपलब्ध है। किसी विद्युत संयंत्र की आरंभिक स्थापना के लिए और साथ ही किसी मौजूदा विद्युत संयंत्र के भारी विस्तार के लिए परियोजना आयात योजना के अंतर्गत सामग्रियां और उपकरण शुल्क की रियायती दर के लिए पात्र है।

आंध्रा बैंक की शाखाओं का बंद होना

3087. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्रा बैंक ने आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की अपनी कई शाखाओं को बंद करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 के दौरान ऐसी कितनी शाखाओं के लिए अनुमति मांगी गई है;

(ग) आंध्र बैंक के इस अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यह सुनश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग क्षेत्र का पतन न हो पाए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि वर्ष 2000 और 2001 के दौरान आन्ध्रा बैंक ने उनसे आन्ध्र प्रदेश में निम्नलिखित ग्रामीण शाखाओं को अनुषंगी कार्यालयों में बदलने की अनुमति मांगी थी:

शाखा का नाम	जिले का नाम	राज्य का नाम
1	2	3
1. दरभरेवु	पश्चिम गोदावरी	आन्ध्र प्रदेश
2. कम्बलडिन्ने	प्रकासम	आन्ध्र प्रदेश
3. सीतारामपुरम	प्रकासम	आन्ध्र प्रदेश
4. गुरवाजीपेट	प्रकासम	आन्ध्र प्रदेश
5. वाई.चेरलोपल्लि	प्रकासम	आन्ध्र प्रदेश
6. अप्पिराजपल्लि	वारांगल	आन्ध्र प्रदेश

(ग) चूंकि बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, क्रमांक 1 से 5 पर दी गई शाखाएं घाटा उठाने वाली शाखाएं नहीं हैं, अत: उनको अनुषंगी कार्यालयों में बदलने के उनके अनुरोध को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार नहीं किया था। क्रमांक 6 पर दी गई शाखा घाटा उठाने वाली शाखा थी। अत: इसे अनुषंगी कार्यालय में बदलने की अनुमति दी गई थी, जिसका बेस कार्यालय गुडुर शाखा में हो। बैंक का प्रस्ताव उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था और इसे जिला परामर्शदात्री समिति का अनुमोदन भी प्राप्त था। अनुषंगी कार्यालय सप्ताह में 3 दिन कार्य कर रहा है और वह इस स्थान की बैंकिंग संबंधी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है।

(घ) बैंकों को जारी किए गये निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण शाखाओं को बंद करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, जहां एकमात्र वाणिज्य बैंक शाखा वाले ग्रामीण केन्द्रों में घाटा उठाने वाली शाखाओं को बंद करने की अनुमति नहीं है, वहीं दो वाणिज्यिक बैंक शाखाओं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) वाले केन्द्रों में एक शाखा को बंद करने का निर्णय बंद किये जाने के लिए प्रस्तावित शाखाओं के ग्राहकों को विधिवत सूचना देने के बाद राज्य सरकार एवं जिला परामर्शदात्री समिति को शामिल किए बिना परस्पर परामर्श करके लिया जा सकता है। बैंकों को सलाह दी गई है कि ग्रामीण शाखा (एकल बैंक शाखा को छोड़कर) को बंद करने के अपने प्रस्ताव अपने निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत, अनुमोदित करवाकर भारतीय रिजर्व बैंक के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें जिसके क्षेत्राधिकार में वह केन्द्र आता है।

वित्तीय बाजार में तरलता

3088. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक आरक्षित पुनर्खरीद समझौते के माध्यम से नकद राशि का प्रचलन करके तरलता को बनाये रखने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से ऐसे कितने समझौतों को अंतिम रूप प्रदान किया गया है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य वित्तीय बाजार में तरलता में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त होंगे;

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक का विचार अर्थव्यवस्था में उछाल लाने के लिए क्या अतिरिक्त कदम उठाने का है; और

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और उछाल लाने के लिए समय पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 जून, 2000 से नकदी निधि समायोजन सुविधा (एल ए एफ) आरंभ की है, जिसमें पुनर्क्रय और प्रति पुनर्क्रय प्रचालन शामिल है। एल.ए.एफ. का उद्देश्य एक व्यवस्थित मौद्रिकता को लचीले तरीके से दिन प्रतिदिन आधार पर समायोजित करना है। चूंकि एल ए एफ छुट्टियों और शनिवार को छोड़कर दैनिक आधार पर प्रचालित की जाती है, अत: एल ए एफ के प्रचालन के लिए भागीदारों के साथ पृथक रूप से करार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकोषीय वर्ष के दौरान 30 नवम्बर, 2001 तक 34 अवसरों पर 1 दिन से 3 दिनों के लिए 2346 करोड़ रु. का औसत अंतप्रर्वाह शामिल है।

(ग) से (ङ) सामान्य परिस्थितियों में, वर्ष 2001-02 की मौद्रिक नीति का पूरा जोर, मुद्रास्फीति पर निगरानी रखते हुए ऋण को वहन करने और निवेश की मांग बहाल करने को समर्थन देने के लिए पर्याप्त नकदी निधि का प्रावधान करना रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उभरती हुई स्थितियों की जरूरतों के अनुसार नरमी को प्राथमिकता देते हुए एक स्थिर ब्याज दर वातावरण के जारी रहने का उल्लेख किया है। 364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियों की निर्दिष्ट (कट-ऑफ) आय अप्रैल, 2001 में 8.80 प्रतिशत से कम होकर नवम्बर, 2001 में 6.68 प्रतिशत रह गई है। इसी प्रकार, भारत सरकार की 15 वर्षीय दिनांकित प्रतिभूति की प्राथमिक आय भी मई, 2001 में 11.10 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से कम होकर नवम्बर, 2001 में 8.62 प्रतिशत हो गई है। 2001-02 के दौरान अर्थव्यवथा को नकदी निधि को स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों पर व्यय

3089. श्री वाई.वी. राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों पर होने वाले व्यय में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में इस लागत अनुपात की स्थिति क्या है; और

(घ) कर्मचारियों पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि वर्ष 2000-01 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वेतन बिल में गिरावट नहीं आई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2000-01 में गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 8.33% की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल व्यय में से स्टाफ व्यय (वेतन बिल) का अनुपात 21.10% था।

(घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकारी क्षेत्र के 26 बैंकों (27 में से) ने अपने स्टाफ के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना लागू की थी। बैंकों को आशा है कि वी आर एस के कारण स्टाफ में कमी होने के कारण बाद के वर्षों में उनके वेतन बिल में कटौती होगी।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन

3090. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001 को 26 अप्रैल, 2001 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया जा चुका है। प्रस्तावित संशोधनों का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाना, प्रतितोष एजेन्सियों की क्षमता

को बढ़ाना, उनको और अधिक शक्तियां देकर मजबूत बनाना, प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना तथा अधिनियम के क्षेत्र का विस्तार करना है ताकि उसे और अधिक कार्यात्मक और प्रभावी बनाया जा सके।

स्वापकों की तस्करी

3091. **श्री ए. वेंकटेश नायक:**
श्री वी. वेत्रिसेलवन:
श्री अशोक ना. मोहोल:
डा. संजय पासवान:
श्री सी. कुप्पुसामी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि भारत से इधर उधर यात्रा करने वाले बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी स्वापकों का व्यापार करते हुए पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने मामले जानकारी में आए; और

(ग) सरकार द्वारा अफगान शरणार्थियों के बाह्य आवागमन को सीमित करने/नियंत्रित करने और उनके स्वापक सम्पर्कों को समाप्त करने विशेषकर अफगान युद्ध के कारण स्वापकों की तस्करी के बढ़ते प्रयासों को नियंत्रित करने हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत में स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों के अभिग्रहण से यह पता नहीं चलता है कि भारत की यात्रा पर आने वाले अथवा भारत से जाने वाले अधिकाधिक अफगान शरणार्थियों को नशीले पदार्थों की खरीद-फरोख्त करते हुए पाया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, 30.11.2001 की स्थिति के अनुसार, मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों के संबंध में गिरफ्तार किये गये अफगान नागरिकों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष 1999-चार, वर्ष 2000-छ: और वर्ष 2001-शून्य।

(ग) नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने तथा इस पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने पहले से ही बहुत से महत्वपूर्ण उपाय किए हैं। इनमें, समस्त नशीली दवाओं से संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को सर्वाधिक चौकसी बरतने तथा प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाने के लिए निर्देश जारी करना, अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, उदार पुरस्कार योजना, फ्लड लाइटिंग के साथ-साथ भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षकों को शक्तियां प्रदान करना, स्वापक नियंत्रण ब्यूरों द्वारा तिमाही समन्वय बैठकों का आयोजन करना, सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजरों की सीमावर्ती बैंठकों के हिस्से के रूप में भारतीय तथा पाकिस्तान स्वापक औषधि रोधी एजेंसियों की सीमा पर बैंठकों को तिमाही आधार पर आयोजित करना।

बौद्धिक सम्पदा प्रशासन का आधुनिकीकरण

3092. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतों को शामिल करते हुए बौद्धिक सम्पदा प्रशासन के आधुनिकीकरण हेतु एक वृहत् परियोजना क्रियान्वयनाधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या जन सम्पर्क कार्यक्रमों के जरिए, दीर्घकालीन संस्थानों की स्थापना करके और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए बौद्धिक सम्पदा के आधुनिकीकरण द्वारा बौद्धिक सम्पदा बनाने पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो बौद्धिक सम्पदा प्रशासन के आधुनिकीकरण को किस हद तक क्रियान्वित किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) जी हां। आधुनिकीकरण की पहलों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित घटक भी शामिल हैं- परिचालनों को स्वचालित बनाने और जागरूकता तथा जन संपर्क कार्यक्रम विकसित करने, दोनों उद्देश्यों के लिए। इस संबंध में पहले ही अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं, कार्यालय की एक वेबसाइट आरंभ की गयी है, पेटेंटों, डिजाइनों और व्यापार चिह्नों पर बुकलेटें/पैंपलेट तैयार किये गये हैं और जारी किये गये हैं। इन पहलों को निरंतरता प्रदान करने की दृष्टि से उपयुक्त बजट प्रावधान भी किये गये है।

(घ) दिल्ली और चैन्नई में आधुनिकीकरण पेटेंट कार्यालयों को पहले ही चालू कर दिया गया है तथा कोलकाता और मुंबई में कार्य प्रगति पर हैं। शीघ्र ही एक आधुनिकीकृत डिजाइन कार्यालय

को चालू किये जाने की आशा है। व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की आधारभूत सुविधाओं के मजूबती प्रदान करने का कार्य भी इस समय कार्यान्वयन के अधीन है। चेन्नई में पहले ही एक पूर्ण आधुनिकीकृत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री की स्थापना की जा चुकी है।

बेनामी कारोबार

3093. श्री. वी. वेत्रिसेलवन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बेनामी कारोबार में संलिप्त लोगों की पहचान के लिये समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में बेनामी कारोबार पर रोक लगाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बेनामी लेनदेन (निषेध), अधिनियम, 1988 के कार्यान्वयन का मामला सरकार के विचाराधीन है।

वित्तीय संस्थानों द्वारा रुग्ण कंपनियों का वित्त पोषण

3094. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित रुग्ण कंपनियों की संख्या वर्ष 1999-2000 के दौरान 127 घट गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जिन रुग्ण कंपनियों को ऋण दिया था उसके आंकड़ों के अनुसार उनमें से 67 कंपनियां बंद हो गयी हैं/समाप्त हो गयी है;

(ग) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड 4836.80 करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि से 614 कंपनियों में से केवल दो कंपनियों को ही पुनरूज्जीवित कर सका;

(घ) यदि हां, तो इस शून्य रिकार्ड के मुख्यत: क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, (सिका), 1985 के उपबंधों के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) औद्योगिक रुग्णता की समस्या को प्रभावी रुप से हल करने में समर्थ नहीं हुआ है। यह कंपनी क्षेत्र की पुनर्संरचना के समय से समाधान कर पाने में भी विफल रहा है। उन बहुत सी कमियों पर विचार करते हुए जो सिका और बाइफर के परिचालन में जानकारी में आई, एक बिल, अर्थात् सिका को निरस्त करने के लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) निरसन विधेयक, 2001 को 30.8.2001 को लोक सभा में पेश किया गया। इसके साथ ही साथ अन्य विधेयक, अर्थात कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2001 भी पेश किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (क) कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी); (ख) कंपनियों के समापन और समायोजन योजनाओं के समापन के बारे में उच्च न्यायालयों; और (ग) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत बाइफर/एएआईएफआर द्वारा फिलहाल प्रयोग की गई शक्तियों वाले राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को स्थापित किए जाने का प्रावधान है।

विशेष केन्द्रीय सहायता

3095. श्री अनन्त नायक: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना कार्यान्वित करने हेतु राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता आबंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्यवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए उड़ीसा में कौन-कौन से विशिष्ट कल्याणकारी उपाय किये गये है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1998-99 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त विशेष संघटक योजना के लिए

विशेष केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे दशाने वाला ब्यौरा विवरण I में दिया गया है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, वे अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आय सृजनकारी योजनाओं, लघु सिंचाई परियोजनाओं, कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, छोटे व्यापार शुरू करने के लिए कि ऑस्क/दुकानों का निर्माण आदि का कार्यान्वयन कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय की गई राशि और सहायता प्राप्त लाभग्राहियों की संख्या का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99 निर्मुक्ति	1999-2000 निर्मुक्ति	2000-2001 निर्मुक्ति
1.	2	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3388.78	4134.94	3720.00
2.	असम	596.66	695.31	1810.69
3.	बिहार	3620.07	3471.49	0.00
4.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	500.00
5.	गुजरात	371.40	682.27	1521.88
6.	गोवा	2.72	5.49	8.00
7.	हरियाणा	741.77	840.36	930.63
8.	हि. प्र.	259.56	298.18	440.00
9.	जम्मू एवं कश्मीर	132.80	183.44	218.00
10.	झारखंड	0.00	0.00	500.00
11.	कर्नाटक	1820.07	2097.36	2643.64
12.	केरल	724.54	813.24	1251.07
13.	मध्य प्रदेश	2237.08	3303.27	1720.00
14.	महाराष्ट्र	1673.92	2067.30	2722.00
15.	मणिपुर	10.62	12.54	38.96
16.	उड़ीसा	2281.57	1907.72	1884.00
17.	पंजाब	1119.74	1280.29	1784.00
18.	राजस्थान	2575.48	2792.68	3738.96

1.	2	4	5	6
19.	सिक्किम	4.03	22.37	23.87
20.	तमिलनाडु	3236.93	4036.92	3558.00
21.	त्रिपुरा	108.72	159.14	476.48
22.	उत्तर प्रदेश	7518.15	9728.65	9398.00
23.	उत्तरांचल	0.00	0	500.00
24.	पश्चिम बंगाल	3378.39	4962.00	5450.63
25.	चंड़ीगढ़	22.00	25.00	25.00
26.	दिल्ली	201.71	149.91	149.91
27.	पांडिचेरी	73.29	30.13	25.18
	कुल	36100.00	43700.00	45038.90

विवरण-II

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		उपयोग की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या
1.	बैंक ग्राहय आयसृजक योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता	1401.04	27577	1329.35	26256	1030.58	17522
2.	लघु सिचाई	431.66	7217	303.70	2898	836.51	6923
3.	कौशल विकास प्रशिक्षण	16.84	439	17.93	320	22.09	400
4.	शेयर पूंजी अंशदान	3.02	8117	0.31	1019	1.62	4142
5.	चर्म कार्यक्रम	8.30	102	–	–	–	–
6.	उच्च लागत योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता	1.14	19	15.18	253	9.42	157
7.	शिक्षा भवन कार्यक्रम	–	–	20.00	–	–	–
8.	दुकान कक्ष/कियोस्क	–	–	–	–	1.65	11
9.	अनुसूचित जाति विकास (महिला)	–	–	–	–	1.56	26
10	मत्स्य कार्यक्रम	–	–	–	–	19.03	673
	कुल	1862.00	43471	1686.47	30746	1922.46	29854

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4570/2001]

(ख) (एक)भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4571/2001]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं श्री अरुण जेटली की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अन्तर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001 जो 29 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1-सीए (7)/59/2001 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4572/2001]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 641 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 686(अ) जो 21 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची 15 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4573/2001]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (निक्षेपों को स्वीकार करना) दूसरा संशोधन नियम, 2001 जो 25 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (डाक बैलट द्वारा संकल्प पारित करना) संशोधन नियम, 2001 जो 11 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 773(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4574/2001]

(4) (एक) इन्टरनेशनल सेन्टर फार आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्टरनेशनल सेन्टर फार आल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4575/2001]

(5) (एक) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4576/2001]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त की जुलाई, 1995 से जून, 1998 तक की अवधि तक के छत्तीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित प्रतिवेदन के बारे में व्याख्यात्मक टिप्पण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4577/2001]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4578/2001]

(ख) (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4579/2001]

(4) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.-4580/2001]

(6) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.-4581/2001]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 5, श्री ओ. राजगोपाल।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): महोदय, मैं श्री नीतीश कुमार की ओर से, मद संख्या 5 में दर्शाये गये पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम श्री ओ. राजगोपाल नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, श्री दिग्विजय सिंह रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री है, जिसके श्री नीतीश कुमार कैबिनेट मंत्री हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह सही है। लेकिन श्री नीतिश कुमार ने अपनी ओर से श्री ओ. राजगोपाल द्वारा पत्र रखे जाने की अनुमति का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखा है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह): महोदय, मैं श्री नीतिश कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए रेलवे ओपनिंग (संशोधन) नियम, 2001 जो 8 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 762(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4582/2001]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4583/2001]

(3) (एक) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4584/2001]

(4) रेलवे की सुरक्षा संबंधी उच्चस्तरीय समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.-4585/2001]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. वल्लभभाई कथीरिया): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) साइकल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) साइकल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4586/2001]

(ख) (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4587/2001]

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): महोदय, मैं श्री वी. धनंजय कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4588/2001]

(2) (एक) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4589/2001]

(3) (एक) बोम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4590/2001]

(4) (एक) मनमाड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मनमाड टेक्सटाइल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4591/2001]

(5) (एक) नार्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्दन इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4592/2001]

(6) (एक) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4593/2001]

(7) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4594/2001]

(8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4595/2001]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-4596/2001]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल): महोदय, मैं श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2778 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का.आ. 2779 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 191 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''दि जेम एण्ड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1996-1997 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2780 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''इंडियन इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का.आ. 2781 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''काउंसिल फार सोशल डिवलपमेंट, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 2782 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, लखनऊ'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का.आ. 2783 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''श्री अरविन्दो सोसायटी, कलकत्ता'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का.आ. 2784 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''सोफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क्स आफ इंडिया, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से 1998-1999 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2785 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''एग्री-होर्टिकल्चरल सोसायटी ऑफ इंडिया, कलकत्ता'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 2786 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''इन्स्टीट्यूट ऑफ सैक्रेटरीज आफ इंडिया, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का.आ. 2787 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''सिफेर्यरस वेलफेयर फंड सोसायटी, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-1994 से 1995-1996 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 2788 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज परसोनल बेनीवोलेंट फंड, चेन्नई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 2789 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''चीफ मिनिस्टर्स अर्थक्वेक रिलीफ फंड, महाराष्ट्र, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 2790 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''अमलगमेटड तमिलनाडु शेयर्स आफ पोस्ट वार सर्विसेस रिकन्स्ट्रक्शन फंड एण्ड स्पेशल फंड फार रिकन्स्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन आफ एक्स-सर्विसमैन, चेन्नई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 2791 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''इंदिरा गांधी नेशनल सेन्टर फार आर्ट्स, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 2792 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''ज्ञान प्रबोधनी संशोधन संस्था, पुणे'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 2793 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''महाराष्ट्र एनर्जी डेवेलपमेंट एजेन्सी, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 2794 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग ऐप्लीकेशन्स सेंटर, नागपुर'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 2796 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, माउन्ट-आबू'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 2797 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय ट्रस्ट, अजमेर'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण बर्ष 1996-1997 से 1997-1998 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 2798 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ सेरेब्रल पाल्सी, कलकत्ता'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 2799 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय ट्रस्ट, अजमेर'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 2800 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''ओरोविले फाउंडेशन ओरोविले, तमिलनाडु'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 2801 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''स्वदेशी जागरण फाउंडेशन, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 2802 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''टी.टी. रंगनाथन क्लीनिकल रिसर्च फाउंडेशन, चेन्नई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 2803 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''भगिनी समाज, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से 1998-1999 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 2804 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''ट्रिब्यून ट्रस्ट, चन्डीगढ़'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 2805 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''एशियन इंस्टीट्यूट आफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 2806 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''जे.आर.डी. टाटा ट्रस्ट, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 2807 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''नेशनल सेंटर फार दि परफोर्मिंग आर्ट्स, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 2808 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''मिशनरीज आफ चैरिटी, कोलकाता'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकत्तीस) का.आ. 2809 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''एस.ओ.एस. चिल्ड्रन्स विलेज आफ इंडिया, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 2810 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''राष्ट्रोत्थान परिषद, बंगलौर'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 2811 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''होमी भाभा फैलोशिप काउंसिल, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 2812 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''ऑयल कोऑर्डिनेशनल कमेटी, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 2813 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, वसुंतकुंज, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 2814 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''केरल मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स वेलफेयर फंड बोर्ड, कोल्लम'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1991-1992 से 1993-1994 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 2815 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''हिज होलीनेस दि दलाई लामाज चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 2816 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''केरल मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स वेलफेयर फंड बोर्ड, कोल्लम'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से 1996-1997 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 2817 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''यूसुफ मेहरैली सेंटर, मुम्बई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 2818 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स परशन्स, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1993-1994 से 1995-1996 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 2819 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''इंडियन जिप्सी वर्क्स फैलोशिप ट्रस्ट, हरूर'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 2820 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''श्री ब्रह्मतंत्र स्वतंत्र, प्रकलास्वामी मठ, मैसूर'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से 1996-1997 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेंतालीस) का.आ. 2821 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''विवेकानन्द केन्द्र प्रतिष्ठान, चेन्नई'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौवालीस) का.आ. 2822 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''रमन महर्षि सेन्टर फॉर लर्निंग, बंगलौर'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 2823 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''इ ए एन-इंडिया, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 2824 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''नेशनल-चिल्ड्रन्स फंड, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से 1998-1999 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 2825 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''कन्फेड्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से 2000-2001 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 2826 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''स्टेट इन्नोवेशन इन फेमिली प्लानिंग सर्विसेस प्रोजेक्ट एजेन्सीज लखनऊ'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 2827 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''गुजरात पोल्युशन कन्ट्रोल बोर्ड, गांधीनगर'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से 1998-1999 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पचास) का.आ. 2828 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''टेक्नोलोजी डेवेलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 2829 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''सर्व सेवा संघ, वर्धा'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बावन) का.आ. 2830 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''इंडो-जर्मन सोशल सर्विस सोसायटी, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से 1996-1997 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तिरपन) का.आ. 2831 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''गांधी स्मारक संग्रहालय समिति राजघाट, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौवन) का.आ. 2832 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''इंडियन एसोसिएशन ऑफ वीमेंस स्टडीज, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1996-1997 से 1998-1999 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पचपन) का.आ. 2833 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''इंडो-जर्मन सोशन सर्विस सोसायटी, नई दिल्ली'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छप्पन) का.आ. 2834 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''श्रीरंगम श्रीमद अन्दावन पेरिआश्रमम त्रिची'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1995-1996 से 1997-1998 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्तावन) का.आ. 2836 जो 20 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत ''ज्वाइंट प्लांट कमेटी, कलकत्ता'' को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से 2001-2003 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठावन) आयकर (9वां संशोधन) नियम, 2001 जो 2 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 630(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनसठ) आयकर (8वां संशोधन) नियम, 2001 जो 2 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 631(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(साठ) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2001 जो 2 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 632 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकसठ) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2001 जो 2 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 633 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बासठ) आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2001 जो 2 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 634 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तिरसठ) आयकर (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 2001 जो 2 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 715 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौसठ) आयकर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2001 जो 2 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 716 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पैंसठ) आयकर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2001 जो 8 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 678 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छियासठ) आयकर (बीसवां संशोधन) नियम, 2001 जो 17 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 793 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सड़सठ) आयकर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 2001 जो 17 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 794 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अड़सठ) आयकर (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2001 जो 21 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 808(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनहत्तर) आयकर (बाइसवां संशोधन) नियम, 2001 जो 25 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 940 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्तर) आयकर (तेइसवां संशोधन) नियम, 2001 जो 11 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1022(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4597/2001]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 832(अ) जो 2 अगस्त, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कच्चे पामोलीन तेल के लिए उनका आयात करने पर मूल्यानुसार आधार पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क निर्धारण करने के लिए उनका मूल्य निश्चित करने के प्रयोजन हेतु टेरिफ शुल्क निर्धारित करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का अवधारण) संशोधन नियम, 2001 जो 7 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 652(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 1011(अ) जो 9 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001 सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 830(अ) जो 28 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 831(अ) जो 28 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 941(अ) जो 25 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 942 (अ) जो 25 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हआ तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।'

(आठ) का.आ 958 (अ) जो 27 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हआ तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 959 (अ) जो 27 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हआ तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 967 (अ) जो 28 सितम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हआ तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ. 1060 (अ) जो 25 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हआ तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय

विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ. 1061 (अ) जो 25 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हआ तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में तथा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 772 (अ) जो 10 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 22 अक्तूबर, 1991 की अधिसूचना संख्या 138/91-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 831 (अ) जो 6 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित छह अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 780 (अ) जो 16 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई, 1994 की अधिसूचना संख्या 148/91-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 795 (अ) जो 23 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 17/2001-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 810 (अ) जो 30 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 17/2001-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) सा.का.नि. 847 (अ) जो 13 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 17/2001-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 850 (अ) जो 16 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 17/2001-सी.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 4598/2001]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 770(अ) जो 10 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 3/2001-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 771(अ) जो 10 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 4 जनवरी, 1995 की अधिसूचना संख्या 1/95-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 830(अ) जो 6 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 770(अ) जो 13 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 3/2001-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4599/2001]

(4) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2001, जो 13 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 864(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4600/2001]

(5) तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 26 की उपधारा (3) के अंतर्गत समपहरित संपत्ति के लिए अपीलीय अधिकरण (अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2001 जो 1 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 751(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4601/2001]

(6) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) सा.का.नि. 753 (अ) जो 3 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित अधिकारी द्वारा अनुसंशित दर पर संयुक्त अरब अमीरात तथा ईरान में उद्‌भूत अथा वहां से निर्यातित सफेद पोर्टलैण्ड सीमेन्ट पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 754(अ) जो 3 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनका आशय 14 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 64/2001-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 815 (अ) जो 1 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित अधिकारी द्वारा अनुसंशित दर पर चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग और ताइवान में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित पोटेशियम परमेगनेट पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 820 (अ) जो 2 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित अधिकारी द्वारा अनुशंसित दर पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम हाइड्रोसल्फाइट पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 821(अ) जो 2 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित अधिकारी द्वारा अनुसंशित दर पर चीन जनवादी गणराज्य में उद्‌भूत अथवा वहां से निर्यातित जिंक आक्साइड पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 848(अ) जो 13 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 19/2001-सी.शु. को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 851(अ) जो 16 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पदनामित अधिकारी द्वारा माल भेजने वालों की नई समीक्षा किये जाने तक ताप संवेदी कागज, जब वह मैसर्स पेपियरफैब्रिक आगस्ट कोलेर एग., जर्मनी द्वारा निर्यात किया गया हो तथा भारत में आयात किया गया हो, पर प्रतिपाटन शुल्क के अनंतिम मूल्यांकन को विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 796(अ) जो 23 अक्टूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 2001 की अधिसूचना संख्या 19/2001-सी.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4602/2001]

(7) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य (संशोधन) विनियम, 2000, जो 10 फरवरी, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 6, में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4603/2001]

(8) सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उपधारा (5) के अन्तर्गत सामान्य बीमा (कर्मचारी) पेंशन (दूसरा संशोधन) योजना, 2001 जो 2 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1086(अ) में प्रकाशित हुई थी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 4604/2001]

(9) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 409(अ) जो 10 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 1991 की जनसंख्या में यथा परिभाषित देश के सभी शहरी क्षेत्रों में आवासीय अथवा व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली अचल सम्पत्ति के संबंध में फ्लोर एरिया को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 410(अ) जो 10 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (1) के परन्तुक के प्रयोजनार्थ भारत की 1991 की जनगणना द्वारा यथापरिभाषित देश के सभी शहरी क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 484(अ) जो 30 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2001 से अधिसूचना में उल्लिखित दर 9.5% निर्धारित की गयी है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 507 (अ) जो 11 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें वर्णित व्यक्तियों के ऐसे वर्गों, जिन पर अधिनियम के पहले परन्तुक के उपबंध लागू नहीं होंगे, को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 508(अ) जो 11 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें वर्णित स्थानों को तीर्थ स्थान के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और ऐसे स्थानों की यात्रा किसी विदेश यात्रा के रूप में नहीं मानी जाएगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 509(अ) जो 11 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें वर्णित पड़ोसी देशों को "किसी विदेश यात्रा" पद में शामिल न करना विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 511(अ) जो 11 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें वर्णित व्यक्तियों के ऐसे वर्गों, जिन पर अधिनियम के पहले परन्तुक के उपबंध लागू नहीं होंगे, को विनिर्दिष्ट किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4605/2001]

(10) व्यय-कर अधिनियम, 1987 की धारा 31 की उपधारा (4) के अंतर्गत व्यय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2001 जो 27 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 713 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4606/2001]

(11) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अंतर्गत धन-कर (पहला संशोधन) नियम, 2001 जो 27 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 714(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4607/2001]

(12) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 17 की खंड(2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1021(अ) जो 11 अक्तूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि उक्त अधिनियम, की धारा 17 के खंड (2) के उपखंड (3) किसी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना अथवा उसमें उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गयी किसी स्कीम के अंतर्गत आवंटित शेयरों, ऋण पत्रों अथवा वारंटों पर लागू होंगे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4608/2001]

(13) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऋण वसूली अपीली अधिकरण, मुम्बई (समूह "ग" और समूह "घ" पद) (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 जो 24 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 606(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऋण वसूली अधिकरण, कोलकाता (समूह ''ग'' और समूह ''घ'' पद) (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 जो 24 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 607(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद (समूह ''ग'' और समूह ''घ'' पद) (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 जो 24 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 608(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) ऋण वसूली अधिकरण, बंगलौर (समूह ''ग'' और समूह ''घ'' पद) (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 जो 24 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) ऋण वसूली अधिकरण, मुम्बई (समूह ''ग'' और समूह ''घ'' पद) (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 जो 24 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 610(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई (समूह ''ग'' और समूह ''घ'' पद) (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 जो 24 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 611(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) ऋण वसूली अधिकरण, मुम्बई (समूह ''ग'' और समूह ''घ'' पद) (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 जो 24 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 612(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) ऋण वसूली अधिकरण, पटना (समूह ''ग'' और समूह ''घ'' पद) (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 जो 24 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 613(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर (समूह ''ग'' और समूह ''घ'' पद) (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 जो 24 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 614(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) ऋण वसूली अधिकरण, मुम्बई (समूह ''ग'' और समूह ''घ'' पद) (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 जो 24 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 615(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली (समूह ''ग'' और ''घ'' पद) (अराजपत्रित) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 जो 24 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 616(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4609/2001]

(14) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 510(अ) जो 11 जून, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2001 से आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4610/2001]

(15) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत, निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केनरा बैंक के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4611/2001]

(दो) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4612/2001]

(तीन) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4613/2001]

(चार) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4614/2001]

(पांच) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4615/2001]

(छह) यूको बैंक के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण और कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4616/2001]

(16) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ इंदौर, स्टेट बैंक आफ पटियाला और स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4617/2001]

(17) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4618/2001]

(18) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुम्बई का वर्ष 2000-2001 का सांख्यिकीय विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 4619/2001]

(19) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण पर समेकित रिपोर्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 4620/2001]

(20) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:-

(एक) स्वस्थी ग्रामीण बैंक, बहराइच।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4621/2001]

(दो) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूच बिहार।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4622/2001]

(तीन) छत्रसाल ग्रामीण बैंक, उरई।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4623/2001]

(चार) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4624/2001]

(पांच) जयपुर नागपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4625/2001]

(छह) सरयू ग्रामीण बैंक, लखीमपुर खीरी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4626/2001]

(सात) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4627/2001]

(आठ) विन्ध्यवासिनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4628/2001]

(नौ) अधियमन ग्राम बैंक, धर्मपुरी।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4629/2001]

(21) (एक) राष्ट्रीय आवास अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत जून, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

भारत में आवास की प्रवृत्ति और प्रगति (राष्ट्रीय आवास बैंक) के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4630/2001]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) गर्म मसाला उपकर अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 819(अ) जो 23 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा निर्यातोन्मुखी एककों और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में स्थित एककों द्वारा किसी भी रूप में सभी अनुसूचित मसालों के निर्यात पर शून्य प्रतिशत मूल्यानुसार उपकर की दर के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 4631/2001]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया टी एण्ड रेस्टोरेन्ट्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4632/2001]

(3) (एक) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मसाला बोर्ड, कोचीन के वर्ष 2000-2001 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4633/2001]

(4) (एक) काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्टस, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फार लेदर एक्सपोर्टस चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4634/2001]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 626 (अ) जो 30 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा वर्ष 1999-2000 के चीनी मौसम के लिए चीनी मिलों द्वारा देय न्यूनतम गन्ना मूल्य को अधिसूचित किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 627(अ) जो 30 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वर्ष 2000-2001 के चीनी मौसम के लिए चीनी मिलों द्वारा देय न्यूनतम गन्ना मूल्य को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 1146(अ) जो 20 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 जून, 1966 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 913 को रद्द किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4635/2001]

(2) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप मानक (सामान्य) (दूसरा संशोधन) नियम, 2001 जो 9 नवम्बर, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 842(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 4636/2001]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

> "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 5 दिसम्बर, 2001 को हुई अपनी बैठक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार, संविधान (बानवेवां संशोधन) विधेयक, 2001, जिसे लोक सभा द्वारा 28 नवम्बर, 2001 को पारित किया गया था, बिना किसी संशोधन के पारित किया।"

अपराह्न 12.04 बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

अठावनवां और उनसठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. बी.बी. रमैया (एलूरू): महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पूर्वोत्तर क्षेत्र की हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के सामने आ रही समस्याओं पर 58वां प्रतिवेदन; और

(2) भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबधित अनुदानों की मांगों (2001-2002) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई संबंधी 59वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा का कार्य

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आपकी अनुमति से मैं सूचित करता हूं कि सोमवार, 10 दिसम्बर, 2001 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान लोक सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. आतंकवाद निरोधक अध्यादेश, 2001 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और आतंकवाद निरोधक विधेयक, 2001 पर विचार तथा पारित करना।
3. वर्ष 2001-2002 के लिए मणिपुर के बजट पर सामान्य चर्चा।
4. वर्ष 2001-2002 के लिए अनुदानों की मांगें (मणिपुर) पर चर्चा और मतदान।
5. निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा और पारित करना-
   1. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1999
   2. जूट विनिर्मित उपकर (संशोधन) विधेयक, 2001

   पर विचार और पारित करना।
6. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवम् अनुसंधान (संशोधन) विधेयक, 2001।
7. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्पों पर चर्चा और राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने के पश्चात इन अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों पर विचार और पारित करना-
   1. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2001
   2. पासपोर्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2001
8. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना-
   1. तटरक्षक (संशोधन) विधेयक, 2001
   2. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2000

3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2001

9. 1981 के सी.ए. संदर्भ संख्या 6 में समयोपरि भत्ते की दरों में संशोधन करने के संबंध में माध्यस्थम बोर्ड की अस्वीकृति के लिए सदन का अनुमोदन चाहने वाला संकल्प।

10. 1991 के सी.ए. संदर्भ संख्या 2 में निजी सचिवों (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिवों के विलय किए गए ग्रेड ''क'' और ''ख'') को विशेष वेतन प्रदान करने हेतु माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट की अस्वीकृति का अनुमोदन चाहने वाला संकल्प।

11. 1992 के सी.ए. संदर्भ संख्या 11 में आशुलिपिक ग्रेड ''घ'' के ग्रेड के वेतनमान में वृद्धि करने के लिए माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट की अस्वीकृति का अनुमोदन चाहने वाला संकल्प।

[अनुवाद]

डा. ए.डी.के. जयशीलन (तिरुचेन्दूर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें जोड़ी जाये:

(एक) मछुआरों के कल्याण हेतु आवास, जीवन बीमा, वृद्धावस्था पेंशन और बीमारी संबंधी लाभों के लिए विधान बनाये जाने की आवश्यकता।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ करने, तत्काल रिक्त पदों को भरने, परिषद् के कुशल कार्यकरण हेतु और अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति और निरंतरता तथा कुशलता बनाये रखने के लिए निचले स्टाफ के अक्सर होने वाले स्थानान्तरण की प्रवृत्ति को दूर करने की आवश्यकता।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएं:

(एक) कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं को ताजे उत्पाद मिलने को सुनिश्चित कराने हेतु किसानों को दिल्ली तथा अन्य मुख्य शहरों में शीघ्र खराब होने वाली सब्जियों, फलों और अन्य बागवानी उत्पादों को लाने को सुविधाजनक बनाने हेतु रेलगाड़ियों में 'ग्रीन बोगीस' जोड़े जाने की आवश्यकता।

(दो) काजू, चाय, कॉफी, काली मिर्च, कोको, नारियल, सुपारी फल और सब्जियां उगाने वाले कृषकों की समस्याएं और उन्हें सामान्य भंडारण सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता।

अपराह्न 12.07 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल की जायें:

(एक) तमिलनाडु में श्रीपेरम्बदूर से अवाजी तक नई बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपये जारी करने की आवश्यकता।

(दो) तमिलनाडु में समन्वित स्वच्छता कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए 252 करोड़ रुपये जारी करने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1. अन्तर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय बाणसागर बांध को शीघ्र पूरा कराने हेतु चर्चा।

2. जबलपुर मंडल के सतना रेलवे स्टेशन में तीसरे प्लेटफार्म का निर्माण कराए जाने पर चर्चा।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाए:

1. सार्वजनिक क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या दिनों दिन घट रही है, जिससे आवश्यक हो गया है कि निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण की सुविधा हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक विधेयक लाकर कानून बनाया जाए।

2. भारत के पर्यटन स्थलों के केन्द्रों के नक्शों का नवीनीकरण किया जाए तथा नए राज्यों छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तरांचल सहित अन्य राज्यों के पर्यटन स्थलों के केन्द्रों को भी शामिल किया जाए, जिससे विदेशी मुद्रा आय की बढ़ोत्तरी होगी तथा अधिकतर लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएं:

(एक) पचासीवां संविधान (संशोधन) विधेयक, अर्थात् संसद और अन्य विधि बनाने वाले निकायों में महिलाओं के लिए स्थानों में 33 प्रतिशत आरक्षण;

(दो) महिला अधिकारिता वर्ष का मूल्यांकन तथा भारतीय महिलाओं की स्थिति।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर (उ.प्र.) से जुड़े निम्न विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

गोरखपुर उ.प्र. का प्रमुख महानगर है। योग के महान आचार्य गुरू गोरखनाथ की तपोभूमि भगवान बुद्ध की जन्म तथा निर्वाण भूमि के साथ भगवान महावीर तथा संत कबीर की निर्वाण भूमि भी गोरखपुर मंडल में स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में आते हैं। वर्ष 1991-92 तक नई दिल्ली, गोरखपुर, कोलकाता के बीच हवाई सेवा की सुविधा थी, परन्तु अपरिहार्य कारणों से यह सुविधा लगातार स्थगित चल रही है। देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या को देखते हुए गोरखपुर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए तथा नई दिल्ली, गोरखपुर, कोलकाता के बीच हवाई सेवा पुन: प्रारम्भ की जाए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित कर कृतार्थ करें:

1. संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में उल्लिखित नशाबंदी के प्रावधान को सम्पूर्ण देश में सक्रियता से क्रियान्वित किये जाने तथा नकली शराब बनाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता।

2. दिल्ली अहमदाबाद मेल (दिल्ली में) में एक ए.सी. प्रथम श्रेणी का कोच लगाए जाने की आवश्यकता।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट): महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित प्रस्ताव शामिल किए जाएं:

1. देश एवं दुनिया की बदलती परिस्थिति में भारतीय कृषि को सुरक्षित रखने तथा सरकार एवं किसानों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रसार भारती से मुक्त एवं पूर्णत: सरकारी चैनल की आवश्यकता का विचार।

2. देश में रेल के सर्वांगीण विकास की अवधारणा को पूर्ण करने तथा लम्बी दूरी के रेल मार्गों की अनावश्यक दूरी को कम करने के लिए एक आदर्श क्रास रेल मार्ग बनाने की योजना पर विचार की आवश्यकता।

अपराह्न 12.13 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): महोदय, डा. मुरली मनोहर जोशी की ओर से, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूं:

"कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3 (4) (ञ) और 4(1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य के रूप में 3 वर्ष के लिए कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3 (4) (ञ) और 4(1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के सदस्य के रूप में 3 वर्ष के लिए कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम 'शून्य काल' लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक गंभीर मुद्दे पर नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी मैं आपको बोलने का अवसर प्रदान करूंगा। परन्तु मुझे एक मद लेने दीजिए। मेरे पास अन्य सदस्यों के नोटिस भी हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, सामान्यत: 'शून्य-काल' के दौरान अविलम्बनीय महत्व के विषय को प्राथमिकता दी जाती है ...*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): महोदय, ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने नोटिस दिया है। श्री दासमुंशी के पश्चात्, श्री वैको मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको: उन्हें किस संबंध में प्राथमिकता दी गई है? ...*(व्यवधान)* कोई भी किसी से श्रेष्ठ नहीं है ...*(व्यवधान)* प्रत्येक सदस्य के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको, अगली बार मैं आपको बोलने का मौका दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उनके पश्चात्, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं यह नहीं जानता कि क्या वे आपको चुनौती दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे बोला था कि श्री दासमुंशी के बाद मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री वैको: पीठासीन अधिकारी के लिए सभी सदस्य समान हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उनके पश्चात्, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

श्री वैको: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विशेष मुद्दे पर आप हस्तक्षेप करें ...*(व्यवधान)* इसकी एक प्रक्रिया है ...*(व्यवधान)* मैंने आज संसद सूचना कार्यालय में प्रात: 9.00 बजे सूचना दी थी ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको, मैंने आपको बता दिया है कि श्री प्रियरंजन दासमुंशी के पश्चात् मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष जी, जिसका नोटिस पहले हो, उसे पहले बुलवाइये। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): हमारा भी यही कहना है कि जिसका नोटिस पहले आया है उसे पहले बुलवाइये। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष जी, मैं जो पूछने जा रहा हूं, उससे महत्वपूर्ण सवाल दूसरा नहीं हो सकता। ...*(व्यवधान)* यह सरकार दंगे करवाना चाहती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको: सभी सदस्य समान हैं, चाहे वे किसी बड़ी पार्टी से संबंधित हो अथवा किसी छोटी पार्टी से ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली): उपाध्यक्ष जी, बाद वाले को बाद में बुलवाइये, जिसका नोटिस पहले आया है उसे पहले बुलवाइये। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: जिसने पहले नोटिस दिया है, वह पहले बोलेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको: महोदय, आप पहले मेरा नाम पुकारिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको, आप मेरे विनिर्णय को चुनौती दे रहे हैं? मैंने श्री दासमुंशी को बोलने का अवसर दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: उपाध्यक्षजी, आप सीरियल से मैम्बर्स को बुलाएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखिए। मैंने उन्हें बोलने का अवसर दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री साहिब सिंह: इनका नोटिस अगर पहले है, तो इन्हें पहले बुलवा लें। अगर उनका नोटिस पहले है तो उन्हें बुलवा लें।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष जी, हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही नोटिस देते हैं, इसलिए जिसने पहले नोटिस दिया है उसे पहले बुलवाएं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पहले मुख्य विपक्ष को बोलने का अवसर प्रदान किया है।

...(व्यवधान)

श्री वैको: महोदय, मैंने नो बजे नोटिस दिया था *...(व्यवधान)* वह न्याय संगत नहीं है *...(व्यवधान)* मैंने नौ बजे पहला नोटिस दिया था *...(व्यवधान)* ऐसा रोज नहीं चल सकता *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आपको कहा है कि उनके पश्चात, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: उपाध्यक्ष जी, मेरा बहुत महत्वपूर्ण मामला है। *...(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): उपाध्यक्ष जी, *...(व्यवधान)* एक यूनियन मिनिस्टर वीएचपी के साथ मिलकर षडयंत्र कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री शीशराम सिंह रवि (बिजनौर): उपाध्यक्ष जी, उनका नोटिस नहीं है लेकिन उन्हें पहले क्यों सुना जा रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप इसी प्रकार बोलते रहेंगे, तो 'शून्य काल' अभी समाप्त हो जायेगा। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष जी, इससे महत्वपूर्ण सवाल दूसरा नहीं हो सकता *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको: महोदय, मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए *...(व्यवधान)* कोई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *...(व्यवधान)*

श्री वैको: कृपया, कोई व्यवस्था का प्रश्न न उठायें *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वैको, अब आप विनिर्णय भी दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री वैको: महोदय, यह आपका अधिकार है, परन्तु किसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए *...(व्यवधान)* हर सदस्य के लिए हर मामला गंभीर मामला है *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: भारत के संविधान से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है, जिसका उल्लंघन किया गया है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप 'शून्य काल' चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ सहयोग करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं चाहते, तो मैं सभा स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे एक बजे तक 'शून्य-काल' चलाना चाहते हैं अथवा नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, आपने पहले इनको बुलाया है। जब वह बोलने लगे, तो आपने इनको बैठा कर उनको बुला लिया ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: यदि पहला इनका नोटिस है तो पहले इनको बुलाया जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने अपने निर्णय के अनुसार उन्हें बोलने का अवसर दिया है, यदि आप उसमें रुचि नहीं रखते, तो मैं सभा को स्थगित करके सभा छोड़कर चला जाता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यदि वे विपक्ष को नहीं बोलने देंगे और विनिर्णय को चुनौती देंगे, तो हम सभा में कोई कार्य नहीं होने देंगे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.22 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.02 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, सुबह शून्य काल के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने पीठासीन अधिकारी के विनिर्णय का उल्लंघन किया ...*(व्यवधान)* हम इसकी आलोचना करते हैं और ऐसा करने की सभा में अनुमति नहीं देंगे ...*(व्यवधान)* महोदय, उन्होंने पीठासीन अधिकारी के प्रति अनादर की भावना का प्रदर्शन किया है। ...*(व्यवधान)* हम सत्ता पक्ष के सदस्यों के इस प्रकार के आचरण का समर्थन नहीं करते ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थानों पर बैठें। एक विधेयक पुर:स्थापित करना पड़ेगा। श्री काशीराम राणा बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.03 बजे

जूट विनिर्मिति उपकर (संशोधन) विधेयक*

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जूट विनिर्मिति उपकर अधिनियम, 1983 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि जूट विनिर्मिति उपकर अधिनियम, 1983 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठे जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सुबह सभा की कार्यवाही नहीं चल सकी। कृपया अब तो कार्यवाही चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): जी, नहीं। अध्यक्षपीठ के विनिर्णय का उल्लंघन किया गया है। ...*(व्यवधान)* विपक्ष के सदस्यों को बोलने की अनुमति न देकर समूचे विपक्ष पर हमला किया गया है। ...*(व्यवधान)* हम सभा में इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)* महोदय अध्यक्षपीठ के विनिर्णय पर आपत्ति की गई है ...*(व्यवधान)* उन्हें अध्यक्षपीठ से माफी मांगनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभा की कार्यवाही चलने दें।

...*(व्यवधान)*

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2 दिनांक 7.12.2001 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

श्री कीर्ति झा आजाद: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उनका व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया नियम को उद्धृत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद: नियम 352 (iii), मैं, इसे उद्धृत करता हूं:

"352. बोलते समय कोई सदस्य–

संसद या किसी राज्य विधानमंडल के व्यवहार या कार्यवाही के विषय में आपत्तिजनक पदावली का उपयोग नहीं करेगा;"

उपाध्यक्ष महोदय: उनका व्यवस्था संबंधी प्रश्न सुनिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद: महोदय, क्या निर्वाचित संसद सदस्य का यही आचरण है? *...(व्यवधान)* वे खुद तो सभा के नियमों का सम्मान नहीं करते हैं तथा वे मुझे भी नियमों के अनुसार कार्य नहीं करने दे रहे हैं। *...(व्यवधान)* महोदय, उन्होंने सभा में आक्रामक भाषा का उपयोग किया है। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 2.07 बजे

[**श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा** *पीठासीन हुई*]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदया, यह सभा की मर्यादा पर प्रहार है तथा उन्होंने अध्यक्षपीठ के विनिर्णय की अवज्ञा की है। *...(व्यवधान)* इस तरह से हम सहयोग नहीं कर सकते हैं जब तक वे सभा से क्षमायाचना नहीं करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *...(व्यवधान)* वे मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)* क्या सभा में बर्ताव का यही तरीका है? *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदया, हम सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के इस रवैए की निंदा करते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जो कह रहे हैं मैं नहीं सुन पा रही हूं। कृपया एक एक करके बोलें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं कुछ नहीं सुन सकती। आप क्यों चिल्ला रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप किसलिए चिल्ला रहे हैं? श्री दासमुंशी जी को पहले बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप वही कर रहे हैं। आप दोषारोपण कर रहे हैं कि उन्होंने सुबह अध्यक्षपीठ की अवज्ञा की है, अब आप भी तो वही कर रहे हैं। कृपया एक-एक करके बोलें। यदि आप सभी एक साथ बोलेंगे तो मैं किसी की बात सुन नहीं सकती हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): जिन मंत्रियों ने अशोक सिंघल के साथ बैठक की है वे पांचों मंत्री यहां आकर सफाई दें *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं पीठासीन नहीं थी। मुझे उनकी बात सुनने दीजिए। यदि किसी ने सुबह अध्यक्षपीठ की अवज्ञा की है तो आप अब इसकी अवज्ञा नहीं कर सकते हैं। कृपया किसी एक व्यक्ति को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद: महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय: आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: जब तक मंत्री सदन में आकर स्थिति स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक हाउस कैसे चल सकता है *...(व्यवधान)* यह सरकार दंगा कराना चाहती है।

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): उन्होंने अध्यक्षपीठ के विनिर्णय को चुनौती दी है। उन्होंने सभा की मर्यादा को चुनौती दी है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं आप सभी से कह रही हूं कि कृपया एक-एक करके बोलिए। कृपया उन्हें बोलने दें। आप जो कह रहे हैं वह मैं नहीं सुन सकती हूं।

...(व्यवधान)

श्री राशिद अलवी: महोदय उन्हें इस तरह से कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सभा की मर्यादा से खिलवाड़ किया है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप एक-एक करके बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अभी मैं बोल रही हूं। आप एक मिनट बैठिए।

[अनुवाद]

श्री राशिद अलवी: यह सभा की मर्यादा का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप बैठ जाइए, प्लीज।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह सभा केवल पीठासीन अधिकारियों द्वारा ही नियंत्रित की जा सकती है। सभी का यह कर्त्तव्य है कि वे उनके विनिर्णय, निदेश सुनें। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं उनसे बैठने के लिए कह रही हूं। आप शोर क्यों मचा रहे हैं? कृपया व्यवधान मत डालिए और आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभा को नियंत्रित करने में न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष सक्षम है। *...(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद: महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। मैं आपकी बात सुनूंगी।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्षपीठ के अतिरिक्त और कोई सभा को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। अध्यक्षपीठ की टिप्पणी, निदेश अथवा विनिर्णय का सम्मान करना होता है। *...(व्यवधान)* महोदय, आज 'शून्यकाल' के दौरान मुद्दा कौन उठाए-इस मामले पर उपाध्यक्ष महोदय ने निर्णायक विनिर्णय दिया। और विनिर्णय देने के बाद *...(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): यह सही नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदया, आप इसकी जांच कार्यवाही से कर सकती है। *...(व्यवधान)* इसी तरह से व्यवधान जारी है। *...(व्यवधान)* महोदया जब हमने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर नोटिस दिया, तो अध्यक्षपीठ ने विनिर्णय दिया तथा अध्यक्षपीठ ने संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध किया कि वह सत्तापक्ष के सदस्यों को रोकें ताकि विपक्ष का एक सदस्य अर्थात् मैं पहले बोल सकूं और तत्पश्चात् अन्य सदस्यगण बोलें। संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यक्षपीठ के निदेश अथवा अनुरोध पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया तथा सम्पूर्ण विनिर्णय पर न केवल आपत्ति की गई बल्कि इसे इस तरह से व्याख्यायित किया गया कि निर्देश असंगत हो गया।

महोदया, इसलिए हम समझते हैं कि यह सत्तापक्ष का अपने सदस्यों के साथ मिलकर अध्यक्षपीठ के विनिर्णय पर आपत्ति करने का प्रयास है ताकि प्रस्तुत आचार संहिता के मूल तत्व और हाल ही में केन्द्रीय कक्ष में की गई घोषणा को विफल किया जा सके। *...(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने दें।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह सभा के प्रति गंभीर दुराचरण है। इसलिए जब तक सरकार विनिर्णय का पालन न करने के लिए

अध्यक्षपीठ से बिना शर्त क्षमायाचना नहीं करती है तब तक हम किसी भी तरह से सत्तापक्ष के साथ सहयोग नहीं कर सकते है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): देखिए, ये बोलने नहीं दे रहे हैं।

सभापति महोदय: आप ही बोलने नहीं दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अध्यक्षपीठ से क्या करवाना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: जब तक सरकार अध्यक्षपीठ से बिना शर्त क्षमायाचना नहीं करती है तब तक हम सत्तापक्ष से सहयोग नहीं कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* कोई कार्य शुरू नहीं किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभा इस तरह से कार्य नहीं कर सकती है।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद: महोदय, नियम 352 के अंतर्गत मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या यही आचार संहिता है जो आप अपना रहे हैं? कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद: महोदया, सभा को न चलने देना अक्षम्य है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया उन्हें व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी: मुंशी जी बोल रहे थे, तो इन्होंने बोलने नहीं दिया था।

सभापति महोदय: यही आप अभी कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब आप भी अध्यक्षपीठ के साथ वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं। आप अध्यक्षपीठ के साथ क्या कर रहे हैं? आप भी अध्यक्षपीठ की अवज्ञा कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या मैं उत्तर दे सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं अध्यक्ष महोदय से इस मामले पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए कहूंगी।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सरकार को बिना शर्त क्षमायाचना करनी चाहिए। हम बिना शर्त क्षमायाचना की मांग करते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। वे अध्यक्षपीठ की अवज्ञा कर रहे हैं। इस तरह से सभा कैसे चल सकती है?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्या मैं अध्यक्षपीठ पर आसीन नहीं हूं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब आप अध्यक्षपीठ की अवज्ञा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। कृपया बैठ जाए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सरकार को बिना शर्त क्षमायाचना करनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह बहुत बुरी बात है। जिस बात पर आपने आपत्ति की थी आप भी बिल्कुल वैसा ही आचरण कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप भी वैसा ही आचरण कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप भी अध्यक्षपीठ की अवज्ञा भी कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सरकार को माफी मांगनी चाहिए और तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही का संचालन किया जाएगा। *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): यह उचित नहीं है। वह एकपक्षीय बात कह रहे हैं। कृपया हमें भी बोलने की अनुमति दें। हमने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी। अब वह हमारी बात सुनें। वह अध्यक्षपीठ की बात मानें। *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हम सहयोग नहीं कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब सभा सोमवार, 10 दिसम्बर 2001 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.16 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 10 दिसम्बर, 2001/ 19 अग्रहायण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.21.14/2[illegible] (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।